राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 3] सप्तम् विधान सभा के तृतीय सत्र का 11वां दिवस [संख्या 9

वृहस्पतिवार

दिनांक 24 सितम्बर, 1981

विधान सभा की बैठक म. पू. 11-00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न । श्री हरिसिंह ।

पंचायत समितियों में शिक्षकों के नव सृजित पद

225. **श्री हरिसिंह (कुम्हेर)** : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) इस वर्ष पंचायत समितियों में शिक्षकों के कितने नवीन पद सृजित किये गये हैं ?

(2) राज्य की समस्त पंचायत समितियों में कुल कितने विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, कुल कितने शिक्षक हैं तथा क्या शिक्षकों की संख्या निर्धारित मापदण्ड के अनुसार है ?

राज्य मंत्री, पंचायत (श्री शीशराम ओला) : (1) शिक्षा विभाग द्वारा इस वर्ष पंचायत समितियों के लिये अध्यापकों के 50 नये पद स्वीकृत किये गये हैं ।

(2) पंचायत समितियों के प्राथमिक विद्यालयों में कुल 15,10,183 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं । प्राथमिक पाठशालाओं में कुल 35,398 अध्यापकों के पद स्वीकृत हैं । शिक्षकों की संख्या निर्धारित मापदण्ड के अनुसार नहीं है ।

श्री हरिसिंह : कितने शिक्षकों की कमी है और उन्हें पूरा करने के लिये क्या व्यवस्था की जा रही है ?

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : 100 विद्यार्थी हैं वहां पर केवल एक अध्यापक है—

श्री अध्यक्ष : केवल प्रश्नकर्ता ।

(व्यवधान)

आर्डर आर्डर ।

श्री हरिसिंह : पदों की संख्या निर्धारित की जायेगी ? जो प्राइमेरी स्कूल बन्द पड़े हैं उनको खोला जायेगा ? यह भी बताने की कृपा करें ।

श्री शीशराम ओला : तीन-हजार एक सौ छब्बीस पद और स्वीकृत करने के लिये निवेदन किया गया है । विद्यार्थियों की संख्या 1रो.49 है । 49 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक

(2)

(श्री शीशराम ओला)
मिलता है, 50 से 89 तक दो, 90 से 119 तक तीन, 120 से 169 तक चार, 170 से 200 तक 12 शिक्षक मिलते हैं। शिक्षा विभाग द्वारा 1981 में प्राइमरी के 50 अध्यापकों के पद स्वीकार किये गये हैं। पदों को आंकने के बाद पंचायत समितियों के बीच कोटा निर्धारित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त शिक्षा विभाग से 173 प्राथमिक विद्यालय खोले जाने की स्वीकृति भी प्राप्त हुई है जिनके लिये अध्यापकों के पद सृजित किये जाने की स्वीकृति अपेक्षित है। स्वीकृति प्राप्त होने पर पंचायत समितियों में प्राथमिक विद्यालय खोल दिये जायेंगे।

श्री हरिसिंह : शिक्षकों के पदों के आपके मापदण्ड के अनुसार तीन हजार शिक्षकों की कमी है। इस वक्त 50 पद स्वीकार किये गये हैं। जो इतना बड़ा गैप है यह कैसे पूरा किया जायेगा ?

श्री शीशराम ओला : शिक्षा विभाग से इसके लिये बात कर ली गयी है। शिक्षा विभाग ने यदि इस मांग को स्वीकृति प्रदान कर दी तो हम यह कमी पूरी कर देंगे।

श्री देवदत्त तिवाड़ी (बाड़मेर) : अध्यक्ष महोदय, कुछ बोर्डर पर ऐसे भी स्कूल हैं जहां 20 लड़के हैं जब कि 49 लड़कों के पीछे एक अध्यापक मिलता है। तो ऐसी पाठशालाओं, जहां 20 लड़के हैं, को अध्यापक कैसे मिलेंगे ?

श्री शीशराम ओला : शिक्षा विभाग का यह मापदण्ड है। शिक्षा विभाग इसके लिये पूरी तरह से अपनी चेष्टा करता है। जिन स्कूलों में 20 विद्यार्थी हैं और बोर्डर डिस्ट्रिक्ट में हैं जैसे जैसलमेर, बाड़मेर आदि तो हमारे डिपार्टमेंट ने वहां अध्यापक दिये हैं।

श्री देवदत्त तिवाड़ी : क्या सरकार यह मानने के लिये तैयार है कि एक स्कूल में कम से कम एक अध्यापक हो ?

श्री शीशराम ओला : यह तो हम कर रहे हैं।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग) : मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि शिक्षकों के अभाव में कितने प्राइमरी स्कूल बंद पड़े हुए हैं ? माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षकों के होते हुए भी स्कूल बंद पड़े हुए हैं, क्योंकि अध्यापक 2 महीने से स्कूल नहीं जा रहे हैं, बिना छुट्टी लिये। क्या यह सही है कि इसकी जांच नहीं की गई ?

श्री शीशराम ओला : यह प्रश्न इसमें नहीं पूछा गया है।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : मेरे पहले प्रश्न का जवाब दीजिये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : अध्यक्ष महोदय, जो शिक्षकों के अभाव में प्राइमरी स्कूल बंद पड़े हुए हैं वह कितने बन्द पड़े हुए हैं और कब तक चालू हो जायेंगे।

श्री शीशराम ओला : हम इसकी जांच करेंगे और इनको जल्दी शुरू करने की चेष्टा करेंगे।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री नाथूसिंह।

जयपुरियों की जमीन का नगर विकास न्यास द्वारा अधिग्रहण

226. श्री **नाथूसिंह** (बांदीकुई) : क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ओ. टी. एस., जयपुर व कोका कोला फैक्ट्री के बीच जयपुरियों की जमीन का नगर विकास न्यास द्वारा अधिग्रहण किया गया था ?

(2) यदि हां, तो कितनी भूमि अधिगृहीत की गई थी ?

(3) क्या नगर विकास न्यास, जयपुर व जयपुरियों के बीच इस भूमि के विवाद को लेकर राजस्थान उच्च न्यायालय में कोई मुकदमा चला था ?

(4) यदि हां, तो उसमें क्या निर्णय हुआ ? कृपया निर्णय की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या इस भूमि को अब पुनः जयपुरियों को दिया जा रहा है ?

(6) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, नगर आयोजना (श्री श्रीराम गोटेवाला) : (1) जी हां।

(2) भूमि अवाप्ति अधिकारी के अवार्ड दिनांक 17-4-79 के अनुसार 38 बीघा 11 बिस्वा भूमि अधिग्रहीत की जा चुकी है।

(3) जी हां। उच्च न्यायालय ने याचिका स्वीकृत करते हुए यह निर्णय दिया कि भूमि अवाप्ति अधिकारी के आदेश दिनांक 21-6-78 के विभाग को निरस्त किया जाता है। न्यास के लिये कितनी भूमि अर्जित रहेगी या उसको चाहिये उस पर अवार्ड देते वक्त विचार कर लिया जायेगा।

(4) उच्च न्यायालय के निर्णय की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(5) जी नहीं।

(6) प्रश्न नहीं उठता।

(सूची के लिये कृपाया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री **नाथूसिंह** : अध्यक्ष महोदय, जो मेरे प्रश्न पूछने का मकसद था . . . .

श्री **अध्यक्ष**: वह पूरा हो गया . . . . . .

श्री **नाथूसिंह** : पूरा नहीं हुआ है। जयपुरियों की तीन कम्पनियां तीन, अलग-अलग नाम से बनी हुई हैं। पांच पट्टे जमीन के अलग-अलग नामो से लेने से कुछ जमीन अधिग्रहण कर कब्जे में लेने और कुछ पहले अधिग्रहण करने के लिये तैयार कर लिया था। लेकिन हाई कोर्ट में चले गये। हाई कोर्ट में भी उनके खिलाफ निर्णय नहीं दिया लेकिन, अध्यक्ष महोदय, जैसा मुझे पता चला है, मेरे व्यक्तिगत सूत्रों के अनुसार . . . . .

श्री **अध्यक्ष**: लेकिन आपने उसका हवाला नहीं दिया। आप प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री **नाथूसिंह**: मैं निवेदन कर रहा हूं . . . .

श्री **अध्यक्ष**: अब निवेदन करने से कोई फायदा नहीं।

श्री **नाथूसिंह**: कुछ अधिकारियों, विशेष रूप से कहना चाहूंगा, राजस्थान के मुख्य सचिव महोदय जयपुरियाज से मिल कर उस

(श्री नाथूसिंह)
जमीन को वापस देने की तैयारी कर रहे हैं, क्या सरकार उसको रोकेगी ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैंने स्पष्ट शब्दों में कहा है भूमि अधिग्रहीत की जा चुकी है उसको वापस देने का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न ।

राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी

22. श्री तकीउद्दीन अहमद (जौहरी-बाजार): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी के निदेशक पद पर नियुक्ति के लिये क्या योग्यताएं निर्धारित हैं ? वाणिज्य के व्याख्याता श्री रामवली उपाध्याय को इस पद पर कब व किस आधार पर नियुक्त किया गया था ? क्या अकादमी के संविधान में अंशकालीन निदेशक की नियुक्ति का कोई प्रावधान है ? क्या निदेशक पद पर नियुक्ति के लिये विज्ञप्ति दे दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) गत 5 वर्ष में प्रति वर्ष राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी द्वारा कितनी किताबें छपाई गई ?

(3) पिछले पांच वर्ष में अकादमी की कितनी राशि की पुस्तकों की बिक्री हुई ? सकल राशि, कमीशन व शुद्ध लाभ रुपया बताने का कष्ट करें।

(4) 1 सितम्बर, 1981 को अकादमी में कितनी पुस्तकें, कितने मूल्य की शेष थीं ?

(5) विक्रय संवर्धन के लिये वर्ष 1980-81 में विक्रय अधिकारियों द्वारा एवं अन्य अधिकारियों द्वारा की गई यात्राओं पर कुल कितना व्यय हुआ ?

उपमंत्री, शिक्षा (श्री बुलाकीदास कल्ला):
(1) राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी के निदेशक पद पर नियुक्ति के लिये निम्न-लिखित योग्यताएं निर्धारित हैं:-

(क) स्नातकोत्तर उपाधि द्वितीय श्रेणी कम से कम।

(ख) विश्वविद्यालय स्तर के अध्यापन का दस वर्ष का अनुभव।

(ग) प्रशासनिक योग्यताएं एवं क्षमता।

(घ) हिन्दी में विश्वविद्यालय स्तर के लेखन का अनुभव।

निदेशक हिन्दी ग्रन्थ अकादमी का पद विज्ञापित किया गया। इस पद के लिये गठित की गई चयन समिति के समक्ष निर्धारित योग्यता पूर्ण करने वाले सभी अभ्यर्थियों का साक्षात्कार हुआ। उक्त समिति की अभि-शंषा पर डा. उपाध्याय को इस पद पर दिनांक 5-7-79 को तत्कालीन राज्य सरकार की स्वीकृति से नियुक्त किया गया। यद्यपि अकादमी के संविधान में अंशकालीन निदेशक की नियुक्ति के लिये कोई प्रावधान नहीं है परन्तु निदेशक का पद रिक्त हो जाने के कारण वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में डा. उपाध्याय को अंशकालीन निदेशक के पद पर नियुक्ति दी गई। निदेशक के पद पर नियमित नियुक्ति हेतु समाचार पत्रों में विज्ञप्ति 10-9-81 को दी जा चुकी है।

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

(2) पिछले पांच वर्षों में प्रति वर्ष राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी द्वारा प्रकाशित पुस्तकों का विवरण इस प्रकार है :—

वर्ष	प्रकाशित पुस्तकें
1976-1977	33
1977-1978	26
1978-1979	17
1979-1980	4
1980-1981	14

(3) पिछले पांच वर्षों तथा चालू वित्तीय वर्ष में अकादमी ने 4,08,887 रुपये 13 पैसे सकल मूल्य की पुस्तकों की बिक्री की। इस बिक्री पर 1,2,06,478 रुपये 85 पैसे कमीशन स्वीकार किया गया तथा अकादमी का उद्देश्य न लाभ न हानि के आधार पर पुस्तकों का विक्रय करना होने के कारण कोई शुद्ध लाभ अर्जित नहीं किया।

(4) 1 सितम्बर, 1981 को अकादमी में लगभग 2,43,659 पुस्तकें, जिनका मूल्य लगभग 34,55,122 रुपये 7 पैसे था, शेष थीं।

(5) विक्रय संवर्द्धन के लिये वर्ष 1980-81 में विक्रय अधिकारियों एवं अन्य अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा की गई यात्राओं पर कुल 6,626 रुपये 46 पैसे व्यय हुआ। इस व्यय में विक्रय अधिकारियों पर 3,995 रुपये 98 पैसे तथा अन्य अधिकारियों कर्मचारियों पर 2,630 रुपये 48 पैसे का व्यय हुआ।

श्री तकीउद्दीन : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि वाणिज्य व्याख्याता रामवली उपाध्याय की जो नियुक्ति की क्या उसके बाद इस पोस्ट को एडवर्टाइज किया गया ? यह पोस्ट कब तक भर दी जायगी ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, हमने तारीख 10-9-81 को राजस्थान के प्रान्तीय समाचार पत्रों में और राष्ट्रीय समाचार पत्रों में विज्ञापन भेज दिया है और वह छप भी चुका है। अब मैं समझता हूं 30 तारीख तक प्रार्थना-पत्र आ जायेंगे और हम पूर्ण कालीन निदेशक की नियुक्ति कर देंगे।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। सुश्री पुष्पा जैन।

गंगानगर शुगर मिल्स को शराब की दुकानों के लाइसेन्स

228. सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या वर्तमान में राज्य में गंगानगर शुगर मिल्स को शराब की दुकानों के लाइसेन्स मिले हुए हैं ?

(2) सन् 1980 से अब तक किन-किन स्थानों पर शराब की दुकानें खोलने हेतु आबकारी विभाग द्वारा गंगानगर शुगर मिल्स को कब लिखा गया ?

(3) गंगानगर शुगर मिल्स की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया रही ?

आबकारी मंत्री (श्री चन्दन मल बैद) :
(1) जी हां।

(2) गंगानगर शुगर मिल्स को राज्य सरकार के पत्र दिनांक 12-5-80 तथा आबकारी आयुक्त के पत्र दिनांक 11-6-80 को

Page No 6

(6)

(श्री चन्दनमल बैद)
मदिरा की दुकानें खोलने के लिये लिखा गया था। स्थानों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) श्री गंगानगर शुगर मिल्स ने राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत दुकानों में से जिन्हें चलाना चाहा उनका अनुज्ञा शुल्क जमा कराया। शेष स्थानों पर अनुज्ञा शुल्क जमा नहीं कराने से दुकानें चालू नहीं हुईं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

सुश्री पुष्पा जैन: अध्यक्ष महोदय, क्या यह सच है कि दुकानों का लाइसेन्स गंगानगर शुगर मिल्स के मना करने से पहले ही दे दिया गया?

श्री चन्दनमल बैद: मेरी जानकारी में ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, जो दो तारीखें बताई हैं, इन दो तारीखों को जिन दुकानों को खोलने का प्रस्ताव था, उनकी सूचना गंगानगर शुगर मिल्स को दे दी थी। इन दो तारीखों के बाद जो दुकानें खुली हैं उनकी सूचना भी गंगानगर शुगर मिल्स को दे दी?

श्री चन्दनमल बैद: अध्यक्ष महोदय, मुझसे प्रश्न यह पूछा गया है कि गंगानगर शुगर मिल्स को किन दुकानों को खोलने के लिये कहा गया। जिन दुकानों के लिये कहा गया है उनकी मैंने सूची दे दी है और जो दुकानें गंगानगर शुगर मिल्स ने खोली हैं उनकी भी दे दी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: गंगानगर शुगर मिल्स को राज्य सरकार के पत्र दिनांक 12- -80 और आबकारी विभाग के पत्र दिनांक 11-6-80 में मदिरा की दुकान खोलने के लिये लिखा है......

श्री चन्दनमल बैद: उन सब स्थानों की सूची रख दी गई है। राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत स्थानों में से जहां वह चलाना चाहती है और अनुज्ञा शुल्क जमा हो गया वहां लाइसेन्स दे दिया और जहां शुल्क जमा नहीं हुआ वहां नहीं दिया गया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: मैं कहता हूं 11-6-80 के बाद राज्य सरकार ने जहां-जहां शराब की दुकानें खोलने को कहा था क्या उनके लिये भी गंगानगर शुगर मिल्स को लिखा गया था?

श्री चन्दनमल बैद: यह अलग से प्रश्न है। गंगानगर शुगर मिल्स को जिनके लिये कहा गया था वह बता दिया, जिनके लिये नहीं कहा गया, उनको नहीं बताया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: आबकारी विभाग ने गंगानगर शुगर मिल्स को कब लिखा है?

(व्यवधान)

यह मानकर चलें कि 80 तक लिखा है? उसके बाद नहीं लिखा है।

श्री चन्दन मल बैद: जो सूचना मेरे पास थी वह बता दी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: जो सूचना मेरे पास थी, वह बता दी, इससे काम नहीं चलेगा हां कहें या ना कहें, कुछ तो कहें।

श्री चन्दनमल बैद: जो दुकानें खोलीं उनकी सूची दे दी और जो नहीं खोलीं उनकी सूची दे दी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: इसका मतलब है 11-6-80 के बाद राज्य सरकार ने

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

गंगानगर शुगर मिल्स को दुकान खोलने के लिये नहीं लिखा है ?

श्री **चन्दनमल वैद** : इससे यही अन्दाजा लगता है।

श्री **नाथूसिंह** : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि उद्योग विभाग ने वित्त विभाग और आबकारी विभाग को लिखा है कि गंगानगर शुगर मिल्स घाटे में चल रही है इसलिये अधिक से अधिक और बड़े बड़े शहरों में दुकान खोलने की इजाजत दी जाय वित्त विभाग ने क्या यह नोट लिखा है कि वास्तव में गंगानगर शुगर मिल्स घाटे में चल रही है इसलिये जो बड़े बड़े शहर है वहां दुकानें खोलने की इजाजत दी जाय बाकी का आंकशन किया जाय ताकि सरकार को लाभ मिले तो क्या यह सही है कि इसके विपरीत सरकार ने आदेश दिया कि गंगानगर शुगर मिल्स को दुकानें नहीं दी जाए बल्कि प्राइवेट जो ठेकेदार है उनको ही इन दुकानों का लाइसेन्स दे दिया जाय।

श्री **अध्यक्ष**: वैसे यह अलग प्रश्न है लेकिन मंत्री महोदय के पास सूचना है तो वे दे सकते हैं।

श्री **चन्दन मल वैद** : माननीय सदस्य किस समय का प्रश्न पूछ रहे हैं प्रोहिबिशन को स्क्रेप करने से पहले का या आर्डिनन्स आने के पहले का ...

श्री **अध्यक्ष** : सूचना दे रहे हैं। ...

श्री **चन्दनमल वैद** : प्रोहिबिशन को चालू करने के बाद जो स्थिति बनी, वह डिफरेंट है।

श्री **नाथू सिंह** : वह नहीं है।

श्री **चन्दनमल वैद** : उस समय की स्थिति मैं बता रहा हूं कि प्रोहिबिशन को हटा देने के दो दिन बाद इस बारे में लिखा गया। उन्होंने करीब 147 दुकानें खोलीं और उन्होंने कुछ दुकानें नहीं खोलीं। दुकानों के अनुज्ञा-पत्र की फीस जमा नहीं करायी वहां नहीं खुलीं और 147 की अनुज्ञा-पत्र की फीस जमा करा दी, वह खुल गयीं।

श्री **नाथू सिंह** : जो मैंने पूछा, माननीय अध्यक्ष महोदय ...

श्री **अध्यक्ष** : अगला प्रश्न।

श्री **नाथू सिंह** : मैं निवेदन करना चाहता हूं ...

श्री **अध्यक्ष** : आपका फर्माना यह है, उद्योग विभाग ने यह लिखा था कि गंगानगर शुगर मिल्स घाटे में जा रही है, इसलिए इसको दुकानें खोलने के ज्यादा अवसर प्रदान किये जायें। यह अलग से प्रश्न हैं, आपको मैंने अवसर दिया, अगर मन्त्री महोदय के पास जानकारी है तो वे उत्तर दे दें।

श्री **नाथूसिंह** : मेरा निवेदन है, आपकी इजाजत से, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, सरकार ने इस पर ...

श्री **अध्यक्ष** : मैंने अर्ज कर दिया है।

श्री **नाथू सिंह** : सरकार की वित्तीय स्थिति से सम्बन्धित है और ...

श्री **अध्यक्ष** : अलग प्रश्न है। अलग से पूछें। इस प्रश्न की परिधि में नहीं आता।

श्री **नाथू सिंह** : गंगानगर शुगर मिल्स ने इस ...

श्री अध्यक्ष : आप समय ले रहे हैं, लिखा होगा, मन्त्रीजी के ध्यान में अभी नहीं है ....

श्री नाथूसिंह : मैं जानकारी चाहता हूं कि क्या यह रिकमन्डेशन थी कि दुकानों को आक्शन नहीं किया जाय, गंगानगर शुगर मिल्स को दिया जाय, और आक्शन किया जाय तो पहले गंगानगर शुगर मिल्स को दी जाय, बाकी का आक्शन किया जाय। इसके बावजूद उसको टालकर ये दुकानें इस तरह से दीं कि सीधे प्राइवेट ठेकेदार को दे दी गयीं और गंगानगर शुगर मिल्स को दुकान देने के लिए लिखा नहीं गया और उसको अवसर नहीं दिया, क्या यह सही है, शुल्क जमा कराने की आपने इजाजत ही नहीं दी तो कैसे जमा करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष : आपने प्रश्न पूछ लिया, अब उत्तर आने दीजिए।

श्री चन्दनमल बैद : मेरे पास इसकी जानकारी है ....

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री नाथूसिंह : वे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री जगनसिंह।

श्री नाथूसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ उच्च अधिकारियों ने ठेकेदारों को सीधे ठेका दे दिया, ये स्पष्ट नोट था ...

श्री अध्यक्ष : आप इस प्रश्न को इस तरह से नहीं उठा सकते।

श्री नाथूसिंह : अगर सूचना दे दी, मंत्री महोदय, तो इसमें स्कैण्डल का सवाल है, गंगानगर शुगर मिल्स घाटे में जा रही है, रिकमन्डेशन आयी लेकिन उच्च अधिकारियों ने ठेकेदारों से मिलकर ठेके सीधे दे दिये, यह मेरा आरोप है, सरकार पर, सरकार इसकी जाँच कराये, ये बहुत बड़ा स्कैण्डल है

हथरोई फोर्ट स्कीम, जयपुर में निर्माणाधीन बहुमंजिला होटल

229. श्री जगनसिंह (बयाना) : क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या प्लाट संख्या 59 हथरोई फोर्ट स्कीम पर श्री एम. सी. गुप्ता द्वारा जो होटल बनाया जा रहा है उसका नक्शा मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान से स्वीकृत है ? यदि हां, तो स्वीकृति कब दी गई और किस नाम से ? कृपया स्वीकृति पत्र की प्रति सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या हथरोई फोर्ट स्कीम जैसी घनी बस्ती में इस प्रकार के तिमंजिले होटल बनाने की स्वीकृति नगर विकास न्यास के वर्तमान नियमों के अनुसार दी जा सकती है ?

(3) क्या सरकार इस स्कीम में अन्य नागरिकों को भी 2-3 मंजिल का मकान बनाने की इजाजत देती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राज्य मंत्री नगर आयोजना (श्री श्रीराम गोटेवाला) :

(1) जी नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता।

(2) जी नहीं।

(3) आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर "भवन निर्माण उप नियमों" के अनुसार स्वीकृति दी जाती है।

श्री जगनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछूंगा कि हथरोई फोर्ट स्कीम के 59 नं. भूखण्ड के लिए 29-7-1981 को जो नक्शा पेश किया गया ; 19-9-1981 को उसकी स्वीकृति दी गयी ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है कि उसका नक्शा मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान से स्वीकृत है ? क्या, यदि हां, तो स्वीकृति कब दी गई और किस नाम से ? कोई होटल बनाने की परमिशन नगर विकास न्यास या सरकार की ओर से नहीं दी गयी। उसका उत्तर दिया है, जी नहीं।

श्री जगनसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या इस स्कीम के अन्तर्गत दूसरी मंजिल की स्वीकृति लेने के लिए अन्य प्रार्थना-पत्र नगर विकास न्यास के अधीन पड़े हुए हैं ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : इसका कोई प्रश्न ही नहीं उठता, मुझे इसकी जानकारी भी नहीं है। मैंने तीसरे प्रश्न के उत्तर में में कहा है कि दो मंजिल और तीन मंजिल बनाने की अनुमति नक्शे को देख कर दी जाती है।

श्री जगनसिंह : क्या इससे पहले ऐसी कालोनियों में तीसरी मंजिल के होटल बनाने की स्वीकृति दी जा चुकी है ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : अन्य कालोनियों का तो मुझे पता नहीं परन्तु हथरोई फोर्ट स्कीम में नहीं दी गयी।

श्री अध्यक्ष : श्री जनार्दनसिंह गहलोत।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (करौली) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जवाब दिया है जी नहीं। माननीय मंत्री महोदय से मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि इस 59 नम्बर भू-खण्ड की प्रथम मंजिल बनाने की स्वीकृति के लिए नक्शा पेश किया 19-9-81 को दूसरी मंजिल की स्वीकृति दी गयी और 5-2-80 को संशोधित मानचित्र प्रस्तुत किया गया, तीसरी मंजिल के लिए। अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि 29 जुलाई, 81 को भूखंड 59 को हाउस होटल में परिवर्तित करने हेतु एवं तीसरी मंजिल के नक्शे पास करने हेतु आवेदन दाखिल किया गया था एवं न्यास द्वारा नक्शे स्वीकृत नहीं होने तक भवन निर्माण शुरू नहीं करने का कोई नोटिस नहीं दिया गया ? दूसरी बात, माननीय अध्यक्ष महोदय, डायरेक्टर टूरिज्म से प्राप्त पत्र संख्या एफ./5 एच. (जे. पी. 134) डी. ई. वी. डी. टी/ 81 10325 के तहत डायरेक्टर टूरिज्म ने न्यास को अनुमोदित करने के लिये भेजा है ? चौथा, न्यास द्वारा 17 व 18 सितम्बर को

श्री अध्यक्ष : इतने प्रश्न एक साथ मत पूछिये।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत: यह इस बात से संबंधित है। माननीय मंत्री महोदय को इसलिए डिटेल कह रहा हूं कि ध्यान रखें। 17 व 18 तारीख को न्यास के अधिकारियों को बुलाकर उसको तोड़ने के लिए अधिकारीगण सशस्त्र पुलिस के साथ भेजे, उस वक्त मकान बंद था, ताला लगा हुआ था और उन्होंने सीढ़ियों से चढ़ने की कोशिश की मकान मालिक की गैर मौजूदगी में फिटिंग वगैरह का सामान उठाकर मंगवाया

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

माननीय मंत्री महोदय के आदेश से । 17-18 को दुबारा जिस आदमी से 19 तारीख को रिवाइज नक्शा मांगा था, वही 19 को एप्लाई करता है और अधिकारियों को धमकी दी उसको 22 तारीख को पास कर दिया, तो क्या 3 दिन में न्यास कभी किसी नक्शे को पास कर सका है ? आज तक कभी किसी व्यक्ति ने होटल बनाने की स्वीकृति मांगी है, मंत्री महोदय बतायें कि क्या इस तरह के प्रावधान हैं ? इस तरह से स्वीकृति पहले नहीं दी, जैसी कि मुझे जानकारी है । माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा अभी मंत्री महोदय ने कहा हथरोई स्कीम व गोपाल बाड़ी में कोई परमिशन नहीं दी गयी .....

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय अध्यक्ष महोदय, थोड़ा संशोधन कर लें । मैंने कहा है, हथरोई, गोपाल बाड़ी अलग कालोनी है फर्क समझ लें तो ठीक है...

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : माननीय मंत्री महोदय से मैं ज्यादा समझता हूं ...

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं यहां का विधायक रहा हूं ।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : माननीय मंत्री महोदय संशोधित कर लें, हथरोई बावड़ी की स्कीम और गोपाल बाड़ी की स्कीम में यह गोपाल बाड़ी का मामला है । ओंकार होटल के नाम से ओंकार सिंह आई. ए. एस. आफिसर हैं । क्या इसी प्रकार से सरगम होटल, चन्द्रमहल होटल शालीमार होटल को अनुमति नहीं दी? आपने तीन दिन में क्यों परमिशन दी, इसका जवाब दें ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बता दूं । पहला तो मेरा विरोधी दल के नेता, जो ताली बजा रहे थे, को अनुरोध कर दूं, बहुत क्लीयर स्कीम है, 10 साल से भी किशनपोल के विधायक रहे हैं, इस हथरोई बावड़ी स्कीम में, हथरोई और गोपाल बाड़ी...

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, जब विधायक रहे थे, तब उनके क्षेत्र में नहीं था ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : ताली बजाने का प्रश्न है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : गहलोत जी ने बहुत स्पेसिफिक प्रश्न पूछे हैं ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं । माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछे हैं, जो सारी बात कही मैं निवेदन करता हूं । श्री एम. सी. गुप्ता द्वारा जो होटल बनाया जा रहा है, उसके बारे में निवेदन कर दूं, वह हथरोई में है, गोपालबाड़ी में नहीं है । जैसे ओंकार होटल, शालीमार होटल का नाम दिया है, वह इस स्कीम में एक भी नहीं है, मेरे से पर्टिकुलर प्रश्न एक ही है उनका, एक मंजिल का, दो मंजिल का, तीन मंजिल का भी पास करने के प्रार्थना-पत्र दिये गये । मैंने प्रश्न सं. 3 में स्पष्ट इसके बारे में उत्तर दिया है कि मकानों के नक्शे पास करने में कोई पाबन्दी नहीं है । माननीय सदस्य श्री जगनसिंह जी ने जो प्रश्न पूछा था वह बहुत ही क्लियर प्रश्न था कि जो होटल बनाया जा रहा है उसका नक्शा मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान से स्वीकृत है क्या ? यह माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है और उसका

(श्री राम गोटेवाला)

मैंने उत्तर दिया, जी नहीं। इसका स्पष्ट मतलब है कि नगर विकास न्यास ने होटल के लिये स्वीकृति नहीं दी है। उनका दूसरा प्रश्न यह था कि क्या हथरोई फोर्ट स्कीम जैसी घनी बस्ती में इस प्रकार के तिमंजिले होटल बनाने की स्वीकृति नगर विकास न्यास के वर्तमान नियमों के अनुसार दी जा सकती है ? मैंने उत्तर दिया, जी नहीं। मेरी समझ में नहीं आता कि इसमें कहां तोड़ने की स्थिति आती है। कोई भी आदमी बिना अनुमति के दो मंजिला मकान नहीं बना सकता है। इसमें जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे थे कि मुझे व्यक्तिगत जानकारी है, जैसी माननीय सदस्य को जानकारी है वैसी मुझे भी जानकारी है। इसलिए मैं अनुरोध कर रहा हूं कि यहां पर अनधिकृत मकान बनाया जाता था। इस तरह का काम चल रहा था। आज कल जयपुर नगर विकास न्यास ने जो अनियमित मकान बनाये जा रहे हैं उनको तोड़ने का अभियान चला रखा है और वे टूट रहे हैं। इसमें मंत्री की व्यक्तिगत दिलचस्पी की कोई स्थिति नहीं हैं। यह निश्चित रूप से तय किया गया है कि अब अनधिकृत बिल्डिंग, अनधिकृत निर्माण कार्य आगे नहीं होने दिए जायेंगे। अभी भी जयपुर में तीस हजार ऐसे मकान हैं जिनका रेगुलराइजेशन करना पड़ेगा और इसके अलावा और भी अनधिकृत दुकानें, कामर्शियल सैक्टर बन गए हैं, उनका भी रेगुलराईजशन करना पड़ेगा। कब तक इस प्रकार की स्थिति को चलने देंगे ? इसलिए बहुत हाई लेवल पर, मुख्य मंत्री जी के निर्देशानुसार यह तय किया गया है कि आगे से बिना अनुमति के कोई निर्माण कार्य नहीं होने दें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न कर्ता।

श्री [illegible]सिंह : अध्यक्ष महोदय, क्या तीसरी मंजिल का होटल बनाने के लिए आवासीय भू-खण्ड पर स्वीकृति दी जा सकती है। उसका क्या क्राईटेरिया है ? नम्बर 2, यह भू-खण्ड सं. 59 पर जो हथरोई स्कीम में होटल बनाया जा रहा है वह होटल सड़क से कितने फीट दूर है ?

श्री राम गोटेवाला : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह [illegible] से [illegible] दूर है [illegible] जानकारी मेरे पास नहीं है। मैं आपको निवेदन कर चुका हूं कि आवासीय बस्ती के अन्दर कोई होटल बनाने की अनुमति नहीं दी जाती टाउन प्लानिंग के द्वारा।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, गहलोत साहब [illegible] है कि इनकी [illegible] महोदय आप कोई गलत बात कहते हैं तो उसको जांच करने की अथोरिटी आपके अधिक और कोई नहीं हो सकती है। गोपालबाड़ी में बन रहे होटल के बारे में माननीय सदस्यों ने पूछा है और आप बार-बार कहे जा रहे हैं कि यह गोपालबाड़ी में नहीं है। मैं इस बात के लिए निवेदन करूंगा, अध्यक्ष महोदय, आप इस बारे में जांच करें और यह व्यवस्था करें कि माननीय मंत्री महोदय गलत बयानी नहीं करें। जिस एरिया का यह प्रश्न है, यह हथरोई फोर्ट स्कीम गोपाल बाड़ी में ही है। इस स्कीम में ही श्री ओंकार सिंह जी ओंकार होटल बनाने के लिए स्वीकृति दी गई है, यह नगर विकास न्यास के रिकार्ड में है। दूसरा निवेदन यह है, अध्यक्ष महोदय जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा मेरी जानकारी में नहीं है। माननीय मंत्री महोदय यह बतायें कि वह नगर विकास न्यास के मंत्री हैं। 19 तारीख को रिवाइज्ड प्लान पार्टी

(श्री जनार्दन सिंह गहलोत)

ने दिया उसको कैंसिल करके 22 तारीख को वापस कर दिया, उस प्रश्न का जवाब देने से पहले प्लान कैंसिल करके भेज दिया, इसका मतलब है कि माननीय मंत्री महोदय को इसकी पूरी जानकारी जरूर है। यह कैसे मना कर सकते हैं, जगनसिंह जी ने पूछा कि उसकी सड़क से कितनी दूरी है, और ये कहते हैं कि मुझे जानकारी नहीं है। जब नगर विकास न्यास ने नक्शा वापस लौटाया तो इसको भी देखा होगा, फिर माननीय मंत्री महोदय कैसे कह सकते है कि मुझे जानकारी नहीं हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं कैसे संतुष्ट करूं माननीय सदस्य को। आप स्वयं इसकी जांच कर लें। जब स्वंय कह रहे है, हथरोई फोर्ट स्कीम के अन्दर होटल के नक्शे की स्वीकृति की बात कर रहे हैं और मैं कह रहा हूं कि हथरोई फोर्ट स्कीम से गोपालबाड़ी निश्चित रूप से अलग है। यह पुलिया जाती है अजमेर रोड की उसके इधर वाला भाग गोपालबाड़ी कहलाता है और उससे पहले ही इधर वाला भाग हथरोई फोर्ट कहलाता है। मेरी समझ में नहीं आता कि इस प्रश्न में कहीं विवाद है। दूसरा मेरा निवेदन है कि होटल अनुमति के लिए चीफ टाउन प्लानर ने मना कर दिया कि आवासीय कालोनीज के अन्दर होटल बनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इस आधार पर नगर विकास न्यास से उनका नक्शा वापस कर दिया तो मेरा उससे क्या ताल्लुक है।

श्री जगनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया है। मैंने यह प्रश्न पूछा था कि क्या इस पहले आवासीय भूखण्ड में होटल की स्वीकृति दी जा चुकी है ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : किस कालोनी में ?

श्री जगनसिंह : किसी भी कालोनी में ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : किसी भी कॉलोनी के बारे में अलग से प्रश्न पूछें ?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न।

श्री जगनसिंह : कोई क्राइटेरिया तो होगा ?

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री शिवदान सिंह राठौड़, श्री नरपतराम बरवड़, श्री भैरू सिंह गुर्जर, श्री असलम खां, श्री गोकुलचन्द शर्मा।

छोटे विद्यालयों में पुस्तकालयाध्यक्ष के रिक्त पद

श्री शिवदान सिंह राठौड़ (जैतारण), **श्री नरपतराम बरवड़** (सूर सागर), **श्री भैरूसिंह गुर्जर** (खारची), **श्री असलम खां** (बाली), **श्री गोकुल चन्द शर्मा** (सुमेरपुर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि राज्य में नये छोटे स्कूलों के पुस्तकालयाध्यक्ष पद 1500 से अधिक स्थान अभी वर्तमान में रिक्त हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या इस पद का वेतनमान कनिष्ठ लिपिक के पद के समकक्ष है ?

(2) क्या यह सही है कि इस पद पर पुस्तकालय प्रमाण-पत्र में प्रशिक्षित व्यक्ति नियुक्ति का पात्र है ?

(श्री शिवदानसिंह राठौड़)

(3) क्या यह सही है कि नियमित पाठ्यक्रम के रूप में केवल लालबहादुर शास्त्री महाविद्यालय, जयपुर में इसके अध्ययन की व्यवस्था है और इस पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु न्यूनतम योग्यता हायर सैकण्डरी ही है ?

(4) क्या यह भी सही है कि इस पाठ्यक्रम पर अत्यधिक विनियोजन एवं तकनीकी उपकरणों पर अधिक व्यय की आवश्यकता नहीं है ?

(5) क्या यह सही है कि लालबहादुर शास्त्री महाविद्यालय, जयपुर की प्रबन्ध समिति ने नियमानुसार सम्पूर्ण व्यय वहन करने का आश्वासन दिया है फिर भी गत वर्ष केवल 30 ही विद्यार्थियों की लिखित स्वीकृति दी गयी थी और फिर बाद में 120 तक छात्रों को प्रवेश की अनुमति विश्वविद्यालय ने दी थी ? यदि हां, तो इस वर्ष उस सख्या को घटाकर 80 करने के क्या करण है जब कि संख्या बढ़ाई जानी वांछनीय थी ?

(6) क्या सरकार पुस्तकालय प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम में शिक्षित व्यक्तियों के लिए रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध होने के दृष्टिकोण से इस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए खुली छूट देने पर विचार करेगी ? क्या यह सही है कि लालबहादुर शास्त्री महाविद्यालय, जयपुर में इस पाठ्यक्रम के लिए 1000 से अधिक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किये जा चुके हैं ?

उप मंत्री, शिक्षा (श्री बुलाकीदास कल्ला) : (1) जी नहीं। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों में पुस्तकालयाध्यक्ष के पद नहीं होते। सैकेण्डरी, हायर सैकेण्डरी सार्वजनिक पुस्तकालयों के केवल 37 पद ही रिक्त हैं। पुस्तकालयाध्यक्ष "तृतीय" वर्ग का वेतनमान कनिष्ठ लिपिक के वेतनमान के बराबर है।

(2) जी हां।

(3) प्रवेश हेतु न्यूनतम योग्यता हायर सैकेण्डरी तथा इसके समकक्ष परीक्षा ही है। नियमित छात्रों के लिये इस समय लालबहादुर शास्त्री महाविद्यालय, जयपुर में 80, आर्य विद्यापीठ महाविद्यालय, भुसावर में 50 प्रवेश तथा विश्वविद्यालय पत्राचार पाठ्यक्रम के द्वारा बैठने की सुविधाएं उपलब्ध हैं।

(4) जी हां।

(5) गत वर्ष राजस्थान विश्वविद्यालय के निरीक्षकों की सिफारिश को मद्देनजर रखते हुए 30 विद्यार्थियों का एक सैक्शन प्रारम्भ करने की स्वीकृति दी गई थी। विश्वविद्यालय की स्वीकृति के बिना महाविद्यालय ने 120 विद्यार्थियों को प्रवेश दे दिया। छात्रों का दोष न होने के कारण व उनके हितों को ध्यान में रख कर विश्वविद्यालय ने उसी वर्ष 30 से अधिक किये गये प्रवेश को नियमित करने की स्वीकृति इस शर्त पर दी कि भविष्य में भी वे स्वीकृत संख्या से अधिक छात्रों को प्रवेश न दें। इस वर्ष में विश्वविद्यालय ने 40-40 कुल 80 छात्रों को दो पारी में प्रवेश की अनुमति प्रदान की है।

(6) इस पाठ्यक्रम में प्रवेश की खुली छूट देना शैक्षणिक दृष्टि से उचित नहीं है।

जी नहीं। लालबहादुर शास्त्री महाविद्यालय में प्राप्त सूचना के अनुसार केवल 914 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए।

श्री शिवदानसिंह राठौड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि इसमें . नम्बर कहां से आ गया ? 7 नम्बर का तो प्रश्न ही नहीं है, फिर यह कहां से पढ़ा है ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : छठे प्रश्न के पार्ट 2 का उत्तर दिया है ।

श्री भैरूंसिह गुर्जर : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मंत्री महोदय ने जवाब दिया...

... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपस में बातें न करें, माननीय सदस्य ।

श्री भैरूंसिह गुर्जर : जैसा मंत्री जी ने जवाब दिया कि पिछले वर्ष 30 से संख्या बढ़ाकर 120 की गई, यह विश्वविद्यालय द्वारा की गई थी और उसके बाद उसको बढ़ाया है । मैं निवेदन करना चाहता हूं, क्या यह सही है कि इसके लिए विधान सभा सदस्यों ने, अध्यक्षजी ने, राज्यपाल महोदय ने संकेत दिया था, सिफारिश की थी कि संख्या को बढ़ाया जावे ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि पिछले वर्ष लालबहादुर शास्त्री महाविद्यालय में तीस विद्यार्थियों की स्वीकृति विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी लेकिन उन्होंने 120 विद्यार्थियों को प्रवेश दे दिया । अब विश्वविद्यालय ने यह समझा कि इनमें 120 विद्यार्थियों का कोई कसूर नहीं था इसलिए उनको एग्जामिनेशन में बैठने दिया गया । इसके बाद में विश्वविद्यालय ने एक निरीक्षक की टोली लालबहादुर शास्त्री महाविद्यालय में भेजी और उन्होंने निरीक्षण करने पर पाया कि लालबहादुर शास्त्री महाविद्यालय में जो व्यवस्था है, जो लाइब्रेरी और स्टाफ वगैरह की व्यवस्था है, उसके अनुसार केवल दो पारियों में 80 विद्यार्थियों का शिक्षण जारी रखा जा सकता है । इसलिए केवल 80 विद्यार्थियों की विश्वविद्यालय ने स्वीकृति दी है । इससे ज्यादा की विश्वविद्यालय ने स्वीकृति प्रदान नहीं की है ।

श्री भैरूंसिह गुर्जर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने सवाल यह पूछा था, माननीय अध्यक्ष, विधान सभा के सदस्यों और किसी मंत्री महोदय ने, राज्यपाल महोदय ने सिफारिश की थी कि 30 से बढ़ा कर 120 कर दी जायें और राज्यपाल महोदय ने ऐसा संकेत दिया था कि 120 कर दें । आप मूल प्रश्न का जवाब दें, फालतू बातें क्यों करते हैं ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : मेरे पास ऐसी सूचना उपलब्ध नहीं है ।

श्री भैरूंसिह गुर्जर : ऐसी सूचना उपलब्ध नहीं है तो काहे के लिए मंत्री बन कर बैठे हुए हैं ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मूल प्रश्न में यह नहीं पूछा गया है ।

(व्यवधान)

श्री भैरूंसिह गुर्जर : मूल प्रश्न में कैसे नहीं पूछा है ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : हमारे पास में, अध्यक्ष महोदय, केवल 37 पद रिक्त हैं और भुसावर की जो संस्था है उसके पास में 60 सीटें हैं । 80 सीटें लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय में हैं । इस तरह से प्रतिवर्ष जो विद्यार्थी पास होकर आते हैं वे अलग से

Page No 15

(15)

(श्री बुलाकीदास कल्ला)
200 विद्यार्थी पास होकर आते हैं और पद केवल 30 रिक्त हैं। इसलिए इससे ज्यादा व्यवस्था करना मैं समझता हूं कि जनहित में नहीं है।

(व्यवधान)

श्री भैरू सिंह गुर्जर : क्या विश्वविद्यालय अधिनियम, अध्यादेश, नियम उपनियम में कुलपति को अधिकार है कि......

श्री अध्यक्ष : अलग कानूनी प्रश्न है।

श्री भैरूसिंह गुर्जर : कानूनी प्रश्न नहीं है।

श्री अध्यक्ष : यह आशा लेकर नहीं चल सकते हैं कि विश्वविद्यालय के पूरे कानूनों का अध्ययन करके मंत्री महोदय यहां पर आयें। यह संभव नहीं है।

श्री हरिसिंह : Ignorance of law is no excuse. He must know all the laws, orders and ordinances.

श्री भैरूसिंह गुर्जर : एक सवाल, अध्यक्ष महोदय।

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : यार क्या होता है?

श्री भैरूसिंह गुर्जर : जब 60 विद्यार्थियों को प्रवेश प्रदान करने की व्यवस्था की गई है तो 40 सीटें क्यों निर्धारित की गई हैं? क्या राज्य सरकार इस पर विचार कर रही है?

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, यह सर्टिफिकेट लायब्रेरी साइन्स का डिप्लोमा कोर्स है। इसमें प्रेक्टिकल ट्रेनिंग थ्योरीटिकल दोनों क्लासें चलती हैं। और पांच घन्टे नियमित रूप से पढ़ना पड़ता है। विश्वविद्यालय विशेषज्ञों ने उचित समझा कि 40 विद्यार्थियों से ज्यादा पारी एक समय में नहीं हों, इसलिये 40 की संख्या स्वीकृत की है।

श्री भैरू सिंह गुर्जर : क्या इस प्रकार के प्रशिक्षण से राज्य सरकार पर कोई वित्तीय भार पड़ता है?

श्री बुलाकीदास कल्ला : किस संस्थान में कितनी कक्षाएं खोली जायें, कितने विद्यार्थी हों, यह विश्वविद्यालय स्वयं निर्णय करता है। यह विश्वविद्यालय से संबंधित मामला है। राज्य सरकार से कोई संबंध नहीं है....

श्री भैरूसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, शिक्षा मंत्री जवाब दे रहे हैं और कह रहे हैं कि विश्वविद्यालय का मामला है।

(व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : निरीक्षण करके संस्थान स्वीकृत कराया जाता है। यह वित्तीय मामले का प्रश्न है, राज्य सरकार से कहां संबंध होता है।

श्री भैरूसिंह गुर्जर : संबंध कैसे नहीं है? राज्य सरकार विश्वविद्यालय नहीं है क्या?

(व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं अर्ज करना चाहता हूं कि लायब्रेरी साइन्स में सीटें बढ़ाना चाहते हैं, जब दो सौ विद्यार्थी

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

पढ़ कर तैयार हों और फिर पद रिक्त नहीं हो तो उनको नौकरी कौन देगा, ? यह समस्या राज्य सरकार और विश्वविद्यालय के सामने है। उसको ध्यान में रखते हुए 80 विद्यार्थियों के सैक्शन स्वीकृत हुए हैं। वित्तीय मामले का इससे कोई संबंध नहीं है।

श्री शिवदान सिंह राठौड़ : जो रिक्त पद हैं वह कब तक भर दिये जायेंगे ? विश्वविद्यालय में 80 विद्यार्थियों की सीटें हैं, गत वर्ष 30 विद्यार्थियों को अनुमति दी और बाद में विश्वविद्यालय ने ज्यादा विद्यार्थियों को अनुमति दे दी तो अब सीटें हटाने की कार्यवाही क्यों की ?

श्री अध्यक्ष : पूरक प्रश्न और आने दीजिये । अंतिम प्रश्न है ।

श्री हरिसिंह : विश्वविद्यालय किसी भी कोर्स का चाहे ट्रेनिंग का हो, चाहे लायब्रेरी डिप्लोमा का हो राज्य सरकार से एन.ओ.सी. चाहते है। राज्य सरकार से एन. ओ. सी. आने के बाद किसी कोर्स के लिये कितनी संख्या निर्धारित कर रखी है, यह तो नालेज में होगा । इसलिये मंत्री महोदय मानते है कि लायब्रेरी साइन्स में एन.ओ.सी. इश्यू की है, उसमें उनका स्टेण्डर्ड कितने विद्यार्थियों की एक यूनिट चालू करने का है ?

श्री बुलाकी दास कल्ला : उन्होंने यह प्रश्न पूछा कि 30 विद्यार्थियों को स्वीकृति दी गई थी और 120 छात्रों को प्रवेश क्यों दिया ? यह लालबहादुर शास्त्री कालेज के प्राचार्य ने प्रवेश दिया। विश्वविद्यालय ने उनको इस सबन्ध में चेतावनी दी है कि आयन्दा जो सीटें है उनसे ज्यादा प्रवेश न दें ।

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न ।

(व्यवधान)

श्री बुलाकी दास कल्ला : 50 पद भुसावर विद्यापीठ को दे रखे है 80 राजस्थान विश्वविद्यालय के अन्तर्गत लाल बहादुर शास्त्री कालेज को दे रखे हैं और पत्राचार पाठ्यक्रम में विश्वविद्यालय भी विद्यार्थियों को सर्टिफिकेट, डिप्लोमा करवाता है ।

श्री शिवदान सिंह राठौड़ : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है आपने 30 सीटें रिकमण्ड... .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न ।

(व्यवधान)

अब इस पर भाषण नहीं होगा। माननीय सदस्य, प्रश्न की काफी लंबी सूची है।

श्री भैरू सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, आप इस प्रश्न के उत्तर से संतुष्ट हैं क्या ?

श्री अध्यक्ष : इसे अन्य किसी तरीके से उठायें ।

श्री भैरू सिंह गुर्जर : किस तरीके से पूछें ?

(व्यवधान)

Page No 17

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न ।

श्री भैरूंसिह गुर्जर : शिक्षा विभाग का ढांचा बिगड़ रहा है, राज्य सरकार कन्ट्रोल नहीं कर रही है ।

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है। कृपया स्थान ग्रहण करें । स्थगित प्रश्न ।

स्थगित प्रश्न

(15 सितम्बर, 1981)

चम्बल विकास विभाग द्वारा खेत सुधार कार्यक्रम

33. श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) जिला कोटा में चम्बल विकास विभाग द्वारा खेत सुधार कार्यक्रम के तहत कहां-कहां कितनी भूमि पर कार्य चल रहा है ? अब तक कार्य प्रारम्भ होने से लेकर 31 अगस्त, 1981 तक कुल कितनी भूमि पर कार्य हो चुका है व उस पर कितना व्यय हुआ है ?

(2) माह मई, 1981 से 31 अगस्त, 1981 तक कौन-कौनसी मशीनों के लिये कितना-कितना डीजल कहां-कहां कार्य करने हेतु विभाग द्वारा दिया गया व उसका अनुमानित मूल्य क्या है ? कृपया विस्तृत जानकारी सदन के पटल पर रखें ।

कृषि मंत्री (श्रीमती कमला) : (1) 31-8-81 को जिला कोटा में 21 कैचमेंट में 9,252 हैक्टेयर क्षेत्र में और बून्दी में जिले के 9 कैचमेंट के 2,967 हैक्टेयर क्षेत्र में भूमि विकास कार्य चल रहा था। वर्ष 1974 में कार्य प्रारम्भ होने से लेकर 31-8-81 तक कुल 26,205 हैक्टेयर क्षेत्र में कार्य किया गया जिस पर कुल 4,24,43,445 रुपये का खर्चा हुआ ।

(2) माह मई, 1981 से 31 अगस्त, 1981 तक भूमि विकास कार्यों में कार्यरत बुलडोजर, एलिवेटिंग स्क्रेपर, मोटर ग्रेडर ट्रेक्टर और एक्सकेवेटर मशीनों को कुल 3,05,862 लीटर डीजल कीमत रुपये 8,86,999 दिया गया है जिसकी सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(सूचना के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, यह मशीन प्रति घंटा कितना डीजल खाती है ?

श्री अध्यक्ष : उसके संबंध में जितनी पुस्तके हैं, किस मशीन में कितना डीजल लगता है कृपया उनका अध्ययन करें ।

(व्यवधान)

आप धैर्य से पूछिये ।

श्री दाऊदयाल जोशी : धैर्य से पूछ रहा हूं। इसमें प्रति घंटा कितना डीजल खर्च होता है ।

श्रीमती कमला : कितने विभागों ने कितना कितना डीजल किस किस मशीन को दिया, उसका ब्यौरा सही नहीं है, इसलिये उसकी जांच करायें । कौनसी मशीन कितने घंटे कितना कितना डीजल लगा तो मैं नहीं बता सकती । जो डीजल का कुल ब्यौरा दिया है वह सही नहीं है, यह पूछते तो ठीक था ।

श्री दाऊदयाल जोशी : डीजल का जो खर्चा बताया है वास्तव में उतना डीजल खर्च किया? जितना डीजल दिया जाता है, उतना खर्च होता है क्या ? आपके डिपार्टमेंट से अधिक डीजल इश्यू करवाकर काले बाजार में बेच दिया जाता है ।

श्रीमती कमला : जनरल बात नहीं कहें। यह मशीन प्रति घंटा इतना डीजल खाती है, यह सूचना मैंने दी है। अगर वह गलत ह, तो कहिये ।

श्री दाऊदयाल जोशी : जनरल बात नहीं है। जुलाई के अन्दर खर्च हुआ बताया है 3740 लीटर, और उसके बाद 8 हजार और उसके बाद दो हजार । मेरा निवेदन है कि कोटा जिले में 21 इंच वर्षा हुई, जून में दो इंच, जुलाई में 4 इंच, अगस्त में 20 इंच वर्षा हुई और अगस्त में बिलकुल बारिश नहीं हुई तो जुलाई में इतना डीजल खर्च कैसे हो गया ? जुलाई में बारिश से जब क्षेत्र में पानी भरा हुआ था तो वहां इतना डीजल कैसे खर्च हो गया ? फिर जुलाई का खर्चा कैसे बढ़ गया ?

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, महीनावार, किस-किस मशीन ने कितना-कितना काम किया, कितना-कितना डीजल लगा, वह मैंने सूची में दिया है । इससे ज्यादा क्या सूचना चाह रहे हैं। वह तो बताइये कि फलां मशीन फलां कैचमेंट एरिया में है वह इन दिनों में काम नहीं कर रही थी फिर भी डीजल का खर्च बताया गया है तो फिर जांच करें ।

श्री दाउदयाल जोशी : 6 मशीनें मंगाई गई जिनमें चार खराब पड़ी हैं । टैक्निशियन आये वह भी चला नहीं पाये । जब मशीनें चलती नहीं तो फिर डीजल कैसे खर्च हुआ ?

श्रीमती कमला : खराब या मरम्मत कराये जाने योग्य मशीनें 126 में 16 हैं जिनमें से कुछ मेजर और कुछ माइनर रिपेयर्स की हैं। बाकी सभी मशीनें वर्किंग आर्डर में हैं । अब आप कौन सी मशीन आउट ऑफ आर्डर थी इसकी सूची देंगे तो जांच करके प्रस्तुत कर दूंगी ।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा): हमारे क्षेत्र में कई मशीनें नहीं चलीं, काम नहीं हुआ। किसानों को परेशानी हो रही है जो काम बताया वह हुआ नहीं, इसकी जांच करें। वहां पर अनियमितता हो रही है ।

श्रीमती कमला : आप जो भी इसकी विस्तृत सूचना मुझे लिख कर देंगे कि इसकी जांच करें तो जांच भी करेंगे और गलती पाई गई तो एक्शन भी लेंगे ।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न । श्री गोपाल पचेरवाल ।

जिला सहकारी एवं भूमि विकास बैंक के अध्यक्ष

64. श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) प्रदेश में कितने जिला सहकारी एवं भूमि विकास बैंक हैं ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि प्रदेश के सहकारी बैंकों में अध्यक्ष मनोनीत किये गये

(श्री गोपाल पचेरवाल)

हैं ? यदि हां, तो कृपया मनोनीत अध्यक्षों की सूची निम्न जानकारी सहित सदन के पटल पर रखें :–

(क) मनोनीत अध्यक्षों में से कौन-कौन ग्राम सेवा सहकारी समिति के सदस्य हैं ?

(ख) इन्होंने ग्राम सेवा सहकारी समिति से ऋण लिया है या नहीं ? यदि हां, तो कितना और कब तक तथा ऋण लौटाया गया है या नहीं ? वर्तमान स्थिति क्या है ?

(3) सहकारी बैंकों के अध्यक्ष मनोनीत करते समय किन–किन नियमों को ध्यान में रखा गया है ? मनोनयन का क्या मापदण्ड रखा गया ?

राज्य मंत्री, सहकारिता (श्री रामपाल उपाध्याय) : (1) प्रदेश में 25 जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक एवं 35 भूमि विकास बैंक हैं । सूची सदन के पटल पर प्रस्तुत है ।

(2) जी हां, 25 में से 21 केन्द्रीय सहकारी बैंकों एवं 35 में से 23 प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों में अध्यक्ष मनोनीत किये गये हैं । वांछित जानकारी सहित सूची सदन के पटल पर प्रस्तुत है ।

(3) सहकारी बैंकों में अध्यक्ष मनोनीत करने में राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 की धारा 139 और राजस्थान सहकारी संस्था नियम, 1966 के नियम 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सामान्य प्रावधानों को उन्मुक्त करते हुए सितम्बर, 77 से चल रहे प्रशासकों को हटा कर जन प्रतिनिधियों को अध्यक्ष मनोनीत किया गया है ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

श्री गोपाल पचेरवाल : अध्यक्ष महोदय, एक तो मेरे प्रश्न सं. 2 के खण्ड (ख) का स्पष्ट जवाब नहीं आया । दूसरा मेरा सवाल यह है कि क्या राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम के अन्तर्गत किसी डिफाल्टर को किसी सहकारी समिति का चुनाव लड़ने का अधिकार है या नहीं ?

श्री रामपाल उपाध्याय : मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से अनुरोध करना चाहता हूं कि कृपया जिस भाषा में उन्होंने प्रश्न पूछने का कष्ट किया है, मेहरबानी करके उसी प्रकार समझने का भी कष्ट करें । क्या यह सही है कि प्रदेश के सहकारी बैंकों में अध्यक्ष मनोनीत किये गये हैं ? इसका जवाब मैंने "जी हां" में दे दिया । फिर इन्होंने खण्ड (क) और (ख) में प्रश्न पूछे हैं । माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय सदस्य महानुभाव के प्रश्नानुसार मने सारी जानकारी विस्तार में प्रत्येक मनोनीत अध्यक्ष के बारे में सदन के पटल पर रख दी है । दूसरा इन्होंने फर्माया कि ये सभी डिफाल्टर भी क्या चुनाव लड़ सकते हैं ? मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मनोनयन अलग बात है और निर्वाचन अलग बात है । राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 की धारा 34 (9) के अन्तर्गत यह सारी प्रक्रिया है जो कि निर्वाचित व्यक्ति के लिये आवश्यक है । वे प्रक्रियायें मनोनीत व्यक्ति के लिये आवश्यक नहीं हैं । इसके अन्दर इन सभी को मनोनीत किया गया है ।

श्री गोपाल पचेरवाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो जानकारी चाही है उन सभी का उत्तर नहीं दिया। मैंने पूछा है ऐसे कौनसे बैंक के अध्यक्ष हैं जिन्होंने ऋण लिया है, वह कब जमा कराया ? मैं पूछता हूं बूंदी को-आपरेटिव बैंक के अध्यक्ष ने कब ऋण लिया और कब जमा कराया ?

श्री अध्यक्ष : सूची दे दी है।

श्री गोपाल पचेरवाल : नहीं दी है. अध्यक्ष महोदय। मैं कहता हूं, कर्जा कब लिया और ये कह रहे हैं, लिया ही नहीं और जमा ही नहीं किया। यह स्पष्ट करें।

श्री अध्यक्ष : कर्जे से और इन्कार करा दिया।

श्री भंवरलाल शर्मा।

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि नामिनेशन किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये कोई योग्यता और अयोग्यता का सवाल नहीं है जिससे उन्हें नामिनेशन से रोका जा सके। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कोई व्यक्ति दिवालिया अथवा पागल हो, उसे नामिनेट किया जा सकता है ?

एक माननीय सदस्य : विधान सभा के सदस्य हैं उनके लिये क्या क्वालिफिकेशन होती है ?

श्री रामपाल उपाध्याय : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य महानुभाव की भावनाओं को समझता हूं लेकिन सहकारिता अधिनियम के सैक्शन 34 (9) के अनुसार सारे प्रावधान पहले से ही सुनिश्चित हैं जिसको मैं ओवरराइट नहीं कर सकता, हट कर नहीं चल सकता। राज्य सरकार ने इसी मंशा के आधार पर, इसी को दृष्टिगत रखते हुए, किया है आपकी दोनों बात मैं समझ रहा हूं, वह निर्वाचित व्यक्ति हैं, और आपके दर्द को अपने हृदय में समाहित करते हुए मुख्य मंत्रीजी के निर्देशानुसार इस राज्य सरकार ने 31-12-81 तक ग्राम सेवा सहकारी समितियों से लेकर राज्य की प्रत्येक सहकारी समिति के चुनाव का कार्यक्रम निर्धारित कर लिया है जिसका प्रथम चरण प्रारम्भ हो गया है। जो 1977 से सहकारीकरण का सरकारीकरण हो गया था उसको सरकार ने संवेदनशीलता के आधार पर लिया है।

श्री अध्यक्ष : शार्ट नोटिस क्वेश्चन।

श्री गोपाल पचेरवाल : अध्यक्ष महोदय, भूमि विकास बैंक और भूमि सहकारी बैंक के कितने अध्यक्ष डिफाल्टर हैं ? जिनको मनोनीत किया गया है उनमें कितनों ने जोइन नहीं किया ? क्या दिसम्बर, 81 तक उनको कर्जा चुकाने के लिये छूट दी जा रही है ? अगर नहीं तो क्या उनको हटाने की कार्यवाही करेंगे।?

श्री रामपाल उपाध्याय : अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि केशोरायपाटन से आने वाले माननीय सदस्य सहकारिता के बारे में इतने जागरूक हैं...

श्री गोपाल पचेरवाल : कितनी बकाया है, यह बता दीजिये।

श्री रामपाल उपाध्याय : ..मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूं। केशोरायपाटन की जो मिल है उसमें भी वे इतना ही

(श्री रामपाल उपाध्याय)

रचनात्मक सहयोग, सक्रिय सहानुभूति प्रदान करें। जहां तक इनका प्रश्न है इसके बारे में हमारे सहकारी अधिनियम, उपनियम हैं वह स्पष्ट हैं कि किसी व्यक्ति ने कर्जा नहीं चुकाया है तो उसकी चुनाव में प्रविष्टि नहीं हो पाएगी। चाहे वह कितना ही बड़ा श्रीमंत हो।

श्री अध्यक्ष : शार्ट टर्म क्वेश्चन। प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। किसी भी पूरक प्रश्न की इजाजत नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

प्रश्न कर्ता। भाषण नहीं होगा।....

(व्यवधान)

माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। शार्ट टर्म क्वेश्चन। श्री रामरघुनाथ

अल्प-सूचना तारांकित प्रश्नोत्तर

बेरी कमीशन का प्रतिवेदन

श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 15 सितम्बर, 1981 को कर्मचारियों के लिये गठित बेरी कमीशन ने अपना प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत कर दिया है?

(2) क्या यह भी सही है कि कुछ समय पूर्व मुख्य मंत्री महोदय ने राज्य कर्मचारी संघ को इस आशय का आश्वासन दिया था कि शीघ्र ही उनकी मांगों पर निर्णय लिया जाकर महत्वपूर्ण घोषणाएं की जाएंगी?

(3) सरकार अब कब तक प्रतिवेदन पर अंतिम रूप से निर्णय ले लेगी तथा इसे कब से लागू किया जायगा?

वित्त मंत्री (श्री चन्दनमल बैद)

(1) जी हां।

(2) जी नहीं।

(3) आयोग की रिपोर्ट अभी हाल ही में 15-9-81 को प्राप्त हुई है। अतः यह बताना कठिन है कि सिफारिशों पर निर्णय लेकर उन्हें कब से लागू किया जाएगा?

श्री रामरघुनाथ चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहूंगा कि इस रिपोर्ट पर केबिनेट स्तर पर विचार विमर्श करके कब इसको कार्यरूप में परिणत किया जाएगा?

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज कर चुका हूं कि रिपोर्ट अभी प्राप्त हुई है। रिपोर्ट के 6 वाल्यूम हैं जिनमें करीब दो हजार से अधिक पृष्ठ हैं। इसकी अभी तो कुछ अधिकारी स्तर पर जांच की जाएगी। उसके बाद इसकी संक्षिप्त समरी बनेगी। उसके बाद मंत्री-मण्डल में जाएगी। मंत्री मण्डल से यह उम्मीद करना कि दो हजार पृष्ठों के प्रतिवेदन पर निर्णय ले ले, यह संभव बात नहीं है।

श्री रामसिंह बिश्नोई (लूणी) : मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि इस प्रतिवेदन से राज कोष पर कितना भार पड़ने वाला है? मौजूदा स्थिति में क्या सरकार यह भार सहन करने में सक्षम है या नहीं?

श्री चन्दन मल बैद : अध्यक्ष महोदय, आयोग ने यह अन्दाजा लगाया है कि राज

Page No 22

(22)

(श्री चन्दनमल बैद)
कोष पर इससे 28 करोड़ के करीब भार पड़ेगा। यह सरसरी तौर पर आयोग ने कहा है। परन्तु कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका जायजा आयोग ने नहीं लिया है? जैसे सरकारी कर्मचारियों के अलावा ऐसे कर्मचारी भी होते हैं जिनको कि सरकारी कर्मचारियों की तरह ही सुविधा प्राप्त हैं जैसे नगर-पालिका, पंचायत समितियों के कर्मचारी। इसी प्रकार जो हमारी शिक्षण संस्थाएं हैं उनको भी सरकारी कर्मचारियों की भांति वेतन, भत्ते आदि दिये जाते हैं जिनके बारे में अभी तक अन्दाजा नहीं लगाया गया है। बेरी आयोग ने भी यह कहा है कि वे इसके बारे में कुछ अन्दाज नहीं लगा सकते हैं। इन सबको देखते हुए मेरा यह मानना है कि 28 करोड़ का जो तखमीना आयोग ने लगाया है उससे ज्यादा तख्मीना पहुंचेगा। जहां तक भार सहन करने का प्रश्न है, यह वह पाइन्ट है जिस पर सरकार को विचार करना है कि हम कितना भार सहन कर सकते हैं और कितना नहीं। इसका अध्ययन किया जायेगा और अध्ययन के बाद मंत्री मण्डल का इस पर निर्णय होगा कि कितना भार सहन कर सकते हैं और कब से सहन कर सकते हैं। यह निर्णय करना है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(व्यवधान)

संक्षेप में एक प्रश्न कर लें।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (कोटा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं, यह सही है कि प्रतिवेदन दो हजार पृष्ठों का है परन्तु 25 रुपये से 60 रुपये का लाभ जो प्रत्येक कर्मचारी को हो रहा है, सामने ही दशहरा, दीवाली के त्यौहार आ रहे हैं, उसको देख कर क्या मंत्री महोदय इस पर मंत्री मण्डल का निर्णय लेने का कष्ट करेंगे?

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया है कि यह 6 वाल्यूम की रिपोर्ट है। मुझ को ही नहीं मालूम कि आयोग ने क्या क्या सिफारिशें की हैं? विधान सभा की बैठक होने के कारण मैं भी इसको नहीं पढ़ सकता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या सरकार बेरी आयोग की रिपोर्ट को माननीय सदस्यों को जल्दी से जल्दी उपलब्ध करायेगी?

श्री चन्दनमल बैद : ऐसा पहले ट्रेडीशन रहा है तो सोचेंगे। अगर ट्रेडीशन होगा तो 6 वाल्यूम की रिपोर्ट है, इसके छपने में भी समय लगेगा। मेरे को नहीं मालूम कि ट्रेडीशन है या नहीं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न सम्बन्धी एक जानकारी करना चाहूंगा। पहले सात सवालों का ही जवाब सदन में हो पाया है और सारे के सारे प्रश्न रह गये हैं। क्या इन सब प्रश्नों के उत्तर आ चुके हैं या कोई पोस्टपोन किया गया है?

श्री अध्यक्ष : एक पोस्ट पोन्ड है—श्री मैरूलाल भारद्वाज का।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जो प्रश्न पोस्टपोन्ड किए जाएं उनकी जानकारी आपके माध्यम से सदन को मिल जाए तो अच्छा होगा।

श्री अध्यक्ष : कोशिश करूंगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : आपने पहले जो व्यवस्था दी थी उसके बारे में कहना चाहूंगी.....

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था के बाद कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आज की व्यवस्था का पालन नहीं हुआ है ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : 14 तारीख के जो प्रश्न 21 तारीख को आये थे उसमें मेरे एक प्रश्न के सम्बन्ध में आपने यह आदेश दिया था कि जब भी श्री श्रीराम गोटेवाला का टर्न होगा मेरे कागदीवाड़ा के प्रश्न का उत्तर दिलवाया जायेगा ।

श्री अध्यक्ष : आपके स्थगित प्रश्न को लेने का सवाल है। आप अलग से मुझसे मिलें मैं इसकी व्यवस्था कर दूंगा। वैसे एक दिन का ही बिजनेस रह गया है फिर भी इस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करूंगा ।

प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

पंचायत समिति चेचट के स्वीकृति बजट का उपयोग

161. श्री हरीश शर्मा (रामगंजमण्डी): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति चेचट का वर्ष 1980–81 का बजट उक्त पंचायत समिति में उपयोग में नहीं लेने के कारण अन्य पंचायत समिति में स्थानान्तरित कर दिया गया ? यदि हां, तो किस पंचायत समिति में और किस के आदेश से ?

(2) स्थानान्तरित बजट की कुल राशि कितनी थी तथा पंचायत समिति, चेचट में उक्त बजट की राशि का उपयोग न होने के लिये कौन जिम्मेदार है और सरकार द्वारा उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता ।

शिक्षा पद्धति में परिवर्तन

162. श्री दीपेन्द्र सिंह (श्री माधोपुर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) शिक्षा पद्धति में परिवर्तन के प्रश्न पर सरकार की क्या नीति है ?

(2) विधान सभा के गत बजट सत्र के अवसर पर 10+2+2 की पद्धति लागू किये जाने सम्बन्धी आश्वासन पर अब तक क्या प्रगति रही ?

(3) क्या 10+2+2 की पद्धति के अतिरिक्त भी सरकार के पास कोई अन्य योजना विचाराधीन है ?

उत्तर

(1) शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर शिक्षा नीति का निर्धारण राज्य सरकार प्रदेश की आवश्यकताओं व भारत सरकार की राष्ट्रीय नीति के परिप्रेक्ष्य में करती है

(शिक्षा मंत्री)

(2) राज्य की वित्तीय स्थिति एवं छठी पंचवर्षीय योजना के प्रावधानों को दृष्टि में रखते हुए 10 जमा 2 जमा 3 की शिक्षा पद्धति राजस्थान में क्रमिक रूप से लागू करने का प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(3) 10 जमा 2 जमा 3 की शिक्षा पद्धति के अतिरिक्त अन्य कोई ऐसी योजना राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

टोंक में छात्रावास की व्यवस्था

163. श्री **महावीर प्रसाद जैन** (टोंक)- शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) टोंक कालेज के विद्यार्थियों में, टोंक नगर के कितने व ग्रामीण क्षेत्र के कितने हैं ? क्या बाहर गांवों के छात्रों की संख्या को देखते हुए सरकार टोंक में छात्रावास बनाने का विचार रखती है ?

(2) यदि हां, तो इसकी क्रियान्विति कब तक होगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजकीय महाविद्यालय टोंक के विद्यार्थियों में टोंक नगर के 687 एवं देहाती क्षेत्र के 650 छात्र हैं। टोंक में छात्रों हेतु एक छात्रावास उपलब्ध है जिसमें 80 छात्र रह सकते हैं।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

कटराथल-दौलतपुरा (सीकर) में बालिका विद्यालय

164. श्री **घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सरकार इस वर्ष राज्य में कुल कितने स्कूल खोलने जा रही है ?

(2) जिला सीकर में कुल कितने स्कूल खुलेंगे ? कृपया विधान सभा क्षेत्रवार सूची सदन के पटल पर रखें।

(3) क्या सरकार जिला सीकर में कोई बालिका विद्यालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कहां-कहां एवं कब तक ?

(4) क्या सरकार जिला सीकर के कटराथल-दौलतपुरा में कोई बालिका विद्यालय, वहां की जनसंख्या एवं छात्राओं की संख्या को देखते हुए, खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या यह सही है कि दौलतपुरा ग्राम में इस हेतु सरकारी भवन पर्याप्त है ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार सन् 1981-82 में 600 प्राथमिक विद्यालय व 400 उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलेगी।

(2) सीकर जिले में स्कूलें खोलने के जो प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं उन पर राज्य सरकार गुणावगुण के आधार पर विचार करेगी।

(3) सीकर जिले में बालिका विद्यालय खोलने के प्रस्तावों पर गुणावगुण के आधार पर राज्य सरकार द्वारा विचार कर लिया जायेगा।

(शिक्षा मंत्री)

(4) सीकर जिले के कटसथल, दौलतपुरा गांव में बालिका विद्यालय खोलने के प्रस्ताव पर भी राज्य सरकार द्वारा गुणावगुण के आधार पर विचार किया जावेगा।

(5) दौलतपुरा ग्राम में विद्यालय के लिये भवन लगभग पर्याप्त है जिसमें सात कमरे हैं और एक कमरा निर्माणाधीन है।

अजमेर में मदिरा की दुकानों के लाइसेन्स

165. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में शराब बन्दी समाप्त होने के बाद अजमेर नगर परिषद् सीमा में देशी शराब व विदेशी शराब की दुकानों को खोलने के लाइसेन्स किस किस स्थान के लिए स्वीकृत किये गये हैं और किस किस स्थान के लिय प्रस्तावित हैं ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या खोली गई दुकानों अथवा प्रस्तावित दुकानों में राजस्थान आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत जारी किये गये नियम, उप-नियम, आदेश तथा लाइसेन्स की शर्तों का पूरी तरह पालन किया गया है ?

(3) क्या सरकार मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, जैन उपासरे, विद्यालय, महाविद्यालय, हरिजन बस्ती, मजदूर बस्ती, अस्पताल, औषधालय, महात्मा गांधी की मूर्ति से शराब की दुकानों की दूरी संबंधी अवधारणों का कठोरता से पालन करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या अजमेर नगर में भी उसकी पालना की गई है ?

उत्तर

(1) अजमेर नगर परिषद सीमा में देशी मदिरा के 11 लाइसेन्स स्वीकृत किये गये है। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। अजमेर नगर परिषद् की सीमा में विदेशी शराब की पूर्व में तीन स्वीकृतशुदा दुकानें हैं। वर्तमान में कुल प्राप्त 7 नये आवेदन-पत्र हैं जिन पर निर्णय लिया जा रहा है।

(2) अजमेर नगर परिषद् सीमा में दिये गये लाइसेन्सों की दुकानें वर्तमान में अस्थाई स्थानों पर खोली गई है। इन्हें नियमों के अनुसार उचित स्थानों पर स्थानान्तरित करने की कार्यवाही की जा रही है।

(3) जी हां। इनकी पालना की कार्यवाही अजमेर में भी की जावेगी।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 6 देखें।)

कृषि उपज मंडियों में मनोनीत सदस्य

166. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राज्य में कितनी उपज मंडियों में वर्ष 1980-81 में सरकार द्वारा सदस्य मनोनीत किये गये हैं ?

उत्तर

वर्ष 1980-81 की अवधि में राजस्थान में एक मंडी समिति के सदस्य

(कृषि मंत्री)

सरकार द्वारा मनोनीत किये गये थे। सूची सदन के पलट पर रख दी गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 7 देखें।)

प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय

167. श्री दीपेन्द्र सिंह (श्री माधोपुर): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) प्रदेश में व्यक्ति, दैनिक औसत आय क्या है ?

(2) प्रदेश में ओवर ड्राफ्ट एवं अन्य प्रकार के ऋण की कितनी राशि है तथा उक्त राशि का प्रतिदिन ब्याज कितना है ?

(3) बजट का कितने प्रतिशत भाग ओवर ड्राफ्ट, ऋण व उसके ब्याज की राशि चुकाने में व्यय होता है ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा प्रति व्यक्ति वार्षिक आय की सूचना तैयार की जाती है जो वर्ष 1979-80 में स्थिर मूल्य (वर्ष 1970-71) पर 498 रुपये तथा प्रचलित मूल्यों पर 913 रुपये थी।

(2) संशोधित अनुमान 1980-81 के अनुसार प्रदेश में ओवर ड्राफ्ट एवं अन्य प्रकार के ऋणों की बकाया राशि वित्तीय वर्ष 1981-82 के प्रारम्भ से 1377.16 करोड़ रुपये रहने का अनुमान था। इन ऋणों की राशि पर आय-व्ययक अनुमान 1981-82 में किए गए प्रावधान के अनुसार प्रतिदिन देय ब्याज की राशि 21.45 लाख रुपये बनती है।

(3) ओवर ड्राफ्ट, ऋण व उसकी ब्याज की राशि चुकाने में बजट अनुमान 1981-82 में रखे गये प्रावधान के अनुसार बजट का 9.64 प्रतिशत व्यय होगा।

कृषि विपणन बोर्ड के माध्यम से सड़क निर्माण

168. श्री हरीश शर्मा (राम गंज मंडी): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या सरकार ने यह निर्णय लिया है कि राज्य कृषि विपणन बोर्ड के माध्यम से समस्त पंचायत के मुख्यालयों को कृषि उपज मंडियों से पक्की सड़कों द्वारा जोड़ा जावेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

बीज संकल्प के अन्तर्गत राज्य सरकार ने ऐसा निर्णय लिया है कि पंचायत मुख्यालयों को जोड़ा जाना है इसके अन्तर्गत कुछ सड़कों के निर्माण का कार्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा भी किया जायेगा। जिला आयोजना समितियों की बैठक, जिनमें क्षेत्र के विधायक, सांसद, मंडी समितियों के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं, मंडी क्षेत्रों में सड़क निर्माण करने के जो प्रस्ताव स्वीकृति हेतु भेजे गये हैं मंडी समिति की वित्तीय स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने सड़कों के निर्माण कराने की स्वीकृति जारी की है।

नागौर शहर में बसी नई बस्तियां

169. श्री महाराम चौधरी (नागौर): क्या स्वायत शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) गत 10 वर्ष यानि 1 जनवरी,

(श्री महाराम चौधरी)
1971 से 31 जनवरी, 1981 तक नागौर शहर में कितनी बस्तियां नयी बसाई गई या बसी है? कृपया, सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इन बस्तियों में कितनी बस्तियां कच्ची व कितनी बस्तियां पक्की हैं?

(3) इन बस्तियों में से किस किस बस्ती में नागरिक जीवन की प्राथमिक आवश्यकताओं, यथा सड़क, नल, विजली, ड्रेनेज आदि की पूर्ति कर दी गई है? यदि नहीं, तो कब तक कराने का विचार है? कृपया, विवरण सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) पिछले दस वर्षों में नागौर शहर में एक नई बस्ती बसाई गई है तथा दो नई बस्तियां बसी हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) इन बस्तियों में से दो बस्तियां कच्ची व एक पक्की है।

(3) इन बस्तियों में से घोसीनाड़ा बस्ती व कुम्हारी दरवाजा बस्ती में नल, विजली व सफाई की व्यवस्था है। सड़क व नालियां नहीं हैं। इन्द्रा कालोनी में नागरिकों की प्राथमिक आवश्यकता जैसे नल बिजली, सड़क व ड्रेनेज की व्यवस्था की हुई है। विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

जिला पाली के विभिन्न शहरों के मास्टर प्लान.

170. श्री माधव सिंह दीवान (सोजत), श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी): क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सोजत शहर का कोई मास्टर प्लान नहीं होने के कारण इस शहर का विकास बड़े बेतरतीव रूप से हो रहा है? यदि हां, तो इसका मास्टर प्लान बनाने हेतु सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

(2) जिला पाली में कितने शहरों का मास्टर प्लान बना हुआ है तथा बचे हुए नगरों का मास्टर प्लान कब तक तैयार करवा लिया जायेगा?

उत्तर

(1) नगरपालिका अथवा अन्य किसी भी विभाग से कोई शिकायत इस प्रकार की विभाग में प्राप्त नहीं हुई है कि सोजत शहर का विकास बड़ी बेतरतीब से हो रहा है। नगर पालिका द्वारा जब जब भी शहर के विकास सम्बन्धी तकनीकी राय योजनाओं पर चाही गई है, वह तत्परता से दी गई है।

(2) पाली जिले में पाली शहर के मास्टर प्लान का प्रारूप बना लिया गया है तथा सुमेरपुर के मास्टर प्लान, बनाने का कार्य हाथ में लिया हुआ है। अन्य शहरों के मास्टर प्लान के बारे में अभी कोई कार्यक्रम निश्चित नहीं किया गया है।

म्युनिसिपिल बोर्ड बीकानेर में नगरपालिका अधिनियम के तहत उप-नियमों का प्रकाशन

171. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): क्या स्वायत शासन मंत्री यह बताने की

(श्री देवीसिंह भाटी)
कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि म्युनिसिपल बोर्ड, बीकानेर ने राजस्थान नगरपालिका अधिनियम के तहत बने उपनियमों की प्रकाशित कापियां बिक्री के लिये जनता को उपलब्ध नहीं की है जब कि उपरोक्त अधिनियम के तहत कीमत के बदले इन उपनियमों की प्रतियां उपलब्ध कराना जरूरी है ?

(2) पिछले कितने वर्षों से इन उपनियमों की प्रतियां म्युनिसिपल बोर्ड में उपलब्ध नहीं है ? इन्हें प्रकाशित नहीं कराये जाने के क्या कारण है ?

उत्तर

(1) बीकानेर नगर परिषद के उपनियम बीकानेर स्टेट के समय प्रचलित बीकानेर म्युनिसिपल एक्ट के तहत बने थे, उसके बाद इनका नया प्रकाशन नहीं कराया गया। अतः जनता को बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं कराये जा सके।

(2) 1923 के बीकानेर स्टेट म्युनिसिपल एक्ट के अन्तर्गत निर्मित उपनियम की प्रति परिषद् में जनता के अवलोकनार्थ उपलब्ध है। बिक्री के लिए जनता की विशेष मांग न होने के कारण पुनः मुद्रित नहीं कराये गये।

संस्कृत महाविद्यालयों को राज्याधीन लेना

172. श्री यदुनाथ सिंह (नदबई): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि भूतपूर्व जनता सरकार ने प्रदेश में संचालित निजी शास्त्री संस्कृत महाविद्यालयों को राज्याधीन लेने का निर्णय लिया था ? यदि हां, तो कब तक एवं किस किस को, कृपया, क्रमवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त संस्थाओं में श्री विजय सागर ब्रह्मचर्याश्रम शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय, तलाव गांव का उपरोक्त निर्णय में प्रथम या द्वितीय स्थान था ? यदि हां, तो उसे राज्याधीन नहीं लेने के क्या कारण है ? सरकार अब कब तक उसे राज्याधीन लेने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं

(2) जी नहीं।

राजस्थानी साहित्य अकादमी का गठन

173. श्री दीपेन्द्र सिंह (श्री माधोपुर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) राजस्थानी साहित्य अकादमी का गठन किये जाने में सरकार की क्या नीति है एवं इसे कब तक अंतिम रूप प्रदान कर दिया जावेगा ?

(2) राजस्थानी भाषा को मान्यता दिये जाने के विषय पर सरकार की क्या नीति है ?

उत्तर

(1) राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी कायम किये जाने का राज्य सरकार ने दिनांक 29-8-81 को

(शिक्षा मंत्री)
निर्णय ले लिया है। अकादमी के लिये विधान तैयार करने एवं विधिवत गठन किये जाने की कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा की जा रही है।

(2) राजस्थानी भाषा को केन्द्रीय साहित्य अकादमी द्वारा साहित्यिक मान्यता दी जा चुकी है। इसे संवैधानिक मान्यता दिलाये जाने के संबंध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

क्रय-विक्रय सहकारी समिति, बांदीकुई

174. श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बांदीकुई, जिला जयपुर क्रय विक्रय सहकारी समिति का गठन कब हुआ था? वर्तमान में इसके कौन-कौन पदाधिकारी व कितने सदस्य है?

(2) इसके चुनाव कब-कब हुये?

(3) इस समिति द्वारा पिछले 3 वर्षों में कितना ऋण किस-किस को दिया गया?

(4) उसमें से अब तक किस-किस से कितना ऋण वसूल किया गया?

उत्तर

(1) बांदीकुई क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि०, बांदीकुई जिला जयपुर का गठन दिनांक 27-8-58 को हुआ था। वर्तमान में दिनांक 21-7-78 से संस्था में सहायक जिलाधीश एवं दण्डनायक, बांदीकुई प्रशासक नियुक्त हैं। वर्तमान में कुल 687 सदस्य हैं।

(2) समिति के चुनाव अन्तिम बार दिनांक 1-1-64 को हुए थे।

(3) प्रायः क्रय-विक्रय सहकारी समितियां प्लज ऋण के अलावा कोई ऋण नहीं देती हैं। अतः पिछले 3 वर्षों में सदस्यों को ऋण देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) उक्त स्थिति में प्रश्न नहीं उठता है।

सीकर नगर में मातृ सदन

175. श्री घनश्याम तिवारी (सीकर): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि श्री कल्याण अस्पताल, सीकर में मातृसदन बनाने हेतु बद्रीनारायण सोढाणी एवं जिलाधीश सीकर के बीच कोई अनुबन्ध हुआ था?

(2) क्या यह भी सही है कि उस अनुबन्ध के क्रियान्वियन पर सरकार ने रोक लगा दी थी?

(3) क्या यह भी सही है कि पिछले विधान सभा सत्र में तत्कालीन चिकित्सा मंत्री ने इस पर पुनर्विचार कर मातृ सदन बनाने की मंजूरी देने का आश्वासन दिया था?

(4) क्या सरकार सीकर नगर की जनसंख्या एवं मातृ सदन की कमी को ध्यान में रखते हुए स्वयं अथवा उपरोक्त समझौते के अन्तर्गत मातृ सदन बनायेगी? यदि हां, तो कब तक? नहीं तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(चिकित्सा मंत्री)

(2) जी हां।

(3) जी हां। स्थगन आदेश दिया गया है।

(4) इस विषय में राज्य सरकार द्वारा उचित कार्यवाही की जा रही है ?

राजस्थान नहर के निर्माण कार्य में विदेशी सहयोग

176. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : क्या राजस्थान नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान नहर के निर्माण कार्य में धन देने हेतु विदेशों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ?

(2) यदि हां, तो वह प्रस्ताव किन देशों से प्राप्त हुये तथा प्रस्ताव का क्या प्रारूप है तथा कितनी राशि मिलने की सम्भावना है ?

(3) सरकार ने इन प्रस्तावों पर क्या कार्यवाही की है ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार के पास ऐसे कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं। राज्य सरकार इस प्रकार के प्रयास भारत सरकार के माध्यम से राजस्थान नहर के द्वितीय चरण को पूरा करने के लिये सन् 1978 से करती आ रही है। 1978 में राज्य-सरकार ने भारत सरकार के पास द्वितीय चरण के निर्माण के लिये अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव भेजा था। उस समय ईरान से वित्तीय सहायता लेने का भारत सरकार का विचार था। इस विषय में कोई प्रगति नहीं हुई।

(2) इसके अतिरिक्त अप्रेल, 1981 में सउदी अरब के विदेश मंत्री ने राजस्थान नहर का हवाई जहाज से दौरा किया। इस विषय में भारत सरकार द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

(3) अभी यह प्रश्न नहीं उठता।

वाटिका ग्राम सेवा सहकारी समिति

177. श्रीमती विद्यापाठक (सांगानेर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि वाटिका ग्राम सेवा सहकारी समिति, जिला जयपुर में गबन व भ्रष्टाचार सम्बन्धी मामले बहुत समय से चल रहे हैं ? यदि हां तो सरकार ने इस विषय में अब तक क्या क्या कार्यवाही की ?

(2) क्या यह सही है कि यह समिति वर्षों से निष्क्रिय है जिससे ग्रामवासियों को बड़ी भारी असुविधा होती है ? यदि हां तो सरकार इस विषय में क्या कार्यवाही करेगी और कब तक ?

उत्तर

(1) वाटिका ग्राम सेवा सहकारी समिति लि., में आडिट रिपोर्ट वर्ष 1973-74 में श्री ओम प्रकाश पालीवाल तत्काल व्यवस्थापक के द्वारा रुपये 13,444/- की राशि का गबन का मामला प्रकाश में आने पर श्री हरीनारायण केदावत, ग्राम वाटिका द्वारा थाना सांगानेर में दिनांक 25-1-1975

(सहकारिता मंत्री)
को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। तफ्तीश कार्य चल रहा है। इस केस के अतिरिक्त एक मामला समिति के अध्यक्ष श्री देवीलाल एवं प्रबंधकारिणी सदस्य श्री जयराम के विरुद्ध रुपये 800/- की राशि के गबन/दुरुपयोग का मामला आडिट रिपोर्ट वर्ष 1979-80 के द्वारा प्रकाश में आया था जिस पर राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम की धारा 74 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है।

(2) जी नहीं। समिति चालू अवस्था में है। कार्यक्षेत्र के कृषकों को ऋण एवं कृषि आगत उपलब्ध कराये जाते हैं समिति द्वारा सहकारी वर्ष 1979-80 में कुल 2.64 लाख तथा सहकारी वर्ष 1980-81 में कुल 5.33 लाख रुपये की राशि का ऋण वितरण हुआ है वर्तमान सहकारी वर्ष में भी ऋण एवं कृषि आगत उपलब्ध कराने की व्यवस्था है।

राज्य में चूंगी की एक समान दरें होना

178. श्री **गुलाबचन्द कटारिया** (उदयपुर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य की जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, कोटा एवं उदयपुर की चुंगी की दरें क्या हैं? कृपया, सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या सरकार चुंगी की दरों में विभिन्नताओं से आने वाली कठिनाइयों को हल करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? सम्पूर्ण राज्य में चुंगी की समान दरें कब तक कर दी जायेंगी?

(3) क्या सरकार चुंगी की चोरियों को रोकने के लिये चुंगी के स्थान पर अन्य प्रकार का कर लगाने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) इन नगर पालिकाओं से संबंधित चुंगी की दरों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी हां। किन्तु सारे राज्य में सभी वस्तुओं पर चुंगी की दरें समान रूप से लागू किया जाने में, बहुत सी कठिनाइयां है, जिनके बाबत सरकार विचार कर रही है।

(3) यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)।

मारवाड़ जंक्शन (खारची) में नगरपालिका की पुनः स्थापना

179. श्री **भैरूंसिंह गुर्जर** (खारची): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या मारवाड़ जंक्शन (खारची) पूर्व में नगर पालिका थी? यदि हां, तो वह किन कारणों से तोड़ दी गई?

(2) क्या सरकार पुनः मारवाड़ जंक्शन को नगर पालिका बनाने का निर्णय करने जा रही है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। खारची की आबाद 3,441 तथा उसमें सम्मिलित ग्राम हेमलियावास कलां व खुर्द की आबादी 5,174 थी।

(स्वायत्त शासन मंत्री)

उक्त ग्राम खारची से दूर पड़ते थे एवं समस्त क्षेत्र का विकास सुचारु रूप से संभव नहीं होने के कारण दि. 25-11-76 को इसे ग्राम पंचायत बना दिया था।

(2) यह मामला अभी विचाराधीन है।

नगरपालिका बून्दी द्वारा आयोजित कौमी एकता सम्मेलन

181. श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि प्रशासक, नगरपालिका, बूंदी द्वारा बूंदी में आयोजित कौमी एकता सम्मेलन में आर्थिक सहयोग दिया गया था? यदि हां, तो कब और किसको?

उत्तर

(1) जी हां। तारीख 26-11-80 को कौमी एकता सम्मेलन के अवसर पर नगर पालिका द्वारा मुस्लिम स्कूलों के बच्चों को मिठाई एवं नमकीन वितरण किया गया था, जिसकी कुल लागत 190/- रु. थी। इसके अतिरिक्त कवि सूर्यमल मिश्रण जयंती एवं कौमी एकता के उपलक्ष में कवि सम्मेलन दि. 30-11-80 को आयोजित किया गया था जिसमें नगरपालिका द्वारा तीन कवियों को 2003/- रु. दिये गये थे

नगरपालिका, सवाई माधोपुर द्वारा हरिजन परिवारों का पुनर्वास

182. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा), श्री बाक दयाल जोशी (दीगोद): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सवाई माधोपुर नगर पालिका ने जुलाई, 1981 में करीब 40 हरिजन परिवारों के झोंपड़ों को, जो कि वर्षों से बसे हुए थे, उजाड़ दिया है?

(2) यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार उन गरीब हरिजनों को बसाने हेतु सुविधाएं प्रदान करेगी?

उत्तर

(1) जी नहीं। जुलाई, 81 में सवाई माधोपुर नगरपालिका द्वारा किसी भी हरिजन परिवार का झोंपड़ा नहीं हटाया गया। नगर पालिका मण्डल मान टाउन के क्षेत्र में रोडवेज बस डिपो के लिए आरक्षित भूमि पर पांच-सात बावरियों ने अतिक्रमण कर लिया था। उन्हें धारा 203 के अन्तर्गत हटाया गया था।

(2) प्रश्न के भाग (1) के उत्तर के बाद यह प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

जयपुर नगर परिषद् द्वारा चुंगी दरों में परिवर्तन

183. श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन): क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) मई, 1980 से अगस्त, 1981 तक जयपुर नगर परिषद् की चुंगी दरों में कोई परिवर्तन किया गया है? यदि हां तो कृपया उन वस्तुओं की सूची सदन पटल पर रखें जिनकी चुंगी (आक्ट्राय-ड्यूटी) दरों में कमी अथवा समाप्ति की गई

Page No 33

(33)

(श्री गोपाल पचेरवाल)

है तथा जिन वस्तुओं पर चुंगी दर बढ़ाई गई है।

(2) क्या जयपुर नगर परिषद् जवाहरात पर चुंगी लेती थी? यदि हां, तो चुंगी लेने का क्या आधार था और उससे नगर परिषद् को कितनी आय होती थी? कृपया विगत 3 वर्ष (वित्तीय वर्ष) का ब्यौरा सदन के पटल पर रखें।

(3) क्या नगर परिषद खाद्य पदार्थों पर भी चुंगी लेती है? यदि हां, तो किस दर से किन-किन पदार्थों पर और उससे नगर परिषद् की वार्षिक आय कितनी है? कृपया विगत 3 वर्ष (वित्तीय वर्ष) का ब्यौरा सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) नगर परिषद्, जयपुर विगत तीन वर्षों (वित्तीय वर्षों) में जवाहरात पर चुंगी नहीं लेती थी।

(3) जी हां। खाद्य पदार्थों की प्रचलित चुंगी शिड्यूल की प्रति संलग्न है। विगत तीन वर्षों की वार्षिक आय का ब्यौरा सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(ब्यौरे के लिये कृपया परिशिष्ट 9 देखें।)

प्राथमिक भूमि विकास बैंक, नागौर में ऋण हेतु विचाराधीन आवेदन-पत्र

184. श्री महाराम चौधरी (नागौर): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्राथमिक भूमि विकास बैंक, नागौर में कितने काश्तकारों के ऋण प्राप्ति के प्रार्थना-पत्र कब से, किस-किस प्रयोजन हेतु विचाराधीन हैं? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) पंचायत समिति, नागौर व मूंडवा की किन-किन ग्राम सेवा सहकारी समितियों का विलीनीकरण किया गया?

(3) जिन-जिन सहकारी समितियों को सम्मिलित किया गया उनका फैलाव कितने वर्ग किलोमीटर में हो गया है?

(4) ग्राम सेवा सहकारी समिति, सीगड, बरांथला खुर्द, भावन्डा के साथ में किस-किस सहकारी समिति का विलीनीकरण किया गया है और इसका क्या औचित्य है?

(5) क्या सरकार इन ग्राम सेवा सहकारी समितियों को अलग-अलग करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) नागौर प्राथमिक भूमि विकास बैंक, नागौर में ऋण आवेदन-पत्र निम्न प्रकार विचाराधीन है, जिसकी सूची सदन के पटल पर रखी गई है।

क्र.सं.	प्रयोजन	एक वर्ष से कम	एक वर्ष से अधिक
1.	कुआ गहरा कराने हेतु	2	..
2.	विद्युत पम्पिंग सेट	3	..
3.	नव कूप निर्माण	10	..
4.	कृषि जलाशय	4	..
5.	ट्रैक्टर क्रय हेतु	6	..
6.	नल-कूप लगाने हेतु	19	..
7.	पक्की नाली निर्माण हेतु	3	..
	योग..	47	

(2) पंचायत समिति, नागौर में 31 ग्राम सेवा सहकारी समितियां थीं जिनमें से पुनर्गठन योजनान्तर्गत 27 ग्राम सेवा सहकारी समितियां रखी गई, 2 सहकारी समितियां अवसायन में लाई गई और निम्न 2 प्राथमिक कृषि ऋणदात्री सहकारी समितियों का विलीनीकरण पुनर्गठन योजना के अन्तर्गत उनके सामने अंकित समितियों में किया गया :—

क्र. सं.	नाम समिति जिसका विलीनीकरण किया	नाम समिति जिसमें विलीनीकरण किया गया
1.	कुमारी ग्राम सेवा सहकारी समिति	बासनी ग्राम सेवा सहकारी समिति
2.	सोगद ग्राम सेवा सहकारी समिति	सुखावासी ग्राम सेवा सहकारी समिति

पंचायत समिति, मूण्डवा में 31 ग्राम सहकारी समितियां थीं जिनमें से निम्न 5 सहकारी समितियों का विलीनीकरण कर 26 सहकारी समितियों को रखा गया :—

क्र.सं.	नाम समिति जिसका विलीनीकरण किया	नाम समिति जिसमें विलीनीकरण किया
1.	फिरोजपुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति	कुचेरा ग्राम सेवा सहकारी समिति
2.	ग्वालू " "	संखवास " "
3.	बाहुर " "	भावण्डा " "
4.	सेनणी " "	असावरी " "
5.	काटीया " "	धराधन " "

Page No 35

(35)

(सहकारिता मंत्री)

(3) दाते कमेटी की सिफारिश के अनुसार राज्य में प्राथमिक कृषि ऋणदात्री सहकारी समितियों का पुनर्गठन किया गया था दाते कमेटी द्वारा निश्चित मापदण्ड के अनुसार अर्द्ध रेगस्तानी क्षेत्रों में प्रत्येक समिति के कार्यक्षेत्र में 500 हैक्टेयर कृषि योग्य भूमि होना आवश्यक समझा गया ताकि प्रत्येक समिति निकट भविष्य में सक्षम इकाई के रूप में कार्य कर सके। इस बात को ध्यान में रखा गया कि जो कमजोर समितियां विलीनीकृत की गई हैं उनकी दूरी जिस समिति में विलीनीकृत की गई थी उसके मुख्यावास से 10 कि. मी. से अधिक नहीं होनी चाहिये। विलीनीकरण के पश्चात् फैलाव कितने वर्ग किलो मीटर में हो गया है उसकी सूचना एकत्रित की जा रही है जो सीधी प्रेषित कर दी जावेगी।

(4) ग्राम सेवा सहकारी समिति, सीगड़ के साथ किसी भी सहकारी समिति का विलीनीकरण नहीं किया गया है बल्कि सीगड़ ग्राम सेवा सहकारी समिति को सक्षम इकाई नहीं होने से उसको सुखावासी ग्राम सेवा सहकारी समिति में विलीन किया गया है एवं बरायल खुर्द ग्राम सेवा सहकारी समिति के साथ कांटीया ग्राम सेवा सहकारी समिति के साथ विलीनीकरण किया गया है। मावण्डा ग्राम सहकारी समिति के साथ डांड को मिलाया गया है।

जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है राज्य में प्राथमिक कृषि ऋणदात्री सहकारी समितियों का पुनर्गठन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त दाते कमेटी की सिफारिश के अनुसार किया गया था। इसके अनुसार प्रत्येक समिति के कार्यक्षेत्र में अर्द्ध रेगिस्तानी एवं रेगिस्तानी क्षेत्रों में 5000 हैक्टेयर कृषि योग्य भूमि का होना जरूरी समझा गया। इस योजनान्तर्गत रेगिस्तानी व अर्द्ध रेगिस्तानी क्षेत्रों में आसपास की समितियों जिनमें 5000 हैक्टेयर्स कृषि योग्य भूमि उपलब्ध नहीं थी उनको पास की समितियों में विलीनीकृत कर दिया गया था ताकि समितियां भविष्य में सक्षम इकाई के रूप में कार्य कर सकें।

(5) प्रश्न ही नहीं उठता है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

श्री गौतम गृह उद्योग उत्पादक सहकारी समिति लि., गंगाशहर

185. **श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत)**: क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि श्री गौतम गृह उद्योग उत्पादक सहकारी समिति लि., गंगाशहर, जिला बीकानेर का रिकार्ड आज 6 वर्ष पूर्व जब्त किया गया था व अभी तक सहायक रजिस्ट्रार के पास जांच हेतु पड़ा है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं इसकी जांच प्रगति की क्या स्थिति है ?

(2) क्या उपरोक्त समिति के रिकार्ड की जांच में हो रहे अनावश्यक विलम्ब के कारण समिति द्वारा राजस्थान खादी बोर्ड के ऋण पर देय ब्याज का भार सहकारी विभाग वहन करने को तैयार है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(सहकारिता मंत्री)

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

चूरू चिकित्सालय में ब्लड बैंक की स्थापना

186. श्री भालू खां (चूरू): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि चूरू के राजकीय अस्पताल में ब्लड बैंक स्थापित करने हेतु स्थानीय विधायक के बार-बार अनुरोध के पश्चात् भी ब्लड बैंक कायम नहीं किया गया है ? यदि हां, तो अब कब तक सरकार चूरू के अस्पताल में ब्लड बैंक कायम करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

विधायक महोदय से ब्लड बैंक स्थापित करने हेतु अनुरोध प्राप्त हुआ। मामला विचाराधीन है।

कोटा नगर परिषद् को परिवहन सेवा

187. श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद): क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने कृपा करेंगे:—

(1) क्या कोटा परिषद् ने अपनी परवहन योजना रोडवेज को देने का कोई प्रस्ताव स्वायत्त शासन विभाग को भिजवाया है ? यदि हां तो कब ?

(2) कोटा नगर परिषद् इस परिवहन योजना पर कुल कितना खर्च करती है ? कितनी बसें कार्यरत हैं, उन पर कुल कितना स्टाफ है व गये 3 वर्षों में उनसे कुल कितना लाभ या हानि अर्जित किया गया ?

(3) कोटा में आन्दोलनों के कारण गत 3 वर्षों में कितनी बसों का कितना नुकसान हुआ ?

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 15-12-79 को नगर परिषद् ने प्रस्ताव भिजवाया था।

(2) कुल वार्षिक खर्चा 23,26,440.55 पैसे होता है। कुल 15 बसें कार्यरत हैं, एवं स्टाफ में कुल 79 कर्मचारी हैं। गत तीन वर्षों की हानि का विवरण निम्नानुसार है—

वर्ष	हानि
1978–79	रु. 7,86,071.83 पैसे
1979–80	रु. 8,88,735.38 पैसे
1980–81	रु. 18,94,721.74 पैसे

(3) गत तीन वर्षों में आंदोलनों के कारण 15 बसों का कुल नुकसान रु. 71,004.50 पैसे का हुआ।

तहसील नागौर के ग्रामों के कुओं का जल स्तर

188. श्री महाराम चौधरी (नागौर): क्या भू-जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) नागौर तहसील में किन-किन ग्रामों में पीने के कुओं का जल स्तर 150 फीट से गहरा है ?

(2) किन-किन ग्रामों के कुओं में जल स्तर नीचे जाने पर भू-जल विभाग द्वारा कुए गहरे कराये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) अकाल व गर्मी के दिनों में किन-किन कुओं को गहरा व ब्लास्टिंग करने के लिये सरकार से साधनों की मांग की गई ? साधन उपलब्ध न कराये जाने के क्या कारण हैं ?

Page No 37

(37)

(भू-जल मंत्री)

उत्तर

(1) नागौर तहसील के अन्तर्गत पंचायत समिति, नागौर एवं पंचायत समिति, मुण्डवा के क्षेत्र में आते हैं। पंचायत समिति, नागौर एवं मूण्डवा का अर्द्ध विस्तृत भू-जल सर्वेक्षण भू-जल विभाग द्वारा वर्ष 1978-79 में किया गया था। सर्वेक्षित ग्रामों की उपलब्ध जानकारी के आधार पर तहसील नागौर क्षेत्र के 49 ग्रामों में भू-जल का स्तर भूमि की सतह से 45 मीटर (लगभग 150 फीट) या उससे अधिक पाया जाना बताया गया है, जिनकी सूची संलग्न है।

(2) इस बारे में विभाग द्वारा कुए गहरे करने का कार्य नहीं किया गया, क्योंकि इस कार्य हेतु इन क्षेत्र से मांग प्राप्त नहीं हुई।

(3) चूंकि कार्य हेतु मांग प्राप्त नहीं हुई है अतः विभाग द्वारा सरकार से साधनों की मांग नहीं की गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 11 देखें)

अपना बाजार, अजमेर की दुकान के निर्माण पर व्यय

189. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि अपना बाजार अजमेर (सहकारी संस्थान) की एक दुकान खाई लैण्ड मार्केट, अजमेर में स्थित है? यदि हां, तो यह दुकान कब कितने में खरीदी गई? इसके निर्माण पर कुल कितना खर्चा आया?

(2) क्या यह सही है कि उक्त दुकान को बेच दिया गया है? यदि हां, तो बेचने का निर्णय क्यों व किसके द्वारा लिया गया और इसको कितने रुपयों में किसको बेचा गया?

(3) इस दुकान को बेचने में कौनसी प्रक्रिया अपनाई गई और उस प्रक्रिया हेतु किसने अधिकृत किया।

उत्तर

(1) अपना बाजार, अजमेर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार लि., अजमेर द्वारा संचालित है। इस भण्डार ने खाई लैंड मार्केट, अजमेर में जमीन लेकर दो दुकानों का निर्माण वर्ष 66-67 में कराया था, जिस पर 25,132.33 रुपये खर्चा आया।

(2) जी हां, यह सही है कि दुकानों को बेच दिया गया है। बेचने का निर्णय तत्कालीन संचालक मंडल द्वारा दिनांक 4-6-76 को लिया गया। ये दुकानें श्री श्याम मनोहर शर्मा व एम. एस. टाक को नीलामी द्वारा क्रमशः 8,700/- रु. व 20,500/- रु. कुल 29,200/- रुपयों में बेची गई।

(3) इन दुकानों को बेचने में संचालक मंडल के निर्णयानुसार नीलामी की प्रक्रिया अपनाई गई थी।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मानपुर को सौंपी गई जीप

190. श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मानपुर

Page No 38

(38)

(श्री रामकिशोर मीणा)
को वर्तमान जीप किस वर्ष सौंपी गई थी ? सौंपने के बाद यह कितने दिनों तक कार्य में ली गई तथा यह कब से खराब है ?

(2) इसे अब कब तक ठीक करा दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मानपुर की वर्तमान जीप यूनीसेफ द्वारा वर्ष 1967 में सौंपी गई थी। जो दिनांक 6-11-1979 तक कार्य में ली गई और दिनांक 7-11-1979 से पार्ट्स की अनुपलब्धता के कारण खराब है।

(2) मरम्मत का कार्य पार्ट उपलब्ध कराकर कार्यवाही की जा रही है।

राज्य में धात्री उप-वैद्यों का वेतन

191. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) व श्री बाऊदयाल जोशी (दीगोद) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में कुल कितने धात्री उप-वैद्य हैं ? उन्हें वर्तमान में क्या वेतन मिल रहा है ?

(2) क्या उक्त वेतनमान सभी धात्री उप-वैद्यों को समान रूप से मिल रहा है ? यदि नहीं, तो इनमें कितना अन्तर है तथा इसका क्या कारण है ?

(3) क्या सरकार सभी धात्री उपवैद्यों को समान कार्य के लिए समान वेतनमान देने के आदेश प्रसारित करेगी ?

उत्तर

(1) राज्य में वर्तमान में 2654 धात्री उप-वैद्यों के पद सृजित हैं। वर्ष 1976 से लागू वेतनमानों के अनुसार वर्तमान में धात्री उपवैद्यों हेतु निम्न तीन वेतन श्रृंखलाएं निर्धारित हैं:—

(अ) 385-650 वरिष्ठ वेतन श्रृंखला।

(ब) 355-570 कनिष्ठ वेतन श्रृंखला।

(स) 255-420 अन्य के लिये।

(2) जी नहीं। अन्तर उक्तानुसार है। राजस्थान सिविल सेवा (नवीन वेतनमान) नियम, 1979 के अनुसार निर्धारित योग्यता धारी उपवैद्य "धात्रियों को वरिष्ठ वेतनश्रृंखला, इनमें स्वीकृत पदों की संख्या के अनुसार दी जा रही है। शेष प्रशिक्षित व योग्यताधारियों को कनिष्ठ वेतन श्रृंखला तथा अप्रशिक्षित व्यक्तियों को 255-420 की वेतन श्रृंखला दी जा रही है।

(3) जी नहीं। योग्यतानुसार अलग अलग वेतनमान ही देय है।

सीकर एवं झुन्झुनूं के पर्यटन स्थलों का सर्वेक्षण

192. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सरकार ने सीकर एवं झुन्झुनू जिलों के लोहागल एवं शाकम्भरी (सकराय) क्षेत्र को पर्यटन स्थल बनाने हेतु कोई सर्वे कराया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि इस क्षेत्र में लोहार्गल खोरी कुण्ड, किरोड़ीजी, शाकम्भरी नागकुण्ड, टपकेश्वर आदि स्थानों पर बारह महीनों प्रवाहित होने वाले झरने हैं ?

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

(3) क्या यह भी सही है कि यहां पर प्रति वर्ष हजारों की संख्या में भाद्रपद मास में दूर-दूर से यात्री 40 किलोमीटर की परिक्रमा हेतु आते हैं ?

(4) क्या यह भी सही है कि यह क्षेत्र हरी-भरी वृक्षावलियों से सुशोभित है ?

(5) उपरोक्त बातों को देखते हुये क्या सरकार इन क्षेत्रों को पर्यटन स्थल बनाने हेतु सर्वे करायेगी ?

(6) क्या उपरोक्त क्षेत्र के विकास हेतु पर्यटन विभाग उदयपुरवाटी से सकराय ग्राम तक सड़क बनाने का विचार कर रहा है ? यदि हां, तो कब तक ? और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं । क्योंकि ये स्थल केवल क्षेत्रीय महत्व के हैं ।

(2) जी हां ।

(3) जी हां ।

(4) जी हां ।

(5) जी नहीं, क्योंकि ये स्थान केवलमात्र क्षेत्रीय महत्व के हैं ।

(6) फिलहाल ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है ।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत पंचायत समिति नागौर व मूंडवा में कराये गये कार्य

193. श्री महाराम चौधरी (नागौर): क्या राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत पंचायत समिति, नागौर व मूंडवा में वर्ष 1981 के माह अप्रेल के बाद किस-किस ग्राम पंचायत में क्या-क्या काम कराये गये ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें ।

(2) जिन कार्यों को पूर्ण नहीं कराया गया या जो काम अधूरे हैं उन कामों को पूर्ण कराने की क्या योजना है ।

उत्तर

(1) इस योजना के अन्तर्गत पंचायत समिति, नागौर में वर्ष 1981 के अप्रेल के बाद में कार्यों की पंचायतवार सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है ।

जिला नागौर में पंचायत समिति मेड़वा नाम से कोई पंचायत समिति नहीं है ।

पंचायत समिति मून्डवा है जिसमें वर्ष 1981 के अप्रेल के बाद कराये गये कार्यों की सूची पंचायतवार सदन की मेज पर प्रस्तुत है ।

(2) अधूरे कार्यों को दिनांक 30-9-81 तक पूर्ण कराये जाने का प्रयास किया जा रहा है ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 12 देखें)

रामगंज मंडी (खैराबाद), जिला कोटा के आयुर्वेदिक चिकित्सालय में चिकित्सक का अभाव

194. श्री हरीश शर्मा (रामगंज-

(श्री हरीश शर्मा)

मण्डी) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या यह सही है कि रामगंज मंडी (खैराबाद), जिला कोटा के आयुर्वेदिक चिकित्सालय में लम्बे समय से न कोई वैद्य है और न कोई कम्पाउन्डर ? यदि हां, तो सरकार कब तक यह व्यवस्था कर देगी ?

(2) क्या वैद्य एवम् कम्पाउन्डर के अभाव में जनता को भारी परेशानी हो रही है ?

(3) क्या यह सही है कि ग्राम मदन पुरा (कालिया खेड़ी), तहसील रामगंज मंडी, जिला कोटा के आयुर्वेदिक चिकित्सालय में अभी तक कोई नर्स का पद सरकार द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया है ? क्या जनता इस हेतु सरकार से बार-बार मांग करती रही है ? यदि हां, तो सरकार क्या प्रभावी कदम उठा रही है ?

उत्तर

(1) जी नहीं । रामगंज मंडी (खैराबाद), जिला कोटा के आयुर्वेदिक औषधालय में वैद्य एवं कम्पाउन्डर दोनों कार्यरत हैं ।

(2) जी नहीं ।

(3) जी नहीं । ग्राम मदनपुरा (कालिया खेडी) के आयुर्वेद औषधालय में एक ही (उप वैद्य-धात्री का) पद सृजित है, जिस पर उपवैद्य कार्यरत है । यह औषधालय "सी" श्रेणी का है तथा "सी" श्रेणी औषधालय में कल्पद-धात्री का एक ही पद सृजित होता है । नर्स के नवीन पद सृजन करने हेतु जनता की मांग विभाग में अप्राप्त है । प्रशिक्षित धात्रियां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होने तथा वित्तीय साधनों के अभाव में धात्रियों के अतिरिक्त पद सृजित करना फिलहाल सम्भव नहीं है ।

कुशलगढ़ क्षेत्र के आयुर्वेदिक अस्पताल

195. श्री फतेसिंह (कुशलगढ़) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) कुशलगढ़ क्षेत्र में कितने आयुर्वेदिक अस्पताल कहां कहां हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि डुंगरा छोटा व कसारवाडी में आयुर्वेदिक अस्पताल चल रहे हैं ?

(3) क्या यह भी सही है कि कसारवाडी में एलोपैथिक डिस्पेन्सरी है ?

(4) यदि हां, तो क्या कसारवाडी आयुर्वेदिक अस्पताल को अन्य स्थान पर हटाया जा सकता है ?

(5) क्या यह सही है कि कसारवाडी आयुर्वेदिक अस्पताल ग्राम फूलपुरी में और डुगरा आयुर्वेदिक अस्पताल बडा डुगरा में स्थानान्तरित किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) कुशलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में 11 आयुर्वेद औषधालय संचालित हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई ।

(2) ग्राम डूंगरा व कसारवाड़ी में आयुर्वेद औषधालय संचालित हैं ।

(चिकित्सा मंत्री)

(3) ग्राम कसारवाड़ी में एलोपैथिक डिस्पेन्सरी भी संचालित है।

(4) जी नहीं। आयुर्वेदिक औषधालय को स्थानान्तरित करने का कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(5) जी नहीं। ग्राम कसारवाड़ी व डूंगरा के आयुर्वेद औषधालय क्रमशः वर्ष 1966 एवं स्टेट समय से संचालित है। इनकी वर्ष 1980-81 की रोगी संख्या क्रमशः 9373 व 8829 है। अतः विभाग इन औषधालयों को हटाने के पक्ष में नहीं है। साथ ही वर्तमान में संचालित औषधालयों के भवन भी उपयुक्त हैं, जब कि जिन ग्रामों में स्थानान्तरण चाहा गया है, वहां की भवन व्यवस्था आदि के सम्बन्ध में विभाग को कोई जानकारी नहीं है। इस विषयक कोई प्रस्ताव भी विभाग में विचाराधीन नहीं है।

एलोपैथिक चिकित्सा सुविधा खुल जाने मात्र से आयुर्वेद संस्थाओं को स्थानान्तरित करना विभागीय हित में नहीं है।

ग्राम फूलपुरी एवं डूंगरा (खुर्द) एवं (पाती) की जनसंख्या भी वर्तमान में संचालित औषधालयों के स्थानों से कम है। अतः परिवर्तन उपयुक्त नहीं होगा।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 13 देखें)।

सलूम्बर विधान सभा क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय

196 श्री थान सिंह (सलूम्बर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) वर्ष 1981-82 में कुल कितने प्राथमिक विद्यालय खोले गये? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 1981-82 में सलूम्बर विधान सभा क्षेत्र में कितने प्राथमिक विद्यालय खोले गये? यदि नहीं, तो क्या कारण है? अब कब तक प्राथमिक विद्यालय खोल दिये जायेंगे?

(3) क्या यह सही है कि सलूम्बर पंचायत समिति में वेशमा, डाल, डांगीयावाड़ा, बीचलीमगरी तथा सामतोयातें, चारों गांवों में स्कूल नहीं हैं? क्या सरकार प्राथमिक विद्यालय खोलते समय इन गांवों का ध्यान रखेगी? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) वर्ष 1981-82 में अब तक खोले गये प्राथमिक विद्यालयों की जिलेवार संख्या की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) वर्ष 1981-82 में सलूम्बर विधान सभा क्षेत्र में कोई प्राथमिक विद्यालय नहीं खोला गया है। वर्ष 1981-82 में लगभग 423 प्राथमिक विद्यालय खोलने शेष हैं तथा इनके लिए जो प्रस्ताव राज्य सरकार को प्राप्त हुए हैं, वे गुणावगुण के आधार पर राज्य सरकार के विचाराधीन हैं।

(3) यह सही है कि सलूम्बर पंचायत समिति में वेचमा, डाल, डांगीयावाड़ा, बीचली मगरी तथा सामतोयात चारों गांवों में स्कूल नहीं हैं। इन गांवों में प्राथमिक विद्यालय खोलने के संबंध में राज्य सरकार गुणावगुण के आधार पर विचार करेगी।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 14 देखें।)

जिला जयपुर की सिकराय पंचायत समिति के प्राथमिक स्कूल में अध्यापकों की कमी

197. श्री राम किशोर मोगा (सिकराय): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सिकराय पंचायत समिति, जिला जयपुर में किस-किस स्थान पर प्राथमिक स्कूलें खुले हुए हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इस समिति के किस-किस स्कूल में कितने-कितने छात्र हैं तथा कितने-कितने अध्यापक हैं तथा कितने अध्यापकों की कमी हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सदन की मेज पर रखी गई सूची में इसका उल्लेख कर दिया गया है। स्वीकृत पदों के अनुसार अध्यापकों की कोई कमी नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 15 देखें)

तहसील श्रीमाधोपुर (सीकर) में रसद विभाग के अधिकारियों द्वारा जब्त की गई चीनी

198. श्री दीपेन्द्र सिंह (श्री माधोपुर): क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जुलाई, 1981 में तहसील श्री माधोपुर (सीकर) में रसद विभाग के अधिकारियों द्वारा छापा मार कर चीनी जब्त की गई थी ? यदि हां, तो कहां से व कितनी बोरियां जब्त की गई ?

(2) उक्त मामले में क्या कार्यवाही कितनी अवधि में की गई ?

(3) उक्त मामले में अब क्या कार्यवाही की जानी शेष है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। माह जुलाई, 1981 में जब्त नहीं की गई अपितु माह अगस्त, 1981 में प्रवर्तन निरीक्षक श्री माधोपुर ने छापा मार कर अनधिकृत रूप से रखी 31 बोरी चीनी जब्त की थी। यह चीनी मैसर्स सूआलाल बाबू लाल, ढाणी गोदूवाला तनमक के यहां से जब्त की गई थी।

(2) उक्त मामले में दिनांक 1-8-81 को पुलिस थाना, श्री माधोपुर में एफ. आई. आर. दर्ज करवा दी गई। मामला पुलिस में विचाराधीन है। जब्त शुदा 31 बोरी चीनी के निस्तारण का मामला जिलाधीश, सीकर की अदालत में धारा 6-ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत विचाराधीन है।

(3) जब्त शुदा 31 बोरी चीनी के निस्तारण की कार्यवाही जिलाधीश, सीकर के निर्देशानुसार की जायेगी। एफ. आई. आर. में पुलिस द्वारा तफसीस की जा रही है।

पंचायत समिति प्रतापगढ़ एवं अरनोद (चित्तौड़गढ़) के सरपंचों के विरुद्ध अनियमितताओं के विचाराधीन प्रकरण

199. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की

(श्री नन्दलाल मीणा)
कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि पंचायत समिति प्रतापगढ़ एवं अरनोद, जिला चित्तौड़गढ़ के सरपंच एवं भूतपूर्व सरपंचों के विरुद्ध विभिन्न अनियमितताओं के मामले सरकार के पास लम्बे समय से विचाराधीन है? यदि हां, तो किस पंचायत के सरपंच/भूतपूर्व सरपंच के विरुद्ध ?

उत्तर

जी हां। 5 मामले पंचायत समिति, अरनोद के व एक मामला पंचायत समिति, प्रतापगढ़ के विचाराधीन हैं। 4 मामले जांच अधिकारी उप-खण्ड अधिकारी, प्रतापगढ़ के पास विचाराधीन हैं तथा 2 मामले विशेष आडिट करवाने हेतु परीक्षक स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर के पास विचाराधीन हैं। उक्त मामलों से संबंधित सूची संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 16 देखें।)

शराब बन्दी समाप्ति से सरकार को आय

200. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर): क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) शराब बन्दी समाप्त करने से सरकार को चालू वित्तीय वर्ष में कितनी आय होने का अनुमान है ?

(2) शराब बन्दी की नीति त्यागने से केन्द्र सरकार से मिलने वाले अनुदान में से कितना अनुदान कम हो जायेगा ?

उत्तर

(1) शराब बन्दी समाप्त करने से राज्य सरकार को चालू वित्तीय वर्ष में लगभग 12.00 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय होने का अनुमान है।

(2) राज्य को केन्द्र सरकार से वर्ष 77-78 की आबकारी आय को आधार माना जायेगा? कर से जितनी कमी वार्षिक आय होती है उसका 50 प्रतिशत अनुदान के रूप में मिलता है। आधार वर्ष 1977-78 को आय 27.55 करोड़ रुपये थी।

बीकानेर डेयरी के कर्मचारियों का प्रोवीडेण्ट फण्ड

201. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): क्या डेयरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बीकानेर उरमूल डेयरी सन् 1972 से चल रही है ?

(2) क्या यह सही है कि डेयरी में कार्यरत सभी कर्मचारियों का प्रोवीडेन्ट फण्ड नियमानुसार नहीं काटा जाता है ?

(3) क्या यह सही है कि आज तक किसी भी कर्मचारी को यह सूचित नहीं किया गया है कि उनका कितना प्रोवीडेन्ट फण्ड जमा है ?

(4) क्या यह सही है कि कर्मचारियों का काटा गया पी. एफ., कार्यालय में नियमानुसार जमा नहीं करवाया गया? यदि नहीं, तो श्री आर. सी. मेहरा की मृत्यु पर्यन्त उनके घरवालों को पी.एफ. की राशि का आज तक क्यों भुगतान नहीं किया गया है ?

(श्री देवीसिंह भाटी)

(5) अन्य कर्मचारी, जो इस संस्थान को छोड़कर चले गये हैं, के. पी. एफ. के हिसाब का आज तक क्या हुआ ?

उत्तर

(1) बीकानेर में 29-8-72 को उत्तरी राजस्थान दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ की स्थापना हुई। इसके अन्तर्गत डेयरी प्लान्ट सन् 1977 में क्रिया शील हुआ।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं। श्री आर. सी. मेहरा की मृत्यु के बाद उनके लड़के को फार्म भरने के लिये दिये गये थे जो अभी तक वापस प्राप्त नहीं होने के कारण अग्रिम कार्यवाही नहीं की जा सकी है।

(5) जो कर्मचारी डेयरी प्लान्ट को छोड़कर चले गये हैं उनके पी. एफ. का नम्बर उन्हें बता दिया गया है, ताकि वे प्रोवीडेन्ट कमिश्नर से नियमानुसार सम्पर्क कर अग्रिम कार्यवाही कर सकें।

सुजानगढ़ कृषि उपज मण्डी के लिपिक के विरुद्ध शिकायत

202. श्री उम्मेद सिंह (सुजानगढ़): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सुजानगढ़ कृषि उपज मंडी समिति में लिपिक पद पर कार्य कर रहे श्री धनराज को सेवा नियमों के अनुसार सेवा में रखा गया है या नहीं ?

(2) क्या श्री धनराज को हिन्दी एवं अंग्रेजी टंकण करना नहीं आता है, जो सेवा नियम तहत आवश्यक है ? लिपिक धनराज की टंकण परीक्षा ली गई या नहीं? यदि नहीं, तो किन कारणों से ?

(3) श्री धनराज की कृषि उपज मण्डी समिति में नियुक्ति किस तिथि को की गई ?

(4) क्या श्री धनराज लिपिक पर बलात्कार का कोई मुकदमा जिला एवं सत्र न्यायाधीश चूरू के यहां चला ? यदि हां, तो उसका फैसला क्या हुआ एवं मुलजिमान को कितनी-कितनी सजायें हुई ?

(5) श्री धनराज कितने दिनों तक उक्त मुकदमे में पुलिस हिरासत व जेल में रहा ?

(6) कृषि उपज मंडी समिति के सेवा नियम में चरित्रहीन (मोरल टरपीट्यूड) को सेवा में रखने का प्रावधान है या नहीं ? यदि नहीं, तो श्री धनराज को किन नियमों के तहत सेवा में रखा जा रहा है ?

(7) क्या श्री धनराज का स्थानान्तरण सुजानगढ़ कृषि उपज मण्डी से लूणकरणसर, शिकायत के आधार पर हुआ था ? यदि हां, तो किन कारणों से उसको बिना जांच किये ही वापिस सुजानगढ़ स्थानान्तरित कर दिया गया ?

उत्तर

(1) कृषि उपज मंडी समिति, सुजानगढ़ में श्री धनराज, कनिष्ठ लिपिक ने अपर सत्र न्यायाधीश, चूरू के न्यायालय से वर्ष 1976 में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376/448/149 के प्रावधानान्तर्गत पुलिस थाना, सुजानगढ़ में दर्ज प्रथम सूचना

Page No 45

(45)

(कृषि मंत्री)

अभिवेदन संख्या 20 दिनांक 22-3-75 के आधार पर पंजीबद्ध अभियोग में एक अन्य अभियुक्त गोपा राम सहित 2 वर्ष के कठोर कारावास एवं रु. 100/- जुर्माने के दण्ड से दिनांक 18-4-77 को दण्डित किये जाने का तथ्य छुपाकर कृषि उपज मंडी समिति, सुजानगढ की सेवा में दिनांक 6-3-78 से 8-11-78 तक दैनिक वेतन पर एवं दिनांक 9-11-78 से नियमित वेतन श्रृंखला में नियुक्ति प्राप्त की है जिसकी जानकारी राज्य सरकार को इस प्रश्न के संबंध में तथ्य एकत्रित किये जाने पर हुई है। श्री धनराज, कनिष्ठ लिपिक ने उनके एक सक्षम फौजदारी न्यायालय से दो (2) वर्ष के कठोर कारावास एवं रु 100/- जुर्माने के दण्ड से दण्डित होने का तथ्य छुपा कर कृषि उपज मंडी समिति की सेवा में प्रवेश प्राप्त कर दुराचरण का परिचय दिया है। उनके विरुद्ध राजस्थान कृषि उपज विपणन सेवा नियम, 1975 के साथ संलग्न परिशिष्ट "बी" के नियम 3 (ए), (सी), 4 तथा 5 के प्रावधानान्तर्गत निलम्बन एवं सेवा से निष्कासित किये जाने की कार्यवाही की जावेगी।

(2) श्री धनराज, कनिष्ठ लिपिक ने दिनांक 9-1-78 को अंग्रेजी टंकण परीक्षा जो समिति द्वारा आयोजित की गई थी 40 शब्द प्रति मिनट की गति से उत्तीर्ण की थी। नियोजन कार्यालय के अनुसार भी श्री धनराज टंकण की निर्धारित योग्यता रखते हैं।

(3) श्री धनराज की नियुक्ति कृषि उपज मण्डी समिति, सुजानगढ़ में कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियमानुसार दिनांक 9-11-78 को नियमित वेतन श्रृंखला में की गई। इससे पूर्व उनकी नियुक्ति दिनांक 6-3-78 से दैनिक वेतन पर की गई थी।)

(4) जी, हां। श्री धनराज को बलात्कार के मामले में सत्र न्यायाधीश, चूरू के के न्यायालय ने वर्ष 1977 (18-4-77) में एक अन्य अभियुक्त गोपीराम के साथ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376/448/114 के अपराध में 2 वर्ष के कठोर कारावास एव 100/- रु. जुर्माने का दण्ड भुगतने हेतु दण्डित किया गया है। श्री धनराज द्वारा उक्त निर्णय के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर रखी है जो अभी विचाराधीन है। अपील की सुनवाई के दौरान श्री धनराज को सत्र न्यायाधीश, चूरू द्वारा दिये गये कारावास के दण्ड का क्रियान्वयन स्थगित किया गया है।

(5) दिनांक 25-3-75 को दिन के एक बजे श्री धनराज को गिरफ्तार किया गया व दिनांक 26-3-75 को दिन के दस बजे अदालत में पेश किया गया। अदालत के आदेशानुसार उसको जुडिशियल लाक-अप में रखा गया। दिनांक 15-4-75 को जमानत मंजूर हुई। इस प्रकार श्री धनराज को पुलिस हिरासत में 21 घंटे एवं जुडिशियल लाक-अप में 21 दिन रखा गया।

(6) राजस्थान कृषि विपणन सेवा नियम, 1975 के प्रावधानान्तर्गत ऐसे अनैतिक आचरण वाले एवं भारतीय दण्ड संहिता प्रावधानान्तर्गत दण्डनीय अपराध में दण्डित किये जाने अथवा दण्डित होने का तथ्य नियुक्ति अधिकारी से छुपा कर कृषि उपज मंडी समिति की सेवा में प्रवेश प्राप्त करना दुराचरण की परिभाषा में आता है जिसके लिए ऐसे कर्मचारी को निलम्बित कर नियमित विभागीय जांचोपरान्त सेवा से निष्कासित किये जाने का दण्ड

(कृषि मंत्री)

दिया जा सकता है। श्री धनराज के विरुद्ध अब निलम्बन एवं विधिवत अनुशासनिक कार्यवाही किये जाने का आदेश दे दिया गया है।

(7) श्री धनराज का स्थानान्तरण सुजानगढ से लूणकरणसर शिकायतों के आधार पर हुआ था तथा प्रशासनिक कारणों से ही उन्हें वापस सुजानगढ़ से स्थानान्तरित किया गया है। उनके विरुद्ध निलम्बन एवं नियमित अनुशासनिक कार्यवाही अब की जा रही है।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 15-9-81)

अपना बाजार, अजमेर (सहकारी संस्थान) द्वारा जारी गैस कूपन

30. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(1) अपना बाजार, अजमेर (सहकारी संस्थान) द्वारा दिनांक 1-4-1980 से 31-8-1981 तक गैस उपभोक्ताओं को कितनी गैस कूपन बुक्स इश्यू की गयी हैं? कृपया सूची सदन के पलट पर रखें।

(2) क्या यह सभी गस कूपन बुक्स ओरिजनल एस. ओ. वाउचर्स देख कर इश्यू की गयी हैं?

(3) यदि हां, तो कई मामलों में एक ही नम्बर पर एक से अधिक गैस कैसे बुक हुई हैं? कृपया एक नम्बर पर एक से अधिक गैस प्राप्त करने वाले उपभोक्ताओं की सूची सदन के पलट पर रखें।

उत्तर

(1) अपना बाजार, अजमेर द्वारा कूपन बुक्स इश्यू करने की प्रणाली दिनांक 20-2-81 से आरंभ की गई। दिनांक 31-8-81 तक 6400 कूपन बुक्स इश्यू का गई हैं। सूची संलग्न है।

(2) जी नहीं। गैस कूपन बुक्स गैस उपभोक्ताओं के हिस्ट्री कार्ड के आधार पर जारी की गई हैं।

(3) एक ही नम्बर पर एक से अधिक कन्जूमरों द्वारा गैस बुक नहीं कराई गई है। अतः सूची रखने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 17-9-81)

प्राइवेट शिक्षण संस्थाएं

59. श्री हीरा लाल आर्य (पीपल्दा), श्री बाऊ दयाल जोशी (दीगोद): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में कुल कितनी प्राइवेट शिक्षण संस्थाएं हैं? इनमें किस किस संस्था को पिछले सत्र 1980—81 में कितना कितना आर्थिक अनुदान सरकार द्वारा दिया गया?

(2) क्या कई गैर—सरकारी शिक्षण संस्थाओं में भारी गबन एवं घोटालों की जानकारी सरकार को है?

(3) सरकार गैर-सरकारी शिक्षण संस्थाओं से भ्रष्टाचार समाप्त करने, हेतु नौकरी की गारंटी तथा अन्य सुविधाएं सरकारी संस्थाओं की तरह मिलें, इस हेतु क्या यत्न कर रही है?

उत्तर

(1) राज्य में वर्तमान में निदेशालय

(श्री शिक्षा मंत्री)
अनुसार शिक्षण संस्थाओं से संबंधित सूचना निम्न प्रकार है:

(i) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर के अन्तर्गत शिक्षण संस्थाएं:–कुल संख्या 1168,

सूची चिन्ह 'क' पर संलग्न है।

(ii) कालेज शिक्षा के अन्तर्गत संस्थाएं कुल संख्या 72,

सूची चिन्ह 'ख' पर संलग्न है।

(iii) संस्कृत शिक्षा के अन्तर्गत शिक्षण संस्थाएं कुल संख्या 103,

सूची चिन्ह "ग" पर सलग्न हैं।

(2) जी नहीं।

(3) इस प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर राजस्थान अनुदान नियम, 1963 के अनुसार कार्यवाही करने का प्रावधान है। सेवा-शर्तों का प्रावधान भी इसी नियम में है। वेतन सरकारी संस्थाओं के वेतन-मानों के अनुसार है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 18-9-81)

आयुर्वेद विभाग में विभिन्न श्रेणी के कुछ स्टाफ का अन्यत्र पदस्थापन

90. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व): क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(1) आयुर्वेद विभाग में ऐसे कुल कितने वैद्य, उप-वैद्य एवं अन्य कर्मचारी हैं जो कि अपने मूल पदस्थापन के पद पर कार्य नहीं करके अन्य स्थानों पर प्रशासनिक व्यवस्था के आदेशान्तर्गत कार्य कर रहे हैं? कृपया नाम, मूल पद स्थापन का पद, उस पर पदस्थापन की तारीख एवं वर्तमान में कार्यरत पद तथा उस पर कार्यरत होने की तारीख सहित सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था से मूल पदस्थापन के पदों के कर्त्तव्य व उत्तरदायित्व नहीं निभा सकने से विभागीय कार्यकुशलता पर प्रतिकूल असर नहीं पड़ रहा है?

उत्तर

(1) कतिपय कर्मचारी अपने मूल पद स्थापन के स्थान पर कार्य नहीं कर प्रशासनिक व्यवस्था के अन्तर्गत अन्य स्थानों पर कार्य कर रहे हैं जिनके सम्बन्ध में चाहे गये विवरण को बाड़मेर जिले को छोड़ कर सूची सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(2) जी नहीं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 17 देखें।)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष: मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:–

(1) सर्व श्री भगवान दास शास्त्री, कैलाश मेघवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से गत 22 सितम्बर की रात्रि को अजमेर-नसीराबाद रोड पर अशोक उर्फ पप्पू की हत्या की घटना के विषय में।

(श्री अध्यक्ष)

(2) श्री हंसराज शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से करौली क्षेत्र में किन्हीं अज्ञात व्यक्तियों द्वारा श्री गिर्राज शर्मा की हत्या कर के, उसे कुएं में डाल देने की घटना के विषय में।

(3) श्री हीरा लाल आर्य, सदस्य, विधान सभा की ओर से गत 30 जुलाई, को कोटा के गुमानपुरा थाने के छात्र नेता श्री शिवलाल पारेता व सादिक अली व श्री कन्हैया लाल ड्राइवर की पुलिस द्वारा पिटाई के विषय में।

(4) श्री बालचन्द्र आर्यवीर व श्री अनंगकुमार जैन, सदस्य, विधान सभा की ओर से गत 19 अगस्त को गणगौरी बाजार, जयपुर से मंजू नाम की महिला के अपहरण के विषय में।

(5) श्री मेघराज तावड़ व श्री त्रिलोक सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से गत 3 अगस्त को गोगुन्दा में तथा 9 अगस्त को एक अन्य स्थान पर हुई पब्लिक मीटिंगों में कुछ आदिवासियों की गिरफ्तारी व कम्युनिस्ट कार्यकर्त्ताओं की पिटाई के विषय में।

(6) श्री महाराम चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से विकास अभिकरण, नागौर द्वारा सीमान्त, लघु तथा अनुसूचित जाति के कृषकों को बीज, खाद आदि की सुविधा न दिये जाने के विषय में।

(7) श्री रामकंवार बैरवा, सदस्य विधान सभा की ओर से ग्राम रामनिवासपुरा, तहसील चाकसू में गत 19 जुलाई, को आई बाढ़ से प्रभावित परिवारों को मुआवजा न दिये जाने के विषय में।

(8) श्री गोपाल पचेरवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से नगर पालिका, लाखेरी, जिला बून्दी के क्षेत्र में कोटा-लाखेरी सड़क के दोनों ओर भारी अतिक्रमण होने के विषय में।

(9) श्री बंशीलाल पटवा, सदस्य, विधान सभा की ओर से भीलवाड़ा तहसील की पंचायत ग्राम आटूणा द्वारा आवंटित लगभग चार हजार प्लाटों के कब्जा नहीं दिये जाने के विषय में।

(10) श्री रामकिशोर मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से सिकराय तहसील में 32 वर्ष पहले बने हुए भण्डारी बांध के मुआवजे के एवज में सरकार द्वारा नियमानुसार जमीन न देने के विषय में।

(11) श्री गुलाबचन्द कटारिया, सदस्य, विधान सभा की ओर से कांकरोली स्थित द्वारकेश जी के मंदिर की संपत्ति को बेचा जा रहा है, इस विषय में।

(12) श्री दाऊ दयाल जोशी, सदस्य, विधान सभा की ओर से जे. के. सिन्थेटिक्स में वर्ष 1980-81 में हुये मुनाफे की रकम को मजदूरों को बोनस नहीं देने के लिये घाटा देने के विषय में।

(13) श्री जीतमल जैन, सदस्य, विधान सभा की ओर से अलवर केवल स्मृति बास्केट बाल प्रतियोगिता के नाम पर नागरिकों से उन्हें डरा धमका कर चन्दा वसूल किया जा रहा है, के विषय में।

(14) श्री ललित किशोर चतुर्वेदी व सुश्री पुष्पा जैन, सदस्य, विधान सभा की ओर से धौलपुर सब-डिवीजन के अब्दुलपुर गांव में 3 हरिजनों की गोली मारकर हत्या कर देने के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

(15) श्री भंवरलाल शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से पुलिस कर्मचारियों को अवकाश पर जाने पर उनका मैस भत्ता काट लिये जाने के विषय में।

(16) श्रीमती उजला अरोड़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से ग्राम नगवाड़ा, तहसील परबतसर, जिला नागौर के कुछ अनुसूचित जाति के लोगों पर पुलिस से कुछ सवर्ण लोगों द्वारा अत्याचार करने व उनके खिलाफ झूठे मुकदमे एक बकरी का बनाने के संबंध में।

एक माननीय सदस्य : एक बकरी का।

श्रीमती उजला अरोड़ा : एक का नहीं है 10-12 केस हैं बकरी से पूरा नहीं पड़ा है इसलिये यह बात है। गरीब के लिये तो बकरी ही कीमती है।

श्री अध्यक्ष : इन स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है। जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

निम्नांकित माननीय सदस्यों से श्री स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:—

(1) श्री छीतरलाल आर्य—तहसील सांगोद में मोई कलां सैकण्डरी स्कूल के मैदान को स्कूल फील्ड के लिये आवंटित करने की मांग करने के बारे में।

इस प्रस्ताव में किसी घटना का उल्लेख नहीं है और केवल एक मांग प्रस्तुत की गई है।

(2) श्री मोहनलाल शर्मा—चूरू जिले में कानून की बिगड़ती हुई व्यवस्था के विषय में।

इस प्रस्ताव में माननीय सदस्य ने जिस घटना का उल्लेख किया है वह एक व्यक्तिगत विवाद है। इस विषय में न्यायालय का निर्णय भी हो चुका है।

(3) श्रीमती विद्या पाठक—असहाय वृद्धा विधवाओं को 21 फरवरी के प्रार्थना-पत्र के बावजूद समाज कल्याण विभाग द्वारा पेंशन स्वीकार नहीं करने के विषय में।

इस प्रस्ताव में स्थान आदि आवश्यक विवरण नहीं दिया गया है। यह अस्पष्ट है।

अतः मैं इन स्थगन प्रस्तावों को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों के विषय में राज्य-सरकार से तथ्यात्मक सूचना प्राप्त हो गई है—

(1) श्री देवीसिंह भाटी—जिला बीकानेर की तहसील कोलायत की ग्राम पंचायत बरसलपुर व मानकासर के गांवों में पानी की पिवाई का भुगतान न होने के संबंध में।

राज्य सरकार ने बताया कि 150 फीट से कम गहराई वाले कुओं में पिवाई स्वीकृत नहीं कराई जा सकती। अतः इस प्रश्न पर चुकारे का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(2) श्री जोतमल जैन नशाबंदी बंद करने के बाद अलवर में शराब की कई नई दुकानें खोल देने के संबंध में।

सरकार ने सूचित किया है कि जो दुकानें शराब बंदी के पहले खुली हुई थीं, उन्हीं को खोला गया है; फिर भी प्राप्त शिका-

Page No 50

(५०)

(श्री अध्यक्ष)

मों पर जांच की जा रही है और आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

(3) श्री गोपाल पचेरवाल :- रामगंज मण्डी, जिला कोटा में आवासन मण्डल द्वारा लोगों की धन राशि जमा करा देने के बाद प्राप्त भी भवन निर्माण नहीं करने के विषय में।

सरकार से सूचना प्राप्त हुई है कि भूमि अवाप्ति की कार्यवाही की जा रही है और होने पर निर्माण कार्य करवाया जायेगा।

अतः मैं इन स्थगन प्रस्तावों को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

माननीय सदस्य जानते हैं कि पिछले दिनों की कार्यसूची के काफी कार्य अवशेष रह गये हैं। चूंकि कल से सत्रावसान हो जायेगा माननीय सदस्य चाहते हैं कि अधिकाधिक उपयोगी विषय सभा में लिये जायें। इसलिये मेरा विनम्र निवेदन है कि जिनके स्थगन प्रस्ताव मैं अस्वीकार कर देता हूं उनको सदन में दो-दो मिनट का समय दिया जाता है। आप समय सीमा के अन्दर ही अपनी बात कहने का कष्ट करें।

इसके बाद मैं यह भी आवश्यक समझता हूं कि परसों जो विधेयक लिया था वह आज तक पारित नहीं हो सका है उसको पारित किये जाने के लिये मैं समय सीमा निर्धारित करूंगा। अपने भाषण देते वक्त इस बात का ध्यान रखें। अन्यथा जो कार्य सलाहकार समिति ने सदन की सहमति से कार्य सूची बनायी थी उसका पूरा सम्पादन नहीं हो सकेगा। इसलिये माननीय सदस्यों से निवेदन है कि जिनके मैं नाम पुकारूं, माननीय सदस्य संक्षेप में अपनी अपनी बात दो-दो मिनट में कह दें।

विरोधी दल के नेता महोदय।

व्यवस्था का प्रश्न

लोक सेवा आयोग, निगम व मण्डलों के प्रतिवेदन पर विचार

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन करना है कि जब नये रूल अडाप्ट किये तो नये रूल्स में इस बात की व्यवस्था है कि पब्लिक सर्विस कमिशन और दूसरे कॉर्पोरेशन की जो रिपोर्ट है वह और बोर्डों की जो रिपोर्ट इस सदन में प्रस्तुत की जाय उन पर उसी सैशन के अन्दर विचार करना आवश्यक है। इसके संबंध में आपसे जानकारी करनी है कि बजट सैशन में विचार करने का प्रस्ताव होगा तो बजट सैशन में दूसरी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जायेगी। इसलिये व्यवस्था चाहता हूं कि उनके ऊपर कब विचार किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : जैसा कि मैंने पूर्व में निवेदन किया था कि इस सत्र का आवहान पुराने नियमों के अन्तर्गत किया गया है..

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, यह आप अपने मुंह से कह रहे हैं। दूसरी बात होती तो ठीक था नियम आज ही लिये हैं यह।

श्री अध्यक्ष : मेरी पूरी बात तो सुन लें। ऐसा है कि मेरी तो सदैव यह इच्छा रहती है कि अधिक से अधिक विषय विधान

(श्री अध्यक्ष)
सभा के समक्ष प्रस्तुत हों और यहां पर विधान सभा में चर्चा करें। लेकिन कौनसा विषय किस सत्र में लिया जायेगा इसका निर्णय कार्य सलाहकार समिति करती है। नियम नये थे। इसलिए माननीय सदस्यों को भी कार्य सलाहकार समिति के और मुझे भी इसका पूरा ध्यान नहीं था इसलिए कार्य सूची में इस विषय को नहीं लिया गया·····

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कार्य सलाहकार समिति की बैठक बुला लें।

श्री अध्यक्ष : अब पूरा सत्र खत्म होने जा रहा है। अब क्या कार्यवाही होगी ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : शुरू में ही नियम मिल गये थे।

श्री अध्यक्ष : इसलिये तो निवेदन किया कि यह सैशन पुराने नियमों के अन्तर्गत आहूत किया गया था लेकिन फिर भी अगर आपकी राय है तो इसको ध्यान में रखकर कोशिश करेंगे। इसके बारे में हमारे चीफ व्हीप महोदय ज्यादा प्रकाश डाल सकेंगे।

एक माननीय सदस्या : यह तो बहुत ज्ञानी हैं।

श्री अध्यक्ष : इसमें तो कोई दो राय नहीं है।

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता महोदय का कहना सही है कि नये नियमों के अनुसार यह रिपोर्ट विधान सभा में ली जानी चाहिए और उस पर विचार किया जाना चाहिए। लेकिन जैसा कि श्रीमान् ने अभी फर्माया कि नियम अभी-अभी ही लिये हैं और सत्र पहले ही आहूत कर लिया गया था। आगामी सत्र में निश्चित तौर पर सदन के पटल पर रिपोर्ट को लिया जायेगा, विचार करेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपकी व्यवस्था को स्वीकार करने में असमर्थ हूं। इस व्यवस्था के पीछे यह कहा जा रहा है कि नियम विधान सभा आहूत करने के बाद लिये गये हैं।

श्री अध्यक्ष : यह तर्क नहीं दिया है विरोधी दल के माननीय नेता, मेरा तो यह कहना था कि इसको टेक्निकली देखें वरना तो आपने जो नियम बनाये हैं उन नियमों के अनुसार ही चर्चा होनी चाहिए। मैं स्वयं इस पक्ष में हूं लेकिन अब चूंकि अपनी कार्य-सूची कौनसी कमेटी····

(व्यवधान)

हां, कार्य सलाहकार समिति में इस बात पर चर्चा हुई नहीं फिर हमारे प्रदेश के अन्दर अकाल की स्थिति है, मंत्री महोदय और सदस्यों ने अपने अपने कार्यक्रम बना लिये होंगे।

एक दिन जब अवशेष बचा है इस सत्र का, उस वक्त प्रश्न दुबारा आ जाय क्योंकि यदि इन रिपोर्ट्स पर चर्चा भी करना चाहते हैं तो उसमें भी सम्बोधित विभागों आदि को भी समय देना पड़ेगा उनकी रिपोर्ट्स भी आ गई हैं अथवा नहीं, यह जब तक तैयारी नहीं होगी तब तक मैं समझता हूं कि विधान सभा के सदस्यगण भी इन रिपोर्ट्स के ऊपर न्याय नहीं कर पायेंगे। मैं समझता हूं कि··

(व्यवधान)

आपन विचार कर लेंगे। अगले सत्र में इनको ले लिया जाये क्योंकि नियम तो अभी लागू हुए ही हैं।

(व्यवधान)

(श्री अध्यक्ष)

अब आप इस पर चर्चा न करें, मैंने कहा समय का अभाव है, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : एक निवेदन······

अध्यक्ष : अब इस पर चर्चा नहीं होगी माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री राजबहादुर।

श्री राजबहादुर : एक लाइन निवेदन करना चाहता हूं, इस पर चर्चा नहीं करना चाहता। यह हम जानते हैं कि नियम अभी अभी लागू हुए हैं।

श्री अध्यक्ष : बी. ए. सी. में आप स्वयं भी विराजमान थे माननीय सदस्य, आपने फर्माया भी था और अब जब इतना एरियर होगा। बिजनेस का, एक दिन बचा है उसे निकालना चाहते हैं, सरकार को बाध्य करना चाहते हैं, सेशन बढ़ाकर तो मेरा निवेदन है कि····

श्री राजबहादुर : मैं दूसरी बात कह रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं···

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नहीं माननीय सदस्य

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

श्री राजबहादुर : मैं निवेदन कर रहा था, यह आश्वासन न मिला हो, किन्तु यह सिफारिश तो की गई थी कि बजाय दो के तीन दिन। हां दो आल्टरनेटिव विकल्प, या तो यह नियमों में ही स्वीकार किये जायं और नियम लागू हों उनका पालन हो या नियम का पालन न हो। अगर पालन होना है तो इसमें कौनसी बाधा है?

श्री अध्यक्ष : पालन नहीं होने का प्रश्न नहीं है माननीय सदस्य।

श्री राजबहादुर : एक तीसरा अधिवेशन। पहले दस पन्द्रह दिन का बुला लिया जाय।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इस वक्त मैं कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं हूं···

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज,

श्री राजबहादुर : वरना चार-पांच महीने, अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर, जनवरी, फरवरी, खामोश अथवा मुख बन्द रहेगा।

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह अध्यक्ष महोदय,··

श्री अध्यक्ष : अब मैं इजाजत नहीं दूंगा माननीय सदस्य, इस पर।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज, यह विषय समाप्त हुआ, आर्डर प्लीज

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : प्रॉन ए पाइन्ट आफ आर्डर।

Page No 53

(53)

श्री अध्यक्ष : अभी तो और बोलना चाहते थे।

(व्यवधान)

मैं इजाजत नहीं दूंगा। समय जा रहा है। समय के अन्दर ही सभी कामों को सम्पूर्ण करना चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : ऑन ए पाइन्ट आफ आर्डर। अध्यक्ष महोदय, रूल्स देरी से लागू हुए हों...

श्री अध्यक्ष : इसका कोई जवाब नहीं है, माननीय सदस्य, मैं बिलकुल क्लियर हूं।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट में, आपकी इजाजत से अध्यक्ष महोदय, रूल्स लागू हुए हैं देर से।

श्री अध्यक्ष : मैं क्लियर हूं। यह आना चाहिए लेकिन...

श्री नाथूसिंह : यह नहीं कह रहा हूं अध्यक्ष महोदय, चाहे लोकायुक्त की रिपोर्ट हो चाहे पब्लिक सर्विस कमिशन की हो, यह रूल का सवाल नहीं है। यह कान्स्टीट्यूशनल आब्लीगेशन है और यह सरकार उससे बाध्य है हाउस में रखने के लिए, यहां पर विचार करने के लिए, इसलिए अध्यक्ष महोदय, सदन की अवहेलना करना होगा। सदन चल रहा हो और विचार नहीं किया जाय।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, व्यवस्था के प्रश्न को सुनकर, समझकर...

(व्यवधान)

आप चाहते हैं कि जीरो आवर ही समाप्त करके मेन बिजनेस लिया जाय।

(व्यवधान)

कोई विचारणीय विषय नहीं है, नहीं बोलना चाहते हैं तो बाधा उपस्थित न करें।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अतुलपुर गांव में तीन हरिजनों को...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बाधा उपस्थित न कीजिये, आर्डर प्लीज...

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। अब इस पर कोई चर्चा नहीं होगी, माननीय सदस्य।

श्री रामकिशोर मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव...

श्री अध्यक्ष : इसका जवाब अभी तक नहीं आया।

श्री रामकिशोर मीणा : अध्यक्ष महोदय, बहुत गंभीर मसला है।

श्री अध्यक्ष : अलग से मालूम कीजिये माननीय सदस्य। अभी मैं इसका उत्तर नहीं दे सकता।

श्री रामकिशोर मीणा : अध्यक्ष महोदय, कई लोगों की जान का सवाल है।

(व्यवधान)

व्यवस्था का प्रश्न

गम्भीर विषय पर शासकीय वक्तव्य

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : पाइन्ट आफ आर्डर । सबसे पहले मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, सदन के कुछ नियम हैं ।

एक माननीय सदस्य : कौनसा नियम ?

श्री कैलाश मेघवाल : नियम 50, वे नियम पूछ रहे हैं, इसलिए बता रहा हूं, नियम 50 । सदन के कुछ नियम हैं । उन नियमों के अन्तर्गत हम यहां बैठते हैं और नियमों के अन्तर्गत ही हमको यहां बोलने का अधिकार है, उन्हीं नियमों को सदन में ··

श्री अध्यक्ष : नियमों में ऐसा है कि अध्यक्ष इजाजत दें जब बोलें ।

श्री कैलाश मेघवाल : पाइन्ट आफ आर्डर तो उठा सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष : मैंने इजाजत दी ना ।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं, आज आपने व्यवस्था दी उस व्यवस्था के बारे में नई व्यवस्था चाहता हूं कि जो स्थगन प्रस्ताव आते हैं उन पर आप तीन तरह की व्यवस्था देते हैं–एक व्यवस्था तो यह है कि सरकार से जानकारी चाहते हैं, एक व्यवस्था यह है कि उनको खारिज करते हैं उस पर दो मिनट बोलने का अवसर देते हैं और एक व्यवस्था यह है कि उस पर माननीय सदस्य को बोलने का अवसर भी नहीं देते । इसमें एक कैटेगरी आप बढ़ाइये वह इसलिए कि आज ध्यान में आई है। यह एक गंभीरतम विषय है और गंभीरतम इसलिए कि तीन हरिजनों को अतुलपुर गांव में गोली से उड़ा दिया गया ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज ।

श्री कैलाश मेघवाल : मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है, इसलिए सुनना पड़ेगा । यह नहीं हो सकता पहले सुनना चाहिए तभी आप व्यवस्था देंगे । मैं निवेदन कर रहा हूं कि हरिजनों पर अत्याचार हो रहा है, यह आज ध्यान में आया जिसमें तीन हरिजनों को गोली से उड़ा दिया गया ।

श्री अध्यक्ष : मैं व्यवस्था दे····

श्री कैलाश मेघवाल : सुनने से पहले यह नहीं हो सकता। हरिजनों पर अत्याचार है, उसमें आतंक व्याप्त है, इसके लिए मुख्य मंत्रीजी के कार्यालय में विशेष प्रकोष्ठ है । परसों यह घटना हुई लोग गांव छोड़ कर भाग चुके हैं, पुलिस ने उनको आश्वस्त किया गांव में आओगे तो तुमको सुरक्षा दी जायगी ।

श्री अध्यक्ष : भाषण दे रहे हैं माननीय सदस्य ।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन हरिजनों के लिए वीकर सेक्शन के लिए ···

श्री अध्यक्ष : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है माननीय सदस्य ··

श्री कैलाश मेघवाल : वीकर सेक्शन होने से, शिड्यूल्ड कास्ट के तीन आदमियों को गोलियों से भून दिया गया, उनकी झोंपड़ियां जला दी गई और आप जो है उस समस्या को ·····

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो,

श्री कैलाश मेघवाल : × × ×

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य ।

(व्यवधान)

आॅर्डर प्लीज,

अंकित न हो, स्थान ग्रहण करें माननीय सदस्य,

श्री कैलाश मेघवाल : × × ×

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आॅर्डर आॅर्डर । अंकित नहीं हो रहा है माननीय सदस्य, आप व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे थे माननीय सदस्य, आप व्यर्थ ही आवेश में आ रहे हैं, मेरी बात आप सुन नहीं रहे हैं ।

आर्डर, आर्डर अंकित न हो ।

श्री कैलाश मेघवाल : × × ×

श्री खेतसिंह राठौड़ : राज्य मंत्रीजी, इस पर कुछ कहना चाहते हैं । आप आवेश में आ रहे हैं ।

(व्यवधान).

श्री अध्यक्ष : पहले मैं कहना चाहता हूं । स्थान ग्रहण कीजिये माननीय सदस्य । यह प्रश्न सुबह जब मेरे पास आया उस वक्त शायद माननीय सदस्य अजमेर से आने वाले थे या अन्य कोई माननीय सदस्य थे, उन्होंने यह कहा कि गंभीर घटना हुई है तो उस वक्त मैंने माननीय सदस्य से निवेदन कर दिया था कि इस पर आज कुछ न कुछ व्यवस्था करूंगा और यह व्यवस्था करूंगा कि राज्य सरकार....

××× माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

इस घटना के बारे में कुछ कहा जाय उनकी सुविधा को देखकर उसके बाद में ।

श्री कैलाश मेघवाल : यह सूचना दे देते व्यवस्था के समय ।

श्री अध्यक्ष : आप सुन ही नहीं रहे थे आप तो इतने आवेश में आ गये कि मुझे सुनने के बजाय....

(व्यवधान)

आॅर्डर प्लीज । मुझे अपनी बात समाप्त करने दीजिये । आप इतने आवेश में आ गये थे, इस प्रश्न को उठाया तो व्यवस्था के प्रश्न, स्थान ग्रहण करें,

(व्यवधान)

आपने उठाया तो व्यवस्था के प्रश्न के नाम पर जबकि बाद में ....

श्री कैलाश मेघवाल : मैं व्यवस्था चाहता हूं, गंभीरतम ....

श्री अध्यक्ष : मैंने सुबह ही इसके लिये कह दिया था । अब व्यवस्था कर रहा हूं लेकिन आप कोई भी बात कहें उससे पहले उसके पक्ष में मुझे कुछ कहना है तो मुझे कहने का अवसर ही नहीं दिया, इसमें मंत्रीजी कुछ कहना चाहते हैं ....

श्री प्रद्युमन सिंह (राज्य मंत्री, गृह): अध्यक्ष महोदय, कल मैं इस बारे में पर्याप्त....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वक्तव्य तो आज होगा ।

(व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : वक्तव्य आज होगा ।

श्री अध्यक्ष : मैं बात कर रहा हूं, आॅर्डर प्लीज । इसका मतलब आप सदन में अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं, मैं अगर कोई कार्यवाही कराना चाहता हूं, आपकी रुचि मुझे नहीं लगती....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह सही नहीं है ......

श्री अध्यक्ष : आपकी मर्जी है ।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : लेकिन यह मोटिव एट्रीब्यूट कर रहे हैं ...

श्री अध्यक्ष : मैंने कहा है और I stand by it. No.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हम पूरा सहयोग कर रहे हैं, फिर भी आप कहना चाहते हैं तो आपकी मर्जी । अध्यक्ष महोदय, तीन तीन आदमियों को गोली लग जाय....

श्री अध्यक्ष : फिर भाषण करना चाहते हैं । मैं निवेदन कर रहा हूं, मुझे आप पहले सुन लीजिये उसके बाद में यदि असंतोष हो..

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बता दीजिये ।

श्री अध्यक्ष : हम चाहते हैं कि आज बैठक समाप्त हो उससे पहले किसी भी समय सुविधा के अनुसार आप इसके तथ्य, जितनी भी आपको जानकारी मिल सके मंगवाकर सदन के सामने रखें ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माफ करना एक निवेदन है । आप जाते समय स्टेटमेंट दिलायेंगे, वह स्टेटमेंट यह होगा कि आप इस कार्यवाही से सरकार को निकालना चाहते हैं, आप टाइम फिक्स कर दीजिये ।

श्री अध्यक्ष : 5 बजे ।

(व्यवधान)

एक मिनट में तो इतनी नाराजगी....

(व्यवधान)

आपने मुझे अवसर कहीं नहीं दिया । आर्डर प्लीज ।

अब मैं इजाजत नहीं दूंगा ।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री रामकिशोर मीणा : अध्यक्ष महोदय मैं महिलाओं के आपरेशन्स के बारे में एक दो बार आपके चेम्बर में मिल चुका हूं । नकली लूप नसबन्दी के लिए लगाये जा रहे हैं, महिलाओं की मृत्यु का सवाल है यदि इसकी जांच नहीं की गई तो यह प्रोग्राम खतम हो जायेगा ....

(व्यवधान)

इसका उत्तर इस समय नहीं दे सकते ।

श्री रामकिशोर मीणा : तीन तीन बार महिलाओं के आपरेशन्स हो गये, गवर्नमेंट से 10-10 हजार रुपये क्लेम कर रहे हैं । उन महिलाओं का क्या होगा जिनके भविष्य के बारे में......

श्री अध्यक्ष : इस तरह से कार्यवाही नहीं चलाई जा सकती, आर्डर आर्डर ।

श्री रामकिशोर मीणा : कोई तो व्यवस्था हो, जब तक व्यवस्था नहीं होगी तो क्या करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । मुझे निम्नांकित सूचना प्राप्त हुई है । अब मैं अवसर दूंगा इन माननीय सदस्यों के स्थगन प्रस्तावों के बारे में राज्य सरकार से जो सूचना प्राप्त हुई और उसका अध्ययन करने के पश्चात् मैंने जिनको अस्वीकार कर दिया है उसमें सर्व प्रथम श्री देवीसिंह भाटी । जिला बीकानेर की तहसील कोलायत की

Page No 57

(श्री अध्यक्ष)

ग्राम पंचायत, बरसलपुर व मानकासर के गांवों में पानी की पिवाई का भुगतान न होने के संबंध में।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मुझे दुःख है, आपत्तिजनक बात है, शासन ने राज्य सरकार से सूचना मंगाई और आपको गलत सूचना दी जिसका प्रमाण मेरे पास है, जिलाधीश महोदय ने 29-4-1981 को ऑर्डर्स दिये कि ग्राम पंचायत, मानकासर के 4 ग्राम तवराकला, जगासर, गुलामवाला, विजेरी की पिवाई 1-5-81 से मंजूर की जाती है इसकी फ्रोटोस्टेट कॉपी मेरे पास है। इसी प्रकार ग्राम पंचायत, बरसलपुर के गांव मिरनवाला, मोसेवाला, मंगनवाला, गोकुल, सादुलाई, करनीसर, राववाला, भाटियों की ढाणी, छीला कश्मीर ढेहरिया, इन 14 गांवों की जिलाधीश ने ने मंजूरी दी है। उसके बाद में शासन को सूचना दी है, सदन को सूचना दी है कि इन गांवों के कुओं की 125 फीट से कम गहराई होने के कारण पिवाई मंजूर नहीं कर सकते। अगर जिलाधीश आदेश देते हैं तो सरपंच को सूचना देते हैं कि पिवाई मंजूर करते है गांव वाले जब पानी पिलाना चालू कर देते हैं। इसके उपरान्त भी अध्यक्ष महोदय, उनको 5-5 महीने तक उन गांवों में जहां 100) क्विंटल ग्वार की कीमत नहीं मिलती हैं उन गांव वालों ने पानी पिलाया है और अब कहते हैं मंजूरी नहीं दी। यह जो राज्य सरकार, जिलाधीश का आदेश है, उसको मान कर हमने पिवाई चालू कर दी तो हम गरीबों के साथ अत्याचार क्यों हो रहा है? यह दुःख की बात है, मुझे पूरा विश्वास है, मुझे आप प्रोटेक्ट करके प्रोटेक्शन देंगे, उन गरीबों का ख्याल रखेंगे, जो यह जानकारी मैंने दी है उसकी फोटोस्टेट कॉपी आपके पास लाऊंगा और दिखाऊंगा। जिलाधीश ने आदेश दिये हैं, अब आपको जो सूचना दी है गलत दी है, कृपा करके उन गरीबों का ख्याल रखें, उन्हें पिवाई का पैसा दिलाया जाये। यह बड़ा गंभीर विषय है वरना ऐसे फेमिन के समय में अभी फिर राज्य सरकार ऑर्डर कर देगी कि फलां गांवों में हमने पिवाई मंजूर कर दी, फलां सड़क पर राहत कार्य चालू कर दिये तो सरकार का विश्वास नहीं होगा .....

श्री अध्यक्ष : समाप्त किया जाये।

श्री देवीसिंह भाटी : कृपया मुझे प्रोटेक्शन दें, उन गांव वालों का खयाल रखें। जांच करवाइये, जो आपको गलत सूचना दी है। मेरे पास प्रमाण है। यह बड़ा अन्याय हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, वर्तमान में मैं व्यवस्था देने की स्थिति में नहीं हूं कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री गोपाल पचेरवाल : मंत्री महोदय, गलत सूचना दें....

श्री अध्यक्ष : अध्यक्ष को गलत सूचना दी जाती है तो उसके परिणाम क्या होते हैं उससे आप और हम परिचित हैं। यदि माननीय सदस्य सिद्ध कर देंगे कि गलत सूचना दी है तो कई तरह से इस प्रश्न को उठाया जा सकता है। समय न लें। श्री जीतमल जैन।

श्री देवीसिंह भाटी : मैं इसको सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : इसको देदें, मैं देख लूंगा।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवा महल): आपने अभी जो व्यवस्था दी उसमें स्थगन प्रस्तावों को नामंजूर कर दिया है या राज्य सरकार को जवाब के लिये भेजा है, कल के बाद सत्र समाप्त हो जायेगा, राज्य सरकार को प्रस्ताव तो चले जायेंगे पर जवाब नहीं मिलेंगे...

श्री अध्यक्ष : जानकारी लेने की इजाजत नहीं दूंगा। आप चाहते हैं उनको रिजेक्टेड मानकर आज अवसर दिया जाये, समय का अभाव है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, इस पर विचार नहीं हो सकता....

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय..

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य किसी स्थगन प्रस्ताव को अथवा अन्य किसी प्रस्ताव को अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत कर देते हैं तो वह सदन की सम्पत्ति बन जाता है, उस पर क्या कार्यवाही हो, किस व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही हो, यह आसन का अधिकार है, जो वह निर्णय करेगा। वर्तमान में, मैंने जानकारी मंगवाई है, जनहित में जानकारी लेना मैं आवश्यक नहीं समझता हूं क्योंकि आप अभी बोल लेंगे उसके बाद जानकारी आयेगी, उसके बाद दुबारा अवसर नहीं दूंगा...

श्री भंवर लाल शर्मा : जानकारी मेरे पास....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। समय न लें, मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्री जीतमल जैन : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, निरस्त किया गया।

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : कल बोलने की अनुमति दे दें।

श्री अध्यक्ष : वर्तमान में नहीं दे रहा हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा : बाद में दी जावे। राज्य सरकार से तो जानकारी आयेगी नहीं।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। श्री जीतमल जैन।

ऑर्डर प्लीज। इजाजत इस तरह से नहीं दूंगा।

श्री जीतमल जैन।

श्री भंवर लाल शर्मा अध्यक्ष महोदय, पाइन्ट ऑफ ऑर्डर।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर, एक भी पाइन्ट ऑफ ऑर्डर नहीं आया है जिसको मैं स्वीकार करता। यह प्राइवेट प्रेक्टिस है, मैं इसको रिजेक्ट करता हूं।

(व्यवधान)

ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, पॉन-ए-पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर। बहुत इम्पार्टेन्ट सवाल है।

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, पाइन्ट ऑफ ऑर्डर उठाने का हमारा अधिकार है। हमें रूल्स ऑफ प्रोसिजर के तहत अधिकार दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, समय न लें।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, एक ही तो अधिकार हमें दिया गया है जिसके माध्यम से हम आपका ध्यान आकर्षित कर सकते हैं, जनता जनार्दन के बारे में, वह भी अधिकार आप देना नहीं चाहते हैं। मैं समझता हूं कि यह हमारे हितों में अच्छा नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि आपके यहां पर जितने भी मोशन आते हैं चाहे वह ध्यान आकर्षण प्रस्ताव हों, चाहे स्थगन प्रस्ताव हों, चाहे और हों, वे बहुत ही महत्वपूर्ण मोशन होते हैं। उनके लिये नियमों में दिया गया है। नियम 50 और नियम 131 में लिखा है कि अरजेन्ट पब्लिक इम्पोर्टेन्ट का कोई इश्यू हो तो उसके लिये हम आपसे निवेदन करते हैं। अब पूरा सैशन निकलता जा रहा है। मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया था कि राजस्थान को नाथपा झाकड़ी से पानी नहीं मिल रहा है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। यह कोई आपका पाईन्ट आफ आर्डर नहीं है। इसको निरस्त किया जाता है।

(व्यवधान)

आर्डर।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, अरजेन्ट पब्लिक इम्पोर्टेन्स का मामला है, मेरा निवेदन है कि राजस्थान को पानी नहीं मिल रहा है।

श्री अध्यक्ष : इस तरह से आप समय बेकार में ले रहे हैं।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, उससे जयपुर को पानी मिलेगा। इस पर आप सरकार से एक वक्तव्य दिला दें।

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण कीजिये। इस तरह से वक्तव्य मांगना व्यवस्था के प्रश्नों में नहीं आता है। आप स्थान ग्रहण करें। श्री जीतमल जैन।

श्री जीतमल जैन (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, शराब की दुकानें खोलने के संबंध में...

श्री अध्यक्ष : समय का ध्यान रखें, माननीय सदस्य....

श्री जीतमल जैन : अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में सरकार की ओर से सूचना मिली है कि शराब की दुकानें, जो इस बार खोली जा रही हैं वह जहां पहले थी वहीं खोली जा रही हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा कि जो कुछ सूचना सरकार के द्वारा मिली है वह तथ्यात्मक रूप से सरासर गलत है। मैंने विशेष रूप से अपना एडजोर्नमेंट मोशन में तीन स्थानों के लिये दिया है, एक तो रामलीला मैदान, दूसरा गली घटियारा और तीसरा दिल्ली दरवाजा के बाहर, जहां कि हरिजन बस्ती है। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, आपने शराब खोलने का तो यह किया ही है लेकिन कम से कम उन स्थानों को तो बचाइये जहां पर कि घनी आबादी है, उसके लिये नियमों में भी प्रावधान है कि शराब की दुकानें स्कूल के पास नहीं होंगी, मंदिरों के पास नहीं होंगी और अन्य कोई सार्वजनिक स्थान होंगे वहां पर शराब के ठेके नहीं होंगे। मैं इन तीनों स्थानों के लिये आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इन 3 स्थानों पर मन्दिरों के पास, पाठशालाओं के पास और सार्वजनिक जगहों पर दुकानें खोली गयी हैं। इस संबंध में वहां के नागरिकों का डेपुटेशन वहां के जिला-

(60)

(श्री जीतमल जैन)

अधिकारियों से मिला और इस संबंध में एक सभा गली घटियों में भी हुई थी। वह सभा कोई विरोधी दल वालों की हो या मोहल्ले वालों की हो, यह बात नहीं है वहां के जो कांग्रेस के मंत्री हैं, श्री लक्ष्मीनारायण खण्डेलवाल वे खुद वहां पर उपस्थित थे। उन्होंने स्वयं ने इस बात को स्वीकार किया कि गली घटिया में जो दुकान खोली गयी है वह इन सारे नियमों को ताक में रख कर खोली गयी है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त हुआ।

श्री जीतमल जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट में समाप्त करता हूं। मेरा आपसे यह निवेदन है कि नियमों में प्रावधान नहीं है फिर भी वहां पर दुकानें खोली जा रही हैं इस कारण अलवर के नागरिकों में बहुत भारी आक्रोश है। मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि सारी स्थिति को देखते हुए वहां की दुकानों को दूसरी जगह परिवर्तित करने के प्रयास करें। इस संबंध में, मैं 19 तारीख को ए.डी.एम. साहब से मिला था और उन्होंने मुझे कहा कि उन तीनों दुकानों को वहां से हटाने के लिये हमने आदेश दे दिये हैं आज चार दिन उस बात को हो गये हैं लेकिन अभी तक कोई दुकान वहां से स्थानान्तरित नहीं की गयी है। इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार को निवेदन करना चाहता हूं, उन दुकानों को तुरन्त वहां से स्थानान्तरित किया जाय, और नियमों की पालना की जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री गोपाल पचेरवाल। रामगन्ज मन्डी, जिला कोटा में आवासन मण्डल द्वारा लोगों की धनराशि जमा करा देने के बाद भी भवन निर्माण नहीं करने के विषय में माननीय सदस्य, संक्षेप में।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : अध्यक्ष महोदय, बहुत ही संक्षेप में। ही तो आपकी आज्ञा का पालन करता हूं मैं अध्यक्ष महोदय, आवासन मण्डल या हाउसिंग बोर्ड की जो स्कीम है वह मैं जहां तक समझ पाया हूं आवास हीन गरीब लोगों को मकान बनाकर सस्ती दर पर दिलाने की है। रामगंज मण्डी में भी आवासन मण्डल ने योजना बनायी और सूचना प्रसारित की गयी उसके आधार पर वहां पर आवासन हीन लोगों ने अपने आवेदन-पत्र दिये हैं लेकिन अभी तक कहीं कोई भवन नहीं बनाये गये हैं। जो भवन नहीं बनाये गये और स्कीम लागू नहीं की गयी उसका कारण यह है कि वहां पर भूमि अवाप्त नहीं की गयी है। भूमि अवाप्ति कार्यवाही नहीं होने का कारण यह है कि वह भूमि एक बहुत बड़े पूंजीपति श्री कीरीट भाई है, उनकी कम्पनी है। उनको भूमि अवाप्त करने का नोटिस धारा चार के अन्तर्गत दिया गया है आवासन मण्डल के द्वारा और राजस्थान सरकार को लिखा गया है लेकिन मुझे अफसोस है कि वहां भूमि सरकार आज तक अवाप्त नहीं कर पायी है। मैं समझता हूं कि सरकार कीरीट भाई को नाराज नहीं करना चाहती हैं, और कीरीट भाई के चान्दी के सिक्के उन तक पहुंचने लगे हैं, ऐसा मैं समझने लगा हूं क्योंकि वह एक पूंजीपति आदमी है इसलिये उनकी जमीन को कोई नहीं ले सकता है। उसके पास ही की जमीन जो कि गरीब आदमी की है जो कि एक हरिजन और एक मुसलमान की है और एक छोटे व्यापारी की है उसकी जमीन धारा चार के अन्तर्गत अवाप्त करली गई है। लेकिन पूंजीपति की जमीन सरकार अवाप्त

Page No 61

(61)

(श्री गोपाल पचेरवाल) :
नहीं कर रही है । मैं सरकार से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि कीरीट भाई की जमीन जो धारा चार के अन्तर्गत अवाप्त की गई है और धारा 7 के अन्तर्गत जो हाउसिंग बोर्ड द्वारा सरकार को लिखा गया है उसके अनुसार उस भूमि को अविलम्ब अवाप्त किया जाना चाहिये और जो गरीब लोग हैं जिनको सरकार आगे लाना चाहती है, जिनको सरकार मकान देना चाहती है जिनको पिछड़ों को सरकार ऊपर उठाना चाहती है, उनकी भूमि अवाप्त नहीं की जानी चाहिये क्योंकि उनमें एक हरिजन, एक मुसलमान है, एक छोटा गरीब चमार है, एक छोटा महाजन का परिवार है। एक बोबी के परिवार के सदस्य हैं उनकी जमीन को अवाप्त नहीं किया जायें । क्योंकि वे गरीब लोग हैं और उनके खाने कमाने का कोई जरिया नहीं है उनकी भूमि नहीं ली जाय उसकी भूमि को अवाप्त किया जाना चाहिये जिसके पास काफी दौलत है, जिसके पास भूमि है लेकिन उसका उपयोग नहीं है, जिस भूमि का उसको कोई लाभ नहीं मिल रहा है। सरकार द्वारा उसको खुश रखने के लिये उस पूंजीपति को राजी रखने के लिय उसकी जमीन अवाप्त नहीं की गयी है। इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही अदब के साथ आपके माध्यम से सरकार को गुजारिश करना चाहूंगा कि उस पूंजीपति की भूमि को अवाप्त किया जाये और उन गरीब लोगों की भूमि को अवाप्त नहीं किया जाये । यही मेरा आपसे निवदन है ।

श्री अध्यक्ष : प्रतिवेदनों का उपस्थापन । श्री जेठमल वरबड़ ।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया है मुझे दो मिनट का मौका दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष : प्रतिवेदनों का उपस्थापन । आर्डर, आर्डर ।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया था उसको आपने अस्वीकार किया है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर आप स्थान ग्रहण करें ।

श्रीमती विद्या पाठक : अध्यक्ष महोदय, जिन एडजोर्नमेंट मोशन को आप रिजेक्ट करते हैं उन पर आप बोलने का अवसर देते हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, आर्डर ।

श्री गोपाल पचेरवाल : अध्यक्ष महोदय, हरिजनों के मसले को तो कम से कम आप उठाने का मौका दें । हम दो चार हरिजन विधायक हैं । हरिजनों के साथ जो ज्यादती होती है उनको उजागर करने के लिये आप अगर अवसर नहीं देंगे तो हमारी सुरक्षा कौन करेगा ? सरकार तो हमारी सुनती नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, कृपया शान्त रहें । स्थान ग्रहण करें ।

श्रीमती विद्या पाठक : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया...

श्री अध्यक्ष : पहले आप अपना विषय तो बताइये । किस विषय पर आप बोलना चाहती हैं ?

श्रीमती विद्या पाठक : अध्यक्ष महोदय, वृद्धा महिलाओं को पिछले डेढ़ साल से पेन्शन स्वीकृत नहीं करने के संबंध में ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, उसमें न तो कोई जिले का नाम है, न कोई तहसील का नाम है, न उसमें कोई नगर का नाम है । आपने कुछ भी मेन्शन नहीं किया, इसलिये मैंने उसको अस्वीकार कर दिया था और मैंने यह भी कहा था कि इसमें बोलने की इजाजत नहीं दी जायेगी ।

श्रीमती विद्या पाठक : आपने अस्वीकार कर दिया, हमने इनकम्पलीट प्रस्ताव दिया था उसको आपने अस्वीकार कर दिया है लेकिन आप उस पर बोलने की व्यवस्था तो देते । उससे ही हमारा पर्पज हल हो जाता ।

श्री अध्यक्ष : यह नीचे की कैटेगरी का था उसमें फैक्ट्स भी नहीं थे । खैर, आप बोलना चाहती हैं तो दो मिनट में कह दें ।

श्रीमती विद्या पाठक : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहती हूं कि यह बिल्कुल गूंगी, बहरी, सरकार है जो काम कर रही है । यह ना तो औरतों की सुने, ना वृद्धों की सुने, न इनवैलिड की सुने और न बच्चों की सुने । अध्यक्ष महोदय, मैंने मेरी मार्फत 8 मुस्लिम वृद्धा औरतों की जिनकी उम्र करीब 65 से लेकर 78 वर्ष की है उनको 21-2-81 को समाज कल्याण विभाग द्वारा सारे पेन्शन पेपर्स वैरीफाई कराकर तहसीलदार, जयपुर को पेश कर दिये और एस.डी.एम., जयपुर के पास 7-3-80 को पहुंचे गये । अध्यक्ष महोदय, नियमानुसार एक महीने में वैरीफिकेशन होकर, ज्यादा से ज्यादा दो महीने में उन औरतों को पेन्शन मिल जानी चाहिये लेकिन अभी तक नहीं मिली । पिछले महीने जब मैंने एस.डी.एम. को इस विषय में टैलीफोन किया तो एस.डी.ओ, जयपुर श्री सक्सेना साहब जो थे, मुझसे कहा कि उनका तो पता ही गलत है । मैं खुद अध्यक्ष महोदय, उन औरतों से इन पतों पर वहां मिली हूं । उन औरतों की चिठ्ठी वहां पर पहुंचती है तो पता गलत कैसे हो सकता है ? अध्यक्ष महोदय, इससे ज्यादा निकम्मापन क्या हो सकता है ? अब वह लीपापोती कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्या ।

श्रीमती विद्या पाठक : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत इम्पार्टेन्ट मसला है आखिर हमारी वेलफेयर स्टेट है । अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहने जा रही थी कि इनके पतों के बारे में तो मुझे फोन किया और समाज कल्याण विभाग को लिखा कि उनके पेपर्स ही पूरे नहीं हैं इसमें अब सही बात कौनसी है । पेपर्स वैरीफाई होकर नहीं पहुंचे हैं जबकि विभाग ने वैरीफाई करके सरकार के पास भेजे, तो पेपर्स नहीं पहुच । इसके अलावा दूसरी बात मुझे कही गयी है कि उनके पते ही पूरे नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : अब समाप्त भी करें ।

श्रीमती विद्या पाठक : अध्यक्ष महोदय, उनके पते भी पूरे हैं और पेपर्स भी पहुंच चुके हैं लेकिन आज डेढ़ साल से उन लोगों को पेन्शन नहीं मिल रही है ।

श्री अध्यक्ष : अब समाप्त कीजिये ।

श्रीमती विद्या पाठक : अध्यक्ष महोदय, उसमें एक बूढ़ा 80 साल का है जिसकी बीवी मर गयी है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर ।

श्रीमती विद्या पाठक : पेन्शन नहीं मिलेगी तो, अध्यक्ष महोदय, वह खायेंगें क्या?

श्री अध्यक्ष : समाप्त हुआ ।

श्रीमती विद्या पाठक : अध्यक्ष महोदय, हम जनता की भलाई के लिये बैठे हैं सिर्फ प्रतिवेदन पास करने तो नहीं बैठे हैं यह भी हमारा इम्पार्टेन्ट काम है ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, आपने जो स्थगन प्रस्ताव दिया उसको पढ़कर सुनाऊं. उसमें आपने न तहसील का नाम लिखा, न गांव का नाम लिखा, न सन् लिखा, न महीना कुछ भी नहीं लिखा और आप तो चाहती थी कि मुझे कहने का मौका दिया जाये। मैंने आपको कहने का अवसर दे दिया ।

श्रीमती विद्या पाठक : अध्यक्ष महोदय, मैं उनको 6 बार लिख चुकी हूं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर । चर्चा समाप्त हुई ।

(व्यवधान)

आर्डर आर्डर ।

इतनों को एक साथ नहीं सुन सकता । मैं नाम पुकारता हूं ।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज ।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से पांच छः बार बैठ चुकी हूं......

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, मैं अगला विषय ले लेता हूं ।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया था कि ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर......

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री महाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही कम बोलता हूं। जो ज्यादा बोलते हैं उनको बोलने दिया जाता है......

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव ऐसा है कि....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । बात तो सुन लीजिए। यह बच्चों वाली क्या बात कर रहे हैं ? मैं एक एक को इजाजत दे सकता हूं । इजाजत एक को दूं, तो पांच खड़े हो जायें फिर किस तरह से इसको मैनेज करूं ? भाषण नहीं होंगे । पहले अपना विषय बतायें, उस पर निर्णय दूंगा, तत्पश्चात् इजाजत दूंगा तो बोलने दूंगा ।

श्री हीरालाल आर्य !

(श्री अध्यक्ष)

मैं बोलने की इजाजत नहीं दे रहा हूं। आप क्या कहना चाहते हैं यह जानना चाहता हूं।

श्री हीरालाल आर्य : ....कोटा में पुलिस के द्वारा छात्रों पर और शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं उसके लिए स्थगन प्रस्ताव दिया था......

श्री अध्यक्ष : कब दिया था ? आज दिया था ?

श्री दाऊदयाल जोशी (दी गोद): अध्यक्ष महोदय, मैंने भी इस संबंध में आज से दस दिन पहले एक स्थगन प्रस्ताव दिया था....

श्री अध्यक्ष : उसको सरकार की जानकारी के लिये भेजा है।

श्री दाऊदयाल जोशी : 10 दिन पहले भी जानकारी के लिये भेजा था।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य इस पर इजाजत नहीं दूंगा। श्री बंसीलाल पटवा।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं जरा एक सबमिट कह दूं....

श्री अध्यक्ष : नहीं, मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आपको परम्पराओं की याद दिला रहा हूं....

श्री दाऊदयाल जोशी : दस दिन पहले भी जानकारी के लिए भेजा, और आज भी.

श्री अध्यक्ष : श्री बंसीलाल पटवा—आप पहले अपना विषय बतायें।

श्री बंसीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया था। 21 तारीख की मूर्ति की चोरी के बारे में और आसन की ओर से व्यवस्था दी गयी थी कि कल बोलने की इजाजत दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष : इजाजत दी गयी। दो मिनट का समय।

श्री महाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, आपने कहा था कि जानकारी के लिए भेजा है तो मैं इस सन्दर्भ में अपनी बात बताता हूं..

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज—इतने में तो वह बोल देते।

श्री बंसीलाल पटवा।

श्री बंसीलाल पटवा : माननीय अध्यक्ष महोदय, भीलवाड़ा नगर में जैन दिगम्बर का एक मन्दिर है और बहुत बड़ा मंदिर है और उस मन्दिर की मेवाड़ में काफी ख्याति है। वहां पर एक 80 वर्ष पुरानी चान्दी की मूर्ति, जो बहुत बड़ी मूर्ति थी पिछले सप्ताह चोरी हो गयी। इस चोरी की विधिवत रिपोर्ट दर्ज कराई गई। यह चोरी दिन दहाड़े हुई। दर्शक लोग बैठे थे उनके सामने एक रिक्शे में एक आदमी आया और अन्दर दर्शन करने गया। आदमी बाहर खड़ा रहा और कुछ लोग पूजा में इधर उधर व्यस्त थे और दिन-दहाड़े वह आदमी मूर्ति चुराकर ले गया। पुलिस में रिपोर्ट हुई।

इसी प्रकार से दीगर चोरियां और हुई लेकिन आज दिन तक पुलिस उस मूर्ति का पता नहीं लगा सकी। भीलवाड़ा नगर में जैन दिगम्बर समाज बहुत बड़ा समाज है उसमें इस चोरी के लिए व्यापक रूप से रोष है। निरन्तर वहां पर मौन प्रदर्शन हो रहा है, महिलाओं द्वारा प्रदर्शन हो रहा है,

(श्री बंशीलाल पटवा)

आदमी प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रकार की स्थिति बन गई है कि जल्दी ही उस मूर्ति की चोरी का पता नहीं लगाया जायेगा तो स्थिति कन्ट्रोल से बाहर हो सकती है। तो इस संबंध में मेरा निवेदन है कि वहां पर पुलिस निष्क्रिय होती जा रही है। पिछले सप्ताह वहां एक मोटर साइकिल चोरी हुई उसका एक्सीडेन्ट उदयपुर की किसी सड़क पर हुआ। अखबारों में समाचार था लेकिन पुलिस को पता नहीं कि वह मोटर साइकिल वहां कैसे पहुंच गयी। मैंने जब पुलिस से इसके लिए पूछा तो उन्होंने कहा कि पता लगा रहे हैं। 6025 नम्बर की मोटर साइकिल की चोरी हुई है अखबारों में छपा है इन सब बातों के लिए वहां के लोगों में रोष है। तो इस दृष्टि से जो प्रभारी मंत्री है इस दिशा में ध्यान दें। वहां एडीशनल एस. पी. इस तरह का प्रयत्न करता है लेकिन वहां की कोतवाली निर्जीव हो रही है। इसलिए इस बारे में कुछ प्रबन्ध किये जायें नहीं तो यह जो अपराधों की प्रवृत्ति बढ़ रही है उससे लोगों में रोष बढ़ रहा है।

श्री अध्यक्ष : समाप्त हुआ।

श्री बंशीलाल पटवा : उस मूर्ति का अविलम्ब पता लगाया जाये। नहीं लगाया जायगा तो भीलवाड़ा में स्थिति कन्ट्रोल से बाहर हो सकती है। यह निवेदन करते हुए····

श्री अध्यक्ष : समाप्त हुआ माननीय सदस्य। स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री बंशीलाल पटवा : उस मूर्ति की चोरी का पता लगायें नहीं तो असंतोष बढ़ेगा।

श्री महाराम चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने 15 तारीख को स्थगन प्रस्ताव दिया था जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर जल प्रदाय योजना बन रही है, लाखों रुपयों की बन रही है·····

श्री अध्यक्ष : इस पर····

श्री महाराम चौधरी : राज्य सरकार से आपने जानकारी मंगवाई थी और आज इतने दिन हो गये हैं इसलिए मेरा निवेदन है कि····

श्री अध्यक्ष : आप दो मिनट कहना चाहें तो कह दें।

श्री महाराम चौधरी :....मैं पूरा ही कहना चाहता हूं। राज्य सरकार से आपने जानकारी मांगी है और मेरी समक्ष में जानकारी आ गयी है। इसलिए इसको आज नहीं रखें तो कल जरूर रखायें। यह मेरा नम्र निवेदन है।

पेयजल के संबंध में लाखों रूपया ···

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो। भाषण नहीं होगा।

श्री महाराम चौधरी : X X X

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री महाराम चौधरी : X X X

श्री हीरालाल आर्य : दो मिनट बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष : किस पर ?

श्री हीरालाल आर्य : कोटा के छात्रों के बारे में।

श्री अध्यक्ष : इस समय कोई प्रस्ताव मेरे पास नहीं है। पहले का है तो बाद में मालूम करें।

X X X माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

Page No 66

(66)

(श्री अध्यक्ष)

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। इस तरह से विषय को नहीं आने दूंगा।

श्री सहुराम चौधरी : मुझे आश्वासन दें कि मेरा कल स्थगन प्रस्ताव रख दिया जायेगा ?

श्री अध्यक्ष : कोई आश्वासन नहीं दे सकता।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य मुझे मजबूर होकर नियमों में, कार्यवाही करनी पड़ेगी यह मैं निवेदन कर देता हूं विनम्र निवेदन। इस तरह से बाधा, मैं सहन नहीं करूंगा। माननीय सदस्य जो काम हाथ में लेना है वह उसी कायदे से होगा।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय मेरा एक स्थगन प्रस्ताव था आज।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। श्री जेठमल बरवड़।

श्री दाऊदयाल जोशी : मेरा निवेदन सुन लीजिए साहब। लाखों का मामला है। मजदूरों को चूस, चूस कर खा रहा है, जे.के सिन्थेटिक्स। 6 परसेन्ट बोनस उसने दिया है, यह अहम मसला है। मजदूरों का पैसा है · · ·

श्री अध्यक्ष: आर्डर प्लीज,। अंकित नहो।

श्री दाऊदयाल जोशी : ×××

श्री अध्यक्ष : मैं आपको नाम से संबोधित करूंगा। मेरे पास कोई चारा नहीं है। आर्डर प्लीज।

श्री दाऊदयाल जोशी : मजदूरों का मामला है · · · ·

××× माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री दाऊदयाल जोशी : जे. के. सिन्थेटिक्स का मामला है · · ·

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य आप जानते हैं · · · ·

श्री अध्यक्ष : आर्डर, माननीय सदस्या।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं आपकी आज्ञा से पांच छः बार बैठ चुकी हूं · · ·

श्री अध्यक्ष : यह सब डाइलेटरी टेक्टिक्स हैं · · ·

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने परसों आपसे यह निवेदन किया था जितने स्थगन प्रस्ताव 15 तारीख से लेकर अभी तक आये हैं आपने कम से कम उसमें से 60–70 अब तक राज्य सरकार की जानकारी के लिए भेजे हैं। जब यह आपसे निवेदन किया था और जैसा आपने भी कहा कि कल अन्तिम दिन है, इस सत्र का। तो कम से कम आज और कल इन दो दिनों तक इस प्रकार का एडजस्टमेन्ट हो जाय कि जिन स्थगन प्रस्तावों के उत्तर राज्य सरकार की ओर से नहीं आये हैं उनके ऊपर दो दो मिनट बोलने का समय दे दिया जाये तो इम्पार्टेन्ट बातें सारी आपके सामने और सदन के सामने आ जायें.....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, मैं आपकी बात समझ गया। मैंने पूरी सहानुभूति बरत कर जितने उपयोगी विषय सदन के सामने लिये जा सकते थे उनके महत्व को देखकर सदन के समक्ष लाने की कोशिश की। जो सदन के समक्ष किसी तरह से, नहीं आ सकते

[(श्री अध्यक्ष)]
थे उन पर मैंने दो-दो मिनट बोलने का अवसर दिया। उसके बाद भी आप चाहते हैं कि जितने स्थगन प्रस्ताव आये हैं उन पर दो दो मिनट का समय दूं तो इसका मतलब यह है कि जो कार्य सूची है उन सबको अलग धर कर जो स्थगन प्रस्ताव जिस तरह के हैं जितने आये हैं उन सब को ले लूं पहले यह मंशा है क्या ? ऐसा है, तो मैं इसको वोट पर रख सकता हूं। मुझे जो अधिकार हैं.......

(व्यवधान)

माननीय सदस्या, एक घंटे का समय व्यर्थ में गया है। उसको यदि आप का सहयोग मिलता तो 10 मिनट में निपटा सकता था। दुर्भाग्य यह है कि काम का विषय नहीं आने दिया जाता है। 7 पाइन्ट ऑफ आर्डर उपस्थित किय गये होंगे उसमें से एक भी पाइन्ट आफ आर्डर कानून के नजदीक नहीं था जो कि पाइन्ट ऑफ आर्डर की परिभाषा में आ जाये। अब तो हम यह भी नहीं कह सकते कि माननीय सदस्य नये आये हैं, साल सवा साल उनको हो गया है। मेरा माननीय सदस्यों से निवेदन है कि समय सीमा के अन्दर हमको कार्य करना होता है। प्रश्न का माध्यम कुछ भी हो चाहे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हो, चाहे स्थगन प्रस्ताव का हो, या कोई और का हो। चन्द मसले लेकर हम जांच लेते हैं, ताकि सभी लोग सतर्क हो जायें। इसी दृष्टि से मैं काम करता हूं। जो आपके स्थगन प्रस्ताव आते हैं सरकार के पास इसलिये जाते हैं कि उससे सरकार हलचल में आ जाये। जो नीचे के कर्मचारी हैं, अगर उनकी गलती है वह बड़े अधिकारियों के सामने आ जाय। एक दम से वह ठीक नहीं हो सकती लेकिन उसका निश्चित तौर से असर पड़ता है। इस दृष्टि से आप देखें आपने जितने प्रस्ताव प्रस्तुत किये उन सबका जवाब देना, उन सबका उत्तर देना, जैसा मैंने कहा, सम्भव नहीं है। जितने दिन कार्य के लिये निश्चित किये जाते हैं, उन दिनों में जितना कार्य हो वह हम कर लेते हैं। सभा की कार्यवाही समाप्त हो जाती है तो उसके बाद में जैसे नियमों के अन्दर प्रावधान है उसके अनुसार उन पर स्वतः ही निर्णय हो जाता है या वह स्वतः ही निर्णीत हो जाता है। इसलिये मैं आपसे सहयोग की अपील करता हूं। उसके बाद मैं आपसे कहूंगा कि सभी 50 स्थगन प्रस्ताव हमारे पास विचाराधीन हैं या सरकार के पास ध्यान में लाने के लिये भेजे हैं। उन सब में दो-दो मिनट का समय दिया जाय, जबकि आप जानते हैं कि दो मिनट में कोई भी माननीय सदस्य अपनी बात खत्म नहीं करता। नतीजा यह होगा कि दो दिन उसमें समाप्त हो जायेंगे। इसलिये मेरा निवेदन है कि माननीय सदस्य के पास अगर ऐसा विषय है जो मुझे इस बात की तसल्ली दिला सके कि यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है, वास्तव में इस पर चर्चा हो सकती है तो उसकी मैं इजाजत दे सकता हूं, उसकी जानकारी मंगवा सकता हूं लेकिन सभी प्रश्न इतने महत्वपूर्ण नहीं होते। इसलिए इस बात को मैं यहीं समाप्त करता हूं, अगर आपको कोई कठिनाई है किसी स्थगन प्रस्ताव के बारे में आप कृपा करके मुझसे मिलें। मेरी कोशिश यही रहती है कि जो मेरे पास स्थगन प्रस्ताव आते हैं, जो लोग उठाते हैं उनको मैं संतुष्ट कर सकूं। कार्य सूची में जो विषय रखे गये हैं, उनका सम्पादन करना है, इसलिए कृपा करके अपना सहयोग दीजिए। इसीलिए मेरा निवेदन है कि इन सबके बावजूद कोई कठिनाई है आप मुझे बतायें ताकि वास्तव में अन्याय

(श्री अध्यक्ष)

हुआ है तो उसको मैं दूर करने की कोशिश करूंगा।

समिति का प्रतिवेदन
अनुसूचित जाति कल्याण समिति 1981-82 का प्रथम व द्वितीय प्रतिवेदन

श्री अध्यक्ष : श्री जेठमल बरवड़।

श्री जेठमल बरवड़ (सभापति, अनुसूचित जाति कल्याण समिति) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अनुसूचित जाति कल्याण समिति 1981-82 के निम्नांकित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं—उच्च जातियों के व्यक्तियों को सार्वजनिक मंदिरों में प्रवेश विषयक और अनुसूचित जाति कल्याण समिति 1976-77 के पांचवे प्रतिवेदन (पंचम विधान सभा में) समाविष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही से संबंधित समिति का प्रथम प्रतिवेदन।

अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को राज्य सरकार द्वारा दिये गये कृषि भूमि आवंटन विषयक अनुसूचित जाति कल्याण समिति 1975-76 के तृतीय प्रतिवेदन, (पंचम विधान सभा, में समाविष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही से सम्बन्धित समिति का द्वितीय प्रतिवेदन, एवम् अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को आवासीय भूखण्डों का आवंटन विषयक अनुसूचित जाति कल्याण समिति, 1975-76 के चतुर्थ प्रतिवेदन (पंचम विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों का सरकार द्वारा की गई कार्यवाही से संबंधित तृतीय प्रतिवेदन !

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

जैसलमेर, बाड़मेर जिले में 3000 वर्ग मील के क्षेत्रफल में राष्ट्रीय मरु उद्यान की स्थापना

श्री अध्यक्ष : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव श्री अमीन खां, श्री चन्द्रवीर सिंह, सदस्य, विधान सभा, जैसलमेर, बाड़मेर जिलों के तीन हजार वर्गमील के क्षेत्रफल में राष्ट्रीय मरु उद्यान की स्थापना से उत्पन्न स्थिति की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

श्री अमीन खां : अध्यक्ष महोदय, तारीख 8-7-81 के दिन जिलाधीश, बाड़मेर की एक उद्घोषणा से प्रभावित गांव है शिव तहसील के हरसाना, राणासेरा, चैताडी, बन्दरा, डवरा, रोड़ड़ी, सुन्दरा, मदसुरा और जशुदा। गांव यह है जैसे हरसाना, जतूनी, डवरा, सुंदरा, जतसना और मदसुरा मगर इस में बसी बस्तियां करीब 140 हैं और इनकी आबादी करीब 25,000 की हैं। यह एरिया राजस्थान का सबसे बड़ा पशु पालक एरिया है जहां पांच बस्तियों में करीब साठ हजार मवेशी रहते हैं। उन मवेशियों में विशेषकर गाय, ऊंट और भेड़-बकरियां रहती हैं। वहां पर यह उद्घोषणा कलेक्टर द्वारा करने के बाद हम सारे जन प्रतिनिधि और दूसरे लोग भयभीत हो गये हैं। वहां के रेवेन्यू आफिसर से पूछा गया कि इस उद्घोषणा का मतलब क्या है? वहां के रेवेन्यू आफिसर ने बताया कि यहां के लोगों के खेत खत्म कर दिये जायेंगे, पंचायत में आबादी की भूमि स्कूल और पुलिस थाने तक को भी यहां से हटाया जायेगा। उसके बाद में कुछ लोगों द्वारा लोगों को डराया गया कि गांव गांव खाली कर दिये जायेंगे, रास्ते बन्द कर दिये जायेंगे और पंचायत की भूमि जो 72 में दी गई है पशुओं के लिये वह भी बंद कर दी जायेगी। इसके लिये कोई भी सहारा नहीं है, सहारा केवल हाई कोर्ट का है जिसके बारे में कुछ वकीलों ने एरिया में करीब बीस हजार रुपये का चन्दा

(श्री अमीन खां)

भी कर दिया। हाईकोर्ट का सहारा ही बताते हैं। मैं खुद इन गांवों में गांव-गांव घूमा। मैंने उन गांवों में जाकर के वहां के पशुपालकों को यह आश्वासन दिया कि मुझे भी अभी तक मालूम नहीं और कानून की बात मुझे पता नहीं, उसके लागू होने से क्या असर पड़ेगा, लेकिन राजस्व मंत्री से वन मंत्री से, मुख्य मंत्री से मिलकर आपको जवाब दूंगा कि गांव खाली हो रहे हैं कि नहीं। उसके बाद मैं खुद डेजर्ट नेशनल पार्क के डायरेक्टर, जो जैसलमेर में रहते हैं, मिस्टर कपूर से मिला। उन्होंने मुझे यह जुबानी आश्वासन दिया कि कोई भी गांव को खाली नहीं किया जायेगा और कोई भी मार्ग बंद नहीं किया जायेगा, लेकिन बाड़मेर कलेक्टर ने मुझे को कहा कि आप स्पष्ट रूप से हमसे पूछेंगे तब तो हम कहेंगे कि कोई गांव खाली नहीं किया जायेगा लेकिन अगर घर में पूछते हैं तो जो 1973 का सेन्ट्रल एक्ट है, . . .

(म. प 1.06)

(श्री अहमद बख्शसिंघी, उपाध्यक्ष, पदासीन)

उपाध्यक्ष महोदय, उसमें कुछ भी नहीं है, मैं समझता हूं, या तो रेवेन्यू मिनिस्टर अध्ययन करें या वन मंत्री करें, कलेक्टर जैसलमेर का कहना है कि इसमें आदमी भी प्रवेश नहीं कर सकता। इस एक्ट से लागू हो गया है कि खातेदारी खत्म हो जायेगी, पंचायत अधिकार खत्म हो जायेगा वह अपनी मर्जी से परमिट देंगे कि अन्दर जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। कलेक्टर जैसलमेर ने यह भी कहा है कि इसमें सिर्फ दो आदमियों का हमारे पास ऐतराज है बाकी की खातेदारी को खत्म कर सकते हैं। उसके बाद हम मजबूर होकर हाई कोर्ट आये। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाना पड़ा है। कानूनी प्रक्रिया क्या है, यह तो मंत्री महोदय समझते हैं, मैं तो कोई जान-बूझकर नहीं कहता और एक अनपढ़ आदमी हूं। मैं कानून के बारे में कुछ नहीं समझता हूं। मंत्री महोदय से मैं यह आशा करता हूं कि शिव तहसील में खालसा की गई जो सरकारी भूमि है, जो वन विभाग के अन्दर आई हुई भूमि है उस पर अगर डेजर्ट नेशनल पार्क बनाया जाता है और कितना भी विकास किया जाता है तो हम उसका स्वागत करते हैं। मगर जो पशुपालक वहां रहते हैं, उन पशुपालकों के रहने की आबादी की जमीन, उनके ओरन, गोचर की जमीन, उनके आने जाने के सार्वजनिक रास्तों की जमीन उन किसानों के खातेदारी की जमीन को सेन्ट्रल एक्ट लागू करके खत्म कर दिया जायेगा तो हमारे लिये इससे अधिक कोई बड़ा जुल्म नहीं कहा जा सकता है। इसलिये मैं मंत्री महोदय से चाहता हूं कानून के अनुसार वहां के लोगों को क्या भय बताते हैं? हाई कोर्ट का सहारा बताकर इस भयंकर अकाल में 30 हजार रुपया वकीलों ने चन्दा कर लिया है और यह कहा है कि सरकार 140 गांवों को खाली करा देगी अगर हाई कोर्ट से स्टे नहीं करायेंगे क्योंकि इस एक्ट के लागू होने के बाद यहां की आबादी तमाम खतम कर देगी।

इसके बाद भूतपूर्व जिलाधीश, श्री सत्य नारायण सिंह ने एक पीले पन्ने पर अपील भी निकाली, उस अपील में तो क्लियर लिखा हुआ है कि किसी भी आदमी को डरने की कोई जरूरत नहीं है। कोई गांव खाली नहीं होगा,

(श्री अमीन खां)

कोई गोचर समाप्त नहीं की जायेगी और कोई रास्ते बन्द नहीं किये जायेंगें। मगर जलाधीश, जैसलमेर से मैं वह पत्ना लेकर मिला तो जिलाधीश, जैसलमेर ने कहा कि इस पत्रे का पब्लिकेशन भूतपूर्व जिलाधीश ने किया है उसका कोई भी हमारे रिकार्ड में इन्द्राज नहीं है इसलिये मैं इस अपील के बारे में कुछ नहीं कह सकता हूं। इससे मुझे और ज्यादा शक हुआ कि वास्तव में जिस तरह जो वकील लोग कहते हैं कि ये जमीन ले रहे हैं वह खतम हो जायेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे इलाके में पशुओं के बिना इन्सान एक दिन भी नहीं रह सकता है और न रहने का उसके पास कोई जरिया है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारा एरिया इतना शान्त है। लड़ाई के वक्त भी कितनी बड़ी आफत आती है, दूसरे विभागों से भी आफतें आती हैं। तो यह तो कोई नहीं किया जाता कि हमारे वहां के लोग कोई झगड़ा नहीं कर सकते हैं या किसी से लड़ाई नहीं करते हैं। इसलिये जो खालसा पड़ी हुई जमीन है, जो पशुओं के चरने की जमीन है वही कब्जे में नहीं की जाये तो यह हमारे साथ न्याय नहीं अन्याय होगा।

दूसरा, मैं निवेदन करना चाहता हूं, जो डेजर्ट नेशनल पार्क है उसमें कहते हैं कोई चिड़ियाओं और पक्षियों की रक्षा की जायेगी। तारबन्दी जमीन पर की जायेगी। पक्षी तो जमीन के ऊपर उड़ जाते हैं। कहां-वहां पक्षी कायम हैं? तारबन्दी से यह जरूर नुकसान होगा कि गायें उसमें नहीं घुस सकती हैं, बकरी उसमें नहीं घुस सकती हैं, आदमी उसमें नहीं जा सकता है, कोई जानवर उसमें नहीं घुस सकता है। तो मेरा निवेदन है कि चिड़ियाओं को रोक कर, जहां इन्सान को पीने का पानी भी नहीं मिलता है, वहां क्या कर सकते हैं? हमको तो लोगों ने यह बताया। हमारी भी समझ में नहीं आता है कि विदेशी लोग जो धन्ना सेठ होते हैं, जिनको घूमने का शौक होता है और जिनके घर पर बैठे कार्य हो जाते हैं कोई जब वे इस तरह से निकलते हैं। उन लोगों की सुविधा की जाती है तो हम लोग, पशुपालकों के साथ अन्याय तो कम से कम नहीं किया जाये। यह तो रेवेन्यू मिनिस्टर ही गारन्टी दें कि जो खातेदारी हकूक हैं वे खत्म नहीं किये जायेंगे तो हम तहे-दिल से खुश होंगे। अधिनियम, केन्द्रीय अधिनियम 53 की धारा 35 की उप-धारा (1) के तहत कहते हैं वहां खातेदारी की कोई भी चीज है वह सब खत्म हो जायेगी और उन लोगों को निकाल दिया जायेगा।

डेजर्ट नेशनल पार्क के डायरेक्टर ने कहा है कि हम लिखकर तो कुछ नहीं दे सकते हैं लेकिन यह स्कीम हम अपने दफ्तर में बता सकते हैं। जो स्कीम हमने बनाई है, वह हम बता सकते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि जो लोग पाकिस्तान गये हैं उनकी 1965 की जो जमीन खालसा की गई है वहें जमीनें सरकारी जमीन है, उस सरकारी जमीन पर चाहे कितना भी डवलपमेंट करें। डेजर्ट नेशनल पार्क के लिये आप कहते हैं कि लोगों के हक में है तो हम स्वागत करते हैं। मगर यह नहीं करें, हमारे यहां बाहर से भी लोग आकर बैठते हैं। पशुपालक अगर बाहर से आते हैं तो हमारे पास सिवाय इसके कोई दूसरी जगह नहीं है, डेजर्ट नेशनल पार्क से कोई मुसीबत पैदा कर देंगे और हिन्दुस्तान भर में रहने की

(श्री अमीन खाँ)

कोई जगह नहीं देंगे तो हम बर्बाद हो जायेंगे। इसलिये मैं मंत्री महोदय से चाहता हूं, रेवेन्यू मिनिस्टर से चाहता हूं कानून में क्या है जिससे वास्तव में वहां के लोगों को भय है और कहते हैं हाई कोर्ट के अलावा कोई इलाज नहीं है, राजस्थान भी कोई कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि यह सेन्ट्रल का मामला है। तो, मैं यह निवेदन करूंगा सेन्ट्रल की सरकार भी जन प्रतिनिधियों के द्वारा चुनी हुई सरकार है और सेन्ट्रल की सरकार का विश्वास राज्य सरकार पर है और राज्य सरकार का विश्वास सेन्ट्रल पर होता है। यह कोई अलग चीज नहीं है। सेन्ट्रल में भी अगर कोई ऐसा है तो राज्य सरकार का फर्ज है कि इतने हजारों आदमियों को बचाने के लिये कोई रास्ता निकालेंगे। मैं ज्यादा कुछ नहीं समझता हूं क्योंकि मंत्री हमारे दोनों वहां के है। परसराम जी हैं उनको भी मालूम है, हमें तसल्ली देंगे। इतना ही कह कर मैं समाप्त करता हूं। जो समय दिया, उसके लिये धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : वन मंत्री जी एक वक्तव्य देंगे।

श्री चन्द्रवीर सिंह (जैसलमेर) : मेरा भी उपाध्यक्ष है, महोदय....

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इजाजत देंगे।

श्री गोविन्दसिंह गूर्जर (राज्य मंत्री, वन) : आप सवाल पूछ लें।

एक माननीय सदस्य : ध्यानाकर्षण तो कर दें।

श्री चन्द्रवीरसिंह : जैसलमेर का इलाका·······

श्री उपाध्यक्ष : जैसलमेर का इलाका है भाई।

श्री चन्द्रवीरसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसलमेर और बाड़मेर का इलाका कैटल बेस्ड इकानामी पर आधारित है यह हकीकत है कि माननीय मंत्री महोदय या अन्य संस्थाएं जो नेशनल डेजर्ट पार्क की स्थापना करने जा रही है, वे इस अधिकार से मुक्त है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस जिले में कैटल बेस्ड इकानामी का सबसे बड़ा कारण यह है कि एक बड़े भारी भू-भाग में पशु चारा उपलब्ध है। क्योंकि खेती नहीं होती है - आम तौर से खुले पशु चरते हैं इसलिए मवेशियों की इकानामिक वायबिलिटी है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसलमेर जिले में उत्तर भारत की फील्ड फायरिंग रेन्ज बनी हुई है जिसमें एयर फोर्स, आर्मी, कैवेलरी, इनफेन्टरी इत्यादि वहां पर प्रेक्टिस करती हैं। इस फील्ड फायरिंग रेन्ज में अपना पहला परमाणु विस्फोट हुआ। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस फील्ड फायरिंग रेन्ज के बनने से जैसलमेर इलाके की हजारों एकड़ जमीन, हजारों वर्ग मील का एरिया इस फील्ड फायरिंग में चला गया। इसके बाद, उपाध्यक्ष महोदय, जगह जगह वन विभाग ने तारबन्दी कर दी, जगह जगह एरिड जोन की तारबन्दी हो गई और अब होते होते यह हो गया कि जैसलमेर और बाड़मेर में नेशनल डेजर्ट पार्क की स्थापना की जा रही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम इसका स्वागत करते हैं कि वन जीवों को संरक्षण मिलना चाहिए और जो इन-डिजिनस जानवर हैं, चिंगारा आदि इनको संरक्षण मिलना चाहिए लेकिन इस संरक्षण

Page No 72

(72)

(श्री चन्द्रवीरसिंह)

के साथ साथ जो अब एक भय की स्थिति बनने वाली है, उसके बारे में मैं सरकार से निवेदन करूंगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस योजना के अन्तर्गत जैसलमेर के कागा, नीम्बा, बीदा फलेड़ी, दवड़ीपार, महबूब का पार, मतुओं की वस्ती, सम, कनोड जामड़ा, घुलिया, कुमार कोठा, सिपला, वरण तेजसी, खूहड़ी, धोवा, जानरा, छतागर, खारिया, काठा, पूलिया, घाणली, कोरीया, हुदार, दव, वेरसीयाला, सन्तो, तेजारावा, सिहडार और मयाजलार और आस पास के बड़ बड़े गांव भी हैं। अब सबसे बड़ी, उपाध्यक्ष महोदय, जो बाधा उपस्थित हो रही है वह यह है कि एक तो हम इस तारबन्दी के बिलकुल विरुद्ध है एक रिपोर्ट तैयार की है नेशनल डेजर्ट पार्क की उसमें यह लिखते हैं-

"To improve the conditions, it is proposed to fence 13,255 hectares area during the 6th Plan Period at a total cost of 11,440 lakhs."

यह तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, छठीं पंचवर्षीय योजना की बात है आगे की बात नहीं है, इसी पंचवर्षीय योजना की बात है। अब 13, 200 हैक्टेअर में तो इस योजना के अन्तर्गत तारबन्दी कर दी और आने वाले समय में इससे भी ज्यादा हो सकती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो गांव इस नेशनल डेजर्ट पार्क की परिधि में आते हैं उनमें सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि वे लोग अपने मवेशी कहां चराने ले जायेंगे? लोगों का कहना है कि मवेशियों को तो चरने देंगे लेकिन घास नहीं काटने देंगे।

दूसरी समस्या खास तौर से जो उत्पन्न होगी, उपाध्यक्ष महोदय, वह यह होगी कि इस एरिया में से न तो छाना उठाने दिया जायगा, न लकड़ी काटने दी जायेगी, यहां तक कि जो गिरी हुई सूखी लकड़ी होगी उसको भी नहीं उठाने दिया जायेगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप भलीभांति परिचित हैं, जैसलमेर जिले और बाड़मेर जिले में आपकी कोई कुकिंग गैस या घासलेट की व्यवस्था नहीं है लेकिन लोग अपना खाना उसी इंधन से बनाते है अगर उसको उठाने से वंचित किया जयेगा तो, उपाध्यक्ष महोदय, वे खाना बनाने से भी वंचित रह जायेंगे. मेरी समझ में नहीं आता कि इस तरह जो बड़ी योजना बनायी गयी है, जो एरिया जैसलमेर और बाड़मेर का लिया गया है इसमें जैसलमेर में 21 बड़े गांव हैं, ढाणी अलग है, उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से बाड़मेर में 9 बड़े गांव हैं, ढाणी अलग है, उसमें रहने वाले लोगों का क्या होगा, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से 3-4 बातें स्पष्ट पूछना चाहता हूं। सर्वप्रथम तो पूछना चाहूंगा कि जिन लोगों के यहां खेत आते हैं, क्या उनको खेती से रोक दिया जायेगा? दूसरा प्रश्न है, उपाध्यक्ष महोदय, कि जो लोग अपने मवेशी इस एरिया में चराते हैं क्या उनको भी रोक दिया जायेगा ? तीसरा प्रश्न मेरा यह है, उपाध्यक्ष महोदय, कि वहां से ईंधन उपलब्ध करके जो लोग रोटी, खाना बनाने का ईंतजाम करते है, क्या उनको रोक दिया जायेगा ? यदि हां, तो मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि सेन्टर से मिलकर इस योजना को परिवर्तित करिये और अपनी जो जियोगरोफी कल कन्डीशन्स है, उनके अनुरूप इस योजना का प्लान बनाया जाय, बनायें ।

Page No 73

(73)

श्री उपाध्यक्ष : श्री वन मन्त्री वक्तव्य देंगे।

श्री अमीन खां : वित्त मन्त्री का भी वक्तव्य.....

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (राज्य मंत्री वन) : आदरणीय उपाध्यक्ष जी, आपकी आज्ञा की पालना, में मैं निम्न वक्तव्य देता हूं :- राष्ट्रीय मरु उद्यान में सम्मिलित क्षेत्र थार मरु क्षेत्र. .

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : जोर से बोलिये।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (राज्य मंत्री, वन): माईक खोलें ।

राष्ट्रीय मरु उद्यान में सम्मिलित क्षेत्र थार मरु क्षेत्र के अलौकिक परिस्थितिक पद्यति का प्रतीक है। 18 करोड़ वर्ष पुराने काष्ठ जीवाश्म (वुड फोसिल्स) एवं अनेकानेक प्रकार के समुद्रीय जीवाश्म इस क्षेत्र की विशेषता है। अनूठी वन संपदा के क्षेत्र होने के साथ ही विभिन्न प्रजाति के वन्य जीवों एवं पक्षियों जिनमें लुप्त प्राय: गोडावन (ग्रेट इण्डियन बस्टर्ड), चिकारा, मरु बिल्ली, मरु लोमड़ी, सांडा व मरु मछली (लैंड फिश) भी सम्मिलित है, का भी यह क्षेत्र आश्रय स्थल है। शीतकाल में सुदूर विदेशों से तिलोर के अतिरिक्त विभिन्न प्रजाति के बाज व शिकेरे भी विचरण हेतु आते हैं। उक्त आधार पर राष्ट्रीय कृषि आयोग के अभिस्ताव व भारतीय वन्य जीव मण्डल तथा वन्य जीव संरक्षण विशेषज्ञ समिति, 1977 के अभिस्ताव पर राजस्थान के पश्चिमी भाग स्थिति मरु क्षेत्र में एक सुरक्षित क्षेत्र की स्थापना का कार्यक्रम हाथ में लिया गया था। केन्द्रीय सरकार द्वारा छठी पंचवर्षीय योजना काल के लिए कुल रु.247 लाख की धनराशि इस योजना हेतु स्वीकृत की जा चुकी है।

केन्द्रीय सरकार के कृषि एवं सुरक्षा मंत्रालयों के अनुमोदन के पश्चात् जैसलमेर व बाड़मेर जिलों का कुल 3162 किलो मीटर भू-क्षेत्र का उक्त कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु चयन किया गया है, इसमें से प्रस्तावित राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्र करीब 10 प्रतिशत भाग ही होगा।

मरु उद्यान के उपरोक्त वर्णित क्षेत्र को वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की धारा 18 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा एक अभयारण्य (सेन्चुरी) घोषित किया जा चुका है। मरु उद्यान के क्षेत्र में पाये जाने वाले वन्य जीवों के संरक्षण, प्रचारण एवं उनके विकास व पर्यावरण के प्रयोजनार्थ उसके परिस्थितिक प्राणी जातीय, वनस्पति, भू-संरचना तथा प्राणी विज्ञान संबंधी सहयोजन और महत्व के कारण उसे एक राष्ट्रीय उद्यान (नेशनल पार्क) के रूप में गठित करने के अपने आशय की घोषणा राज्य सरकार द्वारा वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की धारा 35 (1) के अन्तर्गत दिनांक 8-5-81 को जारी की गयी है। राज्य सरकार के उक्त आशय की घोषणा के अनुपालन में जिलाधीश, बाड़मेर एवं जिलाधीश, जैसलमेर द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 21 के अन्तर्गत उद्घोषणा जारी कर नियमानुसार जांच कार्यवाही की जावेगी जिसके समक्ष संबंधित व्यक्ति द्वारा अपना लिखित क्लेम व आपत्ति पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है और ऐसे प्रत्येक क्लेम के सम्बन्ध में उनके द्वारा निर्णय किया जावेगा ।

Page No 74

(74)

(श्री गोविन्दसिंह गुर्जर)

मरु उद्यान का कुछ भाग, जहां लुप्त प्रायः वन्य जीव समूहों में पाये जाते हैं व उनका प्रजनन होता है, उसे राष्ट्रीय मरू उद्यान के रूप में घोषित करने की योजना है। उपरोक्त प्रजाति के लुप्त प्रायः वन्य जीवों के प्रजनन क्षेत्र एवं पर्यावरण के प्रतीक क्षेत्र मुख्यतः मगरा भूमि एवं टीले हैं, जो कि गैर मुमकिन राजकीय सिवाय चक भूमि है तथा उक्त क्षेत्र घास के उत्पादन की दृष्टि से भी न्यूनतम वर्ग में आता है। इन क्षेत्रों में सामान्यतः आबादी का अभाव है। मरु उद्यान के कुछ भाग को परिसीमित क्षेत्र में लेकर उपरोक्त अधिनियम की धारा 35 के अन्तर्गत राष्ट्रीय उद्यान (नेशनल पार्क) का स्तर दिये जाने का राज्य सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है जिसका क्षेत्रफल मरु उद्यान अर्थात् अभयारण्य के कुल क्षेत्रफल का 10 प्रतिशत के करीब होने की सम्भावना है। राष्ट्रीय उद्योग के प्रस्तावित क्षेत्र के बाहर ही आबादी क्षेत्र, गोचर भूमि व काश्त की भूमि को रखे जाने की हर सम्भव चेष्टा की जायेगी एवं राष्ट्रीय उद्यान अथवा परिसीमित क्षेत्र के बाहर के क्षेत्र को अभयारण्य के रूप में ही रखा जावेगा। राष्ट्रीय उद्यान के बाहर के अभयारण्य क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों को अपने परम्परागत निवास, प्रवेशाधिकार, अभिधारित अधिकार, सम्पत्ति अधिकार के प्रयोग में एवं अपनी मवेशी को चराई में भी किसी व्यवधान उत्पन्न होने की संभावना नहीं है। जहां तक बाड़मेर जिले की शिव तहसील के ग्राम हरसानी, गिराब, डावड, बंधड़ा, सूदड़ा, मैदूसर और जैसिंधार का प्रश्न है, इन ग्रामों की आबादी प्रस्तावित राष्ट्रीय मरु उद्यान अर्थात् नेशनल पार्क के बाहर ही रखे जाने का राज्य सरकार का आशय है। उपरोक्त ग्रामों का कुछ क्षेत्र, जो कि अधिकतर सिवाय चक भूमि है व सामान्यतः आबादी रहित है, प्रस्तावित राष्ट्रीय मरु उद्यान की परिसीमा के अन्दर रखने का राज्य सरकार का विचार है, क्योंकि इन क्षेत्रों में वन्य जीव बहुतायत में पाये जाते हैं और उनका संरक्षण अति आवश्यक है।

मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य महोदय की जो शंका थी, वह इस वक्तव्य के बाद स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।

(व्यवधान)

मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा।

श्री चन्द्रवीर सिंह : ज्यादा समय नहीं ...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : आपने जो मुख्यतः....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, जो मुद्दे, मंत्री महोदय सुनिये, जो मुद्दे अमीनखां और चन्द्रवीर सिंह ने उठाये हैं, उनका जवाब दीजिए।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : उन्हीं का जवाब दूंगा।

श्री अमीन खां : ये जो आपने एतराज मांगे हैं, खातेदारों के एतराज पर, 20 हजार एतराज का कलेक्टर फैसला कर सकता है? जिनका राइट है, जिनके एतराज आये हैं, उनका राइट आया है, जो नहीं आये; वहां कोई एतराज ही नहीं है। 20 हजार काश्तकारों के एतराज कलेक्टर के दफ्तर में आये हैं...

श्री उपाध्यक्ष : उत्तर सुनिये।

Page No 75

(75)

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : माननीय सदस्य ने जो एतराज उठाये हैं, उनके सम्बन्ध में बताना चाहूंगा, कुछ गांव जो बाड़मेर की शिव तहसील के हैं ये आबादी भूमि के हैं, उनको नहीं लिया जायेगा । जहां तक जैसलमेर का सवाल है, उसका भी एक गांव आबादी का इसमें शामिल नहीं किया गया है और जो आप बता रहे हैं...

(व्यवधान)

जरा सुन लीजिए, आप मुगालता कर रहे थे एक तो अभयारण्य, सैंक्चुरी होती है, सैंक्चुरी आपके यहां है, पहले से घोषित है और उसमें आपको कोई तकलीफ, मेरे ख्याल से, अभी नहीं होगी । आपके जितने अधिकार हैं व सुरक्षित रहेंगे । ये जो नेशनल पार्क बनाया जा रहा है, यह केवल तीन सौ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में होगा, उसका ज्यादा क्षेत्र पाकिस्तान से 20....

श्री चन्द्रवीर सिंह : 3 हजार ।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : 3 हजार तो सैंक्चुरी है, जो कायम है और जिसे आप अच्छी तरह से उपयोग कर रहे हैं । आगे जब नेशनल पार्क होगा उसका एरिया केवल तीन सौ वर्ग किलोमीटर है जो कि मुख्यतः पाकिस्तान की जो बाउण्ड्री है उससे 20 किलोमीटर इधर की तरफ है । इसमें कोई आबादी नहीं है । यह निश्चित मानिये, मैं आपको यह सदन के फ्लोर पर घोषणा कर रहा हूं ।

दूसरी बात, जो आपके अधिकार हैं, उनके ऊपर कोई कुठाराघात नहीं होगा। उस क्षेत्र में केवल जहां नेशनल पार्क घोषित किया जाएगा वह क्षेत्र केवल तीन सौ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है । उसमें इन चीजों को अक्षुण रखने के लिए यह किया जायगा । जो कि सारे देश की ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की बहुत बड़ी सम्पदा है । क्योंकि आगे जाकर जिस तरह से सभ्यता डेवलप होगी उसके लिये इस क्षेत्र को इस तरह से रखा जाएगा ताकि लोग बाग यह महसूस कर सकें, जब राजस्थान कैनाल वगैरह आपके क्षेत्र में आएगी तो इस तरह का अनूठा क्षेत्र होगा जो देखने लायक होगा कि कभी हजारों हजारों साल पहले इस तरह की सभ्यता यहां थी । इसका केवल मकसद यही है । आपका कोई चरागाह नहीं रोका जाएगा, आपके आने जाने का कोई रास्ता नहीं रोका जाएगा । आपकी आबादी के क्षेत्र को नहीं लिया जाएगा और आपके जो दूसरे अधिकार हैं लकड़ी वगैरह के उन पर भी कोई अंकुश नहीं लगाया जाएगा । केवल आपको एतराज प्रस्तुत करना है उन क्षेत्रों के लिये जो तीन सौ किलोमीटर में मैंने बताये हैं । मैं निवेदन करूंगा कि हमारे अधिकारियों को मैंने निर्देश दे दिये हैं वे आपको नक्शे दे देंगे ताकि आप पूरी तरह से जान सकें । जहां तक मैंने नक्शे देखे हैं और मैंने जानकारी हासिल की है कोई आबादी उसमें नहीं आती है । इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय सदस्यों की शंकायें इसके बाद समाप्त हो जाएगी ।

श्री अमीन खां : माननीय मंत्री महोदय यह बतायें कि.....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिना अनुमति के कोई सवाल नहीं किया जावे ।

श्री चन्द्रवीर सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शिव से आने वाले माननीय सदस्य एक चीज नहीं समझ पाये, वह यह है

(श्री चन्द्रवीर सिंह)
कि माननीय मंत्री महोदय ने फर्माया है कि वह 18 मिलियन ईयर ओल्ड फोसिल्स इत्यादि जो नेशनल डेजर्ट पार्क में आते हैं उनको सुरक्षित रखा गया है। एक उसका सत्य यह भी है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसकी रिपोर्ट का, आपकी अगर अनुमति हो तो मैं एक पैरा पढ़ देता हूं। यह महत्वपूर्ण है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि यह सवाल केवल तीन हजार वर्ग मील का नहीं है। बहुत बड़ा एरिया इसमें आएगा। माननीय मंत्री महोदय, आप.....

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : यह आपका मुगालता है।

श्री उपाध्यक्ष : यह माननीय सदस्य को जानकारी होनी चाहिए कि यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है और इस पर वाद-विवाद का प्रश्न नहीं है।

श्री चन्द्रवीर सिंह : मैं वाद-विवाद नहीं कर रहा हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। मैं परटीनेंट प्रश्न पूछ रहा हूं। मैं प्रश्न पूछ रहा हूं......

श्री उपाध्यक्ष : आप सवाल कर लीजिये।

श्री चन्द्रवीर सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न पूछने के लिये मंत्री महोदय को बताना तो पड़ेगा। माननीय सदस्य शिव से आने वाले हैं, वे सुनें . . . .

"Nine settled units of rare importance will also be taken up......"

मंत्री महोदय ध्यान से सुनें।

"Nine settled units of rare importance will also be taken up for protection under the umbrella of the Desert National Park Wood Fossil Park, Akal, located at 15 KM from Jaisalmer on the Jaisalmer-Barmer road......"

माननीय बाड़मेर से आने वाले सदस्य सुनें।

"..as exposed wood fossils of tree trunks which are 18 million years old. These are being developed and protected. Other eight areas at Dhorimanna, Ramdeora, Dajatra, Ujlan, Kalu, Fitkashee, Pachola, Sidda and Sanchore have a good concentration of Chinkara great Indian bustard and black buck. Dhorimanna area can boast of a Nature's rare freek of Albino Chinkara. Adquate precautions and development operations will be undertaken in these areas also."

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि यह आपने अभी-अभी यहां बताया....

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : उसमें आबादी ज्यादा है क्या ?

(व्यवधान)

श्री चन्द्रवीर सिंह : आपने अभी-अभी जो तीन हजार.....

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, मंत्री महोदय का बयान स्पष्ट है। अब कोई वाद-विवाद का सवाल नहीं है।

श्री चन्द्रवीर सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वाद-विवाद नहीं है, बड़ा इम्पोर्टेन्ट

(श्री चन्द्रवीर सिंह)

प्रश्न है । Sir, It is a very important question । तीन हजार वर्ग मील के अलावा क्या यह एरिया जो जैसलमेर और बाडमेर क्षेत्र में होने वाला है.....

श्री उपाध्यक्ष : बहुत इम्पोर्टेंट है तो आप सवाल उठा सकते हैं । माननीय मंत्री महोदय ने वक्तव्य दे दिया है। मैं उसको पर्याप्त समझता हूं ।

श्री चन्द्रवीर सिंह : यह तो बड़ा परटीनेंट क्वेश्चन है और यह आपने बाड़मेर जिले के सब गांव निकाल दिये यह कहते हुए कि आबादी में.....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय का वक्तव्य प्रिवेल करेगा, यह रिपोर्ट नहीं करेगी ।

श्री चन्द्रवीर सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी अभी माननीय मंत्री महोदय ने फर्माया है कि बाडमेर के वस्ती वाले गांव निकाल दिये गये हैं। तो क्या मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछ सकता हूं कि जैसलमेर के गांव फलेड़ो, जामडा, कनोड, सिपला, बरण, कोरीया, क्या ये आबादी वाले गांव नहीं है, एक सवाल ? दूसरा, माननीय मंत्री महोदय ने यह फर्माया कि बीस किलोमीटर, पाकिस्तान से दूर रखा जाएगा । माननीय उपाध्यक्ष महोदय...

श्रीमती कमला (कृषि मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की जानकारी के लिए मैं कुछ स्पष्टीकरण करना चाहूंगी।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (कोटा): पहले सवाल तो पूरा होने दें ।

श्री उपाध्यक्ष : वे समझ गई हैं ।

श्रीमती कमला : समझ गई हूं जो कहना चाहते हैं । काफी डिस्कस हुआ है । यह जो नेशनल डेजर्ट पार्क की योजना है यह स्पेशल स्कीम की योजना है जिसको हम स्पोंसर्ड करते हैं । जब इसको शुरू किया था उस वक्त जैसलमेर के हजारों आदमी गांवों के आए थे जिनको यह शंका थी उनके साथ बैठ कर डिस्कस हुआ था माननीय प्रधान मंत्री जी वहां पर आई थी और ये जो कुछ गांवों के नाम आप ले रहे हैं जिसमें जो बर्ड वगैरह का जिक्र कर रहे हैं धोरीमन्ना वगैरह का, ये सिर्फ लोकल एरियाज में जहां पर कि इस तरह के स्पेसीज आफ एनीमल्स हैं, बर्ड हैं उनको लोकली प्रिजर्व करने के लिए शब्द बर्ड लिखा हुआ है । इसका तात्पर्य यह नहीं है कि वहां तक भी नेशनल पार्क की परिधि है । डेजर्ट पार्क खुली चीज है सिर्फ उस जगह के अलावा.......

श्री उपाध्यक्ष : यह आबादी के अलावा की बात है ।

श्रीमती कमला : जहां पर इस तरह के स्पसीज एनीमल्स, बर्ड्स को प्रिजर्व करने के लिए जरूरी है, उसमें प्रिजर्व किया जायेगा इसके अलावा कई जगहों पर फैंसिंग करने की या बन्द करने का कहीं कोई सवाल नहीं है । यह निश्चित तौर पर, जो माननीय सदस्य बैठने वाले हैं उनसे बात हो चुकी है और उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जो ओरिजिनल रूप रखा है उसी के मुताबिक काम चलेगा । तो आपको इसमें भी ज्यादा शंका करने की जरूरत नहीं है । यह बहुत ही अनोखी, ऐतिहासिक चीज आपके यहां पर बन रही है, जिसमें न पापूलेशन डिस्टर्ब होगी, न कैटल डिस्टर्ब

(श्रीमती कमला)
होगी, न चरागाह की जगह डिस्टर्ब होगी, न आपका रहन सहन डिस्टर्ब होगा सिर्फ उस एरिया के एनीमल्स और बर्ड्स को वहां पर सुरक्षित रखना है । वह सिर्फ सुरक्षित रखना है ।

श्री उपाध्यक्ष : Now, all of you are satisfied.

श्री चन्द्रवीर सिंह : 20 किलोमीटर वाला प्रश्न है । माननीय मंत्री महोदया, पचास पचास किलोमीटर की रेंज में यह पाकिस्तान का बोर्डर आता है......

श्री उपाध्यक्ष : अब अनुमति नहीं दूंगा माननीय सदस्य, आप विराजिये ।

पंचायत समिति, रायपुर पाली के बांसिया ग्राम में वन विकास के नाम पर हुए अपव्यय

श्री भैरूंसिंह गुर्जर, श्री शिवदान सिंह राठौड, श्री गोकुल चन्द शर्मा, श्री माधव सिंह दीवान, प्रक्रिया के नियम 131 के अन्तर्गत पंचायत समिति, रायपुर, पाली के बांसिया ग्राम में वन विकास के नाम पर हुए अपव्यय की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे ।

श्री सुखलाल सेंगवा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन कर रहा था कि जो यह मामला ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिये आया है वह मेरे इलाके से सम्बन्धित है और मैं.....

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : उपाध्यक्षजी, आपने किस को इजाजत दी है ?

श्रीमती कमला : आप इनको बोलने दीजिये ।

श्री सुखलाल सेंगवा : मैं चाहूंगा कि इनके बोलने के बाद में मुझे भी समय दिया जाये ।

श्रीमती कमला: बाद में बोल सकते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष: श्री भैरूंसिंह गुर्जर ।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया के नियम 131 के तहत राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि पाली जिले की पंचायत समिति, रायपुर के बांसिया गांव में गत महीने वन विकास और चरागाह विकास के नाम पर एक आयोजन किया गया । इस आयोजन का आयोजनकर्ता थे पाली जिले के प्रोजेक्ट डायरेक्टर मांगीलाल परिहार, जिन्होंने अपने नाम से निमंत्रण पत्र छपवा कर के सभी सरपंचों, जिला अधिकारियों को बुलाया, जिलाधीश को मुख्य अतिथि बनाया और चरागाह विकास के नाम पर आयोजन किया गया । इस आयोजन का उद्देश्य क्या था, उपाध्यक्ष महोदय, यह तो पता नहीं, लेकिन जहां तक मुझे पता चला है, मैंने जो जानकारी ली है, वहां पर जो 27 क्विन्टल घास चरागाह विकास के अन्दर पैदा की गई थी । वह किसी जिलाधीश महोदय जो नए-नए गए थे, श्री के. एल. मीणा उनको खुश करने के लिए परियोजना निदेशक ने वह घास सरपंच को दिलवाई । मुख्य अतिथि उसमें जिलाधीश जी थे । मुझे कोई एतराज नहीं था इसमें । 27 क्विण्टल घास का मूल्य होता है, बीस रुपये क्विण्टल के हिसाब से 540) रुपया । अब मैं इस ओर ध्यानाकर्षित करता हूं, उपाध्यक्ष महोदय कि इस आयोजन के अन्दर जिले के सभी, अधिकारी गये, सभी पंचायत समितियों के विकास अधिकारी गए, सारे सरपंच गए, सारे जिले की गाड़ियां गईं और ड्राईवर गए ।

Page No 79

(79)

(श्री भैरूंसिंह गुर्जर)

इनको कितना टी. ए., डी. ए. दिया गया? कितना पेट्रोल व्यय हुआ? एक दिन पूरा समय बर्बाद हुआ? यह कुल मिला करके जो 27 क्विण्टल घास दी गई उसका मूल्य तो 540 रुपया हुआ और यह सारा जो आयोजन किया गया उसका कुल खर्चा हुआ 37 हजार रुपया। आप सोचिये, उपाध्यक्ष महोदय, एक जिलाधीश जो नए नए गए थे उनको खुश करने के लिए परियोजना डाइरेक्टर ने 37 हजार रुपये राज कोष से बर्बाद कर दिये। मैं आपसे निवेदन करूं.. उसके अन्दर, माननीय उपाध्यक्षजी, मुख्य अतिथि जिलाधीश महोदय को बनाया गया। 500 लोग सरपंच और अधिकारी कुल मिला कर इकट्ठे हुए। कोई हमें एतराज नहीं है राज्य सरकार इसकी कानूनी जांच करायें कि 37 हजार रुपया क्यों खर्च हुआ?

पांच सौ आदमी इकट्ठे हुए, अब आप देखिये कि राज्य सरकार की ओर से निषेधाज्ञा है कि किसी प्रकार का सामूहिक भोज होता है तो जिला मजिस्ट्रेट रोक लगा कर कानूनी कार्यवाही करते हैं। उसमें जिला मजिस्ट्रेट स्वयं उपस्थित थे। श्री के. एल. मीणा। वहां पांच सौ आदमियों को सामूहिक भोज दिया गया, यह खर्चा अलग से है। पांच सौ आदमियों का सामूहिक भोज हुआ सबने बैठ कर वहां खाना खाया, जिलाधीश ने सबने खाना खाया। मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि वह सारे खाने का पैसा कहां से आया? 37 हजार रुपया तो राजकोष से दे दिया। अब पांच सौ आदमियों के खाने में कई मिठाइयां बनी थी, मीठी चीजें बनी थीं, चरमा बना था, कितना खर्चा हुआ?

एक माननीय सदस्य : आपको नहीं खिलाया गया क्या?

एक माननीय सदस्य : आप को क्या तकलीफ है? आप को नहीं बुलाया?

श्रीमती कमला बेनीवाल : बस इत्तो ही घणो है।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : माननीय उपाध्यक्ष जी, इसकी एवज में यह निमंत्रण-पत्र सब विधायकों को दिया गया था, एक दिन देर से ड्रॉप किया। शायद इसलिये कि पाली जिले के विधायक पहुंच करके इस बात की कानूनी अड़चन न अड़ा दें कि

श्री उपाध्यक्ष : समय का ध्यान रखें, माननीय सदस्य।

एक माननीय सदस्य : बात बहुत इम्पोर्टेन्ट है।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : मैंने मुद्दे की बात कही है।

श्री उपाध्यक्ष : भाषण नहीं। ध्यानाकर्षण में भाषण नहीं हुआ करते हैं।

(व्यवधान)

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : मैं यह निवेदन कर रहा था कि इस संबंध में मैंने एक प्रेस वक्तव्य दिया कि इस प्रकार के आयोजन बन्द किये जायें। 22 जुलाई, 81 के जलते दीप, जो जोधपुर से प्रकाशित होता है, में छपा। जिलाधीश महोदय सारे कानून जानते हैं, उन्होंने अपने एक अदने से क्लर्क को, जिसकी कोई वक्त नहीं है, बुलाकर निर्देश दिया कि कौनसे विधायक ने ऐसा स्टेटमेंट दे दिया है, उसको चिट्ठी लिखो और एक्सपलेनेशन पूछो उस जिलाधीश महोदय ने चिट्ठी लिखवायी वह क्लर्क के हस्ताक्षर से मेरे पास मौजूद है। उस

(श्री भैरूंसिंह गुर्जर)

क्लर्क ने मुझ से व्याख्यात्मक टिप्पणी चाही है, एक्सप्लेनेशन पूछा है कि आपने जो समाचार दिया, किस आधार पर दिया ? मैं निवेदन करूं, एक जिलाधीश प्रशासनिक अधिकारी होता है और एक विधायक जन-प्रतिनिधि होता है। क्या जिलाधीश किसी जन-प्रतिनिधि से इस प्रकार का एक्सप्लेनेशन पूछ सकता है ? मैंने उसके एवज में एक पत्र वापस लिखा कि जिलाधीश महोदय मैंने केवल जानकारी चाही है कि इस आयोजन को आयोजित करने का कारण क्या था। उन्होंने मुझे एक डी. ओ. लिखा जिसमें सारा गोलमाल करके रख दिया, वह डी.ओ. मेरे पास मौजूद है। उपाध्यक्ष जी, वह लिखते हैं कि यह आयोजन किया गया उसमें सरकार की नीतियों से सरपंचों को अवगत कराना था। मेरा निवेदन है कि सरकार की नीतियों से तो साइक्लोस्टाइल करके 25 पैसे के बुक-पोस्ट करते भी तो सारे अवगत हो जाते, इस प्रकार 37 हजार रुपया खर्च करने और 20 हजार रुपये सामूहिक भोज में बिगाड़ देनें, से कोई किसी प्रकार नीतियों से अवगत नहीं होता है।

इसके बाद जिलाधीश महोदय मुझे क्या लिखते हैं, इस संबंध में जानकारी चाहिये तो आप पाली आयें तब मुझ से मिलें। यह कोई जवाब नहीं होता है। उपाध्यक्ष जी, मेरी बात सुनिये......

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है। बस काफी है। आपने ध्यान आकर्षित कर दिया।

(व्यवधान)

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : यह ठीक नहीं, बहुत खराब है। एक जिला मजिस्ट्रेट जिसके कानून कायदे का पता नहीं है, उसको पाली जिले में ले जाकर के बैठा दिया, जिसको यह पता नहीं है कि सामूहिक भोज हो रहा है मैं कानूनी कार्यवाही करूं। जिनको यह पता नहीं है कि सम्मेलन में हजारों का खर्चा हो रहा है उसको मैं रोकूं, उस जिलाधीश को हमारे यहां बैठा रखा है। उसके कारनामों के चिट्टे लम्बे हैं। मैं आपको....

श्री उपाध्यक्ष : यह तरीका और ढूंढिये।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : आप एक मिनट बात सुन लीजिये, बड़ा गंभीर मामला है।

श्री उपाध्यक्ष : कलेक्टर की अगर शिकायत है तो आप दूसरे तरीके से उठायें।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : सरकार को हानि हो रही है। कोर्ट उनको आदेश देता है, कोई स्थगन आदेश देता है जिसकी वह अवहेलना करते हैं। दस-दस दिन बाद....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ध्यान आकर्षित कर दिया, बस काफी है।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : मैं पुरजोर शब्दों में मांग करूंगा कि 37 हजार रुपया कलेक्टर की तनख्वाह में से कटवाया जाये, 20 हजार रुपये का आयोजन हुआ वह कलेक्टर की तनख्वाह में से कटवाया जाये और जिलाधीश ने कानूनी कार्यवाही नहीं की है, उसके खिलाफ में कार्यवाही कर निलम्बित किया जाये। अगर निलम्बित नहीं किया गया तो जन आन्दोलन होगा, यह सारे जन-प्रतिनिधि आन्दोलन करेंगे इस बात का ध्यान रखें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवदानसिंह

श्री शिवदानसिंह राठौड़ (जैतारण) : माननीय उपाध्यक्ष जी मेरा निवेदन है कि इस प्रकार जो गैर कानूनी तरीके से पांच सौ आदमियों का खाना किया गया उसके लिये जो अधिकारी जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ सरकार एक्शन लें और जो पैसा खर्च किया गया है उसको वसूल किया जाये ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोकुलचन्द शर्मा ।

श्री गोकुलचन्द शर्मा (सुमेरपुर) : बाद के अन्दर मैं स्पष्टीकरण पूछूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष: श्री माधवसिंह दीवान ।

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो सरकार का जवाब आने के बाद स्पष्टीकरण करूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं अनुमति नहीं दूंगा । आप कहना चाहें तो कह दीजिये । ध्यान आकर्षित करना है सरकार का तो आप करिये बाद में अनुमति नहीं दूंगा ।

श्री माधवसिंह दीवान : क्यों, कैसे मौका नहीं मिलेगा बाद में आपको मौका देना पड़ेगा । जब आप दूसरों को मौका दे रहे हैं तो हमने क्या अपराध किया है जो बाद में स्पष्टीकरण नहीं कर सकें ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं उचित समझूंगा तो मौका दूंगा ।

श्री माधवसिंह दीवान : हमें तो बाद में मौका चाहिये ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री सुखलाल सैणचा ।

श्री सुखलाल सैणचा : उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा निवेदन है कि जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया गया है इस सदन के अन्दर उस संबंध में मुझे कुछ निवेदन करना है । क्योंकि यह जो वन विकास मेला हुआ था वह मेरे क्षेत्र के ग्राम बांसियां के अन्दर हुआ था और मैं स्वयं उसके अन्दर उपस्थित हुआ था । मैं निवेदन करना चाहता था कि यह प्रोग्राम ग्रामीण जलाऊ लकड़ी और चरागाह विकास योजना के अन्तर्गत किया गया था । तीन चार साल पहले मेरे ग्राम के अन्दर प्रोग्राम किया गया था उस समय 50 बीघा पर इस प्रकार का प्रोग्राम किया गया था वह प्रोग्राम सक्सेस हुआ । उसी आधार पर मेरे पास के ग्राम बांसियां में प्रोग्राम आयोजित हुआ है। वहां 100 बीघा गोचर के अन्दर प्रोग्राम किया गया वहां घास पैदा की गई है । वहां पर मैंने अधिकारियों को बुलाया , मैंने इंट्रेस्ट लिया वही के डी.एफ.ओ. से बात की, जिलाधीश से बात की, उपाध्यक्ष महोदय, और पूरे जिले के सरपंच और प्रतिनिधि आये । उसके बाद करीब 50 गांवों के अन्दर यह प्रोग्राम उन्होंने मंजूर किया । प्रोग्राम का जो इंटेंशन था वह यह था वहां इस प्रकार की हवा फैला दी गई थी अगर इस गोचर के अन्दर इस योजना को वन विभाग वाले लागू करेंगे तो ऐसा होगा राज जमीन जब्त कर लेगा । इस प्रकार का भ्रम लोगों में से निकालने के लिये वहां सम्मेलन बुलाया गया । वहां के ग्रामवासियों से मैंने मिलकर भोजन की व्यवस्था करवायी । मुझे इस बात का दुःख है कि मेरे साथी इस प्रकार के जो विलेजर प्रोग्राम हैं वहां आम जनता के अन्दर किसानों के अन्दर एक बड़ा उत्साह...

श्री भैरोंसिंह गुर्जर : जवाब आप दे रहे हो, यह कोई तरीका नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आप सुनिये।

श्री शिववान सिंह राठौड़ : सम्मेलन से हमारा कोई ऐतराज नहीं है जो पैसा फिजूल खर्च किया गया पांच सौ आदमियों को खाना दिया गया जिसमें अधिकारी मौजूद थे, और कोई विधायक भी जाते हैं तो गैर कानूनी काम है, सरकार को उनके खिलाफ भी कानूनी कार्यवाही करनी चाहिये।

(व्यवधान)

श्री सुखलाल सेंणचा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सारी कायदे की बात कहना चाहता हूं। बांसियां कैम्प का प्रोग्राम है। यहां पर कैम्प किया गया उसकी सारी प्रोग्रेस रिपोर्ट है, आप देख लें। सदन की टेबल पर वह रखना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री शिववान सिंह राठौड़ : मैं यह पूछना चाहता हूं पांच सौ आदमियों का गैर कानूनी खाना हुआ उसमें उन अधिकारियों

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण कीजिये।

(व्यवधान)

श्री सुखलाल सेंणचा : किसी प्रकार का वहां पर अपव्यय नहीं किया गया। किसानों को बुलाकर कायदे की बात वन विकास की बात

श्री शिववान सिंह राठौड़ : किसानों के साथ यह आप गलत करते हो, किसानों का शोषण करते हो।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य कृपया स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री सुखलाल सेंणचा : कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे हम।

श्री भैरोंसिंह गुर्जर : सवाल का जवाब मंत्री महोदय दें। किसानों का ठेकेदार एक आदमी नहीं होता है।

श्रीमती कमला : उपाध्यक्ष महोदय, आप इजाजत दें तो मैं जवाब दूं।

श्री उपाध्यक्ष : वक्तव्य देंगे। कृषि मंत्री।

श्रीमती कमला (कृषि मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस कार्यक्रम और योजना के बाबत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है वह राजस्थान राज्य की एक महत्वपूर्ण योजना है। डी.पी.ए.पी. और डी.डी.पी. के अन्तर्गत मरु क्षेत्रों में विकास करने के लिये बहुत सारी योजनाएं हम चलाते हैं। उसमें मैक्स प्लाण्टेशन प्रोग्राम, स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम भी है, चरागाह विकास कार्यक्रम भी है और सड़कों के किनारे पर प्लाण्टेशन और साथ साथ में जो जलाऊ लकड़ी गांवों में काम आती है वह किस तरह से कौन सी चीज जल्दी पनपने वाली लगाई जाय जिससे लोग डेजर्ट को पनपानेवाली लकड़ी को न काटें, का काम भी है। तो इस तरह के बहुद्देश्यीय कार्यक्रम के साथ डी.पी.ए.पी. के कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं और 10-12 जिलों में काम हो रहा है। आम तौर पर ऐसा माना गया था गांव वालों की

Page No 83

(83)

(श्रीमती कमला)

तरफ से और पंचायतों की तरफ से कि अगर किसी भी गोचर में फारेस्ट डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट का कोई भी विभाग इस तरह से कार्यक्रम करेगा तो क्या पता वह गोचर की जमीन हम को मिले या न मिले उसमें बहुत सारी शंकाएं ग्रामवासियों के मनों में थी। जहां डेजर्ट इलाके नहीं है दूसरे इलाकों में खास तौर से यह शंका चली आती है कि क्या पता गोचर की जमीन हमको मिले या न मिले, इस तरह की बहुत सारी शंकायें होने के बावजूद भी पाली जिले में पिछले वक्त में लगभग 33 ग्राम पंचायतों में इस कार्यक्रम को लिया गया था और उन 33 ग्राम पंचायतों के क्षेत्र में 2 लाख हैक्टेअर जमीन के अन्दर इस तरह के चरागाह विकास, जलाऊ लकड़ी के मैक्स प्लाण्टेशन के तमाम तरह के काम जारी थे और वे काम काफी उपयोगी होने के कारण इस बात को काफी रेस्पान्स गांव में मिला। इस बीच में सरू विकास आयुक्त ने पाली जिले के ग्राम बांसिया का विजिट किया और इस कार्यक्रम की सफलता को देखते हुए इस बात का विचार किया कि इस प्रकार सफलतापूर्वक चल रहे कार्यक्रम को अन्य क्षेत्रों के सरपंचों, विकास अधिकारियों या अन्य लोगों को दिखाया जाय तो उनकी शंकायें भी निकलेंगी कि इस तरह से हमारा गोचर भी कहीं जाता नही और यूजफुल प्लाण्टेशन भी होता है क्योंकि गोचर में जितना भी प्लाण्टेशन किया जाता है उसको घास, फल, सूखी लकड़ी, पत्ते वगैरह जो कुछ भी प्रोड्यूस है वह सब पंचायत की होती है। वे पेड़ काट नहीं सकते जब तक कि विभाग की परमिशन नहीं हो। तो जमीन उनकी है, प्रोड्यूस उनकी होती है आमदनी पंचायत की होती है लेकिन पेड़ विकसित करने के लिये सरकार के मार्ग-दर्शन के मुताबिक चलना पड़ता है। तो इसको ज्यादा से ज्यादा व्यापक करने के लिये इसका अच्छा रेस्पांस हो और लोगों की शंकायें निवारण करने के लिये और यह दिखाने के लिये कि डेजर्ट, बंजर, सूखे एरिया में किस तरह से पेड़ पौधे पनप रहे हैं, यह आयोजन उन्होंने किया। आयोजन में जो लोग आमंत्रित किये गये उनमें जन प्रतिनिधि 123 और सरकारी अधिकारी 24 थे जिसमें फारेस्ट डिपार्टमेंट के लोग भी थे, कुछ जिला अधिकारी भी थे और हमारी पंचायत समितियों के विकास अधिकारी भी थे सरपंचों के अलावा और भी कार्यकर्ता मौके पर आये हों और ज्यादा कार्यकर्त्ता इकट्ठे हुए हों तो यह संख्या 123 और 24 हो सकती है। लेकिन इस कारण से भी कि इसमें बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गये और वहां 500-700 ने एक साथ भोजन किया। वो कायदे में आमंत्रित तो थे नहीं। गांव के लोगों ने अपनी मर्जी से भोजन का आयोजन किया, चूरमा बाटी किया तो इसकी स्वीकृति के लिये भी सरपंच ने जिलाधीश से आवेदन किया और उसकी स्वीकृति उन्होंने दे दी। इसलिये इस कानून का उल्लंघन तो उन्होंने किया नहीं। लेकिन आप कह रहे हैं कि इतने इकट्ठे हुए, इतना सारा खर्चा किया, यह हुआ, वो हुआ। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि इस मेले का परिणाम यह जरूर हुआ कि उसके बाद 55 ग्राम पंचायतों ने प्रस्ताव पारित किये कि हमारे क्षेत्र में भी बांसिया की तरह से चरागाह के विकास कार्यक्रम किया जाये और उसके लिये जो कुछ मदद चाहेंगे, हम देंगे और ज्यादा से ज्यादा इस कार्यक्रम के लिये हम सहयोग देने के लिये

(श्रीमती कमला)
तैयार हैं। इसलिये अगर कुछ 10-20-100 50 आदमी गांव के कार्यकर्ता आ गये और गांव वालों ने अपने खर्चे से चूरमा, दाल, बाटी कर दिया तो हम को ज्यादा आपत्ति नहीं माननी चाहिये। और इसको आगे बढ़ाने में हम सब को मदद करनी चाहिये।

श्री सुखलाल सैणचा : सब्जी रोटी खिलाई थी, चूरमा-दाल-बाटी नहीं ।

श्री गोकुलचन्द शर्मा: उपाध्यक्ष महोदय, जो राज्य सरकार ने जबाब दिया उसमें किसी प्रकार से अधिकारियों के बचाने की बात नहीं है। जो गलती हुई है उसके बारे में हमने ध्यान आकर्षण किया है बल्कि बात तो यह है कि मैं 147 आदमी बताये थे बिलकुल गलत बात है। दूसरा था कि 50 ग्राम पंचायतों द्वारा खर्चा इस आयोजन में किया गया यह बिलकुल गलत बात कही है। मैं सरपंच हूं। मैंने दो बार मेरी ग्राम पंचायत पर 50 बीघा जमीन वन विभाग को यहां पर इस तरह के प्रोग्राम के लिये दी थी जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया गया था प्रोग्राम उसके मुताबिक पंचायत ने प्रस्ताव पास करके दिया है वहां एक पेड़ नहीं लगाया गया वहां पर कोई काम नहीं किया, कोई पेड़ नहीं लगाया और आज एक बांसियां में काम किया, यह मैं जानना चाहता हूं कि बांसियां के अन्दर ही लागू किया गया ? और पंचायतों में क्यों नहीं लागू किया गया मेरी पंचायत ने प्रस्ताव पारित करके भेजा कि यह प्रोग्राम लागू किया जाये, वहां पर एक पेड़ भी नहीं लगाया गया।

श्रीमती कमला : उपाध्यक्ष महोदय, 33 ग्राम पंचायतों में……

श्री उपाध्यक्ष: आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है।

श्री भैरोंसिंह गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सवालों का जवाब दिलाना पड़ेगा…

(व्यवधान)

श्रीमती कमला: खर्चा ज्यादा हुआ इसको ध्यान में रखने की बात तो जरूर है आइन्दा खर्चे को बचाया जाय लेकिन कार्यक्रम उपयोगी नहीं है यह माननीय सदस्यों को नहीं कहना चाहिये क्योंकि और भी 33 पंचायतों में काम चल रहा है। दो लाख हैक्टेअर में काम हुआ है और उसको और आगे बढ़ाने में मदद करनी है। खर्चा ज्यादा हो गया है उसको कितना और बचाना चाहिये यह दूसरी बात है आगे के लिये इस तरह के खर्चे को बचाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष: गांव वालों की यह प्रवृति है खुद भूखा रह जायेंगे, मेहमान को खाना खिलायेंगे।

श्री भैरोंसिंह गुर्जर: उपाध्यक्ष महोदय मेरी बात सुनिये, क्या माननीय मंत्री महोदय इस बात को साबित कर सकती हैं कि जो खाना दिया गया वह गांव वालों ने दिया ? इस बात को साबित कर सकती हैं क्या ?

श्रीमती कमला : साबित इसलिये है कि राज के कोष से पैसा उठाया नहीं तो और कहां से आया ?

श्री भैरोंसिंह गुर्जर: किसी अधिकारी की जेब से गया होगा।

श्रीमती कमला : किस की जेब से ?

श्री उपाध्यक्ष : यह सवालों की अनुमति मैं नहीं दूंगा। माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

श्री माधोसिंह दीवान : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो यह पूछना चाहता हूं कि जो मेला हुआ उसके बाद में अखबारों में छपा कि 500 आदमियों का भोजन हुआ उसकी बैक डेट में कलेक्टर से परमिशन ली, बैक डेट में परमिशन ली गई और दूसरी बात पाली जिले में.,......

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, खुद गांव के रहने वाले हैं और गांव वालों की····

(व्यवधान)

श्री माधवसिंह दीवान : उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात यह है कि श्री मंत्री महोदया ने एक बात कही कि 123 प्रतिनिधि वहां मौजूद थे। वहां सारे सरपंचों को बुलाया गया जो कि 334 होते हैं पूरे जिलों के······

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कीजिये, आसन पांवों पर है।

श्री भैरोंसिह गुर्जर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा, यह नियम में है, हमारे सवालों का जवाब नहीं आया है।

श्री उपाध्यक्ष : आसन पांवों पर है और आप बोले जा रहे हैं। मैं लागू कर दूंगा नियम।

श्री भैरोंसिह गुर्जर : आप दूसरी बात कहने जा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप मुझे सहयोग दीजिये, माननीय सदस्य।

श्री गोकुलचन्द शर्मा : जो बात है उसके तथ्य तो प्रस्तुत करेंगे और जवाब तो लेंगे ना, आप जवाब तो दिलाते नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं व्यवस्था करता हूं बैठिये, बैठिये, प्लीज सिट। आपने ध्यान आकर्षण कराया एक वाकिये का और मंत्री महोदय ने उसका जवाब दे दिया जिसको मैं सफिशिएन्ट मानता हूं। विवाद का सवाल नहीं है। आर्डर प्लीज ?

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य·········

श्री सुखलाल सैंणचा : सारी बातें खोलूंगा अभी·····

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपस में बातें नहीं।

श्री भैरोंसिह गुर्जर : मैंने जो सवाल पूछा है उसका जवाब नहीं आया है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आप किसी को मौका नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

अंकित नहीं किया जाए

माननीय सदस्य स्थान ग्रहण कीजिये।

(व्यवधान)

आसन पैरों पर है।

श्री भैरोंसिह गुर्जर : कोई मकसद नहीं है हमारा यहां आने का। कार्य के लिये आते

(श्री भैरूसिंह गुर्जर)

(व्यवधान)

है; हमें जवाब दिलवा दीजिये, प्रोसीडिंग्स मंगवा लीजिये, जवाब नहीं आया है।

श्री सुखलाल सेंणचा : पाइन्ट आफ आर्डर। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि इस असेम्बली के अन्दर दो-चार व्यक्तियों ने सदन को गुमराह करने की कोशिश की है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह पाइंट आफ आर्डर नहीं है। अंकित नहीं किया जाये।

श्रीमती कमला : उपाध्यक्ष महोदय माननीय सदस्य ने जो बातें कही हैं, उन पर स्पष्टीकण कर दूं। सारे जिले के सरपंच जन प्रतिनिधियों को बुलाया गया होगा, लेकिन वास्तव में जिन लोगों ने इसमें भाग लिया है उनकी तहसीलवार सूचना मेरे पास उपलब्ध है। पाली तहसील से 17, बाली से 22, सोजत से 13, रायपुर से 18, देसूरी से 8, मारवाड़ जंक्शन से 4, जैतारण से 18, रानी से 5, सुमेरपुर से 12, इस तरह 122 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। जिन अधिकारियों ने भाग लिया है उनके भी आप कहें तो नाम पढ़ कर सुना दूं। जिलाधीश पाली, परियोजना निदेशक, अतिरिक्त जिलाधीश, उप वन संरक्षक, तहसीलदार रायपुर, सहायक निदेशक भू संरक्षण, भू संरक्षण अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी, बाली, वन संरक्षक, जोधपुर।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री भैरूसिंह गुर्जर : आप क्यों चिल्लाते हो? यह हमारी पार्टी का मामला है

श्री बूलाराम (रायसिंह नगर) : यह संस्था अनुशासित पार्टी है। आपकी तरह अन-अनुशासित नहीं है।

श्रीमती कमला : मेरा निवेदन यह है कि यह शंका करना कि जिले भर के लोग आये थे यह गलत है। निमन्त्रण सभी को था परन्तु वास्तव में इतने लोग नहीं आये थे, तथ्य है। मैं समझती हूं, इसमें आपको इतना उत्तेजित होना उचित नहीं है।

शासकीय वक्तव्य

जिला जैसलमेर के मसूरडी खडीन में सीलिंग प्राप्त भूमि का काबिज काश्तकारों को आंवटन

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री द्वारा वक्तव्य। जैसलमेर के मसूरडी खडीन में सीलिंग से प्राप्त भूमि काबिज काश्तकारों को आवंटित न करने के संबंध में।

श्री परसराम मदेरणा (राजस्व मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, जिला जैसलमेर में स्थित मसूरडी खडीन की भूमि सीलिंग कानून के अन्तर्गत महारावल जैसलमेर से 2747 बीघा 7 बिस्वा प्राप्त हुई थी। इसका आवंटन करने के लिये अधिकृत अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, जैसलमेर ने दिनांक 29-8-81 को उद्घोषणा जारी करके आवेदन पत्र आमंत्रित किये हैं। आवेदन-पत्र देने हेतु 15 दिन का समय दिया गया है। भूमि के आवंटन के सम्बन्ध में 242 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं।

सीलिंग में जो भूमि प्राप्त हुई है उसमें से 1317 बीघा 2 बिस्वा भूमि पर 139 व्यक्तियों का कब्जा है और इनमें से 77

Page No 87

(श्री परसराम मदेरणा)

व्यक्तियों ने भूमि के आवंटन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किये हैं।

राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण नियम, 1973 यथा संशोधित के नियम 17 के अनुसार सीलिंग से प्राप्त भूमि का आवंटन दी गई प्राथमिकता के आधार पर सलाहकार समिति द्वारा किया जाता है। इसमें प्रथम प्राथमिकता उन आवेदनकर्ता हस्तान्तरी को है, जिनका कब्जा हस्तान्तरित की गई भूमि पर बरकरार है एवं भूमि का हस्तान्तरण वाजिब है एवं हस्तान्तरी बेनामी या बोगस नहीं है। इस प्रकार, यदि प्रार्थीगण हस्तान्तरी हैं एवं उनका कब्जा उपरोक्त नियमों के मुताबिक है एवं उन्होंने उद्घोषणा-पत्र के सन्दर्भ में समय पर आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है तो प्रथम प्राथमिकता के आधार पर नियमानुसार आवंटन के पात्र होंगे।

आवंटन के बाबत उक्त स्थान पर कानून एवं व्यवस्था की स्थिति पूर्ण रूपेण ठीक है और अराजकता की स्थिति नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री चन्द्रवीरसिंह सदस्य, विधान सभा ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

श्री चन्द्रवीरसिंह भाटी (जैसलमेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा

(व्यवधान)

पाइन्ट आफ क्लेरिफिकेशन है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि जो सिकमी काश्तकार है क्या उनको प्राथमिकता से वंचित रखा जाएगा ? दूसरे जो काश्तकार मेघवाल हैं और भूमिहीन हैं वे तो इस परिधि में आते है किन्तु जो पीढ़ी दर पीढ़ी से काबिज हैं काश्त करते हैं, उनको भी प्राथमिकता के आधार पर अलॉटमेंट किया जावेगा ?

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, जो सिकमी काश्तकार हैं वे तो निश्चित रूप से प्रार्थना पत्र में प्रथम श्रेणी में आते हैं क्योंकि वे काबिज हैं और राजस्थान लैण्ड रिफार्म्स एक्वीजिशन एक्ट की धारा 6 के अन्तर्गत भागीदारी मिल गयी है और उसके जो काश्तकार हैं वे काश्तकार खुद काश्त कर रहे हैं और उसके सब-लिसेन्ट है। अगर उनका पजेशन है और पजेशन के साथ ही साथ रिकार्ड में दर्ज है, उनको निश्चित तौर से जो सीलिंग एक्ट के अन्तर्गत नियम 17 का उल्लेख है उसके अन्दर उनको प्राथमिकता मिलेगी लेकिन अगर रिकार्ड में काम नहीं है खातेदारी दर्ज नहीं है, खातेदारी दर्ज है और सिकमी काश्तकार की नाम नहीं है, कब्जा दस्तावेज से साबित नहीं कर सके तो वे इसके पात्र नहीं बन पाएंगे।

याचिका का उपस्थापन

बांडी नदी पर पुल का निर्माण

श्री उपाध्यक्ष : याचिकाओं का उपस्थापन।

श्री सूरजपालसिंह, बांडी नदी पर पुल के निर्माण के बारे में याचिका का उपस्थापन करेंगे।

श्री सूरजपालसिंह

श्री सूरजपालसिंह (भीनमाल) : उपाध्यक्ष महोदय मैं भीनमाल पायेड़ी मार्ग पर बांडी नदी पर पुल का निर्माण करवाये जाने संबंधी याचिका देने वाले 3 सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थापित करता हूं।

झुन्झुनू रोड वाया गुढ़ा उदयपुरवाटी के कोटड़ी ग्राम के पास नदी पर पुल का निर्माण

श्री उपाध्यक्ष : श्री माधवसिंह दीवान, सदस्य, विधान सभा, जयपुर झुन्झुनू रोड वाया गुढ़ा-उदयपुर वाटी के कोटड़ी ग्राम के पास नदी पर पुल का निर्माण करवाये जाने संबंधी याचिका उपस्थापित करेंगे ।

श्री माधवसिंह दीवान : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जयपुर-झुन्झुनू रोड वाया गुढ़ा-उदयपुरवाटी के कोटड़ी ग्राम के पास नदी पर पुल का निर्माण करवाये जाने संबंधी याचिका देने वाले दो व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थापित करता हूं ।

भरतपुर की सेवा पंचायत समिति क्षेत्र में स्थित ग्राम सिनपिनी के निकट बांध का निर्माण ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिसिंह (कुम्हेर), सदस्य, विधान सभा जिला भरतपुर की सेवा पंचायत समिति क्षेत्र में स्थित ग्राम सिनपिनी के निकट बांध का निर्माण करवाये जाने संबंधी याचिका उपस्थापित करेंगे ।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जिला भरतपुर की सेवा पंचायत समिति क्षेत्र में स्थित ग्राम सिनपिनो के निकट बांध का निर्माण करवाये जाने संबंधी चार व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थापित करता हूं ।

तहसील सोजत जिला पाली में सीलिंग कानून के अन्तर्गत अधिगृहित भूमि का मुआवजा

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवदानसिंह सदस्य, विधान सभा तहसील सोजत, जिला पाली में सीलिंग कानून के अन्तर्गत अधिगृहित की गई भूमि का मुआवजा दिलाये जाने संबंधी याचिका उपस्थापित करेंगे ।

श्री शिवदानसिंह राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तहसील सोजत पाली में सीलिंग कानून के अन्तर्गत अधिगृहित की गई भूमि का मुआवजा दिलवाये जाने संबंधी याचिका देने वाले दो व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थापित करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री लक्ष्मीनारायण मीम, सदस्य विधान सभा हनुमानगढ़ में दुर्गा मंदिर के पास के मकानों में घुसे गंदे नाले के पानी को निकलवाये जाने संबंधी याचिका उपस्थापित करेंगे ।

(अनुपस्थित)

विधायी कार्य : विधेयक का पुरःस्थापन

राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुनर्ग्रहण (संशोधन) विधेयक 1981

विधायी कार्य, पुर : स्थापित किये जाने वाला विधेयक ।

श्री परसराम मदेरणा : प्रभारी मंत्री, राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुनर्ग्रहण (संशोधन) विधेयक, 1981 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करेंगे ।

(श्री उपाध्यक्ष)

श्री परसराम मदेरणा ।

श्री परसराम मदेरणा (राजस्व मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुनर्ग्रहण (संशोधन) विधेयक, 1981 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान भूमि-सुधार तथा जागीर पुनर्ग्रहण (संशोधन) विधेयक, 1981 को पुरः स्थापित किये जाने की आज्ञा प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री परसराम मदेरणा : मैं राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुनर्ग्रहण (संशोधन) विधेयक, 1981 को पुरः स्थापित करता हूं।

विधेयक पर विचार

राजस्थान मद्य-निषेध अधिनियम निरसनकारी विधेयक, 1981 परिनियत संकल्प

श्री उपाध्यक्ष : विचारार्थ लिया जाने वाला विधेयक।

राजस्थान मद्य निषेध अधिनियम निरसनकारी अध्यादेश, 1981 पर श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत किये गये परिनियत संकल्प पर हुई चर्चा का प्रभारी मंत्री उत्तर देंगे ।

श्री चन्दनमल बैद (वित्तमंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, कल इस विधेयक पर, राजस्थान, मद्य निषेध अधिनियम निरसनकारी आर्डिनेंस जो था उसकी अस्वीकार किये जाने के बारे में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था उस पर काफी विचार प्रकट किये गये । मैं उन विचारों से सहमत नहीं हूं और उसी सिलसिले में अपने कुछ विचार प्रकट करना चाहता हूं । एक बात बड़े जोर से कही गयी कि शराबबंदी की गयी और शराबबंदी करने से जो नाजायज शराब बनती थी वह सरकार नहीं रोक पायी, यह सरकार की निष्क्रियता है । उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को मानता हूं कि जनता का पूरा या थोड़ा बहुत सहयोग नहीं मिले तो सरकार कभी भी किसी कानून को पालना नहीं करा सकती है । यह कोई राजस्थान पर ही लागू नहीं होता है और केवल एक पार्टी पर ही लागू नहीं होता है । सारे हिन्दुस्तान में, जहां-जहां शराबबंदी लागू करने की कोशिश की गयी; नतीजा यह रहा कि नाजायज शराब की तस्करी और चोरी छुपे शराब बेचने की कार्यवाहियां बढ़ीं और अन्त में यह महसूस किया गया कि जिस उद्देश्य के साथ हमने शराबबंदी कानून बनाया था वह उद्देश्य पूरा नहीं हुआ बल्कि नतीजा यह हुआ कि हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ। वह नुकसान यह हुआ कि जहा शराब पहले एक खास दुकान से मिलती थी उसके बजाय जगह-जगह शराब की दुकानें खुल गयीं नाजायज शराब बनाने वाले गांव में ढाणी में बैठ गये और नाजायज शराब बनाकर लोगों को बेचने लगे। इससे लोगों के स्वास्थ्य पर तो बुरा असर पड़ा है साथ ही साथ एक बात और हुई कि शराब को नाजायज तरीके से बनाने वाले जो असामाजिक तत्व थे उनकी ताकत बढ़ गयी । ऐसे असमाजिक तत्व, गुण्डे, बदमाश चाहे शहर के हों या गांव के हों उनके द्वारा नाजायज शराब बनायी गयी और बेची गई । इस तरीके

(श्री चन्दन मल वैद)

से जो पैसा प्राप्त किया गया, वह नाजायज पैसा था। क्योंकि शराब की जो कीमत है कास्ट प्राइज है, वह बहुत कम है जब कि बेचने की ज्यादा है कास्ट प्राइज से और बनाने के तरीके हैं, बनाने के जो उपकरण हैं वे इतने आसान हैं कि जो चाहे कोई शराब बना सकता है। तो इसके कारण से शराब बनाने वाले असामाजिक तत्वों की ताकत बढ़ गयी और उनकी ताकत बढ़ जाने से और आर्थिक शक्ति आने के कारण से समाज के असामाजिक तत्वों की ताकत बढ़ी और बढ़ जाने से उनकी ताकत बढ़ने के कारण से उपद्रव बढ़े और शरीफ भले आदमियों की जान आफत में आ गयी। एक छोटे गांव में, छोटे से कस्बे में इस तरह के लोगों को जो ताकत मिली तो ज्यादा अत्याचार किये गये, लोगों को डराने धमकाने लगे, अनैतिक काम करने लगे जिससे आम जनता का जीवन, सामान्य जीवन खतरे में पड़ गया। इसी तरह से सरकार की आमदनी को नुकसान हुआ। शराब पीने वालों के स्वास्थ्य पर नुकसान हुआ। दूसरे, असामाजिक तत्व या इस तरह के दूसरे लोग, गुण्ड लोग शराब बनाते थे, स्मगलिंग करते थे और उसको बेचते थे, यह सब बातें राजस्थान में ही नहीं हुईं सारे हिन्दुस्तान में यह बातें हुई। इसलिये मैं यह कहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक किताब में पढ़ा था कि हिन्दुस्तान में ही नहीं एक दफा अमेरिका में भी नशाबंदी लागू की गयी जिससे कि वहां पर एक अण्डर वर्ल्ड पैदा हो गया जो नाजायज शराब बनाता था, स्मगलिंग करता था और नाजायज शराब बेचता था। उनकी ताकत इतनी बढ़ गयी, उनके साधन इतने बढ़ गये कि जब वहां पर शराबबंदी समाप्त की गयी तो एक लेखक ने लिखा कि

"Under world of U.S.A. is a creation of prohibition."

जिस समय से वहां पर प्रॉहिबिशन हुआ उसके कारण ही वहां पर गुण्डों की और बदमाशों की ताकत इतनी बढ़ गयी कि अण्डर वर्ल्ड पैदा हो गया। अमेरिका जैसे बहुत बड़े साधन सम्पन्न देश में अण्डर वर्ल्ड की ताकत इतनी ज्यादा हो गयी कि व किसी को भी हत्या कर देते, कोई भी अपराध कर देते।

तो हमें यह सोचना है, ठीक है, आज जो नैतिकता के पक्षधर हैं वे लोग यह कहते हैं कि यह गलत है। मैं भी मानता हूं कि शराब पीना बहुत बुरी चीज है परन्तु प्रॉहिबिशन से, नशाबंदी कानून से शराब का पीना बंद हो जाये यह सम्भव नहीं है। और अगर हो जाये तो मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि मैं पहला व्यक्ति होऊंगा जो कि नशाबन्दी कानून का पक्षधर होऊंगा और शराबबन्दी करूंगा।

लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैंने खुद ने इस बात को अजमाकर देखा है जब पहले मैं एक्साइज एण्ड फाइनेंस मिनिस्टर था तो मैंने चूरू और नागौर में शराबबंदी लागू करवाई थी। उपाध्यक्ष महोदय, आप मेरा विश्वास करें, मैंने देखा कि उसका नतीजा यह हुआ कि गांव-गांव में जगह-जगह शराब बनने लग गई। कई जगह मैंने रेड्स भी पड़वायीं क्योंकि मैं एक्साइज मिनिस्टर था लेकिन बीमारी इतनी बढ़ गयी कि साधारण इलाज नहीं था। सरकार के पास आखिर यही एक काम थोड़े ही है कि सारी फौज, सारी पुलिस, सारा प्रशासन, सारे कलेक्टर, एस. पी. इसी काम के लिये लगा दें और भी बहुत से काम हैं। लेकिन

(श्री चन्दनमल वैद)

शुरू करने के बाद मैंने देखा कि ज्यों-ज्यों इलाज किया मर्ज बढ़ता ही गया। गांव-गांव और ढाणी-ढाणी में शराब बनाने वाले बढ़ते गये, यह मेरा खुद का अनुभव है। इस चीज को हम कानून से नहीं रोक सकते हैं। इसके लिये हमें समाज में वातावरण बनाना होगा, समाज को तैयार करना होगा और उसके लिये जैसा कि कुछ लोगों को उदाहरण पेश करना चाहिए, जन-समर्थन जुटाना चाहिए, कुछ तरीके अपनाये जाने चाहिए जिससे कि यह सामाजिक बुराई दूर हो सके। यह सामाजिक बुराई कानून से दूर नहीं हो सकती है। यह केवल मेरा मानना नहीं है वह सारे इस बात को समझते हैं। इस तरीके से बुराई दूर नहीं हो सकती। तो उपाध्यक्ष महोदय, यह चार्ज लगाना कि निष्क्रियता रही आपकी इस वास्ते आपने ऐसा किया। मान लीजिए कि राजस्थान सरकार की निष्क्रियता रही जिसमें विरोधी दल के लोग भी शामिल हैं लेकिन तमिलनाड में क्या हुआ, बिहार में क्या हुआ, उत्तर प्रदेश में क्या हुआ और आन्ध्र में क्या हुआ ? इस सारे हिन्दुस्तान में क्या हुआ ? क्या वहां की सरकार भी निष्क्रिय रही, सारे हिंदुस्तान की सरकार निष्क्रिय रही और अमेरिका की सरकार भी निष्क्रिय रही ? इस वास्ते मैं कहता हूं कि लॉजिक पर यह बात ठहरती नहीं है। जिस-जिस प्रदेश ने शराबबन्दी लम्बे समय तक की, उसको ज्यों ही उठाया, उनकी आमदनी बढ़ती गयी बीस गुना तीस-गुना बढ़ गयी। तमिलनाड में शराबबन्दी के समय आमदनी थी 70-80 करोड़। ज्यों ही शराबबंदी खत्म की, 150 करोड़ की आमदनी हो गयी। नतीजा यह हुआ, मैं बताना चाहता हूं शराब बन रही है, खत्म नहीं हो रही। हम यह समझते हों कि 7 साल तक 10 साल तक हमने शराबबन्दी रखी और वह शराब बननी समाप्त हो गयी, यह हमारी गलतफहमी है। नाजायज शराब पीते रहे। ज्यों ही सरकारी शराब की दुकानों पर शराब बिकनी शुरू हो गई, सरकारी ठेकेदार आ गये। अगर नहीं होते शराब पीने वाले तो डेढ़ सौ करोड़, दो सौ करोड़ की आमदनी कहां से आ रही है ? जब हम यह मान लेते हैं, 7 साल, 10 साल तमिलनाड में जो लम्बे समय तक शराब बंदी रही, उसको रिवाइव करके वापस खत्म किया गया और उसके बाद फिर शराबबन्दी की गई और अब फिर खत्म किया गया। लेकिन मैं एक पाइन्ट पर आप से अर्ज करना चाहता हूं कि 7 साल, 10 साल तक शराबबन्दी कानून जारी रखने के बाद भी लोगों की पीने की आदत बनी रही क्योंकि ज्यों ही शराब-बंदी कानून समाप्त किया गया, दुकानों पर भीड़ लग गई और सरकार की आमदनी बढ़ गई, जो इस बात का द्योतक है कि शराब पीने और खरीदने वाले ज्यों के त्यों मौजूद रहे।

श्री उपाध्यक्ष : बल्कि और भी ज्यादा हो गये हैं।

शराब पीने वाले कम नहीं हुए। 10 साल के बाद भी और ज्यादा हो गये हैं।

श्री चन्दनमल वैद : तो उपाध्यक्ष महोदय, यह एक सामाजिक बुराई है लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय,केवल मैं किसी चीज को बुरा समझूं इस वास्ते उसको बन्द कर दूं ? बंन्द करने का तरीका भी सामाजिक चेतना है, समाज में प्रचार करना है। मैं तो बहुत सी चीजों को बुरा समझता हूं क्योंकि मुझे लेकर कई बातें कही गयी हैं। मैं अंडे खाने को भी

(श्री चन्दनमल बैद)

बुरा समझता हूं. इसका मतलब यह नहीं हुआ कि जितने अंडे खाने वाले हैं वे सब अनैतिक हो गये और मैं चूंकि मिनिस्टर बन गया, इस वास्ते इन सारी चीज को बन्द कर दिया जाये। मैं बीड़ी-सिगरेट भी नहीं पीता, इसका मतलब यह नहीं हुआ कि सब बीड़ी-सिगरेट पीने वाले अनैतिक हो गये और मैं चूंकि मिनिस्टर बन गया इस वास्ते राजस्थान में बीड़ी सिगरेट बिकना बन्द हो जाये। ऐसा तो नहीं हो सकता नैतिक और अनैतिक काम का समाज के परिप्रेक्ष्य में हिसाब लगाना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि समाज किस चीज को अनैतिक या नैतिक समझता है। मैं किसी चीज को नैतिक समझूं इसलिए वह नैतिक है और मैं किसी चीज को अनैतिक समझूं इसलिए वह अनैतिक है। मैं अपने गज से किसी को नहीं नाप सकता, लोग भी अपने गज से किसी को नहीं नाप सकते हमको उसको सारे परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज कर रहा था कि जो निष्क्रियता का हमारे ऊपर चार्ज लगाया गया है वह सही नहीं है। हमने फैक्टस को देखा, इस बात को समझा कि शराब बंदी करने से सरकार की आमदनी कम हुई है। यही एक पाइंट नहीं बल्कि दूसरे पाइंट और हैं। लोग शराब उसी तरीके से पी रहे हैं, खराब शराब पी रहे हैं, जो शराब बना रहे हैं, विक्रय का काम कर रहे हैं उन लोगों की ताकत बढ़ गयी और वे अपनी ताकत से समाज में बड़ा भारी आतंक फैला रहे हैं। आखिर एक गुण्डे की ताकत बढ़ेगी तो वह क्या करेगा? भले आदमियों को तंग करेगा तो हमने आज गांव-गांव में गुण्डों की ताकत बढ़ायी। नतीजा यह हुआ कि आज जो बहुत से क्राइम हो रहे हैं वह इसके कारण हो रहे हैं। मैं दूसरी बात कहता हूं, एक तो लोग यह कहते हैं कि शराबखोरी होने से लॉ एण्ड ऑर्डर की स्थिति खराब होती है। मैं यह कहता हूं कि शराब खोरी को कानून से बंद करने से अगर शराबखोरी बंद नहीं होती है और नाजायज शराब बिकती है तो उस से लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति खराब होती है। उसे यदि गुण्डों को ताकत बढ़ती है तो वे निश्चित रूप से समाज में आतंक फैलाते हैं और भले लोगों को तंग करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, हमने शराबबन्दी क़ानून को निरस्त करके इस बात की कोशिश की है कि लोगों की शराब पीने की आदत कम पड़े। साथ ही यह भी कोशिश की है कि जहां तक सम्भव हो सके हम 12 सूत्री कार्यक्रम जैसा विरोधी दल के सदस्य ने कहा था, पालन करें, जिससे कि लोगों की शराब पीने की आदत हम अपने तरीके से कम करें, जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, बड़े लोग हैं हम सरकार की तरफ से उनकी मदद करें, जो यह प्रचार करें कि शराब बुराई है। तो मैं आपके सामने थोड़ा सा विस्तार से इस बात को कहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, इसका कारण यह है कि जो 12 सूत्री कार्यक्रम है उसके बारे में सारे माननीय सदस्यों को और सदन की मार्फत सारे राजस्थान को यह मालूम होना चाहिए कि सरकार किस तरह का कार्यक्रम अपना रही है जिस से उस कार्यक्रम में सरकारी कर्मचारी या शराब के ठेके द्वारा कोई उल्लंघन होता हो उसका राज्य सरकार वाजिब इन्तजाम कर सके। थोड़ा सा मौका दें ताकि मैं सदन के समक्ष इस बात को प्रस्तुत कर सकूं तो मैं टेम्प्रेस्ट प्रोगाम की बात कर रहा था टेम्प्रेस्ट प्रोगाम की बात करने से पहले मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे शराब की ताकत कम हो। 40 डिग्री की शराब जो 80 और 90 डिग्री की शराब से काफी हल्की है, ज्यादा लोग

(श्री चन्दनमल बैद)

उसकी तरफ जायें जो तेज शराब है उसकी तरफ से इसकी तरफ ले जायें और धीरे धीरे कम करते जायें तो लोगों को हल्की शराब पीने की आदत पड़ती जायेगी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जी शराब पीने वाले लोगों की बात कह रहे हैं आपकी नहीं कर रहे हैं।

श्री चन्दनमल बैद : अब मैं 12 सूत्री कार्यक्रम की चर्चा करना चाहता हूं। पहला इसका यह है कि शराब के विज्ञापन और ऐसे हर प्रदर्शनों पर रोक लगायी जाये जिससे शराब पीने की वृत्ति का आकर्षण पैदा होता है। अभी तक इस संबंध में कानून नहीं बनाये गये हैं तो राज्य सरकारें आवश्यक नियम बनायेंगी। दूसरा यह कि सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने पर प्रतिबन्ध होगा। इस उद्देश्य से होटल, होस्टल, रेस्टोरेंट क्लब्स आदि में शराब का उपयोग नहीं किया जायेगा। इसी प्रकार ताड़ी और देशी शराब की भी दुकानों पर पीने की इजाजत नहीं दी जायेगी। विदेशी डिप्लोमेट्स एवं पर्यटकों की सुविधा के लिए नियमों में निम्नलिखित ढील दी जायेगी :-

विदेशी एम्बेसियों में शराब के उपयोग पर किसी प्रकार की रुकावट नहीं होगी।

ऐसी एम्बेसीज होटल्स एवं क्लब्स में भी शराब को काम में ले सकेंगी यदि वे कुछ ही व्यक्तियों को इसके लिए आमंत्रित करें उपरोक्त (1) में बतायी गयी छूट उन व्यक्तियों को भी दी जायेगी जो कि विदेशी लोगों को आमंत्रित करते हैं, परन्तु ऐसी पार्टियों की संख्या 100 से अधिक नहीं होगी और व्यक्ति जो विदेशी लोगों को पार्टी दे रहे हैं, उन्हें उपायुक्त, जिलाधीश से इस सम्बन्ध में आवश्यक परमिट लेना पड़ेगा।

बार एवं विशिष्ट कमरे जो कि विदेशी लोगों के लिये आरक्षित हैं उनमें शराब के उपभोग की छूट होगी, परन्तु यह सब होटल्स एवं रेस्टोरेन्ट्स पर्यटन मन्त्रालय द्वारा अधिकृत होने चाहिएं। अधिकृत होटल्स में विदेशी एवं भारतीय लोगों को बीयर सप्लाई पर कोई रुकावट नहीं होगी किन्तु शराब की डाइनिंग कमरों में केवल विदेशियों को ही सप्लाई की जा सकेगी। क्लब्स अपने बार रूम्स में शराब की सुविधा रख सकेंगे परन्तु बीयर को क्लब के किसी भी स्थान पर उपभोग करने की इजाजत होगी।

पार्टियां जो विदेशी मेहमानों के लिए भारत सरकार व राज्य सरकारों द्वारा आयोजित की जाती हैं, उसमें शराब परोसी जा सकेगी।

डिफेन्स सर्विस इन्स्टालेशन्स में भी शराब सर्व करने की ऐसे स्थानों पर छूट होगी जैसे मैस, क्लब आदि।

श्रमिकों को शराब से दूर रखने के लिए औद्योगिक सिंचाई एवं अन्य विकास परियोजनाओं के पास कोई शराब की दुकान नहीं लगाई जायेगी ऐसी दुकानों का कम से कम फासला 2 किलोमीटर होगा। घनी बस्तियों में यह दूरी कुछ कम की जा सकती है। ऐसी परियोजनाओं के पास यदि अनुज्ञा पत्र जारी किये गये हैं तो भविष्य में नहीं दिये जायेंगे।

राजकीय मार्ग से शराब की दुकान की दूरी कम से कम 500 मीटर्स रखी जायेगी।

Page No 94

(95)

(श्री चन्दनमल वैद)

शिक्षा एवं धार्मिक संस्थाओं, श्रमिकों एवं हरिजन बस्तियों के पास शराब की दुकानें नहीं खोली जायेंगी। इन दुकानों की ऐसी बस्तियों से कितनी दूरी होगी यह राज्य सरकारें तय करेंगी। जहां तक संभव हो यह दूरी 500 मीटर्स से कम नहीं होगी। प्राइमरी स्कूल इसमें सम्मिलित नहीं हैं।

18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शराब किसी भी हालत में नहीं बेची जायेगी।

बीयर में अलकोहल की कन्टेन्ट्स किसी भी हालत में 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। धीरे-धीरे इसको कम कर 3 प्रतिशत तक लाया जायेगा।

"डिस्टीलेशन" अथवा ब्रियुइंग के उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई नया अनुज्ञा-पत्र जारी नहीं किया जायेगा। शत-प्रतिशत निर्यात करने वालों के लिए इसमें ढील दी जा सकेगी।

शराब की दुकान देश के किसी भी भाग में केवल आबकारी आय के लिये ही नहीं खोली जायेगी।

राज्य सरकारें किसी भी परिस्थिति में शराब की दुकानें नहीं खोलेंगी।

वेतन के दिन सभी क्षेत्रों में राज्य सरकारें शराब की दुकान बन्द रखवायेंगी।

मोटर ड्राइवरों व हवाई जहाज के पायलेटों पर वर्तमान में जो रुकावटें लगा रखी हैं उनका पालन सख्ती से किया जायगा। यदि इन नियमों की कोई अवहेलना करेगा तो ऐसे व्यक्तियों के अनुज्ञा-पत्र काफी लम्बे समय के लिए रद्द कर दिये जायगें।

मोटर गाड़ियों के ड्राइवरों को शराब खरीदने एवं उन्हें बेचने पर पूरी तरह से रोक होगी।

आबकारी कानूनों को और कसा जायेगा ताकि आबकारी नियमों की अवहेलना करने पर सख्ती से निपटा जा सके। स्पेशल मोबाइल पुलिस स्क्वेड जहां भी आवश्यक होंगे बनाये जायेंगे।

राजकीय एवं अन्य संस्थाएं शराब पीने की बुराइयों के संबंध में प्रचार करेंगी।

लोकप्रिय नेता लोगों को प्रेरणा देने के लिए व्यक्तिगत उदाहरण प्रस्तुत करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, यह बारह सूत्रीय कार्यक्रम राजस्थान सरकार ने निश्चित् किया, इसका हम कड़ाई से पालन करेंगे और कोई भी चीज होगी और ध्यान में आयेगी तो सरकार इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। ये सख्ती के आदेश दे दिये गये हैं और जितनी भी शिकायतें आई हैं उनको मैं दिखवा रहा हूं। कई जगहों पर हमने दुकानों को बन्द भी करवा दिया है और कई जगह पर कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट एक्साइज आफिसर्स को कह दिया है कि वह जाकर देखें और कलेक्टर से आदेश लेकर उसका पालन करें। तो उपाध्यक्ष महोदय, केवल यहीं बात नहीं है हम कोई शराब से आमदनी ज्यादा करने के लिए ही पाबन्दी नहीं हटा रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, साढ़े सात सौ करोड़ के रिसोर्सेज हमको इस पंचवर्षीय योजना में मोबिलाईज करने हैं और इस प्रोहिबिशन को निरसन करने से 100 करोड़ की आमदनी होगी, साढ़े छः सौ करोड़ हमको फिर भी करने पड़ेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: चार वर्षों में।

श्री चन्दनमल बैद : पाच वर्षों में। साढ़े छः सौ करोड़ फिर भी करने हैं । इसलिये केवल यही कारण नहीं है । मैं आपसे अर्ज कर रहा था, मुख्य कारण है शराबबन्दी से शराब बन्द नहीं हुई, बल्कि नाजायज और गलत शराब शुरू हो गई लोगों की पीने की आदतें बढ़ गईं, गुण्डागर्दी बढ़ गई । इन सब कारणों से चिन्तित होकर सरकार को इसको वापस लेना पड़ा । इसलिये जो लोग यह कहते हैं कि इससे आमदनी बढ़ेगी, आमदनी के रिसोर्सेज हम को साढ़े छः सौ करोड़ के करने हैं, साढ़े सात सौ करोड़ में से पौने छः सौ करोड़ का इन्तजाम हम कर चुके हैं। मैं समझता हूं, किसी भी पंचवर्षीय योजना के लिये राजस्थान की सरकार ने साढ़े सात सौ करोड़ का इन्तजाम नहीं किया होगा लेकिन इस सरकार ने प्रदेश की प्रगति के लिए, प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए, विकास के काम ज्यादा करने के लिए, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जिम्मेदारी ली कि हम साढ़े सात सौ करोड़ के रिसोर्सेज मोबिलाइज करेंगे और प्रदेश की जनता के विकास के लिए काम करेंगे । केवल सौ करोड़ से ही काम होने वाला नहीं है। आज पे-कमीशन की बात हो रही है। माननीय सदस्य चिन्ता कर रहे थे कि आखिर पैसा कहां से आयेगा ? उपाध्यक्ष महोदय, कुछ नहीं तो 11 करोड़ रुपये तो पे कमीशन के लिए हम इन्टेरिम रिलीफ के दे चुके हैं । उस 11 करोड़ का भी पांच साल में हिसाब लगावें तो 50, 55 करोड़ हो जाता है। उसको हम दे चुके हैं। और डियरनेस अलाउन्स मैंने एक प्रश्न के उत्तर में भी बताया था फाइनेन्स कमीशन की रिपोर्ट मिलने के बाद पिछले दो ढाई साल में हम 9 डियरनेस अलाउन्स की किश्तें दे चुके हैं जिसका इम्पेक्ट 320 करोड़ का होगा । तो यह कहना कि शराब बन्दी खोल देने से आर्थिक स्थिति अच्छी हो जायेगी या सारे रिसोर्सेज मोबिलाइज कर सकेंगे, सही नहीं है । असल मुद्दा यह है कि शराब बन्दी से शराबबन्द नहीं हुई नाजायज शराब बराबर बनती रही, गुण्डों की बराबर ताकत बढ़ने लगी, अनाचार बढ़ने लगा, लॉ एण्ड आर्डर की पोजीशन खराब हो गई, हमने सोचा यह दोहरी मार बरदाश्त नहीं करेंगे । आमदनी भी छोड़ें और फायदा भी नहीं हो । इसी वास्ते बहुत सोच विचार के बाद एक दिन में फैसला नहीं किया, तीन दिन तक लगातार विचार विमर्श किया, कौंसिल आफ मिनिस्टर्स में हर एक मिनिस्टर के साथ गम्भीरता से घण्टों विचार विमर्श किया और विचार करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि यह ऐसा कार्य जिसको करना चाहिये। ठीक है भावनाओं में आकर कुछ नैतिक पक्षधर लोग कह सकते हैं कि गलत काम है, लेकिन यह बड़ा मुश्किल है नैतिक क्या है और अनैतिक क्या है ? इस लिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं नैतिकता के पक्षधर कुछ भी कहें शराबबन्दी का विरोध कर नहीं रहा हूं लेकिन कुछ नाजायज शराब बनाने वाले शराब बना रहे थे, इस प्रकार की ताकतें बढ़ गई और वो यह समझते हैं शराब बन्दी खत्म हो जाने से उनका धन्धा खत्म हो जायेगा जो जनता से पैसा लूट रहे थे, वह पैसा नहीं लूट सकेंगे । वे लोग फाइनेन्स कर रहे हैं ऐसे आन्दोलनों को । उनकी कितनी और कैसी ताकत है यह नहीं कहा जा सकता लेकिन उपाध्यक्ष महोदय मेरे सामने बैठने वाले माननीय सदस्य भी जानते हैं और सारा राजस्थान जानता है, इसको कहने की जरूरत नहीं है मैं यह अर्ज करना चाहूंगा कि जो परिनियत संकल्प

(श्री चन्दनमल बैद)

माननीय सदस्य श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी और उनके साथी सदस्यों ने रखा है उसको अस्वीकार किया जाये और जो आर्डिनेन्स राज्यपाल महोदय ने जारी किया है उसको बिल के रूप में पारित किया जाना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 11 अगस्त, 1981 को प्रख्यापित राजस्थान मद्य निषेध अधिनियम निरसनकारी अध्यादेश, 1981 (अध्यादेश संख्या 7 सन् 1981); को अस्वीकार करता है ?

(ध्वनि मतदान)

ना पक्ष जीता ।

अनेक माननीय सदस्य : Ayes have it.

श्री उपाध्यक्ष : ना पक्ष जीता ।

अनेक माननीय सदस्य : हां पक्ष जीता।

श्री उपाध्यक्ष : आप डिवीजन चाहते हैं ?

(मत विभाजन घंटी)

मैं प्रस्ताव को दुबारा पेश करता हूं:

प्रश्न यह है कि यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 11 अगस्त, 1981 को प्रख्यापित राजस्थान मद्य निषेध निरसनकारी अध्यादेश, 1981 (अध्यादेश संख्या 7 सन् 1981) को अस्वीकार करता है ?

(ध्वनि-मतदान)

अनेक माननीय सदस्य : Noes have it.

अनेक माननीय सदस्य : Ayes have it.

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, सबको अपनी सीटों पर खड़ा कर दें ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुख्य सचेतक सीट पर खड़ा होना चाहें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं उनको खड़ा किया जाये लेकिन हमको लॉबी में जाने दें ।

श्री उपाध्यक्ष : हां पक्ष वाले ना पक्ष वाली लॉबी में जायेंगे और ना पक्ष वाले हां पक्ष वाली लाबी में जायेंगे और फिर गिनती होगी ।

(मत विभाजन)

(मत विभाजन के पश्चात्)

गिनती मेरे सामने आ चुकी है माननीय सदस्यगण, ना पक्ष में 84 वोट प्राप्त हुए हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पहले हां पक्ष को बताना पड़ेगा ।

श्री उपाध्यक्ष : हां पक्ष में 35 ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : बाकी कहां चले गए ?

श्री उपाध्यक्ष : ना पक्ष जीता ।

(अस्वीकृत)

(परिनियत संकल्प अस्वीकार किया गया)

विभाजन-सूची

हां पक्ष

क्र. सं.	सदस्य का नाम
1	2
1.	श्री अनंगकुमार जैन

Page No 97

97

(श्री उपाध्यक्ष)

1	2
2.	श्रीमती उजला अरोड़ा
3.	श्री कैलाशचन्द्र मेघवाल
4.	श्री गुलाबचन्द कटारिया
5.	श्री घनश्याम तिवाड़ी
6.	श्री चन्द्रवीरसिंह भाटी
7.	श्री चुन्नीलाल
8.	श्री छीतरलाल आर्य
9.	श्री जीतमल जैन
10.	श्री दाऊदयाल जोशी
11.	श्री देवीसिंह भाटी
12.	श्री नन्दलाल मीणा
13.	श्री नाथूसिंह
14.	सुश्री पुष्पा जैन
15.	श्री बंशीलाल पटवा
16.	श्री भंवरलाल शर्मा
17.	श्री भगवानदास शास्त्री
18.	श्री भूपाल सिंह
19.	श्री भैरोंसिंह शेखावत
20.	श्री महाराम चौधरी
21.	श्री महावीर प्रसाद
22.	श्री मालाराम
23.	श्री मेघराज तावड़
24.	श्री मोहनलाल शर्मा
25.	श्री रंगजी मीणा
26.	श्री राजबहादुर
27.	श्री रामकंवार बैरवा
28.	श्री रामकिशोर मीणा
29.	श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी
30.	श्रीमती विद्या पाठक
31.	श्री वीरेन्द्र प्रतापसिंह
32.	श्री समर्थलाल
33.	श्री सोहनलाल बंशीवाल
34.	श्री हंसराज शर्मा
35.	श्री हीरालाल आर्य

विभाजन-सूची

ना पक्ष

क्र. सं.	सदस्य का नाम
1.	श्री अब्दुल रहमान चौधरी
2.	श्री अमराराम
3.	श्री अमीन खां
4.	श्री ईश्वरलाल सैनी
5.	श्री उदयराम धाकड़
6.	श्रीमती कमला
7.	श्री कमला भाई मीणा
8.	श्री खेतसिंह
9.	श्री गोकुलचन्द्र शर्मा
10.	श्री गोविन्द आमलिया
11.	श्री गोविन्दसिंह गुर्जर
12.	श्री घनश्याम जैन
13.	श्री चतुर्भुज
14.	श्री चन्दनमल बैद
15.	श्री सी. पी. जोशी
16.	श्री चेतराम
17.	श्री छोगाराम बकोलिया
18.	श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी
19.	श्री जगनसिंह
20.	श्री जनार्दनसिंह गहलोत
21.	श्री जयकृष्ण शर्मा
22.	श्री जेठमल वरवड़
23.	श्री तुलसीराम
24.	श्री तेजपाल यादव
25.	श्री थानसिंह मीणा
26.	श्री दिनेश डांगी
27.	श्री दीपचन्द
28.	श्री दुलाराम
29.	श्री देवदत तिवाड़ी
30.	श्री देवीलाल
31.	श्री देवेन्द्र कुमार मीणा

(श्री उपाध्यक्ष)

क. सं.	सदस्य का नाम
32.	श्री देवेन्द्रसिंह
33.	श्री द्वारकाप्रसाद बैरवा
34.	श्री नरपतराम बरवड़
35.	श्री नरेन्द्रसिंह भाटी
36.	श्री नाथूराम (डूंगरपुर)
37.	श्री नाथूराम (बागीदौरा)
38.	श्री नारायणसिंह
39.	श्री परसराम मदेरणा
40.	श्री पीरूराम
41.	श्री पूंजीलाल मीणा
42.	श्री पृथ्वीसिंह
43.	श्री प्रद्युम्नसिंह
44.	श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता
45.	श्री बुलाकीदास कल्ला
46.	श्री बृजसुन्दर शर्मा
47.	श्रीमती भगवती देवी
48.	श्री भरतलाल
49.	श्री भैरूंलाल (मनोहरथाना)
50.	श्री भैरूंलाल भारद्वाज
51.	श्री भैरूंसिंह गुर्जर
52.	श्री महादेवसिंह
53.	श्री मांगीलाल आर्य
54.	श्री माधवसिंह दीवान
55.	श्री मुराद खां
56.	सैयद मोहम्मद अयाज महाराज
57.	श्री रतनाराम चौधरी
58.	श्री रामकरण कताला
59.	श्री रामनारायण डूडी
60.	श्री रामप्रसाद
61.	श्री रामलाल (उनियारा)
62.	श्री रामसहाय सोनड़
63.	श्री रामसिंह विश्नोई
64.	श्री रामेश्वरलाल

क. सं.	सदस्य का नाम
65.	श्री रूपलाल परमार
66.	श्री रेवतराम चौधरी
67.	श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत
68.	श्री विष्णुप्रकाश बजारी
69.	श्री शिवचरण माथुर
70.	श्री शिवदानसिंह राठौड़
71.	श्री शिवराम शर्मा
72.	श्री शिवसिंह रावत
73.	श्री शीशराम ओला
74.	श्री शोदान सिंह
75.	श्री शोभराज मल
76.	श्री शोभाराम
77.	श्री श्रीराम गोटेवाला
78.	श्री सुजानसिंह यादव
79.	श्री सुरेन्द्र व्यास
80.	श्रीमती सूरज देवी
81.	श्री सूरजपालसिंह
82.	श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर
83.	श्री हरिसिंह (कुम्हेर)
84.	श्री हेमाराम चौधरी

प्रभारी मंत्रीजी !

विधेयक पर विचार

श्री चन्दनमल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान मद्य निषेध अधिनियम निरसनकारी विधेयक, 1981 को विचारार्थ लिया जाये ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं उन तथाकथित असामाजिक तत्वों को बधाई देना चाहूंगा जिनके सामने राजस्थान सरकार ने अपने घुटने टेक दिये हैं । उपाध्यक्ष महोदय,

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

अभी माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में यह बात कही थी कि हम प्राहिबिशन को स्क्रेप करना नहीं चाहते हैं। उन्होंने इस बात को भी दोहराया कि शराब पीना अच्छा नहीं है और सरकार शराब की नीति के पक्ष में नहीं है। उन्होंने अपनी मजबूरियां इस सदन के सामने प्रकट कीं और मजबूरियों में मुख्य रूप से यह बताया कि असामाजिक तत्व शराब निकालने लगे, शराब की उनको कमाई होने लगी और जो लोग शराब नहीं पीते थे उनका उन्होंने कई प्रकार का शोषण करना शुरू कर दिया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं उस दलील में नहीं जा रहा हूं कि असामाजिक तत्वों ने कितना कमाया और कितना नहीं कमाया लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहूंगा और जैसा कि एक वक्तव्य में जिसकी पुष्टि माननीय वित्त मंत्री जी ने अभी की है हमारे वित्त आयुक्त ने यह कहा कि हम शराब की क्वालिटी में जो ओवरप्रूफ है उसमें जैसा माननीय मंत्री महोदय ने कहा, 10 पाइन्ट की कमी करना चाहते हैं, ताकि गरीब आदमी भी उसको पी सके ....

श्री चन्दनमल बैद : कम हानिकारक हो इस वास्ते।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इस वास्ते गरीब भी उसको पी सकें।

श्री चन्दनमल बैद : वैसे उपाध्यक्ष महोदय, जैसे आपकी मर्जी आये कहें लेकिन मैंने कम हानिकारक कहा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने आपके लिए नहीं कहा, मैंने कहा है कि जिस समय यह प्राहिबिशन स्क्रेप किया गया उस समय समाचार-पत्रों में वित्त आयुक्त का एक वक्तव्य छपा और वित्त आयुक्त ने यह कहा कि हम शराब में जिस प्रकार का ओवरप्रूफ है उसको कम करेंगे, कम हानिकारक होगी आपके शब्दों में और कम कीमत होगी। गरीब आदमियों के बीच में यह शराब आ जाये इस प्रकार की व्यवस्था कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, पहले हम इस बात का विचार करें कि आपकी 100 करोड़ रुपये की आय होने वाली है। इस शराब से, जो आपने अभी कहा कि सिक्स्थ फाइव ईयर प्लान में जो रिसोर्सेज की कमी है उस रिसोर्सेज की कमी हम 100 करोड़ तक इस शराब की आय से पूरी करेंगे। मैं समझता हूं कि यह आपने कहा है। उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह नहीं है कि महात्मा गांधी ने क्या कहा और आचार्य विनोबा भावे ने क्या कहा। मैं आपके सामने एक प्रश्न रखना चाहता हूं, राज्य सरकार ने कभी इस बात का भी विचार किया है कि 100 करोड़ रुपया किन की जेबों से निकलकर राजस्थान के खजाने में जमा होगा? यदि उपाध्यक्ष महोदय, यह पैसा टाटा, बिड़ला की जेब से निकलता, यह रुपया यदि अमीरों की जेब से निकलता, यह रुपया मध्यम श्रेणी के लोगों की जेबों से निकलता तो मेरी कुछ समझ में आता कि यह रुपया किनकी जेबों से निकल रहा है लेकिन यह रुपया अधिकांश में उन लोगों की जेबों से निकल रहा है जो कि गरीबी की रेखा के नीचे हैं या थोड़े से ऊपर रह कर अपनी रोजी कमा रहे हैं और अपने बच्चों का पालन-पोषण कर रहे हैं। कभी इस प्रश्न पर गम्भीरता से विचार किया? यह दुर्भाग्य है कि सारे हिन्दुस्तान में, राजस्थान में ही हम बार-बार शराबबंदी की बात करते हैं, बार-बार प्राहिबिशन की बात करते आये हैं, हमने बार-बार इस बात की चेष्टा की कि प्राहि-

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)
विशन को स्कोप किया जाना चाहिए लेकिन भारत में इस बात का अध्ययन नहीं हुआ कि शराब के कारण से किन की जेबें कटती हैं और किन की जेबों से पैसा निकलता है और राजस्थान के खजाने में आता है।

उपाध्यक्ष महोदय, आप तो बड़े अनुभवी आदमी हैं। अब आप एक एक सैक्शन को देखिये। मुसलमान शराब नहीं पीता। मुसलमान की जेब से पैसा आने वाला नहीं है...

श्री उपाध्यक्ष : पीते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, आपने बात सही कही है या नहीं मैं नहीं कह सकता। पीते होंगे लेकिन बहुत कम। अब इस हाउस में जितने मुसलमान हैं वह तो नहीं पीते हैं ?

एक माननीय सदस्य : और तो पीते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह नहीं पीते हैं उनकी तो गारन्टी ले सकते हैं क्या ?

श्री उपाध्यक्ष: नहीं कोई गारन्टी नहीं है।

श्री चन्दनमल बैद : यह तो गारन्टी भी नहीं लेते।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, आप अपनी तो कह सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि आखिर यह पैसा किस की जेब से निकलता है ? मैं माथुर साहब से निवेदन करना चाहूंगा कि यह 100 करोड़ रुपयों का प्रश्न नहीं है। यदि असामाजिक तत्वों के हाथों में पूंजी जाती है उसे रोकने का हमारा अधिकार है और रोकना चाहिए।

असामाजिक तत्व नहीं पनपें, यह सरकार का दृष्टिकोण होना चाहिये। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आज असामाजिक तत्व चाहे शराब बनायें या नहीं बनायें, यह पैसा गरीब लोगों की जेब से निकलता है। यह मैं इसलिये कहना चाहता हूं कि आज तक जितने आदमी मरे हैं वे किसी भी स्टेट के क्यों न हों, मरने वाले चाहे किसी भी कारण से मरे हों लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मरने वालों में वे आदमी थे जिन्होंने कभी इन्कम टैक्स पे नहीं किया, मरने वाले वे आदमी थे वो रोजी-रोटी चलाने वाले थे जिनके किसी प्रकार के मोटे रूप से आमदनी के साधन नहीं थे। हिन्दुस्तान में गरीब तबके के लोग थे जिन्होंने शराब पी और मर गये। अब उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से कहना चाहता हूं, आप गरीबों से पूंजी इकट्ठी करके यदि कोई सिंचाई योजना चलाना चाहते हैं उससे योजना नहीं चलेगी। गरीब के धन से आप पैसा इकट्ठा करके बड़ी-बड़ी इमारतें खड़ी करना चाहते हैं, इमारतें खड़ी नहीं होंगी, इसलिय मैंने कल भी निवेदन किया था जो आपने 2 करोड़ एकत्र किया है आज आपके हिसाब से बेरी कमीशन ने जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, ललित किशोर चतुर्वेदी ने कहा था कि 2 करोड़ से लाइसेंस दिये जायेंगे। 28 करोड़ की आपकी लायबिलिटी होगी। मैं समझता हूं कि 28 करोड़ की लायाबिलिटी पचास करोड़ से कम नहीं होगी। बेरी आयोग से आपके ऊपर कितनी लायाबिलिटी आई, इस अकाल से आपके ऊपर कितनी लायबि-

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

लिटी आई, मैं समझता हूं कि प्रकृति का नियम है आय होगी तो खर्चा भी होगा, खर्चा होगा तो साधन भी जुट जायेंगे। उसके लिये साधन भी मिलेंगे। लेकिन यह समझकर असामाजिक तत्वों के सामने घुटने टेक दें कि शराब से हमारी आय बढ़ी है अतः राज्य सरकार बन्द न करें। मैं समझता हूं कि माथुर साहब ने अपने जीवन में यह अपने हाथ से बढ़िया से बढ़िया कलंक लगाया है, जिसको इतिहास भूल नहीं सकता। अभी कलक नहीं लगा है। आज चन्दनमल बैद जी मुस्करा कर चले गये, आज संत और सन्यासियों की कमी हो जाय, लेकिन मैं कहता हूं कि आप गोकुल भाई के प्राण लेकर ही छोड़ेंगे। आज आप इसको कह रहे हैं। इसको मजाक में न लें।

श्री चन्दनमल बैद : यही तो आपकी नीति है ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इसलिये बोल रहा हूं कि इसको बन्द किया जाये। आप नाराज हो रहे हैं। इसमें बड़ा मतभेद है कि इसे चालू किया जाये। मैं इसलिये कह रहा हूं कि यह आपका विषय नहीं है। आप चाहें तो ताली इधर से बजवा लें या उधर से बजवा लें। मैं माथुर साहब से कहना चाहता हूं कि यह संकट आकर खड़ा होगा, राजस्थान के मुख्य मंत्री के सामने। आज नहीं तो दो अक्टूबर से संकट शुरू होगा और आप निश्चित रूप से यह कह सकते हैं कि गोकुल भाई को इन्दिरा गांधी बुलाकर समझा देंगी या आप बुलाकर समझा देंगे और कोई आदमी जाकर कह देंगे कि इस संत ने जो प्रतिज्ञा ली है उस प्रतिज्ञा का पालन होगा और यह जो आपने शराबबंदी की घोषणा की है वापस लेनी पड़ेगी या उस आदमी की हत्या को आपको देखना पड़ेगा। उपाध्यक्ष महोदय, इसलिये मैं कह रहा हूं कि आप इसे सावधान होकर सुनें।

श्री चन्दनमल बैद : दिल में आप भी खुश हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हमारे वित्त मंत्री जी ने एक बात और कही कि जो आन्दोलन चल रहा है उस आन्दोलन को कोई असामाजिक तत्व फाइनेंस कर रहा है। यह तो कह दिया कोई दूसरा यह भी कह सकता है कि आपने जो मद्य निषेध को खत्म किया है उसके पीछे भी कोई फाइनेन्स है। आपने बड़ी आसानी से कह दिया आप गोकुल भाई पर आरोप लगा रहे हैं कि कोई असामाजिक तत्व फाइनेंस करके आन्दोलन चला रहे हैं। आज मैं कह सकता हूं कि सरकार ने किसी के सामने घुटने नहीं टके, असामाजिक तत्वों के सामने घुटने नहीं टेके माथुर साहब। इधर सुन लीजिए इस सरकार ने घुटने टेके हैं चिरंजीलाल के सामने, इसने घुटने टेके हैं रहमत खां सामने, इस सरकार ने घुटने टेके हैं जामीलल के सामने। इस सरकार ने उनके सामने घुटने टेके हैं। आज उनकी गाड़ी में बैठकर दिल्ली जाने वाले यह बात हमको कहें कि यह आन्दोलन असामाजिक तत्व चला रहे हैं, इससे काम नहीं चलेगा। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, इस मामले पर फिर से गहराई से विचार किया जाना चाहिए। इस मामले को लाइटली लेकर चलने की आवश्यकता नहीं है। इस मामले को हल्केपन से देखने की कोशिश करके इसका परिणाम निश्चित रूप से बुरा होगा। इस-

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

लिए मैं माथुर साहब से कम से कम राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी से अपील करना चाहूंगा कि वे इस इनकम के चक्कर में आकर इस प्रकार का कलंक अपने ऊपर न लें। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे वित्त मंत्री जी ने अमेरिका का रेफरेंस दिया। अमेरिका में इस पर लेख छपते हैं। मैंने भी लेख पढ़े हैं और मुझे मालूम है कि वे लेख कैसे छपते हैं? मुझे मालूम है कि अमेरिका की क्या स्थिति है? आप मुझे बता दीजिए सारे मुस्लिम कंट्रीज में, सिर्फ इज्पिट को छोड़ कर, कहां शराब पीने की इजाजत है? वहां पर क्या माफिया पैदा नहीं हुआ, वहां क्या असामाजिक पैदा नहीं हुए? आप केवल अमेरिका का रेफरेंस देकर यह सिद्ध करना चाहते हैं जैसा अमरिका के अन्दर है, हम भी कर सके हैं। वह एक सबसे बड़ा पूंजीपति देश है। वहां पर सबसे ज्यादा क्राइम होता है। संपन्न होते हुए भी क्राइम होते हैं। अमरिका के अन्दर अण्डर वर्ल्ड वार तैयार हो गई, इसलिये हम लागू नहीं कर सकते। आप जाइये पाकिस्तान में, आप जाइये बंगलादेश में, आप जाइये ईरान-इराक में, वहां कोई आदमी शराब नहीं पीएगा। वहां शराबबन्दी लागू है। क्या जिस चीज को मुस्लिम देश लागू कर सकते हैं हम नहीं कर सकते?

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी (राज्य मंत्री, राजस्थान नहर परियोजना) : मैं अर्ज करूंगा कि टर्की के अन्दर दारू खुली है, इण्डोनेशिया में खुली है और तो और रसिया में, आर्माईया में भी खुली है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं समझता हूं कि मुझे इस बात की खुशी है कि राज्य मंत्री जब भी विदेश गये हैं तो कहां क्या मिलता है इसकी चिन्ता नहीं की इन्होंने, लेकिन शराब कहां मिलती है इस बात की चिन्ता इन्होंने की है। मैं आपको इस इंवेस्टीगेशन के लिये...

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : न इण्डोनेशिया गया, न रसिया गया।

श्री उपाध्यक्ष : आपने सुनी सुनायी बात कही है।

श्री चन्दनमल बैद : विरोधी दल के नेता अनुभव से कह रहे हैं।

श्री खेतसिंह राठोड़ : आप उनसे पूछिये कि क्या कोई माननीय सदस्य शराब पीता है? सब कहते हैं कि नहीं पीते हैं, मगर सब पीते हैं। यहां आकर नशाबन्दी की बात करते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, यह शायद इन्होंने मुख्यमंत्रीजी की तरफ इशारा करके कहा है। मुझे ऐसा लगता है, वे यह नहीं कहेंगे कि मैंने नहीं देखा है। वे इसलिए कह रहे हैं। खेतसिंहजी आपने इसलिए कहा कि मैंने देखा नहीं, इसलिए उनके सामने संकट खड़ा हो जाएगा।

श्री खेतसिंह राठोड़ : मुझे तो यह भी नहीं मालूम शराब कैसे बनती है, कैसे बोतल में डाली जाती है, बोतल कैसे रखी जाती है, कैसे पी जाती है?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे खेतसिंह जी के इस भोलेपन पर खुशी हुई है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था; आज इस सारे शराबबन्दी के वातावरण में, पहाड़िया जी यहां नहीं हैं वे होते तो मैं यह कहता कि

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)
उनके शासन में भी वातावरण इस बात का बना था कि प्रॉहिबिशन को स्क्रेप कैसे किया जाये लेकिन इतना मैं उनके लिये प्रशंसा करना चाहूंगा कि पूरे दवाव के बाद भी प्रॉहिबिशन को उन्होंने स्क्रेप नहीं किया····

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : उनके जाने के बाद कह रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ये जायें तो मैं इनके जाने के बाद भी कह दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, ये बीच बीच में छेड़ रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : छेड़ नहीं रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: मैं यह क्यों कह रहा हूँ कि पहाड़िया जी के····

श्री उपाध्यक्ष: आप भी कुछ छोड़ने में कमी करते हैं ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि पहाड़िया जी की प्रशंसा क्यों कर रहा हूं ? उनमें अन्य और कमियां थीं, मैंने उनकी आलोचना भी की हैं और करूंगा और जो प्रशंसा की बात है तो उनकी प्रशंसा भी करूंगा, विरोध भी करूंगा क्योंकि विरोध पक्ष में बैठा हूं इसलिये करना पड़ेगा। उपाध्यक्ष महोदय, न मुझे उनसे कोई डर है और न ही कोई लगाव है। मैं इसलिये निवेदन कर रहा था कि पहाड़िया जी ने केवल इसलिये नहीं किया कि वे राजस्थान के मुख्य मंत्री थे क्या उनको फाइनेन्स की आवश्यकता नहीं थी ? उन पर भी जबरदस्त दबाव था। राजस्थान में 180 करोड़ का ओवर ड्राफ्ट चला गया था और ऐसी स्थिति में प्रॉहिबिशन को स्क्रेप कर सकते थे ताकि ओवर ड्राफ्ट कम हो लेकिन कोई भी मुख्य मंत्री उस श्रेणी में अपना नाम नहीं लिखना चाहेगा जिस श्रेणी में इन्होंने लिखाया है। उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने उस श्रेणी में नाम लिखाना चाहा। उनके सामने भी प्रॉहिबिशन का प्रश्न था लेकिन प्रॉहिबिशन के सवाल पर वे यह समझते थे कि शराबबन्दी के कारण यदि कोई बचा है तो शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग बचे हैं गरीब वर्ग के लोग बचे हैं। यदि प्रॉहिबिशन को खतम कर दिया तो शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को सबसे ज्यादा हानि पहुंचेगी, इसलिये इस ओर कोई कदम नहीं उठाना चाहते थे। उपाध्यक्ष महोदय, वे भी कर सकते थे लेकिन नहीं किया। तो एक सीधा साधा सा प्रश्न है कि जब से नई सरकार माथुर साहब की आई है मैं कहता हूं ये आये तब से ही यह विचार करके बैठे थे कि कब वे जायें और कब मैं करूं। अब यह इनकी मर्जी की बात है कि उनके जमाने में शुरुआत इस प्रकार की हो गई जिनका लाभ इस सरकार ने लिया। शुरुआत कैसे हो गई ? परमिट्स के मामले थे. परमिट से आदमी शराब पी सकता है······

(व्यवधान)

हां इसमें मुझे स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है। शराब पीना था तो परमिट खतम करें। परमिट से शराब पीना इसमें आग लगाने के बराबर है··

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : बीज किसने बोये-?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं बीज को जड़ से उखाड़ सकता था । मैं कहता हूं जिन जिन जिलों में प्रॉहिबिशन पहले से लागू हो गया वह सिस्टम चालू है । मैं चाहता तो बन्द कर देता और बन्द कर देता तो आगे परिणाम क्या निकलते? लेकिन मेरा निवेदन है इस प्रॉहिबिशन को स्क्रेप करने में जो थोड़ा बहुत योगदान हुआ है, वह नहीं होता । अब किस तरह हुआ है मैं निवेदन करना चाहता हूं मेरी समझ में नहीं आता। जितने परमिट होल्डर हैं, उस परमिट में इस बात का उल्लेख है और डाक्टरी सर्टिफिकेट होता है कि यदि इसको शराब नहीं दी गई तो मर जायेगा । इसको मेडिकली शराब आवश्यक है । मतलब शराब नहीं दी तो मर जायेगा । अब राजस्थान में दो-ढाई लाख आदमी ऐसे हो जायें कि शराब नहीं पीये तो मर जायेगा तो यह एक दुर्भाग्य की बात है । आज राजस्थान में लाखों लोगों को सुबह-शाम दो वक्त की रोटी नहीं मिलती लेकिन उनकी चिन्ता नहीं है सरकार को, जिन बच्चों को स्कूल में जाने के कपड़े नहीं हैं, उनकी सरकार को चिन्ता नहीं है । उपाध्यक्ष महोदय, जो लोग बीमार पड़े हैं उनके किसी परमिट का तो इन्तजाम नहीं किया और किसको परमिट दिया है जिन दो-ढाई लाख आदमियों के लिये डाक्टर कहता है कि यदि इनको शराब का परमिट नहीं दिया गया तो वे मर जायेंगे। यह कैसी विडम्बना की स्थिति है, इस सरकार की ?

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : खेतसिंह जी क्या कह रहे हैं ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : व बिना परमिट भी पी सकते हैं। हालत क्या हुई उपाध्यक्ष महोदय, जब यह मंत्री मण्डल में गये? मंत्रि-मण्डल में उपाध्यक्ष महोदय, ये फैसले हुए-एक बहुत बढ़िया उदाहरण देना चाहूंगा, मुख्य मंत्री जी से भी कहना चाहूंगा, वे देख लें। पहले परमिट मिलता था कि मुझे शराब पीने का परमिट दो, उसके लिये 15) रु. देकर डाक्टर का सर्टिफिकेट प्राप्त करना होता था और उसके बाद शराब पीने का परमिट मिलता था कि शराब पी सकते हैं । एक आदमी को परमिट दे दिया, जयपुर शहर में 6 दुकानें हैं उनमें कभी यह नहीं देखा कि जो परमिट होल्डर को परमिट मिला वह दूसरी दुकान से शराब नहीं ले सकता है । रजिस्टर में कहीं एन्ट्री की कोई व्यवस्था नहीं की गई । जहां गये शराब मिली-सरकार ने नियमों में ऐसी व्यवस्था नहीं की तो इसमें काफी गड़बड़ हुई ।

उपाध्यक्ष महोदय, धीरे धीरे डाक्टरी सर्टिफिकेट को हटाया गया कि डाक्टरी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है । आदमी खुद कह द कि मैं शराब के बिना नहीं रह सकता हूं तो उस स्थिति को स्वीकार किया लेकिन बाद में शराब का परमिट दे दिया प्राइवेट कान्ट्रेक्टर्स को कि शराब बनाकर बेचे । माननीय मुख्य मंत्री महोदय आप अभी अपने आफिसर्स को मेरे साथ भेज दीजिये, पुरानी तारीखों में परमिट बन रहे हैं । एक ही दिन में 8-6-81 जीतमोहम्मद कान्ट्रेक्टर ने 450 रुपये की राशि बनाकर सारे पैसे जमा कराये है। शराब पीने की न किसी ने मांग की, न किसी ने फार्म भरा लेकिन वह जीत मोहम्मद कान्ट्रेक्टर ये सारी एप्लीकेशन्स के फार्म भरकर देता है और सरकार में पैसे जमा होते हैं । मैं फार्म की ही बात नहीं कहता, उस समय के चालान देख लें । यह रिसीट बुक की मेरे पास कापी है । मुख्य मंत्री जी चाहेंगे तो मैं इसको दे दूगा ।

उपाध्यक्ष महोदय, सबसे बडी बात यह है कि जो लिस्ट देखी तो 10 पर्सेन्ट आदमी,

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

10 पर्सेन्ट भी मैं ज्यादा कह रहा हूं, मेरी चुनौती है सरकार स्वीकार कर लें, 10 पर्सेन्ट उस लिस्ट में से जिनाइन निकाल लें जितनें जीतमोहम्मद कान्ट्रेक्टर ने पैसे जमा कराय है। उसमें से 10 पर्सेन्ट सही निकाल दें तो मैं समझता हूं कि सरकार सही है। हिन्दुस्तान का कोई एक्टर या एक्ट्रेस ऐसी नहीं है, हिन्दुस्तान का कोई राजनेता ऐसा नहीं है, हिन्दुस्तान का कोई बड़े सरकारी अफसर नहीं है जिनके नाम पर शराब के परमिट बने हुए नहीं हों। 15) रु. जमा करवाओ और जिसका नाम चाहो भर दो। आज राजकपूर यहां नहीं हैं, कोई माला सिन्हा-यहां नहीं हैं, कोई धर्मेन्द्र या शशिकपूर यहां नहीं हैं- वे वहां बम्बई में बैठे होंगे और परमिट बन रहे हैं उनके यहां पर, तो उपाध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत बड़ा स्केण्डल है।

मैं चुनौती के साथ कहता हूं कोई सरकार जांच करवा लें, और जब चाहे जब करवा लें, मेरे मकान के पास इन सब कामों के ठप्पे लगते हैं और इस प्रकार के सारे परमिट बन रहे है ...

(व्यवधान)

यही तो कह रहा हूं कि परमिट की जरूरत इसलिये पड़ रही है।

(व्यवधान)

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : सफेदपोशी ..

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरी तो सुन लें। मेरे पड़ोस में है इसलिये कह रहा हूं जरूरत इसलिये है ..

(व्यवधान)

जरूरत इसलिये है कि चन्दन मल जी के रुपये पहले जमा हो गये। प्रोहिबिशन स्क्रेप हो गया, उसके पहले चालान से रुपये जमा करवा दिये। अब उन रुपयों को हजम करने के परमिट बनने चाहिये। आज तक वे कम्पलीट नहीं हैं। मैं बोलता हूं यहां पर, तब तक वे जाकर बता देंगे कि क्या बात है कोई लम्बी-चौडी बात नहीं है इसलिये मैं उपाध्यक्ष महोदय, कहता हूं ये सारे फर्जी परमिट बने है, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और है आज ये बार-बार कहा जाता है कि लोग क्यों मरते हैं? मुझे समझ में नहीं आता, लोग क्यों मरते हैं, इस बारे में पूछने की क्या जरूरत है, लेकिन मरते हैं डिनेचर्ड स्प्रिट के कारण' इसका जिस ढंग से उपयोग होता है, उसका यदि आप कोई अंदाज लगा लें तो उससे पता लग जायेगा। अपने यहां भी दो-चार-पांच आदमी पिछले दिनों में जहरीली शराब के कारण से मरे, यह जहरीली शराब कैसे बनती है, इस व्यवसाय को थोड़ा बहुत मैं भी जानता हूं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, कैसे बनती है

श्री उपाध्यक्ष : यह साइंस है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, यह साइंस है, और साइंस इतनी प्रगति कर गयी कि घर में भी बनती है, ये भी आपको ज्ञान होगा। मैं इसलिए निवेदन कर रहा था। क्या करते हैं कि जगह-जगह डिनेचर्ड स्प्रिट, जो पालिश करने वाले हैं, उनके नाम पर इश्यू की जाती है, वह पालिश के काम इश्यू की हुई डिनेचर्ड स्प्रिट पालिश के काम नहीं आती है, ये तो आप मानते हैं। अब वे देते हैं एक परमिट, एक फार्म छपा रखा है, इतना-

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

सा, उसमें है :

"जिला आबकारी, अधिकारी जयपुर, श्रीमान् जी, सेवा में निवेदन है कि मुझे पालिश कार्य हेतु 750 मिलीलीटर डिनेचर्ड स्प्रिट की आवश्यकता है, अतः दिलाने का कष्ट करें, कृपा होगी ।"

उपाध्यक्ष महोदय, सब अधिकांश एप्लीकेशन्स के ऊपर वे केवल इतना सा लिखते हैं, 750 मिलीलीटर स्प्रिट दिये जाने की अनुमति दी जाती है। ये आप चाहें यहां से भेज दें यहां दुकानें हैं, उन दुकानों के रजिस्टर पकड़वा लें, न तो आबकारी इन्सपैक्टर और आबकारी अधिकारी के यहां उनकी एन्ट्री है और न जो दुकान से बेच रहे हैं, उसके यहां एन्ट्री हैं, डिनेचर्ड स्प्रिट आती है और जाती है, पालिश वाले रोते घूम रहे हैं और नाजायज शराब बनाने वालों को अनुमति मिल रही है । मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आप असामाजिक तत्वों को ही दोष दे तो इससे ही काम नहीं चलेगा । हमारी व्यवस्था में भी कमी है, उसको भी हमें सुधारना पड़ेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, इस शराब के संबंध में भी एक जिस तरह की व्यवस्था हुई, पहले शराब बिलकुल बन्द थी, फिर आया शराब परमिट होल्डर्स के नाम पर शराब की दुकानें खुलीं, दुकानें खोलने का तय किया गया, गंगानगर शुगर मिल्स को ये दुकानें देंगें, गंगानगर शुगर मिल्स को ये दुकानें नहीं दी गयीं। उसके बाद में तय किया कि सौ रुपयें का लाइसेंस लेकर भी दुकानें दी जायेंगी, सौ रुपयें का लाइसेंस लेकर भी दुकानें दी। उसके बाद तय हुआ कि आबादी के हिसाब से जैसे जयपुर की आबादी है, उसमें 40 हजार रुपये का लाइसेंस, इसलिए रुपया लेकर दुकानें दी जायें, वैसे आबादी के हिसाब से एक स्केल बना दिया कि जयपुर में 40 हजार हुआ तो इतने रुपये देने पड़ेंगे, अमुक जगह इतने, अमुक जगह इतने । इस तरह और उपाध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा, जिस समय बजट स्पीच पर विचार-विमर्श हुआ, उस समय हमारे मुख्यमंत्रीजी ने कहा कि शराब नाजायज बनती है, आज हम उसको रोक नहीं पा रहे हैं, कुछ इसी तरह के वर्ड्स थे और उसमें एक्चुअल वर्ड्स इस तरह के थे कि मद्य निषेध अप्रेल 80 से पूर्णतया लागू है किन्तु इस बीच अवैध शराब बनाने एव उपयोग की शिकायतें आ रही हैं, अतः मद्य निषेध नीति के विवेकीकरण के उपाय सोचे जायेंगे । उन्होंने उस समय एक भाषण दिया, पूरा मार्च का महीना निकल गया, अब ये समझ में नहीं आया कि अप्रैल में शराब की कौनसी नीति राजस्थान में लागू होगी ? 27 तारीख आ गयी, 28 तारीख आ गयी, 29 तारीख आ गयी, 30 हो गयी, 31 हो गयी सरकार को मालूम नहीं आबकारी की नीति क्या है, जनता को मालूम नहीं, आबकारी की नीति क्या है, ठेकेदारों का दबाव आया, एक तारीख को क्या किया जाय, राज्य मंत्री इस समय यहां उपस्थित नहीं होंगे, उस समय शायद उप-मंत्री थे। उन्होंने उस फाइल को देखा, ठेके चालू करने थे, मैं मुख्यमंत्रीजी, आपसे जानकारी करना चाहूंगा कि जिस समय तक प्रोहिबिशन स्क्रेप नहीं हुआ, उस समय तक बिना परमिट के कोई शराब नहीं पी सकता था, यह कानून था, परमिट का रिन्यूअल होना चाहिए, एक वर्ष के अन्दर यह कानून है । राजस्थान में कोई शराब पीने वाला परमिटधारी, इस तरह का नहीं था, जिसका परमिट रिन्यू हो गया, आपने दुकानें क्यों दी ? शराब पीने वाला राजस्थान में नहीं था, तो दुकानें क्यों दी ? खैर, आपने दुकानें दे दीं, य आपकी मर्जी की बात है। लेकिन दूसरा क्वेश्चन है क्या आपने जयपुर

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

के लिए 40 हजार रुपये का तय किया? शराब की नीति क्या है, यह विधान सभा में नहीं बताया, विधान सभा के द्वारा नहीं बताया। उपाध्यक्ष महोदय, आपको सुनकर ताज्जुब होगा उसके ऊपर पहाड़िया जी के दस्तखत नहीं, किसी मिनिस्टर के दस्तखत नहीं, वे ठेके वापस कैसे मिल गये, उन लाइसेंस होल्डर्स को ठेके कैसे मिल गये? मेरी समझ में तो आज तक नहीं आया, अब दोष दिया जाता है, राजस्थान के भूतपूर्व मुख्य मंत्री पहाड़िया जी को और दोष देकर कहा जाता है कि शराब के लाइसेंस पहाड़िया जी दे गये। मेरी जानकारी के अनुसार उन कागजों पर पहाड़िया जी के दस्तखत नहीं है लेकिन देने वाले राजस्थान के मुख्य सचिव है, मैं उनको पूछता हूं कि उनकी अथॉरिटी क्या है? मुख्य सचिव की अथोरिटी क्या है, शराब के लाइसेंस देने की, सरकार की कोई पॉलिसी नहीं, एक बार पालिसी बना दी, उसको एग्जीक्यूट करने के बारे में कह सकते हैं कि किसी भी सेक्रेटर की, हैड आफ दी डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी हो सकती है लेकिन जहाँ चीफ मिनिस्टर साइलेंट, केबिनेट साइलेंट, जहां किसी प्रकार की कोई पॉलिसी नहीं, चीफ सेक्रेट्री अपनी मर्जी से कोई पॉलिसी बनाकर राजस्थान में एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। आपको देखना है तो फाईल मंगाकर देख लें, उसमें कहीं पहाड़िया जी के दस्तखत नहीं हैं। या तो रामपाल उपाध्याय के हैं या राजस्थान के मुख्य सचिव के हैं, इसलिए मैं कहता हूं कि जब मैंने कहा कि राजस्थान सरकार पर कौन हावी है, उस समय, मुख्य मंत्रीजी, आप नाराज हो गये। वे कहने लगे, मैं और सब कुछ सहन कर सकता हूं और सब कुछ सुन सकता हूं, ये नहीं सुन सकता कि मुझे राजस्थान के मुख्य सचिव गाईड करते हैं। उन्होंने जिस ढंग से किया है, वही आपके सामने बात कर रहा हूं। फिर आया, उपाध्यक्ष महोदय, मार्च का महीना, अप्रैल के अन्दर आपने दे दिया, अप्रैल में गवर्नमेंट किस बात का इंतजार करती रही, अप्रैल में कोई शराब की नीति नहीं थी तो अप्रैल में भी जिस तरह से मई तक फिर एक्सटेंड कर दिया। फिर मई का महीना आया फिर उसको एक्सटेंड कर दिया गया फिर जून आया जून में एक्सटेंड कर दिया। फिर आपकी सरकार आयी, शायद 14 जुलाई, को, तो मैं समझता था कि कम से कम अगर प्रोहिबिशन स्क्रेप करना है तो हम जान-बूझ कर जो सामाजिक तत्वों के हाथ में पैसा दे रहे हैं उसको तो रोकेंगे, आपने भी लीज दे दी, आपने भी उसमें कोई रोक थाम नहीं की। 14 तारीख के बाद 31 तारीख तक 17 दिन का समय होता है। उपाध्यक्ष महोदय, 17 दिन में मुख्य मंत्री जी समझ सकते हैं, मुख्य मंत्री और वित्त मंत्री जिनकी आज भी चिंता है, राजस्थान में कोई आय नहीं हो रही है। इस बात की चिन्ता है, वे कम से कम सबसे पहले जो आय की लीकेज हो रही थी, उसको रोकने की कोशिश करते। उस लीकेज को नहीं रोका और अब कान्ट्रैक्ट दे दिया। अब कान्ट्रैक्ट देने में, कान्ट्रैक्ट का जिक्र बिलकुल अलग है, मैं इस समय उल्लेख करना नहीं चाहता, मौका आयेगा, उस समय बोलूंगा कि कान्ट्रैक्ट किस प्रकार दिये गये। सारी मान्यताओं को ताक पर रखकर कान्ट्रैक्ट दिये गये लेकिन मैं आज चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी के सामने कह रहा हूं कि ये जो एक-एक महीने का एक्सटेंशन हुआ है, यह केवल कृपा के कारण से नहीं हुआ, उदारता के कारण से नहीं हुआ है, अयोग्यता के कारण से नहीं हुआ,

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

अनभिज्ञता के कारण से नहीं हुआ, अनुभवहीनता के कारण से नहीं हुआ लेकिन भ्रष्टाचार के कारण से हुआ है। अगर आप जांच करायें, आप हिसाब लगा लें पूरा कि एक मार्च से 40 हजार रुपया, मेरी समझ में नहीं आता, उपाध्यक्ष महोदय, कौन सा रेस्टल है? पहले सौ रुपये का लाइसेंस, वहीं लाइसेंस 40 हजार रुपये का? चन्दन मल जी करेक्ट करेंगे, जयपुर में जहां शायद पिछली बार दो करोड़ 40 लाख के आक्शन या गारण्टी सिस्टम पर दुकानें दी गयी थीं, दो करोड 40 लाख और मेरी इन्फार्मेशन के हिसाब से इस समय 7 महीने के लिए एक करोड़ 73 लाख में दुकानें दी गयी हैं, ये 5 महीने यदि आपको और मिल जाते, 7 महीने में एक करोड़ 73 लाख की इन्कम हुई हैं, यदि 5 महीने आपको और मिल जाते तो दो करोड़ 40 लाख जो पुराने थे, वही नही मिलता आपको 3 करोड़ तक की आय होती, 3 करोड़ रुपये की कमी किसके नाम से, ये हुई। मुख्य सचिव की अनएफीशिऐंसी के कारण हुई यह मैं इसलिए कहना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, आज नोटिस एक्जीक्यूट किया जाएगा, मैं मुख्य सचिव के खिलाफ बोलूंगा। शायद यह कहा जाएगा, जैसे मुख्य मंत्री जी पिछली बार भाषण में कह गए, लेकिन मैं आपको बताता हूं, मुझे न कोई बहका सकता है न मुझे कोई गाइड कर सकता है, न मैं किसी के पक्ष में हो सकता हूं, न मैं किसी के विपक्ष में हो सकता हूं। मैंने उस समय भी हाउस में कहा था, पहाड़ियाजी से कहा था पहाड़ियाजी सम्भल जाओ, यह शराब में जिस प्रकार के घोटाले चल रहे हैं उनको रोकने की आवश्यकता है। वह रोकना हुआ नहीं, नतीजा यह निकला कि पांच महीने निकल गए। एक करोड़ 73 लाख की हमारी इनकम हुई। वह इनकम पूरी की पूरी चलती तो 2 करोड़ 40 लाख रुपयों की कम से कम होती। अब जैसा ट्रेंड आ रहा है इन्क्रीज का, वह ट्रेंड होता तो हमें ज्यादा पैसा मिलता। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं, ये सारे मसले इस तरह के हैं जिनमें जांच करने की आवश्यकता है। मैं चाहूंगा, चाहे चन्दनमल जी जवाब दें, चाहे मुख्य मंत्रीजी जवाब दें, जबाब इस बात का दें, और निश्चित रूप से इस बात का जबाव दें कि यह सारा किस कारण से पांच महीने तक चला? मुख्य मंत्री जी ने एक बात यहां सदन में कह दी कि पिछली सरकार के भी जिम्मेदार हम हैं। पहाड़ियाजी हमारे नेता हैं। पिछली सरकार की जिम्मेदारी हमारी है। तो मुख्य मंत्रीजी, मैं आपसे इतनी ही जानकारी करना चाहूंगा कि पिछले पांच महीने तक, पिछली बार पांच महीने तक आप प्रतीक्षा करते रहे, यह प्रतीक्षा किस कारण से की? यह कारण मुझे तो नजर नहीं आया। इसलिए मैं कहता हूं, माननीय वित्त मंत्री जी ने कह दिया कि असामाजिक तत्व यह आन्दोलन कर रहे हैं, असामाजिक तत्व इस आन्दोलन को फाइनेंस कर रहे हैं। मैं वित्त मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि असामाजिक तत्व नहीं बल्कि ये कांट्रेक्टर इस सरकार की गर्दन पर बैठ कर राजस्थान में प्रोहिबिशन को स्क्रेप करवा रहे हैं। कोई आदमी और नहीं है। कोई जनहित नहीं है वह इस धोखे में न रहें कि इसमें जनहित होगा। वह इस धोखे में न रहे कि इससे राजस्थान सरकार का खर्चा नहीं चलेगा। मैं वित्त मंत्रीजी को कहना चाहता हूं जो वित्त के मामले में बड एक्सपर्ट हैं, हमने भी राजस्थान के गांव 2 में काम कराये है। राजस्थान में हमने बिजली का विस्तार किया, राजस्थान में हमने एजूकेशन का विस्तार कराया।

(श्री भैरोंसिह शेखावत)
मैं आंकडों के आधार पर, आंकड़ो देते हुए अभी नहीं कहना चाहता लेकिन जिस समय जनता पार्टी का शासन था, विकास में कोई कमी नहीं, आई और शराब को हमने बन्द करके रखा था। उस समय मैं आपसे कहना चाहता हू ...

(व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : ये कह रहे हैं कि अनाज खा गए, और कुछ नहीं किया।

श्री भैरोंसिह शेखावत : क्या खा गए ?

श्री चन्दनमल बैद : अनाज खा गए।

श्री भैरोंसिह शेखावत : तो चन्दनमलजी, इनको तो जलनहोगी, क्योंकि वह अनाज गांवों का था और गांवों के विकास में लगा दिया। ये तो गांवों को फूटी आंख से नहीं देखना चाहते। गांवों का विकास हो जाय, यह श्रीराम गोटेवाला कभी सहन नहीं कर सकता और इसलिए जब गांवों का विकास हो गया.........

(व्यवधान)

श्री श्रीराम गोटेवाला (राज्य मंत्री, स्वायत्त शासन) : विकास करके ही इधर से उधर विराजें आप, यह भी बतायें। यह विकास का नतीजा है क्या आपका ? विकास नहीं आपने विनाश किया है। जगह-जगह पर जा करके, और आज गांवों के विकास के कार्यक्रम हाथ में लिए हुए हैं।....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री श्रीराम गोटेवाला : इस तरह से भाषणबाजी करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज नारेबाजी करके जितनी बातें बोल रहे हैं, मैं भी उस जमाने में प्रोसीडिंग्स पढ़ता था, ये सारा चार्ज आप पर भी था कि मीठालाल मेहता यहां का मालिक है। यह भारी चार्ज आप पर लगता था।

श्री भैरोंसिह शेखावत : सभापति महोदय, मुझे इस बात की खुशी है कि मीठालाल मेहता का नाम इस सदन में फिर आया है.....

श्री दुलाराम : उपाध्यक्ष महोदय, कहें।

श्री भैरोंसिह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की खुशी है कि मीठालाल का नाम इस विधान सभा में फिर आया है और इसलिए आया, यह सही है कि मीठालाल इनके सिर पर बैठा है। उतरता ही नहीं है, जब कोई भूत सिर के ऊपर बैठ जाये। इस समय इस सरकार पर मीठालाल मेहता बैठा हुआ है, उतारने की कोशिश करते हैं परन्तु उतरता नहीं। अब उतरता नहीं तो इनकी अयोग्यता है। उतरता नहीं तो इनकी कमी है, इनमें कोई अनुभव की कमी है जिसके कारण से नहीं उतरता। मुझे शर्म आती है राज्य मंत्री इस प्रकार से एक सरकारी कर्मचारी का नाम ले रहे हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने सरकारी अधिकारी का नाम नहीं लिया, मैंने तो यह कहा है कि इस प्रकार के चार्ज लगते थे। आज जिस स्थिति में जिस प्रकार की बात करते हैं कि पता नहीं राजस्थान को कहां ले गए। आंकड़ें तो यह बताते हैं कि आपके जमाने में, 77 से लेकर 80 तक आप यहां पर रहे, 80 के शुरूआत तक आप प्रशासन में रहे तो आपने कौन सी तरक्की कर दी ? कहां पर प्रगति हुई है।

(श्री श्रीराम गोटेवाला)
हमारी तो आज जो स्थिति है, सन् 81 के जनता पार्टी के आंकड़े आए हैं, बहुत चौका देने वाले आंकड़े हैं। केवल मात्र भाषणों में आप तरक्की करते रहे तभी तो आपकी यह गति हुई कि इधर से उधर पधार गए, और खुद भूतपूर्व हो गए। मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ असलियत पर तो कायम रहो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, आप मुझे बोलने देंगे।

(व्यवधान)

और बोल लो आप।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मेरा नम्बर आएगा, तब बोलूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा नम्बर आएगा तब बोलूंगा इतना यदि रूल्स का ध्यान होता तो आप बीच में खड़े ही नहीं होते।

श्री श्रीराम गोटेवाला : रूल्स का ध्यान रख कर ही बोल रहा था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं, उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही कहना चाहता हूं...

श्री उपाध्यक्ष : ध्यान रखिये, आइन्दा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं जल्दी ही समाप्त कर रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, आपने यह कहा कि गांवों में अनाज क्यों चला गया? अनाज की आपको परेशानी बहुत ज्यादा हो रही है। अनाज गांवों में क्यों चला गया? यह तो मैं, मुख्य मंत्री जी इतना ही कह सकता हूं कि अनाज गांवों में गया। अनाज गांवों में गया क्योंकि गांवों का अनाज था इसलिये में गांवों चला गया। अगर गांवों का अनाज गोदाम में पड़ा रहता तो या तो काले चूहे खाते या सफेद चूहे खाते, मैंने दोनों को ही नहीं खाने दिया, गांवों का अनाज गांवों में भेज दिया। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आपको नुकसान क्या हुआ? गांवों का कहीं नुकसान हुआ है, यदि किसी सरपंच ने गड़बड़ की है तो उसको सजा दें। हमने गड़बड़ की तो हुकूमत आपके हाथ में है. हमारे खिलाफ किसी प्रकार की जांच करने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधा थानेदार को कहिये, भैरोंसिंह ने गड़बड़ की है या अमुक आदमी ने गड़बड़ की है, केस रजिस्टर करो और चालान करो। हम आपके सामने कभी हाथ जोड़ कर खड़े होने वाले नहीं हैं कि हमने कोई गलती की है उसके लिए क्षमा करो। मैं तो आपको चुनौती देकर कहता हूं, अगर हमनें गड़बड़ की है तो शिवचरणजी माथुर को कोई इंक्वायरी कराने की आवश्यकता नहीं, सीधा जिस थाने से संबंधित मामला हो उस थाने में भेज कर केस रजिस्टर करायें, हमारा चालान करायें। केस गलत होगा तो अदालत से बरी हो जायेंगे नहीं तो सजा भुगत कर बाहर आ जायेंगे। यह अहसान करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं इस सदन को सावधान कर देना चाहता हूं मैंने इसी सदन में एक बार भाषण दिया था लोगों ने उस समय मजाक किया था। मैंने पहाड़ियाजी को सावधान किया था और आज माथुर साहब को सावधान कर रहा हूं कि ये पीछे बोलने वाले हैं इनके कारण से आप जाओगे। किसी के कारण से नहीं जाओगे, और बो .।

(व्यवधान)

श्री श्रीराम गोटेवाला : यह भाषण बहुत पुराना हो गया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय मंत्रिगण बीच में इण्ट्रप्शन न कीजिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इसलिए कह रहा हूं और आज मैं कहता हूं, माथुर साहब कि मार्च के महीने के पहले-पहले आपको इनसे मुक्ति लेनी पड़ेगी। नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि ज्यादा चिपकने की कोशिश की तो लोग आपको मुक्ति दे दें। मैं आपके बारे में कोई कुछ कहना नहीं चाहता, और मैं समझता हूं कि जो मेरा खयाल है, वह सही निकलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन ज्यादा ऐसे लोगों का विश्वास भी मत करना जो कैसी कैसी बातें कहां कहां करते हैं? मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक राजस्थान में, खर्चे का सवाल है, हमने भी खर्चा किया है। मैं समझता हूं, और कोई माने या नहीं माने, शिवचरणजी माथुर भी मानेंगे, चन्दनमलजी भी मानेंगे, मंत्री-मण्डल के सदस्य श्री श्रीरामजी गोटेवाला जो कि समझदार हैं, भी मानेंगे, मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि ढ़ाई वर्ष में जितने भी विकास के काम हुए हैं, मैं नहीं कहता आप उससे ज्यादा नहीं कर सकते। मैं यह नहीं कहता कि उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रही, लेकिन मैं आज यह निश्चित रूप से कह सकता हूं कि राजस्थान के इतिहास में गांवों में जितनी मात्रा में पहले काम नहीं हुआ वह हमने काम कराया। वह काम कराने के बावजूद भी हमको कोई घाटा नहीं हुआ। शराबबन्दी हमने की उससे कोई घाटा नहीं हुआ। ऐसी स्थिति पैदा नहीं की शराबबन्दी हमने कर दी, शराबबन्दी हम करेंगे तो प्लान नहीं चलेगा। बैदजी को याद है कि साढ़े सत्तरह करोड़ रुपयों का सिकस्थ प्लान था, आप उस प्लान को एक साल बाद में बनवाया और साढ़े इक्कीस सौ करोड़ रुपयों का प्लान हो गया। प्राइसेज जितनी मात्रा में बढ़ी उस रेश्यों में अगर देखें तो कोई अन्तर नहीं पड़ा साढ़े सत्तरह सौ करोड़ रुपयों का हमने प्लान बनाया था, उपाध्यक्ष महोदय, उस समय भी हम यह सोच कर चले थे कि शराबबन्दी के कारण से हमें कोई आमदनी नहीं होगी। जो केवल फिफ्टी पर्सेंट रीएम्बर्समेंट होता है वही केवल मात्र रीएम्बर्समेन्ट हमको होगा। उस आधार पर हम भी चले थे और आप यह मान कर चलिये, मैं भी यह समझता था कि शराबबन्दी लागू करने में कई प्रकार की समस्यायें आयेंगी लेकिन कोई यह समझें कि दबाव से शराबबन्दी की हो ऐसी बात नहीं है। मैं अपने गांव का उदाहरण आपके सामने रखता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने गांव का उदाहरण रखता हूं। मेरे गांव में भी लोग शराब पीते हैं। मेरे परिवार के लोग भी शराब पीते हैं। मैं कोई मना नहीं कर रहा हूं। मैं इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। मुझे कई बार गांव वालों ने कहा कि, तुम चीफ मिनिस्टर न गए, यह शराब का ठेका यहां से हटा दो। मैंने कहा कि एक महीने बाद हटाऊंगा, दो महीने बाद हटाऊंगा, तीन महीने बाद हटाऊंगा, लेकिन ज्योंही सीकर में प्रोहीबिशन लागू हुआ वहां से शराब का ठेका उठा, उसका परिणाम यह निकला, मुख्य मंत्रीजी कि जो रैगर पिया करते थे उन्होंने फैसला कर लिया हम शराब नहीं पियेंगे। बलाई पिया करते थे उन्होंने फैसला कर लिया हम शराब नहीं पियेंगे। वहां पर जो छोटी कौम के लोग शराब पीने के आदी थे उन्होंने फैसला कर

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)
लिया कि हम शराब नहीं पीयेंगे। शराब की लत किन में लगी कि जो बचे खुचे राजपूत थे उनमें लगी।

श्री दुलाराम : ठाकरों में।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं कोई इन्कार नहीं कर रहा हूं। वह लोग पीने लगे, जो धनी, काश्तकार थे वे पीने लगे। मैं दुबारा गया लोग कहने लगे कि यह बीमारी एक घर से निकल कर दूसरे घर में चली गई। मैंने कहा बात सही कही है। गरीब के घर से बीमारी निकल कर अमीर के घर में लग गई। इस प्रकार की बीमारी लग गई तो कोई चिन्ता नहीं। मैं बीमारी को गरीब के घर से निकालना चाहता हूं। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, इस लिए कह रहा हू कि यह बीमारी गरीब के घर से निकली है, चन्दनमलजी जो आपको नाराजगी है तो यह पूंजीवादी दृष्टिकोण है, समाजवादी दृष्टिकोण नहीं है। अमीर के घर में बीमारी नहीं पहुंचे, आप गरीब के घर में बीमारी पहुंचाना चाहते हैं। यह है इस सारे मामले की जड़। और इस जड़ को मैं समझता हूं। आपमें और मुख्य मंत्रीजी में बनने वाली नहीं हैं।

(व्यवधान)

यह समाजवाद है। पाली में आज से दस वर्ष पहले भाषण दिया था, याद है?

श्री चन्दन मल बैद: अब लाइन छोड़ दी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: अच्छी छोड़ दी। उपाध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा माथुर साहब को याद है दस वर्ष पहले ये और हमारे अध्यक्ष महोदय, श्री विश्नोई जी पाली में एक समारोह में गये थे। इन दोनों ने बड़े जोर शोर से भाषण दिये, समाजवाद आयेगा, खूनी क्रान्ति नहीं होगी, याद होगा? इसलिये खूनी क्रान्ति वाले समाजवादी पूंजीवादियों की गोद में बैठ गये, पैसे वालों की हिमायत करने लग गये, गरीब के शोषण की छूट देने लग गये। मैं समझता हूं, या तो उस समय बात कही थी वह सही नहीं है या आज जो कुछ कर रहे हैं वह सही नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा आपका सवाल सामने मत रखो। मैं उदाहरण देना नहीं चाहता, महात्मा गांधी और नेहरू का। मैं उदाहरण नहीं देना चाहता आचार्य तुलसी और आचार्य विनोबा भावे का। उन्होंने क्या कहा? मैं कह चुका अब मैं नहीं कहना चाहता। मैं समझता हूं उनका इस समय कोई असर नहीं है। उनकी बात का कोई यदि असर होता तो निश्चित रूप से प्रॉहिबिशन को स्क्रेप करने के लिये कोई कदम नहीं उठाया जाता। मैं तो केवल एक ही निवेदन करना चाहता हूं, यह इसलिये निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो सारा मामला चल रहा है असामाजिक तत्वों की आड़ में चल रहा है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं आपने कितने लोगों को नेशनल सिक्योरिटी आर्डिनेंस में गिरफ्तार किया, क्या यह समझते हैं कि ऐसे असामाजिक तत्व राजस्थान में पैदा हो गये हैं जो ना पुलिस के कंट्रोल में आते हैं, न डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के कन्ट्रोल में आते हैं, ना जनता के कन्ट्रोल में आते हैं और सरकार की कमाई खा रहे हैं, गरीबों का शोषण कर रहे हैं। क्या उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता? आप गिरफ्तार करेंगे मजदूर को, आप गिरफ्तार करेंगे विद्यार्थियों को, आप गिरफ्तार करेंगे छोटे व्यपारियों को उनको तो नेशनल सिक्योरिटी आर्डिनेन्स में उठाकर रख देंगे, एक्सटेंशन हो जायेगा। शराब पीने वालों से क्या आपकी दोस्ती थी? क्या शराब पीने वाले आपके मित्र थ? जो असामाजिक तत्व आप खुद कह रहे हैं, आपके

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

काबू में नहीं आये, उनको काबू में करने के लिये इंदिराजी ने लोक सभा में घोषणा की थी, मैं राजनीतिज्ञों के खिलाफ नेशनल सिक्योरिटी आर्डिनेन्स लागू नहीं करूंगी । मैं असामाजिक तत्वों के खिलाफ लागू करूंगी आपने किसको गिरफ्तार किया ? किसी को नहीं ? कर ही नहीं सकते हैं । करने का कोई सवाल ही नहीं है ।

अब इसलिये मैं कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, एडल्ट्रेशन का कानून है । मैं पूछना चाहता हूं एडल्ट्रेशन कानून किसलिये है ? चाहे काश्तकार दूध में पानी मिला दे, दुकानदार मिर्च, धनिये, मसाले में कोई चीज मिला दे तो जेल, और यहां पर खुले आम पानी मिलाया जा रहा है । खुले आम भगवान जाने किन किन चीजों में मिलाया जाता है । आज तक मुझे बता दें किसी शराब की दुकान वाले का आपने चालान किया है ? आपने चालान नहीं किया ।

एक माननीय सदस्य : पानी मिलाने से हल्की हो जाती है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पानी मिलाने से शराब हल्की नहीं होती, पानी मिलाने से दिमाग भी हलका हो जाता है ।

इसलिये मैं निवेदन कर रहा था पब्लिक न्यूसेन्स का क्वेश्चन है । आज कोई बैण्ड बाजा बजा रहा है, भजन कीर्तन में लाउड-स्पीकर बजा दे, बिना परमिशन के, जयपुर शहर में आये दिन चालान होते हैं । उपाध्यक्ष महोदय, आपने भी देखा होगा, शहर में कई बार मतवाले ऐसे जोर से घूमते हैं न कोई गाड़ी निकल सकती है न कोई ट्रक निकल सकता है । आज तक ऐसे न्यूसेन्स करने वाले को शराब के मामले में गिरफ्तार नहीं किया । शाप एण्ड कमर्शियल एक्ट के मातहत दुकानों का समय निश्चित होता है । यदि व्यापारी दुकान को समय पर बन्द नहीं करे उसका कांसफिस्केशन हो जायेगा । लेकिन ठेके के संबंध में इस तरह की बात हो जाये, किसी का भी चालान नहीं होगा ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यही कह सकता हूं माननीय वित्त मंत्रीजी ने अभी 12 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की ।

सूत्रों से राजस्थान ही नहीं हिन्दुस्तान की जनता परेशान हो गई है ।

आज आप लोग बैठे हैं । मंत्रिमण्डल के साथी बैठे हैं । किसी को पूछलें 20 सूत्र क्या हैं ? याद किसी को याद हो तो वह बतादे ।

श्री बुलाराम: हमें तो याद है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: बता दें ।

श्री बुलाराम: आप तो इंदिरा गांधी के, संजय गांधी के 25 सूत्रों में विश्वास नहीं रखते हो । आप हमारे हैड मास्टर हो ? हमारे मुख्य मंत्रीजी पूछेंगे तो बता देंगे । आपका विश्वास नहीं है क्या बतायें ।

अनेक माननीय सदस्य : बोलो बोलो ।

श्री उपाध्यक्ष: आर्डर प्लीज ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो यही कहना चाहता हूं, मेरी चुनौती स्वीकार कर लें, मुख्य मंत्रीजी को बीस सूत्री याद नहीं है । आप बीस सूत्री कार्यक्रम को लेकर चल रहे हैं । मैंने पहाड़िया जी से कहा था 26 जिलों के नाम बता दें, नहीं बता पायें । शिवचरणजी माथुर बीस सूत्री के नाम बतादें, नहीं बता पायेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, यह आई क्यू टैस्ट नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ठीक है। उपाध्यक्ष महोदय, आई क्यू टेस्ट नहीं है। यह मेरे समझ में आ गया।

अब अन्त में एक बात कहना चाहता हूं। यह असामाजिक तत्वों मुख्यमंत्रीजी एक बात और सुन लें। ठेकों में गड़बड़ हुई, उसके संबंध में कहना भूल गया था। शायद आपकी नॉलेज में नहीं हो। जो ठेके दिये गये, एक सिस्टम चालू किया गया। वह सिस्टम यह था कि जो बकाया जमा करा देगा उसे लाइसेंस मिलेगा बकाया आपकी बहुत थी। बकाया वसूल हुई है। इसलिये, मैं समझता हूं, जिस अधिकारी ने बकाया वसूल की उसकी प्रशंसा करता हूं। खूब तरकीब से बकाया वसूल, की। कह दिया भाई, दूदू का कांट्रेक्ट लेना है तो दूदू के ठेके पर जितनी बकाया थी उसको चुकाओ और चुका कर ठेका ले लो। अगर जिसमें बकाया है वही, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बकाया चुकता है और उसको ठेका मिलता है तो मेरे समझ में आई बात बिलकुल वाजिब है। लेकिन बकाया उपाध्यक्ष महोदय में है, चुकाये भैरोंसिह।

उपाध्यक्ष महोदय, इतनी उदारता का नमूना आपने हिन्दुस्तान में नहीं देखा होगा।

श्री चन्दनमल बैद: लेने वाले, देने वाले कई लोग हैं।

श्री भैरोंसिह शेखावत: वही कहावत है, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टका सेर भाजी टका सेर खाजा। वही राजस्थान में देखने को मिली। कितने रुपये बरामद किये गये? बकाया एक में वसूली तीन से हो रही है। अब इतना सा भी काम हो जाये तो दिख रहा सरकार को खजाने में आय हुई है, चिन्ता नहीं है। लेकिन वित्त मंत्री जी जानते हैं, पुराने रहे हुए हैं, कई ठकेदारों में बकाया है, उन्हों बकाया के विरुद्ध हाई कोर्ट में रिटें कर रखी हैं। आपको यह भी पता है कई आदमी रिटों में जीत गये हैं। अब उनके नाम से जो बकाया जमा हुई है, उधर से उन्होंने खारिज करवाली है। इधर से कल यह दावा करने वाले हैं कि हमने इतना रुपया जमा करवाया है वापस दो। यह स्थिति पहले नहीं देखी होगी। मैं समझता हूं, राजस्थान में बकाया की 80 लाख के करीब वसूली हुई है। उन लोगों की वसूली की जिनकी बकाया नहीं थी। बकाया थी आपके नाम पर, आपके नाम से मतलब "ए" के नाम से मेरे नाम से बकाया थी, वसूल आपसे हो गई और आपन वसूल करके मेरे नाम से जमा करादी। मेरी बकाया हाई कोर्ट से माफ हो गई। अब कल मैं छाती पर खड़ा होऊंगा मेरी बकाया वापस लाओ। आपने जो असामाजिक तत्व है उनको दो तरह से सहायता दी। एक तरफ उनकी बकाया दूसरों से जमा करा ली, दूसरी तरफ अब वह हाई कोर्ट में जीत गये पैसा उन्होंने दिया नहीं, एक कौड़ी नहीं दी। वह कोड़ी सारी की सारी वसूल करेंगे। इसलिये मैं कहना चहता हूं दुगुना लाभ उनको इस सारी चीज में देंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, चाहे आप किसी कानून से करें, किसी भी रूप में करें जिस तरह से आपने शराबबन्दी को स्क्रैप किया इसके परिणाम तो आपको भोगने पड़ेंगे। मैं इतना ही नहीं कहता मेरी... कई भ्रांतियां इस संबंध में थी, यह काम नहीं चलेगा। मुझे भी डर लगता था, प्रोहिबिशन लागू करने के लिये मैं भयभीत था कि काम चलेगा या नहीं चलेगा लेकिन यह तो हिम्मत का काम है। मैं समझता हूं, माथुर साहब, पहाड़िया जैसे

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

आदमी हिम्मत कर गये तो आप तो, उनसे ज्यादा हिम्मत दिखाने वाले थे लेकिन आपने पहले आरम्भ से इस प्रकार कमजोरी के लक्षण इस राजस्थान की सरकार को दिखाये हैं, जिसके कारण इस सरकार के ऊपर कोई कलंक न लगे। मैं ऐसी स्थिति को स्वीकार नहीं करता।

अन्त में इतना ही निवेदन करना चाहता हूं माननीय सदस्यों को, कि राजस्थान में शराब बन्दी करके हम कोई मद्रास, केरल, तमिलनाडू और बाकी के स्टेट्स अपने दिमागमें लेकर चले कि और स्टेट्स ने बन्द कर दिया स्क्रेप कर दिया इसलिये हमे स्क्रेप करना चाहिये, ऐसी बात नही थी। अन्त में इन्ही शब्दों के साथ जो कुछ सरकार ने शराब बन्दी के नाते विपरीत कार्य किया है मैं उसकी निन्दा करते हुए, मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री राजबहादुर (भरतपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह हमारे राजनैतिक और जीवन की विचित्र विडंबन है, कि जिनको प्राहिबिशन के पक्ष में बोलना चाहिए था, शराबबन्दी के पक्ष में काम करना चाहिए था जो इसके लिए आजादी के आन्दोलन के समय से प्रतिज्ञाबद्ध थे वे तो इसे खत्म करना चाहते है और जो शराबबन्दी के पक्ष में पहले इतना कमिटेड बोलते नहीं थे उनको आज शराबबन्दी पर इतनी जोरदारी से आग्रह करना पड़ रहा है यह विडम्बना है। जब मेरे मन में यह बात आई तो कुछ इस प्रकार घट रहा है उससे कुछ अतीत की स्मृतियों, झांकियां मेरे मानस पटल पर छा गईं

(4.00 म. प.)

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत, सभापति, पदासीन)

एक जमाना था जब आजादी का आन्दोलन चलता था। जब बापू का आव्हान सुनते थे तो विदेशी दुकानों पर, विदेशी कपड़े की दुकानों पर, शराब की दुकानों पर पिकेटिंग होती थीं। हमारा आन्दोलन था उसके लिये हमारे राजनैतिक लक्ष्य यह थे कि जब कभी आजादी मिलेगी तो हम कोशिश करेंगे की शराबबन्दी को लागू करें। शराब, विदेशी कपड़े की दुकानों पर पिकेटिंग होती थे उस जमाने में। मैं आगरे में विद्यार्थी था। पिकेटिंग में विशेष रूप से छात्र सम्मिलित होते थे। मैं भी उन आन्दोलनों में भाग लेता था। और आज एक वर्तमान है, जो आपने देखा है। आड़ी प. अ. दल की विरोधी पक्ष के नेता ने इस पक्ष में दी कि शराबबन्दी चालू रहनी चाहिए और सत्ता पक्ष के हमारे मित्र जो गाधाजी को सबसे अधिक मानने वाले बनते हैं, यह विडंबना मैंने देखी कि वही गाधीजी के इस प्रमुख कार्यक्रम को समाप्त कर रहे हैं। दुख की बात है कि आज गांधी जी के कार्यक्रम पर उधर से आपत्ति हो रही है। मैं इस संबंध में इतना ही कहूंगा, आप अतीत को न सोचें, वर्तमान को न सोचें, लेकिन भविष्य के लिये सोचिये, आपकी प्रोच क्या होना चाहिये और वह अप्रोच जब आप सोचें तो यह सोचें कि हमारी जो शाश्वत नीतियां थीं हमारे जो कमिटमेंट्स थे उनसे हम कितने दूर चले गये? उधर कोई हृदय पर हाथ रखकर कह सकता है कि जो हमारी शाश्वत नीतियां स्वाधीनता संघर्ष में थीं वह केवल मात्र एक्सपीडियेंसी के लिये थी, दिखाने के लिये थीं? मैं समझता हूं कि यदि इस

(श्री राजबहादुर)

प्रकार की इस बात की दलील दी भी जाये तो यह मानी नहीं जावेगी ।

एक दो बहुत बड़ी-बड़ी दलीलें हमारे वित्त मंत्रीजी ने शराबबन्दी को समाप्त करने के पक्ष में दी हैं किन्तु परिस्थितियों के ऊपर अन्य मुद्दों के ऊपर, विरोधी दल के नेता ने काफी कुछ कहा, लेकिन जवाब में एक बात वित्त मंत्री जी ने कही थी वह यह कि हम नाजायज शराब रोक नहीं सके और हम शराबबन्दी का कानून लागू नहीं कर सके, शराबबन्दी तोड़ने का कारण यह भी था। आपने किसी के लिये भी यह कहा हो लेकिन मैं इस दलील को गलत समझता हूं । यह चलने वाली नहीं है। जनता का सहयोग मिले बिना यह काम नहीं हो सकता, आपने यह भी कहा था। इस शराबबन्दी कानून की सफलता, नहीं मिली, यह आपकी नई सरकार बनने के बाद ही उनके द्वारा कहा गया है जो सत्ता में कुछ दिन पहले ही बैठे हैं । आपने कहा कि हम सारी मशीनरी को इस कानून को लागू करने में लगा नहीं सकते । आपने कहा कि यह कानून चल नहीं सकता, क्योंकि गुण्डे और असामाजिक तत्व काफी आ गये हैं । गुण्डों ने ताकत पकड़ली है । तो क्या सत्ता पक्ष अपनी हार और पराजय मानता है इन तत्वों के सामने ? मैं यह निवेदन करना चाहता हूं बहुत विनम्रता के साथ कि क्या हम चोरियां रोक पाये हैं, चोरियां चलती हैं, अपराध चलते हैं, क्या उनसे छुट्टी मिल सकती है ? लॉजिकली नहीं । लेकिन आपने अमेरिका की भी मिसाल दी, वह न दें । हम किसी अन्य देश के बारे में यहां बैठ कर चर्चा नहीं करना चाहते । लेकिन यह ठीक ही कहा गया है कि अमेरिका में माफिया राज जैसा है, पूंजीवाद का राज रहा है । इसके अनिवार्य दुष्परिणाम है । जितने क्राइम, इसीडेंट आज अमेरिका में हैं जीवन वहां क्या हो गया है ? west में वर्तमान में जीवन का चित्र यह है कि वह खुली पब्ज है, खुला पीना है, साथ में सैक्स लाइफ भी खुली है । वहां बहुत सी जगह बहुत से स्त्री-पुरुष युवक-युवती साथ साथ रहते हैं बिना शादी किये । बच्चे हो जायें तो पेरेन्ट्स कौन होंगे यह कोई परवाह नहीं करता । यह फ्री सोसाइटी है वहां । अगर वैसी ही नकल करना चाहते हैं तो सोच लें हमारे देश और आने वाली पीढ़ी का भविष्य क्या होगा ? आज के लिये नहीं, कल की आने वाली पीढ़ी के लिये सोचिये । अगर हमने नैतिक स्तर का कोई धरातल नहीं रखा, कोई देश में आदर्श नहीं रखे तो आने वाली संतति क्या सीखेगी ? क्या यह सारी बातें हम सोच सकते हैं ? क्योंकि यही वक्त है । आपने कहा कि राज्य की 100-150 करोड़ की ज्यादा आमदनी होगी । मैं इस आमदनी के बारे में गांधी की एक बात आपको याद दिलाना चाहूंगा, उन्होंने यंग इंडिया में दिनांक 3-2-1927 को लिखा था—

"I would rather have India reduced to State of pauperism than thousand of drunkards. I would rather have India without education, and the price to be paid for making it dry."

सभापति महोदया, उन्होंने शराब को खुलवा कर आमदनी या टैक्सेशन के बारे में कहा था, बड़े रेलेवन्ट रिमार्क्स हैं उनके आज के संदर्भ और माहौल में । और यदि हम गांधीजी का नाम लेते हैं तो हमें सोचना पड़ेगा उस सत्य को जो उन्होंने हमारे

(श्री राजबहादुर)

समक्ष रखा— He said.

"When we cry of loss of revenues, it is to be remembered that drink and drug revenue is a form of extremely degrading taxation"

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदया, मैं निवेदन करूंगा, मुझे इसमें काफी कुछ कहना है....

श्री सभापति : बहुत सारे लोगों को बोलना है, लम्बी लिस्ट है....

श्री राज बहादुर : मैंने तो शुरू ही किया है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, तीन दिन से बोल रहे हैं। इस पर भी बहुत से सदस्य बोलने वाले हैं।

श्री राज बहादुर : माननीय सभापति महोदया, अभी मैं मुश्किल से पांच मिनट बोला हूं, अगर आप चाहते हैं तो बैठ जाऊंगा। मुझे कम से कम 15 मिनट का टाइम दीजिये।

श्री सभापति : 15 मिनट बहुत ज्यादा हो जायेंगे।

श्री राज बहादुर : मैं 15 मिनट में खत्म करने की कोशिश करूंगा। इसमें अगर आपकी तरफ से व्यवधान होता है तो मुझे उतना और समय लगेगा।

श्री सभापति : यह तो माननीय सदस्य, आप खुद सोच सकते हैं, आप भी विचार करें।

श्री राजबहादुर : इस मामले के विषय में, मैं इमोशनली, पालिटिकली, कांस्टीट्यूशनली सोशियली फील करता हूं और इसके लिये मैं पूरा समय चाहूंगा और उसके लिये मैं कोई अपराध नहीं कर रहा हूं। मुझे आश्चर्य है कि मैं रेलेवेन्ट बात कहना चाहता हूं वह न कहने दें फिर इस अत्यन्त गंभीर विषय पर सदन में चर्चा ही क्या होगी ?

मैं कह रहा था कि इस विषय में सुप्रीम इश्यू क्या है ? सुप्रीम इश्यू यह है कि सत्ता पक्ष का आखिर अप्रोच क्या है इस विषय में ? यह सच्ची बात है कि नैतिक मूल्य क्या है ? और नैतिकता व अनैतिकता का प्रश्न नहीं है लेकिन फिर कोई नैतिकता किन मूल्यों पर आधारित करना चाहते हैं ? सत्ता पक्ष किन मूल्यों को रखना चाहता है इसका जवाब तो आपको देना होगा। मैं, एक बात अभी आई उसके लिये कहना चाहता हूं। काफी हमने विचार किया कि डाइरेक्टिव प्रिंसिपल्स तथा फण्डामेंटल राइट्स का क्या स्थान है, लेकिन एक नया तर्क आपके सामने रखना चाहता हूं और वह यह है कि यह प्रोहिबिशन एक्ट जिसको हम रिपील कर रहे हैं, इसको जब इंट्रोड्यूस किया गया था तो साफ तौर पर लिखा गया था कि Received the assent of the President of India on 18th day of तो एसेन्ट प्रेसीडेंट की किस सेक्शन में होती है, इसका क्या प्रोसिजर है यह बात बहुत थोड़े शब्दों में कहना चाहता हूं। यह कानून जिसकी एसेंट प्रसीडेंट से हुई तो इसका रिपील भी प्रेसीडेंट से होगा और जो प्रेसीडेंट की ओथ, स्पेशल ओथ है उसकी मैं, धारा 60 पढ़ना चाहता हूं। वह ओथ क्या होती है,

(Art. 60-I, A,B. do swear

Page No 118

(118)

(श्री राजबहादुर)

in the name of God/solemnly affirm that I will faithfully execute the office of President of India and will to the best my ability preserve, protect and defend the Constitution and the law and that I will devote myself to the service and wellbeing of the people of India."

यही की यही ओथ गवर्नर भी लेता है। गवर्नर के पास भी एसेन्ट के लिये जाती है। जहां और बिल्स के बारे में आया है कि अगर लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट अथवा हाउस आफ पीपुल्स पास करती है और अगर प्रेसीडेंट उस पर एसेन्ट करता है हाउस फिर से उसको रिपील कर दे तो एक प्रकार वह प्रेसीडेंट की अवमानना करता है। मैं सारा तो कोट नहीं कर रहा हूं ताकि समय नहीं लग, लेकिन ऐसे केसेज में जहां बिल गवर्नर या प्रेसीडेंट को भेजा जाता है और प्रेसीडेंट की वापस आती है तो फिर अब सवाल यह आता है कि इस विचाराधीन बिल को पास करने के बाद क्या हम अपने राष्ट्रपति को या राज्यपाल को कठिनाई में नहीं डाल रहे हैं? कठिनाई क्या? कठिनाई फिर यह आती है कि हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स व फण्डामेंटल ला का जो अनिवार्य अंग है उसके बारे में यह प्रावधान है कि—

It shall be the duty of the State to apply the principles. प्रेसीडेंट और राज्यपाल की ड्यूटी कान्स्टीट्यूशन को डिफेण्ड करना है, प्रोटेक्ट करना है, तो वे क्या करेंगे? मैं और तो नहीं हमारे वर्तमान चीफ जस्टिस हैं उन्होंने क्या कहा है, उनकी बात यहां पर कहना चाहता हूं:

"Fundamental rights and the directive principles constitute the conscience of our Constitution. Directive principles are also fundamental".

जस्टिस चन्द्रचूड़ कहते हैं:

"Our Constitution aims at bringing about a synthesis between Fundamental rights & the directive principles of State Policy by giving to the former a pride of place and to the latter a place of permanence".

जब हमारे हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट के जजेज का यह मत है कि directive principles हमारा फण्डामेन्टल ला है, हमारी ड्यूटी है, इन हालत में गवर्नर को, प्रेसीडेन्ट को हमारे विधान को प्रिजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना व कान्स्टीट्यूशन को स्थायी तौर पर रखना है, उसको इसे डिफण्ड करना है, तो वह अपनी ओथ को कैसे पूरा करेंगे? ओथ के मुताबिक यदि आप यह बिल पास करते हैं और अगर इस कानून को पारित करते हैं, या तो वे उस कानून को अप्रूव करेंगे, एसेन्ट देंगे या अपनी ओथ का वायलेशन करेंगे। यह गवर्नर अथवा प्रेसीडेन्ट के प्रति गम्भीर अन्याय होगा, यदि उनको इस प्रकार किसी असमंजस में डाला जावे। Embarses किया जावे। मैंने कल, परसों समय लिया सुपरेमेसी आफ कान्स्टीट्यूशन के विषय में कुछ अनुरोध करने हेतु हमारा कान्स्टीट्यूशन सुप्रीम है, उसके अन्तर्गत जो रूल्स हैं वह सुप्रीम हैं। हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं

(श्री राजबहादुर)

मैं आपसे विनती करूंगा कि आप एक्साइज एक्ट, 1950 को लागू कर रहे हैं। यह मेरा धर्म है आपको बताना कि वह एक्ट अंग्रेजी में था और उसका हिन्दी ट्रान्सलेशन अधिकृत तौर से पेश नहीं किया गया है। वह तत्कालीन राज प्रमुख का बनाया हुआ कानून था। वह डेमोक्रेटिक नहीं था। इस बात को भी जाने दीजिये लेकिन यह हमारा कर्त्तव्य था कि हम इस बात को बराबर कहें। आपने कहा है कि आपने इस बिल को लाने में जल्दी नहीं की है, सोचा समझा है। इस संबंध में दो-चार सवाल करना चाहता हूं, वित्त मंत्री जी जानते हैं इस बात को जब प्रोहिबिशन को लागू किया गया था फर्स्ट अप्रेल, 1980 को एक संस्था बनाई गई थी, सरकारी संस्था, जिसका नाम नशाबन्दी मण्डल था। इस नशाबन्दी मण्डल को यह अधिकार दिया गया कि उसकी सिफारिश पर ही परमिट बन सकते हैं। एक कमेटी बनाई थी सरकार ने और उसमें एक रिप्रजेन्टेटिव एक्साइज डिपार्टमेंट का था, एक पुलिस डिपार्टमेंट का था, एक डाक्टर था, एक लेडी वर्कर थी, सार्वजनिक कार्यकर्त्ता और एक दूसरे कार्यकर्त्ता थे। यह पांच आदमियों की कमेटी थी और उसकी सिफारिश पर ही परमिट मिल सकते थे लेकिन क्या यह लागू हुआ? लागू होने के फर्स्ट अप्रेल के बाद हुआ क्या? जो लक्ष्य हम प्राप्त करने जा रहे थे, तीस वर्ष के बाद, उसको लागू करने के बाद यह आशा की जा सकती थी कि इसका इम्प्लीमेंटशन होगा, लेकिन यह इम्पलीमेन्ट होनें के बजाय थोड़ दिन बाद परमिट जारी करने का अधिकार सारा मेडिकल प्रेक्टिशनर्स के पास चला गया और उसकी सिफारिश पर परमिट मिलने लगे। उसके बाद मेडिकल प्रैक्टिशनर्स से हटने के बाद यह सीधा शराब के कान्ट्रेक्टर के पास चला गया। नशाबन्दी का खुला उपहास था। यहां उसके ऊपर क्या होता है? दुकान जगह जगह खुली, सबसे अधिक दुकान तहसील हैड क्वार्टर्स पर खुली। इस पीरियड में, प्रॉहिबिशन एक्ट के लागू होने के बाद अकेली बाली तहसील में 27 नई दुकानें खुलीं। अगर आप आनेस्टली इम्पलीमेंट करना चाहते हैं तो क्या यह हो सकता था इस पर और इधर आपके जनसहयोग से नहीं मिला उसके लिये यह कह रहे हैं। आप कह रहे हैं जन-सहयोग नहीं मिला। इसलिये नहीं किया लेकिन आपने जन सहयोग के बिना ही 2 दुकानें और खोल दी। चाहे परमिट हो तो पीओ और परमिट न हो तो भी पीओ। क्या यह गलत है? इसको फेयरली ट्रायल नहीं किया गया और इसबीच में एक लाख 26हजार 342 परमिट और दिये। यह आपका जवाब एक सवाल के जवाब में आया है कि इतने परमिट और दिये गये हैं। इस बीच में 1980-81 में 4 करोड़ 54 लाख 72 हजार की आमदनी हुई है। मैं यह कहना चाहता हूं कि शराब का कानून किसलिये बना रहे है? पीनें वालों की संख्या आपके हिसाब से 1 लाख 26 हजार 42 है। हो सकता है कि यह संख्या पांच लाख हो, दस लाख हो, 15 लाख हो, परन्तु हमारी पोपूलेशन तीन करोड़ के ऊपर पहुंच गई है उसका कितना परसेन्टज़ है? अगर इतने थोड़े तबके के लिये और आपका सारा अभिप्राय है जो सारे प्रिन्सिपल, सारे कमिटमेन्ट हैं उनको तिलांजलि देनीं थी गांधी जी के स्वतन्त्रता आन्दोलन के अन्दर जो नीतियां रही हैं उनको तलांजलि देनी था तो फिर बाकी क्या रहा है? सारी मान्यताओं की धूल उड़ा दें। आज अगर हम इन सब को तोड़ना चाहते हैं तो किसलिय? एक पर्सेन्ट आफ पापुलेशन के लिये? कि इनकम, आमदनी इससे कितनी

(श्री राजबहादुर)
है ? आपकी रेवन्यू का कितना हिस्सा एक्साइज की आय कान्स्टीट्यूट करती है ? उसके लिये यह सारी जीवन शैली तहस नहस कर दें, यह मेरी समझ में नहीं आता है। फिर एक बात और कहूंगा कि नशाबंदी मण्डल को क्या आपने कन्सल्ट किया है ? नशाबंदी मण्डल को कन्सल्ट नहीं किया गया है। फिर आपने बनाया ही क्यों था उसे ? इसके अलावा जो आपने 12 सूत्री कार्यक्रम की बात कही है...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मुझे कहना तो बहुत था लेकिन आप बार-बार घंटी बजा रही है। मैं कोई इर्रेलेवन्ट नहीं बोल रहा हूं....

श्री सभापति : एसी बात नहीं है, कई लोगों की चिट्ठी आ रही है। काफी लम्बी लिस्ट है। समय का ख्याल रखें, 4.20 हो रहे हैं। ....

श्री राजबहादुर : 12 सूत्री प्रोग्राम के बारे में और कहूंगा। आपका आदेश मानूंगा। मुझे खेद है कि इस विषय पर मुझे पूरी बात कहने का मौका नहीं दिया जा रहा है, मुझ जैसे आदमी को नहीं दिया जा रहा है। मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। इस 12 सूत्री प्रोग्राम को इवाल्व करने में थोड़ा बहुत हम दोनों का, मेरा और श्री चदनमलजी का, सहयोग रहा है। तब भी यह ऐसा ही अवसर आया था जब यह दिल्ली में तय किया गया था दो-तीन बातों की तरफ ध्यान और आकृष्ट करना चाहूंगा। विज्ञापन की एक बात आपने कही है। इसमें एक जगह यह भी आया है कि आपके जो कर्मचारी हैं, आपके जो आफिसर हैं, अधिकारी हैं, और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों हैं उन पर भी पाबन्दी होगी कि ये पब्लिक में शराब नहीं पीयेंगे। क्या इसको आप लागू करेंगे ? इसके लिये क्या कोई डिसिप्लीनरी एक्शन लेंगे ? क्या रूल्ज बनायगे ? दूसरी बात यह है किसी स्कूल, मस्जिद मन्दिर, गुरुद्वारा, गिरजाघर के पास 500 मीटर के अन्दर कोई शराब की दुकान नहीं होगी। जयपुर शहर में यह कोई कम मुश्किल काम नहीं है, चाहे म्यूनिसिपल टाउन हो। कोई मन्दिर, मस्जिद हो उसके पास ऐसी दुकान नहीं होगी। यह 500 मीटर बहुत थोड़ा है इसलिये आप इसको लागू नहीं कर सकते हैं इसका एक मात्र उपाय यह है और कम से कम आप इसको स्वीकार करें। क्योंकि यह माना जाता है कि Those ,who are not with us they are opposed to us. Those who don't talk like us they oppose us.

मैं यह पूछना चाहता हूं कि 500 मीटर के अन्दर आपके मन्दिर, मस्जिद गुरुद्वारा, स्कूल सब हर शहर के अन्दर मिलते हैं इसके ही अन्दर आपकी दुकानें हैं उसमें किस किस की दुकान को आप बंद करेंगे। इसलिये आपको यह नियम बनाना पड़ेगा और इस नियम का पालन कराना होगा कि म्यूनिसिपल एरिया में कोई दुकान नहीं होगी और म्यूनिसिपल एरिया के बाहर दुकान होगी। म्यूनिसिपल एरिया के अन्दर लाने की इजाजत नहीं हो, चाहे एक बोतल हो, पांच बोतल हो जिन को लेना है वह बाहर जाकर लें वरना इसका पालन असंभव है क्योंकि हर जगह में, हर शहर में, हर मोहल्ले में मन्दिर, मस्जिद है, गिरजाघर, गुरुद्वारा है, स्कूल है। 500 मीटर का जो कानून है वह कम है। हाई वे पर एक्सीडेन्ट होते हैं। हाई वे के पास 500 मीटर पर ट्रक जा सकते हैं इसलिये कम से

(श्री राजबहादुर)

कम ढाई किलोमीटर, तीन किलोमीटर या चार किलोमीटर के दायरे में कोई दुकानें हाई वे पर नहीं होंगी। नेशनल हाई वे पर ही क्यों आज तो शराब साइकिल पर हाकर घर घर जाकर बेचते हैं। कोई भी इससे इन्कार नहीं कर सकता है। यह तो मैंने अपनी आंखों से देखा है हाकर्स साइकिलों पर टोकरियां लेकर चलते हैं और घर घर जाकर देते हैं। तो आप क्यों इसको प्रोत्साहन देना चाहते हैं? क्या स्टेण्डर्ड आफ लाइफ देना चाहते हैं? सच्ची बात तो यह है कि जिनको नशाबंदी करनी चाहिए थी वह तो खोल रहे हैं इसलिये मेरा कहना है कि यह विचित्र विडम्बना है हमारे सार्वजनिक जीवन की, हमारे चारित्रिक जीवन की, हमारे वैयक्तिक जीवन और सैद्धान्तिक जीवन की और हमारे कमिटमेन्ट की। क्या हमारे कमिटमेन्ट हैं, हम कह सकते हैं। यह कांग्रेस मेन का कमिटमेंन्ट, हर्गिज नहीं है। मैं साफ तौर से कह सकता हूं सत्ता पक्ष की कोई फिलासिफी नहीं है, जो मेल खाती हो सच्चे कांग्रेस के सिद्धान्तों से कोई आचरण नहीं है जो मेल खाता हो, कोई मन्तव्य नहीं है जो मेल खाता हो। यह विचित्र विडम्बना है। जो हमारे देश की स्थिति है वह दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं यह विनती करूंगा कि जो मेरा विरोध है वह कानूनी तथा संवैधानिक आधार पर है, मेरा विरोध पर्सनल या व्यक्तिगत नहीं है। यह कान्वीक्शन था। मैं इस पर विश्वास करता हूं। गोकुल भाई की बात आई तरह तरह की उनके मामले में खिलवाड़ की गई उनके नाम से . . . . .

आप अपने 12 सूत्री कार्यक्रम को भी यदि पूरी तरह से लागू कर देते तो शायद कुछ भला हो सकता था। मैं इसको कहना चाहता हूं कि कोई तरीका निकालें जिससे कि इस ट्रेजडी से बचें। यह ट्रेजडी आप न होने दें। इस evil को खुली छूट न दें ठेकेदार के हाथ में, हमारे समाज की जिन्दगी गिरवी न कर दें। आप गुण्डों की बात करते हैं। अब ठेकेदार ही गुण्डों के रक्षक हो जायेंगे। क्या इससे गुण्डों की ताकत में कमी हो जायेगी? उनकी ताकत ज्यादा बढ़ेगी। इसके लिये मुझे उदाहरण देने की जरूरत नहीं सब जगह यहां हुआ जिन देशों के उदाहरण दे रहे है वहां यही हुआ है। तमिलनाड में यह हो रहा है वे पछता रहे हैं वे कोई बड़े खुश नहीं यह बात नहीं है नशा बन्दी समाप्त करके। यह सही है कि उनकी आमदनी बढ़ गयी है।

But this is the worst form of taxation. This is the most degrading form of taxation, as the Father of Nation told us. Kindly listen to him unless you don't want to listen to anyone not even to Mahatma Gandhi.

श्री सभापति: श्री वीरेन्द्रप्रतापसिंह।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह (गुड़गांव): माननीय सभापति महोदया, आज नशाबंदी एक बहुत ही बड़ा संवेदनशील विषय सदन में विचारार्थ है।

एक माननीय सदस्य: आप पक्ष में हैं।

(व्यवधान)

श्री विरेन्द्र प्रताप सिंह: सभापति महोदय, बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने मेरे लिये कहा तो ऐसा है जैसे पहले कहा गया था कि मुसलमानों में भी कोई पीता हो तो वह

(श्री वीरेन्द्रप्रतापसिंह)
हो सकते हैं। माननीय सभापति महोदय, प्रश्न यह उठता है कि……

श्री राजबहादुर : माननीय सभापति महोदया, एक मिनट लेना चाहता हूं सिर्फ इसलिये कि मंत्रीजी का ध्यान दिला दूं कि यह वोल्यूम 2 कान्स्टीट्यूशन ग्राफ इण्डिया के पेज नम्बर 7 से 58 तक प्रेसीडेंट ग्रौर गवर्नर का वर्णन है। पढ़ लिया जाये, यह मैं ग्राप से ग्रर्ज करना चाहता हूं पूरा नहीं पढ़े क्यों कि समय लगता है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा): बहुत ग्रावश्यक हो तो पढ़ दें। हमारा मार्गदर्शन करने के लिये।

श्री सभापति : ग्रापकी तरफ से तो बोलना बिलकुल बंद कर दें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : हम कहां बोल रहे हैं? फिर हमारे बोलने के ग्रधिकार को नहीं ले सकती हैं।

श्री सभापति : ग्रापके टाइम पर ही बोलें तो ठीक है।

श्री राजबहादुर : पढ़ देता तो ठीक है।

श्री सभापति : मुझे खेद है। ग्राप हाउस में रख दें।

श्री जयकृष्ण शर्मा (राज्यमंत्री, यातायात): हाउस में रख दें।

श्री सभापति : सदन की मेज पर रख दें।

श्री राजबहादुर : वह तो मैंने रख दिया है। मैंने इसको कोट किया है लेकिन सब लोग इसको नहीं पढ़ पायेंगे इसलिये मैं चाहता था क·····

श्री जयकृष्ण शर्मा : चन्दनमल जी पढ़ लेंगे।

श्री राजबहादुर : ग्रापको पसंद नहीं है तो ठीक है। इसको हंसी में नहीं उड़ायें। यह तो ठीक नहीं है। ग्राप इसके ग्रलावा ग्रौर कुछ कर भी नहीं सकते हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : माननीय सभापति महोदया, कल विरोधी दल के नेता महोदय ग्रौर माननीय राजबहादुर जी सब मौजूद थे तो यह तय हुग्रा था कि ग्रब इस डिबेट के ग्रन्दर दो ही माननीय सदस्य बोलेंगे।

श्री वीरेन्द्रप्रतापसिंह : किसने कहा था? विरोधी पक्ष के नेता ने कहा होगा, हमारी तरफ से कोई नहीं था। यह ग्रापकी ग्रौर उनकी मिलीभगत है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : ग्राप गलत नहीं बोलेंगे। ग्रापके सामने विरोधी पक्ष के नेता के चेम्बर में यह सब तो हुई थी।

(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्रप्रतापसिंह : माननीय सभापति महोदया, ग्रब मैं मुख्य विषय की ग्रोर ग्रापके माध्यम से इस नाकारा केबिनेट का ध्यान ग्राकर्षित करना चाहता हूं, 1959 में जब मद्य निषेध बिल के बारे में सोचा गया था तो उसके बारे में जो मूल भावना थी वह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की भावना थी। इस देश की गरीब जनता, जो कि 90 प्रतिशत गरीबों की रेखा के नीचे है, का भविष्य उनको ग्राखों के सामने मौजूद था उसको देखते हुए उन्होंने यह विचार रखा था कि इस देश में मद्य निषेध होना चाहिए परन्तु पिछली जाने वाली सरकारों ने इस मामले में कुछ नहीं किया, क्योंकि उनके

(श्री धीरेन्द्र प्रतापसिंह)

दिमाग और विचार में महात्मा गांधी से ज्यादा श्रीमती गांधी या उनके पिताजी के विचार छाये हुए थे। माननीय सभापति महोदया, जब पिछली जनता पार्टी के शासन में मद्य निषेध लागू कर दिया गया था तो फिर आज हटाने का क्या औचित्य था? हमारे माननीय वित्त मंत्री महोदय ने अपने भाषण में यह स्पष्ट किया है कि हम 100 करोड़ रुपया साल में अतिरिक्त साधनों से भी प्राप्त कर सकते थे यह समझ में नहीं आता कि एक तरफ उनका स्टेटमेंट आता है कि यह 100 करोड़ रु. की आमदनी हमको बहुत ज्यादा सहारा देगी परन्तु दूसरी तरफ कहते हैं कि इससे कोई लाभ नहीं होगा। तो फिर मद्य निषेध क्यों लागू किया? माननीय सभापति महोदया, यह विचारणीय विषय है कि इन दो तरह के वक्तव्यों में उनकी क्या भावना है? क्योंकि ये बड़े ही ज्ञानी वित्त मंत्री हैं। इस प्रदेश के मुख्य मंत्री, जो यह समझे जाते हैं कि बहुत ही समाजवादी है, गरीबों के मसीहा हैं ने यह पहला क्रांतिकारी कदम उठाया है जिससे इस गरीब जनता के सामने वे बिलकुल नंगे हो गये हैं। उनके पुराने विचार कहां गये? पता नहीं इस कुर्सी पर आने के बाद धूमिल हो गये, या कुर्सी उन पर सवार हो गयी?

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन इस श्राद्ध पक्ष में करना चाहूंगा कि हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी के नाम का यह कांग्रेस सरकार पिछले तीस सालों से इस सदन में दुहाई देकर इस देश में शासन कर रही है। इसलिये आपके माध्यम से मंत्री महोदय और मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि श्राद्ध पक्ष में गांधी जी को यह श्रद्धांजली देना चाहती है तो मैं इस कदम का स्वागत करूंगा।

माननीय सभापति महोदया, आज यह सदन गवाही देगा कि यह काला कानून इन महामनाओं की उपस्थिति में पास करवाने की चेष्टा कर रहे हैं। यह कुचेष्टा है और यह उनको आने वाले चुनावों में साबित कर देगी। हालांकि यह साजिश है और यह तरीके रहे हैं कि आने वाली पंचायत इलेक्शनों में गरीब हरिजनों को शराब के माध्यम से धोखे में डालकर और नशे में डालकर वोट को ग्रहण करने का आग्रह करते हैं मगर आपकी यह चेष्टा सफल नहीं होगी।

माननीय सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस शराब के माध्यम से आप यह चाहते हैं कि हमारा जो अण्डर वर्ल्ड है, जो असामाजिक तत्व हैं उनके ऊपर नियंत्रण कर लें। इसलिये शराबबंदी उठायी है, परन्तु मैं यह कहना चाहूंगा कि इस प्रदेश में इस देश में रिश्वत का बोलबाला हो रहा है तो क्या आप कानून के रूप में यह लागू कर देंगे एक थाने में जाकर 500 रुपये देने पड़ेंग तब जाकर के आपकी एफ. आई. आर. लॉज होगी? अगर आपकी यह सक्षमता है और यह गरिमा है तो आप घुटने टेक देंगे परन्तु हम अपने घुटने नहीं टेकेंगे। हम आपके गलत कानून का विरोध करते हैं और करेंगे। यह आपकी अक्षमता का परिचायक है अगर आपने कह दिया कि···

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : इतना जोर से क्यों चिल्ला रहे हो धीरे बोलो···

(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्रप्रतापसिंह : माननीय सदस्य मुझे मालूम है कि आप एज की वजह से ये जोश निकाल रहे हैं.....

(व्यवधान)

(4.27 म. प.)

(श्री अहमद बक्श सिंधी, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, संक्षेप में।

श्री वीरेन्द्रप्रतापसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आपका तो मेरे ऊपर विशेष अनुग्रह रहा है, इसलिए उम्मीद करूंगा कि आप मुझे समय देंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय आज यहां पर प्रश्न आया कि इस शराबबन्दी के द्वारा हमको क्या मिलने वाला है और क्या नहीं मिलने वाला है? आज इस प्रदेश के सामने अकाल मुंह वाये खड़ा है। अकाल बाढ़ ये ऐसी दैवी आपदा हैं जो कि मंत्री मंडल को एक चुनौती के रूप में मिली है। उनका सामना करने के लिये आपको पैसों की जरूरत है उसके लिये आप अन्य स्त्रोतों के द्वारा भी पैसा प्राप्त कर सकते थे। इस घृणित तरीके से आप पैसा लें यह मेरे खयाल से आपको शोभा नहीं देता है और हमारे मुख्य मंत्रीजी जो कि मेवाड़ के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी माणिक्यलाल वर्मा के जामाता थे, के बारे में आज कहा जाता है कि बड़े ईमानदार हैं, कर्मठ व्यक्ति हैं, समाजवादी व्यक्ति हैं उनके लिये यह शोभा नहीं देता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन को यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो इस देश की प्रधान मंत्री, श्रीमती गांधी हैं अब यह तो वही जानें कि उनके अन्तर्मन में क्या है....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

....कहा नहीं जा सकता है....

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री वीरेन्द्रप्रतापसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, अभी तो मैंने शुरू ही किया है। कभी पुरी के जगद्गुरु के पास जाती हैं उनका आशीर्वाद लेने के लिए, कभी तिरुपति बालाजी जाती हैं, कभी आचार्य तुलसी के पास जाती है। मेरे को मालूम नहीं क्या उनसे यही प्रेरणा लेकर आती है कि सरकारों को आकर कहती है कि मद्य निषेध हटा दो? क्या उनसे यही प्रेरणा लेकर इन मुख्य मंत्रियों के कानों में फूंक डाल देती हैं कि इस घृणित तरीके से आप अपनी सत्ता को स्टेट में बनाये रखिये? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता कि यह ढोंग है और इस ढोंग का इस सरकार को मजबूत होकर मुकाबला करना चाहिये। क्योंकि इस प्रदेश के सर्वोदयी नेता श्री गोकुल भाई भट्ट निश्चित रूप से इस काले कानून के विरुद्ध में आमरण अनशन करेंगे, अपने प्राण देंगे इसलिए मैं आगाह करता हूं कि यह सरकार इस पर विचार करके इस प्रदेश में होने वाले नरसंहार को रोकने के लिए इस काले कानून को वापस ले। अगर इस काले कानून को वापस नहीं लिया जायेगा तो उसके खिलाफ जो भी कड़े कदम उठाये जायेंगे उससे सचेत रहना चाहिये और तैयार रहना चाहिये। यही कहकर इस काले कानून का इस सदन में पास करने की निन्दा करता हूं और कड़े शब्दों में भर्त्सना करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन

(श्री वीरेन्द्रप्रतापसिंह)

और करना चाहूंगा कल मन्त्रिमण्डल की माननीय सदस्या, श्रीमती कमला जी ने फर्माया था कि पिछले कानून के बन्द होने के बाद से ढाणी-ढाणी में यह एक कॉटेज इण्डस्ट्री के रूप में फैल गया था। उनको यह कहते हुए शर्म आनी चाहिये थी कि जब ढाणी ढाणी में एक कॉटेज इण्डस्ट्री के रूप में फैल गयी थी तो वह

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

किसान की बेटी वहां बैठी-बैठी क्या कर रही थी? उनको जनमानस बनाना चाहिये था। उनको एक-एक गांव में फिर कर घर घर में जाना चाहिये था और यह कहना चाहिये था कि नहीं यह बुरी चीज है।

श्री उपाध्यक्ष: आप घर में बैठे रहेंगे क्या?

श्री चन्दनमल वैद: ×××

श्री वीरेन्द्रप्रतापसिंह: नहीं, उन्होंने कहा था हम तो छाती खोलकर मुकाबला कर रहे हैं। आपको ढाणियों में जाकर जन मानस तैयार करना चाहियें परन्तु वह नहीं कर सकीं और उन्होंने अपनी इसी में बहादुरी समझी कि केबिनेट में बैठकर यह कह दिया कि बहुत बुरा कानून था। परन्तु मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इस कानून के लागू होने के बाद से जो नंगा नाच सड़कों पर और पब्लिक प्लेसेज पर होगा उसको यह सरकार नहीं रोक सकेगी। जो कुछ गिने-चुने असामाजिक तत्वों के सामने घुटने टेक सकती है वह इस भारी मद्यपान करने वाले लोगों की, उनके द्वारा की जाने वाली अनैतिक कार्यवाहियों से इस प्रदेश को जनता को कैसे बचायेगी? मेरा तो इस बारे में पूर्णरूप से विश्वास यह है कि यह सरकार उस कार्य को रोकने में पूर्ण रूप से असफल सिद्ध होगी और यह इस सरकार के लिए बहुत बड़ा कलंक होगा। इसलिए अब भी समय रहते हुए आगाह करता हूं इस काले कानून को वापस लीजिये ताकि यह जो कलंक के रूप में आपके माथे पर धब्बा लगने वाला है वह नहीं लगे। हम आप लोगों से आशा करते हैं, इस केबिनेट के सदस्य जो बहुत ही सक्षम और सुदृढ़ आदमी हैं वह सक्षमता का परिचय दें और मुंह पर लगे काले कलंक को उतारें। बस, यही कहकर मैं धन्यवाद देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि मेरे पास 28 माननीय विधायकों ने संशोधन प्रस्तुत किये हैं। मैं समझता हूं कि इस विषय पर माननीय सदस्य अपोजीशन लीडर और माननीय बाबूजी ने काफी रोशनी डाल दी है...

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत): बाबूजी कौन?

एक माननीय सदस्य: जैसे चाचा शब्द आदर सूचक है वैसे ही बाबूजी आदर सूचक है।

श्री उपाध्यक्ष: राजबहादुर जी, बाबूजी, मैं अदब से कहता हूं।

श्री राजबहादुर: मेरे ख्याल से आपके सेवक को बाबूजी कह दिया जायें तो आपको आपत्ति नहीं होगी। गलती हुई तो मैं क्षमा चाहता हूं।

(व्यवधान)

××× अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री माधवसिंह दीवान : हमें तो आज मालूम हुआ कि आपको बाबूजी कहते हैं, मालूम नहीं था इसलिए पूछा।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। मैं समझता हूं कि दो-तीन आदमी बोल चुके हैं, बड़े अच्छे बोले हैं। मैं समझता हूं कि अब आवश्यकता नहीं है, अगर आप इजाजत दें तो मैं आगे चलूं।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य को दो मिनट देता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इस प्रमाण-पत्र के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय

श्री रामकवांर बैरवा (फागी) : उपाध्यक्ष महोदय, सारे भाई गोकुल भाई भट्ट का नाम लेते हैं। आप इनको सुझाव दीजिये कि यह भी मदद करें, नैतिकता के साथ शायद कुछ असरदार कार्यवाही हो। यह सब भी गोकुल भाई भट्ट बेचारे बूढ़े ब्राह्मण को आगे करते हैं।

श्री वीरेन्द्रप्रतापसिंह : हम तो आपको ब्रह्मपुरी में पहुंचाकर आयेंगे बैदजी महाराज।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपस में बातें नहीं माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

कोऑपरेट कीजिये, टाइम थोड़ा है।

श्री रामकवांर बैरवा : मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं जो शराबबन्दी जनतापार्टी ने लागू की थी उसको खत्म करने के लिए आज जो बिल हाउस में, लाया गया है उसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं आपके माध्यम से एक और तरीके से इस हाउस में यह बात कहना चाहूंगा कि जितने भी महाविद्वान हुए हैं, महात्मागांधी, आचार्य तुलसी और विनोबा भावे हुए हैं में जितने उनके आदर्श थे, जितने अनुसूचित जाति के लोगों ने अपनाये और उनके पद चिन्हों पर चले हैं उतने उनके पद चिन्हों पर आप नहीं चल सकते। इसका कुल मिलाकर नतीजा यह हुआ कि जो महात्माजी के सिद्धान्तों की बात करता है, मदिरा पान का त्याग करना, आदि यहां तो उस सरकार द्वारा इस बिल को हाउस में लाकर पास किया जा रहा है।

(4.37 म.प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि आज अनुसूचित जाति के लोगों में पचास प्रतिशत परिवार इस प्रकार के मिलेंगे कि कोई भी नशा करते हैं उनके यहां लड़की या लड़के को लोग पसन्द नहीं करते हैं। आज जो राजस्थान प्रदेश की सरकार इस बात की छूट देने के लिये यह निमंत्रण देकर इस हाउस में जो बिल लाई है यह बहुत ही खेदजनक बात है।

दूसरा मेरा निवेदन यह है शराब में एक बहुत बड़ी खासियत बड़ी भारी खूबी यह है कि जो शराब पीने वाले लोग हैं एकजूट हो जाते हैं। जहां उनकी शराब की पार्टी होती है वहां वे एकजूट हो जाते हैं तो मैं समझता हूं आपका दल, इस प्रकार का

(श्री रामकंवर बैरवा)

संगठन है, इस प्रकार के लोग बहुत अधिक संख्या में लिये होंगे जो इस बात को पसन्द करते हों लेकिन कुछ लोग इस बात को नहीं चाहते हैं, जो पसन्द नहीं करते हैं उनको छोड़कर उनकी आत्मा को दबाकर यह बिल पेश किया जा रहा है और इस बिल को केवल आमदनी का माध्यम बनाकर राजस्थान के बहुमुखी विकास की बात करके बिल को पास किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य।

श्री रामकंवर बैरवा : इसलिए मैं इस बिल का विरोध करता हूं और आशा करता हूं जो यह बिल है इस पर वित्त मंत्रीजी फिर से विचार करेंगे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और जितने भी महापुरूष हुए हैं वे कतई इस बात को मान्यता नहीं देते हैं वे तो यह चाहते हैं कि लोग इस दुर्व्यसन से बचें और भारत में एक आदर्श समाज का निर्माण करें और आप यह काला कानून लाये हैं। मेरा यही कहना है, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : अब क्योंकि बोलने वाले माननीय सदस्यों की संख्या बहुत अधिक है और इस पर तीन दिन से बराबर चर्चा हो रही है और ज्यादातर जो बातें कही जाती हैं वही जो पहले हैं सदन के समक्ष कह चुके हैं इसलिए बाकी सदस्यों से निवेदन करूंगा कि दो-दो मिनट में अपनी बात कहें, कोई नया मुद्दा हो तो उसे उठायें लेकिन पुनरावृत्ति न हो।

सदन की कार्यवाही
विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि सदन का समय आज कार्य सूची पूरी होने तक के लिये बढ़ा दिया जाये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक घंटा बढ़ा दिया जाये।

श्री चन्दनमल बैद : सारे घंटे एक साथ बढ़ाये जायें।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की सम्मति है कि विधान सभा की बैठक का समय आज की कार्यसूची पूरी होने तक के लिये बढ़ाया जाय?

(स्वीकृत)
समय बढ़ाया गया।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : वे दो बिल भी हैं।

श्री अध्यक्ष : हो जायेंगे, कोशिश कीजिये।

श्री चन्दनमल बैद : असंभव को संभव करेंगे, हिम्मत मत हारो। आप हिम्मत हार कर भागे हैं, हम आगे आये हैं।

विधेयक पर विचार

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण): अध्यक्ष महोदय, तीन दिन से इस पर चर्चा हो रही है। थोड़े-कुछ मुद्दे रह गये हैं उन पर आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से कहना चाहती हूं, एक आदिवासी पट्टी के रूप में, शराबबन्दी के रूप में झालावाड़, बाड़मेर, सिरोही, टौंक, बूंदी, जैसलमेर यह इलाका क्योंकि बिलकुल आदिवासी एरिया है, प्रारंभ में इसको लिया गया था अब उन पर से शो खेल दिया जा रहा है, यह बिलकुल गलत है। आप इसमें संशोधन करें, मैं आग्रह करना चाहूंगी और यह भी कहना चाहूंगी कि गुजरात सरकार से समझौता हुआ था कि 25 मील की पट्टी में कोई शराब

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

की दुकान नहीं खोली जायेगी। मंत्री महोदय इस ओर ध्यान दें कि इन्होंने रतनपुर में टूरिस्ट होटल खोली है और वह एरिया सीमा से लगता है। गुजरात सरकार से जो समझौता हुआ था उसकी पालना नहीं की जा रही है। गुजरात सरकार ने सरकार को विरोध स्वरूप-पत्र लिखा है चूंकि उनके यहां बंद है इसलिये उनके यहां व्यवधान पहुंचाने के लिये उस 25 मील का एरिया जो पूरा सीमा से लगता है में शराब की दुकान न खोलें। जो रतनगढ़ में शराब की दुकान टूरिस्ट बार खोली गई है उसको अविलम्ब बंद करें। नेशनल हाई वे पर भी इस तरह की मनाही है। अध्यक्ष महोदय, और यहां यह बात कहीं जा रही है कि हम स्कूलों के पास कॉलेजों के पास, मंदिरों के और मस्जिदों के पास नहीं खोलेंगे तो मंत्री महोदय एक आप्शन और भी देंगे ? पहले यह तय हुआ था कि जो पंचायत या नगर परिषद या जो इलाका यह कहेगा कि आप हमारे यहां शराब न खोलिये वहां शराब नहीं खोलेंगे। मैं मंत्री महोदय से आग्रह करुंगी कि यह जनता का जो आप्शन है उसको चालू रखें और जो नहीं चाहते हैं उन पर थोपा जाना कि आप पीयें ही, इस तरह का व्यवहार न करें। मैं फिर आग्रह करना चाहूंगी कि जो शिकायतें चालू हो जाती हैं उन पर आबकारी विभाग ध्यान नहीं देता है इसके लिये कोई ऐसा यंत्र बनाना चाहिये कि उन पर सुनवाई हो, यह काम करें।

एक दलील दी गई है और मेरे प्रश्न के लिखित उत्तर में दी गई है मैंने पूछा था कि कितने परमिटधारी हैं, पिछले साल और इस साल कितनी आमदनी हुई और नशाबन्दी मंडल ने जो सुझाव दिये थे उनको आपने इसमें शामिल क्यों नहीं किया, असफलता क्यों मिली ? इस तरह का प्रश्न था; इन्होंने उत्तर दिया, अच्छे आंकड़े उपलब्ध हुये हैं लेकिन अंत में जो उन्होंने बात कही है कि शराबबन्दी मंडल के दिये गये सुझाव व्यावहारिक नहीं थे और उनकी कार्यवाही अपेक्षित नहीं समझी गई। अगर शराबबन्दी मंडल की कार्यवाही ठीक नहीं थी और वह काम ठीक नहीं कर रहा था तो उसको भंग क्यों नहीं किया गया, क्यों उसे चालू रहने दिया गया ? जब शराब खोले जाने की मंशा है फिर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं है। हर घर में हर तरह से पहुंचाने की प्रक्रिया जो अच्छा काम करते हैं, आज महात्मा गांधी के सुझाव भी बुरे लगने लगे, जनता के सुझाव भी बुरे लगने लगे, अच्छे वह लगे जो महाधिवक्ता ने कहे। वह इनके कहने में, दबाव में आ गये। नीचे मैंने पूछा बोले मेरी आत्मा गवाही नहीं देती, मैंने कहा तो है मैं बहुत दुखी हूं। एक बात और कहना चाहूंगी कि जिस तरह से कल उनको बुलाकर पूछा गया था कि क्या कानूनी दृष्टि से ठीक है या नहीं और कानूनी मुद्दों पर प्रकाश डाला था जिस समाज की रचना मनुष्य के द्वारा हुई है तो उन समाज-शास्त्रियों को बुलाकर पूछें तो सही...

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह चीज बुरी या अच्छी है, नैतिक रूप से अच्छी है या नहीं ? यह पाठ अगर नहीं पढ़े हैं तो उनसे पढ़ें। साथ ही स्वास्थ्य के जो रक्षक हैं, जिनको उपाधि प्राप्त है ऐसे डाक्टर्स की कमेटी नियुक्त करें और पूछें कि इससे कितनी शक्ति मिलती है, कितना शक्ति का ह्रास होता है, ? तंतु बिलकुल नष्ट होते हैं।

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

जीवेम शरदशतं प्रपुयामे शरदः शातं पुबवाम शातं, शरदं अदीना श्याम शरदः शर्त, भूयात शरदः शतात् ।

अधीन होकर क्यों 100 साल जीयें ? 100 वर्ष स्वस्थ होकर जीयें और 100 वर्ष तक देखें और सुनें। इस रूप में जीयें, उन डाक्टर्स की कमेटी बुलाकर पूछें। यहां हसी उड़ाई गई और कई माननीय सदस्यों ने कहा कि गोकुल भाई अपनी आहूति तो देंगे ही। उन्होंने कहा:—कार्य व सावयामि देहवं वातयामि ।

श्री अध्यक्ष: समाप्त किया जाय, भाषण समाप्त हुआ, स्थान ग्रहण करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा: उनकी मजाक उड़ाई जाती है, उनके साथ कितने मानने वाले हैं...

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा: किस तरह के लोग चुनकर आये हैं ? शर्म आनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण करें, भाषण समाप्त हुआ।

श्रीमती उजला अरोड़ा: मैं अपना भाषण समाप्त करती हूं।

श्री अध्यक्ष: समाप्त कर दीजिये, आसन पैरों पर हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा: आप कहेंगे तो मैं बैठ जाऊंगी। तीसरे वाचन पर बोलूंगी।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्या, पर्याप्त हुआ। मंत्री महोदय।

श्री चन्दन मल वैद (आबकारी मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इस बिल के बारे में जब अध्यादेश के सिलसिले में प्रस्ताव आया था, उस पर विचार के समय मैं काफी कह चुका हूं। अब विरोधी दल के नेता ने जो एक दो पाइंट्स उठाये हैं उनके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं, विरोधी दल के नेता को मैं सन् 1952 से जानता हूं, उनकी आदत है कहीं की ईंट कहीं का रोडा भानमति का कुन्बा जोड़ा। हमेशा उनकी इस तरह की बात कहने की आदत है ठीक है। किसी सज्जन ने कहा है उनको राज करना नहीं आया, उनको विरोध करना नहीं आया, विरोध में उनसे बढकर कोई दूसरा नहीं हो सकता, क्योंकि कोई बात कहीं से लायेंगे कोई बात कहीं से लायेंगे और ऐसे जोड़ देंगे जिससे मालूम पड़े कि सही चीज आ रही है। मैं जरा सा जो आंकड़े आपने दिये हैं उन आंकड़ों के आधार पर बताना चाहता हूं। आपने कहा जयपुर में 40 हजार रुपये में ठेका दे दिया गया, 12 ठेकेदार थे। 4.80 लाख की सरकार को आमदनी हुई। यह साल भर का है। अब एक साल का नहीं है 7 महीने का ठेका 2.25 करोड़ में हो गया। अब आप क्या कहते हैं कि उनकी गर्दन पर ठेकेदार सवार होकर इस प्रोहिबिशन एक्ट को हटावा रहे हैं। ठेकेदार बेवकूफ हैं कि 4.80 लाख में जब उनका काम हो रहा था उस काम के लिये 2.25 करोड़ देंगे ? शराब पीने के बारे में खुद आप कह रहे हैं, धड़ाधड़ परमिट दिये जा रहे थे खुद ठेकेदार ही परमिट दे सकते थे तो ठेकेदारों को क्या परेशानी थी। परमिट खुद दें सकते थे, यह बात सही है कि 1980-81 में जयपुर में 22,477 परमिटधारी थे और परमिट जब ठेकेदार खुद दे सकते थे, 40 हजार रुपये महीने में ठेका हुआ था। 12 ठेकेदार थे कुल 4.80

(श्री चन्दनमल बैद)

लाख देने पड़ते थे तो क्या उनको पागल कुत्ते ने काटा है जो 2.25 करोड़ सरकार को 7 महीने में देंगे ? 12 महीने का होता तो शायद तीन-साढ़े तीन करोड़ हो सकता था । मैं इसलिये कहता हूं कि बात ऐसी कहनी चाहिये जो जम सके, केवल पैबंद लगाने से बात जम नहीं सकती ।

दूसरी बात आपने यह कही कि इन्टरनल सिक्योरिटी एक्ट लगा देते, क्या बात थी पकड़ लेते सबको । असामाजिक तत्व बढ़ गये तो क्या परेशानी थी आप पकड़ लेते जेल में डाल देते । अध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज करना चाहता हूं केवल 1980-81 में 2,224 इल्लीसिट लिकर के केसेज हुये । 2224 और वह भी, मैं समझता हूं, शायद पूरी मुस्तैदी नहीं बरती गई । अगर पूरी मुस्तैदी बरती जाती तो सारे राजस्थान में बीसों हजार केसेज पकड़े जाते । आखिर हर ढाणी, हर गांव के आदमी को इन्टरनल सिक्योरिटी एक्ट में डालते रहें और इस बात को नहीं समझें कि आज समाज को जगाने की जरूरत है, उनको बताने की जरूरत है इस बात की कि शराब बुरी है, शराब मत पीओ, शिक्षा देने की जरूरत है। केवल इन्टरनल सिक्योरिटी एक्ट से, पुलिस की फोर्स से, आप जो कानून लागू करना चाहते हैं वह कहां तक सही होगा ?

नाम लेते हैं आप महात्मा गांधी का, आचार्य तुलसी का व विनोबा भावे का । हृदय परिवर्तन की बात करते हैं। मैंने भी आचार्य तुलसी से बात की है उनके सामने भी मैं हाजिर होता हूं। इसके बारे में जब बहस हुई तो मैंने उनसे कहा था कि क्या आप कानून द्वारा इसको बन्द करने के पक्ष में हैं ? तो उन्होंने कहा था कि नहीं । हृदय परिवर्तन । तो मैं कहता हूं कि समाज में हम इस बात की चेतना लायें सामाजिक कार्यकर्त्ता काम करें। मैं कहता हूं कि प्रोहिबिशन जब लागू हुआ तो जो लोग प्रोहिबिशन के हामी थे, जो इसके पक्षधर थे उन्होंने जाकर राजस्थान में कहां-कहां किस तरह से सामाजिक चेतना और सामाजिक वातावरण बनाने की कोशिश की ? कोशिश कोई नहीं करता है । शराबबन्दी भी सरकार करे और कोशिश भी सरकार कर ले, और अगर कोई शराब बनाता है तो इन्टरनल सिक्योरिटी एक्ट में भी सरकार डाले । इसका मतलब यह हुआ कि हर काम सरकार करे फिर जब इस तरह का वातावरण ही नहीं है। अगर कानून से शराब बन्द होती तो मैं पहला आदमी होता, मैंने तो कहा था, अध्यक्ष महोदय, इस बात का तो पक्ष लेता भी नहीं, और कहता कि शराब बन्द हो चुकी है । शराब पीना छोड़ चुके है लेकिन नतीजा उल्टा हुआ शराब बन्द तो हुई ही नहीं, और असामाजिक तत्व जो नाजायज शराब बना रहे थे, सैकड़ों हजारों जगह वह बढ़ गयी और हरियाणा से और मध्य प्रदेश से यहां पर धड़ाधड़ शराब आने लग गयी। आपने कहा कि रोका क्यों नहीं आपने ? ठीक है, कहना तो बहुत ठीक होता है । यह तो आप विरोधी दल के थे । उस समय यह करते तो मैं मान लेता, आप भी शासन में रह चुके हैं । क्या आपने चोरी रोक दी, क्या डकैती रोक दी ? क्या आपने स्मगलिंग रोक दी, जो सीमा से पार जो सामान आता था वह आपने रोक दिया ? कोशिश सभी-पक्षों को करनी चाहिये, रोका भी जाता है लेकिन जो ज्यादा सचेत होता है तो ज्यादा रोका जाता है और अगर कम सचेत होता है तो कम रूकती है लेकिन सारी बन्द तो आप नहीं कर सकते हैं । अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा दुख इस बात से भी हुआ कि यहां शराब का हमने

(श्री चन्दनमल बैद)

वैश्यावृत्ति की चीजों से मुकाबला किया। कहा कि अगर शराब से आमदनी होती है और शराब नहीं रुकती है तो वैश्यावृत्ति भी नहीं रुकती है,तो वैश्यावृत्ति का भी सरकारीकरण कर दिया जाये। अध्यक्ष महोदय, फर्क है नैतिक और अनैतिक कामों में, मोरल टरपीट्यूड काम में। मोरल टरपीट्यूड जहां काम आता है वहां वैश्यावृत्ति करने वालों को मोरल टरपीट्यूड का दोषी माना जायेगा लेकिन शराब पीने वालों को दोषी नहीं माना जायेगा। अगर यह माना जाये तो पीपूल्स रिप्रजेन्टेशन एक्ट में हमारे यहां पर प्रावधान है बहुत से केसेज तय हुए होंगे। सुप्रीम कोर्ट में केसेज तय हुए होंगे। मैंने छानबीन की है, मैंने देखा है कि शराब पीने वालों को मोरल टरपीट्यूड दोषी नहीं माना जाता है। नैतिकता और अनैतिकता ठीक है कि हम बात करते हैं। अच्छी बात है, और आपने भी कहा था कि विरोधी दल में बैठने से इस बात का विरोध करना ही पड़ रहा है। भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने तो साफ कहा कि जिनको विरोध करना चाहिए वे तो शराबबन्दी को हटाने के पक्ष में बोल रहे हैं और जिनको शराबबन्दी का विरोध करना चाहिए था वह शराबबन्दी के पक्ष में बोल रहे हैं। ठीक है, अध्यक्ष महोदय, बड़ी विडम्बना है। क्या विडम्बना है?

श्री राजबहादुर: मैंने कहा उसका गलत अर्थ नहीं लगायें। मैंने कहा था कि शराब बन्दी का विरोध करने वाला शराबबंदी पक्ष में बोल रहा है।

(व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद: शराब बन्दी के लिये जिसको बोलना चाहिये, वह तो शराब बन्दी हटाने के पक्ष में बोल रहे हैं।

श्री राजबहादुर: चाहने की बात नहीं कही।

(व्यवधान)

श्री चन्दन मल बैद: तो अध्यक्ष महोदय, मुझे कोई ज्यादा बात नहीं कहनी है। मैंने जो दोनों बातें विरोधी दल के नेता महोदय ने कहीं, उनके बारे में कहा। अध्यक्ष महोदय, एक साल में 2 हजार 224 मामले हो और 20,040 मुकदमे एक साल से अदालत में हों तो मैं यह मानकर चलता हूं कि हमारे देश का वातावरण क्या है? जनता क्या चाह रही है? शिक्षा देने की जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, एक बात और भी है तमिलनाडू में कई वर्षों तक शराब बन्द रही और जिस दिन शराब बन्दी समाप्त हुई उसके अगले साल उनकी इनकम दुगुनी, तिगुनी हो गयी। इसका मतलब यह कि शराब पीना हमारे यहां छोड़ा नहीं, लेकिन कानून से बन्द कर रखा था। एक किसी गन्दगी को आप अगर ढक्कन देकर ढक दें तो क्या वह गन्दगी समाप्त हो जायेगी? गन्दगी तो वहां थी, शराब बुरी चीज है। और वह इस चीज से खतम नहीं की जा सकती है। हमने देख लिया हमारे देश के दूसरे प्रदेशों में भी देख लिया, विदेशों के लोगों ने भी देख लिया। आप कहते हैं कि आप अमेरिका का उदारहण दे रहे है। घटना कहां घटे, चाहे रूस में घटे, चाहे अमेरिका में घटे, उसका उदारहण देना पाप है तो, अध्यक्ष महोदय, मुझे ज्यादा नहीं कहना है।

मैं सारी बातें पहले ही कह चुका हूं और इन्हीं शब्दों के साथ आपसे प्रार्थना करता हूं कि इस बिल को विचारार्थ लिया जाये।

Page No 132

(132)

श्री भैरोंसिंह शेखावत: एक बात, अभी जो सात महीने के लिये आपने दिये हैं उससे कितनी आमदनी हुई है ?

श्री चन्दनमल बैद: पूरे तो याद नहीं हैं लेकिन 13-14 करोड़ की इनकम हुई है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: अन्दाजन कितनी हुई है ?

श्री चन्दन मल बैद: 13-14 करोड़ के अन्दाजन हो सकती है। 50-40 लाख इधर उधर हो सकता है।

श्री राजबहादुर: मैंने 12 सूत्री कार्यक्रम के बारे में कहा उनको क्रियावित करें तो आपको सफलता मिलेगी।

श्री चन्दनमल बैद: कोशिश करेंगे, पूरी सफलता प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। जितनी भी हो 50 प्रतिशत, 60,70,80 प्रतिशत 90 प्रतिशत पूरी कोशिश करेंगे।

श्री राजबहादुर: मन्दिर, मस्जिद और पाठशाला के पास यह शराब की दुकानें नहीं हों, मैंने इस बात को कहा।

श्री चन्दनमल बैद: आपकी अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी उसमें यह कहा था कि…

श्री राजबहादुर: मुझे तो याद नहीं।

श्री चन्दनमल बैद: आपको याद नहीं, मुझे याद है, मैंने रिपोर्ट पढ़ी है मेरी मैमोरी इतनी कमजोर नहीं आपने यह कहा है कि मुख्य-मुख्य धार्मिक स्थानों से उनकी दूरी तय की जाये। यह आपने लिखा है, मैंने नहीं लिखा है नीचे दस्तखत हैं, राजबहादुर और उसके नीचे दस्तखत है, चन्दन मल बैद।

श्री राजबहादुर: मैं तो कहता हूं कि यह इम्प्रेक्टिकेबल है।

श्री चन्दन मल बैद: यह प्रेक्टिकेबल है। आपने कोई बात इस जिन्दगी में कही नहीं, जो इम्प्रेक्टिकेबल हो।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि क्या सदन की अनुमति है कि राजस्थान मद्य निषेध अधिनियम, निरसनकारी, विधेयक, 1981 को विचारार्थ लिया जाये।

(ध्वनि मतदान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत: ना पक्ष जीता।

श्री अध्यक्ष: मैं दुबारा पूछ लेता हूं शायद गलती हो गयी होगी सुनने में।

प्रश्न यह है कि क्या सदन की अनुमति है कि राजस्थान मद्यनिषेध अधिनियम, निरसनकारी विधेयक, 1981 को विचारार्थ लिया जाय।

(ध्वनि मतदान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत: कैसे हां पक्ष जीता? यहां पर आप देखने 10-12 तो बैठे हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आर्डर, आर्डर। घंटी बजाइये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: नो।

अनेक माननीय सदस्य: हां पक्ष जीता।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: ना पक्ष जीता।

श्री अध्यक्ष: जो माननीय सदस्य ना कहते हैं वे अपने स्थान पर खड़े हो जायें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: ऐसी तालियों से धमकी में आने वाला नहीं हूं। यह बिलकुल ह्यूमीलेटिंग है और अनुचित है। हम इस चीज को सहन नहीं करेंगे।

श्री अध्यक्ष: नियमों में ऐसी व्यवस्था है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: अध्यक्ष महोदय, आप कह रहे हैं खड़ें हो जायें। क्यों खड़े हो जायें। जाने दीजिये लॉबी में। दिक्कत क्या है?

श्री अध्यक्ष: इस सम्बन्ध में नियमों में प्रोविजन है।

श्री खेतसिंह राठौड़: रूल्स में प्राविजन है। हमको खड़ा कर दीजिये, सर। हम खड़े हो जायेंगे।

(व्यवधान)

श्री जयकृष्ण शर्मा: सदन की यह प्रक्रिया रही है। उपाध्यक्ष के चुनाव में वोट पड़े हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़: जी हां पक्ष के हैं उनको खड़े कर दीजिये। हम खड़े हो सकते हैं। हमें गिन लीजिये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आर्डर प्लीज।

श्री दुलाराम माननीय अध्यक्ष महोदय, 78 में, तत्कालीन मुख्य मंत्री जी जब हां पक्ष में थे, एक दफा डिबेट हुई थी उसमें हमको खड़ा करके वोट लिये गये, उस वक्त मर्यादा, व्यवस्था कहां गई थी?

श्री अध्यक्ष: विपक्ष के नेता महोदय इस प्रावधानो को अच्छी तरह से जानते हैं लेकिन उनको खड़े होने में ऐतराज है तब मैं दुबारा आपको ही खड़ा कर देता हूं।

जो प्रस्ताव के पक्ष में हैं वे अपने स्थान पर खड़े हो जाये।

व्यवस्था का प्रश्न

मत विभाजन की प्रक्रिया

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई): सर, आन ए पाइन्ट ऑफ आर्डर। आन ए पाइन्ट ऑफ आर्डर, सर। सर अण्डर रूल 286...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आर्डर प्लीज। माननीय सदस्यगण।

श्री नाथूसिंह: 286 डिवीजन

'On the conclusion of a debate, the Speaker shall put the question and invite those who are in favour of the motion to say 'Aye' and these against the motion to say No.

श्री अध्यक्ष: आर्डर, आर्डर। कहां माना?

श्री नाथूसिंह: सुनो। अध्यक्ष महोदय, मैं खुलासा कर देता हूं।

श्री अध्यक्ष: आर्डर, आर्डर। इनको सुनने दीजिये, माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज।

श्री नाथूसिंह: यह प्रक्रिया है। इसका अंतिम प्रोविजो देखिये। मैं प्रोविजो की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा।

2. The Speaker shall then say—I 'think the Ayes (or Noes, as the case may be) have it'. 'If the opinion of the Speaker as to the decision of a question is not

(श्री नाथूसिंह)
challanged, he shall say twice. 'The Ayes (or the Noes, as the case may be) have it' and the question before the House shall be determined accordingly.'

लेकिन आगे लिखा हुआ है। चौथे में लिखा हुआ है।

श्री अध्यक्ष: आर्डर प्लीज।

श्री नाथूसिंह : Proviso—Provided that, if in the opinion of the Speaker t e Division is unnecessarily claimed, he may ask the members who are for 'Aye' and those for 'No' respectively to rise in their places and, on a account being taken, he may declare the determination of the House. In such a case the names of the voters shall not be recorded.

अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन केवल यह है कि अगर किसी पक्ष में आपत्ति होती ..

श्री अध्यक्ष: आर्डर आर्डर। शांत रहिये। मैं सुन लूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : प्रोविजो आगे पढ़ लीजिये।

श्री खेतसिंह राठौड़ : पूरा प्रोविजो तो आपने पढ़ा ही नहीं।

श्री नाथूसिंह : प्रोविजन है। किसी भी पक्ष को इसमें आपत्ति होती है, इसमें टर्म है, निर्णय डिस्क्लोज नहीं किया जायेगा। यह नहीं किया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, यदि आप खड़े करने की प्रक्रिया अपनाते हैं उसमें ओपनली हाउस के सामने आ जाता है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। व्यवस्था के प्रश्न को निरस्त किया गया। स्थान ग्रहण कीजिये।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। आर्डर आर्डर।

विधेयक पर विचार

जो प्रस्ताव के पक्ष में हों वह अपने स्थान पर खड़े हो जायें।

विपक्ष के नेता को विनम्र निवदन करता हूं

श्री भैरोंसिंह शेखावत: आन ए पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष: आर्डर। आर्डर, माननीय सदस्य। आर्डर आर्डर, आर्डर प्लीज। शांत रहिये, माननीय सदस्य।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: आन ए पाइन्ट आफ आर्डर...

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। शांत रहियें। आर्डर प्लीज। आर्डर प्लीज। माननीय सदस्यगण, ऐसा है कि आसन जब माननीय सदस्यों के मत ले रहा हो उस वक्त कोई व्यवस्था के सम्बन्ध में प्रश्न नहीं उठता।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं कहना चाहूंगा, आपने एक बार आदेश दे दिया कि बैठ जायें तो मुख्य मंत्री, सदन के नेता को उस वक्त आपके आदेश की तामील करनी चाहिए थी।

(व्यवधान)

लेकिन वह खड़े रहे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । आपस में बात नहीं करें, माननीय सदस्य । मतों की गिनती हो रही है । थोड़ा ध्यान रखियेगा । आपस में बात नहीं करें । आर्डर प्लीज, आर्डर ।

(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : जब मयखाने की है . .

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य ।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज । सब गिनती हो जायगी ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : रिजल्ट डिक्लेअर क रेंउसके पहले मेरी बात सुन लें ।

श्री अध्यक्ष : मैं अभी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर रहा हूं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इसलिये कह रहा हूं . . . . .

श्री अध्यक्ष: आपके पक्ष को मैं नम्र निवेदन कर रहा हूं . . .

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इस वक्त पाइन्ट आफ आर्डर रेज करने का अधिकारी हूं···

श्री अध्यक्ष : जब······

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप बैठें तो··

श्री अध्यक्ष : जब वोट की गिनती कर रहे हैं उस वक्त कोई पांइन्ट आफ आर्डर नहीं उठता ।

(व्यवधान)

वोट की गिनती के लिये कह रहा हूं ।

(व्यवधान)

तो मुझे प्रक्रिया पूरी करने दीजिये ।

परिणाम घोषित करने से पहले मैं आपको अवसर दूंगा । वह अवसर मैं आपको दूं तब उठाइये ।

स्थान ग्रहण कीजिये ।

जो प्रस्ताव के विरोध में हैं वह कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जायें ।

श्री राजबहादुर : पाइन्ट आफ आर्डर रेज करना है उसकी वजह है . . . . .

श्री अध्यक्ष : कृपया खड़े हो जायें पहले . .

श्री राजबहादुर : खड़े हो जायेंगे ।

श्री अध्यक्ष: आर्डर प्लीज । बाद में । आर्डर प्लीज ।

गिनती कर लीजिये ।

श्री राजबहादुर : यदि बोलने नहीं देंगे··

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर, माननीय सदस्यगण ।

श्री राजबहादुर : पाइन्ट आफ आर्डर तो सुनें ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री राजबहादुर : माननीय, अध्यक्ष महोदय, अब मैं विनती कर सकता हूं ।

श्री अध्यक्ष : कृपया, स्थान ग्रहण करें । स्थान ग्रहण करें ।

व्यवस्था का प्रश्न

मत विभाजन की प्रक्रिया

श्री राजबहादुर : माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक विनती कर सकता हूं । मैंने आह्वान किया था कि पाइंट आफ आर्डर रेज करना

(श्री राजबहादुर)

है । सदन में विपक्ष के नेता ने ह्यूमैलिटी के साथ में कहा था । हम इसको मानते हैं कि जब आप चाहें हमें खड़ा करने को भी कहा जा सकता है यह शब्द उन्होंने कहे थे और मैं आपको Rule का जो प्रोविजो है, वह पढ़ना चाहता हूं :—

'Provided that if in the opinion of the Speaker the Division is unnecessarily claimed, he may ask the members who are for 'Aye' and those for 'Noes' respectively to rise in their places......'

फिर भी हम डिवीजन तो क्लेम कर सकते हैं । उसे हम अननेसेसरीली क्लेम नहीं कर सकते हैं । अगर unnecessarily claim करें तो आप कहेंगे कि खड़े हो जाओ तो उसको मानते हैं । आप हमारी भावनाओं की कद्र करते हैं कि हमें स्कूल के बच्चों की तरह खड़े होने के लिये नहीं कहा जा सकता और इस पर मैं आपसे विनती करूंगा आपका डिस्क्रशन है उस डिस्क्रशन को आप एप्लाइ कीजिये । आखिर यह अननेसेसरी है, भावनाओं की बात है

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि इसे अननेसेसरी मान लिया जाये । थोड़ी देर पहले उन्होंने अपनी लाबी डिवीजन क्लेम किया था और उसके बाद फिर इसी तरह से बहस होती रही—इस भावना से डिवीजन किया जाये । इसलिये मैं निवेदन करूंगा.....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ पाइंट सुनाये जिसके आधार प आप इस प्रकार का निवेदन कर सकते हैं । अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न शराबबंदी का प्रश्न है । विधान सभा का बनाया हुआ कानून है । प्रॉहिबिशन एक्ट है और उसके अन्तर्गत एक्साइज का एक्ट है कि शराब बन्दी के मामले पर बहुत लोग कमिटेड हैं और बहुत लोग कहते हैं कि शराबबंदी नहीं होनी चाहिये । डिवीजन हम भी दे सकते थे, इसमें कहीं रत्ती भर भी भ्रम नहीं है । मगर इससे हम सदन का समय नहीं लेना चाहते । यह हम भी जानते हैं और सरकार भी जानती है । लेकिन ऐसे सिद्धांतों के प्रश्नों पर जिस समय डिवीजन क्लेम किया जा सकता है उस समय ह्यूमिलेटिंग का प्रश्न नहीं होता । एक्ट का प्रश्न है, आपकी जानकारी के लिये एक उदाहरण दूंगा । माननीय खेतसिंह जी, जिस समय जनता पार्टी का शासन था उस समय जब शराबबन्दी की गयी तो आपने भी दस्तखत कर दिये थे कि शराबबंदी होनी चाहिये । आज वह वोट दे रहे हैं । उसके रिकार्ड तो क्रियेट हो । किसने वोट दिया है ?

श्री अध्यक्ष : नाम नहीं बताया ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : वह डिवीजन किस बात का है कि जो अध्यादेश को लागू किया है, उसका निरसन किया जाये । यह कोई सैद्धांतिक सवाल नहीं था । मैं इसलिये निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, पार्लियामेंट में भी कई बार जो माइनोरिटी के अन्दर आपोजीशन बैठी है, सुरक्षा विधेयक के अन्दर एक-एक क्लाज के ऊपर वहां डिवीजन हुआ । लोग अपनी लांबी में गये और जाकर अपना नाम रिकार्ड कराया । कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं, जैसे आज यह प्राहिबिशन का इश्यू है

(श्री भैरोंसिंह शेखावत) :

सभा में उस समय पक्ष में वोट डालने वाले एक वर्ष में इसके विपक्ष में वोट दे रहे हैं। यदि हम अननेसेसरिलो टाइम लेतें विधान सभा में डिवीजन क्लेम नहीं करते डिवीजन क्लेम में एक-एक के नाम लिखे जायेंगे, हिन्दुस्तान के लोग कम से कम इस बात को देखेंगे कि हमारे भाई बंधु वह नेता कौन थे जिन्होंने डेढ़ वर्ष पूर्व शराबबंदी के लिये वोट डाला था। भगवान जानें डेढ वर्ष बाद भारत में कौनसी स्प्रिट पैदा हो गई कि वे शराबबंदी को रहने नहीं देना चाहते। वैसे आपकी मर्जी है हमनें कभी आज तक डिवीजन क्लेम करके सदन का समय जाया नहीं किया है। यह एक सैद्धांतिक प्रश्न है इसलियें मैं पुन: निवेदन करूंगा कि इस प्रश्न पर डिवीजन हो और एक-एक आदमी का नाम रिकार्ड किया जाये कि उसने किसके पक्ष में वोट डाला और किसके विपक्ष में ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मेरा नाम लिया गया इसलिये मैं बोलने की इजाजत चाहूंगा। न तो मैंने कभी इस विषय पर वोट दिया और न कभी इसके विपक्ष में। मुझे तो यह भी नहीं मालूम कि मैंने कभी इसमें दस्तखत किये हैं। यह विषय कब आया मुझे तो इसकी भी जानकारी नहीं है। उस समय सदन में नहीं था। दूसरे मैं एक और निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री महोदय एक बार चेम्बर में बैठे हुए थे उस समय मैं भी था। विरोधी दल के नेता थे आज यहां मौजूद नहीं है, आज वह हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर हैं। उस वक्त स्वयं मुख्य मंत्री जो इस समय विरोधी दल के नेता हैं. ने कहा था, गला दबा हुआ है, मैं चाहता तो नहीं हूं लेकिन गोकुल भाई और तिलोकचन्द जैन पीछे पड़े हुए हैं इस वजह से शराबबंदी होना चाहिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, इसकी सफाई में मुझे भी कुछ कहना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, बिलकुल ठीक है कि हम चेम्बर में मिले थे-और उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते हैं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : यह बात भी सही है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : और उन्होंनें कहा था कि हम चाहते नहीं हैं कि इस प्रश्न के ऊपर कुछ चर्चा करें। इसलिये अध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना था कि शराबबन्दी की जो इस समय सदन में चर्चा चल रही है हम दिखावटी रूप से तो इसके पक्ष में हैं, मन से तो नहीं चाहते हैं कि यह खुली रहे। माननीय सदस्य कह रहे हैं कि मेरे दस्तखत नहीं हैं। हो सकता तो मैं कल विधान सभा में वह कागज पेश करूंगा जिसमें इनके ही नहीं, कांग्रेस के अनेक सदस्यों के हस्ताक्षर थे और कहा था कि शराबबन्दी होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : एक प्वाइंट आफ आर्डर।

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : On a point of order.

If the speaker grants the request for a division, the division bell shall be rung for five minutes.

आपने डिवीजन स्वीकार कर लिया और घण्टी बजा दी। आपको डिवीजन कराना चाहिये क्योंकि—

After the division bell stops ringing the speaker shall again

(श्री भंवरलाल शर्मा)
read over the terms of the question.

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज यह आपने कर दिया। मैं समझ रहा हूं आपकी आपत्ति क्या है? मैंने सोचा है शायद डिवीजन करने पर बरावरी की स्थिति हो। जब कि मैं पहले निर्णय दे सकता था। उधर सदस्य कम बैठे थे इधर अधिक हैं। मैंने यह अवसर दिया और डिवीजन का यह कायदा होता है जब सब माननीय सदस्य सदन में प्रवेश कर जाते हैं तो उसके बाद प्रश्न पर दो दफा प्रश्न पूछा जाता है उसके बाद में भी यदि कोई संतुष्ट न हो विरोध करने वाले तो उस अवस्था में तो दो विकल्प रहते हैं अध्यक्ष के पास पहला यह है कि जो माननीय सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हों वे खड़े हो जायें और उसके पश्चात् विपक्ष में हों उनको खड़ा होने को कह दें। क्योंकि डिवीजन में लेने में काफी समय लगता है और स्थिति यदि स्पष्ट हो देखने से जैसा कि विरोधी पक्ष के नेता महोदय ने कहा आज आपत्ति केवल यही है कि लिखित के अन्दर यह रिकार्ड दिया कि किस ने किधर वोट दिया है? हमारे जितने भी रिकार्ड हैं वो हमारे पास गाइडेंस के लिये हैं। उनको बाहर ले जाया जा सकता है, कहा जा सकता है ऐसा कुछ नहीं है। यदि ऐसा भी हो तो पांच मिनट यदि खड़े रहते हैं।

(व्यवधान)

यह उद्देश्य भी नहीं है, उद्देश्य केवल यह है कि किस पक्ष में कितने वोट आये? इस जानकारी के लिये दोनों ही प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसलिये विपक्ष के नेता महोदय ने जो आपति उठाई है गणना के बारे में, मैं उसमें कोई तथ्य नहीं देखता हूं, मैं उसको निरस्त करता हूं और जो परिणाम है वह मैं आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूं। प्रस्ताव के ......

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य...

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

जब अध्यक्ष मतदान के परिणाम सुना रहा हो, उस स्थिति में माननीय सदस्यों को शान्ति से सुनना चाहिये......

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

मैंने दोनों पक्षों को सुना है।

विधेयक पर विचार

प्रस्ताव के पक्ष में 85 मत विपक्ष में 37 मत इसलिये इसका परिणाम है हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

प्रभारी मंत्री जी।

विधेयक का पारण

श्री चन्दनमल वैद (आवकारी मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान मद्य निषेध अधिनियम निरसनकारी विधेयक, 1981 को पारित किया जाये...

(व्यवधान)

श्री राजबहादुर : क्या डिवीजन का कोई रिकार्ड नहीं रहता है, यह आप क्या कह रहे हैं, नामवार रिकार्ड रहता है।

श्री अध्यक्ष : इस सदन के अन्दर जो कुछ हम बोलते हैं वह सबका सब रिकार्ड रहता है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : जो व्यवस्था दी है उसमें यह पता नहीं लगेगा कि भैरोंसिह ने क्या मत दिया है ? यह आपकी मर्जी है।

श्री अध्यक्ष : हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता, इसमें कौनसा रिकार्ड रहता है यह आवश्यक नहीं है···

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

श्री देवीसिह भाटी : अध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था दी थी, धौलपुर के अब्दुलपुर गांव में तीन हरिजनों की हत्या के बारे में स्टेटमेंट दिलाया जाय।

श्री अध्यक्ष : स्टेटमेंट दिया जाये समय बढ़ाया जाये···

(व्यवधान)

श्री देवीसिह भाटी : यह शराब पीना और पिलाना जरूरी नहीं है। हरिजनों पर निरन्तर अत्याचार हो रहा है और माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने 5-00 बजे के लिये फर्माया था।

श्री अध्यक्ष : इसका मतलब है इस प्रस्ताव पर नहीं बोलना चाहते हैं। समय सीमा है, इस पर काफी चर्चा हो चुकी है। इस समय सीमा में दो-दो मिनट···

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, यह विधेयक···

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यहां की भाषा हिन्दी है, माननीय सदस्य।

श्री दाऊदयाल जोशी : माननीय मुख्य मंत्री ने सोचा था कि राज्य सरकार जीतेगी और एक सुप्रभात होगा और मैं राजस्थान का स्वर्णिम भविष्य उपस्थित करूंगा। यह उसी प्रकार से चरितार्थ होता है जिस प्रकार से एक कमल में भ्रमर यह सोचता है कि फूल के रस का शोषण करूंगा और सुबह उगने के साथ ही उड़कर चला जाऊंगा लेकिन दुख की बात है वह भ्रमर इस बात को सोचता ही रहा और कमल के अन्दर बन्द हो गया और मर गया। यह स्थिति हमारे राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी की रही है। यह स्वर्णिम किताब लिखकर उन्होंने कहा है कि मैं राजस्थान को आगे बढ़ाऊंगा लेकिन मुझे दुख है शराब पीकर राजस्थान आगे नहीं बढ़ेगा। मैं समझता हूं इससे कभी भी राजस्थान खुशहाली की तरफ नहीं बढ़ेगा।

राजस्थान 20 सूत्री कार्यक्रम की हमारे नये मुख्य मंत्रीजी ने जो कल नादी उसकी ओर नहीं बढ़ेगा। शराब के कारण मैं समझता हूं, गर्त में जायेगा। आने वाले भविष्य को दृष्टि से राजस्थान के मुख्य मंत्री अन्तिम समय तक, आज अन्तिम समय है, पुनः विचार कर लें ऐसा काला कलंक अपने माथे पर न लगायें। ऐसा काला कलंक चन्दनमलजी को सुशोभित होगा। काले का टीका लगाकर आप, शिवचरणजी न चलें, आप, बुद्धिजीवी है और मैंने आपको पी.यू.सी. के माध्यम से देखा है इसलिये ऐसे

(श्री दाऊदयाल जोशी)
काले का टीका आप अपने मत्थे पर लगा रहे हैं जो आज की तारीख में मैं अपना अपमान समझता हूं कि शराब के इस इश्यू पर आप मोहर लगवा रहे हैं। मैं इस विषय पर इस सदन का त्याग करता हूं। धिक्कार है इस सरकार को जो शराब पिलाकर इस राजस्थान की बहबूदी को नष्ट करना चाहती है और राजस्थान के गरीब भूखे, नंगे लोगों को दारू पिलाकर सरकार की आमदनी की बात करती हैं। लगा दें हमारे ऊपर टैक्स दो-दो रुपया कि राजस्थान के लोगों की बहबूदी करनी है और राजस्थान से शराब को कत्तई बन्द कर दें। राजस्थान की तीन करोड़ जनता से यह दो दो रुपया वसूल कर लें इससे 6 करोड़ रुपया राजस्थान के विकास के लिए इकट्ठा हो जायेगा। बंगला देश के लिये भी हमने टैक्स दिया था। 5-5 पैसा हमने टैक्स दिया था और अब फिर चाहो जितना टैक्स हम से ले लो लेकिन भगवान के नाम पर इस दारू को खतम करें। अब मैं वाक आउट करता हूं।

(बहिर्गमन)

श्री अध्यक्ष : वाक आउट करना है तो अभी समय है। भाषण के बाद में प्रत्येक माननीय सदस्य वाक आउट करें, इस प्रक्रिया की अनुमति नहीं दूंगा, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिह शेखावत : वाक आउट करने के लिये अनुमति की आवश्यकता नहीं है। वाक आउट करने के लिये कहीं भी आपको यह अधिकार नहीं दिया गया है कि आप अनुमति दें तभी वाक आउट करें।

श्री अध्यक्ष : अनुमति का सवाल नहीं है, लेकिन भाषण देकर वाक आउट करते हैं और वाक आउट करना चाहते हैं तो सदन के समय का सवाल है...

श्री भैरोंसिह शेखावत : रूल्स में आप बता दीजिये कि कहां अधिकार है आपको ? कहां लिखा है भाषण देकर वाक आउट नहीं कर सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष : मैं वाद-विवाद को... ।

एक माननीय सदस्य : आसन से इस प्रकार की अपेक्षा नहीं की जाती है। सदन की भावनायें हैं, सदन में अपनी भावना भी प्रकट नहीं कर पायेंगे तो मैं नहीं समझता हूं कि हमारे अधिकारों की रक्षा हुई है...

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिह शेखावत : आपने दो-दो मिनट के लिये कहा था।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : अध्यक्ष महोदय, इस तथा कथित लोक कल्याणकारी सरकार के द्वारा जहां लोक कल्याण के लिये राजस्थान को आगे बढ़ाना था और लगभग 32 साल के प्रयत्न के बाद जिस बुराई को हमने समाप्त किया था, वहां उस बुराई को पुनः लाकर मेरी मान्यता है कि माथुर की सरकार सबसे बड़ी उपलब्धि यह कर रही है कि दारू पीओ और पिलाओ। यह पहली आपकी दो महीने की सबसे बड़ी उपलब्धि है। मंत्रीजी कम से कम कुर्सी से चिपकने का इतना मोह मत करो जिन सिद्धान्तों को लेकर हम जीये हैं और जिन बातों को लेकर राजनैतिक जीवन में प्रवेश किया है वह यह सोचकर प्रवेश किया था कि हम राजनैतिक क्षेत्र में रहते हुए सामाजिक बुराइयों को कम करेंगे और एक दिन हटाते-हटाते समाप्त

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)
करेंगे लेकिन यह कुर्सी का मोह आपने इस तरह चिपका रखा है कि इस शराबबन्दी को समाप्त करके आपने अपने मत्थे पर एक काला कलंक लगाया है। जनता आपको और आपकी आने वाली पीढ़ी को बार-बार कोसेगी।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, दो मिनट हो गये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : × × ×

(व्यवधान)

× × × आज उनके नाम पर यह कलंक लगा रहे हैं। आज उनकी आत्मा जो विचरण कर रही है, वह क्या कहेगी ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये, समाप्त कीजिये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : जो इस प्रकार का कुकृत्य किया है, इस घृणित कार्य को, समाज विरोधी कार्य को जो राजस्थान को डुबोने वाला है वह कुत्सित और घृणित काम इस सरकार ने किया और मैं इसके विरोध में वाक आउट करता हूं।

(बहिर्गमन)

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय, अमेरिका की जो बात कही है...

×××शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं नियम संख्या 281 के तहत वाद विवाद समापन के लिये निवेदन करता हूं। यह नियम इस प्रकार है. अध्यक्ष महोदय, किसी प्रस्ताव के पास किये जाने के बाद किसी समय कोई भी सदस्य प्रस्ताव कर सकेगा...

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, इस मृत बिल को फिर लाने की बात कही है...

वाद-विवाद समापन-प्रस्ताव

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय मैं नियम 281 के तहत समापन के लिए निवेदन कर रहा हूं, ये नियम वापस हैं? अध्यक्ष महोदय, किसी प्रस्ताव के किये जाने के बाद किसी समय कोई भी सदस्य प्रस्ताव कर सकेगा कि अब प्रश्न रखा जाये और जब तक अध्यक्ष महोदय को ये प्रतीत नहीं हो कि प्रस्ताव इन नियमों का दुरुपयोग है या उचित वाद-विवाद के अधिकार का उल्लंघन करता है, तब अध्यक्ष प्रस्ताव रखेगा कि अब प्रश्न को रखा जाय, मेरा यह निवेदन है, अध्यक्ष महोदय, इस सिलसिले में, परसों से यह लगातार डिबेट हो रही है, माननीय सदस्य जो विरोध में बैठे हैं, ये सब एक-एक बार बोल चुके हैं और उसके बाद फिर दूसरी दफा बोले हैं और अब ये तीसरी बार बोलना चाहते हैं और...

श्रीमती उजला अरोड़ा : इस विषय में नियम हैं, आप नियम पढ़ लीजिए।

श्री खेतसिंह राठौड़ : ये बात बार-बार बोलना चाहते हैं, इसलिए मैं प्रस्ताव रखता हूं कि इस प्रश्न को समाप्त किया जाये और इस बिल के लिए जो पारित करने का प्रस्ताव

(श्री खेतसिंह राठौड़)
माननीय मंत्री महोदय ने रखा है, उसे ले लिया जाये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मुख्य सचेतक महोदय ने जो प्रस्ताव रखा है, मैं उसका विरोध करता हूं। अध्यक्ष महोदय, विरोध इसलिए करता हूं कि इस समय करीब 8 मिनट हुए हैं, थर्ड रीडिंग के लिए मोशन मूव किये हैं। केवल 8 मिनट, 8 मिनट के बाद अगर क्लोजर मोशन मूव किया जाता है तो मैं समझता हूं कि हमारे अधिकारों को एनक्रोच करने की व्यवस्था की जा रही है, अगर कुछ ज्यादा समय लें, थर्ड रीडिंग करने के बाद भी ज्यादा समय लगता है, लेकिन अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी, उसमें आपको विश्वास नहीं है। व्यवस्था दी कि दो मिनट से ज्यादा नहीं बोलें, सदस्य दो मिनट में बोले हैं, अपना भाषण समाप्त कर रहे हैं, दो मिनट में। आपको क्या आपत्ति हो गयी ?

श्री खेतसिंह राठौड़: अध्यक्ष महोदय, मुझे आपत्ति यह है कि पहले जब आर्डिनेन्स आया आर्डिनेन्स पर आपके सारे माननीय सदस्य बोल लिये, उसके बाद जब बिल रखा गया, उस वक्त में बोल लिये, विचारार्थ रखा गया, उस वक्त में बोल लिये। अब जब पारित करने का प्रश्न आया तो कल शाम को जब अपन मिले थे, अध्यक्ष महोदय के चेम्बर में तो तय हुआ था कि इस बिल की बहस में लीडर आफ दि अपोजीशन और बाबू राजबहादुरजी बोलेंगे और कोई नहीं बोलेगा, हम इस बिल को पारित कर देंगे, आपने इसका उल्लंघन किया है, अब इसके सिवा मेरे पास कोई दूसरा चारा नहीं था, आप इस सदन का समय लेना चाहते हैं, इससे और ज्यादा इम्पार्टेन्ट बिजनेस पड़ा है इसलिये मैंने यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया है

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मुझे यह बात पहले ही पता थी कि चीफ-व्हिप से कोई भी बात कहीं भी हो, वे इस हाउस में कहे बिना नहीं रह सकते।

श्री खेतसिंह राठौड़ : ये कोई प्राइवेट बात नहीं हुई थी, अध्यक्ष महोदय के चेम्बर में हुई थी, इनके सामने हुई थी।

श्री चन्दनमल बैद : कोई बैड रूम में नहीं हुई थी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : चीफ व्हिप का यह आचरण ठीक नहीं है, कई बार कान्फ्रेन्स में बातें होती हैं वे हाउस में कहने के लिए थोड़े ही होती हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : ये बात तो हुई ही इसलिए थी कि इस बिल को पारित कर देंगे और उसके बाद में सारी यूनिवर्सिटी के बिलों को पारित कर देंगे, 8 बजे तक सारा काम पूरा कर देंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने तो कह दी और आपने जो मुझे कहा, वह मैं कह दूं तो अब सवाल दूसरा हो गया है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैंने कुछ नहीं कहा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, दो-दो मिनट में आप व्यवस्था कर दीजिये, व्यवस्था में चाहे जो सदस्य इस बिल पर नहीं बोले हैं, जैसे मैं बोला हूं, मुझे बोलने की इजाजत नहीं है....

श्री राजबहादुर : मैं नहीं—

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं मेरे लिए कह रहा हूं, मेरी पार्टी के सदस्यों के लिए कह रहा हूं, जो बोल लिये उनको छोड़ दीजिये और जो नहीं बोले हैं, उनको दो-दो मिनट दें, वे तो अपनी बात कह दें।

श्री अध्यक्ष : कितने माननीय सदस्य हैं, ये बता दीजिये ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : जितने भी हैं।

श्री अध्यक्ष : नहीं जितने तो 35 माननीय सदस्य हैं तो दो-दो मिनट माननीय सदस्य बोलना चाहेंगे तो·····

श्री खेतसिंह राठौड़ : महावीर प्रसादजी उस रोज बोल लिये।

श्री भैरोंसिह शेखावत : नहीं जो बोल लिये, चाहे किसी भी समय बोल लिये तो उनको नहीं कहा—

श्री अध्यक्ष : अब ये बता दो इतने बोल सकते हैं, उसके बाद ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि अननेसेसरीज·····

(व्यवधान)

देखिये यह है कि एक ओर कर दें, यह भावनाओं का सवाल है, किसी के लिये किसी बात का सवाल हो सकता है, यह कन्विन्स करने और कमिटमेंट का क्वेश्चन है।

श्री अध्यक्ष : इसलिए मैं अब माननीय सदस्यों को ज्यादा टेन्शन में रखना नहीं चाहता, भावनाओं का सवाल है, आपको तकलीफ हो रही है, तीन दिन से।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, आपसे ये उम्मीद तो है ही कि हमारा टेन्शन रिमूव करेंगे लेकिन हमारा टेन्शन रिमूव होगा जब हम यहां बोल पायेंगे, बिना बोले·····

श्री अध्यक्ष : पास होने के बाद फिर बोल लें।

एक माननीय सदस्य : तो ये बिल पास हुआ और मिटा।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि चीफ व्हिप खुश हो गये, अब दो-दो मिनट का समय दे दीजिए।

श्री अध्यक्ष : अब मैं विपक्ष के 6 सदस्यों को दो-दो मिनट का अवसर दूंगा।

श्री भैरोंसिह शेखावत : नहीं 6 को नहीं।

श्री अध्यक्ष : मजबूर हूं।

श्री राजबहादुर : अध्यक्ष महोदय, मैं 5 मिनट चाहूंगा इसलिए कि मेरा नाम बार-बार लिया गया और सचेतक महोदय ने लिया। मेरा कहना था कि मुझे बोलने के लिए कल भी तीन मिनट में घंटी बजा दी गयी तो मेरी कल की बात को समझते हुए·····

श्री अध्यक्ष : नहीं, मैं अब इसके लिए केवल 15 मिनट का समय देता हूं, 15 मिनट जब समाप्त हो जायेंगे, उस वक्त ये डिबेट समाप्त समझी जायेगी। इस पर जो माननीय सदस्य उस अवधि में बोलना चाहें, वे दो-दो मिनट तक बोल दें। आप बोलना चाहेंगे ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बोलना शुरू कर चुकी

(श्रीमती उजला अरोड़ा)
थी, इसी बीच ये चलना शुरू हो गया ।

श्री अध्यक्ष : आप बोल लें, इसके बाद बोलें ।

विधेयक का पारण

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने तो जैसे कोई मरे हुए को संजीवनी डालकर, छिड़क कर जीवित कर दिया । इस तरह से इस मरे हुए बिल को जीवित कर दिया । कल से इन्दिरा बाजार की दुकानें बन्द हैं और ठेका खोलने का, एजीटेशन है, कल रात भी मैंने एक बात कही थी, तार आया है जिसमें बन्दूक से बीकानेर में प्रेम नाम के व्यक्ति को मारा पीटा है और मारपीट से उसकी इतनी हालत खराब हो गई है कि वह अस्पताल में भर्ती है, इन सब पर यदि विचार नहीं किया गया और इस प्रकार की डबल गुंडागर्दी पनपाई गई जो अभी तक नहीं थी, माननीय अध्यक्ष महोदय, तो इसी लिये हम बात कहना चाहते हैं, हम समाज की ओर से ट्रस्टी हैं, हम समाज से वादा करके आये हैं, आपकी शुभकामनाओं के लिए नियम बनायेंगे उनके लिये विनाश के नियम बनाने के लिए हम यहां नहीं आये हैं । माननीय वित्त मंत्रीजी से कहना चाहूंगी कि इस तरह के जो यहां पर कानून लेकर आये हैं, इस पर आप क्या ला रहे हैं ? ये भारत जो है, ये कर्म की भूमि है, भोग की भूमि नहीं है । मैं किस जबान से कहूं, मैं किस तरह इन्हें समझाऊं या तो मुझे भाषा आप समझा दें या इन्हें कोई दिल आप दे दें । मैं कहना चाहूंगी ये बिलकुल गलत काम कर रहे हैं । मैं किस तरह से इन्हें समझाऊं, किसी मनीषी ने भी कहा है । इन्होंने कहा है कि अमेरिका में शराबबन्दी खूब पड़ी है लेकिन मैं कहना चाहूंगी ये वहीं के ई.एन. हाग मनीषी हैं जिन्होंने कहा है कि शराबबन्दी इन्हें करनी पड़ेगी । हमारी स्थिति खराब है वहां के लोग जब विचार करते हैं तो वहां के लोग क्यों नहीं कर सकते । मैं किस तरह समझाऊं कि इस तरह के पोस्टर भी इन्होंने लगाये हैं, बार-बार ये लिखते हैं, बार-बार इन्हें बताया कि किताबें देखिये इन मनीषियों की, लेकिन मैं आज डेढ़ साल में इतनी दुखी कभी नहीं हुई थी । मैं चर्चा नहीं कर सकती, मैं नहीं चाहती विधान सभा में बोलूं जिस तरह से एजीटेशन किया जा रहा है । ये बतायें कि कौन किसने कहा ? ये गांधी कहते हैं, या बुद्ध कहते हैं, नानक कहते हैं, ईसा कहते हैं, कौन कहता है ? डाक्टर्स कहते हैं ? देखिये, इन तत्वों को नष्ट करने वाली चीज के लिए इस तरह के कानून को आप बहाल नहीं कर सकते, इसके लिये आपको शर्म आनी चाहिए, इस तरह का कानून बहाल करते हैं । मैं सदन से वाक आउट करती हूं ।

(बहिर्गमन)

श्री अध्यक्ष : शान्त रहें, माननीय सदस्य । श्री राजबहादुर ।

श्री राजबहादुर : अध्यक्ष महोदय, जो इस कानून को स्क्रैप करने जा रहे हैं, वह एक एक्ट है ।

श्री अध्यक्ष : बैठे-बैठे बातें नहीं करें, माननीय सदस्य ।

श्री राजबहादुर : स्क्रैप करने वाले बिल को भी गवर्नर के सामने उपस्थित करना पड़ेगा, गवर्नर और प्रेसीडेंट, दोनों शपथ लेते हैं कि, "I will faithfully execute the office of President of India and will do the best of my ability preserve, protect and defend the Constitution and the law.........."

(श्री राजबहादुर)

और पर्टीकूलरली डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में विवाद उठा और विवाद के बारे में जो मंतव्य है, वह मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं आर्टिकल 200 और 201 रेज करता हूं। ये बिल प्रेसीडेंट और गवर्नर के पास जायेगा और ये प्रेसीडेंट और गवर्नर को पढ़ना पड़ेगा वह इस पोजीशन में रेलेवेन्ट, संवंध्रित पर्टीकूलर डायरेक्टिव प्रिंसिपल की रक्षा करेंगे अथवा नहीं? क्योंकि स्पष्ट बात है कि जो बिल वित्त मंत्री या मुख्य मंत्री जी ने रखा है, वे प्रगतिशील नहीं कहा जा सकता वह डायरेक्टिव प्रिंसिपल को बढ़ाने वाला नहीं कहा जा सकता, प्रगति करने वाला नहीं कहा जा सकता, प्रतिगामी है, रेट्रोग्रेट है, ऐसा स्टेप इस गवर्नमेंट को नहीं लाना चाहिए था। लेकिन आर्टिकल 200 बहुत क्लियर है, वह पढ़ कर सुनाता हूं। आर्टिकल 200 मैं आपको सुनाता हूं :

"Assent to Bills-When a Bill has been passed by the Legislative Assembly of a State or, in the case of a State having a Legislative Council, has been passed by both Houses of the Legislature of the State, it shall be presented to the Governor and the Governor shall declare either that he assents to the Bill or that he withholds assent therefrom or that he reserves the Bill for the consideration of the President."

श्री अध्यक्ष : यह तो आगे का सवाल है। यह देखना राज्य पाल का काम है। अगर ये सहमत नहीं होंगे तो वापस आ जाएगा।

श्री राजबहादुर : आपको मैं प्रोविजन बता रहा हूं वह कम से कम सुन तो लें। मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, प्राविजो पढ़ देता हूं :

Provided further that the Governor shall not asent to but shall reserve for the consideration of the president, any Bill which in the opinion of the Governor would, if it become law, so derogate from the powers of the High Court as to endanger the position which that Court is by this Constitution designed to fill.

यह तो इन प्रिंसिपल्स के बारे में बताया है लेकिन

201 says—

"When a Bill is reserved by a Governor for the consideration of the President, the President shall declare either that he assents to the Bill or that he withholds assent there from":

201 का भी प्रोविजो पढ़ूंगा, ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा।

"Provided that where the Bill is not a Money Bill, the President may direct the Governor to return the Bill to the House or, as the case may be, the Houses of the Legislature of the State together with such a message as is mentioned in the first proviso to article 200 and, when a Bill is so returned, the House or Houses shall reconsider it accordingly within a period of six months from the date of receipt of such message and, if it is again passed by the House or Houses with or without

(श्री राजबहादुर)

amendment, it. shall be presented again to the President for his consideration"

यहां यह है कि प्रेसीडेंट के पास दुबारा जाएगा। इसलिए मैं विनती करूंगा आपसे, इसके बारे में जो आखिरी निचोड़ देता हूं वह यह है कि प्रेसीडेंट को कन्फ्लिक्ट में न डालें और वह भी उतने जो Constitution को preserve, protect और defend करने की शपथ ली है whether he preserves, protects or defends the Constitution, when he is ask to go contrary to directive principles. He has to take oath to preserve, protect and defend the Constitution. I urge he should be allowed to do so and not made to work or fuuction at cross purposes.

एक तो इसकी यह ओथ है और दूसरी ओथ directive है, क्वेश्चन, यही मेरा ही नहीं है, दुर्गादास वसु की कमेन्ट्री ऑन कांस्टीट्यूशन आफ इंडिया है, उसके पेज 687 पर है:-

"The question is whether it would be unconstitutional for the President to use the veto power and to order, under the counter signature of a Secretary, that he withholds his assent to the Bill, if he is satisfied that a Bill palpably offends against the Directive Principles and that he cannot, as the "defender" of the Constitution, allow such a Bill to become law. Let us take a concrete example."

Article 47 directs the State 'to bring about the prohibition of the consumption except for medicinal purposes of intoxicating drinks."

It is to be noted that Article aims at absolute prohibition and that the only exception permitted is the use of intoxicating drinks for medicinal purposes. Suppose, now, that the Government of the day brings a Bill for enforcing prohibition but keeps in the Bill exceptions, other than on the ground of medicinal purposes, as was done in the Bombay Prohibition Act, 1949, such as exceptions in favour of clubs, hotels, cargo boats, members of the armed forces for the sake of raising revenue, the maintenance of the efficiency of the Armed forces, promotion of tourism and the like. Such grounds are foreign to Article 47, and it would be quite legitimate for a President to hold that the Bill offends against that Directive Principles. The President cannot leave the Bill for a judicial determination because the Court would be powerless to strike down the law on the ground that it offends against Article 47.

यहां तो सारा ही बिल स्क्रेप हो रहा है।

Therefore the President shall have to defend the Directive Principles.

और डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी भेजा कहां जायेगा, उसके अगेन्स्ट नहीं जा सकते।

(श्री राजबहादुर)

If he goes against, he breaks the oath. He calls for his own impeachment.

ऐसी किसी हालत में इस बिल को पारित नहीं करें। लास्ट में मेरी अपील है।

Kindly don't put the Governor or President in such an embarassing position. If you do, I have no other alternative left but to walk out.

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): अध्यक्ष महोदय, हमारे संविधान के डायरेक्टिव में, प्रिंसिपल्स में, मनुस्मृति, वेद, पुराण, महाभारत, गीता सभी में यह माना है कि..

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर, माननीय सदस्य।

श्री दुलाराम: आप खुद पीते हैं या नहीं?

श्री नन्दलाल मीणा : शराब यह निर्धन परिवार के लिए शोषण, सम्पन्न परिवार के लिए कलह, वैमनस्य, हिंसा और दुर्बुद्धि पैदा करता है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर !

श्री अमीन खां : होटलों में आप क्या करते थे ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : × × ×

(व्यवधान)

××× शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर माननीय सदस्य....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : × × ×

(व्यवधान)

श्री अमीन खां : × × ×

श्री अध्यक्ष : एक्सपंज, एक्सपंज, ऑर्डर, ऑर्डर...

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक्सपंज करें लेकिन वे कैसे बोलते हैं ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अगर बोलते हैं और आप एक्सपंज करते हैं तो वे कैसे बोलते हैं ? वे बोलेंगे तो, ये भी बोलेंगे।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर, मैं प्रोसीडिंग्स देख कर एक्सपंज कर दूंगा।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा): अध्यक्ष महोदय, यह उनका अपमान हुआ है.....

(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह (गुढा): मेरा आपसे निवेदन है कि महत्वपूर्ण सवाल पर आपस में आपत्तिजनक आरोप और इस तरह के इशारे और ये आपस में ऐसे उत्तेजनात्मक इशारे नहीं किये जावें।

श्री अध्यक्ष : जैसा मैंने आपसे निवेदन किया कि मैं कार्यवाही मंगा करके देख लूंगा और अगर कोई अनपार्लियामेंट्री शब्द अथवा बात कही गई होगी तो एक्सपंज कर दूंगा।

Page No 148

(148)

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह : यह तो आपके सामने हुआ है, अभी, अभी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर, प्लीज, आॅर्डर, आर्डर माननीय सदस्य।

श्री नन्दलाल मीणा : सन् 79 के पश्चात् इस बात के लिए आश्वस्त हो गए थे कि हमारी हुकूमत हम लोगों को ऐसे स्थान पर पहुंचाना चाहती है जिससे जिस दरिद्रता की जिन्दगी हम बसर कर रहे हैं हमको उससे मुक्ति मिलेगी, और जिनको दो टाइम भोजन नहीं मिलता है उनको भोजन मिलेगा। परन्तु आज इन चालीस लाख आदिवासियों के बारे में निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि आदिवासियों के साथ हमारा सम्बन्ध है आज मद्य निषेध की नीति को समाप्त करके राजस्थान की हुकूमत इन आदिवासी, गरीब लोगों के बच्चों को, जिनको दो टाइम की रोटी मुहैया होने लगी थी उनके मुंह तक गया हुआ टुकड़ा छीनने का प्रयास कर रही है। परिणामस्वरूप आज राजस्थान के अधिकारी, कर्मचारी, सरकारी नौकर, उनके चुने हुए नुमाइन्दे इस बात का पक्ष ले रहे हैं कि यहां पर नशाबन्दी को हटा दिया जावे। उनके साथ जो जुल्म करते आ रहे थे जिससे उनको मुक्ति मिली थी उनको वापस उस जुल्म की ओर ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इन लोगों ने वायदा किया था, आज आप बहुमत के आधार पर कुछ भी कर लें लेकिन मैं आज आपको बता देना चाहता हूं कि एक तूफान आएगा एक ... को लेकर डूबगा। जनता इस बात का जवाब देगी, जनता आप पर विश्वास कर रही थी; हमारी गरीबी को दूर करने का वायदा करके आप आए थे, उस वक्त आप किस प्रकार से उनको फस करेंगे। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि एक नया षड़यन्त्र चल रहा है, कांग्रेस आई के विधायकों द्वारा। मैं माथुर साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि उनको और बर्बाद करने की कोशिश मत करो। मुझे विश्वास है कि आप उनको बर्बादी के कगार पर ले गये हैं परन्तु जो कांग्रेस आई के विधायक बर्बादी की ओर डालना चाहते हैं, बर्बादी को ओर धकेलना चाहते हैं उसके लिए आपको सावधान रहना चाहिए। आज जो आप चालीस लाख आदिवासियों, गरीबों की रोटी को छीनना चाहते हैं, मैं अध्यक्ष महोदय, गरीबों का प्रतिनिधि हूं इस नाते मेरा कर्त्तव्य हो जाता है कि जो हुकूमत उनके अधिकारों को छीने, जो हुकूमत उनकी रोटियां छीने ऐसे सदन से उसका समर्थन मैं नहीं कर सकता, और इसके विरोध में निन्दा करते हुए मैं सदन से बहिर्गमन करता हूं।

(बहिर्गमन)

श्री अध्यक्ष : श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह।

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन के सामने आज मद्य निषेध कानून को हटाने के लिए एक बिल लाया गया है। आज यह हमारे प्रदेश के लिए परीक्षण की घड़ी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम राजस्थान की जनता के द्वारा एक विश्वास व्यक्त करने इस सदन में आते हैं। एक हमारी मोरल ड्यूटी होती है कि हम उस जनता की अच्छाई या बुराई या उसकी उन्नति के लिए विचार करें और चेष्टा करें। आज अगर हमारे सत्ता पक्ष

(श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह)

के सदस्य इस बात को भूल जायें तो हमारा यह फर्ज है कि उनको बारबार आगाह करें और हमारी सशक्त आवाज के द्वारा उनको मजबूर कर दें, तो यह जो काला कानून बना रहे हैं उनको अमल में नहीं लायें और नहीं बनायें : इस बारे में मेरा यह पुरजोर शब्दों में निवेदन है कि यह जो नई केबिनेट बनी है वह पुरानी पहाड़िया शासन से अच्छी साबित हो इसलिए अच्छे काम करें। परन्तु उन्होंने तो आते ही इस काले कानून को हाथ में ले लिया जिससे मैं कहता हूं कि उनको विनाश की तरफ जल्दी ही जाना पड़ेगा, यह मेरा उनको आगाह करने का फर्ज है. इसलिए कह रहा हूं। मैं इस बारे में उन्हें पुनः अपील करूं···

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें, माननीय सदस्य ।

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह : पुनः विचार करें कि यह ऐसा कानून है जिसके द्वारा इस देश की गरीब जनता, गरीब किसान भाइयों के साथ बहुत बड़ा अन्याय करने जा रहे हैं जिसका कहीं और उदाहरण नहीं मिलेगा। इसलिए मैं इस काले कानून की भर्त्सना करता हूं और निन्दा करता हूं और इसके साथ मैं इस सदन से बहिर्गमन करता हूं। क्योंकि मैं मेरी अक्ल से यह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि वे जो वायदे करके आये हैं, उनको इस सदन में बैठ कर भूल जावें और यहां पर उनके मुंह पर एक काली पट्टी बंद जावे और उनके सामने पद लोलुपता और सत्ता पर बने रहने का सिर्फ हमारा उद्देश्य मात्र रह जाये कि किसी भी माध्यम से, भले वे अच्छा उपाय हो, भले ही बुरा उपाय हों, वह इस सत्ता पर आरूढ़ रहें यह कोई तरीका नहीं है । आप अपनी जनता का जो विश्वास है उसको पूरा प्राप्त करिये और इस बिल को अगर आप समझाते हैं आप अच्छा कर रहे हैं तो जनमत के सामने भेजिये। मैं आपको चुनौती देता हूं इस प्रदेश की दस प्रतिशत जनता भी आपका समर्थन नही करेगी। हो सकता××× है वह ही इसका समर्थन कर सकते हैं लेकिन अंतर आत्मा से इसको कोई भी सदस्य नहीं करना चाहता है ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । आपके दल का समय समाप्त हुआ । इस पर चर्चा समाप्त हुई ।

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरे को पूरा करने दीजिये । आपने यह कहा था सबको अवसर दिया जायेगा ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण कीजिये, आर्डर, प्लीज ।

(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : यह जनता के साथ विश्वासघात क्यों कर रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो ।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : ×××

(बहिर्गमन)

××× शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । भाषण समाप्त हुआ ।

(व्यवधान)

वाधा डाल रहे हैं, माननीय सदस्य ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : दो मेम्बर हमारी तरफ से बोलेंगे । बाबू राजबहादुर बोलेंगे ।

श्री अध्यक्ष : बाबू राजबहादुर बोल लिये ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : दो सदस्य हमारी तरफ से बोलेंगे ...

श्री अध्यक्ष : दो और दो चार मिनट।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, चार के पांच मिनट हो जायें । मैं अर्ज कर रहा हूं ....

श्री अध्यक्ष : मैं इस तरह से इजाजत नहीं दूंगा । आज तीन दिन हो गये हैं, मैंने प्रातःकाल ही माननीय सदस्यों को सूचित कर दिया था आज ही इसको पारित करना है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पारित कर रहे हैं, पारित अपने आप हो रहा है । चार-पांच मिनट के लिये माननीय सदस्यों को इस प्रकार की वात नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : आपका आखिरी भाषण होगा ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं नहीं बोलूंगा और सदस्य बोलेंगे ।

एक माननीय सदस्य : जनता पार्टी के ।

श्री अध्यक्ष : जनता पार्टी की तरफ से बोल लिये हैं ।

श्री देवीसिंह भाटी : मैं नहीं बोला हूं ।

श्री अध्यक्ष : अब पांच मिनट होते ही मैं सूचित कर दूंगा उसमें जितने माननीय सदस्य बोल सकते हैं, बोलें । यह उनके समय लेने पर निर्भर करता है ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । यह पांच मिनट आप नहीं ले रहे है । आपके दल के दो सदस्य बोल चुके हैं ।

श्री गोपाल पचेरवाल : मैं नहीं बोला हरिजन विरोधी....,

श्री अध्यक्ष : मैं आपका ध्यान रखूंगा, ऑर्डर प्लीज ।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस सरकार की प्रॉहिबिशन.....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण कीजियें । कौन बोलना चाहते हैं ? एक माननीय सदस्य कौन है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हमारी तरफ से दो बोलेंगे ।

श्री अध्यक्ष : पांच मिनट का समय दे दिया, 6 मिनट का दो दलों को, श्री पचेरवाल और दो इधर से, आपके दल के दो सदस्य बोल चुके हैं ।

श्री देवीसिह भाटी : अध्यक्ष महोदय एक मिनट, साठ सैकण्ड ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । श्री बालचन्द्र आर्यवीर ।

श्री देवीसिह भाटी : अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस सरकार.... अध्यक्ष महोदय, एक मिनट का तो समय दीजिये ।

श्री अध्यक्ष : यह एक मिनट दो मिनट शोभा देता है क्या सदन को । दो मिनट बोलेंगे, पांच मिनट बोलेंगे फिर पांच मिनट बाद.....

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज । कृपया स्थान ग्रहण कीजिये ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, जो पहले प्रस्ताव लाये थे, उसको लाइये । वोट कराइये । और कोई इलाज नहीं है ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : पाइन्ट आफ आर्डर । अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं सदन की शोभा के लिए उचित नहीं है ...

श्री अध्यक्ष : शोभा के लिए तो तीन दिन हो गये ..

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिह शेखावत : तीन दिन नही साहब, 10 दिन हो जायें . .

(व्यवधान)

श्री देवीसिह भाटी : लाइये आप, लाइये प्रस्ताव, यह कहने का तरीका है, अध्यक्ष महोदय.....

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिह शेखावत : आपको नहीं कहना चाहिये कि प्रस्ताव लाइये ।

श्री अध्यक्ष : नहीं नहीं, मैंने यह नहीं कहा है ।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिह शेखावत : बिलकुल....

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपने कहा, अध्यक्ष महोदय, और कोई चारा नहीं है । प्रस्ताव लाइये ×××

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । मेरी बात सुनिये ।

माननीय सदस्य, आपके नेता कहें तो सही बात है । सब लोग खड़े हो उससे तो कोई फायदा नहीं होता है । स्थिति यह थी कि मुख्य सचेतक महोदय ने कुछ समय पहले समापन का प्रस्ताव रखा है । उस वक्त आपका एतराज यह था कि अब केवल 8 मिनट हुए हैं इसलिये कुछ समय और दिया जाना चाहिये । हम इस पर बोलें नहीं हैं । दो-दो मिनट का माननीय सदस्यों को समय दे दिया जाये । उस समय मैंने 15 मिनट का

××× माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार शब्द अपलोपित किया गया ।

(श्री अध्यक्ष)

समय दिया । वह 15 मिनट का समय समाप्त हो गया । उसके बाद आपने यह कहा कि 6 मिनट का समय स्वीकार कर लिया। माननीय सदस्य कोलायत से जो आने वाले हैं, वह कहते हैं एक मिनट। एक मिनट । मुझे कोई एतराज नहीं है । लेकिन ब्रह्माजी का एक दिन कितने के बराबर हो जाता है । यदि आप दो मिनट में वास्तव में समाप्त कर सकते है तो मैं 8 मिनट चार माननीय सदस्यों को देता हूं । श्री गोपाल पचेरवाल । श्री देवी सिंह भाटी, और दो आपके इधर से तय कर दीजिये । लेकिन यह आपकी जिम्मेदारी होगी कि दो मिनट समाप्त होते ही वह स्वतः ही बैठ जायें, फिर मैं दो मिनट निवेदन करूं, दो मिनट आप पाइन्ट आफ आर्डर उठायें, यह अच्छा नहीं लगता। 8 मिनट का समय बढ़ाया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : दो मिनट होते ही मैं उसको बाहर निकाल दूंगा ।

श्री अध्यक्ष : नहीं, बी. जे. पी. की तरफ से । अब आठ मिनट का समय है, ज्यों ही 6 बज कर 3 मिनट हो जायेंगे चर्चा समाप्त हो जायगी ।

श्री नाथूसिंह : 1980 का वर्ष राजस्थान के लिये बहुत दुर्भाग्यकारी रहा है । 1980-81 का यही एक ऐसा वर्ष था...

श्री अध्यक्ष : हां, 80 वाला सचमुच था।

श्री नाथूसिंह : 80-81 जिसमें, अध्यक्ष, महोदय, अतिवृष्टि, अकाल, बाढ़, लोगों को पीने का पानी नहीं है, लोग पानी मांग रहे हैं। लोग कह रहे है कि पानी पिलाओ और उस पानी के स्थान पर यह सरकार कहती है शराब पीओ । पानी नहीं है, शराब है हमारे यहां पर । पश्चिमी राजस्थान के लोगों को पानी नहीं मिल रहा है । राजस्थान में यह सरकार कहती है कि शराब पीओ । अध्यक्ष महोदय, यह कहती हैं हम राजस्थान का विकास करना चाहते है शराब खोल कर । मैं निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों जब से इस शराब को खोलने के लिये कह रही थी, इनकी भावना बन रही थी, उससे पहले जैसा माननीय चन्दनमलजी कह रहे थे, ये लोग कुछ असामाजिक तत्वों से मिल गये। उस कारण से इसको किया है । मैं आरोप लगाता हूं इस सरकार पर, अध्यक्ष महोदय, सरकार के उच्च अधिकारी और सरकार ने ठेकेदारों से मिलकर उनसे बहुत सारे पैसे लिये। अध्यक्ष महोदय को गंगानगर शुगर, मिल्स जिससे सरकार को इनकम होती है, सरकार की आय होती है, जिससे गरीब जनता का विकास होता, के स्थान पर तीन महीने तक लगातार उन ठेकेदारों को ठेके दिये गये जिनकी बकाया राशि थी, जैसा माननीय विरोधी दल के नेता महोदय कह रहे थे, बकाया राशि कोई और की उसको बदल दी किसी को, वसूल किसी से की, वसूली में कितना पैसा लिया उसकी कोई रसीद नहीं। किससे कितना पैसा लिया वह पैसा कहां गया, उसका कोई हिसाब किताब नहीं । इसलिये, अध्यक्ष महोदय, शराब खोल कर इस सारे राजस्थान की जनता के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है, राजस्थान की जनता को नीचा दिखाया है, उसके विकास को रोका है । यह मैं सरकार पर आरोप लगाता हूं । मैं सदन से इसके विरोध में बहिर्गमन करता हूं ।

(बहिर्गमन)

श्री अध्यक्ष : श्री देवीसिंह ।

एक माननीय सदस्य : आज शाम को मत पीना ।

श्री देवीसिंह भाटी : कांग्रेस सरकार जो प्रोहिबिशन खतम करने के लिये बिल लायी है, उसका कहना है कि हमने लोगों के दु:ख दर्द का हल ढूंढ लिया। हमने लोगों के दु:ख दर्द का हल ढूढ़ लिया, क्या ही अच्छा है कि यह अफवाह उड़ा दी। अध्यक्ष महोदय मैं कहता हूं, "अपने मयखाने की खैर मनाले साकी, अपने मयखाने की खैर मनाले साकी, इसमें अय्याश बगावत पर उतर आई है।" अध्यक्ष महोदय, मैं माफ करने वाला नहीं हूं, इसके विरोध में सदन से बहिर्गमन करता हूं।

(बहिर्गमन)

श्री अध्यक्ष : श्री गोपाल, पचेरवाल।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं नशाबन्दी समाप्ति...

श्री अध्यक्ष : श्री पचेरवाल।

श्री गोपाल पचेरवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, इंदिरा गांधी के समर्थक, और इंदिरा गांधी के पुजारी ये जितने सरदार हैं, राजस्थान में जब हरिजन मुख्य मंत्री था तब सारे कांग्रेसियों को वह नहीं सुहाया। सारे लोग लगे रहे, हिन्दुस्तान में नहीं राजस्थान में राज हरिजन कैसे करें? इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ। सारे कांग्रेसियों ने मिलकर हरिजन मुख्य मंत्री को हटा दिया। इससे भी फिर संतुष्ट नहीं हुए। माथुर साहब के साथ में संतुष्ट हुए। बृजसुन्दर शर्मा को इससे संतुष्टि नहीं हुई, चन्दनमलजी को इससे संतुष्टि नहीं हुई। राजस्थान का मुख्य मंत्री हरिजन हट गया फिर भी संतुष्टि नहीं हुई। खैर साहब, ठीक है। माननीय मुख्य मंत्री ने शपथ ली. शपथ लेते ही बरसात चालू हुई। पूरा जयपुर और सारा राजस्थान तबाही की ओर चला गया। सारे प्रदेश का इतना नुकसान हुआ कि आज गरीब रोटी के लिये मोहताज है, घर के लिए मोहताज है। फिर भी माथुर साहब को इससे संतुष्टि नहीं हुई। अध्यक्ष महोदय, आज भी तबाही हो रही है। माथुर साहब को संतुष्टि नहीं हुई। हरिजन मुख्य मंत्री हट गया। यह संतुष्ट नहीं हुए। राजस्थान तबाही की ओर चला गया, अकर्मण्य मुख्य मंत्री कहा जायगा इस राजस्थान का, हरिजन विरोधी मुख्य मंत्री कहा जायगा राजस्थान का जिसकी वजह से हरिजन मुख्य मंत्री हटा, जिसकी वजह से राजस्थान का नुकसान हुआ, पतन हुआ राजस्थान का और प्रदेश तबाही की ओर चला गया। फिर माथुर साहब संतुष्ट नहीं हुए। माथुर साहब माणिक्य लाल वर्माजी, सिद्धान्तवादी नेता थे, के जमाई हैं। गांधीजी अपने आप को पुजारी कहते हैं उनको संतुष्टि नहीं हुई। इन्होंने सोचा कि राजस्थान में आज सब तबाही हो रही है, फिर भी शराब से अछूता रह गया। इन्होंने सोचा कि राजस्थान के हरिजनों को पैसा मिला, राजस्थान के हरिजनों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई, राजस्थान से शराब का पैसा बचाया तो यह लोग तरक्की करेंगे और राजस्थान की राजनीति में हमारी सुविधा को खतरा पैदा हो सकता है जगन्नाथ पहाड़िया के समर्थक कहीं हमारा राज न हथिया लें इसलिये मुख्य मंत्रीजी ने सोचा कि मेरी कुर्सी बरकरार कैसे रहे, ××× इसलिये इन हरिजनों को पतन की ओर ले जाने के लिये इन्होंने शराब चालू की। इन्होंने सोचा कि ये शराब पीकर तबाही की ओर चले जायेंगे, इनकी आर्थिक स्थिति

××× माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री गोपाल पचेरवाल)

कमजोर होगी। इनके बच्चों को शिक्षा नहीं मिलेगी इनका सामाजिक उत्थान नहीं होगा, हमें वोट देते रहेंगे, और हमारा राज कायम रहेगा। इसलिये मैं विधान सभा के पिछड़े क्षेत्रों से आने वाले माननीय सदस्यों, माननीय दूलाराम जी से निवेदन करना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, किसी लेखक ने कहा है कि "यहां तो सिर्फ गूंगे बहरे लोग बसते हैं, खुदा जाने किसलिये जल्सा हुआ होगा"? इो सदन के माननीय सदस्यों, आप भी किसी इलाके से जीत कर आये हो, आपके लिये जनता कहेगी कि जल्सा कैसे हुआ जहां गूंगे बहरे लोग बसते हैं यहां कैसे आपने अधिकार समाप्त कर दिये। मैं उन जिन्दादिल लोगों से माननीय दूलाराम जी और राम प्रसाद जी बैरवा से निवेदन करूंगा कि अगर आप में जमीर है, गांधीवादी हो, गांधीवाद के सिद्धान्तों को कायम रखना चाहते हो तो जवाब दीजिये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस माथुर सरकार की निन्दा करता हूं, भर्त्सना करता हूं और सदन से वाक आउट करता हूं।

(बहिर्गमन)

श्री अध्यक्ष : कमारी पुष्पा जैन !

सश्री पुष्पा जैन (आमेर): अध्यक्ष महोदय, नशाबन्दी को समाप्त करने के लिये कई लचर दलीलें, कई उदाहरण पेश किये। अध्यक्ष महोदय, मुझे दुःख हुआ। माननीय मंत्री महोदय मंत्री बनते ही इतने कायर हो गये कि दिन को रात और रात को दिन कहने लगे। माननीय मंत्री महोदय, आपसे तो खेतसिंह जी अच्छे जिन्होंने यह कथन किया कि करोड़ों रुपये की आमदनी होगी जिससे राजस्थान का विकास होगा, जिससे विरोध में बैठे हुए लोगों के सिर पर पत्थर पड़ेंगे। मुझे खुशी हुई, खेतसिंह जी, पत्थर हमारी बुद्धि पर नहीं, बल्कि आपकी बुद्धि पर पड़े है। आप बच्चों की रोटी छीन कर, बूढ़े मां-बापों का सहारा छीन कर और महिलाओं के मंगलसूत्र छीन कर राजस्थान की बहबूदी करना चाहते हैं। लानत है आपकी बुद्धि पर। पत्थर पड़ेंगे आपकी बुद्धि पर। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगी और तो और उनके घर वाले भी इस कानून में उनके साथ नहीं होंगे, उनके बच्चे, बहिनें भी इस काले कानून के साथ नहीं होंगी। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के बच्चों को देखते हुए, राजस्थान की महिलाओं के हक में हम इस काले कानून के भागीदार नहीं बनना चाहते। इसलिये मैं और मेरे दल के सब लोग इस सदन से वाक आउट करते हैं।

(बहिर्गमन)

श्री बालचन्द आर्यवीर : × × ×

(बहिर्गमन)

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय।

(व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, कोई नये मुद्दे की बात तो उठाई नहीं गई है। जो बातें तीन दिन से कही जा रही हैं वही कही गई हैं। मैं कल भी दो बार इन बातों का खण्डन कर चुका हूं। अब मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि "

श्री महावीर प्रसाद जैन : × × ×

श्री चन्दनमल बैद : राजस्थान मद्य निषेध निरसनकारी विधेयक, 1981 को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान मद्य निषेध निरसनकारी विधेयक, 1981

××× माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार विलोपित किये गये।

(श्री अध्यक्ष)
को पारित किया जाय ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : No, sir, डिवीजन कराइये ।

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : डिवीज डिवीजन।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप नियमों की अवहेलना कर रहे हैं । अगर आप इस तरह से हल्ला करके सदन की कार्यवाही रोकना चाहते हैं तो इससे सदन की कार्यवाही रुकेगी नहीं । आर्डर प्लीज, मैं पहले निवेदन कर देना चाहता हूं । माननीय सदस्य, तीन दिन से मैंने बहुत कोशिश की कि सभी माननीय सदस्यों को महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया जाय, विचार व्यक्त करने का अवसर दिया जाय, मुझे बहुत अफसोस है, बहुत दुःख है कि मैंने सद्भावना रखी, आपने अपनी तरफ से जो स्टेज था, बिल का पूरा विरोध किया । आखिर में वाक आउट करके पधार गये । जानबूझ कर ऐसी स्ट्रेटजी बनाई । माननीय सदस्य, थोड़ी देर पहले वोट करा दिया, फिर बाद में डिवीजन के आदेश दे दिये, लम्बी घंटी बजाई, सब को एकत्र किया, यह सभी मैं समझता हूं । केवल अखबारों में प्रचार हो....

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज ! सब चाहते हैं रचनात्मक दृष्टिकोण से विरोध हो। यह मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करने वाला हूं । आर्डर प्लीज, यह मैं निवेदन कर देना चाहता हूं ।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर ।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, हमारा अधिकार है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं आप पर अविश्वास प्रस्ताव पेश करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : इसके लिए नियम हैं...,

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री दुलाराम : पाइन्ट आफ आर्डर ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पांइट आफ आर्डर, यह रूल 134 में....

श्री अध्यक्ष : मैं नम्र निवेदन कर देना चाहता हूं, आप कितनी ही कोशिश करें, एक दिन बाद आप मुझे निष्कासित कर सकते हैं । इससे पहले मुझे निर्णय लेने का अधिकार है ।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हमें भी मूव करने का अधिकार है । जिस अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव आ जाय, वह अध्यक्ष कोई निर्णय नहीं ले सकता । रूल 134 में....

श्री अध्यक्ष : नियम सब लिखे हुए हैं। आप पढ़ लीजिए ।

Page No 156

(158)

श्री खेतसिंह राठौड़ : नियम 134 में राइटिंग में दीजिए । यों ही फर्मा दिया ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं 134 सुनाता हूं, खेतसिंह जी साहब ।

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण कीजिए । सदन के विपक्ष के नेता 30 साल से इस सभा के सदस्य हैं वह अच्छी तरह जानते हैं कि अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव किस प्रकार से आता है ? यों ही गुस्से में कोई माननीय सदस्य कह दें कि अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया और वह पदच्युत हो जाये ऐसा कुछ नहीं । मैं भी इस प्रक्रिया को जानता हूं लेकिन आप बाधा डालने के लिए नियमों के नाम पर कर रहे हैं। इसकी प्रक्रिया है उसके अनुसार लाइये, आपका स्वागत है । मुझे कोई एतराज नहीं है । लेकिन जब तक रहूंगा तब तक कार्यवाही नियमों के अनुसार चलाऊंगा । तीन दिन से समय बढ़ा कर अकोमोडट कर रहा हूं लेकिन एक ही बात है, आखिर में मुझे आपकी मंशा यही लगी कि इस प्रश्न पर डिबेट करने की मन्शा नहीं है । दूसरे पक्ष को तसल्ली दिलाना या कन्विन्स करने की कोशिश करें, यहां कुछ नहीं । बात यह है कि इसमें कितनी देरी लगी, हम चाह कुछ कहें, सरकार को बात कह दें और अपनी बात पूरी कर दें और दूसरा स्टेप यह लें कि इसको आगे कैसे ले सकते हैं ? मैं इसकी इजाजत माननीय विरोधी पक्ष के सदस्यों को नहीं दे सकता हूं । चाहे अविश्वास प्रस्ताव लायें, चाहे और कुछ करें लेकिन जब तक इस कुर्सी पर हूं तब तक इसको निभाना है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि आपने तीस वर्षों के जीवन में पहली बार......

श्री शिवचरण माथुर : पहली बार विवेक खोया है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : विवेक किसने खोया है यह तो पता चलेगा–आपसे सर्टिफिकेट लेने नहीं खड़ा हुआ हूं । किसने विवेक खोया है या नहीं खोया है....

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, जब बराबर आप यह कहें कि माननीय सदस्य को बाहर निकलवा दूंगा, आपको यह अधिकार मिला हुआ है, हम भी जानते हैं इस अधिकार का प्रयोग किस समय किया जा सकता है । आप हम पर यह मोटिव इम्प्यूट करें कि हम डाइलेक्टरी टैक्टिस इस्तेमाल करते हैं । मैं ऐसा समझता हूं कि आपसे आज्ञा ली गई, दो–दो मिनट के लिये, बोलेंगे । दो मिनिट खतम हो गये और आपने दस मिनट, बारह मिनट भी हो गये । यह डिमाण्ड आई कि वोट कराना है । आप यह बता दें, मैं माफी मांग लूंगा, इस सदन से माफी मांग लूंगा, जो कुछ मैंने कहा है अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला रहा हूं, उस प्रसंग में सदन से माफी मांग लूंगा, रूल्स में मुझे बता दें कि यहां कोई डिवीजन क्लेम करता है, वोटिंग क्लेम करता है, फिर अध्यक्ष महोदय, बिना डिवीजन कराये, बिना घंटी बजाये इसमें किस प्रकार से निर्णय दे सकते हैं ? मैं समझता हूं अध्यक्ष महोदय, आप बता दीजिए । माननीय ललित किशोर जी ने मामला उठाया । उन्होंने डिविजन क्लेम किया है । घंटी बजाने के बाद आपको ऐसा कोई अधि-

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कार नहीं है। घंटी वजने के बाद आप यह समझें कि लाबी में जाने की जरूरत नहीं है तो खड़ा किया जा सकता है । लेकिन एक मैम्बर ने यहां आपके निर्णय को चैलेन्ज किया तो रूल्स में जो प्रोसीजर है उसके बाहर आप नहीं जा सकते हैं । हमने डिमाण्ड की है तो आपने कहना शुरू कर दिया कि डाइलेक्टरी टैक्टिस इस्तेमाल कर रहे हैं । मैं आपसे यह उम्मीद नहीं करता था। आपने यह कहा कि यह अखबारों में छपाने के लिए किया जा रहा है । मैं समझता हूं, अध्यक्ष महोदय, उधर के माननीय सदस्य कह सकते हैं, मुख्य मंत्री विवेक खोने की बात कह सकते हैं, लेकिन, अध्यक्ष महोदय, आप से यह उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि आप सारे अपोजीशन को यह कहें कि हम अखबारों में छपाने के लिये बैठे हैं।

(व्यवधान)

इसके लिये अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमें भी दुख: है कि हम अध्यक्ष के खिलाफ कोई बात कहें, अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास की बात कहे, यह मेरे जीवन की पहली घटना है । आज तक किसी अध्यक्ष के मुंह से ऐसा कहते हुए नहीं सुना कि यह सब भाषण छपाने के लिये किया जा रहा है....

(व्यवधान)

यहां रूल्स का पालन नहीं हो रहा है । मैंने ऐसे किसी अध्यक्ष को नहीं देखा कि वह स्वयं रूल्स का पालन नहीं कर रहा हो । ऐसी स्थिति में निवेदन करूंगा कि जो कुछ स्थिति बनी है....

श्री अध्यक्ष : आप क्या चाहते हैं, यह बता दें ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप वोट करा लें, झगड़ा खतम हो जाये ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, अगर विरोधी दल के नेता महोदय यह चाहते हैं कि वोट ही होना चाहिए तो उस वक्त आप के एक सदस्य थे उन्होंने ना कहा और हम सबने यस कहा था ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक मैम्बर भी चैलेन्ज करता है तो आपके सामने कोई रास्ता नहीं है सिवाय डिवीजन बेल बजाने के । बृजसुन्दर जी आप तो पार्लियामेन्ट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं डिविजन बेल इसीलिये बजायी जाती है कि मैम्बर कहीं लाबी में हों, वह सुनकर आ जावें । दूर थोड़े ही गये थे । घंटी बजते ही आ गये ।

श्री अध्यक्ष : हां, मैंने गलती की लेकिन आप तो एकदम अविश्वास प्रस्ताव भी ले आये ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, जैसा आपने कहा, विरोधी दल के सदस्य सब जानते हैं जैसा आपने किया वैसे मैंने किया । यह कोई नई बात नहीं ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान मद्य निषेध अधिनियम निरसनकारी विधेयक 1981 को पारित किया जाये ।

(ध्वनि मतदान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत: Noes have it.

श्री अध्यक्ष : क्या आप विभाजन चाहते हैं ।

(विभाजन-सूचक घंटी)

प्रश्न यह है कि राजस्थान मद्य निषेध अधिनियम निरसनकारी विधेयक, 1981 को पारित किया जाये ?

(स्वीकृत)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : Noes have it.

श्री अध्यक्ष : जो इस प्रस्ताव के पक्ष में हों, वे कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं ।

(मतगणना)

अब आप कृपया स्थान ग्रहण करें ।

जो विपक्ष में हों अब वे कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जायें ।

(मतगणना)

अब आप कृपया स्थान ग्रहण करें ।

प्रस्ताव के पक्ष में 86 मत प्राप्त हुये और विपक्ष में 30 मत थे । अतः राजस्थान मद्य निषेध निरसनकारी विधेयक, 1981 पारित किया गया ।

श्री गोपाल पचेरवाल : बहुत अच्छा किया ।

(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : अभी तो दारू खुली ही है ।

शासकीय वक्तव्य

धौलपुर उप-खण्ड में अब्दुलपुर गांव में जाटवों की हत्या

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, स्टेटमेंट ।

श्री अध्यक्ष: बाड़ी की घटना के विषय में वक्तव्य ।

श्री राम कंवार बैरवा : मंत्री के बाद में दो-दो मिनट सदस्यों को मौका देंगे ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न नहीं आया था हमारे सामने, सूचना आयी थी । प्रातःकाल ही, माननीय सदस्य ने मुझे बताया, उस वक्त कहा था कि जितनी परिस्थितियां हैं उनके बारे में सरकार की ओर से वक्तव्य दिया जायेगा । दो-दो मिनट का समय दिया जाय । वक्तव्य आने के बाद में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है नियमो में ।

श्री राम कंवार बैरवा !

श्री राम कंवार बैरवा : दो मिनट तो दें ।

श्री अध्यक्ष : वक्तव्य होने के बाद में ऐसा करने का कोई प्रावधान नहीं है ।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राज्यमंत्री, गृह): अध्यक्ष महोदय, मेरा वक्तव्य इस प्रकार है। दिनांक 23-9-1981 को दिन में 12-10 बजे सोवरन सिंह, सरपंच, गांव नगला दुलेखा ने थाना बाड़ी पर सूचित किया कि ऐसी सूचना मिली है कि दिनांक 22-9-81 को सायंकाल 6 बजे ग्राम अब्दुलपुर में तीन जाटवों को ठाकुरों ने मार दिया है और उनके मकानों को आग लगा दी है ।

इस सूचना पर सी. ओ., बाड़ी पुलिस दल के साथ ग्राम अब्दुलपुर पर पहुंचे । वहां पर मालूम हुआ कि दिनांक 22-9-1961 को..

(व्यवधान)

श्री शिवचरण माथुर (मुख्य मंत्री) : 61 नहीं, 81 ।

एक माननीय सदस्य : 61 नहीं है, 81 है ।

श्री गोपाल पचेरवाल: अभी से बहुत पीछे जा रहे हैं ।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : अभी तो शराब नहीं पी है, अभी से भ्रष्ट हो गये ।

(6.25 सायं)

(श्री अहमद बक्श सिंधी, उपाध्यक्ष पदासीन)

श्री प्रद्युम्न सिंह : दिनांक 22-9-81 को 5 व 6 बजे के बीच प्यारे पुत्र बोहरा, राजेन्द्र, अचलसिंह, महावीर पुत्र भगवान सिंह, रामनिवास पुत्र भगवानसिंह, राजीव पुत्र बाबू, रमेश पुत्र गजाधार, परसू पुत्र महताब ठाकुरों ने 5-6 अन्य बदमाशान के साथ जाटवों पर हमला किया जिसमें रामभरोसी पुत्र प्यारे, शंकर पुत्र प्यारे, भीखा पुत्र बेदरीया जाटव गोलियों से मारे गये । इन ठाकुरों ने तीन जाटवों के मकानों में भी आग लगा दी । उसके पश्चात ये ठाकुर अपने परिवार एवं सामान के साथ गांव छोड़ कर भाग गये हैं ।

इस घटना के संबंध में थाना बाड़ी पर अभियोग संख्या 30-9-81, धारा 396/436 ता. हि. में पंजीबद्ध किया जाकर, अनुसंधान प्रारंभ किया गया ।

घटना का मुख्य कारण गत वर्ष दिनांक 29-8-80 को जाटवों द्वारा रूपसिंह ठाकुर के कत्ल का कारण चली आ रही दुश्मनी बताई जाती है जिसमें अभियोग संख्या 200/80, धारा 302 ता. हि. थाना बाड़ी में पंजीबद्ध किया जाकर 4 जाटवों के विरुद्ध पुलिस द्वारा चालान किया गया था जो विचाराधीन अदालत है । अपर अधीक्षक पुलिस, धौलपुर भी घटना स्थल पर पहुंच गये हैं और मुलजिमान की तलाश एवं गिरफ्तारी हेतु पुलिस दल रवाना कर दिये गये हैं ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि सीधी सादी घटना यहां रख दी है लेकिन शायद मंत्री महोदय को खुद जानकारी होगी कि आज के दो माह पूर्व जाटव परिवारों ने सरकार को यह सूचित किया था कि हमारी जान को खतरा है, गांवों में रहने वाले उच्च वर्णीय लोग हमारी जान के साथ खेल सकते हैं । मुझे पता नहीं है कि उस सूचना के बावजूद राज्य सरकार ने क्या प्रबन्ध किया ? शायद दो-चार दिन बाद पुलिस गई । उसके बाद लौट गयी और सारे हरिजन परिवारों को उस स्थिति में छोड़ दिया, इस कम्पलेंट के बावजूद कि उनकी जान की सुरक्षा नहीं है । इसलिये मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि जब इस प्रकार की जानकारी हरिजन परिवारों ने, जाटव परिवारों ने राज्य सरकार को दी थी कि हमारी जान की, माल की सुरक्षा करना आवश्यक है, हमारी जान को खतरा है तो कौनसे कदम सरकार ने उठाये ? मेरा आरोप है कि कोई कदम नहीं उठाये गये । केवल दो तीन दिन पुलिस रही जिसके कारण से यह घटना आकर के खड़ी हुई । मैं जानता हू कि वहां इसके पीछे राजनीति चल रही है । कुछ लोग लगातार दबाव डालते रहे हैं, ऐसे प्रयास चलते रहे हैं जिनका परिणाम बाड़ी की घटना, भरतपुर की घटना रही है । एक तरह की बात नहीं है चाहे लकड़ियों के व्यापार की बात हो, चाहे दारू की बात हो, चाहे कोई व्यक्ति आकर जान से मारने की धमकी दे दे, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन हरिजनों की मौत की सीधी जिम्मेदार राज्य सरकार है जिसने हरिजनों को

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी) ।

बचाने की कोई कोशिश नहीं की जिससे यह स्थिति खड़ी हुई। मैं पूछना चाहता हूं मंत्री महोदय से उनकी सुरक्षा की क्या व्यवस्था की गयी ? की गई, उसके बाद यह स्थिति आकर क्यों खड़ी हुई है ?

श्री राम कंवार बैरवा : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो दर्दनाक घटना....

श्री उपाध्यक्ष : एक-एक मिनट बोल लें, माननीय सदस्य ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक-एक मिनट को देखने के लिये तो जापान की घड़ी लानी होगी ।

श्री रामकंवार बैरवा : यह जो दर्दनाक घटना हुई है उस पर मैं थोड़े से दो-चार शब्द कहना चाहता हूं। जो कुल मिलाकर अत्याचार हो रहे हैं, अन्य उपद्रव हो रहे हैं, जगह-जगह देखने में आ रहे हैं, यह कुल मिलाकर जिला प्रशासन की कमजोरी है। राज्य सरकार पर अफसरशाही हावी हो रही है और इस प्रकार के उपद्रव हो रहे हैं। जब इस प्रकार के उपद्रव हो जाते हैं तो भ्रष्टाचार की गुंजाइश पैदा हो जाती है उस क्षेत्र में। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो घटना हुई है उसको जनता शासन में एसे जो हरिजनों पर अत्याचार होते थे तो जिला प्रशासन को जिम्मेदार बनाकर कलेक्टर को, वहां के एस. पी. को दोषी मानते थे। राज्य सरकार ने सारी घटना को धीरे-धीरे . . .

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

वर्तमान सरकार ताक पर रख रही है। मेरा निवेदन है कि आज इस प्रकार की कोई घटना घटे तो उन जिलाधीश को और एस. पी. को जिम्मेदार ठहराइये जिनके क्षेत्र में यह घटना हुयी है। कोई छोटा-मोटा व्यक्ति उस थाने में रिपोर्ट लेकर जाता है तो वह बिना पैसे लिये बात नहीं करता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जिस कारण से इस प्रकार के मामले होते हैं। इस प्रकार की हत्यायें हो रही हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप एस. पी., कलेक्टर को सीधा जिम्मेदार ठहरायें। मैं चाहूंगा कि आप इस प्रकार के आदेश जारी कर दें।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें, माननीय सदस्य ।

(व्यवधान)

आप बोल चुके हैं।

श्री त्रिलोक सिंह (फतहपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार चाहे इधर की रही हो चाहे उधर की सरकार रही हो, हरिजन और आदिवासियों पर कभी जुल्म बन्द नहीं हुए और न होंगे। मैं बोल रहा हूं उपाध्यक्ष महोदय, यह हरिजनों और आदिवासियों की आवाज बोल रहा है। वे हरिजन आदिवासी इस सरकार को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे कोई भी हो। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि अभी-अभी पुष्कर में जिन लोगों ने धर्म परिवर्तन के बारे में अखबारों में लम्बा प्रचार किया था वे आर. एस. एस. के लोग थे। इस तरह से धर्म परिवर्तन वहां हुए लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो आज हरिजन धर्म परिवर्तन करने जा रहे हैं उसका कारण हिन्दुस्तान का समाज है। जिस समाज ने आज तक हरिजन आदिवासियों को इन्सान नहीं समझा है, उनको ठुकराया है, उनको

(श्री त्रिलोक सिंह)

आगे नहीं बढ़ने दिया है, वही आज तरीका हिन्दुस्तान में आज़ादी के 34 सालों के बाद भी होता जा रहा है और यह सरकार दम भरती है हरिजन और आदिवासियों की सेवा करने का। हरिजनों और आदिवासियों के नाम पर बाटी सेकने वालों सम्भल जाओ। ये चेतावनी है तुमको। आदिवासियों की मेरे पड़ोस में तीन झोंपड़ी जलायी थीं पुलिस के आदमियों ने और प्रशासन के आदमियों ने। यह सरकार हरिजनों और आदिवासियों के उत्थान की बात करती है, उनको दबाना और मारना चाहती है। यह उनको खत्म करेगी। इसलिए आज जो धर्म परिवर्तन हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं। इस समाज ने उनको ठुकराया, उनको गले नहीं लगाया, उनके साथ अत्याचार किया है। आज समय आ गया है वे इस अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं माथुर सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं। अगर, माथुर साहब, आप कुछ करना चाहते हैं तो हरिजनों और आदिवासियों का नाम लेने से काम नहीं चलेगा, प्रेक्टिकली जाना पड़ेगा। हरिजन और आदिवासी जो एम. एल. ए. हैं, को कहना चाहता हूं......

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : बस कीजिए, माननीय सदस्य।

श्री त्रिलोक सिंह : यह सरकार हरिजनों और आदिवासियों का नाम किस मुंह से लेती है। किस मुंह से उत्थान की बात करती है? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खुले तौर से सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि यह हरिजनों और आदिवासियों की अत्याचारी सरकार है, उनकी रक्षक नहीं है। अगर उनकी रक्षा नहीं की गयी तो इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष : बस कीजिए, समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य।

श्री मेघराज तावड़ : माननीय उपाध्यक्षजी, जो हरिजनों का मर्डर हुआ, मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि हरिजनों के लिए 34 साल से सरकार कह रही है कि हम उनका उत्थान कर रहे हैं हरिजनों का हम बहुत विकास कर रहे हैं लेकिन हरिजनों के साथ हमेशा से ही अत्याचार हो रहा है। हरिजनों को आपने दिया क्या है? दो दो बीघा जमीन दे दी। गांव गांव में जुल्म हो रहे हैं, बेचारे मर रहे हैं। उनको कब्जा नहीं दिया है और जो आवासीय भूखंड दिये हैं वहां उनको मकान बनाने नहीं देते, उनका बाड़ा तोड़ देते हैं, मारते हैं, उनके ऊपर मुकदमा करते हैं। ऐसे अन्याय हो रहा है। कई जगह कत्ल हो रहे हैं। हरिजनों से वोट का लालच है। इसलिए जो सरकार आयी वह हरिजनों के लिए कहती है कि हम हरिजनों के लिए ये कर रहे हैं। हमारे हरिजन विधायक हैं, कांग्रेस पार्टी के, जनता पार्टी के हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं उनको सोचना चाहिए कि हमारे लोगों के साथ क्या हो रहा है? उनको चीनी नहीं मिलती, सीमेंट नहीं मिलता, बाढ़ में ज्वार नहीं मिली। गांव गांव में अत्याचार हो रहे हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मुझे, उपाध्यक्ष महोदय, बोलने दीजिये, मैं बहुत ही कम बोल रहा हूं। ठीक-ठीक बातें करता हूं। हरिजनों के साथ कोई भी

(श्री मेघराज तावड़)
सरकार क्या कर रही है सिवाय वोट लेने के वोट की वजह से थोड़ा बहुत उनके साथ ××× करती है और राजी कर लेती है कि जमीन दिलायेंगे, मकान दिलायेंगे। न तो उनको जमीन मिलती है, न इमदाद मिलती है, न मकान मिलता है, न कर्जा मिलता है। कर्जा भी उनको मिलता है ......

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, सब्जैक्ट-मैटर जो है उससे हटिये मत। जो स्टेटमेंट मंत्री महोदय ने दिया है उस पर बोलिए, और मत बोलिए।

श्री मेघराज तावड़ : मैं सब्जैक्ट पर आता हूं। इसके लिए सरकार ने क्या सोचा है? न्याय दीजिए इनको। क्या न्याय देना चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री गोपाल पचेरवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, धौलपुर डिवीजन में जिस तरह से जाट परिवार के लोगों को राजपूत और जागीरदारों द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया, यह समाचार हमारे लिए तो चुनौती ही है लेकिन सरकार के लिए शर्म की बात है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, मेरी जानकारी के अनुसार सरकार को उन लोगों ने यह बताया कि हमारी जान खतरे में है, हमको मारने की धमकी दी जा रही है इसलिए हमको हमारी सुरक्षा चाहिए लेकिन, श्रीमन्, यह अपने आप को हरिजनों की सरकार कहलाने वाली सरकार, हरिजनों की दुहाई देने वाली सरकार, हरिजनों के उत्थान की बात करने वाली सरकार उन हरिजनों की रक्षा नहीं कर सकी। केवल सरकार कर पा रही है तो अपनी कुर्सी की रक्षा कर पा रही है। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप यह कहने की स्थिति में हैं कि उनको कब तक गिरफ्तार कर लिया जायेगा? मैं कहता हूं कि आप यह कहने की स्थिति में नहीं हैं। उनको आपकी पार्टी का संरक्षण प्रदान है, उनको आपका राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है इसलिए आप उन राजपूत और जागीरदारों को गिरफ्तार करवाने की स्थिति में नहीं हैं। इसलिए मैं मांग करता हूं कि क्या आप हरिजनों को न्याय दिलवाने की कोशिश करेंगे? आप उनको न्याय नहीं दिला सकते, उनकी रक्षा नहीं कर सकते। आप उनको भूमि का मुआवजा नहीं दे सकते हैं। नये गांव में या नयी जगह नहीं बसा सकते हैं। इसलिए, श्रीमन्, आज हरिजन आतंकित हैं और भी जिलों में हरिजनों को आतंकित किया जा रहा है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसलिए, श्रीमन्, हरिजन वहां खतरे में हैं। आज उनको वहां धमकियां दी जा रही हैं। जो शेष बचे हैं, अगर पुलिस में उनके खिलाफ गवाही देने की कोशिश की या अदालत में उनके खिलाफ गवाही देने की कोशिश की तो उनको भी मौत के घाट उतार दिया जायेगा। कांग्रेस पार्टी का उनको राजनीतिक संरक्षण प्रदान है। मैं मांग करूंगा सरकार से कि अगर मेरी बात गलत है तो, गृह मंत्रीजी, मुख्य मंत्री जी, आप यह कहिए कि हम दो दिन में उनको गिरफ्तार करवा देंगे या आप यह कहिए कि उनको गिरफ्तार कर लिया। लेकिन सरकार यह कहने की स्थिति

×××माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री गोपाल पचेरवाल)

में नहीं है । इसलिए मैं मांग करूंगा कि आप हरिजनों का नाम लेना छोड़ दीजिए । गांधी जयन्ती पर पैसा मत खर्च करिए ।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य ।

श्री गोपाल पचेरवाल : गांधी जयन्ती पर गान्धीजी की तस्वीर लगाने का नाटक छोड़ दीजिये । आप हरिजनों के हिमायती हैं ? आप हरिजनों के वोट की राजनीति करना चाहते हैं । अगर आप उनकी रक्षा करना चाहते हैं तो उनको गिरफ्तार करना होगा, उनको सजा दिलानी होगी लेकिन आप सजा नहीं दिलवाना चाहेंगे, यह मैं जानता हूं । यह उपाध्यक्ष महोदय, इस बात की मैं मांग करूंगा सरकार से और मुख्य मंत्रीजी से विशेष तौर से । मेरी धारणा बन चुकी है, आपके मुख्य मंत्री बनने के पहले मेरी यह धारणा नहीं थी, आप हरिजनों के हितैषी हैं, गांधीवादी हैं, समाजवादी विचार-धारा में विश्वास रखने वाले हैं लेकिन जब से आप मुख्य मंत्री बने हैं, आपके जिस तरह के कार्यकलाप हो रहे हैं, कारनामे हो रहे हैं मेरी धारणा बन गयी है कि आप हरिजनों के विरोधी हो, हरिजनों को बर्बाद करने पर तुले हो ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बोले जा रहे हैं । आपको बैठ जाना चाहिए ।

श्री गोपाल पचेरवाल : गरीब हरिजनों के प्रति न्याय नहीं करना चाहते हैं । हरिजन विधायक से मैं मांग करूंगा कि अगर आपके दिल में जमीर है, जिन्दादिली है....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : एक और ।

श्री हीरालाल आर्य : हरिजनों पर अत्याचार हो रहे हैं, राजस्थान के हरिजन अपने आपको असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, उनकी झोंपड़ियां जलाई जा रही हैं, उनको गोलियों से उड़ाया जा रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष : बोलने की अनुमति नहीं है, माननीय सदस्य । मैं आपको मौका नहीं दे रहा हूं ।

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपने इनको पकड़ा नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री गोपाल पचेरवाल : आप मौका दें, माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : I am sorry. Please sit down. सुश्री पुष्पा जैन ।

(व्यवधान)

श्री बालचन्द आर्यवीर : हरिजन सदस्य को बोलने दिया जाय —

श्री उपाध्यक्ष : हरिजन का बोलना जरूरी नहीं है ।

(व्यवधान)

सुश्री पुष्पा जैन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ सवाल पूछना चाहूंगी मंत्री महोदय से पहला सवाल यह है कि क्या यह

(सुश्री पुष्पा जैन)
सच है कि कुछ समय पहले ही जाटव बस्ती में उन्हें अन्देशा था कि ऐसी कोई घटना हो सकती है लिहाजा उन्होंने वह बस्ती छोड़ी। पुलिस के द्वारा उन्हें वापस लाकर उन बस्तियों में बसाया गया जिससे यह अनुमान निकलता है कि ऐसी घटना का पुलिस को आभास था। आभास था तो राज्य सरकार की तरफ से उन जाटवों को सुरक्षा देने के लिये क्या प्रयास किये गये ?

दूसरा सवाल यह है, मुझे बड़ी खुशी है और खुशी इस बात की है कि जवाब गृह मंत्रीजी ने दिया जो उस क्षेत्र की सीमा, उस क्षेत्र को बिलौंग करते हैं। मैं कहना चाहती हूं, इनका क्षेत्र उस जगह से करीब छूता हुआ है लिहाजा यह घटना इनकी नाक के नीचे हुई है, मुझे बड़ा अफसोस है।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : शर्मनाक बात है।

सुश्री पुष्पा जैन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहूंगी, गृह मंत्री महोदय से कि क्या इस घटना की सूचना आपको 22 तारीख को तत्काल हो गई थी, या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष: आपस में बात नहीं, माननीय सदस्य।

सुश्री पुष्पा जैन : और उस घटना का आपको पहले से आभास था या नहीं था। यदि घटना की सूचना आपको थी तो स्थगन प्रस्ताव के बाद इतना समय हो गया, क्यों नहीं आपने सदन में जवाब दिया। स्थगन प्रस्ताव अध्यक्ष महोदय के माध्यम से उठाया तो तत्काल क्यों नहीं कहा कि इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं ? इतना समय क्यों लिया आपने ? आपके लबों पर यह खामोशी क्यों आ गई, इसकी वजह क्या है ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री हीरालाल आर्य : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हरिजन सदस्य को बोलने दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष: पहले आप बैठिये। आप जवाब दीजिये।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : यह ऐसा मार्मिक प्रश्न है ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : No please मैं किसी को मौका नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

आसन पैरों पर है

(व्यवधान)

श्री हीरालाल आर्य: मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि हरिजनों के साथ जो कुछ हो रहा है, उनकी झोंपड़ियां जलाई जा रही हैं, उनको गोलियों से उड़ाया जा रहा है, उनके साथ छुआछूत की जा रही है हरिजन अपने आपको असुरक्षित महसूस कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, इस सम्बन्ध में कायदे बने हुए हैं उन पर अमल कीजिये मेहरबानी करके।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य !

श्री गोपाल पचेरवाल: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भरतपुर जिले में जो घटना हुई है, उससे हरिजन बहुत हतोत्साहित हो रहे हैं और असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हरिजनों में भय है, आंतक है, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि . . . .

श्री उपाध्यक्ष : बिना अनुमति बोल रहे हैं, अंकित नहीं होगा।

(व्यवधान)

आसन पैरों पर है, माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। प्रभारी मन्त्रीजी !

श्री प्रद्युम्नसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न श्री ललित किशोरजी ने पूछा और कई माननीय सदस्यों ने चिन्ता जाहिर की, इस हत्याकाण्ड के बारे में मुझे दुःख है, सरकार को दुःख है, हमारी तरफ के सभी माननीय सदस्यों को दुःख है इस काण्ड के लिए।

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी: आपकी आपस की लड़ाई से तो हुआ ही है, दुःख किस बात का ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपस में बात नहीं होगी, माननीय सदस्य ।

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह : चार दिन पहले ही हत्या हो चुकी है। इस सदन में घोषणा करिये आपके द्वारा ...

(व्यवधान)

क्या कार्यवाही करी ?

(व्यवधान)

हरिजनों के प्रति दर्द नहीं है ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : आप बात सुनना नहीं चाहते। मैं कुछ कहना चाहता हूं ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो कुछ बातें कही जा रही हैं, हरिजनों के प्रति दर्द की भावना से नहीं, यह राजनैतिक आधार पर, राजनैतिक लाभ लेने की दृष्टि से कही गई हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह : इस सदन को बताइये, आज तक क्या कार्यवाही हुई ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज।

श्री हीरालाल आर्य : हरिजनों पर अत्याचार करते हैं और राजनीति का नाम लेकर दबाना चाहते हैं ।

(व्यवधान)

आज राजस्थान के हरिजन अपने आपको असुरक्षित महसूस कर रहे हैं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, न इसमें राजनीति है, न किसी राजनीतिक कारण से हत्या हुई, न राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। मैं आपके माध्यम से सदन को विश्वास दिलाता हूं कि जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जायगी । हमारा कोई इरादा किसी को राजनीतिक संरक्षण देने का नहीं है । 15-20 दिनों से मैं यहां पर हूं और वहां

(श्री प्रद्युम्नसिंह)
पर गया नहीं हूं। मेरे ऊपर इतने आरोप लगाये जा रहे हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप पर नहीं बनवारीलालजी पर।

श्री प्रद्युम्नसिंह : मेरी बनवारीलालजी से कोई लड़ाई नहीं है, बनवारीलालजी धौलपुर से एम. एल. ए. हैं, मैं राजाखेड़ा से एम. एल. ए. हूं। यह काण्ड हुआ बाड़ी निर्वाचन क्षेत्र में। आप कहां ले जाना चाहते हैं इस बात को, मन्जिल कहां है? इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा? श्रीमन् पुलिस दल रवाना कर दिया गया है, वहां से जो सूचना उपलब्ध हो चुकी है वह सदन के अन्दर दे दी गई है। साथ ही हमारे माननीय सदस्यों ने पूछा कि जिन परिवारों को क्षति हुई, घटना हुई जिनके साथ उनके लिये सरकार ने क्या किया है? माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने घोषणा की है मृतकों के परिवारों को पांच-पांच हजार रुपये राज्य सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता दी जायगी। श्रीमन् दूसरी बात—

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज। मुझे बाध्य न किया जाय। नहीं तो नाम से पुकारना पड़ेगा। स्थान ग्रहण करें।

श्री मेघराज तावड़ : राजा महाराजा यही कहते थे। अत्याचार हरिजनों पर किये जा रहे हैं, क्या उम्मीद करें सरकार से कि यह सरकार हमको न्याय दिलायेगी? हरिजनों की जिन्दगी को आप पैसे से आंक रहे हैं?

(व्यवधान)

श्री गोपाल पचेरवाल : 5-5 हजार, यह हमारे समाज को चुनौती है। मुख्य मंत्री से कहता हूं ××× ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री गोपाल पचेरवाल : हरिजन की जिन्दगी की कीमत पांच हजार रुपये है?

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर। बिना अनुमति के बोल रहे हैं। अंकित न किया जाय।

श्री गोपाल पचेरवाल : × × × ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य मुझे आपका नाम पुकारना पड़ेगा।

बार-बार बोले जा रहे हैं। अंकित न हो।

श्री मेघराज तावड़ : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : यह आप कोऑपरेशन दे रहे हैं?

श्री द्वारका प्रसाद शर्मा : एक मिनट का दें, जरूरी बात कहनी है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रभारी मंत्री। मेहरबानी करके बैठ जाइये।

(व्यवधान)

××× माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री बनवारी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सदन को गुमराह करने का प्रयास किया है। माननीय सदस्य को जो जानकारी मिली है मेरा उस पार्टी से कोई संबंध नहीं है। उनका क्षेत्र अलग है, मेरा क्षेत्र अलग है। कोई दलबंदी नहीं है। जो घटना हुई है बाड़ी क्षेत्र में हुई है। यह आपको गलत जानकारी मिली है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रभारी मंत्री।

श्री द्वारका प्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अनुमति दें बोलने की।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप कोऑपरेट कीजिये।

श्री द्वारका प्रसाद शर्मा : मैं जरूरी बात कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : जरूरी बात हो गई। आप घड़ी-घड़ी उठते हैं। आसन पैरों पर है।

(व्यवधान)

श्री मेघराज तावड़ : आवाज को दबाया नही जाना चाहिए। हम भी वोटरों को रिप्रेजेन्ट करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपके साथ कोऑपरेट करता हूं। आपसे भी आशा करता हूं कि कोऑपरेट करिये। आसन पैरों पर है। आप बोले जा रहे हैं, बुरी बात है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपको बोलने नहीं दूंगा।

श्री द्वारका प्रसाद शर्मा : मैं हरिजन सदस्य हूं, मुझे बोलने दिजिये।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठ जायें।

श्री द्वारका प्रसाद शर्मा : मुझे बोलने दिया जाय, जरूरी बात कहनी है।

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : इनको बोलने दिया जाय।

श्री द्वारका प्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, धौलपुर से 45 किलोमीटर दूर अब्दुलपुर गांव में 22-9-1981 रात को रामभरोसे, शंकर और भीखाभाई की जो गोली मार कर हत्याएं हुई हैं वे निंदनीय हैं। भगवान उनकी आत्माओं को शांति दे। मैं सदन में स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जब 1977 में जनता पार्टी का राज आया और 2½ साल तक उन्होंने राज किया व हरिजनों पर अत्याचारों की आंधी चलाई, बेलची कांड में 11-11 हरिजनों को जिंदा जलाया गया...

(व्यवधान)

आपके नेता उनसे हमदर्दी करने नहीं गये। उस समय आप कहां थे?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

एक माननीय सदस्य : आप हरिजनों के वोट लेकर, चुनकर आये हो और इस तरह की बात करते हो।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

(श्री उपाध्यक्ष)

श्री मांगीलाल ।

(व्यवधान)

आपस में बातें न करें ।

श्री **मांगीलाल** : उपाध्यक्ष महोदय, इससे और अधिक दुख: का क्या विषय होगा । चाहे धौलपुर का हत्याकांड हो चाहें नागौर का हत्याकांड हो, चाहे मांगेरी हत्याकांड हो, चाहे बेलची हत्याकांड हो, जब कभी भी इस प्रकार की हरिजनों की हत्या की बात आती है, फौरन उसकी वकालत शुरू हो जाती है, उसको राजनैतिक स्वरूप दे दिया जाता है, इतना बढ़ा चढ़ा कर ये सब हरिजनों के शुभचिंतक बैठे हुये हैं । हमें अफसोस इस बात का है कि ये ही बहुत जुल्म करते हैं । इतने सारे शुभचिंतक जब हितैषी हैं तो फिर अन्याय और जुल्म क्यों हो रहा है ? हमने यह भी देखा कि मुख्यमंत्री माथुर बनने के बाद यह पहली घटना नहीं है । हमारे हरिजन मुख्य मंत्री के राज में भी इस तरह की घटना हुई, हमारे हरिजन गृह मंत्री के समय में भी इस तरह की बात हुई, सभी ओर से हरिजनों पर जुल्म और अत्याचार होते आ रहे हैं मगर वास्तव में इसकी तह में जाकर इसका जो प्रबन्ध होना चाहिये इसकी जो जांच होनी चाहिये उसकी तरफ कोई कदम नहीं बढ़ाया जाता है । मैं निवेदन करना चाहता हूं सरकार से इस प्रकार की जो घटनायें हैं, इन घटना की सारी वकालत को आप एक तरफ रखकर देखें कि वास्तविकता क्या है ? मैं इस मौके पर इस बात की ओर भी ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जिस हरिजन की बदान के अन्दर हत्या हुई उसको घर से बुलाकर ले जाया गया, रात को गोली मारकर हत्या कर दी गई । उसके बाद में सुबह एक नाबालिग बच्चे पर थोप दी कि उसके हाथ से बंदूक अचानक छूट गई और मारा गया । मामले को रफा दफा कर दिया गया । एक नहीं अनेकों हरिजनों के ऐसे मामले हैं ।

बवानी के अंदर मेघवाल, उनकी औरत थी, रात को सोये हुये को जगाकर ले जाकर मारकर कुए में डाल दिया गया । उस मामले को रफा दफा कर दिया गया । जासे-सर—नागौर जिले में जिस समय मैं प्रभारी मंत्री था, मैं स्वयं मौके पर गया हूं । उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात की तरफ सरकार का ध्यान दिलाता हूं । दोनों बाप-बेटे की सार्व-जनिक कुएं पर पानी भरने के कारण जब घर ले जा रहे थे रास्ते में ही हत्या कर दी गई । दोनों बाप-बेटे मार दिये गये । उस मामले में आगे चलकर कुछ नहीं हुआ । इस प्रकार की यहां पर वकालत करते हैं । उपाध्यक्ष महोदय, राजनीतिज्ञों द्वारा इस तरह से मामला खत्म किया जाता है । इस-लिए मेरा निवेदन है कि सरकार इस तरह कोई भी मामले हों उनमें पूरी तरह से सतर्कता बरते । उनके प्रति ऐसी कार्यवाही की जाय कि आगे चलकर भविष्य में ऐसी घटना नहीं घटे । हम यह देखते हैं, इस बात को भी आप देखें । यहां पर हमारे हरिजनों के मामलों को लेकर वकालत करते हैं और आगे किस प्रकार से हंस कर उसका मखौल उड़ाया जाता है । हम इस बात को अच्छी तरह से महसूस करते हैं इसलिए मेरा निवेदन है कि सरकार को इस मामले के अन्दर सतर्कता बरतनी चाहिए ।

श्री **उपाध्यक्ष** : श्री मुख्य मंत्रीजी ।

श्री **शिवचरण माथुर** (मुख्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, धौलपुर के गांव अब्दुल-पुर में जो घटना हुई उसकी कठोर से कठोर शब्दों में निन्दा की जानी चाहिए ।

(श्री शिवचरण माथुर)

मैं समझता हूं कि इस प्रकार के घृणित काम करने वालों को कठोर से कठोर सजा दी जानी चाहिए। जहां तक इस सरकार का सवाल है जो भी बात हुई है, सब बात यहां पर सामने आई। हमने जो कुछ भी मौके पर स्थिति थी उसकी यहां जानकारी देने की कोशिश की। मैं यहां कहना चाहता हूं इस सदन के सभी माननीय सदस्यों के मार्फत, कांग्रेस की सरकार ने जिसने कि हमेशा से हरिजनों के उत्थान के लिए अपने आपको समर्पित किया है और आगे भी सदैव ऐसे कुकृत्य करने वालों के खिलाफ कठोर से कठोर कदम सरकार उठायेगी। यह घटनाएं आगे कम नहीं हों इसकी गारंटी कोई भी नहीं कर सकता। कोई सरकार हो वह नहीं कर सकती है कि ऐसी घटना नहीं घटेगी। सवाल यह है कि ऐसी घटना घटने के बाद सरकार क्या कार्यवाही करती है। यह देखने की बात है मैं आपसे निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि सख्त से सख्त कार्यवाही की जावेगी। भागने वाले अपराधियों को गिरफ्तार करने की चेष्टा की जाएगी। उनको पकड़े जाने के बाद में उन पर मुकदमा चलाया जाएगा, और उनको सजा दिलाने की कोशिश की जाएगी। भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं नहीं घटे इस बारे में जो भी सुझाव मुझे और मेरी सरकार को आप देना चाहे, मैं खुले दिमाग से उस पर कार्यवाही करने को तैयार हूं। यहां मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जहां तक पांच-पांच हजार रुपये की सहायता देने की बात है किसी पर अहसान करने की बात नहीं है, किसी को दान-दक्षिणा और खैरात देने वाली बात नहीं है, एक पीड़ित परिवार के सदस्यों को जो कुछ भी सरकार अधिकतम दे सकती थी उनको देने का प्रयास किया है। किसी को इसमें खरीदने वाली बात नहीं है। माननीय सदस्य राम कंवार जी ने यह कहा कि क्या सरकार ने अलग से घोषणा की है? हमने जो घोषणाएं की हैं, मैं समझता हूं कि न तो इसके अन्दर कोई खरीदने वाली बात समझनी चाहिए, और न ही यह बात सोची जानी चाहिए कि सरकार ने पांच हजार रुपये देकर इस मामले को रफा-दफा करने वाली बात की है। हम पूरी तरह से कार्यवाही करेंगे।

यह बात दूसरी है कि हम कार्यवाही करेंगे। यह घोषणा हमारी नीति के अनुकूल है। जहां पर भी इस प्रकार की बातें होती हैं हम इस प्रकार की घोषणाएं करते हैं। मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस सदन में आप जो भी सुझाव देंगे, हरिजनों पर अत्याचार रोके जाय, आप जितने भी इस सम्बन्ध में सुझाव देंगे उन पर विचार करेंगे, उन पर कार्यवाही करेंगे।

सुश्री पुष्पा जैन : उपाध्यक्ष महोदय, एक मेरा प्रश्न है। माननीय मुख्य मंत्रीजी, मुझ क्षमा करेंगे मैंने दो मुद्दे उठाये थे वह मुद्दे ऐसे थे जिनका आपने जवाब नहीं दिया। वह मुद्दे ऐसे थे जिनसे ऐसा लगता है कि उस दुर्घटना में सरकार की गैर जिम्मेदारी शरीक है। लिहाजा मेरा पहला सवाल यह था कि जब सरकार को यह आभास हो गया था कि दुर्घटना हो सकती है, जब यह नोटिस में आ गया था कि जाटवों ने बस्ती छोड़ दी है, लिहाजा उनको वापिस बसाया गया था। इसलिए मैंने यह कहा कि उनके नोटिस में थी तो उनकी सुरक्षा के क्या प्रावधान किये? यदि उनकी सुरक्षा का इन्तजाम

(सुश्री पुष्पा जैन)
किया जाता तो यह दुर्घटना टल भी सकती थी।

मेरा दूसरा सवाल आपसे यह था कि 22 तारीख को घटना घटी, यह सौभाग्य है कि गृह विभाग आपके पास है तो यह तो हो ही नहीं सकता कि आपके नोटिस में नहीं आया हो तो ऐसी आवश्यकता क्यों आई कि एडजोर्नमेंट मोशन देकर हम जबरदस्ती करते और हम कहलवाते कि सरकार की तरफ से स्टेटमेंट का समय निश्चित किया जावे। आप अपनी जिम्मेदारी से बचने का प्रयास क्यों कर रहे हो, इसका जवाब दें?

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई। जोधपुर विश्व विद्यालय (संशोधन) विधेयक; 1981।

सुश्री पुष्पा जैन : एक सैकण्ड, उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर गुनहगारों को प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। इसके माने साफ आप जवाब से बचना चाहते हैं। इसके माने हैं कि पोलिटिकल प्रेसर है इस दुर्घटना में गुनाह वालों को प्रोटेक्शन है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, कृपया स्थान ग्रहण करें।

सुश्री पुष्पा जैन : उपाध्यक्ष महोदय, राज्य मंत्रीजी जान बूझ कर सवालात को टालना चाह रहे हैं। मैंने ऐसा मौका कभी नहीं देखा कि जब राज्य मंत्री जी अपनी जिम्मेदारी से बचे हों। यह पहला मौका है। आखिर कहना पड़ता है, मुझे आभास हो रहा है कि माननीय सदस्य ने जो आरोप लगायें हैं, वे सरासर सच हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, सवेरे जब यह प्रश्न सदन में आया तब मैंने कहा था कि जानकारी करने के बाद जानकारी दूंगा, पर विपक्ष के नेता महोदय ने और अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, इस पर जानकारी आज ही दी जाय जितनी सूचना थी, जो सरकार के पास कोई जानकारी हैं वह बतादी दी। मैं जांच करवाऊंगा, अगर वहां पर पुलिस में कोई दरख्वास्त दी गई होगी। पुलिस के अधिकारियों को उन्होंने प्रोटेक्शन मांगा हो और अगर उन्होंने प्रोटेक्शन नहीं दिया हो तो उसकी मैं निश्चित रूप से जांच करवाऊंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं निवेदन चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी भी यहां पर बैठे हैं। क्या उचित नहीं होगा कि इस सदन के दो-तीन माननीय सदस्य वहां जाकर इस सारे मामले की जांच करें।

श्री शिवचरण माथुर : इसकी कोई आवश्यकता मैं नहीं समझता।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप जब मुख्य मंत्री थे तो आपने भी ऐसा सुझाव कभी माना था, हुजूर।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : दो-तीन माननीय सदस्य जाकर......

(व्यवधान)

विधेयक पर विचार

जोधपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1981

परिनियत संकल्प

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। जोधपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश

(श्री उपाध्यक्ष)
1981 के संबंध में परिनियत संकल्प श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 19 मई, 1981 को प्रख्यापित जोधपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1981 (संख्या 1) सन् 1981 को अस्वीकार करता है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य बातें नहीं करें।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : उपाध्यक्ष महोदय, जोधपुर यूनिवर्सिटी के बारे में।

एक माननीय सदस्य : जा रहे हैं,साहब। कोरम नहीं रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष : जाते हुए कैसे रोकूं। कोरम नहीं होगा तो घंटी बजा देंगे। माननीय सदस्य, आपस में बातें नहीं करें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : जोधपुर विश्वविद्यालय के बारे में सरकार ने 19 मई को एक अध्यादेश के माध्यम से राज्य सरकार संशोधन लायी है। आपके माध्यम से उपाध्यक्ष महोदय, यह पूछना चाहता हूं कि अप्रेल के प्रथम सप्ताह में विधान सभा का सत्र समाप्त हुआ उसके 45 दिन बाद ऐसी कौनसी परिस्थिति बनी थी जिस स्थिति के कारण राज्य सरकार को जोधपुर यूनिवर्सिटी के बारे में संशोधन लाना पड़ा। शिक्षा मंत्री महोदय शायद विचार करते हैं, विधान सभा को बाई पास किया जावे। अप्रेल के प्रथम सप्ताह तक विधान सभा का सत्र चल रहा था, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि अप्रेल, मई, जून, जुलाई यह सारे महीने परीक्षाओं के दिन होते हैं। मैं चर्चा करूंगा क्या कारण उपस्थित हुए इस संशोधन को लाने के लिये ? आप इस संशोधन को एक बिल के रूप में लाये हैं। मैं माननीय शिक्षा मंत्री से कहना चाहता हूं कि उन्होंने इसमें कारण दिये हैं उनके सामने कौन सी स्थिति जोधपुर विश्वविद्यालय में पैदा हो गयी थी, वह डेढ़ महीने का विश्लेषण करें तो लगेगा ऐसे कोई कारण नहीं थे। कारण जो हो सकता है, वह कारण आज विद्यमान है इस अध्यादेश के लाने के बाद जो सिंडीकेट बना है आज भी विद्यमान है। जोधपुर विश्वविद्यालय, उदयपुर विश्वविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय से सम्बन्धित महाविद्यालय आग से गुलग रहे हैं। कौन सा ऐसा काम था, इम्तिहान ठीक चल रहे थे। इस बीच स्थिति को बदल करके माननीय शिक्षा मंत्री महोदय इस विधानसभा को बाई पास करना चाहते थे। अध्यादेश लाना चाहते थे किसी विशेष प्रयोजन से, ऐसा लगता है. क्या दो-चार दिन में इम्तहान नहीं हुए तो सारी स्थिति गड़बड़ा जायेगी? क्या मंत्री महोदय को लगता था कि सिंडीकेट का पुनर्गठन नहीं किया गया तो आसमान टूट कर गिर जायेगा, तीनों विश्वविद्यालयों की स्थिति गड़बड़ा जायेगी, जब मंत्री महोदय जवाब दें तो इस बात को बतायें कि 45 दिनों के अन्दर एक नहीं, सात अध्यादेश इस प्रकार के सरकार लाई है। विश्वविद्यालयों के बारे में तीन अध्यादेश लाई है। कारण बड़े जोरदार दिये गये हैं; यदि आप पढ़ेंगे। मैं आपके सामने, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा मंत्री से पूछना चाहता हूं कि कारण जो उन्होंने दिये हैं उनसे लगता है उक्त विश्वविद्यालय पर प्रभावी प्रशासन नियंत्रण स्थापित करना चाहते हैं। विश्वविद्यालय में सिंडीकेट की स्थापना करेंगे उसका पुनर्गठन

(श्री. ललित किशोर चतुर्वेदी)

करेंगे जिससे कि वह निर्णय में अपनी मनमानी कर सकें। अंग्रेजी में आप शब्द देखेंगे to dissolve the existing Executive Committee and to reconstitute it so as to make it a compact and business like body.

दो एडजेक्टिव दिये हैं माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने इस सिंडीकेट को बनाने के लिये, संशोधन करने के लिये। माननीय

(7.13 सायं)

(श्रीमती विद्यापाठक, सभापति पीठासीन)

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री को बताना चाहता हूं, काम्पेक्ट एण्ड बिजनेस लाइक पर विचार करें। इस जोधपुर विश्वविद्यालय के इस अध्यादेश में यदि आप देखेंगे तो एम. एल. ए. चुने जाते हैं, चुने जाते थे? नामिनेशन बाई दी स्पीकर में संशोधन लाये हैं। माननीय मंत्री महोदय क्यों संशोधन लाये हैं?

'Two members of the State Legislature nominated by the State Government.'

शिक्षा मंत्री का स्पीकर से विश्वास उठ गया है, स्पीकर तो न्यूट्रल होता है। होता तो आपकी पार्टी का है, लेकिन इस बात के आने के बाद विश्वास उठ गया।

श्री चन्दनमल बैद : तभी आप स्पीकर के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव ला रहे थे।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : एक कारण आपका था उसकी चर्चा करना चाहता हूं। यह अध्यादेश बता रहा है हिन्दुस्तान के इतिहास में सन् 1962 में बनने के पश्चात् एम. एल.ए. दी आलवेज नामिनेटिड बाई दी स्पीकर। अध्यक्ष द्वारा विधान सभा के दो विधायक जोधपुर विश्वविद्यालय सिंडीकेट में नामिनेट होते थे। पता नहीं, अध्यक्ष महोदय, पुरानी कांग्रेस के कार्य ये अब भी करेंगे। शिक्षा मंत्री, इस संशोधन को लाकर आप विधान सभा का अपमान कर रहे हैं। यह तब होता है जब स्पीकर से आपका विश्वास उठ जाय। अगर विचार करके देखें तो If he is nominated by the Speaker, it will not be business like. It is a very good argument placed by our Hon'ble Education Minister. मैं बताना चाहूंगा कि इसके पीछे मंतव्य क्या है, आप देखने की कोशिश करें।

श्री चन्दनमल बैद : वह तो यहां आ गया है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं उस स्थिति को पेश करना चाहता हूं। हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं और खाने के और होते हैं। इसके पीछे वस्तुस्थिति क्या है, आप देखने की कोशिश करें। सन् 62 में यह एक्ट बना उसको देखने की कोशिश करें। सिन्डीकेट में '11 सदस्य' हुआ करते थे, नामिनेटेड और नौ इलेक्टेड। बाद में इसमें संशोधन हुआ। संशोधन होने के बाद इस तरह की स्थिति बनी कि नामिनेटेड लोगों की संख्या नौ। फिर ये कहते हैं कि चुने हुए प्रतिनिधि हों, हम डेमोक्रेसी में

Page No 173

(173)

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

विश्वास करते हैं, हमारा प्रजातन्त्र में विश्वास है इसलिए इसमें तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने संशोधन करके जो 16 सदस्य रहे उसमें से 11 नामिनेटेड और 5 इलेक्टेड हो गये और फिर 5 से 2। फिर आ गया काला समय, इमर्जेन्सी कौन लाया, यह मैं चर्चा नहीं करना चाहता। मैं चर्चा करना चाहता हूं इस बात की कि ऐसा समय आ गया लोगों के मुंह में ताले, अखबारों का मुंह बन्द। काले कानून के समय इमर्जेन्सी में फिर संशोधन किया गया और नौ तो हो गये नामिनेटेड और इलेक्टेड हो गए सिर्फ जीरो। यह इमर्जेंसी में किया गया। इमर्जेन्सी का वह काला समय हटा और एक समय आकर ठीक हुआ। 1977 में 15 सदस्य थे उनमें से 10 नामिनेटेड और 5 इलेक्टेड थे। अब कम्पेक्ट एण्ड बिजनेस लाइक सिंडीकेट के 11 नामिनेटेड और 3 इलेक्टेड यह एक कारण है। अन डेमोक्रेटिक एक्ट है? वहां रजिस्टर्ड ग्रेजुएट होते थे जो सीनेट से सिंडीकेट में जाते थे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि अगर बाहर के आदमी आ जायेंगे तो हमें कैसे मनोवांछित फल मिल सकेगा। सारे रजिस्टर्ड ग्रेजुएटस को वहां से हटाया गया। शिक्षा मंत्री चुने हुए प्रतिनिधियों के विरोधी हैं और लोग, जनता और विश्वविद्यालय के बीच संबंध स्थापित करते हैं। विश्वविद्यालय के अन्दर विद्यार्थी रहते हैं, शिक्षक रहते हैं, उनके साथ साथ शिक्षाविद् रहते हैं वहां का प्रशासन है। उसके साथ-साथ जनता का उससे संबंध है। यह वह कड़ी थी उसी विश्वविद्यालय के जो रजिस्टर्ड ग्रेजुएट, हजारों रजिस्टर्ड ग्रेजुएट से सीनेट चुन कर सिंडीकेट में आते थे। उनसे डर है गया। क्यों हुआ डर? उन 45 दिनों के बाद एक चुनाव हुआ वहां। उस चुनाव में चुन कर आया व्यक्ति पता नहीं किस तरह का होता था, यह तो मैं नहीं कहता, क्योंकि विश्वविद्यालय के स्नातक कुछ प्रगति करना चाहते थे वहां शिक्षा की नीति की दृष्टि से, रीति की दृष्टि से अपने विचार रखना चाहते थे, वह माननीय शिक्षा मंत्री को पसन्द नहीं आया क्योंकि मनोवांछित फलों की प्राप्ति नहीं होती थी बाहर के लोग आ जाने के कारण, इसलिए उनका नाम काट दिया गया। It is not a compact and business like body, मैं आरोप लगाना चाहता हूं यह एक अन-डेमोक्रेटिक एक्ट है। इतना ही नहीं शनैः शनैः सरकारीकरण की तरह विश्वविद्यालयों की प्रक्रिया चल पड़ी Compact and business like body. विचारों की स्वतन्त्रता नहीं, विचार प्रकट करने की, विश्व विद्यालयों की वहबूदी की, शैक्षणिक योग्यता की, सैक्रेटेरियट नीति-रीति की चर्चा करने वाले विभिन्न प्रकार के मतों की लोगों की जरूरत नहीं रही। दुःख इस बात का है कि यह कोई बनिये की दुकान है कि बिजनेस लाइक करने की कोशिश की जा रही है। तानाशाही का ढंग यही है, सचमुच वही प्रकट हो गया है, वही भावना प्रकट हो गई है इसलिए मैं कहना चाहता हूं केवल मात्र यह अन-डेमोक्रेटिक एक्ट नहीं है इस अध्यादेश को लाना किन्तु इसके साथ-साथ विश्वविद्यालयों के सरकारीकरण की दृष्टि से, जैसा मैंने पहले कहा नोमिनेटेड 11 और इलेक्टेड 3 यानि 25 पर्सेन्ट, यह किस प्रकार की स्थिति बनाना चाहते हैं? क्यों ले जाना चाहते हैं उस इमर्जेन्सी के काल में विश्वविद्यालयों को, वहां के प्रशासन को? विश्वविद्यालय की प्रगति करने वालों को क्यों ले जाना चाहते हैं इमर्जेन्सी के काल में।

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

माननीय शिक्षा मंत्री जी, शिक्षा के मन्दिरों का केवल मात्र अपने हाथ के हद तक सरकारीकरण करने के कुत्सित प्रयास करने की कोशिश न करें। आगे और भी बातें आयेंगी लेकिन अभी तो सिद्धान्त के नाते शिक्षा मंत्री को कहना चाहता हूं Good sense should prevail upon. थोड़ा सा विचार करने के लिए, आप भूतपूर्व शिक्षा मंत्री भी रहे हैं और अभी भी शिक्षा मंत्री हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि विश्वविद्यालयों को रहने दीजिए। विद्यार्थियों, शिक्षकों, उनकी शैक्षणिक भूमिका का विचार करके जो स्थापित सिद्धान्त है, उन सब लोगों के हितों की ओर सब लोगों को आगे ले जाने की कोशिश की गई थी उसको वापस करने की जो आपकी साजिश है इसका मैं विरोध करता हूं, भर्त्सना करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि जो यह अध्यादेश रखा है, इसका समर्थन न करें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : माननीय श्री कैलाश मेघवाल।

आप 5-7 मिनट में अपनी बात समाप्त करें'

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय सभापति महोदय, 5-7 मिनट भी लगेंगे या नहीं, क्योंकि विषय बहुत गम्भीर हैं।

इस अध्यादेश के द्वारा सरकार यह क्यों नहीं कहती है कि शिक्षा के क्षेत्र को स्वतन्त्र नहीं रखना चाहते हैं। इसमें मुख्य मुद्दा यह है कि विश्वविद्यालय की कल्पना हमारे देश में क्या है और उस कल्पना के साथ धीरे-धीरे आज के जो विश्वविद्यालय हैं उनकी यह बहुत लम्बे समय से जो आडी है विचार प्रक्रिया का प्रतिबिम्ब हैं लेकिन जिस तरह का यह संशोधन जोधपुर विश्वविद्यालय के सिन्डीकेट में लाया गया है उससे लगता है आज की सरकार, माननीय सभापति महोदया, मैं निवेदन करना चाहता हूं, शिक्षा को स्वतन्त्र नहीं छोड़ना चाहती है। मन्तव्य अपना साफ प्रकट कर दे। यह तो एक अप्रत्यक्ष तरीका है। अभी कोटा से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे। उन्होंने एक बात रखी कि रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स देश के सारे विश्वविद्यालयों में हैं। आप देखें तो अभी से नहीं बहुत पहले से हैं, हमारे यहां 170 के करीब विश्वविद्यालय हैं। इन सारों में आप यह व्यवस्था देखें तो यह जो एक रेस है, यूनिवर्सिटी के निकले हुए स्नातक हैं, वे अपना सम्बन्ध विश्वविद्यालय से रखे रहें और उस विश्वविद्यालय की खुशहाली एवं प्रगति के लिये अपना चिन्तन देते रहें उस दृष्टि से जो रजिस्टर्ड ग्रेजूएट को मान्यता मिली है। वह सब विकास की दृष्टि से मिली है, सीनेट में अभी तक। माननीय सभापति महोदया, मुझे यह बात समझ में नहीं आती है कि सीनेट की रचना क्यों नहीं बताते है, सीनेट की रचना नहीं की गई, क्योंकि तीनों ही विधेयक हैं इनमें प्रशासनिक अधिकार, एक आथोरिटी युनिवर्सिटी की है उस आथोरिटी के निर्माण का, मनोनयन का अधिकार सदैव सरकार ने अपने पास रखा है। यह आथोरिटी विधेयक में स्पष्ट कहती है, यह एक्जीक्यूटिव कमेटी जो जोधपुर विश्वविद्यालय की सिण्डीकेट कहलाती है वह सिन्डीकेट सीनेट की आथोरिटी होगी, सिनेट के सारे अधिकारों का विकेन्द्रीकरण क्या होगा, डेलीगेशन

(श्री कैलाश मधवाल)

क्या होंगे । सीनेट एक सुप्रीम अॉयोरिटी है उस सीनेट की रचना को बदलते हैं तो यह डेमोक्रेटिक एक्शन नहीं है । उस विधेयक की रचना में रजिस्टर्ड ग्रेजुएट रखे गये थे, सिण्डीकेट में रजिस्टर्ड ग्रेजूएट आ सकता था । जो सिण्डीकेट का चुनाव होता था उसमें भी प्रावधान था कि दो व्यक्ति सीधे चुन कर भेजें । माननीय सभापति महोदया, मैं कहना चाहता हूं, सीनेट की सारी रचना पढ कर सुनाऊंगा, मैं थोड़ा सा इसलिये निवेदन करूं कि सीनेट का बहुमत किन लोगों का है। वे जिस व्यक्ति का चयन करके भेजेंगे, वह कैसा होना चाहिये । अगर सरकार का विश्वास नहीं हो तो आगे क्या हो सकता है, इसको इनका भय होने लगा । अपने आप सीनेट जो चुनकर भेजती थी, उस सीनेट की रचना . . . .

(7.20 सायं)

(श्री अहमद बक्श सिंधी, उपाध्यक्ष, पदासीन)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जोधपुर विश्वविद्यालय अधिनियम का सेक्शन 15 है और उस 15 को इसलिये पढ़ना चाहूंगा कि आखिर सरकार मनोनयन करना चाहती है। रजिस्टर्ड ग्रेजुएट चयन होकर आते थे उसको निषिद्ध किया जा रहा है और उसको सिन्डीकेट से बाहर रखा जा रहा है। चुनने वाले कौन है, वह निर्वाचन मण्डल कौन हैं ? अब मैं बताता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, आखिर इस व्यवस्था को क्यों समाप्त करना चाहते हैं ? आज सीनेट में चान्सलर होंगे, कुलाधिपति होंगे, समस्त भूतपूर्व कुलाधिपति, राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति, उप-कुलपति, संकायों के मुख्य न्यायाधिपति, निदेशक, महाविद्यालय, शिक्षा, शिक्षा मंत्री, निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, निदेशक, नीति शिक्षा, दो सदस्य जो कि सरकार के विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि होंगे, हैड आफ दी डिपार्टमेंट, सिण्डीकेट के सदस्य, विश्वविद्यालयों के विभागाध्यक्ष एवं प्राध्यापक, राज्य विधान मण्डल के दो सदस्य, सैन्ट्रल गवर्नमेंट के जो विभाग हैं वे, उसके आजीवन सदस्य, कुछ अन्य सदस्य ।

यह मैंने आपके सामने 15 सेक्शन इसलिये पढ़ा है कि यह निर्वाचन मण्डल जिस व्यक्ति को चुनकर भेजता था उसकी योग्यता में आपको शंका होने की राजनैतिक दुर्गन्ध आ गई । इसकी स्थिति क्यों पैदा हो गई ? इस सभी में मेरा ऐसा ख्याल है निर्वाचन मण्डल के जो सदस्य है वे किस योग्यता के हैं, किस शिक्षा के है, यह किसी से छिपा नहीं है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि ये रजिस्टर्ड ग्रेजुएट जो सिण्डीकेट में जाकर अपना कुछ कन्ट्रीब्यूशन कर सकते थे, एक पेरेन्टल पार्टिसिपेशन दे सकते थे या यह कह दें कि जो एक्स स्टूडेन्ट्स का एक पार्टीसिपेशन था इसको समाप्त करने की जो बात कही गई है वह बिलकुल उचित नहीं है । मैं आपके द्वारा पुनः निवेदन करूंगा शिक्षा मंत्रीजी से कि इस निर्वाचन मण्डल को देखते हुए आपको कोई शंका नहीं होनी चाहिये थी । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बड़ी विचित्र बात है दो सदस्य जो सीनेट चुनकर भेजती थी • • • ।

श्री उपाध्यक्ष : आप तो तीनों बिलों पर बोल रहे हैं ?

श्री कैलाश मेघवाल : एक निवेदन करना चाहता हूं, आपकी जो यह व्यवस्था है अगर आप नियमों के अन्तर्गत देना चाहते है तो हमको कोई एतराज नहीं है ।

(श्री कैलाश मेघवाल)

आपकी ये व्यवस्था अगर नियमों के अन्तर्गत देना चाहते हैं तो मुझे एतराज नहीं है, नियमों के पालन की प्रक्रिया है, एक बिल पेश हुआ है, इस बिल के पास करने की एक प्रक्रिया है, उससे नियंत्रित होगी तो उचित होगा। इसलिए मैं जोधपुर विश्वविद्यालय के बारे में बोल रहा हूं। मैं निवेदन करता चाहता हूं आपको, यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात one educationist nominated by the Chancellor.

नयी सिण्डीकेट में आप एक एजुकेशनिस्ट नोमिनेट करना चाहते हैं, आपके चांसलर, कुलाधिपति, एक शिक्षा शास्त्री को बनाना चाहते हैं। इससे पहले क्या था, आखिर इस शिक्षा को आप क्या करना चाहते हैं। पहले जो प्रावधान है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको मैं निवेदन करना चाहता हूं पहले का प्रावधान है उसमें है nominated by the Chancellor मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि Eminent educationist to be nominated by the Chancellor एमीनेन्ट एजूकेशनिस्ट पहले कहा गया है, इसलिए आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि एमीनेन्ट एजुकेशनिस्ट और उसकी परिभाषा है, परिभाषा भी इसमें दे रखी है,

'The expression 'eminent educationist' means a person who had close association with an institution of higher learning for a considerable period of time or who has made distinctive contribution in the field of education and learning or in the sphere of educational administration.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले वाली सिण्डीकेट की रचना में एमीनेन्ट एजूकेशनिस्ट नोमिनेट आपका चांसलर करता था। एमीनेन्ट एजुकेशनिस्ट कौन होगा, मुझे अफसोस है कि एमीनेन्ट शब्द को गायब कर दिया। एमीनेन्ट एजूकेशनिस्ट किसी को मानते हैं पहले की जो रचना थी, पहले की जो परिभाषा थी, पहले का जो एक्सप्लेनेशन है, उसमें आपने क्या कमी देखी ? उसमें उन्होंने कहा, उसको हम एजुकेशनिस्ट मानेंगे। आप कम से कम यह तो बता देते कि एमीनेन्ट एजूकेशनिस्ट से एमीनेन्ट शब्द हटा दिया गया। एमीनेन्ट एजूकेशनिस्ट को लिया जायगा, नामीनेट चांसलर करेंगे और प्रक्रिया हम भी जानते हैं कि आपकी राय से करेंगे लेकिन किस तरह के एजुकेशनिस्ट को आप लेना चाहते हैं ? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय की शिक्षा का, उच्च शिक्षा का अवमूल्यन करने का एक षड्यन्त्र है इसके पीछे क्या भावना हो सकती है, यह तो माननीय शिक्षा मंत्री जी बताएंगे, मैं पाइंटेडली पूछना चाहता हूं। आपसे कि यह जो बिल है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं यह शिक्षा का विषय है.....

श्री उपाध्यक्ष : टाइम का लिहाज रखिये।

श्री कैलाश मेघवाल : टाइम का लिहाज है। टाइम के लिहाज से जो शिक्षा का और उच्च शिक्षा विषय है, ये बोल चुके

(श्री कैलाश मेघवाल)

है, माननीय सदस्य बोल चुके हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्या हमको बोलने का भी अधिकार नहीं देंगे। यह तो चिन्तन है, यहां पर चिन्तन होता है, इस के आधार पर समाज को दिशा मिलती है। आज क्या उच्च शिक्षा के साथ इस तरह का हस्तक्षप सरकारी पक्ष करना चाह रहा है। मैंने जैसा आपके द्वारा निवेदन किया है, माननीय शिक्षा मंत्री जी, आप बताएंगे कि पहले की स्थिति में स्टेट चांसलर के द्वारा नोमीनेटड एमीनेन्ट एजूकेशनिस्ट उठाने का जो प्रावधान था उस एमीनेन्ट एजूकेशनिस्ट की परिभाषा दे रखी थी; उसको आप एक करके और उसमें भी एमीनेन्ट को हटाकर क्या उच्च शिक्षा में शिक्षा नहीं रहने देना चाहते? वन एजूकेशनिस्ट, वह एजूकेशनिस्ट कौन होगा, उसकी परिभाषा की कल्पना आपको आज भी नहीं है। जब नहीं है तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं यह एक प्रक्रिया है, मैं बोल भी रहा हूं मुझे शक है कि यह तर्क के आधार पर यह समझ नहीं सकेंगे और यह जवाब देंगे, जिस तरह के जवाब देने के आदि हैं सरकारी पक्ष के लोग। विश्वविद्यालय के किसी भी प्लेटफार्म के एमीनेन्ट एजूकेशनिस्ट को चांसलर नोमीनेट करता था, उसके बजाय आपने एमीनेन्ट एजूकेशनिस्ट उस एजूकेनिस्ट की परिभाषा क्या है? आखिर आप क्या करना चाहते है? जैसा मैंने प्रारम्भ में कहा, विश्वविद्यालय शिक्षा के साथ आप हस्तक्षेप कर रहे हो, पहले ही बहुत गड़बड़ हो चुकी है। मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा पूछना चाहता हूं एक कारण दिया गया है, गड़बड़ हो गयी है, क्या है। आप इस बात की गारण्टी दे सकते हैं कि ये संशोधन लाने के बाद भी क्या गड़बड़ समाप्त हो जायेगी। आज जिस तरह का माहोल बन रहा है, उच्च शिक्षा की जिस तरह उपेक्षा की जा रही है, आज जिस तरह का राजनेतिक हस्तक्षेप किया जा रहा है, मुझको मालूम है, 1973 में जब एक बिल पास कराया गया था, उस समय यही एक माननीय शिक्षा मंत्री थे, आज पुस्तक लाया नहीं हूं जिसमें आपने यह कहा था कि कम से कम हस्तक्षेप करना चाहती हैं सरकार, वह तो नहीं है वह तो बाद में बतायेंगे; खेतसिंह जी जब शिक्षा मंत्री थे, तो उन्होंने क्या किया था? एक परिवर्तन। एक परिवर्तन कराने का कोई औचित्य नहीं है। इसके आधार पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उच्च शिक्षा के अन्दर कोई आपने परिवर्तन नहीं किया, सिवाय नोमीनेशन के; नोमीनेशन का भी जैसा बताया, पहले जो एक सिण्डीकेट थी, उसमें केवल 15 थे, आपने उसमें से 14 की गठित की पिछली साल। मैं निवेदन करना चाहता हूं, सारा नोमीनेशन आपका है और जिस तरह शक्ति विरोध है, एक व्यक्ति में शक्ति बढ़ने से विरोध में भी एक व्यक्ति, इसको भी मैं स्वीकार करता हूं। मैं सिण्डीकेट में रहा हूं उदयपुर विश्वविद्यालय में, और इसलिए मुझे मालूम है कि मैं उदयपुर विश्वविद्यालय में जब गया, जाने के बाद मुझे यह मालूम है, मेरे साथ माननीय अध्यक्ष थे, पूनमचन्द जी विश्नोई, विधानसभा की ओर से वहां और मुझको मालूम है, एजूकेशन कमिश्नर की चिट्ठियां आती थी और शिक्षा मंत्री के जो निर्देश आते थे, हम उसका डट कर विरोध करते थे। उस समय सारे सरकारी पक्ष के लोगों ने स्वीकारा कि विश्वविद्यालय की स्वायत्तता के अन्दर इस तरह

(श्री कैलाश मेघवाल)
शिक्षामंत्री का एजुकेशन कमिश्नर को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं, मान लीजिए, आप सारे सिण्डीकेट की रचना देख लीजिए, जब राष्ट्रीयकरण के अधिकार हैं, जब नोमिनेट और उसके बाद में विपक्ष में . . .

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक आदमी को स्वीकार करने को तैयार नहीं है तो मुझे फिर बोलना पड़ेगा, मैं उस वक्त बिल पर बोलूंगा । इस में बहुत कुछ बोलना है और इसलिए बोलना है, मैं जानता हूं, ये भी मालूम है कि बहुमत के आधार पर ये करेंगे लेकिन राजस्थान के इतिहास में शिक्षा की प्रगति की जो सुइयां आगे बढ़ चुकी थी, उनको वापस मोड़ने की कोशिश की जा रही है। ऐतिहासिक प्रक्रिया के आधार पर यह विश्वविद्यालय का ऐसा इश्यू नहीं है जो आज पैदा हो गया। हो सकता है आपने 46 में विश्वविद्यालय बनाया हो, लेकिन देश में विश्वविद्यालयों की प्रक्रिया बहुत पुरानी रही है, नालन्दा और तक्षशिला के विश्वविद्यालयों का हम उदाहरण देते आय हैं कलकत्ता विश्वविद्यालय, बम्बई विश्वविद्यालय उनकी याद दिलाते हैं। मुझे अफसोस है नालन्दा की तरह हमारे जैसे दूसरे विश्वविद्यालय जो यहां पनपें, उनमें जिस तरह स्वाधीनता की भावना फैली और तत्कालीन हुकूमत को उखाड़ फैंकने का विचार किया, उसको अंग्रेज हुकूमत ने भी कुचला नहीं था, अब विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय के चिन्तन को प्रतिबम्बित करना चाहते हैं, राजनीतिक अड्डा बनाना चाहते हैं, यह कैसी प्रवृति चल रही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं सरकार स्पष्ट कहने से क्यों डरती है, स्पष्ट कहे कि हम इस विश्वविद्यालय को अपने नीचे लेना चाहते हैं। स्पष्ट कहना नहीं चाहते और षड्यंत्रकारी तरीकों से, अप्रत्यक्ष तरीकों से राजस्थान की उच्च शिक्षा के साथ बलात्कार और हस्तक्षेप की नीति सरकार ने अपनायी है, उसका जवाब दिया जाय अन्यथा आपको मालूम है, अध्यादेश लागू हुआ है, पास भी होगा लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, यह दिन राजस्थान के उच्च शिक्षा के इतिहास में सबसे बड़ा काला दिन होगा, जब कि राजस्थान में विश्वविद्यालय शिक्षा को सरकार के एक विभाग के रूप में परिवर्तित करने का षड्यन्त्र किया जा रहा है इसीलिए इस अध्यादेश को अस्वीकार किया जाना चाहिए।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं बोल लिया।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती विद्या-पाठक !

श्री सी. पी. जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने भी नाम दे रखा है।

श्रीमती विद्यापाठक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जबसे कांग्रेस सरकार आयी है जनता पार्टी की सरकार के बाद सत्ता परिवर्तन हुआ है, कम से कम शिक्षा के क्षेत्र में प्रजातन्त्र के क्षेत्र में एक बड़ा अनफोर्चुनेट डवलपमेन्ट होना शुरू हो गया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चांसलर बर्खास्त और वाइस-चांसलर

(श्रीमती विद्या पाठक)

बर्खास्त। सरकार करना क्या चाहती है? सन् 1975 को रिवाइव करना चाहती है? एक मन्शा कम से कम स्पष्ट है कि शिक्षा के क्षेत्र में सन् 1975 को रिवाइव करना चाहते हैं। स्कूल खोले जा रहे हैं 1977 के आधार पर और उन्हीं 1977 के आदेश पर। इसी तरह विश्वविद्यालय का करैक्टर बनाया जा रहा है तो वह भी 1975 की प्रक्रिया पर। यह एक बड़ा अनफोर्चुनेट डवलपमेन्ट है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

(7.39 सायं)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष पदासीन)

अगर सरकार ने सोच ही लिया तो सरकार इस बात के लिए भी तैयार रहे कि अगर 1975 को रिवाइव होना है तो 1977 भी रिवाइव होना है। इसमें कोई शक नहीं है। एक इनएवीटेवल रिजल्ट यही होना है। शिक्षा के क्षेत्र में सभी क्षेत्रों की तरह अनडैमोक्रेटिक एप्रोच को फोलो किया गया है, इसलिए आर्डिनेंस आया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 45 दिनों के अन्दर विधानसभा के समापन होने के, इसकी कौनसी ऐसी इमर्जेंसी आ गई थी कि जैसा कि मेरे से पहले बोलने वाले माननीय सदस्यों ने कहा है। इसके अन्तर्गत इस संस्थाओं के जो डैमोक्रेटिक स्ट्रेक्चर को समाप्त करके इनको सब्जेक्ट करने की यह जो प्रक्रिया चालू हुई है, इसमें मंशा साफ है, जहां बुद्धिजीवी को वह सब्जेक्ट करना चाहते हैं वहां mortgaged elite को पैदा करना चाहते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह हमारी इस पीढ़ी के लिए ही नहीं, आगे आने वाली, भावी पीढ़ियों के लिए, पूरे देश और प्रदेश के लिए बड़े सोचने की बात है, बड़ी questionable विचित्र परिस्थिति है और अनफोर्चुनेट डवलपमेंट है। एक्ट के माध्यम से सिण्डीकेट के बैसिक करेक्टर को समाप्त किया जा रहा है, यह बहुत निन्दनीय बात है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, डैमोक्रेटिक सैट अप में, ऐसा लगता है, इनका काम चल ही नहीं सकता। किसी भी डैमोक्रेटिक सैट अप के साथ बड़ा अनकम्फर्टेबल फील करते हैं इसलिए यह जरूरत महसूस की गई। यह जो 1975 में यूनिवर्सिटीज का करेक्टर बदल दिया गया था, मनोवांछित निर्णय लेने की परिस्थिति पैदा कर दी गई थी विश्वविद्यालयों में, उस परिस्थिति को पुनः रिवाइव कर लिया जावे। इस सरकार की सारी इनर्जी इसी तरफ चैनेलाइज हो रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह यूनिवर्सिटीज को अफसरशाही की, सरकार की कठपुतली बना कर सरकारीकरण करना चाहते हैं इस से उनकी इलविल, पोलिटिकलाईजिंग इलविल बिल्कुल स्पष्ट निश्चित रूप से इंगित होती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एसी यूनिवर्सिटीज में कौन self-respecting वाइस-चांसलर आकर के काम करना चाहेगा। कौन इस तरह का सेल्फ रेस्पेक्टिंग टीचर कम से कम यहां रहने के लिये उत्सुक होगा और यहां रह कर स्वतंत्रता से, निर्भीकता से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकेगा? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इलेक्टेड.......

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष नहीं, अध्यक्ष महोदय हैं ।

श्रीमती विद्या पाठक : I am sorry. माननीय अध्यक्ष महोदय, इलेक्टेड बोडी को समाप्त करके यदि हम देखें कि originally एक्ट की स्प्रिट क्या थी, उसके बाद 75 में क्या करेक्टर चेंज किया गया, 77 में क्या करेक्टर चेंज किया गया है और अध्यादेश के माध्यम से ये क्या करना चाहते हैं तो स्पष्ट होगा कि जितने इलेक्टेड परसन्स हैं सिण्डीकेट में उनकी सख्या घटती रही है। मानतीय अध्यक्ष महोदय, और तो और स्पीकर के राइट को और डिस्क्रिशन को भी बाई पास किया जा रहा है ।अब एम. एल. एज और एमीनेंट एजूकेशनिस्ट ये थ्री पर्सन्स जो नोमिनेट करेगी, वह भी गवर्नमेंट ही करेगी । गवर्नमेंट नोमिनीज की संख्या बढ़ रही है । स्वयं आपके अधिकारों पर कुठाराघात हो रहा है । इस तरह से शिक्षाविदों के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है । सेवारत किसी का भी प्रोपर रिप्रेजेण्टेशन नहीं है । प्रिंसिपल स्टेट नोमिनेट करेगी । मैं यह पूछना चाहती हूं नोमिनेट करने के लिये कितनी तरह के कॉलेजेज हैं, यूनिवर्सिटी कालेजेज हैं, एफीलियेटेड कॉलेज हैं,कैम्पस कॉलेजेज हैं, प्राइवेट कॉलेजेज हैं। प्रिंसिपल्स का रिप्रेजेण्टेशन कौन करेगा ? माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ज्वलन्त प्रश्न है, माननीय मंत्री महोदय इतने तरह के प्रिंसिपल्स व उनकी विद्वता, योग्यता के बारे में समझते क्या हैं ? इनके साथ ब्यूरोक्रेसी काम कर रही है । उनको इसका ज्ञान क्या है ? यहां शिक्षाविद् ही इसके विषय में अपने निर्णय और स्वतन्त्रता से विचार दे सकते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने जो किया था कि दो टर्म्स से ज्यादा नोमिनेटेड पर्सन नहीं रहेगा दो बार से ज्यादा से नोमिनेटेड पर्सन नहीं होंगे, जो लोग होंगे एक्सेप्ट एक्स-ओफिसियों के, उनका टर्म तीन साल से ज्यादा नहीं होगा । आज यह स्पेसिफिक्ली बिल्कुल समाप्त कर दिया गया है । इसका मतलब यह हुआ कि जिसको नोमिनेट होना है····

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्या ।

श्रीमती विद्यापाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक दो मिनिट में बात समाप्त करती हूं ।

इसका मतलब यह हुआ कि वह इनकी टयून पर डांस करते रहे। इनके आगे खुशामद करते रहें । क्या आज के बुद्धिजीवी से आप यही अपेक्षा करते हैं और ऐसे ही बनाने की कल्पना करते हैं । यह बिल यूनिवर्सिटी को सबजेक्ट करके और प्रजातंत्र पर कुठाराघात करने बुद्धिजीवी का गला घोटने और भावी पीढ़ी के मानसिक दासता में डवलप करने के और मोर्टगेन्ड इटली का डवलप करने का यह षड़यंत्र हैं । 1975 को रिवाइव करने का, उन्हीं सिचुएशन को वापस लाने का षड़यंत्र है, यह बहुत निंदनीय है। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बार इनकी मेजोरिटी क्या आ गई उस बूट मेजोरिट के आधार पर क्या इन्हें परपीचुअल राइट मिल गए कि ये जो चाहें कर सकते हैं । माननीय अध्यक्ष महोदय, यह आपके लिए भी विचारणीय बात है माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा जिस सिद्धान्त को, प्रजातांत्रिक सिद्धान्त को लेकर हमारा देश चल रहा है, स्वायत्तता, विश्वविद्यालय की स्वायत्तता की जो महत्ता है क्या उसको समाप्त करने के लिए आप भी हमसे हा कहलवाना चाहेंगें ? यह आपके लिए और पूरे सदन के लिए, पूरे प्रदेश के

(श्रीमती विद्या पाठक)
लिए, विशेष तौर से बुद्धिजीवी के लिए एक बहुत बड़ा विचारणीय प्रश्न है और निन्दनीय है ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । अभी तो तीन विधेयक पारित करने हैं ।

श्री अध्यक्ष : पहले अध्यक्षीय व्यवस्था सुन लीजिए । मैं यह चाहता हूं कि दस बजे तक यह कार्य पूरा कर लिया जा । प्रत्येक विधेयक को एक-एक घण्टे का समय दिया जावे । इसमें तीन वाचन और एक आर्डिनेन्स के लिये चार वाचन एक तरह से हो जायेंगे । तो कृपया अपने भाषण उस हिसाब से सीमित करें । वरना जो समय निश्चित करेंगे उस समय में सभी प्रश्न पूछ लिए जायेंगे । यदि आप ज्यादा समय लेते हैं तो प्रथम वाचन, फिर दूसरा वाचन, तीसरा वाचन है । अगर आर्डिनेन्स में ज्यादा समय ले लेते हैं तो तीनों वाचनों में पूरा समय नहीं मिलेगा । मंत्री जी को भी उत्तर देना है । मैं समझता हू कि आर्डिनेंस पर पर्याप्त चर्चा हो गई । अब मंत्री जी से इसका उत्तर दिलवाया जावें ।

मंत्री महोदय !

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, जोधपुर विश्वविद्यालय की प्रशासनिक और शैक्षिक क्षेत्रों के बिगड़ते हुए कार्यकलापों की बाबत बार बार रिपोर्ट प्राप्त हो रही थी । राजस्थान विधान सभा में भी जोधपुर विश्वविद्यालय के कार्यकलाप पर और इसके सम्बन्ध में कई सदस्य महानुभावों ने चिन्तायें व्यक्त की थीं । इसके टेम्प्रेरी लेक्चरर्स की जो विशेष समस्यायें थीं उनके सम्बन्ध में बार-बार सदन में कह कर इसकी प्रशासनिक व्यवस्था और सिण्डीकेट को बदलने की बात कही गई ।

श्रीमन्, विश्वविद्यालय के तीन आवश्यक अंग हुआ करते हैं, छात्र, अध्यापक और कर्मचारी । जोधपुर विश्वविद्यालय में जहां एक ओर छात्र बार बार उद्दण्डता, अनुशासनहीनता की ओर अग्रसर हो रहे थे, दूसरी ओर अध्यापकों के विभिन्न गुटों के कारण से विश्वविद्यालय, जो एक सरस्वती का मंदिर हुआ करता है, जहां पर लोग विद्या ददाति विनयम्, विद्या विनयम शोभते, सीखने जाते हैं, वहां पर पढ़ने के लिए जाते है । में राजनैतिक उत्पातों के कारण विभिन्न विभागों के अध्यक्ष, विभिन्न प्राध्यापक आपस में राजनीति में एक तरह से मशगूल हो गए थे । तीसरी ओर कर्मचारी जो जोधपुर विश्वविद्यालय के थे उन्होंने भी आपस में राजनैतिक वातावरण इस तरीके से कायम किया कि वहां की प्रशासनिक व्यवस्था बड़ी बिगड़ गई थी । विश्वविद्यालय जहां एक ओर अच्छी शिक्षा देने के लिए आदर्श के रूप में बढ़िया शिक्षा के स्थल माने जाते हैं वहां पर पढ़ाई नाम की कोई चीज नहीं थी । समय पर परीक्षा होने के लिए खतरा था, अंदेशा था समय पर परीक्षा हो नहीं पा रही थी । शोध कार्य जो विश्वविद्यालय के द्वारा किये जाते थे उनकी स्थिति भी कोई अच्छी नहीं थी । पाठ्यक्रम भी विश्वविद्यालय में समय पर पूरे नहीं हो पा रहे थे । जोधपुर विश्वविद्यालय सिण्डीकेट की आकृति इतनी बड़ी कर दी गई थी कि समयबद्ध वार्ता का अभाव हुआ करता था । जो लोग इसमें भाग लेते थे वे स्वयं व्यक्तिगत कार्यों, उनका स्वयं का प्रमोशन कैसे हो, उनको व्यक्तिगत लाभ कैसे मिले और किस प्रकार से ज्यादा से ज्यादा वितीय लाभ विश्वविद्यालय से वे ले सकें, के लिए ज्यादा चर्चा करते

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

थे । विश्वविद्यालय की प्रशासनिक, वित्तीय और शैक्षणिक गतिविधियां कैसे सुधरें इस बारे में किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जा रहा था। इसी प्रकार से विश्व-विद्यालय की वित्तीय स्थितियां ऐसी थीं कि वित्तीय नियमों का बार बार उल्लंघन हो रहा था। जोधपुर विश्वविद्यालय में सुचारु रूप से काम चलाने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए और वहां पर अस्थायी व्याख्याताओं की स्थिति का, उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए यह महसूस किया गया कि सिण्डीकेट एक ऐसी मजबूत संस्था बने जो वहां की वित्तीय समस्याओं के बारे में शैक्षणिक समस्याओं के बारे में, प्रशासनिक समस्याओं के बारे में एक व्यवस्थित रूप से मजबूती के साथ निर्णय लेकर उनका क्रियान्वयन कर सके ।

श्रीमान, मैं आपको यह निवेदन करना चाहूंगा कि अस्थायी व्याख्याता पिछले सात वर्षों में···

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में, मंत्री महोदय ।

श्री बुलाकी दास कल्ला : 114 व्याख्याता अस्थायी रूप से इन सात वर्षों में लगाये गये। अभी कोटा से आने वाले माननीय विधायक जी ने जो यहां पर समस्याएं रखीं इन प्रश्नों का मैं इस तरीके से उत्तर देना चाहूंगा कि 45दिन में निम्न कारण बने जिसके कारण से यह अध्यादेश लाना पड़ा । आप स्वयं इस बात को महसूस कर रहे थे कि परीक्षा के दिन नजदीक थे, कर्मचारी हड़ताल की धमकियां दे रहे थे, वहां के अध्यापक राजनीति में मशगूल थे, और विद्यार्थी परीक्षाओं को आगे खिसकवाना चाहते थे, बार बार वाइस चांसलर पर दबाव डाला जा रहा था, ऐसी परिस्थिति में सिंडीकेट द्वारा प्रशासनिक तौर पर निर्णय लेने, मजबूती के साथ निर्णय का क्रियान्वयन करने के लिय यह महसूस किया गया कि सिंडीकेट में परिवर्तन किया जावे। सदन में जो आपने काम्पेक्ट एण्ड बिजनेस लाइक शब्दों को लेकर चिन्ता प्रकट की इससे आशय राज्य सरकार का यही है कि जोधपुर विश्वविद्यालय की प्रशासनिक व्यवस्था सुचारु और व्यवस्थित रूप से चले। आपने दो विधायकों के मनोनयन के बारे में जो स्पीकर महोदय के अधिकार की बात कही है, इसके बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि स्पीकर महोदय के अधिकार आज भी वैसे हैं. किसी भी विधायक का किसी भी संस्था में, किसी भी विश्वविद्यालय में जहां कहीं भी जिसका मनोनयन होता है, स्पीकर महोदय की पूर्व स्वीकृति ली जाती है और आज भी यह व्यवस्था कायम है कि मनोनयन से पूर्व स्पीकर महोदय की स्वीकृति इसके संबंध में ली जायगी। इससे पूर्व 1975 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, 1977 में यह प्रावधान किया गया था, 1981 में जो प्रावधान किया गया है, इस संबंध में मेरा यह कहना है कि स्पीकर महोदय की स्वीकृति के बिना इनका मनोनयन नहीं किया जायगा। पहले स्पीकर महोदय से मनोनयन के बारे में स्वीकृति ली जायेगी। जहां तक आपने विश्वविद्यालय की स्वायत्तता के बारे में प्रश्न पूछे हैं, मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं, 1977 में जो आपने विधेयक प्रस्तुत किया था, उसमें 10 के मनोनयन व 5 व्यक्तियों को इलेक्ट हेतु किया गया था। आज हमके वल 11 क मनोनयन का कर रहे हैं और तीन व्यक्तियों को इलेक्ट करने के लिये करने का कर रहे हैं।इससे किसी प्रकार की

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

स्वायत्तता में कोई कमी नहीं आयेगी। जहां तक रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स के बारे में प्रश्न उठाया है, मैं कहना चाहता हूं एक विश्वविद्यालय में जहां तीन-तीन विद्यार्थी इलेक्ट होकर आयें तो निश्चित रूप से जिस भी विश्वविद्यालय का यह उद्देश्य होता है समय पर परीक्षा लेना, परीक्षा के दौरान परीक्षा की सफल क्रियान्विति करना, समय पर रिजल्ट निकालना, वहां निश्चित रूप से परीक्षाओं और विश्वविद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियों को चोट पहुंचाने के लिए राजनैतिक दवाव डालने की कोशिश करते हैं। इस मंशा से हमने यह भी महसूस किया कि विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान करने के लिए एक व्यक्ति चुन कर आ जाव तो बहुत है।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए, मंत्री महोदय, पर्याप्त है, माननीय सदस्य संतुष्ट हो गये।

श्री बुलाकी दास कल्ला : हम शिक्षाविदों को इसमें ले रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो कोटा से आने वाले माननीय विधायक ने प्रस्ताव रखा है उसको निरस्त किया जाये और महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा जारी अध्यादेश को पारित करके बिल के रूप में पेश करने की यहां पर इजाजत दी जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि यह सदन श्रीमान राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 19 मई, 1981 को प्रख्यापित जोधपुर विश्वविद्यालय (संशोधन), अध्यादेश 1981, (अध्यादेश संख्या–1, सन् 1981) को अस्वीकार करता है

(ध्वनी मतदान)

अनेक माननीय सदस्य : ना पक्ष की तो आवाज नहीं आयी।

श्री अध्यक्ष : दुबारा पूछ लेता हूं।

प्रश्न यह है कि यह सदन श्रीमन राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 19 मई, 1981 को प्रख्यापित जोधपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1981 (अध्यादेश संख्या -1 सन् 1981) को अस्वीकार करता है।

(अस्वीकृत)

परिनियत संकल्प अस्वीकार किया गया।

इस संबंध का प्रस्ताव, कि इस विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये।

दूसरा प्रस्ताव। इस प्रस्ताव को प्रस्तुत नहीं किया गया। यह प्रस्ताव कि इस विधेयक को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय। संक्षेप में, पांच मिनट।

विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का संशोधन प्रस्ताव

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि जोधपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1981 को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह में प्रस्तुत करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा उप-मंत्री महोदय की जो दलीलें सुनी हैं, मुझे सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ, थोड़ा सा तरस भी आया एक तरफ उन्होंने विश्वविद्यालय के प्रत्येक कांस्टीट्यूएंट्स को सर्टिफिकेट दे दिया, सारे

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)
विद्यार्थी अनुशासन हीन हो गये थे, हड़ताल चल रही थी,.....

श्री चन्दन मल बैद : आपनें करा दी ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : स्वयं के लाभ प्राप्त करनें के लिये केवल मात्र शिक्षक प्रयत्नशील थे; वित्तीय स्थिति ऐसी हो गई थी कि जो सिंडीकेट थी, उसको संभालने की स्थिति में नहीं थी । अस्थायी व्याख्याता सात वर्षों से चले आ रहे थे । उन्होंने सबको सर्टिफिकेट दे दिया है । एक तरफ उन्होंने भलाई की बात की । विश्वविद्यालय में विद्यार्थी रहते हैं, शिक्षक रहते हैं, मैं कर्मचारियों को उसका भाग नहीं मानता, विश्वविद्यालय का संबंध समाज और जनता रहता है । शिक्षा की रीति नीति निर्धारण में उनका सहयोग करता है । उन्होंने इस बात को कहते हुए कहा, इसलिए यह जो सिंडीकेट थी, इसको बदल कर दूसरी सिंडीकेट रखी है । अगर उनके यह उद्देश्य थें, इन उद्देश्यों के साथ निश्चित रूप से मेरी सहमति थी । कुछ विद्यार्थी अनुशासनहीन हैं, उनको समाप्त किया जाना चाहिये । उन्होंने सर्टिफिकेट दे दिया सारे शिक्षक वे केवल मात्र अपने पैसों को बढाने की दृष्टि से प्रयत्नशील थे । कुछ थे, तो निश्चित रूप से उनके ऊपर अंकुश लगाने की आवश्यकता है । किन्तु उसके लिए अध्यादेश लाये हैं, इसके अलावा कुछ नहीं समझाया ,कोई तर्क नहीं दिया । जो सिंडीकेट पहले थी, आज सिंडीकेट बनाने जा रहे हैं अध्यादेश के द्वारा उसको बदल कर, तो इस प्रकार की स्थिति यदि थी कुछ लोगों में, जैसा उन्होंने कहा तो कुछ लोगों में सदा रहती है, आज है, कल थी, कल रहेगी, होती रहेगी । क्या हो रहा है, जयपुर विश्वविद्यालय का किस्सा आयेगा तब सारी बातें बताऊंगा । मैं कहना चाहता हूं, केवल छोटा सा परिवर्तन करते, इस एक्ट में बदलाव करते और कानून बनाते, और जो आपके मनमें मंशा है, मंशा को पूरा करने के लिये उस कानून का उपयोग होता । लेकिन आपनें मंशा तो क्या बतायी सिंडीकेट का पुनर्गठन । वैसे आपने अपने भाषण में कहते कहते कह दिया हम पुनर्गठन मानते हैं ना, हम सिंडीकेट बदलना चाहते थे, सच है सच निकलता है तो आदमी के मुंह से आराम से निकल जाता है । सिंडीकेट बदलना चाहते थे, कुछ ऐसे लोग थे, जो आंखों में खटकते थे,

श्री चन्दनमल बैद : आपने भी बदली थी ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : बदली थी किस नाते से मैं बताऊंगा । उस संशोधन को लाकर मैंने बताया, देखने की कोशिश करें ।

(व्यवधान)

माननीय मंत्री जी, मेरे तर्कों का जवाब दें केवल इधर उधर की बाते न करें । मैंने कहा था ड्यूरिंग इमर्जेन्सी, जैसा उन्होंने कहा कि काम्पेक्ट छोटा करने की बात । जनता पार्टी का इससे पहले का जो एक्ट है, जनता पार्टी के समय के पहले का . एक्ट है उसमें 15 सदस्य है, आज 14 सदस्य रह गये है । कौन सा स्तर ले आये आप ? ले आते तो हमें समझ में आता । 15से 14था तर्क तो बताइये मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें क्या है।पहले वाइस चांसलर भी सदस्य थे अभी भी है,

Two deans nominated by Vice Chancellor in rotation.

पहले था बाई रोटेशन । अब क्या हो गया है

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

Two Deans nominated by the Vice Chancellor from amongst the Deans, रोटेशन से नहीं, दो साल नहीं, लगातार कोशिश करते रहे हैं, वे चाहते हैं कि लगातार एक ही व्यक्ति बना रहे। रोटेशन को खतम कर दिया, उद्देश्य पूरा हो गया अनुशासन का निर्माण हो जायेगा रोटेशन के कारण। हर दो साल के बाद नया डीन आयेगा रोटेशन के हिसाब से। माननीय मंत्री महोदय इसका जवाब देने की कोशिश करेंगे —

Two University Professors nominated by the Vice Chancllor पहले था Two eminent educationists to be nominated by the Chancellor.

सक्सेशन में दो प्रोफेसर्स नोमिनेटेड चलते रहे। अब नहीं होंगे जो हम करते रहे हैं। जो अपने मन के हैं उनको नोमिनेट कर दिया। उन्हीं को बना के रखा जाय सिण्डीकेट को कामपेक्ट बना कर इन सब उद्देश्यों की पूर्ति करना चाहते थे आप चाहते थे। डिजोल्व हो जाय चौथी केटेगरी है।

Two persons nominated by the....

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में, माननीय सदस्य

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मैं कहना चाहता हूं, प्रत्युत्तर तो मिलना चाहिये, अध्यक्ष महोदय, इन तर्कों का। माननीय मंत्री महोदय ने खड़े होकर कारण बता दिये। उन कारणों की पूर्ति इस एक्ट से सिंडीकेट के फार्मेशन से कैसे होगी, यह समझाने का कष्ट करें। उन्होंने कह दिया, मैं कहना चाहता हूं, कैसी लचर दलील थी कि स्पीकर साहब को अब भी आवश्यक रखा गया है, स्वीकृति के लिये जायगा। पहले तो नोमिनेट करेंगे आप। इस सारे विधान सभा में से दो आपके मंत्री लोग भेजेंगे। अब सरकार पहले नाम प्रस्तावित करेगी। आप क्या बोलेंगे कि सरकार ने प्रस्तावित कर दिया है इसलिये सहमति देनी होगी। यह कांग्रेस के सोचने का ढंग है। आपने बहुत अच्छी लचर दलील दे दी कि सहमति देनी पड़ेगी। पहले नाम भेज दो। सहमति स्पीकर को देनी ही होगी उनको मोहर लगाने का रबर स्टाम्प बनाना चाहते हैं। आप स्पीकर महोदय को। मैं कहना चाहता हूं स्पीकर महोदय को प्रतिबंधित करना चाहते हैं आप। मैं कहना चाहता हूं एक स्पेशल तरीके से करने की कोशिश की है। मैंने आपको सीनेट के बारे में उस समय कह दिया था। मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, जो उद्देश्य लिखे हैं और जो नये कारण बताये हैं मेरी कारणों से सहमति है। इस प्रकार का बिल लाये हैं आप, बहुत अच्छा लाने की कोशिश करी है किन्तु इस संशोधन से कैसे क्या हो जायगा, कुछ बुद्धि के तरीके से समझने की कोशिश कीजिये। मैं भी कालेज में प्रोफेसर रहा हूं, आपको भी प्रोफसर रहने का मौका मिला है उस नाते से कुछ समझिये ताकि हमारे भी गले उतर सके। केवल झूठी मेजोरिटी के आधार पर पास करवाना चाहते हैं तो हम को कुछ कहना नहीं है। आप तो चाहते हैं लोगों के हितों को खतम कर दें वह करने की आपकी कोशिश है नोमिनेटेड लोगों को बढ़ाने की कोशिश है, इलेक्टेड लोगों को कम करने की कोशिश है।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि कमेटी जल्द बाजी न कीजिये। एक सलेक्ट 7 दिन के लिये कर रेफर दीजिये जिसमें एक्सपर्टस आपके लोग हों, हमारे लोग भी हों और

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

एजूकेशनिस्ट विचार करने बैठें, आपके मन में भी भावनाएं हैं हमारी भी भावनाएं हैं जो पूरी होगी सो होगी। इस पर विचार करें, कल्ला जी, फिर विधान सभा के समक्ष ले आवें। यही मैं आपसे निवेदन कर देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री मंत्री महोदय।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने नयें एक-दो पाइन्ट उठाये हैं। बाकी पर मैं बोल चुका हूं। एक तो उन्होंने रोटेशन के बारे में अपनी चिन्ता व्यक्त की है। इस संबंध में मेरा यह कहना है कि अभी जो प्रावधान किया गया है उसमें भी इन लोगों का मनोनयन होगा वह दो टर्म से ज्यादा नहीं रहेगा। इसलिये स्थाई मनोनयन नहीं होगा।

दूसरी चिन्ता मनोनयन के बारे में उन्होंने की है, हम लोग उसमें शिक्षाविदों.....

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मुख जबानी नहीं, पढ़ कर बतायें कहीं लिखा है तो बताइये।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मनोनयन शिक्षाविदों का करने जा रहे हैं न कि और दूसरे लोगों का। प्रिंसिपल का मनोनयन होगा, शिक्षाविदों का होगा और वे शिक्षा शास्त्री होंगे जिनकी निश्चित रूप से विश्वविद्यालय की सेवायें होंगी, अनुभव होगा। इसलिये इस बात की शंका आपको कतई नहीं करनी चाहिये कि विश्वविद्यालय में मनोनयन किया जायगा उसमें किसी भी प्रकार का राज्य सरकार का हस्तक्षेप होगा। मनोनयन शिक्षाविदों का करना, मैं समझता हूं, विश्वविद्यालय के हित में रहेगा। इसलिये, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि जो प्रस्ताव माननीय ललित किशोर जी ने रखा है उसको निरस्त किया जाय और विधेयक विचारार्थ लेने की अनुमति दी जाय।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : कौन-सा रखा है ?

श्री बुलाकीदास कल्ला: प्रवर समिति के लिये जो प्रस्ताव रखा है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि जोधपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1981 को प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का जो संशोधन प्रस्ताव रखा हैं उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

विधेयक पर विचार

प्रश्न यह है कि जोधपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1981 को विचारार्थ लिया जाय।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं फर्स्ट रीडिंग में बोलूंगी।

श्री अध्यक्ष: नहीं, विचारार्थ का प्रस्ताव पहले आ गया अब खण्डशः विचार होगा। ऐसा है विचारार्थ लिया जाय उसमें संशोधन पर आप बोल सकती हैं। उसके बाद पारित किया जायगा उस समय जिन्होंने संशोधन दिये हैं वे बोल सकते हैं। आप मूव कर दीजिये। यह बोल देंगे। लेकिन पहले तो विचारार्थ लिया जायगा। इस पर हां नां करवानी पड़ेगी।

प्रश्न यह है कि जोधपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 1981 को विचारार्थ लिया जाय।

(श्री अध्यक्ष):

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

विधेयक पर खण्डशः विचार

खण्डशः विचार । खण्ड-2 ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी ।

श्री सी. पी जोशी: अध्यक्ष महोदय, हम कब बोलेंगे ?

श्री अध्यक्ष: आर्डर प्लीज ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय महोदय, क्लाज 2 में मैं संशोधन प्रस्ताव करता हूं-

'In clause two add the words by 'rotation' for the words 'recognised colleges' occurring at the end'.

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करनाचाहता हूं कि प्रभारी मंत्री महोदय ने अपने उत्तर के समय इस बात की चर्चा की थी, इसमें बाय रोटेशन है । मुझे देखने के बाद यह नहीं लगा । यह संशोधन प्रस्ताव मैंने क्लाज में रखा है। क्लांज 2 इस प्रकार है:-

'Two persons nominated by the Vice-Chancellor from amongst the Deans of Faculties or the Deans or Directors of the constituent colleges or recognised colleges.

मैंने प्रस्ताव रखा है अन्त में रिकोग्नाइज्ड कालेजेज के बाय रोटेशन जोड़ दिया जाये । अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा बाय रोटेशन जोड़ने के पीछे मेरा मन्तव्य यह है कि जो दो पर्सन्स नामिनेट करने का अधिकार वाइस चांसलर को है, डीन आफ फैकल्टीज और डीन और डाइरेक्टर्स में से मान लें एक सदस्य बहुत समय तक रह जाय तो सड़ने लगता है। एक व्यक्ति लगातार एक ऐसी एक्जीक्यूटिव पोस्ट पर लगातार रहे तो वेस्टेड इन्ट्रेस्ट डवलप हो जाते हैं। जो मन्तव्य है, जिन उद्देश्यों की चर्चा सारे विश्वविद्यालय के फंक्शन में निहित है, चाहे विद्यार्थी का लाभ हो, चाहे शिक्षक का लाभ हो, चाहे विश्वविद्यालय का लाभ हो, चाहे जनता या समाज का लाभ हो, विश्वविद्यालय की शिक्षा से सम्बन्धित हो, रोटेशन होता रहे उनमें तो उनका बहुत उपयोग होगा । वैसे तो इन्होंने अपने भाषण में बहुत अच्छा कहा, इसका मतलब है इन्होंने मेरे मन्तव्य को स्वीकार कर लिया है, इनका इन्टेशन भी वही है जो हम चाहते हैं । प्रभारी मंत्रीजी अच्छे हो सकते हैं, चन्दनमल बैद अच्छे हो सकते हैं। आपके मन की जो भावना है उसका उपयोग शायद रोटेशन में करें किन्तु कभी मौका आयेगा, दूसरे शिक्षा मंत्रीजी आयेंगे तो यह एक्ट इस प्रकार का अधिकार नहीं देगा । आपके मन के इन्टेशन को देखते हुए, विश्व विद्यालय के भविष्य को देखते हुए बाय रोटेशन क्यों हटाया जाए, इसके पीछे क्या प्रयोजन है? तीनों विश्वविद्यालय में बाय रोटेशन हैड आफ दी डिपार्टमेन्ट बनाने में, मैं जानता हूं, राजस्थान का शिक्षा विभाग पिछले चोर दरवाजे से यह प्रयत्न कर रहा है, हैड आफ दी डिपार्टमेन्ट बाय रोटेशन बन रहे हैं, दो साल में हो जाते हैं इस प्रक्रिया को बदलना चाहते हैं । डिक्टेटोरियल तरीका है, सोचने का ढंग है । इसलिये जैसा प्रभारी मंत्रीजी ने अपने भाषण, उत्तर में

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

कहा था, मैं समझ चुका हूं शायद आप मेरे प्रस्ताव से, क्लाज दो में संशोधन है उससे सहमत हैं। आपके मन की भावना बिलकुल ठीक है किन्तु यह तभी होगा जब यहां पर बाय रोटेशन लिखा जायगा। इसलिये इस संशोधन को रख कर मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि मेरा संशोधन स्वीकार करें। पता नहीं इनके मन में क्या है? क्या चाहते हैं? क्या सोचते हैं? क्या समझते हैं। यह वही जानें या भगवान जाने।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय।

श्री बुलाकीदास कल्ला : रोटेशन के बारे में कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात बतायी है इस संबंध में मेरा यह कहना है कि मनोनयन ऐसा हो जो वाइस चान्सलर को, सिन्डीकेट को मजबूती के साथ, कानफिडेन्स के साथ, विश्वविद्यालय की जो शैक्षणिक और प्रशासनीय नीतियां हैं उनका क्रियान्वयन करने में मदद दे। इसलिये यह रोटेशन का शब्द जो इन्होंने इस क्लाज में एड करने की बात कही है इसे मैं नहीं मानता हूं। जो मूल रूप में संशोधन प्रस्ताव विधेयक में हम ने रखा है उसके बारे में आपसे निवेदन करता हूं कि इसको पास किया जाय और इसमें बाई रोटेशन का माननीय ललितकिशोरजी ने संशोधन प्रस्ताव रखा है उसको निरस्त किया जाए।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : समझावें तो सही। तर्क दें।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 2 में प्रस्तावित संशोधन, स्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

खण्ड 2 में संशोधन अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड दो को स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 स्वीकार किया गया।

खण्ड 3, 4 में कोई संशोधन नहीं है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मेरे पास है। मेरे पास छपा हुआ आपके यहां से आया है।

श्री अध्यक्ष : खण्ड 3, 4 में कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि खण्ड 3, 4 को स्वीकार किये जाये?

(स्वीकृत)

खण्ड 3, 4 स्वीकार किये गये।

खण्ड एक अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना नाम आदि।

प्रश्न यह है कि खण्ड एक, अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना, नाम आदि स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड एक, अधिनियमन, सूत्र, प्रस्तावना नाम आदि स्वीकार किये गये।

पारित करने का प्रस्ताव।

विधेयक का पारण

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

जोधपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1981 को पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री सी० पी० जोशी (नाथद्वारा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जोधपुर विश्वविद्यालय और राजस्थान के अन्य जो दो विश्वविद्यालयों की एक्जीक्यूटिव बाडी के कम्पोजीशन में जो चेन्ज किया है मैं सबसे पहले सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय की सिचुएशन के अनुसार यूनिवर्सिटी की एकेडेमिक एक्टिविटी को कन्ट्रोल करने के लिए एग्जीक्यूटिव में प्रोविजन किया गया है और एक्टिविटीज के अनुसार बोर्ड आफ कन्ट्रोल की सारी पावर एक्जीक्यूटिव बाडी या सिन्डीकेट को डेलीगेट की गयी है। भूतपूर्व शिक्षा मंत्री और अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने दो आपत्तियां उठायी कि यह जो सिंडीकेट का प्रारूप बदला है वह पूरा नहीं हो पायेगा। मैं बड़े विनम्र शब्दों में निवेदन करूंगा डिटेल में तो मैं उदयपुर विश्वविद्यालय के बारे में बोलूंगा। इस पर मैं कहना चाहूंगा कि जहां आप विश्वविद्यालय की सहायता की बात करते हैं तो विश्वविद्यालय की सहायता सैशनल एक्टिविटीज से किसी भी रूप में अलग नहीं हो सकती है। यदि विश्वविद्यालय की सहायता का मतलब यही है कि किसी विश्वविद्यालय की एकेडेमिक कमेटी और सिंडीकेट है उसका फंक्शन एक्टिविटीज को कन्ट्रोल करना है। उसकी इस तरह की क्षमता बन जाय कि प्रिएम्बल में समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र के जो हमारे मूलभूत सिद्धान्त हैं उनकी पूर्ति कर सके। लिए यदि सहायता की आड लेकर राजस्थान की सरकार और कांग्रेस केवल मूकदर्शक रह जाय और उसका जो कम्पोजिशन है उसको बिजनेस नहीं बनायें तो विश्वविद्यालय की हालत बहुत ही दयनीय हो जाएगी। इस बात को सरकार में बैठने वालों को और माननीय सदस्यों को बहुत गम्भीरता से सोचना चाहिए क्योंकि जो हालात सन् 1962 से 1977 तक ये जब शासन कांग्रेस के हाथ में था तब ऐसी हालात नहीं थीं कि सरकार ने विश्वविद्यालय द्वारा सहायता में कमी की गयी हो लेकिन दुर्भाग्य से या सौभाग्य से जो केडरलैस पार्टी आयी उसका अपना अस्तित्व ही इस बात का था कि शिक्षा में इन्टरफियर करके उसको इनफ्लुएंस करे। ऐसे हालात हमारे यहां पर सन् 77 में बने और कुछ वेस्ट बंगाल में हुए। यह इस बात का द्योतक है कि कांग्रेस का धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और लोकतन्त्र में विश्वास था और उसके लिए हमने 1962 से 1977 तक यह प्रयास किया कि विश्वविद्यालय की सहायता बदस्तूर जारी रहे, उनको स्वतन्त्रता दी जाए। लेकिन स्वतन्त्रता का अभिप्राय शिक्षकों, छात्रों और कर्मचारियों ने नहीं समझा। आज हमारे जो धर्मनिरपेक्ष मूल्य हैं लोकतन्त्र की जो भावनाएं हैं, समाजवादी विचार हैं उनकी स्थापना करने के लिए आज इसका पुनर्गठन किया गया है। मैं यह समझता हूं, यह कहा गया कि इसमें रोटेशन पद्धति क्यों नहीं की गयी है। शायद तत्कालीन शिक्षा मंत्री को यह मालूम नहीं है कि रोटेशन पद्धति तीनों विश्वविद्यालयों में समान रूप से लागू नहीं है। जोधपुर विश्वविद्यालय में तो यह रोटेशन पद्धति लागू ही नहीं है। वे यह बात करते हैं, रोटेशन की बात करते हैं आप यह

(श्री सी. पी. जोशी)

बात करते हैं कि इसमें रोटेशन के खिलाफ यह एड किया गया है तो यह इसलिए आवश्यक है कि वाइस चांसलर को यह छूट होनी चाहिए कि वह स्वतंत्र रूप से किसी आदमी को सलेक्ट करे। यहां यह माननीय सदस्य ने निवेदन किया कि ग्रेजुएट्स कान्सीट्यून्सी के दो आदमियों को डेप्राइव किया गया है। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि सारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज कोई भी विश्वविद्यालय जब स्टेट से डिराइव करता है। उस में बहुत बड़ी मूलभूत आवश्यकता इस बात की है कि विश्वविद्यालय के सरकार से अलग ही रिसोर्सेज हों, जिसमें सरकार का शेयर भी हो।

जहां स्पीकर के द्वारा नोमिनेशन का सवाल है माननीय अध्यक्ष महोदय इस बात को जानते हैं कि स्पीकर ही नोमिनेट करता है। जो तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे उनके विचार ऊंचे हैं, अच्छे हैं, उन्हें शिक्षा मंत्री की हैसियत से कुछ नाम दिये होंगे और हो सकता है कि तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने उनको रिकमंड नहीं किया हो। कुछ इस तरह का रहा हो तो बात अलग है। वैसे सरकार में यह मान्यता है कि स्पीकर और सरकार के बीच में कोई मतभेद नहीं होता है। मूलभूत रूप से जोधपुर विश्वविद्यालय की जो स्थिति है और जिस ढंग से अपने तत्कालीन एग्रीकल्चर कमिश्नर जो हैं जिन्होंने विश्वविद्यालय चलाया है उनको अनुभव है और मंत्री महोदय खुद भी इस बात को जानते हैं कि विश्वविद्यालय के इस रूप को बदलने के पीछे मंशा यही है कि बिजनेस लाइक हो एजूकेशन इम्पार्ट करे, उस एजूकेशन का स्तर अच्छा रहे, इन आधारों पर ही इसका पुनर्गठन किया गया है। इसके साथ साथ यह भी आवश्यक है कि जो 1977-80 तक राजनीतिकरण हमारी जो तत्कालीन सरकार ने कर दिया है उस सरकार के राजनीतिकरण को पुनर्गठन के आधार पर ही रोका जा सकता है। मैं यह समझता हूं कि हमारी पुनर्गठन की जो मंशा है उस मंशा की पूर्ति तभी होगी जब स्वायत्तता के साथ एकाउंटेबिलिटी हो, गवर्नमेंट के साथ उसका रेपर्ट रहे-ये तीन मुख्य-मुख्य आधार इसके हो सकते हैं। स्वायत्तता का मतलब यह नहीं है कि हमने कह दिया कि भयमुक्त वातावरण है। मैं समझता हूं कि इसके पीछे हमारा जो उद्देश्य है वह पूरा हो और हम यह उम्मीद करते हैं कि इस पुनर्गठन के बाद में हमारे विश्वविद्यालय में सुधार होगा। यह हमारी नीति है। तीन साल में जिन्होंने इस पर कुठाराघात किया उनके लिये यह विधेयक अच्छा नहीं है।

(व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, एक बात आप भी चाहेंगे कि यह थर्ड रीडिंग है इसमें वापस उन्हीं मुद्दों को न उठाया जाय। लेकिन मैंने पहले जो मामले उठाये थे, जिन मुद्दों को रखा था मैं समझता हूं मंत्री महोदय ने मेरे प्रश्नों का कोई जवाब नहीं दिया है।··

श्री अध्यक्ष : अब वापस आप उन प्रश्नों को नहीं उठायेंगे।

श्री कैलाश मेघवाल : वह तो वापस नहीं उठाये जायेंगे। पर उस समय कुछ रह गये थे वह तो उठा लूं?

श्री अध्यक्ष : समय का ध्यान रखें, माननीय सदस्य। समय की सीमा है।

एक माननीय सदस्य : खूब बोल लो।

श्री अध्यक्ष : अच्छा आप दो मिनट बोल लें ।

श्री कैलाश मेघवाल : एक काम करें। दो मिनट में क्या बोल पायेंगे, आप जानते हैं इस बात को और मैं भी जानता हूं ।

श्री अध्यक्ष : दूसरे विश्वविद्यालय का आ रहा है उस पर आप बोल लेना ।

श्री कैलाश मेघवाल : वह तो ठीक है। मैं यह निवेदन कर रहा था कि विश्वविद्यालय के बारे में चर्चा चल रही है उसके आधार पर कुछ तर्क आ रहे हैं। मेरा निवेदन करना यह है माननीय उप-मंत्री क्षमा करें, प्रिंसिपल्स को नोमिनेट करेंगे, प्रिंसिपल्स को आपने रखा नहीं है सिंडिकेट में। पुराने सिंडिकेट में प्रिंसिपल्स नोमिनेट होते थे। अभी मुझे पता नहीं है कि कौनसा काम किया जिसके आधार पर विश्वविद्यालय का एक जो ढांचा खड़ा होता है उसमें विश्वविद्यालय के कान्स्टीटूएंट कोलेजेज हैं दूसरे एफिलियेटेड कालेजेज हैं पहले जो सिडिकेंट में प्रिंसिपल्स नोमिनेट करने का एक प्रावधान था आपने नये सिंडिकेट में उन प्रिंसिपल्स को ही निकाल दिया। दूसरा, अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि प्रिंसिपल्स को निकाला तो निकाला एक बात और कही गयी थी दो विधायकों को स्पीकर ही नामीनेट कर सकता है अगर ऐसा है तो यह मेरी समझ में नहीं आता है कि यह नामिनेशन का अधिकार आपने सरकार के हाथ में क्यों लिया? अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह आसान बात नहीं है स्पीकर विधान सभा के द्वारा · · ·

श्री अध्यक्ष : पहले कहा जा चुका है ।

श्री कैलाश मेघवाल : पहले नहीं कहा गया है । यह फिलोसोफी निवेदन करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : इसका उत्तर दे दिया है।

श्री कैलाश मेघवाल : यह फिलोसोफी की बात है इसका क्या उत्तर दिया है, अध्यक्ष महोदय ?

अगर इस स्थिति को आप मंजूर करते हैं तो, अध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ नहीं कहना है। क्या यहां प्राइमरी स्कूल की तरह से जवाब दिये जा रहे हैं। आपने कह दिया कि उत्तर आ गया है, मैं निवेदन करने जा रहा था कि विधान सभा के अध्यक्ष के द्वारा दो विधायकों के मनोनयन की बहुत अच्छी परम्परा बनने जा रही थी। इसलिये कि विश्वविद्यालय स्वायत्त शासी केन्द्र है और विधान सभा के अध्यक्ष के द्वारा इस विधान सभा का विधायक वहां पर प्रतिनिधित्व कर सकें इसलिये इस विधेयक में विधान सभा के स्पीकर के द्वारा सदस्यों का मनोनयन करने की फिलोसोफी डवलप की गयी थी । माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन कर पूछना चाहता हूं कि यह जो आपके अधिकार में दिया गया था कि· · ·

श्री अध्यक्ष : मेरे माध्यम से मंत्री महोदय को कह सकते हैं ।

श्री कैलाश मेघवाल : तो मैं आपसे ही सीधा सवाल कर रहा हूं it tantamounts to address to

Page No 192

192

(श्री कैलाश मेघवाल)

minister. आपने अध्यक्ष के कार्यकाल में सरकार के किसी प्रस्ताव से असहमति व्यक्त नहीं की, मेरा ऐसा मानना है। मैं कहना चाहता हूं कि विधायक के रूप में कर्तव्यपालन में बाधा उपस्थित नहीं हो केवल इसलिये सहमति हेतु भेज दिया जाता है। बिल्कुल विपरीत स्थिति है इस लिये मैंने यह सीधा सादा सवाल पूछा है कि पहले वाली जो सिंडीकेट थी उसमें two eminent educationists थे उसका जवाब मंत्री महोदय ने नहीं दिया इसलिये मैंने चन्दनमल जी से पूछा कि आखिरकार वह रेलेवेण्ट है। इसको अमेंड करने से और एमीनेण्ट एजुकेशनिस्ट जब आपने दो व्यक्तियों को करने के लिये लिख दिया है ...

श्री अध्यक्ष : आजकल एमिनेंट एजुकेशनिस्ट मिलते कहां हैं ?

श्री चन्दनमल बैद : मोस्ट एमीनेंट एजूकेशनिस्ट, एमिनेंट एजूकेशनिस्ट और एजूकेशनिस्ट इन तीनों में फर्क क्या है ? All are same thing.

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : डेफिनेशन दे रखी है।

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, फर्क क्या है। मुझे अफसोस है कि वह शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं जिस शिक्षा मंत्री एमिनेंट एजूकेशनिस्ट शब्द का पहले प्रयोग किया था जब पहले सन् 1977 में संशोधन का बिल लाया गया था। केवल इमर्जेन्सी की बात न करें। यह आपके वक्त में हुआ था या खेतसिंहजी के वक्त में हुआ। हां, खेतसिंह जी के वक्त में हुआ था।

श्री चन्दनमल बैद : किस समय की बात है यह भी पता नहीं है ?

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि खेतसिंहजी के समय की बात है, 1974, की उस समय खेतसिंहजी, सिंडीकेट में विद्यार्थियों को प्रतिनिधित्व देने का था तो आप जोधपुर और उदयपुर में क्यों नहीं दे रहे हो ? तो खेतसिंहजी कहते हैं, इसके लिए यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि सिन्डीकेट की सिफारिशें आ जाती और वाइस चान्सलर्स लिख देते तो यह स्थिति नहीं होती। यदि हम सीधा बिल लाकर करते तो यूनिवर्सिटीज की आटोनोमी पर आघात होता। माननीय सदस्य भी नहीं चाहेंगे कि विश्वविद्यालयों की आटोनोमी में दखल दिया जाय। वाइस चान्सलर्स आफ उदयपुर और जोधपुर यूनिवर्सिटीज को लिखा था कि आप इस प्रश्न को सिन्डीकेट में रखें और उसके द्वारा पारित करने के बाद हमको पत्र द्वारा सूचना कर दें। वे पत्र अभी प्राप्त हुए हैं, इसलिए निकट भविष्य में ही इसके लिए भी उचित कार्यवाही की जायेगी। एक यह पत्र है। माननीय अध्यक्ष महोदय, विश्वविद्यालय की आटोनोमी, जो पवित्रता है, अभी नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने जिसकी बात कही उसी को कोट करना चाहता हूं। यह प्रवृत्ति चल रही है, जैसे आज के विचार चल रहे हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संवैधानिक व्यवस्था है उस संवैधानिक व्यवस्था में विश्वविद्यालय की आटोनोमी में राज-

(श्री कैलाश मेघवाल)

नीति की शायद लाने का अधिकार है। उस अधिकार में नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य विधायक बनकर बैठे हैं। अब यह नहीं हो सकता कि कांग्रेस से जीतकर आ जायं, तो बैठ सकें किन्तु अगर कोई जनसंघ का प्रोफेसर लगता है, या कम्युनिस्ट पार्टी का प्रोफेसर लगता है, उस समय यह कह दिया जाय कि राजनीति आ गई है इसलिए इनको बदल दिया जाये।

(8.30 रात्रि)

(श्री अहमद बक्श सिंधी उपाध्यक्ष, पदासीन

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक को इसका सख्त विरोध इसलिए करना चाहिये कि विश्वविद्यालय की आटोनोमी पर आघात करने की यह प्रवृत्ति बन्द हो। यदि यह प्रवृत्ति चलती रही जैसा बिल यहां लाया जा रहा है सारी फिलोसोफी को खत्म करके, पहले भी सदन में एक बार यह बिल लाया जा चुका है, क्षमा करें उपाध्यक्ष महोदय, यह कहकर कि इसमें रजिस्टर्ड विद्यार्थी नहीं आ पायेंगे। मेरी समझ में नहीं आता कि रजिस्टर्ड विद्यार्थी कहां से ले आये। मैं क्षमा चाहता हूं, माननीय चन्दनमलजी ने कहा है इसलिए आपने कह दिया, लेकिन आप सदन में पढ़ कर नहीं आये, इसलिए मैं कहना चाहता हूं आप पढ़ कर आते। मैं इसलिए आपको उपालभ दे रहा हूं कि यहां बोलने के लिए पढ़ कर आते, पृष्ठभूमि को समझ लेते तो आप ज्यादा अच्छा कह सकते। माननीय चन्दनमलजी तो आपको शायद अपमानित करने के लिए कह रहे हैं। उन्होंने पहले ट्रेनिंग नहीं दी वह इसलिए ऐसा कह रहे हैं। अब यह रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स किस प्रकार आते हैं? रजिस्टर्ड ग्रेजुएट का सवाल आया तो आपने कहा कि साहब तीन-तीन विश्वविद्यालय आ जाते हैं। यह तीन विश्वविद्यालय कहां से ले आये, समझ में नहीं आता। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, इसमें एक क्लाज है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसका भी आप स्पष्टीकरण कीजिए "two persons nominated by the State Government" अब यह समझ में नहीं आता कि two persons nominated by the State Govt. होगा क्या, इनकी क्या क्वालिफिकेशन होगी, क्या योग्यताएं होंगी, क्या उनके बारे में आपकी कल्पना है? इस तरह से जो आपने विश्वविद्यालय को प्राइमरी और हायर सैकण्डरी स्तर तक लाने की जो साजिश की है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, एक प्रोफेसर के रूप में आपकी आत्मा धिक्कारेगी। पार्टी के उप मंत्री के रूप में चाहे आप इस बिल को पारित करें। प्रोफेसर के रूप में यदि आप इसको पढ़ेंगे तो एक भी प्रोविजन ऐसा नहीं है जिसके तर्क के आधार पर यह बिल खड़ा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह निवेदन करना चाहता हूं आपकी आत्मा धिक्कारती है, विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बी. डी. कल्ला ने यह बिल पास करवाया। यह इतिहास में आयेगा। इस बात की प्रोसीडिंग पढ़ेंगे। अपने प्रोफेसर पद की उस गरिमा के ऊपर जो आप यह प्रश्न करें, यही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : एक मिनट——

श्री चन्दनमल बैद : तीन वार बोल चुके हैं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : यह एजूकेशन का मामला है यह रूखा सूखा फाइनेन्स का मामला नहीं है।

श्री चन्दनमल बैद : पेट भरकर बोलिएगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप आखिरी बोलने वाले होंगे।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने——

श्री चन्दनमल बैद : आपके गले में ग्रामोफोन की सुई लगी हुई है क्या, जो आप थकते नही हैं।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : इस सिन्डीकेट की मदद से सोशल अकाउण्टेबिलिटी करने वाली वात कहीं। शायद एक्ट को पूरा पढ़ते, कोई इस प्रकार का प्रोविजन रखते, पैराग्राफ रखते, क्लाज रखते, एक्ट को वदलदे तो समझ में आती। ठीक किया था आपने जो वही वात कह दी; जो माननीय मन्त्री ने कह दी थी। कमिटेड मन्त्री होंगे।

श्री चन्दनमल बैद : बिल्कुल होंगे।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : बिल्कुल ठीक, कमिटेड मिनिस्टर, कमिटेड विश्वविद्यालय, कमिटेड लॉ, यह बिल की मन्शा——

श्री चन्दनमल बैद : कमिटेड एम.एल.ए.।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : यह तो है ही, बेचारे चाहते हैं तो बोल नहीं सकते।

श्री विरेन्द्र प्रताप सिंह : बन्धुआ मजदूर।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : इसलिए निवेदन करना चाहता हूं, सोशल अकाउण्टेबिलिटी फाइन करेंगे, सोशल अकाउण्टेबिलिटी क्या है ? इस ट्रान्सफार्मेशन से सिन्डीकेट का थोड़ा वदलाव क्या हुआ, केवल नोमिनेटेड लोगों को बढ़ा कर इलेक्टेड लोगों को कम करने से, इसमें से कौनसी वात प्रकट करना चाहते हैं, कौनसा सोशल रिफार्म इससे करवाना चाहते हैं, इसका कोई जिक्र नहीं है। हां कमिटेड लोग आते हैं, विल की मन्शा है। इसलिए मैंने प्रारम्भ में ही कहा, अनडेमोक्रेटिक है, सरकारीकरण है, कठपुतली बनाया जा रहा है वाइस चान्सलर को, सिण्डीकेट को कठपुतली बनाया जा रहा है, क्षमा करेंगे मुझे लगता है, अभी जो तर्क दिया गया है. टेन्टामाउण्टली तो हो ही गया। सरकार चाहे तो स्पीकर तो कर ही देता है। सदन का अपमान किया है, इन्होंने आपका अपमान करने की कोशिश की है। वदल सकते थे, केवल यही नहीं तर्क देकर फैसला कौन करने वाले थे ? भूतपूर्व शिक्षा मन्त्री ने इनकी बात नहीं मानी। मैं तो चाहता हूं कि वात माने, बहुत अच्छा है, न माने वहुत अच्छा है। स्पीकर के निर्णय पर उनको वदल दिया जाये। उनके विचारों से सहमति होने वाली बत है। वह कमिटेड मत्री है, विचार करें, सरकार निर्णय करे, सरकारीकरण कैसे किया जाय, यह मन्शा है इसकी। यह तर्क मुझको दिया गया है वदलावें करो, और अन्दर से मिलकर चले आते हैं। नहीं छिपा सकते इसको। इसलिए मैं आपसे निवेदन

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

करना चाहता हूं इस बिल को पारित करने के लिए जो प्रस्ताव रखा गया है उसको रिजेक्ट किया जाय।

श्री सी. पी. जोशी : एक मिनट। मैं माननीय भूतपूर्व शिक्षा मंत्री का ध्यान.

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : फिर मुझे बोलने को मौका दिया जायगा Then will you allow me also to speak ?

श्री सी. पी. जोशी : एक मिनट।

(व्यवधान)

मैं माननीय भूतपूर्व शिक्षा मंत्री का ध्यान राजस्थान यूनिवर्सिटी एकेडेमिक कौन्सिल के मिनिट्स की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मुझे बोलने दिया जायगा ना ? ठीक है।

(व्यवधान)

कहां की यूनिवर्सिटी, जोधपुर की कौन्सिल।

श्री सी. पी. जोशी : मैं सोशल अकाउन्टेबिलिटी बताना चाहता हूं,

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : पढ़ कर, समझ कर आइये आप।

(व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इनकी बात सुनी है, मैं अपनी बात बोलूंगा...

(व्यवधान)

मैं आपको बता रहा हूं सोशल अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या है ?

(व्यवधान)

मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपका ध्यान सोशल अकाउण्टेबिलिटी के लिए कहता हूं, इसलिए कहना चाहता हूं कि तत्कालीन जो शिक्षा मन्त्री जी थे जिस तरह से उनकी एक एकेडेमिक कौंसिल ने यह प्रस्ताव पास किया।

"We, the members of the Academic Council unanimously denounce the support to 20 point programme.

This is the Academic Council constituted by the then Education Minister of Rajasthan.

इसलिए मैं कहना चाहता हूं जो हमारा बीस पाइन्ट प्रोग्राम है, आपकी उसको असफल करने की मन्शा है, लेकिन सिन्डीकेट ऐसी नहीं बना सकते जो उसको डिनाउन्स करे। आपने सिन्डीकेट का रूप इस तरह से बनाया कि जिसने प्रस्ताव पास किया है, 20 पाइन्ट प्रोग्राम को डिनाउन्स करते हैं, ऐसी सिन्डीकेट नहीं, जो हमारी रीति नीति के अनुसार काम नहीं करे तो ऐसी सिन्डीकेट को हम जरूर बदलेंगे।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आप मुझे बोलने तो दें।

You have allowed him, please allow me also.

(घंटी)

श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह : इससे सम्बन्धित ध्यक्ति हैं, इनको अवसर दिया जाय।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, जो स्पीकर महोदय द्वारा मनोनयन के बारे में प्रश्न उठाया; उस बारे में, मैं पूर्व में भी कह चुका हूं लेकिन उनकी जानकारी के लिये यह कहना चाहूंगा कि कर्नाटक यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी आफ दिल्ली, भोपाल यूनीवर्सिटी, और आगरा यूनिवर्सिटी, इन यूनिवर्सिटी में भी स्पीकर महोदय किसी प्रकार का कोई मनोनयन नहीं करते हैं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : what about the rest of the Universities? There are so many Universities in India. What about others.

श्री बुलाकी दास कल्ला : इसी प्रकार से आपने एमिनेन्ट एजूकेशनिस्ट्स के संबंध में जो बात बताई • • •

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : Don't quote five Universities only.

श्री बुलाकी दास कल्ला : दूसरा तर्क हमारे भू. पू. शिक्षा मंत्री ने दिया कि यह एडजेक्टिव्व का फर्क है। आप किसी एजुकेशनिस्ट के आगे मोस्ट एमिनेन्ट कहें, कुछ भी लगा दें उसका मतलब शिक्षा शास्त्री से है, शिक्षाविद् से है जिसे शिक्षा के क्षेत्र में अनुभव हो विश्वविद्यालय के पुनर्गठन के संबंध में यही भावना रखी गयी है कि हम अनुभवी शिक्षाविदों को इसमें लगावें। स्वायतता के बारे में जो चिंता व्यक्त की है, मेरा यही कहना है कि पाठ्यक्रम के बारे में, परीक्षा-फलों के बारे में, प्रश्न-पत्रों के बारे में, सिंडीकेट का कोई इंटरफियरेंस नहीं होता है इसलिए आप लोग इस बात के लिये निश्चिंत रहें कि सिंडीकेट का पुनर्गठन और संरचना जो की गयी है उसका केवल मात्र उद्देश्य यही है कि विश्वविद्यालय की आने वाली शैक्षणिक समस्याओं, वित्तीय समस्याओं को और वित्तीय अनियमितताओं एक व्यवस्थित नियमित रूप वित्तीय व्यवस्थाओं को संचालित किया जाये। इसके लिये ही यह पुनर्गठन किया जावे।

इसके अलावा राज्य सरकार के मनोनयन के बारे में बात बताई है। यदि विश्वविद्यालय की अंक तालिका में दोष हो, यदि विश्वविद्यालय परीक्षा परिणाम देरी से निकले, यदि विश्वविद्यालय कहीं पर कोई केस नहीं खोले तो सारी की सारी जिम्मेदारी राज्य सरकार को दी जाती है। तो क्या राज्य सरकार का दायित्व यह नहीं बनता कि विश्वविद्यालय के दिन प्रति-दिन के कार्यों में वित्तीय और प्रशासनिक कार्यों में सांमजस्य स्थापित करने के लिये निश्चित रूप से सिंडीकेट में राज्य सरकार के प्रतिनिधि हों जो वहां की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में वहां की वित्तीय कठिनाइयों के बारे में कोई योगदान दे सके। इन्हीं भावनाओं को ध्यान में रखते हुये राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के मनोनयन करने की बात इस सिंडीकेट में की गई। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जो प्रस्ताव मैंने इस संशोधन विधेयक को पास करने के लिये किया है उसको पारित किया जायें।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जोधपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1981

(श्री उपाध्यक्ष)
को पारित किया जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया ।

उदयपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1981

परिनियत संकल्प

श्री गुलाबचन्द कटारिया, परिनियत संकल्प प्रस्तुत करेंगे ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया: उपाध्यक्ष महोदय, यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 19 मई, 1981 को प्रख्यापित उदयपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1981 (अध्यादेश संख्या 2 सन् 1981) को अस्वीकार करता है।

श्रीमन्, 19 मई, 1981 के दिन राजस्थान के विश्वविद्यालयों के इतिहास में, मेरी ऐसी मान्यता है कि स्वायत्तता की अर्थी निकल गई । विश्वविद्यालय की स्वायतत्ता की अर्थी के रूप में 19 मई, 1981 को याद रखा जायेगा और विश्वविद्यालय केवल राज्य सरकार, चाहे वह आपकी हो, चाहे आने वाली किसी दूसरे की हो, की कठपुतली मात्र बनकर रह जायेंगे । इन बातों को देखकर यह संशोधन लाया गया है। इस अध्यादेश के उद्देश्यों और कारणों में जो विवरण दिया है उसको पढ़कर शायद अब राजस्थान का प्रत्येक विद्यार्थी, राजस्थान का पढ़ा लिखा आदमी और राजस्थान के कम से कम सभी पढ़े लिखे एम. एल. एज. शायद यह विश्वास करेंगे कि आज के बाद राजस्थान के सभी विश्वविद्यालयों में पूर्ण अनुशासन स्थापित हो जायेगा राजस्थान में...

श्री उपाध्यक्ष: आपस में बातें न करें ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : विश्व विद्यालयों में अब अनियमितता नाम की कोई चीज नहीं रहेगी उनके विकास में शायद अब बाधा नहीं आयेगी, शायद राजस्थान के विश्वविद्यालयों की प्रगति में हिंदुस्तान के सभी विश्वविद्यालयों से आगे निकल जायेंगे । इसी तर्क के साथ इसको लाये हैं, जैसे शिक्षा मंत्री कोई रामबाण औषधि लेकर आये हैं और इसलिये उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया है। शिक्षा मंत्री महोदय आप को आगाह करना चाहता हूं कि अगर वास्तव में आप शिक्षा के प्रति स्नेह रखने वाले व्यक्ति हैं तो केवल कुर्सी और पार्टी से चिपककर मत बैठो चाहे हम और आप हों जो भी व्यक्ति इस पद पर आएगा वह इसका दुरुपयोग करेगा और विश्वविद्यालय की जो स्वायत्तता है उसको हमेशा के लिये केवल अपने तुच्छ स्वार्थों के लिये समाप्त कर देगा । आपकी कोई गारंटी नहीं है कि जिंदगी भर आपका ही राज रहेगा, कई कई बदलते रहेंगे, कई कई पार्टियां आएंगी कई पार्टियां चली जायेंगी लेकिन जिस ढंग से आपने इसकी स्वायत्तता को समाप्त करने का प्रयत्न किया है वह बहुत ही दुखदायी व निन्दनीय है । मुझे आपकी बुद्धि पर तरस आता है, राजस्थान के पढ़े लिखे सब एम.एल.एज. बैठे हैं, मेरी गारंटी है इनमें से अधिकांश सदस्य नहीं समझते कि क्या बिल है और मैं कहूं कि यह भी नहीं समझते कि क्या, राज-

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)
स्थान की दुर्गति करने वाले हैं, क्या स्थिति है, मैं अधिकांश के लिये कह रहा हूं...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य बैठे-बैठे न बोलें ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : जो कुछ कह रहा हूं सोच समझकर कह रहा हूं क्योंकि इसमें जो × ×.× दिखाई दे रही है ...

श्री उपाध्यक्ष : ××× शब्द कार्यवाही से निकाल दिया जाये ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : जो चुनकर प्रतिनिधि आये हैं वे राजस्थान के विश्व-विद्यालयों की स्थिति तय करने जा रहे हैं । कृपा करके, पार्टी के दायरे में मत बैठें, कुछ शांति-संतोष से विचार करें, आपनी बुद्धि का थोड़ा उपयोग करें कि हम जिस संशोधन को ला रहे हैं वह संशोधन राजस्थान के शिक्षा जगत में जिसको हम स्वायतता की संस्था कहते हैं उसका गला घोट रहे हैं, कृपया उसको देखिये । श्रीमन्, आप जो उसमें संशोधन लायें हैं इससे पूर्व जो उदयपुर की एक्जीक्यूटिव कमेटी थी उस एक्जीक्यूटिव कमेटी में टोटल 18 व्यक्ति थे । उन 18 में से 9 व्यक्ति चुनाव से आते थे, लगभग 50 प्रतिशत । अब उस चुनाव में कुछ तो बोर्ड आफ कन्ट्रोल के थे, जो रजिस्टर्ड ग्रेजूएट्स थे वे चुनकर आते थे विद्यार्थियों में से चुनकर आते थे और डीन, डाइरेक्टर और प्रिंसिपल का बाई रोटेशन के आधार पर चुनाव होता था । रोटेशन में उनकी सीनियोरिटी और नम्बर लगा रहता था कि इसके बाद कौन इसमें जायेगा । वह जो स्वायत्तता थी उसके आधार पर अपने मस्तिष्क और दिमाग का ठीक प्रयोग करके इस विश्वविद्यालय की प्रगति की ओर अपने कुछ सुझाव दे सकते थे लेकिन दुर्भाग्य है कि राजनैतिक आवरण में आप समझने की स्थिति में नहीं हैं, मन में इतनी कमजोरी आ गई है, राजनैतिक कुर्सी से इतना चिपके रहना चाहते हैं कि सारी मर्यादाओं को तोड़ रहे हैं। उसमें कुछ न कुछ विचार करना चाहिये, इन्सान के नाते। आखिर आप हम राजस्थान के जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आखिर हम चुनकर आयें हैं। जो लोग चुनकर आते हैं, जनतंत्र को बनाते हैं वे लोग अपने हाथों से इस उदयपुर विश्वविद्यालय की स्वायतता का गला घोट रहे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय, अब तक तो यह था कि अध्यक्ष दो एम. एल. एज. नामिनेट करता था, लेकिन अब इन महानुभावों का यह भी विश्वास नहीं रहा, कि हमारे इस सर्वोच्च सदन का अध्यक्ष भी शायद इनकी इच्छानुसार मनोनयन नहीं करेगा इसलिये इन्होंने ये अधिकार अपने हाथ में ले लिया । इतना ही नहीं किया, अब तक के एक्जीक्यूटिव में दो अन्य व्यक्तियों के चयन का अधिकार राज्य सरकार के पास नहीं था । राजस्थान सरकार ने अब इस नये एक्ट में यही प्रावधान किया कि दो एम. एल.एज. को वह नामिनेट करेगी और दो अन्य व्यक्तियों को भी वही नामीनेट करेगी । यह क्या है ? आप चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के कार्य-कर्त्ताओं को राज्य में इस प्रकार से बिठाया जाय ? ऐसा मानते हैं और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्त्ताओं के आधार पर इस प्रकार की स्वायतता को आप चलाना चाहते हैं आखिर आपके प्रतिनिधि एम. एल. एज. जा रहे हैं वे आपकी पार्टी के जायेंगे,

××× शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अलोपित किये गये ।

(श्री फूलचन्द कटारिया)

थे दो थे उसके बजाये संशोधन लाकर 4 कर दिये। इस तरह से इस नये संशोधन के अनुसार उदयपुर विश्वविद्यालय की एक्जीक्यूटिव में जो 17 स्थान हैं उनमें से आपको सुन कर ताज्जुब होगा मैं प्रार्थना करता हूं अब केवल तीन रह गये। only three; आप क्या करने जा रहे हैं, क्या आपको लगता है चुने हुए लोग चोर बदमाश, गुन्डे आवारा हैं ? इस देश के बारे में विचार करने वाले नहीं है। इस देश को रसातल में पहुंचाने वाले हैं। इस तरह के लोग हैं तो फिर हमारी गिनती किसमें हैं ? हम भी तो चुनकर आये हैं, हम कोई भगवान के घर से उतर कर नहीं आये हैं जो हम ईमानदारी का ठेका ले सकते हैं ? हम वे लोग हैं जो चुनकर के आये हैं। क्या आप मानते हैं कि जो लोग विश्वविद्यालय में चुनकर आये हैं चोर, बेईमान है और इस देश को रसातल में पहुंचाने वाले लोग हैं जिन के कारण कि आप इस तरह का अमेंन्डमैन्ट लाकर केवल अपनी जेब में सारे विश्वविद्यालय को बैंटाकर, यह नाटक और ढोंग रचाना चाहते हैं कि आप उसकी स्वायतता को कायम रखेंगे। यह नाटक है, ढोंग है। मैं जानता हूं कि आपके दिल में शायद इसका दर्द होगा लेकिन पता नहीं, कुर्सी का लालच एक ऐसा लालच है जैसे लगता हो कि भगवान मिल गया हो। हम, अपनी सारी मान्यताओं को रसातल में पहुंचाने के लिये तैयार हो जाते हैं। कल्ला साहब, माननीय मिनिस्टर महोदय आप तो कम से कम पहले अध्यापक रह चुके हैं और एक अध्यापक के नाते आप विचार करो, आप को यह कुर्सी इतनी प्यारी हो गयी कि सारी मान मर्यादा को रसातल में पहुंचा करके उसको समाप्त करके उसकी अर्थी निकाल करके बड़े प्रसन्न हो रहे हैं ? मैं कह रहा हूं कि आने वाला समय बतायेगा कि जिन लोगों ने इस प्रकार संशोधन पास किया उनको किस नाम से पुकारा जायेगा ? उनको किस ढंग से माना जायेगा ? उनके बारे में क्या क्या शब्द कहे जायेंगे ? यह तो आने वाला समय ही बतायेगा। अब शायद भगवान की कृपा से कुछ दिन जीयेंगे, हम आपको बतायेंगे कि आपके द्वारा दिया हुआ कानून एक दिन आपके गले में घण्टी नहीं बन्ध जाय तो आप भी देखना कि हमने जो कुछ बात कही है वह गलत कही है। मैं गारन्टी से कह सकता हूं आप स्वयं रोवोगे इस कानून को देखकर, जब यह दूसरों के हाथ जायेगा उस दिन आपको रोने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। आपने इस तरह के कानून पास किये हैं। यही नहीं, हमारे यहां चान्सलर लोगों को नामिनेट करते थे, इनको शायद उन पर भी विश्वास नहीं रहा। हमारे चान्सलर महोदय दो शिक्षाविदों को नामिनेट करते थे, इन्होंने सोचा शायद के कोई गड़बड़ी कर सकते हैं इसलिये आपने संख्या एक कर दी। शिक्षा मन्त्री एक हैं वहां पर फालतू लोगों की ज्यादा जरूरत है चूंकि यूनिवर्सिटी का काम अच्छा चलाना है और शिक्षाविद् जो लगाते हैं उनकी जगह आप शिक्षाविद् नहीं भेजकर, उनकी संख्या घटाकर हंस रहे है जैसे बहुत बड़ा काम कर दिया हो। यह बहुत बड़ा काम नहीं है यह बहुत बड़ा नुकसान है। यह तो दुर्भाग्य है इस देश का कि जनतन्त्र में आप जैसे कानून ला रहे हो और हम सब बर्दाश्त कर रहे हैं और ये यहां पर इस प्रकार केवल हां में हां मिलाने के लिये बैठे है।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

आप सभी लोगों की आत्मा को भी टटोलना चाहता हूं, जल्दी मत करियें । इस प्रकार का कानून लाने का प्रयत्न मत कीजिये, जिसके कारण राजस्थान की शिक्षा जगत की स्वायत्तता को आप बलि की वेदी पर चढ़ा रहे हैं। श्रीमान् यहां तक है कि हमारे यहां हैड आफ डिपार्टमेंट जो भी होते थे बाई रोटेशन आते थे उसमें भी को कोई ठेका नहीं था कि कौन आयेंगा, कौन नहीं आयेगा ? उसका एक सीरियल बना हुआ है और उस सीरियल से रोटेशन के हिसाब से जो व्यक्ति आता उसमें किसी को डर होने की क्या बात है ? यहां तक कि जो प्रिन्सिपल थे वह भी बाई रोटेशन आते थे उसमें भी आपको क्या डर था ? कोई व्यक्ति विशेष आता है उसमें क्या आपको यह भय लगता है कि शिक्षा क्षेत्र में जो सारे ही लोग हैं, वे आपके विरोधी हैं । आप ऐसा क्यों मान कर चलते हैं? आप ऐसा क्यों मन में विचार रखते हैं या तो फिर मेरा यह कहना है कि हिन्दुस्तान में जितने भी पढ़ लिखे लोग हैं जो थोड़ी बहुत बुद्धि का उपयोग करते हैं वे आपको इन गलत नीतियों के कारण नहीं मिलते हैं । इसलिये आप चाहते हैं कि गंवारों को इकट्ठा करके, इस प्रकार के लोगों को इकट्ठा करके इस राज्य को चलाया जाये। श्रीमान् मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं और आपको आग्रह कर रहा हूं कि इस प्रकार का जो विधेयक आप ला रहे हैं यह विधेयक बहुत ही खतरनाक है लेकिन यह दुर्भाग्य है हमारा, इस देश के लोकतन्त्र का दुर्भाग्य हैं कि हम सभी लोग न तो इसको पढ़कर आते हैं और न हमने इसको देखा है हम केवल हां में हां मिलाते हैं क्योंकि हम एक सत्तारूढ़ दल के सदस्य हैं और हमारा बड़ी मैजोरिटी है, उस मैजोरिटी के आधार पर हम राजस्थान के इस क्षेत्र को कलुषित करते जा रहे हैं? मेरी पार्टी भी अगर इसको लाती तो मैं आपको गारन्टी से कहता हूं कि मैं इसका डटकर विरोध करता । मैं कभी नहीं चाहता कि राजनैतिक आधार पर विश्वविद्यालय को अपनी जेब में बैठाकर चलाया जाये । ऐसी अजीब स्थिति बनती जा रही है । हमारा मानस क्या बन रहा है ? यहां तक कि रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स चुन कर आते थे, वोट होते थे क्या उस वोट के आधार पर वे लोग नहीं आते हैं ? क्या डर है आपको चुनाव कराने में ? घबराते क्यों है आप? क्या आपको लगता है कि शिक्षा में विश्वविद्यालय में पढ़े लिखे जो लोग हैं वह आप जैसे लोगों को ताक पर लाने नहीं देते जिससे आपको भय लगता है, जगह जगह पर आप हार खाते हैं और हार से डरकर आपको चुनकर कोई नहीं लाता या आपका पिछले वर्षों का रिकार्ड है इससे दुखी होकर कि हमारे लोग चुनकर नहीं आते हैं? इसलिये कानून बना कर इसका रास्ता निकाला है? नाथद्वारा के माननीय सदस्य भी एक शिक्षा शास्त्री हैं, राज्य तो आपका आज है कल चला जावेगा। हम आज एम.एल.ए. है कल नहीं रहेंगे, हमारी कोई जिन्दगी भर की गारन्टी नहीं कि हम एम. एल. ए. बने रहेंगे, कृपा करके, अपने मन को विकसित करो और ऊपर उठाइये और उपर उठाकर के आप देखें कि हम हित करने जा रहे हैं या अहित करने जा रहे हैं । हम इतना कहना चाहते है कि आज भी हमारे कानून में इतना प्रावधान है कि हमारे पास इतने प्रावधान हैं कि खराब लोगों गन्दे लोगों को जो कि इस विश्वविद्यालय को कलुषित करते हैं, को निकाल सकते हैं, उनकी गेंटी मरोड़ सकते है लेकिन कानून का तो उपयोग नहीं करते, केवल राजनीति का अखाड़ा बनाने के लिए, हम चाहते हैं कि यह राजनीति का अखाड़ा

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

बन जायें, जैसे प्राइमरी स्कूल के मास्टर का तबादला करते हो। आप कहते हैं कि इसमें कुछ रिसर्च करो। क्यों रिसर्च करें ? जो सवेरे से शाम तक आकर आपको सैल्यूट करेंगे आपकी सरकार को सैल्यूट करेंगे, आपके एम. एल. एज. को सैल्यूट करेंगे, आपके वहां के कार्यकर्त्ताओं को सैल्यूट करेंगे, वे तो उसमें रहेंगे और सही काम में जो आपका विरोध करना चाहते हैं वे नहीं रहेंगे। आप केवल इस बात का विरोध करते हैं ? आप उसको निकाल करके फेंक देना चाहते हैं यह शायद आपकी मन्शा है और यह मन्शा आपकी उचित नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं फिर विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करता हूं सदन के सभी माननीय सदस्यों से. चूंकि मैं एक विरोधी पार्टी का सदस्य हूं यह मन में विचार लाकर के नहीं कृपा करके अपने मन में कही भी इन्सानियत एक कोने में बसी है तो उसको झन्झोड़ो चाहे आप सत्तारूढ़ पार्टी के हैं चाहे आप विरोधी पार्टी के है थोड़ा सा मनमें विचार करो कि हम किस तरह से इस कानून की हत्या करने जा रहे हैं ? यह संशोधन लाकर के हमने जो इसको स्वायतत्ता दी थी और जनतन्त्र की जो प्रणाली थी उस जनतन्त्र की प्रणाली को समाप्त करने जा रहे हैं। मैं फिर आपको आग्रह करने जा रहा हूं कि मैंने जो इसको अस्वीकार करने का प्रस्ताव रखा है उस पर आप सब लोग धैर्य से शान्ति से अपने मन को, इन्सानियत को साथ रखकर विचार करिये। इसको अस्वीकार करने में मेरा सहयोग करिये। यही बात कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ललित किशोर चतुर्वेदी।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : एक ही बहुत है।

श्री उपाध्यक्ष : धन्यवाद। श्री चन्दनमल बैद उत्तर देंगे।

श्री चन्दनमल बैद (शिक्षा मन्त्री): उपाध्यक्ष महोदय, उदयपुर यूनिवर्सिटी के विषय में जो ऑर्डिनेन्स निकाला गया था उसको अस्वीकार करने के सिलसिले में उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने अपने विचार प्रकट किये और विचार प्रकट करते समय उनको जोश ज्यादा आ गया क्योंकि सवाल उदयपुर का था। वहां की सिन्डीकेट में उनके साथी जो एक्जीक्यूटिव कमेटी के मेम्बर थे इस संशोधन के कारण हट गये है तो दुख भी था, थोड़ा फस्ट्रेशन भी था। दुख और फस्ट्रेशन से कुछ ऐसी बाते कही गयी हैं जो नहीं कहनी चाहियें थीं। सन् 77 में आपने वहां पर कांग्रेस शासन द्वारा मनोनीत सिण्डीकेट और एक्जीक्यूटिव कमेटी के सदस्यों को हटाया। अगर आपकी यह मन्शा थी और फिर हमारी यह मन्शा हो कि आपके द्वारा बनायें गयें सिण्डीकेट और एक्जीक्यूटिव कमेटी के मेम्बर्स हटायें जायें तो, मैं समझता हूं कि आपको बुरा नहीं मानना चाहियें। मुझे समझ में नहीं आता है कि सन् 77 एक साथ तीनों विश्वविद्यालयों के एक्ट को बदलने का क्या कारण था ? आपने जो गलतियां कीं जो विसंगतियां पैदा कीं उन गलतियों और विसंगतियों को दूर करना लाजिमी है।

एक माननीय सदस्य : क्या थीं ?

श्री चन्दनमल बैद : अभी बता रहा हूं। आखिर तीन साल में यूनिवर्सिटीज में

(श्री चन्दनमल बैद)

आपने वातावरण खराब कर रखा था जिसका नतीजा हमें आज तक भुगतना पड़ रहा है और बड़ी मुश्किल से हम इसको ठीक कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यह पूछ रहे हैं कि क्या खराब किया था? विश्वविद्यालय के प्रांगण में आर. एस. एस. की शाखायें लगाना—यह बड़ा अच्छा काम है जैसा कि आपने अच्छा काम किया यह हमसे पूछ रहे हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : किस जगह आर. एस. एस. की शाखायें लगायीं वह जगह तो बतावें ?

(व्यवधान)

श्री चन्दन मल बैद : मैं तो आपको टोकने को नहीं आया। एक तरफ तो उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य यह कहते हैं कि आपने निर्वाचित लोगों की संख्या कम करदी दूसरी तरफ कि एम. एल. एज. की तरफ इशारे करके यह कहते हैं कि यह एम. एल. एज. क्या समझते हैं ? यह एम. एल. एज. क्या निर्वाचित नहीं हैं, नामीनेटड हैं क्या ? एक तरफ तो निर्वाचित लोगों का मजाक उड़ाना चाहते हैं उनकी भर्त्सना करना चाहते हैं जो विधान सभा में चुनकर आयें हैं जो कि कानून बनाने वाली संस्था है, उन एम. एल. एज. की तरफ इशारा करके यह कहते हैं कि एम. एल. एज. क्या समझते हैं। कुछ समझते भी हों तो आप अपशब्द काम में लेते हैं। दूसरी तरफ यह दलील देते हैं कि आपने विश्वविद्यालय जो कि विद्या केन्द्र का स्थान हैं जहां विद्या अध्ययन करने लोग जाते हैं, में चुने हुए लोग क्यों नहीं लिये ? उपाध्यक्ष महोदय, विश्वविद्यालय विधान सभा नहीं है लोक सभा नहीं है राज्य सभा नहीं है, यह जरूरी नहीं है कि लोग निर्वाचित होकर वहां जावें। विद्या जहां अध्ययन करनी है वहां विद्या अध्ययन सुविधा से हो जो काम सुविधा हो वह काम करें। युनिवर्सिटी कोई निर्वाचन करने के लिये है ? फिर आपने एक उदाहरण दिया कि 18 में से 9 हो गये हैं, सही नहीं है माननीय सदस्य केवल 5 ही थे। पहले पांच थे अब तीन हो गये। तो मैं कहता हूं कि कौनसा जुल्म हो गया ? पांच थे तो ठीक था क्योंकि वें आपने बनाये थे, पांच से तीन हो तो गये सही नहीं हैं, क्योंकि वें हमने बनायें। जो जो आप बनाये वह ठीक है और जो हम करे वह गलत है यह तो माननीय सदस्य जा नाका आयेगा जनता अपनेआप पहले भी बता चुकी है और बता भी देगी हमें तो 30 साल लगे हटने में आपकों केवल 3 साल लगे हैं। आपका और मेरा एक दल का रेश्यो है। जनता ने हमें विकसित होने का तीस साल का मौका दिया और आपको विकसित होने का केवल तीन साल का मौका दिया और तीन साल भी पूरे नहीं हुए हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जो मैंने सिंडीकेट बनाई थी आपको सुना रहा हूं। पहले चार थे अब तीन रह गये। अब हम तीन करना चाहते हैं तो इसमें हमने कौन सी बुराई की। चांसलर साहब को हम हर बात में घसीटें, यह जरूरी नहीं है। चांसलर साहब नामिनेट करते थे तो ठीक था हमने एक और नोमिनेट कर दिया तो खराब हो गया। चांसलर तो खुद अपने आप कुलाधिपति हैं तो यह तीन करें या दो करें इससे क्या फर्क पड़ता हैं ? नामिनेटेड बाई वाइस चांसलर आपके वक्त में भी चार थे हमारे वक्त में भी चार है। अब आप यह कहते हैं कि हम चक्राधर को

(श्री अमृतमल बैद)

चक्कर खिला रहे हैं। रोटेट कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इनको रोटेशन से बड़ा प्यार है। एक रौलिंग प्लान इन्होंने बनाया था उसको भी रोल कर दिया। हिन्दुस्तान की जो योजनायें थीं उनको भी इन्होंने रोल कर दिया। और वहां के जो प्रिंसीपल थे, चांसलर थे उनको भी रोल करना चाहते हैं। तीन साल के लिये तो एक्जीक्यूटिव कमेटी बनती है और तीन साल में भी इसको रोल करवायेंगे। फिर क्या काम करेंगे? अगर तीन पदों की बात आप करते हैं उसमें तो आपका वाइस चांसलर ही बदल गया, फिर क्या रोल करवायेंगे? यह मेरी समझ में नहीं आया कि रोटेट को रोलेट कराने के पीछे क्या उद्देश्य थे? आपके उद्देश्य ठीक ही थे। माननीय सदस्य, कांग्रेस सरकार ने जो कुछ किया है उसको हटाया जाये, दूर किया जाये उसको चेंज करें और दुनिया को यह दिखा दें कि कांग्रेस ने जो आज तक किया है वह गलत है, और हम उसको बदल रहे हैं। बस दो ही काम करने आये आपको। नामिनेशन बाई स्टेटगवर्नमेंट का प्रोविजन था; आपने नामिनेशन नहीं किया। अब मैं उपाध्यक्ष महोदय, एक बात पूछना चाहता हूं, कहीं रिजल्ट टाइम पर नहीं निकला, कहीं कापियां चोरी हो गयीं, कापियां रवाना हुई गंगानगर से और जयपुर पहुंचते पहुंचते एक बण्डल उसका चोरी हो गया या अंकों में गड़बड़ हो गयी, 27 की जगह 37 लिख दिया गया। उसका जवाब देगी यूनिवर्सिटी, राज्य सरकार दखल नहीं देगी। उसको कोई कुछ करने वाला नहीं, कहने वाला नहीं। जवाब में आप पूछें कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें, क्योंकि वह जयपुर से चोरी हुआ। जबकि चोरी हुआ बण्डल यूनिवर्सिटी में और आप कहते हैं यूनिवर्सिटी में आप दखल न दें। बण्डल चोरी हो गया इसलिये इस्तीफा दें शिक्षा मंत्री। आप शिक्षा मंत्री से इस्तीफा दिलाना चाहते हैं और सरकार से यूनिवर्सिटी के खर्चे का पैसा भी दिलाना चाहते हैं। उसकी जवाबदेही भी विधान सभा और विधान सभा के द्वारा चुने हुए जो सदस्य हैं, उसके द्वारा चुने हुए लोग हैं उनसे लेना चाहते हैं और फिर यूनिवर्सिटी में सरकार का प्रतिनिधित्व न हो। उन लोगों को भी नहीं रखना चाहते हैं जो प्रिंसिपल के हैं हैड आफ दी डिपार्टमेंट के हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि यह कौन सी समझदारी की बात है? उपाध्यक्ष महोदय, फिर उसके बाद nominated be I C A R elected two persons non teachers and non student.

आप ही बतायें दो टीचर रखें दो नान टीचर रखें। यह तो टीचर भी नहीं हुए और स्टूडेन्ट भी नहीं हुए। ऐसा इलेक्शन किया जाये जिससे आर.एस.एस. के लोग आयें और उन्हें शाखा लगाने का अवसर मिले। यह एजूकेशनिस्ट हैं?। यह आपने सुधार किया? आप श्रेय लेना चाहते हैं जिसके लिये जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य मुझ से कहते हैं कि आने वाला जमाना आपको कहेगा। हमें नहीं आपको कहेगा। एक और अर्ज करना चाहता हूं। आपसे मैंने अर्ज की है कि जितनी ज्यादा यूनिवर्सिटीज के एक्ट देख सकूं देखूं और पता लगाऊं कि उनमें नामिनेशन और इलेक्शन किस तरीके से हो रहा है। मगर आप जानते हैं, उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में कम से कम आठ-दस यूनिवर्सिटी हैं उनका एक कॉमन एक्ट है उस एक्ट के द्वारा चार बाई नामिनेशन और चार इलेक्शन हैं। मध्य प्रदेश में भी एक कॉमन एक्ट है उसमें भी चार बाई नामिनेशन और तीन बाई इलेक्शन हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय में चार बाई नामिनेशन; चार बाई इलेक्शन और बारह एक्जीक्यूटिव कमेटी के मेम्बर है। कर्नाटक में भी

Page No 204

(204)

(श्री चन्दनमल बैद)
जो यूनीवर्सिटी हैं उनमें आठ बाई नामिनेशन और चार बाई इलेक्शन हैं।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : Compare it with the percentage of Rajasthan.

श्री चन्दनमल बैद : सारे हिन्दुस्तान में जो बात हो रही है। चार बाई नामिनेशन, दो बाई इलेक्शन, और पांच एक्जीक्यूटिव मैम्बर हमने किये तो स्थिति में कौन सा फर्क पड़ता है ? हमने तीन रखे हैं। उदयपुर यूनिवर्सिटी में तीन रखे हैं। हम इस मामले में स्पीकर को नहीं लाना चाहते है। उन पर हमारा विश्वास है। हम सिंडीकेट में स्पीकर द्वारा नामिनेट किये हुए व्यक्ति नहीं लाना चाहते। सारे हिन्दुस्तान में किसी भी विश्वविद्यालय के एक्ट में स्पीकर द्वारा नामिनेशन नहीं मिलेगा। यह आप मुझे बता दें।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : बतायेंगे।

श्री चन्दनमल बैद : मैंने सारे एक्ट देखने की कोशिश की, लेकिन मुझे स्पीकर द्वारा नामिनेशन नहीं मिला है, क्योंकि वे नहीं चाहते हैं कि इस मामले में स्पीकर को डाला जाये। अनुमति जरूर उनकी ले ली जाये। आप अगर इस स्थिति पर चर्चा करना चाहते हैं तो आप यह भी कहेंगे कि चीफ मिनिस्टर भी नामिनेटेड होगा, आप लोकतंत्र की बात करते हैं तो उसे हर जगह लीजिये। यह यूनिवर्सिटी कोई विधान सभा है, यह कोई पंचायत समिति है? आप यह कहेंगे कि डेमोक्रेसी का बड़ा भारी हनन हो गया, उसकी हत्या हो गयी जिस पर आप भाषण दे रहे हैं। यह तो एक कॉमन बात है कि यूनिवर्सिटी की छवि बिगड़ रही थी और यूनिवर्सिटी की छवि को सुधारना जरूरी था इसलिये उसकी सिंडीकेट और एजोक्यिूटिव कमेटी का पुन गठन जरूरी था। यूनिर्वासिटी इस साल टाइम पर खुली।

पिछले साल 15 अगस्त को एक साल पूरा, इस साल 15 सितम्बर को सारा साल खराब हो गया। उसके अलावा इम्तिहान सारे वक्त पर हुए, नतीजे आम तौर पर सारे वक्त पर निकले और जो भ्रष्ट प्रणालियां चली हुई थी युनिवर्सिटी में उनको हमने दूर करने की कोशिश की। एस. पी. सिंह कमेटी ने रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट में उसने कहा था कि टीचर्स का ग्रेटर रोल भी लिखा जाना चाहिये। हमने जो अभी कोआर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग की उसमें हमने यह पास किया और यह अहसास किया कि टीचर्स की अटेंन्डेन्स होनी चाहियें। आखिर स्वायत्तता की भी एक लिमिट है। टीचर साहब आज घूम रहें हैं लन्दन में अटेन्डेन्स हो रही है उदयपुर में क्या यह बात बर्दाश्त की जा सकती है? पता ही नहीं था राजस्थान सरकार के वाइस चान्सलर को कि टीचर साहब हिन्दुस्तान में है या हिन्दुस्तान के बाहर है, लन्दन में हैं या उदयपुर में है, अटेन्डेन्स है ही नहीं। अटेन्डेन्स कभी आपने करने की कोशिश नहीं की, हमने इसकी कोशिश की। हमने यह पास किया है कि टीचर्स की अटेन्डेन्स होगी। आज तक टीचर्स की अटेन्डेन्स नहीं होती थी।

(व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : लन्दन में कौन टीचर साहब थे, यह तो कोट करिये।

श्री चन्दनमल बैद: इसी तरह से गलत प्रणालियां चल रही थीं। यह जो रोटेशन की बात कर रहें हैं कि हैडशिप भी रोटेशन से होगी-पहले प्रोफेसर होंगे, फिर असिस्टेन्ट प्रोफेसर होंगे, फिर रीडर होंगे,

(श्री चन्दनमल बैद)

फिर लैक्चरार होंगे। यह सुन्दर होता अगर आपको बदलना था तो इसको बदलते। यह बदलना चाहिये था। यह गलत बात हो रही थी तो इसको बदलते यह तो आपने नहीं बदला और आपने क्या बदला two persons, non students, non teachers, to be elected . . .

उपाध्यक्ष महोदय, बिलकुल सही तरीके से इस कानून को बनाया गया है। जो विसंगतियां ढाई-तीन साल में पैदा कर दी गई थीं, उनको सुधारा गया है। एक इमर्जेन्सी के नाम का हौवा दिखाकर सारी स्थितियों को बदलने की कोशिश की। हमने उसको ठीक किया है। टेम्प्रेरी लेक्चरर्स, यू. जी. सी. वेतन मान में यह भी है कि मोस्ट आफ दी लेक्चरर्स इन यूनिवर्सिटीज में लायें। अब इन्होंने क्या किया, 30 तारीख के पहले पहले जो लोग आ गये। यानी इमर्जेन्सी की तारीख दे दी और एक बड़े दुख की बात है इन्हीं के एक सदस्य जो रहे हैं जनसंघ के, वे हाई कोर्ट के जज हो गये हैं, उन्होंने हाई लाइट किया कि उस तारीख को यू.जी. सी. ग्रेड मिलनी चाहियें और उसको इन्होंने रख कर कह दिया कि इसके पहले जो टीचर्स आयें हैं उनको रिटेन करके बिना पी. एस. सी. के सामने गये, बिना किसी के सामने गये, पता नहीं ऐसी कौन सी सलेक्शन कमेटी थी जिसने कह दिया कि उसके सामने जाने की जरूरत नहीं है और उनको परमानेन्ट कर दें। इस तरह एक इमर्जेन्सी का हौवा दिखाकर कानून में विसंगतियां लाये हैं। इस तरह की और दूसरी विसंगतियां भी लायें हैं। अब उनको ठीक करना हमारा फर्ज था।

अभी थोड़े दिन पहले वाइस चान्सलर के बारे में आपने कहा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज करना चाहता हूं अगर शिकायतें आ गई हैं और उन शिकायतों को हमने चान्सलर के सामने पेश किया है और उन्होंने किसी को सस्पेन्ड कर दिया या चार्जशीट दे रहे हैं, तो हमारा दोष नहीं है। चान्सलर का यूनिवर्सिटी के मामले में सरकार से सलाह लेना आवश्यक भी नहीं है।

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, सर। क्या किसी भी माननीय सदस्य को यह अधिकार है कि हाई कोर्ट का एक फैसला जो दे दिया उसको इस प्रकार यहां सदन में क्रिटिसाइज किया जा सकता है ?

(व्यवधान)

यह किस नियम के तहत है ?

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह बहुत गंभीर मसला है। यह एक मिसाल दी है।

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : उस हाई कोर्ट के जज को यहां लाना क्या कन्टेम्प्ट की श्रेणी में नहीं आता है ?

(व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : आप जायें हाई कोर्ट में और लायें कन्टेम्प्ट का मामला और कहें कि शिक्षा मंत्री, चन्दनमल बैद ने आपको कन्टेम्प्ट किया है। उसका नतीजा निकल जायेगा। कन्टेम्प्ट तो मेरे पर बन रहा है। आप क्यों परेशान हो रहे हैं ? आपकी पार्टी पर तो कुछ नहीं आने वाला है। मेरी रिपोर्ट

(श्री चन्दनमल वैद)
ले जाइयें और कहिये कि चन्दन मल वैद, शिक्षा मंत्री ने कन्टेम्प्ट किया है। आप केस चलाइये,

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात के लिये अर्ज करना चाहता हूं इस आर्डिनेंन्स को अस्वीकार करने का प्रस्ताव जो उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य लाये हैं उनको मैं फिर कहना चाहूंगा कि वे जरा शान्ति से सुनें फ्रस्ट्रेट नहीं हों, निराश नहीं हों, आखिर कभी न कभी जो गलती की है उसको तो सुधारें। आपने गलतियां कीं, हमने उनको सुधारा है। आप उसको शांति से स्वीकार कीजियें।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 19 मई, 1981 को प्रख्यापित उदयपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1981 (अध्यादेश संख्या 2, सन् 1981) को अस्वीकार करता है ?

(अस्वीकृत)

संकल्प अस्वीकार किया गया ।

प्रभारी मंत्रीजी, चन्दन मल वैद ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, यह ऐसा लगता है कि आप नकल कर रहे हैं जो शब्द अभी आपने बोले है···

(व्यवधान)

यह आपको शोभा नहीं देता है।

उपाध्यक्ष महोदय, आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, ।

(व्यवधान)

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। उपाध्यक्ष महोदय, अभी आपने जो आदेश दिये और जो शब्द कहे हैं उनको आपके साथ माननीय मुख्य सचेतक महोदय ने दोहराया है। मैं समझती हूं, यह उनके कर्त्तव्यों में नहीं आता है। जो शब्द उन्होंने दोहराये हैं उसके लिये उन्हें कहिये कि वे माफी मांगें और भविष्य में न करें ताकि आगे डिलाई न हो।

(व्यवधान)

हमारे सामने आपकी इस तरह की कोई नकल करें तो अच्छा नहीं लगता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत गंभीर बात है। हमारे सामने अगर आपकी इस तरह नकल करें तो यह एक बहुत गंभीर बात है।

श्री उपाध्यक्ष : स्थान ग्रहण कीजिये।

विधेयक पर विचार

उदयपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1981 को विचारार्थ लिया जाय ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विचारार्थ कैसे हो गया ।

श्री चन्दनमल वैद : विचारार्थ ही होगा। बिलकुल ठीक कह रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि उदयपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1981 को विचारार्थ लिया जाय ।

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष : निम्नलिखित सदस्यों के नाम जनमत जानने हेतु परिचालित करने

(श्री उपाध्यक्ष)

के हैं

श्री गोपाल पचेरवाल ।

(अनुपस्थित)

श्री मेघराज तावड़ ।

(अनुपस्थित)

श्री यदुनाथ सिंह

(अनुपस्थित)

श्री भैरू लाल भारद्वाज

(अनुपस्थित)

श्री सी. पी. जोशी ।

एक माननीय सदस्य : चले गये ।

श्री उपाध्यक्ष : गये कैसे बैठे हैं ।

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : माननीय उपाध्यक्ष, महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि उदयपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1981 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय।

सर्वप्रथम मैं उदयपुर विश्वविद्यालय अधिनियम को कोट करना चाहूंगा ।

"Under Section 328 read with sub-section (10) of Section 19 of the Udaipur University Act, 1962, the Executive Committee shall have all the powers and perform the duties of the Board as mentioned in the Act and the Statutes and Regulations made thereunder, unless otherwise so provided in the Statutes."

यह मैं इसलिये कोट करना चाहता हूं कि उदयपुर विश्वविद्यालय के एक्ट की स्थिति के हिसाब से एक्जीक्यूटिव कमेटी को बोर्ड आफ कन्ट्रोल के सारे पावर्स निहित है और जो बोर्ड आफ कन्ट्रोल का हैड है, वह वही है जो एक्जीक्यूटिव कमेटी का हैड है । उदयपुर विश्वविद्यालय के कुलपति के लिये सेक्सन 12 में लिखा है -

"The Vice Chancellor shall exercise general control over the affairs of the University and shall be responsible for the due maintenance of discipline in the University".

उसके सेक्सन (5) में लिखा हुआ है—

"The Vice Chancellor shall ensure the faithful observance of the provisions of this Act and the Statutes one shall possess all such powers as may be necessary for the purpose" ये दोनों चीजें मैंने इसलिये कोट की हैं, श्रीमन्, सन् 1977 में तत्कालीन सरकार ने विश्वविद्यालय की सिण्डीकेट का जो कानून बनाया, उस सिण्डीकेट कानून के प्रारूप के बाद तत्कालीन सिण्डीकेट का जब 1977 में पुनर्गठन किया, इस तरह की कार्यवाही में यूनिवर्सिटीज के एक्ट का फेथफुल आब्जर्वेन्स नहीं हुआ ।

श्रीमन्, इस सम्बन्ध में मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं तत्कालीन सरकार ने एस. डी. सिंह कमेटी बनायी, उसके टर्म्स एण्ड रेफरेन्स बनाये । उस एस. डी. सिंह कमेटी की रिपोर्ट को विधान सभा ने पास किया और पास करने के बाद यह निर्णय दिया कि बोर्ड आफ कन्ट्रोल द्वारा इसको लागू किया जाय । उस सिंह कमेटी की रिपोर्ट में किन किन महानुभावों के बारे में क्या क्या कमेण्ट किये गये, उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता लेकिन यह निवेदन करना चाहता हूं, अभी जो कुलपति महोदय हैं, उन्होंने प्राध्यापक के खिलाफ जो कार्यवाही की, उस कार्यवाही के बारे में सिंह कमेटी की रिपोर्ट में मैन्शन किया गया है। उस सिंह कमेटी की रिपोर्ट में मैन्शन किया गया है कि

(श्री सी. पी. जोशी)

जो होम साइन्स के डीन बने हुए थ तत्कालीन डीन का काम कर रही थीं, उनके खिलाफ अभी जो डीन काम कर रहे है, उन्होंने एक एप्लीकेशन दी कि इनका अपांइंटमेंन्ट गलत है। सिंह कमेटी की रिपोर्ट में क्लियर मैन्शन किया हुआ है कि जो डीन बने, टी. सुन्दरम, क्वालिफाइड नहीं थे।

श्रीमन्, जो अभी डीन काम कर रहे हैं, वह डीन जिस तारीख को अमेरिका गयीं उस तारीख को जो क्वालीफिकेशन विश्वविद्यालय के रिकार्ड में प्रोवाइड हैं, उसमें साफ लिख रखा है कि होम साइंस का डीन केवल मात्र एम. एस. सी. होम साइंस हो सकता है लेकिन तत्कालीन एक्जीक्यूटिव ने एक सिम्पल आर्डर के मातहत डाक्टर के. चन्द्रशेखर को विश्व विद्यालय का डीन बना दिया जब कि केवल मात्र एम. एस.सी. बायो कैमिस्ट्री थे। श्रीमन् 1980 में जाकर विश्वविद्यालय ने क्वालीफिकेशन में चेंज किया है कि एम. एससी. इन प्योर साइंस, होम साइंस का डीन हो सकता है, यह मैं उदाहरण देना चाहता हूं जिसका विश्वविद्यालय के एक्ट में रिग्रेजेन्ट किया गया है, विश्वविद्यालय के एग्जीक्यूटि के जिन जिन लोगों के खिलाफ सिंह कमेटी की रिपोर्ट के ऊपर कार्यवाही की गयी है, मैं उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं, सिंह कमेटी की रिपोर्ट को पढ़ लें, सारी एग्जीक्यूटिव कमेटी के अन्दर तीन साल में उन्होंने किन किन लोगों का निर्णय किया, किन किन को लागू किया गया, वे चाहें तो मैं उनकी सूची सामने रखना चाहूंगा, में केवल बताना चाहता हूं कि एक राजनीतिक आधार पर सिंह कमेटी के जिन लोगों ने एकेडेमिक क्वाफिलिकेशन को फुलफिल नहीं किया, उनको एडहॉक एपाइन्टमेन्ट किया गया, मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं, तत्कालीन एक्जीक्यूटिव कमेटी ने कामर्स के अन्दर जिस तरह से लैक्चरर्स अपाइन्ट किये हैं, उन लैक्चरर्स की क्वालीफिकेशन उदयपुर का उदाहरण उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने दे दिया है और जोश में आकर ये कह दिया है कि अगर गलत हो तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। ये एक्ट में क्लियरली मैन्शन कर रखा है कि जब 76 में यू. जी. सी. ग्रेड आ गये थे तब लिखा गया था कि वे एम. एस.-सी. फर्स्ट क्लास हों या पी. एच. डी. हों या जिसका फर्स्ट क्लास रिकार्ड हो। उस तत्कालीन एक्जीक्यूटिव ने ऐसे ऐसे लोगों को अपाइन्ट किया जो आज के दिन भी काम कर रहे हैं वे केवल मात्र बी. एससी. पास हैं और एम. काम. हैं उनके 52 पर्सेन्ट मार्क्स हैं कोई उनके पास एडीशनल क्वालीफिशन नहीं है। ये तत्कालीन एक्जीक्यूटिव के काम हैं। श्रीमन्, यह भी नहीं हो, उस एक्जीक्युटिव में जनरल डिसिप्लिन की बात आती है तो विश्वविद्यालय की राजनीति इस तरह की बन गयी जितने, वाक आउट हुए हैं उन का नम्बर उदयपुर के माननीय सदस्य पता लगा लें। ला कालेज की तीन साल की डिग्री 5 साल की हो गयी यह तीन साल का अचीवमेन्ट है। आज हालत यह है कि 6 महीने तक एग्रीकल्चर कालेज जोबनेर बन्द रहा और इस साल एडमिशन की प्रक्रिया एग्रीकल्चर कालेज में इसलिए नहीं हो सकी कि चार साल की डिग्री 6 साल की हो गयी। यह स्थिति तीन साल के जनता पार्टी के शासन में बनायी गयी, कुलपति महोदय की एक्यूजीक्टिव कमेटी,

(श्री सी. पी. जोशी)

उनकी सिण्डीकेट का ये प्रारूप था। मैं बहुत साफ शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं, हमारी कतई मन्शा नहीं है कि हम विश्वविद्यालय में राजनीति लायें। हमारी यह जरूर मन्शा है कि जो हमारे एक्ट में मैन्शन है, उसको फेथफुल आब्जर्वेशन हो। पूर्व में यह नहीं हुआ उस में एक्जीक्युटिव कमेटी का हाथ था और उसका गठन किस तरह का था वह स्पष्ट है। ये कहते है कि हम जीत सकते हैं या नहीं जीत सकते, कल ही विश्वविद्यालय के परिणाम निकले हैं, दोनों विश्वविद्यालयों की दोनों कान्स्टीट्यूएन्सी के दोनों परिणाम निकले हैं, वहां पता लगायें, मुझे इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना मैं विश्वविद्यालय की राजनीति से सम्बन्धित हूं, वहां पढ़ा हूं और नौकरी भी की है, मैं छात्र के रूप में भी विश्वविद्यालय में मैम्बर रहा हूं, बोर्ड आफ कन्ट्रोल का मैम्बर रहा हूं, आज सिण्डीकेट का मैम्बर हूं। इस विश्वविद्यालय एक्ट के एक्सप्लेनेशन को कोट करने के बाद, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस एक्ट में लिखा गया है कि चांसलर किसी भी अपाइन्टमेन्ट को सैटअसाइड कर सकता है, उसके तहत चांसलर ने एक आर्डर पास किया। उस आर्डर का एक्जीक्यूटिव ने कम्पलायंस किया, 24 तारीख के आर्डर पर 25 तारीख को मीटिंग हुई और 26 तारीख को कम्पलायंस किया और 27 तारीख को हाई कोर्ट में एक स्टे आया उसमें लिखा हुआ है कि "The operation of the Chancellor's order dated 24th be stayed." उस आर्डर के बाद, श्रीमन्, जो स्थिति बनी हुई है, उसके बाद माननीय उप-कुलपति को चाहिए था जो एक्ट में मैंशन किया हुआ है उसके अनुसार जहां कहीं भी डाउट हो, उस केस को चांसलर पास उसको रेफर करें। एक स्थिति बन गयी कि 24 तारीख को आर्डर निकला, 25 को एक्जीक्यूटिव का निर्णय लिया, को 26 डीन ने

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

जोइन कराया, 27 को स्टे आया। माननीय सदस्य उदयपुर से आने वाले हैं वे जानते है कि जब कोई आदमी किसी आपरेशन को जोइन कर लेता है तो स्टे क्या करेगा। उसमें तत्कालीन उप-कुलपति महोदय को चाहिए था कि जो इस एक्ट के प्रोविजन हैं कि जहां इन्टरप्रिटेशन का डाउट हो वहां उस मैटर को चांसलर को रेफर करें, लेकिन उन्होंने रेफर नहीं किया, उनकी नीयत पर संदेह था, उन्होंने 27 तारीख के आर्डर को अनड्यू कर दिया, जो 26 तारीख को डीन बना, 28 को आर्डर निकालकर उस डीन को हटा दिया गया। यह हमारी यूनिवर्सिटी का खुला मखौल आप करें और आप हमको यह दुहाई दें कि हम विश्वविद्यालय के अन्दर इन्टरफियर करना चाहते हैं, खास बात आपको स्पष्ट शब्दों में माननी चाहिए, दुखता अपना पेट ? यह समझ में नहीं आता, स्पष्ट शब्दों में यह बात है कि 77 से लगाकर 80 तक जिस तरह से इस यूनिवर्सिटी को मोर्टगेट किया, यह मैं सीधा आरोप उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं, इस एक्ट का फेथफुल आब्जर्वेशन कोई भी उपकुलपति महोदय करें, हम उसमें कतई इन्टरफियर नहीं करेंगे लेकिन एक्ट की स्थिति के साथ यदि आप अपनी राजनीतिक मन्शा पूरी करें कि अमुक पार्टी का तो अमुक है, इस पार्टी का अमुक है इसका हम डटकर विरोध

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

करेंगे, पहले भी किया, आज भी करेंगे,

(श्री सी. पी. जोशी)

आज भी आप इस विश्वविद्यालय की स्वायत्तता के समर्थक हैं, उतने ही समर्थक हम हैं, लेकिन विश्वविद्यालय की स्वायत्त का मतलब यह नहीं है कि हम इस बात की खुली छूट दें कि जो चाहे लेक्चरर बन जायें, अनक्वालिफाइड आदमी डीन बन जाये, जिसको चाहें आप उसको अपाइन्ट कर दें, जिसको चाहें रिमोट कर दें, यह विश्वविद्यालय की स्वायतता पर कुठाराघात है।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिए।

श्री सी. पी. जोशी : इसलिए यह जो विश्वविद्यालय की सिण्डीकेट का पुनर्गठन किया गया, वह इस उद्देश्य को लेकर किया गया कि विश्वविद्यालय एक्ट का फेथफुल आब्जर्वेशन हो और तीन साल में जो कार्य किये हैं, जो मैंशन किया है, उनको यह एक्जीक्यूटिव कमेटी है, रिव्यू कर सकेगी। इसलिए मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य, तत्कालीन एक्जीक्यूटिव के समय में जो काम हुए हैं उनके सम्बन्ध में एक जांच कमेटी बैठा लें और जो सही काम है कम सेकम उसका हम फेयफुल आबजरवेशन करेंगे लेकिन आप ये चाहें कि आपने जो किया है, उसका हम आंख मींचकर समर्थन करें, आप ये चाहें कि आपने जो गलत काम किये हैं, उनको हम जस्टिफाई करें, यदि आप चाहते यह हैं तो कहना चाहता हूं कि आप भगवान के लिए क्षमा करें। आपकी अपनी राजनीतिक विचार धारा होनी भी चाहिए, मुझे उससे कोई तकलीफ नहीं, लेकिन राजनीतिक विचारधारा का लाभ लेने के लिए कुछ लोग आपके पास आये हैं, उनके समर्थन के लिए आप इस एक्ट को खत्म करें और उदयपुर विश्वविद्यालय की स्वायतता और स्वतन्त्रता की दुहाई दें तो यह न आपके लिए है और न किसी माननीय सदस्य के लिये है। मैं फिर आदर के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि तत्कालीन शिक्षा मन्त्री आर. जी. सी. के स्टाफ मैम्बर रहे हैं, उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य भी विश्वविद्यालय के छात्र रहे है और पिछली साल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मैम्बर भी रहे हैं, वे इस प्रक्रिया से भलीभांति अवगत हैं। 77 में सिण्डीकेट भंग की गयी और 77 और 80 के बीच में प्रक्रिया क्या हुई, उन सब बातों से भी भलीभांति परिचित है। आप एक एग्जीक्यूशन बिठा दें, अभी पी. एस. भण्डारी ने जो एक्शन लिया है, वह सिंह कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर लिया है। जो सिंह कमेटी जनता पार्टी ने बिठायी, उसने रिपोर्ट में रिकमण्ड किया और तीन साल तक उसका कोई एक्शन नहीं लिया और किस तरह केस था, उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता लेकिन उदाहरण देना चाहता हूं, आपको। आप चाहें कि एक्ट का फेयफुल आब्जर्वेशन नहीं हो, आप जिसको चाहे वहां भेज दें, उससे स्थिति स्पष्ट नहीं होगी। अब पुनर्गठन हुआ है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

एक्जीयूक्टिव कमेटी का एक्जीक्यूटिव का लक्ष्य यह है कि वे एक्ट को फेथफुल आब्जवेशन करें इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम इसको राजनीति नहीं समझें लेकिन विश्वविद्यालय की स्वायतता के साथ साथ उसमें दूसरी एक्टीविटी भी हों, एक्टीविटी मेरी भी है, आपकी भी है, लेकिन मैं नहीं चाहता आपकी राजनीति, आपके विचार इस विश्वविद्यालय को सिण्डीकेट में रोड़े हों हमारी मान्यता यह है। हमारी दूसरी एक्टीविटी यह है कि हम समाजवाद

(श्री सी.पी. जोशी)
धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। 20 पाइन्ट प्रोग्राम हमारा आधार है इसलिए विश्वविद्यालय की सहायता लेंगे और यही हमारा उद्देश्य है, यदि आज राज्य सरकार उदयपुर विश्वविद्यालय के एक माध्यम बनाना चाहें, जिसके अन्दर हम कुछ अचीव करें, आज वहीं हमारी एक्टीविटी है, यह हमारा कमिटमेन्ट लोकतन्त्र, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता में है, हमारा कमिटमेंट एग्जीक्यूशन में है इसलिए जो काम हुए हैं....

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री सूरजपालसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्रीमती विद्या पाठक ।

(अनुपस्थित)

अब निम्नांकित सदस्य विधेयक को प्रवर समिति को सुपुर्द करने के सम्बन्ध में...

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : इस पर तो हम बोलेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिश शर्मा ।

(अनुपस्थित)

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत ।

(अनुपस्थित)

प्रभारी मंत्रीजी।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मेरा नाम है साहब। My name is there.

श्री उपाध्यक्ष : नहीं है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आप देखें, क्या बात करते हैं, सलेक्ट कमेटी में है।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं है।

श्री चन्दनमल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विचारार्थ प्रस्ताव पर जो विचार प्रकट किये गये जनमत के लिए परिचालित करने के लिए या सलेक्ट कमेटी में देने के लिए, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि यह एक छोटा सा बिल है उसको क्या जनमत के लिए परिचालित करना है और क्या सलेक्ट कमेटी को देना है। हम लोग यहां बैठे हुए हैं। ऐसा कोई मुद्दा नहीं उठाया, कि जिसका मुझे जवाब देना पड़े। मैं पहले ही कह चुका हूं वही काफी है। अतः मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस बिल को विचारार्थ लिया जावे।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि उदयपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1981 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जावे?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया

प्रश्न यह है कि उदयपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1981 को विचारार्थ लिया जावे?

(स्वीकृत)

श्री उपाध्यक्ष)
विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री चन्दनममल वैद : सारी बातों का जवाब तो दे दिया है।

विधेयक पर खण्डशः विचार

श्री उपाध्यक्ष : श्री ललित किशोर चतुर्वेदी संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि in sub section 2 of section 19. sought to be substituted:—

(i) in clause (ii) add the words "by rotation" after the word 'Directors

(ii) in clause (iii) add the words according to seniority and by rotation after the word Vice Chancellor

(iii) for clause (v) the following clause shall be substituted namely;—

(v) "two persons to be elected by the Senate from amongst the registered graduates of the University".

(iv) in clause (x) substituted the words to be nominated by the Speaker for the words "to be nominated by the State Government".

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सब सैक्शन 2 में क्लाज 10 में संशोधन मूव करना चाहता हूं। माननीय मंत्री महोदय ने अपना भाषण देते समय कुछ ऐसे मुद्द उठाय थे कि जिन मुद्दों का इन सारे संशोधनों के संदर्भ में मैं जिक्र करना चाहूगा। बाई रोटेशन की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा था कि जनता पार्टी रोलिंग प्लान ले आई.....

श्री चन्दनमल वैद : आपको ज्यादा घुमाने की आदत है, रोलिंग और रोटेशन।

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : जहां पर भी रोटेशन, बाई रोटेशन करने की इच्छा है, मैं नहीं समझ सका कि इन सारी बातों को देख कर उनका क्यों दिल रोटेड हो रहा है ? मैंने उदाहरण दिया था कि एक पानी लगातार एक जगह रहने के बाद सड़ने लगता है। उन्हीं लोगों को बारबार नामिनेट करने के कारण.......

श्री चन्दनमल वैद : माननीय सस्दय यह बार बार बोल रहे हैं वह क्या है ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : उन्हीं लोगों का तर्क दिया उन्होंने। मैं चाहता हूं कि इस बात का तर्क देते कि रोटेशन से लोगों को नामिनेट करने के कारण यह पद्धति खराब होती है। वह नहीं किया उन्होंने। उस बात का जिक्र नहीं किया उन्होंने। उसमें से कौनसी निष्पत्ति निकालना चाहते थे। इस बात की चर्चा भी उन्होंने नहीं की। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मेरा फिर भी आपसे अनुरोध है, नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य सोशियल अकाउण्टबिलिटी बीस सूत्री प्रोग्राम, पता नहीं कौन कौन से प्रोग्राम की चर्चा इस राजस्थान विश्वविद्यालय के बारे में कर रहे थे। विश्वविद्यालय समाज की शिक्षा की रीति नीति को निर्धारित करने वाला समय का माप दण्ड है। अभी कुछ

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)
दिनों पहले मैंने मंत्री महोदय का भाषण सुना था। सरकार के ऊपर ही शिक्षा की रीति नीति को छोड़ने का दुष्कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। यह भारत की परम्परा है, संस्कृति है, दृष्टिकोण है। हमें शिक्षा का राजनीतिकरण, शिक्षा का सरकारीकरण किसी भी कीमत पर नहीं करना चाहिए। स्वतंत्र प्रतिभावाले लोगों को, स्वतंत्र बुद्धि वाले लोगों को स्वतंत्र रूप से सब प्रकार की रीति-नीति का प्रस्फुटन करने दीजिए। आप वैसे लोग तैयार कीजिए। वहां कुछ लोगों ने..........

श्री चन्दनमल वैद : किस का भाषण कह रहे हैं ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं आपका भाषण कोट कर रहा हूं।

श्री चन्दनमल वैद : इतनी शुद्ध हिन्दी तो मैं बोल ही नहीं सकता।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : बोल नहीं सकते, मैं तात्पर्य बता रहा हूं आपका। मैं आपका भाषण कोट कर रहा हूं। माननीय शिक्षा मंत्रीजी, मैं नहीं चाहता था इस बात को यहां कहना और आप सरकारी पक्ष को बता दीजिए। शिक्षा को केवल मात्र राजनीतिज्ञों और सरकारी नुमाइन्दों के हाथों में छोड़ने की आपकी नीति हो तो मुझे कुछ कहना नहीं है।

श्री चन्दनमल वैद : जो शब्द आप काम ले रहे थे वह मेरे नहीं हो सकते।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : पता नहीं यही शब्द बोले गए थे। आपने जो बोले वैसे के वैसे तो नहीं बोल सकता। कुछ समय तक मैं भी शिक्षा मंत्री था और अब आप हैं। जिस प्रकार के भाव प्रकट किये, उन शब्दों को यहां पर रखने का प्रयास किया है। इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि इस क्लाज 2 में बाई रोटेशन,

"Two persons to be nominated by the Chancellor from the Deans or the Directors of the Colleges".

वही लोग रिपीट न किये जावें, लगातार। इस बात का उत्तर माननीय मंत्री महोदय से मैं इसलिए चाहता हूं कि उन्होंने रोटेड प्लान की चर्चा कर दी, शायद मन की भूमिका, मानसिक भूमिका इसी प्रकार है। यह मेरा संशोधन निश्चित रूप से मानना चाहिए।

in clause 3 "according to seniority and by rotation" वही बात आ गई। जो आर्गूमेंट दूसरे के बारे में था वही इस बारे में है। अब इस बारे में अधिक नहीं कहना चाहता हूं। संदर्भ मेरा उसमें यही है कि जो और सब प्रकार की चर्चा उन्होंने की थी, बताते समय यदि माननीय मंत्री महोदय अपने जवाब में कुछ बातें कहते, उस बात को देखने का दृष्टिकोण रखते, तो उसको ठीक लगता। इस सारी दृष्टि से मैंने कहा है कि स्पीकर, गवर्नमेंट की बजाय स्पीकर कहा जाये। वे बतायें कि कौन से विश्वविद्यालय में वाद-विवाद हुआ है और आज उन यूनिवर्सिटीज का ढांचा लेकर आये हैं। यह कानून कांग्रेस का बनाया हुआ था। यह 62 से 75 के बीच में रहा। कानून 62 से चला, कांग्रेस राज में पहले स्पीकर

Page No 214

(214)

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

नहीं था। हमने 73 में एक्ट में संशोधन नहीं किया और जब संशोधन किया तो स्पीकर ही रखा शब्द आपका अपना रहा। उस समय तो गवर्नमेंट नहीं थी, उस समय तो स्पीकर की मर्जी को जीतना चाहते थे। अब आपको लग रहा है कि स्पीकर को हटाओ। कोई फिक्र की बात नहीं है। अगर स्पीकर प्रारम्भ से नहीं होते, गवर्नमेंट चलता तो भी कोई बात नहीं थी। 62 में भी गवर्नमेंट थी, 73 से 75 में भी गवर्नमेंट रही थी। आपातकाल में भी गवर्नमेंट रही है। आपातकाल में स्पीकर रहे हैं, स्पीकर तीनों जगह रहे थे। हमने संशोधन किया वहां भी स्पीकर रहे थे। 62 से लेकर अभी तक स्पीकर चले आ रहे हैं। मैं जब शिक्षा मंत्री था तब भी थे। जब कांग्रेस के शिक्षा मंत्री थे उनकी शिक्षा की रीति नीति थी, तब से स्पीकर चले आ रहे हैं। तब से स्पीकर को घसीटा जाना, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, आपको अच्छा लगता रहा अब कड़वा लगने लगा।

श्री चन्दनमल बैद : 75 में अमेंडमेंट हुआ था तब स्पीकर साहब नहीं थे।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : आप देख लें।

श्री चन्दनमल बैद : देख लिया मैंने।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : 75 म आपको निवेदन करना चाहता हूं, यह ठीक है। रांइट इमर्जेन्सी वाली बात, मैं तो चाहता हूं आप उसको लाना चाहते है ....

श्री चन्दनमल बैद : आपके सिर पर पर यह इमर्जेन्सी का खौफ.....

ललित किशोर चतुर्वेदी : मेरे सिर पर नहीं है। उसके पहले 73 में संशोधन किया आपने, तब आपको नहीं लगा। इमर्जेन्सी में तो सरकारीकरण क्या होता था, इमर्जेंसी की चर्चा छोड़िये वह तो सारा भूत लगा है माथे पर और उसी प्रक्रिया को वापस लाना चाहते हैं। इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इस एक्ट में गरिमा बनायी थी, स्पीकर का नाम हमने 72 से लेकर आज तक चलाया था। अब घसीटने का जिक्र करके बदल ने वाली बात तो आपके इंटेशन को जाहिर करती है कि आपका दृष्टिकोण माननीय अध्यक्ष महोदय के प्रति कैसा है। यह है। माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, यह इसकी बात नहीं है कि कागज तो हिला दिया, पास कर दिया उसको। पहले स्टेट्स थे आपके। आपने स्वयं रखा, वह 62 से लेकर 75 तक चला। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब आप नामिनेट करें, तो मैं कहना चाहता हूं, गंभीरता से विचार करें। इसके रिपर्कशंस अच्छे नहीं होंगे। देश के बाहर, प्रदेश में जो सुनेंगे समझेंगे, एक डिवेल्यूएशन करने की कोशिश की है आपने इस विधान सभा को, विधान सभा के माननीय अध्यक्ष को। मैं कहना चाहता हूं, स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं, इसलिये मैंने एक संशोधन आपके सामने रखा, जो तर्क आपने दिये उन पर पुनर्विचार करें।

एक संशोधन मैंने इसलिये रखा था two persons to be nominated from amongst the registered graduates"

आपने कोट किया, न टीचर्स, न विद्यार्थी कौन लोग हैं? शिक्षा मंत्री महोदय, 62 से 73 तक यह चला और 73 में संशोधन हुआ, 75 का उसको देख लीजिए वही बताना चाहता हूं, आपको। उस समय भी नान टीचर्स नान स्टू-

Page No 215

(215)

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

डेन्ट्स । इस नाते से चले आ रहे थे, वे कौन थे ? वे रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स थे । तीन साल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद कोई भी व्यक्ति अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है । ऐसे रजिस्टर्ड ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी के नाते जाते हैं । राजस्थानी, हिन्दुस्तान के कोने कोने में फैले हुए होते हैं । उन सारे लोगों में से चुनाव होता है । वे सीनेट के सदस्य होते हैं जो सीनेट में चुन कर आते हैं तथा बोर्ड आफ कंट्रोल में चुनकर आते हैं । सीनेट के लोग उनमें से चुनते हैं जो चुनकर एक्जीक्यूटीव कमेटी में आते हैं । यह चला है आपके समय में । आप तर्क दे रहे हैं, कौन आ गये । नान, स्टूडेन्ट नान टीचर्स । 73 से पहले क्या था ? 73 से 75 तक क्या था ? आज क्या लगने लग गया आपको ? आज कौनसी बात लगने लगी आपको ? हमको तो कोट कर रहे हैं जरा अपने पीछे दृष्टिकोण है, उसके पीछे तर्क है, उन लोगों को इलेक्ट करके यूनिवर्सिटी की एक्जीक्यूटिव बाडी में क्यों लाना चाहते हैं ? जैसा मैंने कहा विश्वविद्यालय का संबंध समाज से होता है समाज और विश्वविद्यालय...

श्री चन्दनमल बैद : वह अनुभव आपको नहीं है इसलिए इस बात को बदला है । आदमी को हमेशा अनुभव से सीखना चाहिए । हमने अनुभव से सीखा है ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : आपने जो संशोधन किये हैं, इमर्जेंसी के समय के संशोधन, क्षमा करेंगे, आप, उनको देखने की कोशिश करिए । तर्क तो देने लगे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 73 से 75 तक बिफोर इमरजेंसी, जनता रूल और यह आप अब लाए हैं बिल, इन पांचों को छोड़ दीजिये, पहले जो नामिनेटेड लोग हैं,

(9.43 रात्रि)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, पीठासीन अध्यक्ष)

Two eudcationists to be nominated by the Chancellor. This is before 1973,

इमर्जेंसी में भी चला, चलता रहा, professor naminated by the vice Chancellor वह चलता रहा फिर दूसरा आ गया, Two persons, non-students, non-employee वही चला है । आपने कोई नया अनुभव कर लिया हो, ऐसी बात नहीं है । आप चाहते हैं समाज का संबंध यूनिवर्सिटी से न रहे ।

एक और है । एक प्रिंसिपल आया करते थे, इलेक्ट होकर । वे भी आपको अच्छे नहीं लगे । कैसे आ जायें प्रिंसिपल । काट दो उसको । आपने जो यूनिवर्सिटी बोर्ड का कोट किया कि चार इलेक्टेड और चार नामिनेटेड । यानी पर्सेन्टेज क्या हुआ फिफ्टी फिफ्टी । और इनमें क्या है, जो आप करना चाहते हैं ? 5 से 3 कर दी आपने, पर्सेन्टेज क्या है, विचार करें । पर्सेन्टेज की दृष्टि से देखियेगा । एक बैलेंस करने की कोशिश की गई थी । पिछले वर्षों में एक बैलेंस था । आपने संशोधन लाकर बैलेंस बिगाड़ कर केवल मात्र कठपुतली अपने हाथों में रखने वाली, जो अपने मन में चाहे करवाने वाली बात है । आपकी इमर्जेंसी वाली प्रक्रिया मन में है । इसलिये मैं चारों संशोधन लाया । मैं अपील करता हूं उस वक्त जबर्दस्ती से लिख दिया लिखना था, शायद उस वक्त विचार नहीं किया, मंत्री महोदय, तो अब विचार कर लीजिये । याद आता है मुझे तत्कालीन मुख्य मंत्री महोदय ने कहा था एक सुपर चीफ मिनिस्टर है, पता नहीं अखबारों में छपा था । उसका कंट्राडिक्शन नहीं हुआ, इसलिये मानते हैं ।

श्री चन्दनमल बैद : किस चीज का ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : एक सुपर चीफ मिनिस्टर हैं राजस्थान में । तत्कालीन मुख्यमंत्री महोदय ने इन्हीं के संदर्भ में कहा था। इसके संबंध में कंट्रोडिक्शन होता तो मेरी समझ में आता । या तो शिक्षा मंत्री थे वे कर देते या मुख्य मंत्री कर देते । उनका वक्तव्य छपा था He is super Chief Minister, but in the hands of bureaucracy, ऐसा हुआ है । माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, उस समय कहा था कुछ तर्क के आधार पर पुनः विचार करें । इसका डेमोक्रेटिक स्ट्रेक्चर न बिगाड़ें, सरकारीकरण करने की कोशिश न करें। सरकार के शिकंजों में पंजों में कसने की कोशिश न करें। आपने जो स्पीकर और गवर्नमेंट वाली चर्चा करके डिवेल्यूएशन करने की कोशिश की, इस विधान सभा को, वह ना करें । उन थोथे तर्कों के आधार पर न करें यही अपील करना चाहता हूं ।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, मैं विस्तार से जो संशोधन.....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : भैंस के आगे बीन बजाना है ।

श्री चन्दनमल बैद : आपने रखे हैं, मैं एक ही बात निवेदन करना चाहता हूं, पहले भी कह चुका हूं, माननीय सदस्य इस बिल को या एक्ट को उस स्थिति में ले जाना चाहते है, जिस स्थिति में 77 में ले गये थे । मैंने पहले कह दिया 77 में जो बिसंगतियां पैदा की हैं, उनको सुधारने के लिये बिल लाये हैं ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : वह बताओ ना विसंगतियां ।

श्री चन्दनमल बैद : बता दूंगा, बता चुका हूं ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : फिर बताओ।

श्री चन्दनमल बैद : अगर एक बार में नहीं समझे तो दो बार में भी नहीं समझोगे, बारबार दोहराना नहीं चाहता । एक ही बात बताना चाहता हूं हमने जो प्रावधान 77 के पहले रखे थे, उन प्रावधानों का दुरुपयोग हुआ । तब हमारी समझ में आया कि वैसी कि वैसी स्थिति फिर कभी आ सकती है, इस वास्ते वह प्रावधान नहीं रखा । जैसे मैं निवेदन करना चाहता हूं सैक्शन दो, रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स का 77 के बाद दुरुपयोग किया गया । इस वास्ते उचित समझा कि इस प्रावधान को हटा दें । इसलिये कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन प्रस्ताव रखे हैं उनको मैं अस्वीकार करता हूं, स्वीकार करने में असमर्थ हूं ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 2 में जो संशोधन प्रस्ताव रखा गया है उसे स्वीकार किया जाये ?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया ।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 को स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 स्वीकार किया गया ।

खण्ड 3 और 4 में कोई संशोधन नहीं है ।

प्रश्न यह है कि खण्ड 3 और 4 स्वीकार किये जायें ?

(स्वीकृत)

खण्ड 3 और 4 स्वीकार किये गये ।

खण्ड एक अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना, नाम आदि में कोई संशोधन नही है ।

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि खण्ड 1 अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना, नाम आदि स्वीकार किये जायें ?

(स्वीकृत)

खण्ड 1 अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना, नाम आदि स्वीकार किये गये ।

विधेयक का पारण

प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उदयपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1981 को पारित किया जाय ।

चन्दनमल बैद (शिक्षा मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उदयपुर यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, 1981 को पारित किया जाय ।

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय उप-मंत्री जी से क्षमा मांगता हूं मैंने उनको उपालम्भ दिया था जब आप बिल को पायलेट कर रहे थे लेकिन जब माननीय शिक्षा मंत्री जी इस बिल पर तर्क दे रहे है तो मेरी आत्मा ने मुझे धिक्कारा कि मैंने आपको गलत समझ लिया । उनकी जो लचर दलीलें थीं और प्रोंपटिंग आपको कर दिया अगर ये मोस्ट एजूकेशनिस्ट होते तो भी क्या होता मुख्य मंत्री होते हैं, मंत्री होते हैं । और उप मंत्री होते हैं तो क्या फर्क होता है बता दीजिये

श्री अध्यक्ष : अपने नियमों में कोई फर्क नहीं है ।

श्री कैलाश मेघवाल : फर्क तो है अध्यक्ष महोदय, इसलिये मैं निवेदन कर रहा हू कि पी. आई. पी. की हाजिरी में रहेंगे आप, पी. आई. पी. होते हैं फिर आई. पी. होते हैं तो आपने हमारे माननीय मंत्री जी को कम कैसे समझ लिया ? मैं इसलिये निवेदन कर रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, आखिर शिक्षा का बिल हम पारित कर रहे हैं तो इसमें इस तरह की लचर दलीलें दी गई हैं जिससे लगता है ये एमीनेंट एजूकेशनिस्ट नहीं हैं और मोस्ट एजूकेशनिस्ट होते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसी ही युक्ति के कारण यह बिल ला रहे हैं । इसलिये मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं, कि एक बात कही गई अभी नान स्टूडेण्ट, नान टीचर, की अध्यक्ष महोदय, शिक्षा मंत्रीजी का मतलब क्या है, मुझे आपको समझाना पड़ेगा ताकि इनके समझ में आ जाये । इसके मायने यह है कि बोर्ड आफ कंट्रोल है, जो बोर्ड आफ कंट्रोल की रचना है उस बोर्ड आफ कन्ट्रोल में से दो व्यक्ति चुनकर आते हैं । एक्जीक्यूटिव में प्रतिबंधित क्या किया है नान स्टूडेंट, नान टीचर और क्यों किया है वह मैं आपको बता देना चाहता हूं, इसलिये किया गया है अध्यक्ष महोदय, कि टीचर्स का रिप्रेजेन्टेशन अलग किया गया है । टीचर भी बोर्ड आफ कंट्रोल के सदस्य हैं और उनका अलग रिप्रेजेन्टेशन एक्जीक्यूटिव कमेटी में किया गया है, इसलिये इसके माध्यम से कोई भी टीचर नहीं आता है यह आपकी हुकूमत में किया गया है यह मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं । टीचर कोई भी हो उससे मुझे कोई मतलब नहीं । नान स्टूडेंट किसलिये कहा गया है, वहां पर इसलिये कि स्टुडंट का भी अलग से रिप्रेजेंटेशन दिया गया है इस सिंडीकेट में, इसको आज आप खत्म नहीं कर सकते । मैं जानता हूं इसलिये खत्म नहीं कर सकते क्योंकि विद्यार्थियों में ताकत है आन्दोलन की, विद्यार्थियों में ताकत है अधिकार लेने की । आज अधिकार ख... करके आप

(श्री कैलाश मेघवाल)

देश के अधिकारों की बात तो कर रहे हैं लेकिन टीचर्स के जो अधिकार चुनाव के हैं वें भी आप खत्म नहीं कर सकते। 2-3-4 बार नान स्टूडेन्ट की चर्चा हुई। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो नोन टीचर रजिस्टर्ड ग्रेजूएट आते हैं मुझे मालूम है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में उदयपुर यूनिवर्सिटी में वन मस्ट बी. ए. रजिस्टर्ड ग्रेजूएट यह प्रावधान है और रजिस्टर्ड प्रतिनिधि ग्रेजूएट प्रतिनिधि होता है ग्रेजूएट चुनाव के पहले स्तर पर पहली सीढ़ी के स्तर पर होता है। ग्रेजूएट कोई नीचे नहीं है। केवल 4 या दो रजिस्टर्ड ग्रेजूएट आपके चेम्बर में है बोर्ड आफ कट्रोल में है। इस बोर्ड आफ कंट्रोल की रचना देख लीजियें, अध्यक्ष महोदय, किस स्तर के चुने हुए प्रतिनिधि है। आपका विश्वास खो दिया इसमें 99 प्रतिशत, 98 क्योंकि 125 के करीब से बोर्ड बनता है उसमें केवल दो रजिस्टर्ड चुनाव लड़के आते हैं बाकी 123 आपके प्रावधानों के अनुसार हैं और 123 में कौन-कौन हैं अध्यक्ष महोदय, आपको तो रचना मालूम है, लेकिन जिनको मालूम नहीं है उनकी जानकारी के लिये निवेदन करना चाहता हूं। आप तो बोर्ड आफ कंट्रोल की एकेडेमिक कमेटी में पधारे हैं और आपके पास मैं बैठा हूं, मुझे मालूम है वें इलेक्टेड कौन कौन हैं आपने तो बहुत अच्छी तरह से देखा है जो इलेक्टेड हैं।

Constitution and composition of Board of Control:

I. The Vice Chancellor as Chairman.

II. Ex-officio Members

Vice Chancellors of other Universities in Rajasthan.

Ex-Vice Chancellors of the University.

Deans of Colleges or Faculties.

Registrar.

Chief Justice of Rajasthan.

Minister of Education, Rajasthan

Minister of Agriculture, Rajasthan.

Development Commissioner, Rajasthan.

Finance Secretary.

Agriculture Secretary.

Education Secretary.

Director of Agriculture.

Director of Animal Husbandry.

Director of College Education

Director of Primary & Secondary Education.

Director of Technical Education.

All Heads of Departments of the status of Professor/Reader.

Chairman. Mciipal Corporation, Udaipur.

Such other ex-officio Members as may be designated by the Statutes.

III. Representative Members

One representative of the Rajasthan Board of Institute of Engineering.

Two registered graduates.

इसमें दो रजिस्टर्ड ग्रेजूएट आते हैं। एक रिप्रेजेंटेटिव अध्यक्ष महोदय, बोर्ड आफ इंजीनियरिंग का

One representative each of the Faculty of Science of the University of Rajasthan and of every

(श्री कैलाश मेघवाल)
other University in the State esta-blished by law.

One Principal/Head of College. यह प्रिंसिपल आपने नहीं रखा है—Four persons elected by the Academic Council 17 Persons elected by the teachers यह टीचर रखा है इलेक्टेड बाई टीचर्स । ये टीचर्स यूनिवर्सिटी के होंगे और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, होंगे यह है आपके बोर्ड आफ कंट्रोल की रचना। इसमें इलेक्टोरल कालेजेज से चुनकर जो आदमी आये उसमें एक रजिस्टर्ड ग्रेजूएट है जो पहली सीढ़ी को पार करता है । इस के अलावा आपके और ज्यादा नहीं है।तीन रिप्रेजेंटेटिव्स आपने रखे हैं । मैं इसलिये निवेदन करना चाहता हूं, आपने नान स्टूडेंट और नान टीचर रखे हैं तो क्या इलेक्टोरल रोल आपका आया ? इस तरह के इलेक्टोरल जो कालेजेज हैं, उससे चुनाव भाग खींच नहीं पायेंगे ? यह अनुमान माननीय चन्दनमल जी आपका हो सकता है जिसको और कोई स्वीकार नहीं कर सकता। यह इस तरह की लचर दलील है जिस प्रकार 134 माननीय सदस्यों ने माथुर साहब को चुना है जैसा कि माथुर साहब ने पिछली बार कहा,वे भी चुन कर आये हैं और जिस प्रकार से विधानसभा भी अपने स्पीकर को चुनती है तो कोई इलेक्टोरल कालेज का रिप्रेजेंटेटिव चुन कर आये उस पर आपको विश्वास नहीं कि शिक्षा में कुछ योग दे सकेगा, हमारी शिक्षा को आगे बढ़ा सकेगा यह भी तब आपके अनुभव में नहीं आया, जब तक आपकी कांग्रेस की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं वे आते रहें। मेरा कहने का मतलब यह है कि उदयपुर में कांग्रेस "आई" के एक अच्छे व्यक्ति थे, मेरा कहने का मतलब यह है कि वे आते तो मुझे कोई विरोध नहीं,मैं उन्हें जानता हूं । माननीय अध्यक्ष महोदय, नाथद्वारा से आने वाले विधायक ने निवेदन किया था कि आपके वक्त में यूनिवर्सिटी से कोई सी.पी.आई. का या जनसंघ का आदमी जीत-कर आ जायेगा, चुनाव लड़ करके आयेगा, तो विश्वविद्यालय राजनीति का अखाड़ा बन जायेगा । जब तक सी. पी. जोशी और प्रो. प्रकाश आतुर या इस तरह के दूसरे लोग सीटों के लिये लड़ते रहेंगे तब तक राजनीति नहीं आयेगी, यह बात गौर करने वाली है । एक बात और है कि स्पीकर द्वारा जो नोमिनेटेड है वह भी हमारा आ जाय माननीय अध्यक्ष महोदय, 72 में आपके लोगों की हुकूमत ने, कांग्रेस सरकार थी. कांग्रेस की मेजोरिटी विधान सभा में उस समय माननीय अध्यक्ष महोदय स्वर्गीय सदस्या प्रभा मिश्रा उदयपुर में स्पीकर की नोमिनी होकर आई इसलिये आपकी भी चर्चा कर लेते हैं लोग कि विधान सभा की ओर से हमारे यहां योग देने आई है । एक तो वह राजनीति थी और आज इस तरह की बातें ले रहे हैं । इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें आप नोमिनेशन नहीं करते हैं, वह करती है पहले गवर्नमेंट । आप कहिये उदयपुर यूनिवर्सिटी का उद्देश्य क्या है, मुझे समझ में नहीं आता । उदयपुर यूनिवर्सिटी के मुख्य उद्देश्य, आब्जेक्ट्स आफ दी यूनिवर्सिटी है—

"The University shall be deemed to have been established and incorporated for the purposes amongst others, of: making provision for imparting education in different branches of learning, particularly Agriculture, Medical Science, Rural Industry, Agricultural Engineering, Veterinary Science, Home Science and other allied Sciences,

(श्री कैलाश मेघवाल)

इन साइंस की हायर क्लास आफ टीचिंग जो है वह उदयपुर यूनिवर्सिटी में कर दी तो क्वालिटी तो कर दी।

"Two principals nominated by the Chancellor,:'

आप कहते हैं कि कोई एग्रीकल्चर का साइंटिस्ट होगा, आप कहते हैं, उदयपुर यूनिवर्सिटी का साइंटिस्ट होगा। यह जो रिकमण्डेशन की है एमीनेंट एजूकेशनिस्ट की माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर देना चाहता हूं, मेरी स्मरण शक्ति ठीक है तो 77 के पहले का जो एक्ट है उसको निकाल कर देख लीजिये वह भी परिभाषा आपकी दी हुई है उस समय आप कितनी अच्छी परिभाषा देने की क्षमता रखते थे, उस समय आपके दिमाग में एजूकेशनिस्ट की कल्पना थी आज वह कल्पना समाप्त कैसे हो गई ? अब आपने एक्टजीक्यूटिव की यह रचना कर दी। मैं चुनौती देना चाहता हूं 75 की जो एक्जीक्यूटिव रचना है उसको उठा कर देखिये और 77 की देखिये आपातकाल लगने और आपातकालीन स्थिति समाप्त होने के बीच में इस तानाशाही की काली छाया में, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जो संशोधन किया था, हमने वह संशोधन ठीक किया उस काली छाया में आपने जो संशोधन किया था हमने वह संशोधन ठीक किया है। आप फिर इधर बैठे हैं इसमें कोई चिन्ता की बात नहीं है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि 1977 के चुनावों में आपातकालीन काले कारनामों के कारण आपको ठुकराया गया था और 1980 के आम चुनावों में हमको ठुकराया गया है। इसलिये इस गलतफहमी में मत रहिये कि बहुमत आपके साथ है। देश की जनता ने जो काले कानून आपने बनाये थे, आपातकाल की काली छाया में, उसमें संशोधन किया था। 1977 में एक्जीक्यूटिव कमेटी बनी थी। आप फिर वही काम करने जा रहे हैं जो इस देश की जनता को स्वीकार नहीं है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस बिल को वापस लीजिये और राजस्थान के शिक्षा जगत को सुन्दर, स्वस्थ रहने दीजिये। शिक्षा मंत्रीजी, आप कहते हैं एक्जीक्यूटिव कमेटी दूसरे कामों के लिये है। एक्जीक्यूटिव कमेटी अकेडेमिक कौन्सिल हैं It is an academic council also.

आपको इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिये। Academic committee shall also manage administrative matters and academic affairs of the University.

अकेडेमिक कौन्सिल में आने के बाद भी औपचारिक, अनौपचारिक एक्जीक्यूटिव कमेटी में आते हैं। मैं आपकी सूचना के लिये निवेदन करना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये।

श्री कैलाश मेघवाल आपने कहा कि एक्जीक्यूटिव कमेटी में एडमिनिस्ट्रेशन मैटर नहीं आते हैं। मैं यह निवेदन करूंगा कि आप इस बिल को वापस लीजिये तो राजस्थान की जनता की शिक्षा का उद्धार होगा 1975 में आपने शिक्षा मंत्री के रूप में कहा था कि विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता में राज्य सरकार कम से कम हस्तक्षेप करेगी। वह कम से कम अधिक से अधिक में बदल गया है। यह तो आप ही जानें। शिक्षा जगत के अच्छे लोगों को भेजिये, परिभाषित लोगों को भेजिये

(श्री कैलाश मेघवाल)

सांइन्टिस्ट भेजिये तो इसका सुधार होगा । बाकी क्या होगा यह तो भविष्य बतायेगा । इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा ।

श्री अध्यक्ष : दो-दो मिनट का समय दूंगा । माननीय सदस्य तीन विधायकों के लिये जो समय निर्धारित किया गया था वह नजदीक आ गया है । इसलिये यह मेरे अधिकार में नहीं है कि सब प्रश्न पूछे जायें, माननीय सदस्य समय का ध्यान रखें ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : रिपीटिशन नहीं होगा ।

श्री अध्यक्ष : रिपीटिशन तो जो होशियार होते है वे साल भर बोलें तो भी नहीं हो । दो मिनिट का समय । तीन विधेयक और हैं । आज की सूची में जो विषय है वह पूरे होने तक समय बढ़ाया गया है । आज की कार्य सूची पूरी होने तक समय बढ़ाया गया है इन दो, तीन, विधेयकों के लिये दस बजे तक का समय निर्धारित किया गया था ।

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान उदयपुर यूनिवर्सिटी एक्ट के सेक्शन 19 के सब सेक्शन 3 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें एक्जीक्यूटिव कमेटी के लिये यह लिखा गया है कि डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में the board shall require u/s 10 of the Sec. 19 of the University Act 62 u/s 38 read with sec. 19...

श्री अध्यक्ष : हाउस का मूड तो इसको पास करने का है ।

श्री सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि सेक्शन 19, का धारा 3 के अन्तर्गत यह लिखा गया है कि बोर्ड को रिव्यू करने का अधिकार है । इस सिन्डीकेट के फंक्शन, डे टू डे अफेयर्स, और बोर्ड के कम्पोजीशन में कोई चेन्ज नहीं किया गया है ।

श्री कैलाश मेघवाल : बोर्ड की मीटिंग में क्या होता है यह मैं भी जानता हूं और आप भी जानते हैं ।

श्री सी. पी. जोशी : बोर्ड को रिव्यू करने का पावर है, डे टू डे अफेयर्स को । 1977 की तत्कालीन सरकार ने यह संशोधन किया था कि राजस्थान की को-आर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन, तत्कालीन शिक्षा मंत्री होगा । परन्तु संशोधन करके तत्कालीन शिक्षा मंत्री, भंवरलाल शर्मा को उदयपुर विश्वविद्यालय की एक्जीक्यूटिव कमेटी का मेम्बर बनाया गया और यह राजस्थान का दुर्भाग्य है कि जो राजस्थान का शिक्षा मंत्री चेयरमैन था वह डिविजन को इन्फ्लुएन्स करने के लिये एक्जीक्यूटिव कमेटी का मेम्बर बनाया गया । इसलिये इसको चेन्ज किया गया है ।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये माननीय सदस्य ।

दो मिनट ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर): अध्यक्ष महोदय, नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य का यह अनुमान है कि 1977 में जो हमने संशोधन किया था उससे राजस्थान के विश्वविद्यालय तहस-नहस हो गये । मैंने एक प्रश्न किया था जिसका यह जवाब आया है । 73 से लेकर आपके कितने एडहॉक थे 1977 तक, वह लगभग 400 लोगों की लम्बी सूची है । तो यह

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)
आपके उस समय के शासन का एक दृश्य है। दूसरा मेरा निवेदन सिंह कमीशन की रिपोर्ट के बारे में है। हमारी सरकार को बधाई देनी चाहिए कि हमने अनियमितताओं की जांच के लिये सिंह कमीशन को रिपोर्ट देने के लिये कहा। उसने जो रिपोर्ट दी उसके बाद हमने उस पर कार्यवाही करने की प्रक्रिया निर्धारित की है। विधान सभा के पिछले सत्र में भी मैंने स्वयं ने सिंह कमीशन ने जिन लोगों को दोषी पाया है, उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्यवाही करने के लिये निवेदन किया है चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो। अगर वह गलती करता है और उसके कारण से विश्वविद्यालय का अहित होता हो तो मैं स्वयं इसके पक्ष में हूं और आज दिन तक हमने हमारे राजनैतिक स्वार्थ सिद्धि के लिये उसकी पैरवी नहीं की है। नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य का जो ऐतराज है, श्री भंवरलाल शर्मा का मनोनयन होना यदि इतना गुनहगार है तो मैं आपसे ऐसी अपेक्षा नहीं करता था उस कालेज, विश्वविद्यालय के आप टीचर हैं और दूसरी ओर कांग्रेस के विधायक होने के नाते आप उसमें यहां से नामिनेट होकर जावें और वहां जाकर डायरेक्ट, इनडायरेक्ट राजनीति में दखलंदाजी करें। क्या यह उत्तम है? यह दृष्टिकोण अच्छा नहीं है। मैं यह निवेदन करूंगा कि जिस डाक्टर सुन्दरम के केस के बारे में बताया गया है, मैंने भी इस केस को पढ़ा है। सन 1967 में अपाइन्टमेन्ट हुआ लेक्चर के पद पर, 1968 में उसका कन्फर्मेशन हुआ और उसके बाद बिना जगह के स्टाफ गैप अरेन्जमेन्ट के उनका असिस्टेंट प्रोफेसर पर नामिनेशन हुआ। सिंह कमीशन ने जो रिपोर्ट दी है उसमें यह वर्डिंग्स लिखे हुए हैं। पोस्ट न होते हुए भी पोस्ट पर रखा गया...........

श्री सी.पी. जोशी : ट्रान्सफर आफ पोस्ट......डीन की पोस्ट पर है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, आपको ताज्जुब होगा 6 महीने तक इस पोस्ट पर रहने के बाद उनको डीन बनाया गया। यह अनियमितता है। उसका रेगूलर सलेक्शन होता लेकिन जो पहले सीनियर थे उनको टाल कर आपने कर लिया है। उस पर विश्वविद्यालय को कोर्ट से स्टे मिला है। इस सुन्दरम के केस में वाइस चांसलर के प्रति, शिक्षा के प्रति जो ईमानदारी से काम किया है उस के लिये सहानुभूति है, परन्तु पार्टी के प्रति सहानुभूति नहीं है। विधान सभा की 30 साल की प्रोसिडिंग्स निकाल कर देख लीजिये, विश्व विद्यालय की हर अनियमितता के बारे में मैंने पिछली विधान सभा में प्रश्न उठाये हैं, आज भी उठाया है और आगे भी उठाता रहूंगा। अनियमितताओं के साथ कोई पक्षपात नहीं करूंगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि जो वाइस चांसलर उस समय थे उनके चरित्र पर किसी प्रकार का दाग नहीं है। उनमें किसी प्रकार की अयोग्यता नहीं थी उन्होंने किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार नहीं किया और कुछ नहीं किया केवल चांदमल वाला केस हुआ आप कहें कि धड़ाधड़ आपके चाहे लोगों को एडमिशन दे दें, आप उसको बराबर कहते रहें। मंत्री महोदय, बराबर चैम्बर में जाकर कहते रहे कि उनको एडमिशन दो। कहां से देंगे? कोई प्रोविजन नहीं है। इसके कारण से नाराज हो गये हैं जिन लोगों को ऐड नहीं

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

दी गयी, 2.5 से ज्यादा उसमें नहीं दे सकते हैं। ऐसे लोगों का एडमिट आप करना चाहते है एम. एससी. में......

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : उनमें कोई व्यक्तिगत खराबी हो तो निकाल दें या कोई शिक्षा के स्तर में कमी हो......

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : और केवल राजनैतिक आधार पर आप उसको हटायें यह तो ठीक नहीं है। फिर मैं आपसे निवेदन करता हूं कि यह जो

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : कानून लाये हैं आप स्वयं संतुष्ट होंगे। कृपा करके फिर विचार कर लें जो कुछ लाये हैं आप स्वयं उससे संतुष्ट हैं क्या ? केवल हम ले आये हैं, कुछ न कुछ करना है कांग्रेस की जेब में यूनिवर्सिटी को रखना है, यह मामला है तो पारित करें। आपकी मेजोरिटी है उस मेजोरिटी के आधार पर करालें जो कुछ करा सकते हैं लेकिन इस शिक्षा के लिये यह उचित नहीं कर रहे हैं। इतना ही नहीं फिर से विचार करें अभी कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई है।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : जो खराबियां आ गयी हैं उनको सुधारें उनके लिये ना नहीं कर रहे हैं, जो खराबियां आ गयी हैं उनका सुधार करें। यह खराबी है यह सुधार करें वह खराबी है वह सुधार करें। पर यह नहीं कि वाइस चांसलर को हटा दिया। आपने यह जो उद्देश्य बताये हैं ये सात पीढ़ी में भी पूरे होने वाले नहीं है। 30 साल का बीज है यह कोई आज कल की बात नहीं है, यह कोई ढाई साल का बच्चा नहीं है इसलिये इसको टालने की कोशिश नहीं करें।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : हम सब जानते हैं : माननीय मंत्री महोदय को आगाह करूंगा कि इस पर पुनः विचार करें, सन्तोष से विचार करें, शांति से विचार करें, दिमाग से विचार करें पार्टी से ऊपर उठकर विचार करें। यही कहना है।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : सरकार सो रही है।

(व्यवधान)

अभी भी सो रही है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : जगाइये, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय।

एक माननीय सदस्य : उठे नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : आप भी सो जाओ।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के दो माननीय सदस्य बोले एक सदस्य बोले वह तो केवल इस विषय पर

(श्री चन्दनमल बैद

बोले थे, यह जताने के लिये बोले थे कि उनको यूनिवर्सिटी अफेयर्स के बारे में यूनिवर्सिटी एक्ट और वर्किंग के बारे में काफी जानकारी है जो सूचना उन्होंने दी वह हमको मिली। अब उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य द्वारा वाइस चांसलर के बारे में एडमिशन के लिये कुछ कहा गया। जो माननीय सदस्य, मैं आपको और अगर आप विश्वास करना चाहें तो कोई दबाव आज तक वाइस चांसलर, प्रिंसिपल्स मास्टर को.....

श्री गुलाबचन्द कटारिया : मैंने भूतपूर्व शिक्षा मंत्री, श्री हनुमानप्रसाद प्रभाकर के लिये कहा था।

श्री चन्दनमल बैद : निवर्तमान शिक्षा मंत्री ने एडमिशन के लिये कहा और उन्होंने एडमिशन नहीं किये और वे एक्ट में संशोधन नहीं कर पाये और मैं एक्ट में संशोधन ले आया क्या बात आपने कही...

श्री गुलाबचन्द कटारिया : जुलाई में कहां थे ?

श्री चन्दनमल बैद : मुझे भी इस बात पर हंसी आती है।

श्री बाऊदयाल जोशी : मई में किया होगा।

श्री चन्दनमल बैद : मई में भी मैं ही शिक्षा मंत्री था आपकी जानकारी के लिये कह दूं।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : सुपर चीफ मिनिस्टर थे, वे।

श्री चन्दनमल बैद : तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने जुलाई, अगस्त में कहा होगा और वे फरवरी तक कुछ नहीं कर सके। फरवरी में मैं शिक्षा मंत्री बनकर आया तो मई में मुझे याद आया कि प्रभाकर जी ने एडमिशन के लिये कहा था और वाइस चांसलर ने नहीं किये, इसलिये मैंने यह संशोधन कर दिया। जैसे आपके नेता है राजनीति में भानुमति का कुनबा बनाने वाले, आप भी वैसे ही....

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, क्षमा चहता हूं अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात पहले ही कह चुका हूं फिर दुबारा कहना चाहता हूं और बार बार कहता हूं कि हमारे विश्वविद्यालय की छवि बिगड़ रही है और इसको सुधारने के लिये सरकार पूरी कोशिश कर रही है और करती रहेगी। यह पहला कदम है इसके बाद भी जो कदम उठाना चाहते हैं वह यह है कि तीनों यूनिवर्सिटी का एक ही एक्ट बनायें और विधान सभा में लायें। जो कुछ पीछे का अनुभव होगा दूसरे जो देश के विश्वविद्यालय हैं और प्रदेश का जो अनुभव है उसके आधार पर कुछ हम सुधारों के लिये कदम उठायें। इसके साथ साथ हम इस बात का भी प्रयास करना चाहते है कि आये दिन जो टैम्प्रेरी नियुक्तियां, एडहाक अरेंजमेंट और सलेक्शन करने में कमी रही यह सब जो सुनते है उसके लिये जिस तरीके से स्टेट सर्विस में चयन करने के लिये पब्लिक सर्विस कमीशन बना हुआ है उसी तरह से लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स की सेवाओं का चयन करने हेतु भी अलग से एक कमीशन होना चाहिए, इसके बारे में सरकार सोच रही है।

मैं विश्वास दे रहा हूं आपको कि हम जो काम कर रहें है वह शिक्षा को आगे बढ़ाने और शिक्षा को सुधारने के लिये करना चाहते

(श्री चन्दनमल बैद)
हैं। हमारी यही मंशा है। आपकी मंशा कुछ भी रही होगी, आप अपने आप में अपनी सूरत देखकर हमारी सूरत मत बताइये। जो कुछ भी आपने किया वह आपको मुबारक। हमारी मंशा यह है कि हमको ढाई साल में नहीं जाना है। इसलिये हम यह चाहते हैं कि....

श्री अध्यक्ष : आपके अनुभव से लाभ उठाना चाहते हैं।

श्री चन्दनमल बैद : आपके अनुभव से लाभ उठाकर अच्छे काम करें, इन्हीं शब्दों के साथ आपसे प्रार्थना करता हूं कि इसको के पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि उदयपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1981 पारित किया जाये ?

(स्वीकृत)

उदयपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1981 पारित किया गया।

राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1981

इसमें एक सर्वप्रथम संकल्प प्रस्तुत होगा। राजस्थान विश्वविद्यालय संशोधन अध्यादेश, 1981 के संबंध में परिनियत संकल्प।

परिनियत संकल्प

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 19 मई, 1981 को प्रख्यापित राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1981 (अध्यादेश संख्या 3, सन् 1981) को अस्वीकार करता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बिल राजस्थान विश्वविद्यालय में सुधार करने के लिये नहीं जैसा कि कहा गया है, सिंडीकेट का विघटन करने के लिये लाया गया है। इसके उद्देश्य बताते वक्त यह दलील दी गयी है कि जो आज 3 अंग है, विश्वविद्यालय के छात्र, अध्यापक और कर्मचारी, उन तीनों अंगों में अनुशासनहीनता फैल रही है। मेरी समझ में नहीं आता है कि अनुशासनहीनता फैल रही है तो सिंडीकेट का विघटन करने का बिल लाना चाहिए था क्या ? यह बिल लाना चाहिए था कि समय पर परीक्षा हो सके। असंतोष क्यों था ? छात्रों में क्यों असंतोष है, उसको गहराई से नहीं समझा गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, असंतोष यह था कि 90 प्रतिशत छात्र परीक्षा देना चाहते हैं और केवल 10 प्रतिशत छात्र परीक्षा नहीं देना चाहते हैं तो 10 प्रतिशत छात्र सिर पर चढ़कर बोलते हैं, उनसे प्रशासन दब जाता है। उनके पीछे 90 प्रतिशत छात्रों को पीछे रख दिया जाता है। अच्छा तो यह रहता, माननीय शिक्षा मंत्री जी, कि यह बिल लाते कि हमारे यहां पर मौसम के अनुसार जिस तरह की मार्च, अप्रेल में.....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, समाप्त करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं संक्षेप में ही कह रही हूं। मैं विस्तार में जा ही नहीं रही हूं। विस्तार में मेरे से पूर्व वक्ता बोल चुके हैं।

श्री अध्यक्ष : समय निर्धारण से 20 मिनट ज्यादा हो गये हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं तो किसी भी विषय पर नहीं बोली हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : तो कल भी रख लें।

श्री अध्यक्ष : आज सूची में लिये गये कार्य के समाप्त होने पर ही सदन की कार्यवाही समाप्त की जायेगी ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : पहले कहा था कि तीन ही करेंगे ।

श्री दाऊदयाल जोशी : खेतसिंह जी ने कहा था कि विश्वविद्यालय के बिल के बाद कार्यवाही समाप्त हो जायगी ।

श्री अध्यक्ष : यह कहा होगा खतसिंह जी ने, यह बात नहीं है ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैंने नहीं कहा है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : × × × बोल रहे हैं तो कोई बात नहीं है । यह चर्चा हुई थी, कि तीनों बिल यूनिवर्सिटीज के आज और एक बिल कल हो जाएगा । अब आप कुछ और कह रहे हैं तो बात अलग हो जाती है ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय मैंने तो आपको 5 बजे यह निवेदन किया था कि आज की कार्यसूची समाप्त हो तब तक समय बढाया जाय, वह आपने बढ़ा दिया । अब आज की विषय सूची इन्होंने पूरी पढी नहीं, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है ।

श्री महाराम चौधरी : जो ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित बिल है वह कल लिया जाय । ग्रामीण क्षेत्र से संबंध रखने वाला बिल है पंचायत समिति, जिला परिषद् और कृषि जोतों का कल लिया जाय । ग्रामीण एक्ट में समय ज्यादा होना चाहिये ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं समझ पाती हूं, शिक्षा मंत्रीजी सिण्डीकेट को बदलकर अनुशासन स्थापित कर देंगे । मेरी समझ में नहीं आता कुर्सियां बदल जाती हैं लेकिन इस तरह से ब्यूरोक्रेसी नहीं बदलती है ? इस तरह से कुर्सी बदलने से, आदमी बदलने से क्या वहां का वातावरण स्वच्छ हो जायगा । मेरी समझ में नहीं आता । आपने गत सत्र में कह दिया रिजल्ट समय पर निकालेंगे, परीक्षाएं ठीक समय पर होंगी । माननीय अध्यक्ष महोदय, सितम्बर का महीना चल रहा है, आखिरी और, मैं समझती हूं, एल.एल. बी. की परीक्षायें अक्टूबर के एण्ड तक निपटेगी । माननीय मंत्री महोदय, गत वर्ष शिक्षा मंत्रीजी ने आश्वासन दिया था कि परीक्षायें समय पर होंगी, मैं कहना चाहूंगी, अगर अक्टूबर में परीक्षायें होंगी, रिजल्ट कब निकलेंगे ?

श्री चन्दनमल बैद : 90 पर्सेन्ट परीक्षायें समय पर हो गई ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अगली साल की परीक्षायें । यह कोई दलील नहीं है मंत्री महोदय; आप बाद में बोल लेना । मेरी बात का तर्क है तो काट देना । मैं कहना चाहूंगी, इस तरह से रिजल्ट कब बनेगा ? अक्टूबर में परीक्षायें होंगी । मैं कहना चाहूंगी इस तरह की सरकार की प्रवृत्ति रही है तो मैं यह कहती हूं अगर इस तरह की ही प्रवृत्ति रही तो अगले साल आप दिसम्बर में भी एलएल. बी. के एग्जाम नहीं करा सकेंगे । मैं दाव के साथ कह सकती हूं जिस तरह की प्रक्रिया आपकी है, आपमें काम संभालने की क्षमता नहीं है । मैं कहना चाहूंगी कि जो आपने थोथी दलील दी है कि एक बण्डल एलएल. बी. की परीक्षाओं का खो गया है, वह खो गया तो शिक्षा मंत्री

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

इस्तीफा दें। वित्त मंत्री के उत्तरदायित्व में पूरा संभालने का काम आता है और माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, उनकी न तो दुबारा परीक्षा ही ली गई, न उन लड़कों का रिजल्ट ही बना, उनको शायद आपने अन्धकार में रख दिया है। मैं यह कहना चाहूंगी।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं यह भी बता दूं कि जिस तरह की प्रवृत्ति चल रही है उसमें मेरी बच्ची ने बी. ए. की परीक्षा दी और बी.ए. की परीक्षा देने पर उसके, 67 नम्बर थे, 67 नम्बर के बाद भी उसको फेल कर दिया गया। उसने जांच के लिए फीस जमा करा दी लेकिन रिजल्ट तब आया जब उसने सप्लीमेण्ट्री की परीक्षा पास कर ली यह हरेसमेन्ट नहीं है तो क्या है? जो माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें, माननीय सदस्या, समय हो गया।

श्रीमती उजला अरोड़ा : एक एल. एल. बी. के पर्चे की बात और बता दूं। जिस तरह की प्रक्रिया है यह जो पुस्तकें हैं वह शिक्षकों से बनवाने के बजाय किसी और से बनवायी जानी चाहिए। यह तो घोषित नीति है सारी पुस्तकें आधार पर होंगी। आज तक की प्रक्रिया के आधार पर बननी चाहिए थीं, उसके आधार पर 24 स्टुडेण्ट्स को फेल करके उनको बाध्य किया गया कि एल.एल. बी. के पर्चे को फिर से दें। कैसे देंगे। एल.एल. बी. फाइनल का पर्चा है, वह मुश्किल से हुआ है? लेकिन हेरेसमेन्ट है। यह प्रक्रिया, मैं समझती हूं, निश्चय ही गलत है। इस स्थिति को बदलने के लिए कोई बिल लाते तो बात समझ में आती। जो शिक्षाविद् हैं उनको न लेकर, वहां पर कांग्रेस के लोगों को बैठा देना मैं समझती हूं, कतई उचित नहीं है।

श्री अध्यक्ष : समाप्त हुआ, भाषण माननीय सदस्या।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अभी पिछले दिनों की घटना है, एक शिक्षक हैं शास्त्रीजी...

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, समाप्त हुआ भाषण।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उनको प्रशासनिक कौंसिल में पिटवा दिया गया। मैं एक बात कहना चाहती हूं, मैं यह मानती हूं बहुत गड़बड़ है लेकिन उसको बदलने के लिये यह उपचार लाया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कदापि उचित नहीं है।

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं यह मानती हूं कि....

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है, कृपया स्थान ग्रहण कीजिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह कदापि उचित नहीं है इसलिए मैंने जो प्रस्ताव किया है, इस बिल को अस्वीकार किया जाये।

श्री अध्यक्ष : मैंने समय निश्चित कर रखा है वह समय होते ही मैं सभी आवश्यक

(व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह समय सीमा में नहीं बांधा जा सकता...

(व्यवधान)

बोलने का अधिकार है...

श्री **अध्यक्ष** : ऐसा कोई अधिकार नहीं है, माननीय सदस्य ।

(व्यवधान)

मैं प्रातःकाल से माननीय, सदस्यों को सूचित कर रहा हूं कि समय के अनुसार कार्य सम्पादित होगा...

(व्यवधान)

तीन-तीन मिनट का समय, दो-दो मिनट का समय हुआ था. .

(व्यवधान)

वह होते ही बैठ जावें। श्री चतुर्वेदी

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर कृपया बैठ जॉय ।

श्री **दाऊदयाल जोशी** : अध्यक्ष महोदय, डर लगता है, धीरे से बोला करिये, हम तो बोलेंगे...

श्री **अध्यक्ष** : श्री चतुर्वेदी। बोलने की इजाजत मैं दूंगा

(व्यवधान)

श्री **ललित किशोर चतुर्वेदी** : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जयपुर देहात से आने वाली माननीय सदस्या ने जो प्रस्ताव रखा मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मैं उनको दोहराना नहीं चाहता, जिस प्रकार का अध्यादेश लाया गया, वह अनडेमोक्रेटिक है. विश्वविद्यालयों के सरकारीकरण का प्रयास है।

श्री **अध्यक्ष** : पांच मिनट का समय है, इसमें जो कहना चाहें कह दें ।

(व्यवधान)

ऑर्डर प्लीज, इससे ज्यादा नहीं ।

श्री **ललितकिशोर चतुर्वेदी** : जो फैक्ट्स की बात है...

(व्यवधान)

श्री **अध्यक्ष** : ऑर्डर प्लीज, पांच मिनट का समय निर्धारित कर दिया है, ऑर्डर प्लीज इससे आगे नहीं बोलना है ।

श्री **ललित किशोर चतुर्वेदी** : माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर यही स्थिति...

श्री **अध्यक्ष** : पांच मिनट का समय, मैंने निर्धारित किया है ।

श्री **ललितकिशोर चतुर्वेदी** : फैक्ट्स भी नहीं कह सकते ? आवश्यक बात है, फैक्ट्स नहीं कह रहा हूं, ऐसी बात नहीं है हम चले जायंगे, अगर यही कहना है, यह नाराजगी बनी हुई है आपकी सुबह से।

श्री **अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, इस समय न तो नाराज होने का प्रश्न है, न कोई दूसरा सवाल है। आपका कार्य का समय था और सदन ने दिन निश्चित किये थे उसके अनुसार आज तक सब बिल पारित होने चाहिये। फैक्ट्स दिये, कार्यसूची पास की थी, उसके अन्दर सब बिल थे और सुबह आते ही मैंने माननीय सदस्यों से निवदन कर दिया था कि आज की कार्य सूची लम्बी होने की वजह से माननीय सदस्यों के भाषण पर समय सीमा निर्धारित की जाएगी। पांच से सात मिनट के लिए यह रखा, उसके बाद पांच

(श्री अध्यक्ष)

बजे का टाइम हुआ उस वक्त चीफ व्हीप ने प्रस्ताव रखा कि आज की कार्य-सूची समाप्त हो तब तक समय बढ़ाया जाय । उसके पश्चात् मैंने साढ़े छः बजे माननीय सदस्यों से निवेदन किया था कि तीनों विश्व विद्यालयों के बिल 10 बजे तक पारित किये जावें और बार-बार पांच-पांच, दस-दस मिनट से निवेदन कर रहा हूं कि कृपया समय का ध्यान रखें । जो समय दिया है उसके अन्दर बोलें । यह अच्छा नहीं लगता कि हम कहते रहें, और कोई वाद-विवाद खड़ा हो । आप सम्माननीय सदस्य हैं इस सदन के, इस तरह की बात नहीं होनी, चाहिये मैंने निवेदन कर दिया, कृपया समय का ध्यान रखें और आसन को अधिकार है कि यदि समय पर किसी काम को सम्पादित करना है तो भाषणों की सीमा को बांधा जा सकता है, उसको निश्चित किया जा सकता है । बराबर दो-तीन माननीय सदस्यों को अवसर दे रहा हूं । एक-से बिल हैं तीनों यूनिवर्सिटीज के इसलिए कि आर्डिनेन्स लाए हैं इसलिए यह प्रस्ताव आएगा कि आर्डिनेन्स को अस्वीकार किया जाये । उसके बाद जनमत जानने के लिए परिचालित किया जायें, उसके पश्चात् प्रवर समिति के सुपुर्द किया जायें तो यह सब होता है । उसके अन्दर आप देख लीजिए मुद्दे की बात है, अगर कहनी है तो एक-एक, दो-दो माननीय सदस्य कह दें । लेकिन इस खयाल से कि इतने तरीके दिए हुए हैं पास करने के सबका उपयोग करेंगे, हरेक का उपयोग करेंगे, इसमें आपका भी सहयोग चाहियें । काफी समय हो गया इसलिए 15 मिनट की समय सीमा निर्धारित की जाती है ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा । मुझे पाइंट आफ आर्डर से भय लगता है, बताइये यह भी निश्चित् नहीं कि वह पाइंट ऑफ, ऑर्डर होगा या नहीं ।

श्री नाथूसिंह : स्कोप आफ दी डिबेट 86 । इसमें कहीं नहीं लिखा है.....

श्री अध्यक्ष : दूसरी जगह है ।

श्री नाथूसिंह : इस बिल को पास कराने का मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है ? कोई भी बिल सदन में लाया जाता है ताकि उसको पास किया जायें । अध्यादेश से बिल बनाकर उसे सदन में लाने का तात्पर्य क्या होता है ? केवल वोट लेने का ?

श्री अध्यक्ष : चर्चा हो रही है । चर्चा का मतलब यह नहीं है कि चर्चा के असीमित अधिकार हैं । 200 माननीय सदस्य हैं । 10-10 मिनट भी एक-एक माननीय सदस्य बोलें तो 2000 मिनट हो जाते हैं । समय पर समाप्त कराने का अधिकार है आसन को । इसके लिये कई तरह के नियम हैं और नियमों का बराबर पालन करते हुये मैं निवेदन कर रहा हूं । मैंने यह नहीं कहा है कि मैं डिबेट समाप्त कर रहा हूं और पारित कराने के लिये प्रश्न कर रहा हूं । मैं बार-बार माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं, प्रत्येक माननीय सदस्य कितना बोलें, इस बिल के लिये कितना समय हो, किस स्टेज के लिये कितना समय हो । यह सब कुछ ध्यान में रखते हुये बाद में यह भी मैंने साथ ही कहा कि इसकी चर्चा का समय समाप्त हो गया । ऐसा नहीं है कि मैं बराबर नियमों के अनुसार लूं, मुझे समय सीमा बांधने का अधिकार है और उस अधिकार का प्रयोग करके मैंने कहा बहुत रात हो गई है । दो बिल्स इसके अलावा

(श्री अध्यक्ष)
और हैं......

(व्यवधान)

आॅर्डर प्लीज ।

श्री नाथूसिंह : यह यूनिवर्सिटी का मामला है । दो बिल कल ले लो ।

श्री अध्यक्ष ज्यादा समय मत खराब करें, बोलिये 5 मिनट का अवसर दूंगा ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान विश्वविद्यालय के बारे में जो बिल लाये हैं, अध्यादेश लाये थे जिसको रिप्लेस करने के लिये प्रस्ताव आया है । मैं कहना चाहता था शिक्षा मंत्री केवल मात्र छोटी सी सिंडीकेट के कारण वह अनडेमोक्रटिक तरीका करके सरकारीकरण करना चाहते हैं, पूरे व्यू से राजस्थान विश्वविद्यालय को देखें । आज राजस्थान विश्वविद्यालय की एक्टीविटीज अनमैनेजेबल हो रही हैं । मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं शिक्षा मंत्री से, उन्होंने कहा था समय पर परीक्षायें हो रही हैं । एक फैकल्टी लॉ की है, परीक्षा का पता ही नहीं है । आउट ऑफ दी फैकल्टीज 25 परसेंट हो गयी । आप कहते हैं 90 प्रतिशत परीक्षायें हो गई हैं । कहां हैं, किधर हैं, बताने की कोशिश करें, शिक्षा मंत्री महोदय ? उसका कारण है । राजस्थान विश्वविद्यालय बहुत बड़ा है, अनमैनेजेबल हो रहा है । आवश्यकता यह थी कि इसकी अनमैनेजेबल्टी को देखकर, इस विश्वविद्यालय के 4 विश्वविद्यालय बनाये जायें, उनके एक्ट्स लाये जाते । है कोटा में अजमेर में विश्वविद्यालय की आवश्यकता है। बीकानेर विश्वविद्यालय की जयपुर में प्रेशर रिड्यूस करने की आवश्यकता थी । विचार करके शिक्षा मंत्री विस्तार से 4 एक्ट्स बनाकर, 4 यूनिवर्सिटीज बनाते । कमेटी का निर्णय आपके सामने हैं । आपने स्वाध्याय नहीं किया । मैं चाहता हूं इस प्रकार की सारी बात होती । आज राजस्थान विश्वविद्यालय तो कह रहा है कि हम 33 परसेंट पास वालों को ही प्रवेश दे देंगे । क्या हो रहा है कोटा में ? बार-बार विद्यार्थी भूख हड़ताल पर जा रहे हैं । 4 दिन हो गये विद्यार्थियों को । दो विद्यार्थी दो दिन से और बैठे हैं, कोटा बंद हो चुका है, बूंदी झालावाड़ परसों बंद हो रहा है, नाथद्वारा ब्यावर बंद हो गये, विचार करें । शिक्षा मंत्री महोदय केवल सिंडीकेट में थोड़ा सा एक्ट को बदलकर संशोधन चाहते हैं उन पर विचार करें । विश्वविद्यालय कहता है 33 पर्सेंट सरकार ने कहा नहीं 48 पर्सेंट, 48 पर्सेंट कामर्स में होगा । पहले तो मुझे ध्यान था कि शायद 40 पर्सेंट का ऑर्डर है लेकिन आज आर्डर की भाषा देखी, 48 पर्सेंट है कामर्स में ऐसा क्या हो गया ?

श्री चन्दनमल बैद (शिक्षा मंत्री) : पोस्ट ग्रेजूएट में ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी: आप देख लीजिये फर्स्ट आर्डर, कामर्स में भी 40 पर्सेन्ट तक दिया जायेगा । क्यों ? क्यों नहीं 36 पर्सेंट कर दिया जाये ? आज मांग है, राजस्थान का विद्यार्थी सुलग रहा है उसका विचार कीजिये उसका प्रावधान कराइये और विश्वविद्यालय बनाना है तो सरकार थोपने की कोशिश क्यों कर रही है ? आप कहते थे हमने यह किया । हमने इमर्जेंसी में जो कड़े कानून कामर्स और साइंस एडमिशन्स पर लगा दिये थे प्रवेश के, उनको ईजी करके 40 पर्सेंट किया । उसके बाद कहा, जगह खाली

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

होने पर कामर्स वालों को एडमिशन मिल जाये। ऐसे कुछ स्थान हैं जहां निर्देश नहीं हैं कि उन स्थानों पर और संक्शन्स खोलो, उस आर्डर के बावजूद रिलेक्सेशन दिया गया उस समय। क्यों आज सरकार चुप बैठी है, लोग प्राणों की बाजी लगाकर 12 दिन से बैठे हैं, एक वक्तव्य नहीं आ रहा है। यह बात सब प्रकार से आ चुकी, शिक्षा मंत्रालय से आ गई। राजस्थान विश्वविद्यालय कह रहा था कि 33 पर्सेंट पास के एडमिशन्स होने चाहिये। शिक्षा मंत्री कामर्स में क्या आवश्यकता है, क्या लेबोरेटरी चाहिये, इक्विपमेंट चाहिये? मांग ज्यादा हो गई है तो लोग पढ़ने के लिये आयेंगे। कामर्स आपके जमाने की फैकल्टी मानी जाती थी। सैकेन्ड आर्टस और थर्ड फैकल्टी मानी कामर्स। आज जमाना बदल गया कामर्स की कीमत हो गई। उस नाते प्रवेश पाने के लिये लोग इच्छा करने लगे। इस कारण यह लगा दिया सरकार का अंकुश? यह कौनसी पद्धति चल रही है? इस राजस्थान विश्वविद्यालय पर विचार करने की आवश्यकता थी। आज मेडिकल सीट्स कितनी हैं? आज नये मेडिकल कालेजेज होने चाहियें। कौनसा उपयुक्त स्थान है? जितने डिवीजनल हैडक्वार्टर्स हैं देख लीजिये, अजमेर, उदयपुर, बीकानेर, जयपुर में है। कौनसी जगह बचती है? इस पर विचार करने की कोशिश करें। मैं जानता हूं शिक्षा मंत्री के पास विधि मंत्री बैठे हैं वह नहीं चाहते। वह और बातों में लगे हुये हैं कोई फिक्र की बात नहीं है...

श्री चन्दनमल बैद : मैं सोच रहा था कि इंजीनियरिंग कालेज खोलने के लिये मुझे धन्यवाद देंगे।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मैं धन्यवाद देना चाहता हूं लेकिन कोटा में केमिकल इंजीनियरिंग चाहिये, टैक्सटाइल इंजीनियरिंग चाहिये, लेकिन सिविल, इलैक्ट्रिकल, मैकेनिकल वहां पुराने हैं। विचार करिये, कितना जमाना आगे बढ़ रहा है? It is becoming Kanpur of Rajasthan. Ludhiyana of Rajasthan. ऐसा विचार करना चाहिये। विद्यार्थी कहां पढ़ रहे हैं? ये पढ़ रहे हैं सैकण्ड क्लास इंजीनियरिंग कालेज में, उनके बारे में विचार हो रहा है। आपके सामने समस्या आयेगी। आप उन विद्यार्थियों को भेजना चाहेंगे, एक साल जयपुर में; आंदोलन होंगे, आप फैस नहीं कर पायेंगे, नहीं कर सकेंगे। आज पालिटेक्निक स्कूल में क्या रखा है?

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : जब अध्यादेश लाये थे तो पूरे पहलुओं पर विचार कर कुछ एक्ट में संशोधन करने की कोशिश करते तो अच्छा होता।

एक-दो बात और, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माफत इसलिए कहना चाहता हूं, नये सीनेट बनने के पश्चात् मंत्री महोदय ने एक तो एग्जामिनेशन की चर्चा की। आप जरा देखिये सीनेट की मीटिंग का क्या हाल हो रहा है। एक्ट में लिखा है कि एक साल में एक बार मीटिंग होनी चाहिये और अभी एक साल हो गया। वहां बजट पास नहीं हुआ है है पता नहीं कौनसी सरकार चला रही है मार्च में बजट पास होना चाहिये था, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितम्बर का खर्चा किस मद से हो रहा है? कौन करेगा वेरीफाई? कौन छाप लगायेगा? गुल गपाड़ा चल रहा है। शिक्षा मंत्री कह रहे हैं, नहीं नहीं हम तो छोटी सी सिंडीकेट बनायेंगे सरकार

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)
का पुतला बनाकर अध्यक्ष जैसे प्रतिभावान लोगों को उसके दायरे से हटाने की कोशिश करने का प्रयत्न किया जा रहा है, उस पर विचार करने की कोशिश की जाये । सन् 1980 में मीटिंग हुई । उसके बाद आज तक मीटिंग नहीं हुई । मैं पूछना चाहता हूं मन्त्री महोदय, जवाब दें 1981-82 की बजट मीटिंग ....

श्री चन्दनमल बैद : वह आर्डिनेन्स तो अभी मई में आये हैं । 12 महीने पहले की बात कर रहे हैं ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मीटिंग होती है बजट के बाद में आर्डिनेन्स के बाद में क्या स्थिति बनी हुई है इन सबको बदलने का संशोधन लाते तो अच्छा होता । पर वह नहीं लाये । अपने आर्गूमेंट में, आपने फिर बाद में कहा कि आपने बदल दिया, तो हम बदल रहे हैं । मतलब बदलने के लिए किया गया । आप कानून में संशोधन लाये है उसका मन्तव्य यह था इसके पीछे आब्जेक्ट बताये नहीं, आपका ध्येय उसको बदलना था । हमने तो ऐसा करने की कोशिश नहीं की, शिक्षा मंत्री महोदय, जैसे कि आप हमें करने की बात कहते हैं । जो आध्यादेश आप लाये हैं वह निश्चित रूप से एकांकी है । यह सब तरह से गया बीता है । इसकी कोई आवश्यकता नहीं है । इसको लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी । 45 दिन में कोई कारण ऐसा प्रस्तुत नहीं हुआ था जिन कारणों की आपने चर्चा की, उन कारणों को फेस करने के लिय राजस्थान के कोने कोने में मिल रहे हैं, इस सिंडीकेट के कारण आपको नहीं करने वाले, चिस-पिट नहीं, उस कानून में और संशोधन करते, शिक्षा मंत्री जी विचार करते तो जरूर कुछ समुचित होता, लेकिन ऐसा नहीं करके और पिछले चोर दरवाजे से आप आध्यादेश पेश करने आ गये । मैं आपके माध्यम से, अध्यक्ष महोदय, कहना चाहता हूं कि इस अध्यादेश को जो अस्वीकार करने का सदन में प्रस्ताव रखा गया है उसका मैं समर्थन करता हूं ।

श्री नाथूसिह : अध्यक्ष महोदय, यह जो अमेन्डमेंट लाया गया है. हमारे माननीय शिक्षा मंत्रीजी द्वारा उसके लिये मैं रूल 98 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : आप किस विषय पर बोल रहे हो ?

श्री नाथूसिह : राजस्थान विश्वविद्यालय पर, जो विधेयक है ।

श्री अध्यक्ष : काहे का राजस्थान के ऊपर कौन से प्रस्ताव पर ?

श्री नाथूसिह : राजस्थान विश्वविद्यालय संशोधन बिल जो है ।

श्री अध्यक्ष : वह अभी है ही नहीं ।

श्री नाथूसिह : जो अध्यादेश लाये हैं उस पर ।

श्री अध्यक्ष : वह है ही नहीं ।

श्री नाथूसिह : उसको अस्वीकार करने के लिये ।

श्री अध्यक्ष : क्या अस्वीकार करने ?

श्री नाथूसिह : उस अध्यादेश को अस्वीकार करने के लिये जो हमने दिया है । आप देखिये साहब, हमने दिया है, मेरा नाम है ।

(श्री नाथूसिंह)

अध्यक्ष महोदय, उप मंत्री जी यहां पर बैठे हैं मंत्री जी चले गये हैं, मैं उनकी जानकारी में यह लाना चाहता था क्योंकि इनको उन्होंने × × × बना रखा है। अध्यक्ष महोदय, कुल संख्या सिन्डीकेट में 21 थी। उसमें से चुने हुए प्रतिनिधि 14 थे। यानी 21 में 14 चुने हुए थे।

श्री बुलाकीदास कल्ला : (उप मंत्री, शिक्षा) : अध्यक्ष महोदय, जो शब्द माननीय सदस्य ने प्रयोग किया है वह असंसदीय है उसको सदन की कार्यवाही से निकाला जाय।

श्री नाथूसिंह : क्या असंसदीय शब्द है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : × × × शब्द को जो आपने प्रयोग किया है वह असंसदीय है उसको, अध्यक्ष महोदय, सदन की कार्यवाही से निकाला जाय।

श्री अध्यक्ष : इस पर मैं विचार कर लूंगा।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, अब जो अध्यादेश लाया गया है . . .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर माननीय सदस्य।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, जो आर्डिनेन्स लाया गया है उसमें कुल संख्या 18 है और इलेक्टेड लोगों की संख्या इसमें केवल चार है जो कि सिन्डीकेट में चुन कर जायेंगे। अब आप अन्दाजा लगाइये, अध्यक्ष महोदय, कहां 14 चुने हुए और कहां चार। अब केवल इस बात पर विचार करके इस बिल को पास कर देंगे क्योंकि इसके पीछे मन्शा देखनी पड़ेगी कि पहले इसमें 14 व्यक्ति थे और अब 4 क्यों ? इसके पीछे मन्शा, अध्यक्ष महोदय स्पष्ट होना चाहिये कि इसके पीछे मन्शा क्या है ? राजस्थान विश्वविद्यालय की सिण्डीकेट पर कब्जा करना । और उसके बाद विश्वविद्यालय में हैड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट्स को बदल दिया, वार्डन्स को बदल दिया। अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रेक्टिकल रूप में राजस्थान विश्वविद्यालय को देखा है, मैं उससे संबंधित रहा हूं। पिछले एक साल के अन्दर राजस्थान विश्वविद्यालय में जिस तरीके की किचकिच हो रही है, वह अध्यक्ष महोदय, बहुत ही शर्मनाक किचकिच हो रही है। शिक्षा का वातावरण बिलकुल समाप्त हो चुका है। अध्यक्ष महोदय यह जो आर्डिनेन्स लाया गया है, उससे वहां की स्थिति और भी बुरी हो जायेगी। मैं मन्त्री महोदय की जानकारी के लिये कहना चाहता हूं कि वहां केवल इसको नोमिनेट कर दो, इसको यहां से हटादो, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है। आप साल भर का रिकार्ड उठाकर देख लीजिये। कितनी क्लासेज लगी हैं कितनी पढ़ाई हुई ? परीक्षा किस समय हो रही है ? लॉ की परीक्षा अब हो रही है। इस समय वी. सी. क्या करते हैं ? वी. सी. कभी रहते हैं तो नोमीनेट किया, कभी नहीं किया, कभी नहीं रहती हैं, कभी वी. सी. अपनी कमेटी नोमीनेट करके जाता है। कभी वे नामिनेट करते हैं तो उसको मानते नहीं, कभी वे नहीं मानते।

×××शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री नाथूसिंह)

प्राध्यापकों में राजनीति इस तरह से घुस गयी है कि उससे आज का वातावरण खराब बना हुआ है। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि यह बहुत ही इम्पार्टेन्ट प्रश्न है इसलिये मैं बोलना चाहता था, इसलिए बोलना चाहता था कि मैं आपको निमन्त्रित करता हूं कि आप विश्वविद्यालय के अन्दर किसी भी दिन बिना बताये, बताइये नहीं, आप जावें और वहां का जो वातावरण है.....

श्री अध्यक्ष : आप विश्वविद्यालय में निमन्त्रण देने वाले होते कौन हैं ?

श्री नाथूसिंह : मैं छात्र हूं विश्वविद्यालय का। मैं इस विश्वविद्यालय के परिवार का सदस्य हूं, इसलिये मैं निमन्त्रित करता हूं। मैं वहां पढ़ता हूं। आप वहां पधारिये, वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है, देखिये। प्राध्यापकों की स्थिति यह है कि यदि सरकार से मिलकर नहीं चलें. तो नौकरी नहीं रहती। प्राध्यापकों में यह वातावरण बना हुआ है। विद्यार्थियों की स्थिति यह है कि अगर सरकार के संरक्षण में नहीं रहोगे तो उनको एडमिशन नहीं मिलेगा, पास नहीं होंगे। यह जो स्थिति बनी हुई है, यह जो वातावरण विश्वविद्यालय में बना हुआ है। यह बहुत ही खतरनाक है। इसमें पार्टी का सवाल नहीं है। इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाये। विश्वविद्यालय जो कि शिक्षा का प्रचार और प्रसार करने के लिये है, शिक्षा को आगे बढाने के लिये है, उच्च शिक्षा का हायर एजूकेशन जिसमें रिसर्च होती है वहां रिसर्च के बजाय क्या हो रहा है? राजनीति की रिसर्च हो रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, विश्वविद्यालय के अन्दर जहां डिबेट होती है, जहां सेमिनार्स होती है। जहां कनक्लूजन्स निकाले जाते हैं, समाज के लिये अच्छी चीजें दी गई हैं।

श्री अध्यक्ष : कृपया, समाप्त कीजिये; माननीय सदस्य।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, वहां क्या हो रहा है ? जो वातावरण मैं बनाऊं वह अच्छा होगा, उसके लिये राज्य सरकार कोई अच्छा अमेन्डमेंट लाती तो हम बिलकुल मना नहीं करते। हम भी आपका सहयोग करते। इसके पीछे यदि आपकी मन्शा साफ होती, तो हमें आपत्ति नहीं होती। आप शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिये लाते। समस्त विश्व विद्यालयों के बड़े बड़े पढ़े लिखे, अच्छे शिक्षा शास्त्री थे उनको बुलाकर इस पर सेमिनार आयोजित करवाते, डिबेट करवाते, उनसे अपनी राय मंगवाते, उनको कहते कि यह समस्या है हमारे सामने, इस पर आप अपना सुझाव दें और उसके निष्कर्ष के अनुसार अगर आप अमेन्डमेन्ट करते तो हमें कोई आपत्ति नहीं होती, हम भी आपको सहयोग करते, क्योंकि यह वास्तविकता का सवाल है विश्वविद्यालय का। मैं इसलिये कह रहा हूं कि आपके नेता, अध्यक्ष महोदय, पन्डित जवाहर लाल नेहरू के शब्द, महात्मा गांधी के शब्द, मुझे याद है, और नेहरू जी से बड़ा आपके कांग्रेस में कोई नेता नहीं हुआ, जितना उन्होंने देश को दिया, हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी के वे पिताजी है उन्होंने यह कहा कि शिक्षा के अन्दर हमको राजनीति को बिलकुल दूर रखना होगा, इसलिये आपकी पार्टी ने नारा लगाया, हमने भी नारा लगाया।

श्री **अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, समाप्त कीजिये।

श्री **नाथूसिंह** : अध्यक्ष महोदय, शिक्षा स्वायतता में राजनीति का दखल नहीं किया जाना चाहिये और फिर आप ऐसी बातें करते हैं, मुझे अफसोस है, अध्यक्ष महोदय, यहां पर उप मंत्री जी ने यह कह दिया कि There is no difference between selection, election or nomination.

इलेक्शन और नामिनेशन में कोई फर्क नहीं है। मुझे तरस आता है। आप तो प्राध्यापक रहे हैं आप विद्यार्थियों को कैसे पढ़ाते होंगे ?

श्री **बुलाकीदास कल्ला** (उप मंत्री, शिक्षा): आप कह रहे हैं मैंने तो कहा नहीं।

श्री **नाथूसिंह**: आपने कहा है। प्रोसिडिंग्स देख लीजिए मैंने नोट किया है आप प्रोसिडिंग्स उठाकर देख लीजिए। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, सिंडीकेट यह कह रहे हैं कि सिंडीकेट में विचार किया जाता है, और वहां इलेक्टेड आदमी अगर चले जायेंगे तो वहां गड़बड़ी करेंगे, तो क्या हम सब इलेक्टड होकर विधान सभा में आये हैं? गड़बड़ी करते हैं, क्या आप इलक्टेड लोग गड़बड़ी करते हैं, यह लोकतन्त्र के उपर तमाचा है। इन्होंने लोकतन्त्र की भावनाओं के ऊपर उसकी जड़े काटी हैं, और वे समझे नहीं इसका मतलब क्या होता है। आज आप यह शब्द किसी सेमिनार में बोलते, किसी विश्वविद्यालय में बोलते तो इसका मतलब आपको पता लगता कि इसके क्या परिणाम होते। आप फिर बोल जावें बाहर जाकर। अध्यक्ष महोदय, माननीय चन्दनमल जी बैद ने जो बात कही उनसे मुझे लगा उनमें समझ ज्यादा है, और उनको समझ भी है, वे समझते है, बात यह है कि वह बड़े होशियार आदमी हैं, समझदार हैं तो उन्होंने एक समझ की बात की। राजस्थान विश्वविद्यालय में उन्होंने इकबालनारायणजी को, हटाने के लिए जो एक्सकेडर स्कीम प्रोमोशन की उसके सारा बड़े अच्छे साफ तरीके से उनको हटा दिया। पहले तो कहा कि जब इन्होंने इस्तिफा दे दिया, इसके बाद में उन्होंने तीन आदमियों की सब कमेटी बना दी इस पर।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य।

श्री **नाथूसिंह** : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज सरकार 77 की बात बार बार करते हैं चूंकि 77 में आपने ऐसा कर दिया इसलिये हम ऐसा कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, शायद आपने भी पढ़ा होगा कि वह दिल्ली से प्रेरणा ले रहे हैं। दिल्ली में डबल सेवन डबल सेवन को सेवन कोला नाम दिया जा रहा है क्योंकि 1977 में जनता पार्टी पावर में आयी थी और वह 77 की प्रतीक है, सन् 77 में इसलिए नाम बदला जा रहा है। इसलिये 77 में जो कुछ किया गया है इसको बदल रहे हैं आपकी यह भावना है तो मैं कहना चाहता हूं। अमेरिका विश्वविद्यालय को देखें वहां क्या है वहां सरकार आती है, जाती है, लेकिन विश्वविद्यालय में कोई फर्क नहीं पड़ता है और उसका परिणाम है आज अमेरिका में इतनी

(श्री नाथूसिंह)

रिसर्च हुई हैं, वह साइंस और शिक्षा में आगे बढ़ा है। हम उससे पचास साल पीछे चल रहे हैं। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह शिक्षा का मामला है और शिक्षा इस देश को ऊपर उठाती है। मैं नहीं चाहता था कि इतना समय इस विषय पर लगे, लेकिन जैसा मुझे मालूम है, आप जायें शिक्षा क्षेत्र में जाकर देखें क्या खलबली मची हुई है, वातावरण दूषित हो गया है। एस. पी. को डी. एस. पी. को सिंडीकेट में भेजेंगे और मिलिट्री के आफिसर को भेजेंगे तो वे शिक्षा के क्षेत्र में क्या करेंगे? इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि यह जो अध्यादेश लाया गया है इसके पीछे अच्छी भावना नहीं है बल्कि इसके पीछे यह भावना है, कि वहां इस तरह का वातावरण पैदा कर दिया जाय जिससे कि सत्तारूढ दल के लोग इस पर अपना प्रभाव जमा सकें। एक उदाहरण दूं आपको टेम्प्रेरी लैक्चरर का। मैं बताना चाहता हूं कि जब माननीय प्रभाकर जी वहां थे, मुझे सब कुछ मालूम है। एक टेम्प्रेरी लैक्चरार उनके पास गये और कहने लगे कि मैं निकर नहीं पहनता हूं, और नेकर न पहनने से मुझे परमानेन्ट नहीं किया गया है। उस समय प्रभाकर जी बहुत खुश हुए, लेकिन उनको बाद में बात का पता चला और वहां जाकर के उन्होंने कहा कि माला पहनायें। लेकिन पता लगा कि माला तो उन्होंने ही पहनाई थी। इसलिये यह उदाहरण मैंने आपको दिया। इस तरह से उनका किसी से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन अध्यक्ष महोदय, जब तक बैद जी शिक्षा मंत्री रहेंगे, वे उनको नमस्कार करते रहेंगे बाद में नहीं।

श्री अध्यक्ष : समाप्त किया जाये।

श्री नाथूसिंह : मैं समाप्त कर रहा हूं। आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। कृषि का जो फल होता है उस विश्वविद्यालय का, उस फल का दुरुपयोग कुछ गुण्डों और बदमाशों को पैसा दिया जाता है। वाइस चांसलर की गाड़ी लेकर.....

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये। विषयान्तर हो रहे हैं।

श्री नाथूसिंह : इसलिये अन्त में निवेदन करना चाहता हूं इस तरह का जो अमेंडमेंट लाया गया है, अध्यादेश लाया गया है, यह इस भावना के विपरीत है, लोकतन्त्र की भावना के विपरीत है, शिक्षा जगत पर काला कलंक है, धब्बा है, इसलिये मैं निवेदन कर रहा हूं. कि इसको अस्वीकार किया जाना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं कोई प्रश्न पूछने की इजाजत नहीं दूंगा।

श्री महावीरप्रसाद : पहले मेरा नम्बर है...

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : नाम वालों को परमिशन न दी जाये, यह भी आपके हाथ में है।

श्री अध्यक्ष : जिनका नाम है उनको समय दिया जायेगा।

श्री बुलाकी दास कल्ला (उप मंत्री, शिक्षा) : अभी कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने और जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संकल्प

(श्री बुलाकीदास कल्ला)
दिये, अपने संकल्पों के बारे में जो तर्क दिये है उसके विरोध में, मैं अपने विचार रख रहा हूं। सन् 1977 में जो संशोधन ......

श्री अध्यक्ष : आप जल्दी कीजिये।

श्री बुलाकी दास कल्ला : अभी आपने जो कर्मचारियों और अध्यापकों के बारे में कहा, हमने गहराई से सोच-समझ कर ही इनके हितों को ध्यान में रखकर ही संशोधन किया है। चार महीनों में सिंडीकेट जो पुनर्गठन करके बनाई गयी उसके बारे में कोई शिकायत नहीं की, आपने केवल चिन्ता की 77 में जो सिडीकेट का प्रभुत्व था उसके बारे में। चार महीने से ज्यादा समय हो रहा है इसके गठन के बारे में, लेकिन उसके बारे में क्या-क्या अयनिमित्ताएं उन्होंने की उसके बारे में आपने कोई विचार नहीं किया। इसका मतलब जो सिडीकेट काम कर रही है वह सही कर रही है, लेकिन आप अपनी 77 की जिद के ऊपर अड़े हुए हैं। आपका यह विचार जो आपने प्रस्तुत किया, एेसा लगता है बड़ा परम्परागत विचार है। एक तरफ आप यह कहते है कि विश्व विद्यालय की परीक्षायें समय पर नहीं होती। विश्वविद्यालय में जो बायकाट परीक्षाओं का हो रहा है, इसको भी आप वापस नही ले रहे हैं। उसके ऊपर राज्य सरकार की जिम्मेदारी आप मान रहे हैं। दूसरी ओर राज्य सरकार द्वारा प्रशासन के और वित्तीय अनियमितताओं को ठीक करने के लिये और विश्वविद्यालय की छवि को सुधारने के लिय जो पुनर्गठन किया गया, है उस अध्यादेश को बिल के रूप में पारित किया जा रहा है, उसका आप विरोध करते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि आप कहना क्या चाहते हैं ? आपने इस विधेयक के बारे में अप्रजातांत्रिक शब्द इस्तेमाल किया है, उसके बारे में मैं कहता हूं कि इस विश्वविद्यालय का सरकारीकरण नहीं करना चाहते हैं, इसका शुद्धिकरण करना चाहते हैं, और शुद्धिकरण इस रूप में करना चाहते हैं कि विश्वविद्यालय में शोध कार्यों में, विश्वविद्यालय की प्रशासनिक गतिविधियों में, और विश्वविद्यालय के क्रियाकलापों में आमूल-चूल परिवर्तन हों। हम यह भी चाहते हैं जैसा कि अभी एक माननीय सदस्य ने बताया कि तीन विश्वविद्यालयों के बारे में एकीकृत बिल लेकर आयें। उसके बारे में हमने बड़ी गम्भीरता से विचार किया है और हम स्वायत्ता के बारे में भी निश्चित रूप से चिन्तित हैं। हमने केवल शिक्षाविदों को जो विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ है के अनुसार पुनर्गठन किया है। इसलिये स्वायतता के बारे में किसी प्रकार की चिन्ता करने की बात नहीं है।

अन्त में मैं अध्यक्ष महोदय, यही कहना चाहता हूं कि जो संकल्प विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों ने रखे है उनको अस्वीकार किया जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि यह सदन श्रीमान् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 19 मई, 1981 को प्रख्यापित राजस्थान विश्वविद्यालय संशोधन अध्यादेश, 1981 अध्यादेश संख्या 3 सन् 1981 को अस्वीकार करता है ?

(अस्वीकृत)

संकल्प अस्वीकार किया गया।

प्रभारी मंत्री जी।

विधेयक पर विचार

श्री बुलाकी दास कल्ला: अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं।

(श्री बुलाकीदास कल्ला)
कि राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1981 को विचारार्थ लिया जाये ।

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : इस आशय के प्रस्ताव आये हैं कि विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये । विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाये ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रस्ताव किया है कि राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1981 को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाये उसके पीछे तो यही प्रयोजन है कि राजस्थान विश्वविद्यालय की स्थिति को देखकर इस पर फिर विचार किया जाये और उस सारी स्थिति के अनुसार इस बिल का संशोधन करने की आवश्यकता है । मैं माननीय शिक्षा मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं, वो कह रहे थे परीक्षाएं को समय पर होने की बात, मैंने लॉ फैक्लटी के बारे में चर्चा की है । उस विषय में, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वे अपने उत्तर में स्पष्ट बतायें, क्या उन्होंने यह विचार कर रखा है कि तीन फैकल्टियों की परीक्षायें पहले होंगी और लॉ फैकल्टी की परीक्षा छः महीने के बाद प्रति वर्ष हुआ करेगी ? मुझे लगता है कि यह सरकार की साजिश चल रही है । विश्वविद्यालय के सम्पूर्ण एकीकरण की भावना को लेकर विचार करना तो अलग है, उसे तो टालने की कोशिश की गई है । आप देखेंगे तो उससे यह बात स्पष्ट लगती है । कुछ छात्रों ने दबाव दिया, परीक्षा सरका दी । मैं चाहूंगा, माननीय मंत्री महोदय उसका उत्तर दें । जुलाई में परीक्षाएं होने वाली थी ला फैकल्टी की—आज अक्टूबर आ रहा है, लेकिन कोई व्यवस्थित व्यवस्था नहीं है । अध्यक्ष महोदय, उसको भी बाइफरकेट करके किया जा रहा है । यह आपकी कौनसी राजनैतिक मंशा है ? अतः मैं चाहता हूं इन सबका आप कैटेगरिकली उत्तर दें ।

श्री चन्दनमल बैद : आपकी सारी परीक्षाओं के बावजूद केवल ला फैकल्टी की परीक्षाएं रह गई हैं ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, परीक्षाओं के नाम पर 20 लाख रुपया अधिक खर्च किया गया है । राजस्थान भर के शिक्षक यहां आयें और रिवोल्यूएशन के लिये बुलाया गया । उसमें भी क्या हुआ, कम से कम चार हजार लोगों के परीक्षा के रिजल्ट्स लेट आ रहे हैं । हो गई है वह परीक्षा, लेकिन रिजल्ट्स का पता नहीं है । अब यूनिवर्सिटी में खोज हो रही है, इन्क्वायरी आप करेंगे ? मैं निवेदन करूं, राजस्थान विश्वविद्यालय के 25 तारीख को बी. ए. का रिजल्ट निकालना चाहते थे, और यह तो शिक्षा मंत्री जी के ध्यान में आ गया कि परीक्षाओं के अंक जुड़े हुए नहीं हैं इसलिए परिवर्तन करना चाहते हैं । इन्क्वायरी करिए कौन से तथ्य थे, आपकी नालेज में है या नहीं है, लेकिन आपको एक भय था कि इन्दिरा जो आ जायेगी और लोग रिप्रजेन्ट करेंगे तब क्या कहेंगे ।

(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, गोटेवाले दांत कुचर रहे हैं, यह सदन के

(श्री देवीसिंह भाटी)
डेकोरम के खिलाफ है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, सिन्डीकेट का परिवर्तन करना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं 20 लाख रुपया खर्च करके, आपके कौनसे रिजल्ट्स आये ? 31 अगस्त तक लॉं के रिजल्ट्स, ला फैकल्टी के रिजल्ट्स को तो आपने माना है लेकिन आज चार हजार विद्यार्थी ऐसे बचे हैं जिनके रिजल्ट्स लेट हो रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना है ?

16 तारीख को कोटा के विद्यार्थियों की फिजिक्स की परीक्षा हुई और 18, 19, 20 को मार्क शीट इश्यू हो गई। अध्यक्ष महोदय, एक नहीं, अनेक घटनाएं हैं। मैं शिक्षा मंत्री जी को आमन्त्रित करना चाहता हूं वे मेरे साथ चलें, लेकिन उसकी चिन्ता नहीं है। इसलिए मैं अपील करना चाहता हूं शिक्षा मंत्री को कि इसको सलेक्ट कमेटी में जाने दें। राजस्थान बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है। यह आवश्यकता बहुत प्रबल हो गई है लेकिन माननीय शिक्षा मंत्री जी ने मेरी इस बात का भी विरोध कर दिया, यह ऐसा लगता है कि कहीं आपको बीकानेर में घुसने न दें इसलिए मेरा निवेदन है कि इसकी भी आप चिन्ता कर लेना। इस विश्वविद्यालय के सारे मसलों पर विचार करने के लिये सलेक्ट कमेटी में जाना आवश्यक है ताकि एक काम्प्रीहेन्सिव अमेंडमेंट के रूप में इस एक्ट को प्रस्तुत करें जो सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें।

श्री अध्यक्ष : श्री घनश्याम तिवाड़ी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इसमें मेरा नाम नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आपने तो प्रवर समिति को सुपुर्द...... कोई दूसरा अब इसमें नहीं है।
(व्यवधान)
मंत्री जी।

श्री चन्दनमल बैद : माननीय अध्यक्ष महोदय, कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो चिन्ता व्यक्त की है, मैं समझता हूं, उनकी मंशा भी यही है कि युनिवर्सिटी में एक ऐसे प्रावधान की आवश्यकता है.....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं, अध्यक्ष महोदय, आपसे जानकारी करना चाहूंगा। मुझे आपके सेक्रेटरी साहब ने यह बताया था कि आज विश्वविद्यालय के विधेयक ही लिये जायेंगे और दूसरे विधेयक नहीं लिये जायेंगे। मैंने उनसे यह भी कहा था कि आप अध्यक्ष महोदय से पूछ लें तब भी उन्होंने यही बताया था। उसके बाद जो पार्टी के सदस्य बाहर जाना चाहते थे, वे कह कर चले गये। अब यह मालूम पड़ा कि सारे विधेयक लिये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : रात को बात हुई थी कि दो ही माननीय सदस्य बोलेंगे, वह बात तो कुछ हुई नहीं है। कार्य सूची में सरक गये, इसलिये जितने विधेयक हैं वे लिये जायेंगे। उसके बाद 10-00 बजे तक का टाइम मुकर्रर किया था– 3 बिल यूनिवर्सिटीज के लिये और दो अब और रह जाते....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने ही सदन में यह कहा था, तीन विधेयक पास करा लें।

अध्यक्ष महोदय,

मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि हमारे मेम्बर तो चले गये। आप अपने सेक्रेटरी महोदय से पूछ लें, तीन विधेयक पारित कराने की बात कही है, और ये आपसे

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कन्फर्म करके आये हैं और मुझे इत्तला दी। पंचायत का कानून पास कराया जाय या कोई भी कानून पास कराया जाय, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं ऐसा समझता हूं आपस में विश्वास हो, वह स्थिति भी आप नहीं रखना चाहते हैं, तो यह आपकी मर्जी की बात है।

श्री अध्यक्ष : विश्वास तो रहता ही कहां है। पहले दिन भी हुआ, दूसरे दिन भी ऐसा हुआ। जब आपको ऐसा विश्वास देने के कहना बाद कहना ही नहीं चाहिये था। आपने खुद ने कहा, आपके सैक्रेटरी से बात पूछा, आप पूछ लीजिये उनसे.......

(विराम)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : थोड़ी मिस अन्डर स्टेंडिंग रह गई है। आपने कहा चार पास करवा देंगे। आप कह दीजिये, कोई एक दिन की तो विधान सभा है नहीं। चार साल निकालने हैं। मैं सैक्रेटरी पर भरोसा नहीं करूं, आपका भरोसा नहीं करूं, यह आप स्वयं ही बता दीजिये, इसका मतलब यह हुआ जो चाहा वह कह देते हैं।

श्री अध्यक्ष : आपने कहा दो बोलेंगे, और उसी बिल पर 40 बोले है.....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, यह छत तो गिरेगी नहीं, इस बात के कहने से, 40 तो हमारे सदस्य ही नहीं है बोलेंगे कहां से। आपकी मर्जी की बात है, जो चाहे, कह दें। आपको शायद यह वहम हो रहा है कि सरकार के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव पेश हो रहा है। आज आप कुर्सी पर बैठे हैं हम भाग रहे हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है, पास करिये ...

एक माननीय सदस्य : अभी ले आयें, अविश्वास का प्रस्ताव...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : लेकिन, अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं यह ठीक नहीं है। आपने तय कर लिया तो कैसी बात है। आपने कहा, सेक्रेटरी साहब ने कही और हाउस में कोई ज्यादा समय लगता हो यह भी कोई अनहोनी बात नहीं है।

(व्यवधान)

समय लगता है, कई बार लगा है मैं 8 बजे पूछ कर गया हूं।

श्री अध्यक्ष : मैंने कहा मिसअण्डर स्टेण्डिंग रही है, रात को बात हुई। कार्य-सूची में दो थे, और 5 बजे प्रस्ताव किया कि जितनी कार्य सूची है, उसकी समाप्ति तक।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने जो व्यवस्था दी है, वह चलेगी।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मैं ये बता रहा था कि विश्व-विद्यालय की छोटी से छोटी कमियों के बारे में राज्य सरकार कि जिम्मेदार ठहराया जाता है। एक अंक तालिका में गड़बड़ हो गयी, जो परीक्षा 18 तारीख को हुई, उनकी अंक तालिका 16 तारीख को ही जारी कर दी गयी; इन सब बातों के लिए कोट से आने वाले माननीय सदस्य ने जिम्मेदारी राज्य सरकार पर डाल दी, लेकिन जब राज्य सरकार वहां की व्यवस्थाओं में, वहां के प्रशासन में, एक बदलाव लाने के लिए, एक सुधार लाने के लिए, वहां की व्यवस्थाओं को एक नया रूप देने के लिए कोई पुनर्गठन

Page No 241

241

(श्री खुशालीदास कल्ला)

का काम कर रही है तो मैं समझता हूं, यह संवैधानिक परम्पराओं के अनुरूप है, आप यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, आपके सामने अभी बीकानेर यूनिवर्सिटी की मांग आयी थी, जब आप शिक्षा मंत्री थे आपने क्या किया ? हमने तो बड़ी उदारता से, कोटा को इंजीनियरिंग कालेज दिया। मैं समझता हूं आप इस बात को लेकर हमको केवल एक ही डिवीजन के बारे में सोचने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, पूरे राजस्थान के बारे में सोचने का दृष्टिकोण हमारे सामने है। इसलिए मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से प्रार्थना करता हूं कि प्रवर समिति के सम्बन्ध में जो सुझाव या जो प्रस्ताव कोटा से आने वाले माननीय सदस्य महानुभाव ने रखा है, उसका मैं विरोध करता हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा : आप अभी अस्वीकार कर दीजिए।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विश्व विद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1981 को प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का जो संशोधन प्रस्ताव रखा है उसको किया जाय।

(अस्वीकृत)

विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान विश्व-विद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1981 को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

विधेयक पर खण्डशः विचार

खण्ड दो। श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, खण्ड 2 सब सेक्शन (1) आफ सेक्शन 21 में मैं निम्न संशोधन का प्रस्ताव करता हूं,

In sub-section (1) of section 21, sought to be substituted-

(i) in clause (iii) add the words "by rotation" after the words "Deans of Faculties":

(ii) in clause (iv) add the words "according to seniority and by rotation" after the words "other than Deans".:

(iii) for clause (vi) the following clause shall be substituted, namely:-

"(vi) Four principals of the affiliated colleges, out of which two shall be free from the Degree Colleges, one from the post-graduate colleges and one from the professional colleges to be elected by such principals from amongst themselves."

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

(iv) for clause(viii)the following clause shall be substituted, namely:-

"(viii) two persons to be elected by the Senate from amongst the registered graduates of the University",

(v) In clause (ix)—

(a) substitute the words "three teachers" for the words "two teachers" occurring before the words "who have put in and

(b) in clause (x) substitute the words "to be nominated by the Speaker" for the words "to be nominated by the State Government".

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उस विषय पर नहीं बोलूंगा जिस विषय पर और विश्व विद्यालय एक्ट में संशोधन के समय बोल चुका हूं, मैंने क्लाज (iii) में बाई रोटेशन दिया है। क्लाज 4 में सीनियरिटी एण्ड बाई रोटेशन दिया है। मैं पूर्ण रिप्रजेंन्टेशन के आधार पर माननीय मन्त्री महोदय से चाहूंगा कि उसमें निश्चित रूप से संशोधन करें जो क्लाज 6 में मैंने अपना संशोधन दिया है, जो पहला था, जिसमें संशोधन किया गया है, वह है

two principals to be nominated by the State Government,

जैसा मैंने आपसे निवेदन किया राजस्थान विश्व विद्यालय बहुत बड़ा विश्व-विद्यालय है। विश्व विद्यालय पर विचार करते माननीय मन्त्री महोदय की बात समझ में आती, इसमें 4 कालेज एफ़ीलियेटेड कालेज हैं प्रोफेशनल कालेजेज हैं, सब प्रकार के कालेजेज इसमें हैं और उसमें भी प्रोविजन किया गया है केवल

two principals to be nominated by the State Government,

सारे प्रिंसीपल्स की संख्या में से 2 प्रिंसीपल का नोमिनेशन होगा, उनका, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं मंत्री महोदय को, आवश्यकता 4 प्रिंसीपल्स की है, दो प्रिंसीपल डिग्री कालेजेज के हों, एक पोस्ट ग्रेजुएट कालेज से हो, एक प्रोफेशनल कालेज से हो और इन चार प्रिंसीपल्स का चुनाव सारे जो प्रिंसीपल्स हैं राजस्थान के एफीलिएटिड कालेज के, उनके द्वारा हो, मैं नहीं समझ सका हूं, पहले से मैं जिक्र नहीं करना चाहता क्योंकि शायद इमरजेंसी का नाम सुनते ही जैसे घंटे बजते हैं, वैसे ही शिक्षा मंत्री को लगता है कि क्या हो गया। केवल इन्हें सुनाना चाहता हूं, आखिर हमारे कालेज के सारे प्रिंसीपल्स है, उनमें से दो प्रिंसीपल्स और वे भी नोमीनेटेड, यह उचित नहीं है, यह रिप्रजेंन्टेशन ठीक रूप से सारे नहीं है। कालेजेज के प्रिंसीपल्स हैं, जो कालेज को देखते हैं, उनकी समस्याए हैं, रीति नीति में कौन से परिवर्तन की आवश्यकता है, इसलिये सिण्डीकेट में उनका होना आवश्यक है। इसलिए इस प्रकार किया है। चौथे संशोधन की चर्चा नहीं करूंगा, मैं कर चुका हूं, रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स के बारे में। क्लाज 9 में कहा गया है, जिसमें संशोधन दिया गया है:

"two teachers, who have put in not less than seven years teaching experience in the institutions of higher education in Rajasthan on Ist January immediately preceding the year in which elections are held, other than University Profes-

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी

sors, deans, principals of affiliated/constituent colleges to be elected by the teachers separately from amongst themselves as below:-,,

इसका प्रावधान किया है इन्होंने

(a) one teacher to be elected from amongst themselves by the teachers of the University teaching, departments and constituent colleges:,

दूसरे कहा है एक यूनिवर्सिटी कालेजेज से और एक टीचर सारे एफीलिएटेड कालेजज से। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, जैसा मैंने कहा एक तरफ थोड़े से शिक्षक 7-8 सौ, दूसरी तरफ तीन हज़ार शिक्षक एफीलिएटेड कालेजेज में, इस रेश्यो को ठीक करना है। एक यहां से और एक वहां से तो यह किसी दृष्टि से उचित नहीं है, न डिपार्टमेन्ट की दृष्टि से और न यूनिवर्सिटी की दृष्टि से। दो टीचर्स एफीलिएटेड कालेजेज से हों, जिससे ठीक रिप्रेजेन्टेशन, न्याय की ठीक बात उनके सामने रह सके। मैंने यह संशोधन आपके सामने रखा है, पता नहीं आप इस दृष्टि से विचार करेंगे या नहीं करेंगे। एक यह संशोधन है, स्पीकर के बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता। बार-बार कहने में मुझे कष्ट होता है लेकिन इनको तो शर्म नहीं आती। इसलिए इन संशोधनों के साथ मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि वे जो सशोधन लाये हैं उन पर पुनः विचार करें। या तो तर्क से समझायें जैसा कि मैंने थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश की है। इश्यु जो मैंने उठाये हैं उनका जवाब दें। राजस्थान विश्वविद्यालय में इतने बड़े गेप के कारण थोड़ी सी समता, इक्विलिटी के भाव से विचार करेंगे और विचार करके मैंने जो संशोधन रखें हैं उन पर सहमति देंगे।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, क्लाजवाइज विचार की स्टेज माननीय कोटा से आने वाले विधायक महोदय ने अपने संशोधन रख हैं उसके संदर्भ में मेरा यह कहना है कि उन्होंने क्लाज 3 में वाई रोटेशन के संबंध में हालांकि कुछ नहीं कहा, पहले दलीलें दी वही हैं। प्रोफेसर को शिक्षाविद् ही मानते हैं। मैं समझता हूं कि आपका सोचने का तरीका दूसरा हो सकता है। प्रोफेसर्स जो विश्वविद्यालयों में काम करते हैं, निश्चित रूप से शिक्षाविद्, शिक्षा शास्त्री होते हैं। उनके लिए माननीय सदस्य ने कहा कि सड़ा हुआ पानी है। यह आपके सोचने का नजरिया हो सकता है, हमारा ऐसा नहीं है। जहां तक आपने क्लाज 4 के बारे में सीनियोरिटी एण्ड बाई रोटेशन की बात कही है, उसके संबंध में मेरा कहना है कि जो व्यक्ति कुछ समय तक सिण्डीकेट में रहेगा वह प्रशासनिक सुधार कर पायेगा। यह नहीं कि एक वर्ष रहा, दो चार मीटिंगों में भाग नहीं लिया उसको पहले ही वहां से खिसका दें। यह सोचने की दृष्टि हमारी नहीं है। हम चाहते हैं कि एक सदस्य जो सिण्डीकेट का सदस्य बने, वह कुछ समय तक रहे और उसके अनुभवों का लाभ विश्वविद्यालय को मिले। आपने क्लाज 6 में बात कही। आठवें क्लाज के बारे में रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स के बारे में कहा, इसके संबंध में मैं अपनी राय व्यक्त कर चुका हूं। फिर आपने प्राचार्यों के संबंध में संशोधन की बात कही है इस संबंध में, अध्यक्ष महोदय, मैं यही कहना चाहता हूं कि एक महाविद्यालय का प्रिंसीपल है, वह अपने इलेक्शन के लिए कोटा से भाग कर बीकानेर

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

जायें, जयपुर जाय, सारे राजस्थान में जाय, जैसे विद्यार्थी चुनाव लड़ते हैं वैसे चुनाव लड़े, मैं समझता हूं कि यह शिक्षक जगत के लिये अच्छी बात नहीं है। मैं इसके खिलाफ में हूं एक प्रिंसीपल अपने चयन के लिए, विश्वविद्यालय की बॉडी के लिए जगह जगह घूमे, यह उचित नहीं है। एक प्रिंसीपल की जिम्मेदारी महाविद्यालय की, कॉलेज की व्यवस्था करने की है, प्रशासनिक व्यवस्था की है, विद्यार्थियों को शिक्षा देने की है। मैं समझता हूं कि प्रिंसीपल को बहुत कम छुट्टियां मिल पाती हैं। जो प्रिंसीपल चुनाव लड़ते थे वे पूरे साल भर पूरे एक शैक्षणिक सत्र में चुनाव का प्रचार करते हुए कन्वेंसिंग करते हुए घूमते थे। मैं समझता हूं कि यह अच्छी परम्परा नहीं है। चुनाव के लिए वह अपनी प्राथमिक ड्यूटी को पूरा नहीं करे, यह हमारे समझ की बात नहीं है। इसीलिए यह उचित समझा गया कि शिक्षाविदों का, जो प्राचार्य हैं उनका मनोनयन किया जावे।

इसी प्रकार से उन्होंने क्लाज 9 में दो अध्यापक की जगह तीन अध्यापकों की बात कही है। मैं इस संशोधन के बारे में यह कहना चाहूंगा कि दो अध्यापक, एक विश्वविद्यालय से और एक एफिलियेटेड कालेज से संबंधित महाविद्यालय से आयेंगे। वह विश्वविद्यालय की, महाविद्यालय की समस्या के बारे में निश्चित रूप से सिण्डीकेट को अवगत करा सकेंगे। एक हो, दो हो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक प्रकार से अपनी अपनी नजर है। नजर अपनी अपनी खयाल अपने अपने। इसलिए मैं समझता हूं कि एक टीचर जो संबद्ध महाविद्यालयों से आएगा, संबंधित महाविद्यालयों की समस्या के बारे में सिण्डीकेट को अवगत करा सकेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह प्रार्थना करूंगा, निवेदन करूंगा कि जो क्लाजवाइज संशोधन माननीय कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रस्तुत किये हैं उनको अस्वीकार करें।

श्री भंवरलाल शर्मा : रिजेक्ट नहीं कर सकते।

श्री अध्यक्ष : बहुमत इनके पास है इसलिए कह सकते हैं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 में जो संशोधन पेश किया गया है उसको स्वीकार किया जाय?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 को स्वीकार किया जावे?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 स्वीकार किया गया।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : क्या हुआ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : खण्ड 2 स्वीकार कर लिया, महाराज।

श्री अध्यक्ष : खण्ड 2 स्वीकार किया गया।

खण्ड 3 और 4 में कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि खण्ड 3 और 4 को स्वीकार किया जावे?

(स्वीकृत)

खण्ड 3 और 4 स्वीकार किए गए।

(श्री अध्यक्ष)

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना, नाम आदि में कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1 अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना, नाम आदि को स्वीकार किये जावें ?

(स्वीकृत)

खण्ड 1 अधिनियमन, सूत्र, प्रस्तावना, नाम आदि स्वीकार किये गये।

प्रभारी मंत्री जी, इसको पारित किया जावे।

विधेयक का पारण

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1981 को पारित किया जावे।

श्री शिवदानसिंह राठौड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, उन्हें तो बहुत समय मिल गया इसलिए अब हमें भी मौका दें।

श्री अध्यक्ष : बोलिये।

श्री शिवदानसिंह राठौड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विश्वविद्यालय जिसे स्थापित किया गया था उस समय एफीलियेटेड यूनिवर्सिटी के रूप में था। उस समय यह कल्पना भी नहीं की गई थी कि इसका टीचिंग विंग इतना बढ़ जाएगा। आज इतना महत्वपूर्ण परिवर्तन हो गया है, इतना विशाल रूप हो जाने के बाद भी वही घिसापिटा एक्ट आज तक चल रहा है जिससे कि इसकी समस्या का हल नहीं हो पा रहा है। आज टीचिंग...

(11.28 रात्रि)

(श्री अहमद बक्श सिंधी, उपाध्यक्ष, पदासीन)

की समस्या, पढ़ाई की समस्या है उसके लिये एक कंसोलिडेटेड एक्ट होना चाहिए ताकि जो टकराव की स्थिति है उसे खतम कर सकें। आज से पहले जो भी संशोधन किये गये वे सिण्डीकेट के प्रारूप में ही संशोधन किये गये। बरकत साहब के समय में संशोधन हुए, उसके बाद जनता पार्टी की सरकार के वक्त में संशोधन हुए और आज हम जो संशोधन करने जा रहे हैं, इन पर विचार कर रहे हैं वह भी सिण्डीकेट के प्रारूप के ऊपर ही संशोधन किये जा रहे हैं और ऐसा महसूस हो रहा है कि जिस प्रकार का सिण्डीकेट का प्रारूप है, सदस्यों को कम करने से अथवा ज्यादा करने से इसकी हर समस्या हल हो जायेगी। हम यह मानते हैं कि इस समस्या की जड़ में सिण्डीकेट है। सिण्डीकेट में सदस्य कम कर दें अथवा ज्यादा कर दें तो इसकी समस्या हल हो जायेगी। मूल समस्या यह नहीं है। इस समय यह जो प्रस्ताव ला रहे हैं इससे यह तो हो सकता है कि सदस्यों को कम करने से इन सरस्वती के मंदिरों को चुनावी अखाड़े से दूर करने की कोशिश की गई है। लेकिन विश्वविद्यालयों की जो असली समस्यायें हैं वह इससे हल होने वाली नहीं है। आज आवश्यकता यह है कि जो विश्वविद्यालयों का आज स्वरूप है उसको देखते हुए एक सम्पूर्ण नया एक्ट लाने की आवश्यकता है जिसमें टीचिंग विंग और एफीलेटिंग विंग दोनों में आपस में सामंजस्य होना चाहिए। खास तौर से उनका टकराव किस प्रकार से मिटे और शैक्षणिक स्तर किस प्रकार से बढ़े उस पर विचार के लिए इसमें कुछ तजवीज हो। जैसे शैक्षणिक नीतियां तय की जाती हैं। वह कोर्सेज तय करने के लिये जाते हैं उसमें यह होता है कि वहां कालेज के प्रतिनिधि ज्यादा होते हैं और यूनिवर्सिटी के प्रतिनिधि कम रह जाते हैं, वह

(श्री शिवदानसिंह राठौड़)

नाम मात्र के रह जाते हैं। जिससे टीचिंग विंग वह है जो एम्बीसियस कोर्सेज लागू करना चाहते हैं वह नहीं हो पाते हैं। इसलिये उनके प्रतिनिधियों का अनुपात सही नहीं बैठता और टकराव बराबर नहीं होता है। इसलिये कालेज के अध्यापक ज्यादा नहीं हो। कालेज के अध्यापक यह कहते हैं कि सरकार हमको इस प्रकार के साधन उपलब्ध नहीं करायेगी। कोई एक सब्जेक्ट खोलना चाहते हैं तो वह कहते हैं कि हमें इस सब्जेक्ट का अध्यापक गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं करेगी। इस प्रकार की अड़चने करके अच्छे एम्बीसियस कोर्सेज लागू नहीं कर पा रहे। इस प्रकार सीनेट में जो सदस्य बनते हैं, उसमें कालेज एजूकेशन वाले सात आठ साल वाले जो डिग्रीड होते हैं उनको तो चांस मिलता है और विश्वविद्यालय के डिग्रीड को 25-25 साल हो गये लेकिन अगर वह रीडर नहीं हैं या प्रोफेसर नहीं है तो वह सदस्य नहीं बन पाते। इसी प्रकार यह एफिलेटिंग विश्वविद्यालय हैं। इसकी वजह से दोनों शामिल हुए और एक क्लास में तीस-तीस हजार परीक्षार्थी बैठते हैं। जिसका रिजल्ट यह होता है कि समय पर परीक्षा नहीं होती है समय पर परीक्षा नहीं होने के कारण हमारे स्टूडेंट्स जो बाहर हायर एजूकेशन में या टैक्निकल एजूकेशन में एडमीशन लेना चाहते हैं वह नहीं ले पाते और हमारे बच्चों को आगे पढ़ाई से मोहताज होना पड़ता है। इसके साथ यह होता कि समय पर परीक्षा नहीं होती है तो आई. ए.एस. की परीक्षा इन परीक्षाओं के बीच में आ जाती है और हमारे बच्चे उन परीक्षाओं में नहीं बैठ पाते गये। साल आर. ए. एस के एक्जामिनेशन का प्रोग्राम था अभी तक परीक्षा नहीं हुई है। यही हालत रही तो राजस्थान के अधिकारी उच्च पदों पर बहुत कम रह जायेंगे और आउट साइडर आ जायेंगे। इसके साथ मेरा निवेदन है कि राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के छात्र यहां पर आन्दोलन करते हैं और उन परीक्षाओं को आगे सरकवा देते हैं। कुछ थोड़े बहुत स्टूडेन्ट आन्दोलन करके परीक्षाओं को आगे सरका देते हैं, इसका परिणाम यह होता है कि दूर दराज के गांवों में जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, तैयारी कर लेते हैं, उनके समय का नुकसान होता है। समय पर परीक्षा नहीं दे पाते। तो मेरा निवेदन है कि यह कुछ ऐसी समस्याएं हैं, जिन पर गौर करें। मैं कुछ रचनात्मक सुझाव दूंगा। इस संबंध में मेरे तीन सुझाव हैं। एक तो यह, जो विश्वविद्यालय है, राजस्थान विश्वविद्यालय इसमें जितने कालेज हैं उनको तीनों विश्वविद्यालयों में बराबर बांट दें। यहां जो अध्यापक हैं कर्मचारी हैं और जो चपरासी हैं उनको उसी अनुपात में तीनों में बांट दें। उन विश्वविद्यालयों को इससे कोई ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा, न नये आर्थिक साधन जुटाने की आवश्यकता होगी। बराबर हो जायेंगे सब। तीनों विश्वविद्यालयों के कालेजों को बांट दें। तो इसमें एक तरीका यह हो सकता है, नया पैसा चुकाने की आवश्यकता नहीं है और राजस्थान विश्वविद्यालय का भार भी कम हो जायेगा। दूसरा यह कि विश्वविद्यालय के तहत आप टीचिंग विंग को अलग कर दें और एफीलियेटिंग विंग को अलग कर दें। परीक्षा अलग अलग होने लग जाय। इनके साथ विश्वविद्यालय की जो परीक्षा होती है वह लेट हो जाये तो दूर दराज कालेज है वहां के परीक्षार्थी को तकलीफ न हो।

दूसरा मेरा निवेदन है कि आप राजस्थान विश्वविद्यालय को रेजीडेंसियल विश्वविद्यालय बना दें। एफीलियेटिंग विश्वविद्यालय

(श्री शिवदानसिंह राठौड़)

बिलकुल सेपरेट कायम कर दीजिये जिसका बिलकुल अलग वर्किंग हो जाय। इसमें सरकार को कोई अतिरिक्त खर्चा नहीं करना पड़ेगा क्यों कि राजस्थान विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर है और प्रोवाइस चांसलर का पद है। प्रोवाइस चांसलर को एफीलियेटिंग विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर बना दें और जो एडिशनल रजिस्ट्रार है उनको वहां रजिस्ट्रार बना दें। इसी प्रकार डिप्टी रजिस्ट्रार और असिस्टेंट रजिस्ट्रार हैं जितने भी पद राजस्थान विश्वविद्यालय में अनाप शनाप हैं उनको भी आप डिलीट कर दीजिये। आज इस विश्वविद्यालय में 700 चपरासियों के पद है। जो तीन चार डिस्ट्रिक्ट में भी मिला कर नहीं होंगे इतने राजस्थान विश्वविद्यालय में पीअोन भरे हुए हैं। यह स्थिति कुल मिला कर ऐसी स्थिति है कि राजस्थान विश्वविद्यालय का शैक्षणिक स्तर बहुत गिर चुका है। करीव एक करोड़ रुपये का ओवर ड्राफ्ट विश्वविद्यालय का होता जा रहा है। अगर यह स्थिति रही तो देश के गिरे हुए विश्वविद्यालय की जैसी हमारी हालत हो जायेगी। आज से 6-7 साल पहले राजस्थान विश्वविद्यालय देश के पहले 10 विश्वविद्यालय में माना जाता था अब मैं समझता हूं कि निचले से दसवें में इसका स्थान है। इसके साथ ही मेरा निवेदन है कि राजस्थान विश्वविद्यालय में एक और सवाल हो गया है, रोटेशन ऑफ हैडशिप। — उसका इतना कुप्रभाव विश्वविद्यालय पर पड़ा है कि यह विश्वविद्यालय आज जयपुर के गुलाबी नगर के पर्यटक आते है उनके लिये दर्शनीय स्थान मात्र रह गया है। यहां के शैक्षणिक स्तर में गिरावट हुई है। हालत यह हुई है कि रोटेशन आफ हैडशिप में प्रोफसर से लेकर लेक्चरर तक सबके समान स्तर कर दिये है। बराबर के स्तर पर रोटेशन कर दें तो बात समझ में आने वाली आती है। लेकिन प्रोफेसर और लेक्चरार तक में रोटेशन कर रहे है यह बड़े ताज्जुब की बात है। इसका नतीजा यह हुआ है कि जो विद्वान यहां पांच सात साल पहले लगाये हुए थे वह चले गये। यह हो गया कि आज बाहर से कोई विद्वान राजस्थान में आने को तैयार नहीं है। इसका खास कारण है, कोई भी अच्छा विद्वान अपने से कम विद्वान के नीचे काम करने को तैयार नहीं है। यह स्थिति आपने राजस्थान विश्वविद्यालय में पैदा की है। इसलिए मेरा निवेदन है कि रोटेशन आफ हैडशिप को खतम किया जाय और बिल्कुल सही तरीके से प्रमोशन किया जाय जिससे विद्वान आयें। कोई भी विश्वविद्यालय वहां के प्रोफेसर्स और विद्वानों से जाना जाता है, आज आपके हैड आफ डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिनको सांगानेरी गेट के बाहर तक जानते नहीं हैं। वह हैड आफ डिपार्टमेंट बन बैठे हैं क्या स्वार्थ है विश्वविद्यालय का ? इसलिए मेरा निवेदन है कि आप इस पर गंभीरता से विचार करें। इस रोटेशन आफ हैडशिप को खतम करें।

श्री दाऊदयाल जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विश्वविद्यालय के तहत राजस्थान में दो आयुर्वेदिक महाविद्यालय चलते हैं एक उदयपुर और दूसरा सीकर में। दो को इस साल मान्यता दी जानी है। मेरा निवेदन करना है कि बड़ी तेजी के साथ आयुर्वेद की तरफ रुझान हो रहा है। उस रुझान को देखते हुए राजस्थान विश्वविद्यालय के माध्यम से राजस्थान सरकार स्वयं अपने आयुर्वेद महाविद्यालय चलायें तो कोई बात समझ में आने

(श्री दाऊदयाल जोशी)

वाली है। आज यह प्रमाणित हो चुका है कि ऐलोपैथी के जो एक्शन, रिएक्शन हैं, जो प्रतिक्रियायें हैं, एलोपैथी के कारण जो लोगों की मौतें हो रही हैं, सल्फा ड्रग्स टोटली फेल हो चुकी है, और माइसिन जिसका बिलकुल वायकाट हो चुका है, पेन्सलिन की गोली नष्ट प्रायः हो चुकी है, उसके बाद बचता है तो वह प्योर आयुर्वेद है। लेकिन मेरा दुर्भाग्य है, मेरे राजस्थान का दुर्भाग्य है कि आयुर्वेद की तरफ राजस्थान विश्वविद्यालय के माध्यम से किसी प्रकार की तवज्जह नहीं देना चाहते।

(व्यवधान)

अब सवाल नहीं है तो ठीक है। आज तो रात भर बैठना है, बोलना या नहीं बोलना रात भर बैठेंगे जब तो इतिहास बनेगा चन्दनमल जी के नेतृत्व में।

मैं निवेदन कर रहा था उदयपुर के अन्दर राजस्थान विश्वविद्यालय के तहत आयुर्वेदिक विद्यालय चल रहा है। मुझे बड़ा दुःख है, और खेद है कि पिछले सत्र में शव छेदन के लिये तय किया गया था क्योंकि आज यहां पर हमारे मेडिकल कालेज हैं, मेडिकल कालेजों में शव छेदन के लिए मुर्दे मिलते नहीं। मुर्दे नहीं मिलते इसलिए बिल लाया जा रहा है। पिछली बार वह बिल आया था, लेकिन पिछली बार उस बिल को टाल दिया गया। इतना गंभीर मसला है, पिछली बार टाला, इस बार फिर टाला गया। इस बार हमें कार्य सूची मिली थी, उसमें लिखा था, शारीर विधेयक हम ला रहे हैं। लेकिन ना मालूम क्यों, हमारे यहां मेडिकल कालेज की आवश्यकता को देखते हुए, आयुर्वेदिक कालेज की आवश्यकता को देखते हुए लगातार साल भर से सरकार शारीर बिल को लाने में कतरा रही है। यहां पर मेडिकल कालेज में शव छेदन के लिये शव मिल नहीं रहे, तो वहां आयुर्वेदिक कालेज के लिये तो प्रश्न ही नहीं उठता। आयुर्वेदिक कालेज का स्नातक लगातार 6 साल तक आयुर्वेद छात्र का जीवन व्यतीत करता है, वह स्नातक बनने के बाद कोरा निकलता है। ऐसी स्थिति में सरकार द्वारा नियंत्रित सरकार द्वारा संचालित, मालवीय आयुर्वेदिक कालेज, उदयपुर में चल रहा है और प्राइवेट सैक्टर में आयुर्वेदिक कालेज सीकर में चल रहा है....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप सब्जेक्ट मैटर पर बोलिये। आयुर्वेद पर कहां पहुंच गये ?

श्री दाऊदयाल जोशी : यह विश्वविद्यालय के साथ है। मैं निवेदन कर रहा था, उपाध्यक्ष महोदय....

(व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : माननीय सदस्य कुछ ऐसी चीज खा पी आये हैं जिससे यह बात कर रहे हैं।

श्री दाऊदयाल जोशी : मैं निवेदन कर रहा था....

श्री उपाध्यक्ष : राजस्थान विश्वविद्यालय की बात कीजिये।

श्री दाऊदयाल जोशी : यह विश्वविद्यालय के स्कोप में है।

श्री उपाध्यक्ष : आयुर्वेदिक कालेज, राजस्थान विश्वविद्यालय के तहत नहीं है।

Page No 249

249.

श्री धाऊ श्याम जोशी : बिलकुल। राजस्थान विश्वविद्यालय के तहत है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : इसकी एक विभाग है उदयपुर में जिम्रालोजी का। वह भी अपना डिपार्टमेंट वहां पर मेन्टेन करता है।

एक माननीय सदस्य : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भांग खाकर आये दिखते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कीजिये। आपने जिन्दादिली पैदा कर दी।

(व्यवधान)

श्री धाऊ श्याम जोशी : मैं निवेदन कर रहा था। अभी पिछले सत्र में उदयपुर कालेज के विद्यार्थियों ने आन्दोलन किया। वहां पर आम हड़ताल चली। उन्होंने आत्म दाह करने की धमकी दी। मैं निवेदन कर रहा था कि उनकी सबसे बड़ी मांग है कि आज राजस्थान में केवल एक होम्योपैथी कालेज है जिसके अन्दर 130 विद्यार्थी नियमित रूप से पढ़ रहे हैं। उनकी डिमाण्ड है कि राजस्थान सरकार होम्योपैथी कालेज को राजस्थान विश्वविद्यालय की परिधि में लेकर उसको मान्यता दिलाये। आज चार साल में निकलने वाले होम्योपैथी के विद्यार्थी अपने जीवन को बिगाड करके प्राइवेट संस्थाओं में भर्ती होकर अपने जीवन को समाप्त करने जा रहे हैं। तो मेरी पुरजोर शब्दों में मांग है कि राजस्थान विश्वविद्यालय राजस्थान में एक मात्र चलने वाले होम्योपैथी कालेज को अपने अण्डर में ले। राजस्थान में यूनानी के 125 चिकित्सालय चलते हैं। हिन्दुस्तान की सरकार ने स्वयं कहा है कि एक कालेज यूनानी और चार कालेज आयुर्वेद के सारे हिन्दुस्तान भर में यूनिवर्सिटीज के माध्यम से चलने चाहियें। राजस्थान के अन्दर यूनिवर्सिटीज के माध्यम से तो छोड़िये, प्राइवेट में केवल एक यूनानी तिब्बिया कालेज चलता था, वह भी आज बन्द हो गया है जब कि सवा सौ यूनानी हास्पिटल चल रहे हैं, तो उनके लिये यूनानी हकीम कहां से आयेंगे? इसलिये मेरा पुरजोर शब्दों में निवेदन है कि राजस्थान सरकार यूनिवर्सिटीज के माध्यम से यूनानी विद्यापीठ चालू करे।

मेरा इसके साथ कोटा के आन्दोलन के विषय में निवेदन है, सम्माननीय चन्दनमल जी साहब, वह आन्दोलन समाप्त हो जाता है, लेकिन दुर्भाग्य है कि कोटा के विद्यार्थी हमारे कोटा के रिप्रजेंटेटिव पं. बृज सुन्दर जी के घर पर चले गये। वहां पर उन्होंने जिन शब्दों का उनके लिये प्रयोग किया, इस प्रकार के गन्दे शब्दों का प्रयोग किया कि तुम उनके साथ .... अब हम क्या कहें। जब विद्यार्थियों ने कहा कि सुनील गर्ग भूख हड़ताल पर बैठा है, वह मर जायेगा तो विधि मंत्री जी ने कहा कि सुनील गर्ग मर जायेगा तो उसको कन्धा लगाने, राम नाम सत्य के लिये मैं आ जाऊंगा। यह आन्दोलन इसलिये भड़काया आपने और पं. बृज सुन्दर जी ने आपस में तय कर लिया हो तो मैं नहीं जानता, पहले तो आप में झगड़े चलते थे, आज सुलह हो गई हो तो बात दूसरी है वरना तो कोटा के आन्दोलन के पीछे पं. बृज सुन्दर जी शर्मा का हाथ है, आपका हाथ हो या न हो। मेरा निवेदन है आज 13 दिन हो गये, आज की जो रिपोर्ट है, वहां के एस. पी. की रिपोर्ट है कि सुनील गर्ग की हालत

(श्री दाऊदयाल जोशी)

चिन्ताजनक है, वहां के सी. एम. एण्ड एच. श्रो. ने रिपोर्ट दी है कि उसकी हालत चिन्ताजनक है। मैं निवेदन कर रहा हूं....

श्री बृज सुन्दर शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, ××× बोल कर सदन को गुमराह कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री दाऊ दयाल जोशी : आपने अपने मुखारविन्द से कहा है कि अगर सुनील गर्ग मर जायेगा, तो उसको कन्धा लगाने के लिये जाऊंगा।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है।

श्री देवीसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर। माननीय मंत्री महोदय ने फर्माया कि ××× बोल कर सदन को गुमराह कर रहे है....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आसन पांवों पर है। कृपया, बैठ जाइये।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, उपाध्यक्ष महोदय, यह ××× शब्द को निकाल दीजिये। इसको एक्सपंज कराइये साहब।

श्री देवीसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर उठाया है, उस पर व्यवस्था दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : आपका पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर नहीं है।

श्री देवी सिंह भाटी : ××× शब्द का इस्तेमाल किया गया है, उपाध्यक्ष महोदय...

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : ××× अब क्या लेना है आपको ?

श्री बुकलीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने और कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाये हैं उनके संबंध में मेरा यह कहना है.....

श्री देवीसिंह भाटी: ×× शब्द को एक्सपन्ज कराइये, उपाध्यक्ष महोदय।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप जानते नहीं हैं, आसन पांवों पर है। आप सुनिये।

श्री देवीसिंह भाटी : मेरे पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर पर व्यवस्था दी जाय। माननीय मंत्री महोदय ने ×××बोल कर सदन को गुमराह कर रहे हैं यह शब्द इस्तेमाल किये हैं। यह सदन की कार्यवाही से एक्सपन्ज कीजिये, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ने एलीगेशन लगाये उनका उत्तर दिया कि ये गलत हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ××× शब्द असंसदीय है।

××× शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : जहां-जहां ××× शब्द आया है, उसको एक्सपन्ज कर दिया जाय ।

(व्यवधान)

श्री बृजसुन्दर शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पास 2-3 विद्यार्थी कोटा के आये। मुझ से उन्होंने कहा कि एक विद्यार्थी भूख हड़ताल पर बैठा हुआ है, वह मर जायेगा। मैंने सिर्फ यही कहा कि सरकार मरने नहीं देगी, भूख हड़ताल से उठा कर, उसको अस्पताल में जायेगी और उसको जिन्दा रखेगी। यह बिल्कुल गलत है कि मैंने कहा कि मैं उसको कन्धा लगा दूंगा। यह बिल्कुल सुनी हुई बात आपने कही है। मैं इस तरह के हलके कभी शब्द बोलता नहीं हूं न मैंने विद्यार्थियों से इस प्रकार की बात कही है। यह गलत प्रचार किया जाता है। आपको नहीं करना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय उप-मंत्री जी।

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछली बार माननीय उप-मंत्रीजी जवाब दे रहे थे। मैंने पहले भी निवेदन किया था कि तर्क ऐसे देने चाहिये जो सही उतरें कसौटी पर। अभी माननीय उप-मंत्री जी ने तर्क दिये हैं, कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि पिछली बार चार प्रिन्सीपल थे, निर्वाचन क्षेत्र थे अलग-अलग श्रेणियों के। इस पर एक तर्क यह रखा कि हमारे प्रिन्सीपल जोधपुर से कोटा भागेंगे, कोटा से बीकानेर भागेंगे और बीकानेर से उदयपुर भागेंगे। यह स्थिति हम बर्दाश्त नहीं कर सकते इसलिये प्रिन्सीपल का चुनाव होगा। मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा, माननीय उप-मंत्री जी सीनेट का कान्स्टीट्यूशन देखिये। आपके पास होगा। इस सीनेट के कान्स्टीट्युशन को आप देख कर बताएंगे कि यह प्रिन्सीपल का चुनाव है या नहीं। सैक्शन 18 आफ दी राजस्थान यूनिवर्सिटी एक्ट। इसमें बोलने न बोलने की बात नहीं है। यह शिक्षा की बात चल रही है। किताब के आधार पर बोल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : Please carry on.

श्री कैलाश मेघवाल : सैक्शन 18 का सब-सैक्शन 17, यह सीनेट का कांस्टीट्यूशन बता रहा हूं। यह नहीं हो सकता है।

"Principals of constituent colleges elected by the Principals of constituent colleges."

इलेक्शन का आपने प्रोवाइड किया है। एक बोडी में इलेक्शन है। चाहे वह सुप्रीम बोर्ड हो सीनेट, वहां प्रिन्सीपल चुनाव लड़े लेकिन जब एक्जीक्यूटिव कमेटी में चुनाव की बात रखी है, तो क्या बढ़िया तर्क दिया है? आगे और बताऊ, 18 वां ....

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैंने कन्वेसिंग के बारे में कहा था।

श्री कैलाश मेघवाल : फिर है 21 वां। माननीय उपाध्यक्ष, मैं इस तर्क, कुतर्क में उतरना नहीं चाहता, लेकिन तर्क संगत बात यहां पर कही जाये। एक स्थिति आप रखते हैं, या वह स्थिति आप फोलो कर रहे हैं, चुनाव करने की बात कही जा रही है। विधान सभा में आप जो कुछ कह रहे हैं, आपसे आग्रह किया है, यह तीसरा वाचन हो रहा है अपने तर्क दीजिये। मैंने देखा है और पहले भी निवेदन किया था कि तर्क को डवलप करना चाहिये, आरग्यूमेन्ट करना चाहिये, आप वकील हैं, कोई आरग्यूमेन्ट को डवलप करें

××× शब्द माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री कैलाश मेघवाल)

है तो उसका एक आधार होता और उसको किसी सिद्धान्त के आधार पर रखते। प्रिन्सीपल चुनाव न लड़े, Two principals of Degree Colleges elected from amongst themselves. फिर एक बात और निवेदन कर दी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय जो विश्वविद्यालय की रचना है, कई प्रोफेसर, लेक्चरार ऐसे हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के प्रिन्सीपल होने की क्षमता रखते हैं। कई लेक्चरार डिग्री कालेजेज के प्रोफेसर बन सकते हैं परन्तु पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में लग गये, इसलिये लेक्चरर ही रह गये हैं। यह इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि आपके 17 टीचर्स आते हैं। जो पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के लेक्चरर हैं, डिग्री कॉलेज के सीनियर लेक्चरार हैं वे प्रिन्सीपल बन सकते हैं। टीचर्स रिप्रजेन्टेटिव आते हैं सीनेट में, 15 persons elected by the teachers, यह मैंने आपके सामने इसलिये रखा है कि गजब हो जाएगा, शिक्षा का स्तर गिर जाएगा किस स्तर का चुनाव लड़ सकते हैं? आपकी सीनेट में किस स्तर के लोग चुनाव लड़ सकते हैं? किस स्तर की सिन्डीकेट आप बनाना चाहते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा जहां तक जोधपुर विश्वविद्यालय का सम्बन्ध है, वहां पर दूसरी स्थिति है, जहां तक उदयपुर विश्वविद्यालय का सम्बन्ध है वहां पर दूसरी स्थिति है, और आज राजस्थान विश्वविद्यालय की जो स्थिति है वह एक तीसरी तरह की स्थिति है। इसका कारण यह है कि राजस्थान के अन्दर जो मेडिकल शिक्षा है, वह मेडिकल शिक्षा कौन दे रहा है। राजस्थान विश्वविद्यालय दे रहा है। राजस्थान के अन्दर जो इंजीनियरिंग, अभियांत्रिकी शिक्षा है वह कौन दे रहा है, राजस्थान विश्वविद्यालय। राजस्थान की सारी प्रशिक्षण की शिक्षा कौन दे रहा है, वह राजस्थान विश्वविद्यालय दे रहा है। राजस्थान के सारे अधिकांश कॉलेज जो उच्च शिक्षा के आधार हैं, मैं निवेदन करूंगा, मेरे पास आंकड़े नहीं है लेकिन जो आइडिया बनता है उसके आधार पर कहता हूं कि सारे एफीलियेटेड कालिजों में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं वे राजस्थान विश्वविद्यालय में जोधपुर विश्वविद्यालय और उदयपुर विश्वविद्यालय से बहुत अधिक हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय के कैम्पस में जो स्टूडेन्ट हैं वह उनसे बहुत अधिक है ऐसी स्थिति में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सिन्डीकेट के लिये बिल लाकर एक तरह से शिक्षा के साथ में भेद किया जा रहा है। सारी आपकी सिन्डीकेट की रचना उपाध्यक्ष महोदय..

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सारे राजस्थान के विश्वविद्यालय, राजस्थान के शिक्षा नीति, राजस्थान में उच्च शिक्षा नीति को आप नये ढंग से चलावें। इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि आप शिक्षा को प्रतिबंधित करना चाहते हैं।

इससे शिक्षा के दो स्तर हो जायेंगे। सारी सिन्डीकेट की रचना के बाद विश्वविद्यालय में प्रमुखता हो जाएगी। कैम्पस के कॉलिजज के जो प्रोफेसर हैं, डीन है, डाइरेक्टर हैं, उनकी प्रमुखता हो जाएगी। पिछली बार कितना अच्छा आयोजन था और प्रिन्सीपल के लिये जो स्थिति थी वह आवश्यक है।

Page No 253

253

(श्री कैलाश मेघवाल)

समझ में नहीं आता है आप क्या चाहते हैं ? मेडिकल कॉलेज के बारे में, राजस्थान विश्व विद्यालय की सिन्डीकेट कोई निर्णय ले और उसमें मेडिकल कॉलेज का प्रिन्सीपल न हो, टीचर न हो, आज राजस्थान की सिन्डीकेट कोई निर्णय लें, राजस्थान के इन्जीनियरिंग कॉलिज, जो उससे एफीलियेटेड हैं के बारे में और उनका कोई रिप्रेजेन्टेटिव न हो, राजस्थान की सिन्डीकेट कोई निर्णय ले उसमें दूसरे प्रोफेसर, एम. ए. कॉलेज के रिप्रेजेन्टेटिव न हो तो मैं समझता हूं कि राजस्थान की शिक्षा के बारे में वह सिन्डीकेट किसी तरह का प्रतिबिम्ब नहीं होगी। क्या कोई निर्णय ले पायेगी। पहले जो व्यवस्था थी, मैं यह कहना चाहता हूं कि उसमें दोष क्या है ? कोई यह बतावें तो सही इसीलिये बदला है। उसका कोई दोष नहीं था।

एक माननीय सदस्य : 12 बजे हैं···

श्री कैलाश मेघवाल : 12 तो आपके बजेंगे। जो सिन्डीकेट आप बना रहे हैं उस सिन्डीकेट से शिक्षा के बारह बजने वाले हैं। यह पढ़ने लिखने का सवाल है। आपको मालूम ही नहीं कि सिन्डीकेट किस को कहते है। प्रोफेसर क्या होता है। दल बदल कर उधर चले गये···

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि पहले की जो व्यवस्था है।

'two principals to be elected in the respective categories as mentioned below.........."

"आप सुनिये तो सही।

"one to be elected from amongst themselves from the principals of constituent Colleges affiliated to the University, excluding the professional Colleges."

एक प्रिन्सीपल होगा। वह प्रिन्सीपल होगा पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज का प्रिन्सीपल या उनका रिप्रजेंटेटिव होगा। पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज की एजुकेशन, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बड़ी मायने रखती है, बड़ी उच्च शिक्षा है इनके प्रिंसिपल्स का प्रतिनिधि सिंडीकेट में होना चाहिये। दूसरा

"one to be elected from amongst themselves by the Principals of the professional Colleges affiliated to the University."

अब मेडिकल, इंजीनियरिंग, आयुर्वेद, बी.ए.एम. ए. जो ये प्रोफेशनल कॉलेज हैं या जो तकनीकी शिक्षा चिकित्सा शिक्षा की आधारशिला रखते है "two to be elected from amongst themselves by the principals of degree Colleges affiliated to the University excluding professional colleges." एक प्रिंसीपल उनमें से होना चाहिए था, यह मैंने आपके सामने रखा और दूसरा एक सारे राजस्थान के प्रिंसिपल्स मिल कर चुनाव कर लें। अब आपने इसमें इसके लिये यह व्यवस्था की है कि दो प्रिंसीपल्स नोमिनेट कर दिये जायेंगे। वह कहाँ का होगा, कौन सा नोमीनेट होगा, इस विषय में जाना नहीं चाहता हूं लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान विश्वविद्यालय की स्थिति और है। दूसरे विश्वविद्यालयों की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए उदयपुर

Page No 254

(254)

(श्री कैलाश मेघवाल)

जोधपुर विश्वविद्यालयों की तरह से इसकी सिंडीकेट नहीं रखें।

दूसरी बात, उपाध्यक्ष महोदय, जो आपके सामने रखना चाहता हूं वह इसलिये रखना चाहता हूं कि इसकी दूसरी स्थिति है। वह स्थिति आयी है कि जो एफीलियेटेड कालेज हैं और कान्सटीट्यूएन्ट कालेज हैं, Two professors nominated by the Vice Chancellor. अब इसमें दो प्रोफसर नोमिनेट होंगे। इसकी सारी रचना को देखें। Two persons nominated by the Vice Chancellor from the Deans of Faculties ये यूनिवर्सिटी के हैं,

Two Professors of University Departments to be nominated by the Vice Chancellor, other than Deans.

ये यूनिवर्सिटी के हैं

(v) One educationist nominated by the Chancellor;

(vi) two principals to be nominated by the State Government;

इसके संबंध में मैंने नहीं कहा था।

एमीनेंट एजुकेशनिस्ट के संबंध में मैं निवेदन कर चुका हूं कि यह एमीनेंट एजूकेशनिस्ट कौन होगा ? पर मंत्री महोदय की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया। आप यह कह सकते थे कि कोई इंजीनियरिंग का ख्याति प्राप्त विद्वान होगा, कोई मैडीकल का ख्याति प्रयाप्त विद्वान होगा या कोई आयुर्वेद का ख्याति प्राप्त विद्वान होगा या फिर कोई शिक्षा क्षेत्र का ख्याति प्राप्त विद्वान होगा। इसके बावजूद जो रचना की है यह सारी रचना इस तरह की है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इस बिल को भगवान के वास्ते पारित न करें। इससे तो शिक्षा के क्षेत्र में दोगलापन आने वाला है, एफीलियेटेड कालेजों को सैकण्ड ग्रड में लाने वाले हैं इसके निश्चित रूप से दुष्परिणाम होंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि रचना को देखें तो कैम्पस कालेज जो हैं वह ही सिंडीकेट में बहुमत पा जायेंगे उनके बहुमत पाने के बाद राजस्थान के जो दूसरे कालेज हैं उनमें आप गड़बड़ रोकना चाहते हैं, लेकिन इससे तो गड़बड़ बढ़ेगी, यह तो गड़बड़ पैदा करने का अधिकार है, इससे शिक्षा के क्षेत्र में गड़बड़ी की आधारशिला रख रहे हैं उसके लिए मेरा आपसे निवेदन है कि इसको पारित न करें। यही मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रभारी मंत्री उत्तर देंगे।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : एक दो शब्द निवेदन करना चाहूंगा....

(व्यवधान)

दो मिनट में बोल लूंगा। मुद्दे की बात है।

श्री उपाध्यक्ष : लेकिन आप बोल चुके हैं पहले।

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मुद्दे की बात रख रहा हूं....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : वह तो ठीक है लेकिन आप पहले बोल चुके हैं। आपको पहले मौका मिल चुका है।

श्री रामनारायण डूडी : इन्होंने शिक्षा जगत को खोखला कर दिया है।

(व्यवधान)

Page No 255

255

श्रीमती उजला अरोड़ा : तुम क्या जानों, चारों के चारों पहले तो ××× के साथी पार्टी की बुराई करते हो और फिर······

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप पहले बोल चुके हो।

(व्यवधान)

आसन पैरों पर है, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : क्या रसमलाई खाकर आये हो ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं कि मंत्री महोदय, ××× के आधार पर इस बिल को पारित करवा लेंगे। लेकिन फिर भी एक दो इम्पोर्टेंट बातें रखना चाहता हूं जिसकी मुझे अभी जानकारी मिली है।

श्री उपाध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : सरकार ने इंजीनियरिंग कालेज वालों से पूछा है कि फोर ईयर कोर्स कर दिया जाय। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस समय वहां पर फाइव ईयर कोर्स चल रहा है। फोर ईयर कोर्स होना चाहिए। इसमें मेरा मतभेद नहीं हैं लेकिन आज राजस्थान की स्थिति ऐसी है कि 10 प्लस 2 का सिस्टम भी राजस्थान में मंत्री महोदय लागू नहीं कर सके। मुझे जानकारी मिली है कि इंजीनियरिंग कॉलेज ने यह कह दिया है कि फोर ईयर कोर्स कर दिया जाय। मेरा निवेदन यह है कि······

(व्यवधान)

राजस्थान की सारी स्थिति को देखकर······

××× शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

एक माननीय सदस्य : पहले भी बोल चुके हैं इस पर।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आपको ध्यान नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : समय का ध्यान रखें, माननीय सदस्य। आप अपने तरीके से न बोलें। दो मिनट का समय दिया गया है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : इसलिये मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी को सुझाव देना चाहता हूं कि इंजीनियरिंग कॉलेज ने जो सुझाव भेजा है राजस्थान की स्थिति को देखते हुए यह दोनों प्रकार के कोर्स चलायें वरना फाइव ईयर कोर्स चलाना चाहिए। 10 प्लस 2 चालू नहीं कर पाये हैं।

एक बात और कहना चाहता हूं। मंत्री महोदय ने अपने जवाब में कहा है। उन्होंने एक बात कही, उत्तर प्रदेश का उदाहरण देते हुए कि वहां पर 3 यूनिवर्सिटीज का कामन एक्ट है। राजस्थान के बारे में इस प्रकार का विचार करने को कह रहे हैं। माननीय शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वह यूनिफिकेशन की बात न करें, गवर्नमेंट डायरेक्शन की बात न करें, उनकी स्वायत्ता को जीवित रहने दें। प्रत्येक विश्वविद्यालय की अपनी-अपनी अलग-अलग अहमियत है, अपनी विशिष्ट छवि है, आप उसे विशिष्टता के आधार पर बने रहने दें। यह कॉमन एक्ट लाकर....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बात नहीं, माननीय सदस्य।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : ट्रान्सफर एक्ट आप लागकर यह करना चाहते हैं इससे तो हम पर भी दबाव पड़ेगा ।

एक माननीय सदस्य : यह बात कह चुके हैं ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : सुन लें ।

श्री उपाध्यक्ष : आप कन्टीन्यु, करें, माननीय सदस्य । No talk, please.

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मैं इसलिये कहना चाहता हूं कि जो कॉमन एक्ट की चर्चा की और ट्रान्सफर एक्ट की चर्चा की यह सामान्य विषय नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपस में बातें नहीं माननीय सदस्य ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : विश्वविद्यालय की स्वायत्तता का प्रश्न है । अलग-अलग विश्वविद्यालय की अपनी-अपनी विचार धारा है उनको एक सूत्र में गूंथकर सरकारीकरण करने, गवर्नमेंट में लेने का जो प्रयास है इसके बारे में विचार करते समय गहन विचार की आवश्यकता है । विधान सभा के पटल पर चलते हुए यह बात कह दी, इस पर विचार करने से पहले सिलवरी साइड और ब्लेक साइड-इन सबके ऊपर विचार करें। मैं सरकार से निवदन करना चाहता हूं ऐसा करने की कोशिश नहीं करें । .

थर्ड रीडिंग पर दो सुझाव देने की कोशिश की है । कुछ माननीय सदस्य थक गये हैं ।जो बोल गये सो बोल गये, वह यह चाहते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रभारी मंत्री उत्तर देंगे ।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह कहना चाहता हूं····

एक माननीय सदस्य : कब तक बोलेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : बैठ जाइये, फिर मौका आयेंगे ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हम तो बोलेंगे ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह ना समझे हैं ना समझे पायगे ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : शिक्षा के बारे में सुझाव दिये माननीय सदस्यों ने कि प्रवेश समय पर होना चाहिये, समय पर परीक्षा होनी चाहिये, परीक्षा परिणाम जल्दी निकलने चाहिए, शिक्षण के स्तर का सुधार होना चाहिये । मैं आपकी जानकारी के लिए यह निवेदन करना चाहूंगा कि एक समन्वय समिति की स्थापना की गयी है और समन्वय समिति ने इस बारे में प्रभावी निर्णय, लिये हैं और उस के फल भी निकले हैं । इस बार परिणाम निर्धारित समय पर निकले निर्धारित समय पर महा विद्यालय भी शुरू हो गये और सम्भवतः अगला सत्र भी निश्चित समय पर शुरू होगा । जहां तक रोटेशन ऑफ हैडशिप के बारे में उन्होंने प्रश्न उठाया, मैं इस संबंध में विस्तार पूर्वक सदन में चर्चा कर चुका हूं । बहुत जल्दी ही इन सभी विश्व विद्यालय, तीनों विश्वविद्यालयों से संबंधित समस्याओं का समाधान करने के लिऐ, इसके शैक्षणिक स्तर में सुधार करने के लिए राज्य सरकार एक कॉमन एक्ट लाने के बारे में गम्भीरता से विचार कर रही है । कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो चर्चा आयुर्वे

(श्री बुलाकीदास कल्ला)
छात्रों को मुर्दा न मिलने के संबंध में की है ऐसा लगता है...

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, सदन का डेकोरम रखिये । बात न करें ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : वह लाफिंग गैस लेकर आये थे, हंस ज्यादा रहे थे और बोल कम रहे थे । आयुर्वेद के बारे में कुछ कह रहे थे, पता नहीं, क्या कह रहे थे कुछ समझ में नहीं आया, कभी मुर्दे नहीं मिलते, इसके बारे में बात कर रहे थे, कभी शरीर विधेयक के बारे में बात कर रहे थे ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : इस विधेयक के बारे में सिण्डीकेट की बात चल रही है और माननीय सदस्य मुर्दा न मिलने की बात कर रहे थे ।

(व्यवधान)

अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने चुनाव के बारे में प्रश्न उठाया । उस सम्बन्ध में, मैं यह कहना चाहता हूं एक तरफ वह कहते हैं प्रिन्सीपल महोदय, सीनेट के चुनाव में, बोर्ड ऑफ स्टडीज के चुनाव में और सिण्डीकेट के चुनाव में, तो फिर वह वर्ष भर चुनाव कराते रहें, चुनाव लड़ते रहे या शिक्षण संस्थाओं में शिक्षण सम्बन्धी कार्य करते रहे । नम्बर एक मेरा दूसरा उनसे यह कहना है कि सिण्डीकेट के चुनाव की कान्स्टीटुएन्सी बहुत बड़ी होती है और सीनेट के चुनाव की कान्स्टीटुएन्सी बहुत छोटी होती है । सीनेट के चुनाव जब हों, शिक्षण संस्थाओं में बैठे-बैठे लड़ा जा सकता है, लेकिन सिण्डीकेट के चुनाव के लिए पूरे राजस्थान का भ्रमण आवश्यक है उसमें कन्वेंसिंग के लिए उसको जगह-जगह जाना पड़ता है । यह मेरी दलील थी, इससे आगे मुझे कुछ नहीं कहना है, जहां तक....

(व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मैं आपके द्वारा, उपाध्यक्ष महोदय, यह कहना चाहता हूं सिन्डीकेट में सारे राजस्थान के शिक्षक पार्टिसिपेन्ट्स हैं, वोटर्स हैं ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, माननीय सदस्य ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : थोड़े ही लोग बोल सकते हैं...

(व्यवधान)

ऐसी चर्चा न करें कम से कम ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं कन्वेंसिग के बारे में बात कर रहा था,

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आपने इन्जीनियरिंग के बारे में कहा, चार साल, पांच साल का कोर्स हो, टेन प्लस टू की स्कीम लागू हो, यह मैं समझता हूं आज जो विचार चल रहा है-उससे संबंधित नहीं है । लेकिन जो आपने स्वायत्तता के बारे में चर्चा की, मैं समझता हूं आपने जो 1977 में स्वायत्तता रखी

(श्री बुलाकीदास कल्ला)
उससे ज्यादा स्वायत्तता रखने का प्रयास किया गया है। अन्त में उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक सन् 1981 को पारित किया जाये।

श्री दाऊ लाल जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है—

(व्यवधान)

क्या यह सही नहीं है, माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने कहा है मेडिकल कॉलेज और आयुर्वेदिक कॉलेज—...

(व्यवधान)

नहीं मिलता।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

अंकित न किया जाये—

श्री दाऊ दयाल जोशी : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य।

श्री दाऊ दयाल जोशी : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आसन ग्रहण करें। डेकोरम कायम रखने में मेरी मदद कीजिये।

(व्यवधान)

प्रश्न यह है कि राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1981 को पारित किया जाये।

(ध्वनि मतदान)

अनेक माननीय सदस्य : ना पक्ष जीता।

× × × माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : आप डिवीजन चाहते हो।

(विभाजन-सूचक घंटी)

प्रश्न यह है कि राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1981 को पारित किया जाये।

(ध्वनि मतदान)

अनेक माननीय सदस्य : डिवीजन क्लेम करते हैं।

(विभाजन-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : आपस में बात नहीं करें, माननीय सदस्य। मैं दुबारा पढ़ देता हूं।

प्रश्न यह है कि राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1981 को पारित किया जाय।

(ध्वनि मतदान)

अनेक माननीय सदस्य : No, Noes have it.

अनेक माननीय सदस्य : Ayes have it.

श्री उपाध्यक्ष : हां करने वाले माननीय सदस्य, कृपया अपनी सीटों पर खड़े हो जांय।

(मतदान)

कृपया, स्थान ग्रहण करें। जो ना पक्ष में हों, खड़े हो जायं।

(मतदान)

श्री भंवरलाल शर्मा : आपने जब बैल बन्द करवाई, उसके बाद कोई माननीय

(श्री भंवरलाल शर्मा)

सदस्य सदन में नहीं आ सकते। बैल बजने के बाद आपने लोगों को खड़ा भी कर दिया, गिनती शुरू हो गई।

श्री उपाध्यक्ष : उनको गिना नहीं गया। बैठ जाइये।

श्री भंवरलाल शर्मा : बाहर करिये उनको।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

Do not be unreasonable. Be reasonable.

(व्यवधान)

No talks माननीय सदस्य। Sit down please.

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : पॉइन्ट ऑफ आॅर्डर सर। आप निर्णय दीजिए।

श्री नाथूसिंह : जब वोटिंग होता रहता है, उस समय कोई व्यक्ति अन्दर नहीं आ सकता।

श्री उपाध्यक्ष : मैं रिजल्ट अनाउंस करता हूं। हां पक्ष 50, नां पक्ष 17। हां पक्ष जीता।

(स्वीकृत)

राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1981 पारित किया गया।

(व्यवधान)

राजस्थान पंचायत विधियां (संशोधन) विधेयक, 1981

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उपाध्यक्ष महोदय, नहीं, कल यह तय हुआ था यूनिवर्सिटी बिल के बाद अध्यक्ष महोदय ने कहा था, आज तय हो गया . . .

श्री शीशराम ओला (राज्य मंत्री, पंचायती राज) : गलत बात है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मेरी बात सुन लीजिये। उपाध्यक्ष महोदय, कल तय हुआ था और आज भी तय हुआ कि विश्वविद्यालय बिल के पश्चात् कोई बिल नहीं लिया जाय, यह सारी बात तय हो गई थी . .

(व्यवधान)

श्री शीशराम ओला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पंचायत विधियां (संशोधन) विधेयक, 1981 को विचारार्थ लिया जाय।

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : निर्णय करने दीजिए, पहले।

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि जब तक यह वर्क खतम न हो जाय, तब तक का समय बढ़ाया हुआ है।

श्री नाथूसिंह : बहुत बढ़िया।

श्री उपाध्यक्ष : आज . . .

श्री नाथू सिंह : आज तारीख दूसरी है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आज का कार्य समाप्त न हो जाय, तब तक के लिए समय बढ़ाया गया है ।

श्री नाथू सिंह : आज 24 है या 25, निर्णय दीजिए ।

श्री देवीसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, उस स्थिति में क्या होगा ? यह निर्णय लिया गया है कि आज की कार्य सूची समाप्त होने तक सदन का समय बढ़ाया जाय । मान लीजिये किसी मिनिस्टर का हार्ट फेल्योर हो जाय तो आप क्या करेंगे ? व्यवस्था दीजिए । आज की कार्यसूची समाप्त होने तक समय बढ़ाया जाता है । मान लीजिए किसी मिनिस्टर का हार्ट फेल हो जाय तो क्या करेंगे ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री शीश राम ओला, प्रभारी मंत्री ।

श्री शीशराम ओला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पंचायत विधियां (संशोधन) विधेयक, 1981 को विचारार्थ लिया जाये ।

(व्यवधान)

श्री धनश्याम तिवाड़ी : आपने व्यवस्था नहीं दी है ।

श्री नाथूसिंह : 24 तारीख की कार्यवाही थी, आज 25 तारीख हो गई ।

श्री उपाध्यक्ष : कोई फर्क नहीं पड़ता ।

(व्यवधान)

मैंने निवेदन किया, आपका तरीका ऐसा है कि तीन बजायेंगे तो आपने कहा चाहे 6 बज जायें ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, मुझसे कोआपरेट कीजिए । कृपया, स्थान ग्रहण करें ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आज तारीख 25 हो गई ।

श्री उपाध्यक्ष : कोई हर्ज नहीं । समय का सवाल है ।

(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : इसमें 25 तारीख की कोई चर्चा नहीं की गई है, सारी कार्यवाही 24 की है । क्योंकि 25 तारीख हो चुकी है इसलिए....

एक माननीय सदस्य : 25 तारीख हो चुकी, 25 तारीख की कार्यवाही हमारे पास नहीं है ।

श्री भंवर लाल शर्मा : पाइन्ट आफ आर्डर सर ।

श्री उपाध्यक्ष : क्या पाइन्ट आफ आर्डर है आपका ?

श्री भंवर लाल शर्मा : आप सुनिये । आज सदन की कार्यवाही में जो विषय विचार के लिए बचे हैं उनमें कानूनों का संशोधन है और कानूनों में संशोधन के लिए शांत मस्तिष्क, गहन चिन्तन आवश्यक है । यह कोई सामान्य डिबेट नहीं है, हम कानून में संशोधन करने जा रहे हैं । कानून में संशोधन करने के लिए एक विशेष प्रकार की मनःस्थिति की आवश्यकता होती है

(श्री भंवरलाल शर्मा)

हम सुबह 11 बजे से आये हुए हैं, इस समय रात के 12 बज गये हैं, और दिन भर में कोई एडजोर्नमेंट भी नहीं हुआ। हम लगातार यहां विचार करते रहे हैं। मनुष्य की शक्ति की सीमा है। आखिर थकान आती है। देखिए, आप केवल कुर्सी पर बैठे हैं, आप वादविवाद में भी भाग नहीं ले रहे हैं तो भी आपको बोलने में कितनी कठिनाई हो रही है। इस स्थिति में, इस संशोधन विधेयक पर कल विचार किया जाना चाहिए।

श्री शीशराम ओला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पंचायत विधियां (संशोधन) विधेयक, 1981 को विचारार्थ लिया जाये।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, इन्होंने प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया है। जनमत जानने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जायेगा। श्री माधवसिंह, दीवान।

श्री महावीर प्रसाद जैन : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन का जो रूल 26 है उसमें लिखा है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह प्राइवेट-मेम्बर्स बिल का सवाल नहीं है।

श्री यदुनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह किस प्रकार की प्रक्रिया है ? इन्होंने विधेयक प्रस्तुत ही नहीं किया, आप विचारार्थ कैसे ले रहे हैं। यह कोई विधि सम्मत थोड़े ही.....

(व्यवधान)

हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, विधेयक प्रस्तुत ही नहीं किया गया।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें। कृपया, स्थान ग्रहण करें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पहले बोलूंगा। मुझे बार-बार बिठाया जा रहा है, यह क्या बात हुई। मैं बोलूंगा फर्स्ट रीडिंग पर बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : आपको टाइम देंगे। आप बैठ जावें।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री देवीसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, आन ए पाइन्ट आफ आर्डर।

व्यवस्था का प्रश्न

दिन के अन्त में अवशिष्ट कार्य

श्री महावीर प्रसाद जैन : उपाध्यक्ष महोदय, ओन ए पाइन्ट आफ आर्डर। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 26 में लिखा है "उस दिन चर्चा की अवस्था में न पहुंचा हो, किसी बाद के दिन के लिये तब तक नहीं रखा जायेगा जब तक उसे उस दिन के संबंध में की गई शलाका में पूर्ववर्तिता प्राप्त न हो गयी हो।"

श्री उपाध्यक्ष : यह आप क्या पढ़ रहे हैं ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें आगे 24 दिया है परन्तु नियम 24 तथा नियम 110 का उप-नियम (1) 5 में किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी ऐसा कोई कार्य जो उस दिन के अन्त में चर्चाधीन हो, उस वर्ग के कार्य के लिए नियत अग्रिम दिन के लिए रख दिया जायेगा और उसे उस दिन के लिये रखे गये अन्य सब कार्यों पर पूर्ववर्तिता होगी।

श्री उपाध्यक्ष : यह इस पर लागू नहीं होता है।

श्री रामकिशोर मीणा : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव है कि आपको एक जग पानी व गिलास दिया जावे.....

(व्यवधान)

एक गिलास पानी मंगा लिया जावे। उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत अहम मसला है, किसी की जिन्दगी का सवाल है। इस पर विचार किया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, बहुत ही महत्वपूर्ण मसला है, किसी की जिन्दगी का सवाल है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सभा की अगली कार्यवाही 11 वजे शुरू होती है।

(12.32 रात्रि)

(25 सितम्बर, 1981)

(श्री तकीउद्दीन, सभापति पदासीन)

सुश्री पुष्पा जैन : सभापति महोदय, आन ए पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री सभापति : क्या है आपका पोइन्ट आफ आर्डर ?

सुश्री पुष्पा जैन : मेरा पोइन्ट आफ आर्डर यह है सभापति महोदय, यह पहले ही तय हो गया था कि बचे हुए बिल कल लिये जावेंगे। लेकिन आज हमें ऐसा अहसास हो रहा है कि हम शायद सुबह तक बिठाये रखे जायेंगे। हो सकता है कल तक भी बिठाये रखें। मेरी यह गुजारिश है, मैं समझती हूं कि सत्ता पक्ष में बैठे हुए सभी लोग इससे बड़ा ××× रखेंगे कि जो प्रहरी बचारे यहां खड़े हुए हैं वह सुबह 8 वजे से भूखे हैं बिल्कुल सुबह से अब तक खड़े हुए हैं पांव पर, मेरी गुजारिश है आप इनके बारे में सोचें। या तो आप उनके खाने के लिये मंगाये या आप उन्हें एक घन्टे के लिये छुट्टी दे दें।

श्री सभापति : ऐसा है कि आप सभी लोग सहयोग दीजिये। आज 6 बिल थे जिनमें चार बिल तो पास हो चुके हैं और बाकी दो बिल अब लिये जा रहे हैं। जल्दी जल्दी डिस्कशन माननीय सदस्य करें तो पूरा जल्दी हो जायेगा।

(व्यवधान)

He is continuing and shall continue.

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज, आर्डर। मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि आप पार्लियामेंट में बैठे हैं और पार्लियामेन्ट भी सुबह चार वजे तक चलती है। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर यह जरूरी मुद्दे हैं तो इनको आज तय करना जरूरी है। हम आपको

××× शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गयें।

(श्री सभापति)

ही तय करना चाहिये। माननीय सदस्य, पार्लियामेन्ट में जरूरी है वह उसी दिन तय किये जाते हैं।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर। आर्डर।

सुश्री पुष्पा जैन : सभापति महोदय, सिर्फ तय करना जरूरी नहीं, उस पर विचार करना भी जरूरी है।

श्री सभापति : विचार भी है।

सुश्री पुष्पा जैन : मुझे खुशी है, सभापति महोदय, आप इस समय आसन पर विराजमान है। आप कानून को बड़ी अच्छी तरह से समझ सकते हैं....

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर। माननीय सदस्य।

श्री नाथूसिंह : सभापति महोदय, श्रोन ए पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री सभापति : आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य, जब मैं बैठ जाऊ तव ही माननीय सदस्य बोलें। मैं आप लोगों को निवेदन करूंगा कि हाउस की प्रक्रिया उस तरीके से चलाई जाये कि दूसरा कोई देखने वाला समझे। इस हाउस को इस तरीके से चलाया जाना चाहिये। बीच-बीच में इन्ट्रप्शन से आपका वक्त जादा होता है। जो मुद्दे डिस्कशन के लिये आते हैं उन पर डिस्कशन नहीं किया जाता है। इसलिए जिस मुद्दे को, जिस बिल को आपके सामने रखा गया है उस बिल के ऊपर माननीय सदस्य बोलें ताकि जल्दी से प्रक्रिया पूरी हो।

श्री महावीर प्रसाद जैन : सभापति महोदय, आन ए पाइन्ट आफ आर्डर। सभापति महोदय, हमारे प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 26 में इस प्रकार के निर्देश दिये हैं "गैर सरकारी सदस्यों का वह कार्य जो इस वर्ग के कार्य के लिये नियत किये गये दिन के लिये रखा गया हो, और उस दिन चर्चा की अवस्था में न पहुंचा हो, किसी बाद के दिन के लिये तव तक नहीं रखा जायेगा, जब तक उसे उस दिन के संबंध में की गई शलाका में पूर्ववर्तिता प्राप्त न हो गई हो।" परन्तु नियम 24 तथा नियम 110 के उप नियम (1) में 25 किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी ऐसा कोई कार्य, जो उस दिन के अन्त में चर्चाधीन हो, उस वर्ग के कार्य के लिये नियत अग्रिम दिन के लिये रख दिया जायेगा और उसे उस दिन के लिये रखे गये अन्य सव कार्यों पर पूर्ववर्तिता होगी। मेरा निवेदन यह है कि दिन के अन्त में कहा गया है। दिन के अन्त में मैं समझता हूं रात के बारह बजे के बाद दिन पूरा का पूरा समाप्त हो जाता है और दूसरे दिन का मतलब होता है, हमारी जो व्यवस्था उसमें है कि 11 बजे प्रारम्भ की जायेगी। यह 24 तारीख का जो नियम है मतलब 12 बजे बैठक समाप्त हो चुकी है। आज नया दिन शुरू होगा। 25 तारीख को लिये जाने वाले कोई भी विधेयक कोई भी आर्डिनेन्स हो 25 तारीख को 11 बजे से लिये जावेंगे।

श्री सभापति : आप फर्मायें, विधि मंत्री जी।

श्री बृज सुन्दर शर्मा : इसके लिये रूल का जो हवाला दिया गया है वह गैर सरकारी कार्य के लिये है।

श्री सभापति : यह सब के लिये नहीं है। यह सरकारी बिल है, गैर सरकारी बिल

(श्री सभापति)

नहीं है। आपने कहा कि दिन समाप्त हो गया। इसमें है, जब तक पार्लियामेन्ट कन्टीन्यु करती रहेगी। कन्टीन्यु में तर्क होता रहेगा तो वह दिन नहीं गिना जायगा।

कार्य सूची

श्री नाथूसिंह : सभापति महोदय, रूल 28 की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर आर्डर। क्या आपत्ति है आपको ?

श्री नाथूसिंह : बता रहा हूं आपको।

A list of business for the day shall be prepared by the Secretary, and a copy thereof shall be made available for the use of every member...."

यह रूल 28 है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अव्वल तो आप पार्लियामेन्ट के सदस्य रहे, आप विधान सभा के सदस्य है, आपको कम से कम जानकारी होनी चाहिये - जब चैअर ओन लैग्स है आपको आपत्ति उठानी नहीं चाहिये। किसी आपत्ति को उठाने का क्या तरीका है, क्या नियम है उसी तरीके से उठायें।

श्री नाथूसिंह : इसीलिये आपके बैठने के बाद उठा हूं। आपके खड़े होते ही बैठ गया हूं।

उपाध्यक्ष : आपका क्या पोइन्ट आफ आर्डर....

श्री नाथूसिंह : रूल 28 में यह व्यवस्था है.....

A list of business for the day shall be prepared by the Secretary, and a copy thereof shall be made available for the use of every member.

सभापति महोदय, वह उस दिन के लिये ...

श्री सभापति : मतलब जिस तारीख का है।

श्री नाथूसिंह : डे का मतलब उस दिन से है, आप लॉ के बहुत अच्छे जानकार हैं। मैं जानता हूं सभापति महोदय, डे का मतलब होता है तारीख से। कोई भी किसी दिन कार्य लिया जावेगा।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपने उसका क्लाज (2) नहीं पढ़ा। उसमें है-

"If the Speaker permits then it will continue.

श्री नाथूसिंह : वह भी पढ़ रहा हूं। मैं कई बार पढ़ कर बोलता हूं, सभापति महोदय। वह पढ़ रहा हूं।

28(2). 'Save as otherwise provided in these rules no business not included in the list of business for the day shall be transacted at any sitting without the permission of the speaker.'

इसमें केवल यह कहा है कि लिस्ट आफ बिजनेस में इन्कलूड नहीं किया हुआ, बिजनेस पर्मिशन आफ स्पीकर के बिना ट्रान्जेक्ट नहीं किया जा सका। मेरा सवाल यह है, लिस्ट आफ़ बिजनेस में किसी भी तरह का बिजनेस है, 25 तारीख का क्या बिजनेस है, इसको हमारे पास कोई लिस्ट नही है। सभापति महोदय, इसमें इन्क्लूड किया गया है कि यदि स्पीकर की पर्मिशन ली जाय...

(व्यवधान)

(श्री मार्यूसिंह)
तो क्या कारण है सदन में बैठकर के····

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर, आर्डर ।

श्री मार्यूसिंह : आगे और मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं। अगर आप तीन में पढ़े उसमें मेरा निवेदन है कि आज हम 25 तारीख को सदन में बैठे हैं, इसकी हमारे सामने कोई लिस्ट आफ बिजनेस नहीं है। सदन की इस समय कोई भी लिस्ट नहीं है, इसलिए इस पर विचार नहीं किया जा सकता। जब तक लिस्ट आफ बिजनेस नहीं दी जायेगी तब तक कोई कार्यवाही कैसे की जा सकती है, यही मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री चन्दनमल बैद : बांदीकुई से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधी नियम एक, दो, तीन, चार देखें और उनकी व्याख्या की, वह सर्वथा अनुपयुक्त है। यह लिस्ट आफ बिजनेस के संबंध में है और लिस्ट आफ बिजनेस हर एक सदस्य को मिलेगी और लिस्ट आफ बिजनेस दी जायेगी। उसके अलावा दूसरा लिस्ट आफ बिजनेस में है एक दिन का नोटिस नहीं लिया जा सकता जब तक कि स्पीकर उसकी अनुमति न दे दे। आज लिस्ट आफ बिजनेस में भी दो बिल हैं जो पहले से आये हुए हैं। आप सुनें। आपने यह प्रश्न उठाया था तब आसन ने यह व्यवस्था दी थी, सदन की आज की कार्य सूची जब तक समाप्त नहीं हो जाती तब तक सदन की बैठक चलेगी और आज की कार्यसूची को समाप्त किया जायगा। कार्यसूची में यह बिल है इसलिये जब तक यह बिल समाप्त नहीं हो जाता तब तक सदन इस कार्यसूची के उपर कार्य करता रहेगा। जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य के दिमाग में कुछ शिथिलता आयी है और शक्ति क्षीण हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो भी आशा है कि वह सक्रिय होकर इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और डिबेट को आगे चलने देंगे। यह जो बिल इस कार्यसूची में है इसे हमको समाप्त करना है और समाप्त करने के बाद यह सदन एडजोर्न होगा।

श्री मार्यूसिंह : मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री सभापति : परमिशन नहीं है। आपने व्यवस्था का प्रश्न उठाया····

(व्यवधान)

प्लीज बैठ जाइये। आप लोक सभा के सदस्य भी रह चुके हैं, आपको इसका पूरा अनुभव है। यह अच्छी हेबिट नहीं है कि जब आसन पैरों पर खड़ा हो तो खड़े हो जायें। आपने व्यवस्था का प्रश्न उठाया गवर्नमेंट साइड से उसका जवाब दिया गया।

(व्यवधान)

श्री मार्यूसिंह : यह व्यवस्था में आता है। मान लो ऐसी बात कही गई हो जो बिलकुल आधारभूत चीज हो····

(व्यवधान)

श्री सभापति : इन्होंने अपना तर्क रखा, आपने अपना तर्क रखा। अब निर्णय मुझे लेना है।

Page No 266

(266)

श्री नाथूसिंह : है का क्या मतलब होता है ? 24 का दिन न कि 25 तारीख तक।

श्री चन्दनमल बैद : Just for facility I said this. It is for the chairman to take decision.

श्री जेठमल बरवड़ (परबतसर) : सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा, मंत्री महोदय ने प्रस्ताव किया था कि आज की सूची में जितनी कार्यवाही है उसके लिये समय तय किया गया था। यह कहा गया था कि कार्यसूची जो आज की है उस वक्त कार्यवाही चलेगी जब तक वह समाप्त न हो जाये चाहे उसके लिये घन्टे लगें, दिन लगें। यह सदन की सहमति थी कि जब तक आज की कार्यवाही सम्पन्न नहीं हो जाती तब तक चाहे 25 तारीख हों या 26 हो सदन चलता रहेगा।

श्री नाथूसिंह : प्रश्न यह है कि हाउस नियमों के अनुसार चलेगा।

श्री सभापति: हाउस के नियमों के अनुसार

(व्यवधान)

आर्डर आर्डर !

(व्यवधान)

जो सूची आपको दी गई थी उस लिस्ट आफ बिजनेस के मुताबिक जो बिल लिये जाने थे उसमें आवश्यक बिल नहीं लिये गये। उसमें स्पीकर महोदय ने सहमति ली थी हाउस से कि जो बिल है जब तक वो बिल पूरा नहीं हो जाते। हाउस की कार्यवाही कण्टीन्यूअस चलेगी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी।

विधेयक पर विचार

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय सभापति महोदय, राज्य मंत्री पंचायत ने विधेयक विचार के लिये रखा, वह बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है। आवश्यक था कि इस विधेयक पर सदस्य खुले दिल से विचार प्रकट करते। सभापति महोदय, 13 साल तक कांग्रेस सरकार ने चुनाव नहीं कराये., 13 साल तक पंचायतों के चुनाव नहीं करवाये कांग्रेस सरकार ने। एक बड़ा युग बीत गया और अधिकांश सरपंच जो वृद्ध थे उनका देहान्त हो चुका था उनकी जगह तीन- चार सरपंच अपने आप बनते रहे। उसके बाद जनता पार्टी का राज आया तो पंचायत का ढांचा जो कांग्रेस सरकार ने बिल्कुल बिगाड़ दिया था उसको ठीक किया गया। पहले एक सरपंच जो निर्वाचित हो गया वह उम्र भर के लिये निर्वाचित हो गया। पहले कांग्रेस सरकार ने कहा था कि पंचायत के चुनाव नहीं होंगे। कानूनी ढांचा बदल दिया गया। पंचायत कानून में एक और संशोधन होने के बाद यह देखा गया कि चुनाव होंगे। मुझे दुःख है कि आज उस स्थिति को देखने के बाद जो कांग्रेस 13 साल तक पंचायत चुनाव नहीं करा सकी आज तीन साल बाद चुनाव करा रही है। आजकल पंचायतों की हालत खराब है, उनका कोई कार्य नहीं है। अगर सुधार करना था तो जिलों का ढांचा किस तरह सुधारा जाये इस पर विचार करते। उन्होंने इस बात का विचार नहीं किया कि जनता पार्टी शासन में जो विकास के लिये पैसा मिलने वाला था वह चार से घटा कर ढाई कर दिया। किसानों को जो अनुदान की राशि मिलनी थी उस राशि में कमी कर दी गई। जो पंचायतों को राशि तीन किश्तों में मिलने वाली थी उस राशि को बन्द कर दिया। विकास की प्रक्रिया

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

जो चलाई थी ताकि लोकतंत्र का विकास हो, लोकतांत्रिक प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण हो, उस विकेन्द्रीकरण के खिलाफ काम किया है उन्होंने क्योंकि कांग्रेस सरकार का एक ही ध्येय है कि केन्द्रीकरण किया जाय। प्रधान मंत्री कांग्रेस की अध्यक्ष है, राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष प्रधान मंत्री के संकेत पर चलते हैं। यहां पर कोई उपाध्यक्ष नहीं है। ये विकेन्द्रीकरण के खिलाफ है।

श्री **सभापति** : आप इस बिल को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव कर रहे हैं।

श्री **घनश्याम तिवाड़ी** : प्रस्ताव नहीं कर रहा था। इस पर बोल रहा हूं। सभापति महोदय, मुख्य रूप से जो लोकतान्त्रिक व्यवस्था है, उसके अनुसार विकेन्द्रीकरण की नीति प्रमुख है लेकिन कांग्रेस विकेन्द्रीकरण के खिलाफ है। कांग्रेस चुनाव नहीं करवाना चाहती है और इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि···

श्री **देवीसिंह भाटी** : पाइन्ट आफ आर्डर, सर। माननीय मंत्री महोदय सो रहे हैं यह हाउस का डेकोरम नहीं है·····

(व्यवधान)

श्री **सभापति** : आप तो जाग रहे हैं। बैठिये।

श्री **देवीसिंह भाटी** : I am on a piont of order, Sir. माननीय पंचायत मंत्री जी यहां बिराज नहीं रहे हैं। हम किसको सुनायें, न कोई उप मंत्री है विभाग का और····

एक माननीय सदस्य : चार मंत्री मौजूद हैं।

श्री **देवीसिंह भाटी** : हमारी बात को सुनने वाला कोई तो होना चाहिये।

श्री **सभापति** : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। मंत्रि मण्डल के सदस्य हैं वे एक दूसरे के जिम्मेदार लिये हैं।

श्री **हंसराज शर्मा** : अच्छा होता वे आज हमारे बीच में होते·····

श्री **घनश्याम तिवाड़ी** : सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि इस विधेयक को लाने का·····

श्री **सभापति** : संक्षेप में।

श्री **घनश्याम तिवाड़ी** : संक्षेप में नहीं पूरा बोलूंगा। संक्षेप में यह नहीं होता है। मैं निवेदन कर रहा था जनता को गुमराह में रखते हुए वर्तमान पंचायत राज को भंग करने की इनकी नीति है और इसलिये यह बिल लाये हैं। जो पार्टी 13 साल तक चुनाव नहीं करा पाई वह अब बिल लाई है।

(व्यवधान)

श्री **दाऊदयाल जोशी** : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर। मेरा पाइन्ट आफ आर्डर यह है कि माननीय सदस्य सो रहे हैं। यह कोई हाउस का डेकोरम नहीं है।

श्री **वीरेन्द्रप्रताप सिंह** : यह इस हाउस के साथ जबरदस्ती हो रही है। आप सदस्यों की भावभंगिमा को····

(व्यवधान)

श्री **घनश्याम तिवाड़ी** : सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था·····

(व्यवधान)

Page No 268

(268)

श्री विष्णु प्रकाश भण्डारी : ....× × बहुत हो गया, अब समाप्त करो ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सभापति महोदय, मुझे × × × शब्द का प्रयोग किया है-यह आपत्तिजनक है ।

सभापति महोदय, सत्ता को विकेन्द्रीकरण और लोक-तान्त्रिक ढांचे का इन्होंने ऐसा विनाश किया है जो कभी नहीं हुआ । पंचायतों के माध्यम से विकास के काम प्रारम्भ किये थे । यह था कि पांच हजार के काम बिना किसी अधिकारी के करिये, पंचायतों का अनुदान बढ़ाया और भी काफी काम पंचायतों के माध्यम से कराये गये लेकिन अगर इस बिल को उठाकर देखेंगे तो इस बिल में काम कराने वाले अधिकारी के बारे में कुछ नहीं कहा गया है कि स्वयं काम करवाने का अधिकार है। एक बात । दूसरी बात जिन पंचों और सरपंचों को चुनकर पांच साल के लिये भेजा जाता था उसको घटा कर अब ये तीन साल करना चाहते हैं...।

(12.55 रात्रि)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष,पदासीन)

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही कल करें या आज करें....

अनेक माननीय सदस्य : आज ।

श्री अध्यक्ष : आज दिनांक 25 सितम्बर, 1981 के प्रातः 11-00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि 12.55 बजे शुक्रवार दिनांक 25 सितम्बर, 1981 के म. पू. 11.00 बजे तक स्थगित हुई)

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न संख्या 226 की प्रति)

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN BENCH AT JAIPUR

ORDER

(1) M/s Capastan Meters(India) Ltd.

V.

The State of Rajasthan & Ors.

S.B. Civil Writ Petition No. 538 of 1978 under Article 226 of the Constitution.

(2) M/s Jai Drinks Private Ltd.,

V.

The State of Rajasthan & Ors.

S.B. Civil Writ Petition No. 924 of 1978 under Article 226 of the Constitution.

Date of order January 22, 1979

PRESENT

The Hon'ble *Mr. Justice G. M. Lodha*

Mr. C. L. Agarwal for the petitioner.
Mr. S. K. Tiwari for the respondents,
Mr. G. S. Rastogi Government Advocate (in both the petitions).

BY THE COURT

These two writ petitions have been filed by M/s Capastan Meters (India) Ltd., Tonk Road, Jaipur (538 of 1978) and M/s Jai Drinks Private Ltd., (924 of 1978) against the State of Rajasthan, Land Acquisition Officer and the Urban Improvement Trust, Jaipur with the following prayers :

(a) That a writ of Certiorary or any other appropriate writ, order or direction be issued to the respondents quashing the Notification No. F. 6(1) T.P./69 dated 28-8-78 under Sections 4 and 6 of the

Land Acquisition Act, 1953 and all the proceedings for acquisition of the disputed land mentioned in Para 13; of the writ petition before the Land Acquisition Officer, Urban Improvement Trust, Jaipur.

(b) That an appropriate writ, direction or order be issued to Land Acquisition Officer, Urban Improvement Trust, Jaipur quashing and setting aside the order dated 22nd June, 1978.

(c) That an appropriate writ, direction or order be issued to the respondents to deacquire the entire land of the petitioner Company and not to proceed with the acquisition of a portion of the lands.

(d) That the petitioner Company be granted such other relief or reliefs to which it is entitled under law or equity.

(e) That the petitioner Company be awarded cost of the petition against the respondents.

The facts in brief giving rise to these two writ petitions are that the petitioners are having their separate factory at Tonk Road, Jaipur on a part of agricultural land. M/s Capastan Meters (India) Ltd., purchased agricultural land khasra Nos. 14, 15, 16. 521, 524, 527 and 528 in village Jhalana Doongar and khasra Nos. 115, 115/195, 118/196, 118/197, 118/198 and 119 in village Rampur Deori, Tehsil Jaipur. Then this petitioner surrendered the entire land to the Government i. e. the State of Rajasthan and then obtained two different leases from respondent No. 1 dated 23rd April, 1965—one for 19 bighas and 5 biswas and the other for 132 bighas and 6 biswas for industrial purposes of the said plots for a period of 99 years at an annual rent of Rs. 50/- per acre.

This land was allotted to M/s Capastan Meters (India) Ltd. for industrial purposes and M/s Capastan Meters (India) Ltd., then gave a part of this land to M/s Jai Drinks Pvt. Ltd. Both of them established their factories on the part of this land.

The land acquisition proceedings were taken under the provisions of Rajasthan Land Acquisition Act and Notifications under Sections 4 and 6 were issued on different dates.

Later on it is alleged that the Government wrote to the U. I. T. that these land may be de-requisitioned.

It appears that it was not taken to logical conclusion and no notification was issued by the Government for de-requisitioning of this land.

In the meanwhile the Land Acquisition Officer started proceedings for determination and adjudication of the compensation. Under these proceedings the U. I. T. wrote to the Land Acquisition Officer, that they require only a part of this land and not the whole land. An objection was raised by the petitioner before the Land Acquisition Officer that, that part of the land cannot be acquired, and, therefore, entire land should be de-requisitioned.

The Land Acquisition Officer by his order dated 22nd of June, 1978, Annexure 29, considered this objection. The objection was rejected and it was held that notification which has been issued under Section 6 of the Land Acquisition Act is final and nothing can be done. While deciding this the Land Acquisition Officer also held that howmuch land the U. I. T. requires and howmuch land should be given will be decided at the time of giving the final award. The exact words are as follows:

"न्यास के लिये कितनी भूमि उचित रहेगी या उसको चाहिये इस पर अवार्ड देते वक्त विचार कर लिया जावेगा"।

Mr. C. L. Agarwal, the learned counsel for the petitioner in both the cases, has vehemently argued that it is not open to the U. I. T. or the Land Acquisition Officer to acquire part of the land from the area which has been notified under Sections 6 and 9 of Rajasthan Land Acquisition Act.

Dr. Tiwari, appearing for the U. I. T. submitted that the objection of Mr. Agarwal cannot be accepted because the question of requirement of area is not to be decided by the Land Acquisition Officer. According to him it is the Government, which can decide this matter and that can be done at any stage.

The learned counsel for the petitioner also argued that since the Government has written to the U. I. T. to take proceedings for re-requisitioning of this land, the requirement shown in the original notification has ceased to exist, and, therefore, the acquisition proceedings cannot be allowed to proceed.

I have heard learned counsel for the parties and considered the rival contentions of the parties.

I have heard learned counsel for the parties and so far as it assails the finding of the Land Acquisition Officer in which he has said that he would decide the requirement of the U. I. T. at the final stage of the award, is well founded. It is correct that the Land Acquisition Officer cannot sit and decide the question of requirement nor he can decrease or increase area. Equally the U. I. T. is also incompetent in this matter because so far as the Land Acquisition Act, and its provisions are concerned, it is the State Government and the State Government alone and that too by valid notifications that it can consider the various matters mentioned in the Act at various stages.

I am also of the opinion that even if the State Government wants to give up some part or area from the notification of Section 6, it cannot be done by an administrative or executive order. For that also the State Government will have to follow the procedure provided under the Land Acquisition Act.

I am at this stage not required to consider the question whether and to what extent the provisions of Section 48 are applicable to such a situation because no notification has been issued by the State Government, and, therefore, it is premature and hypothetical, in legal propriety of it. All that, I can say is that the judgment dated 22nd June, 1978 in so far as it says that the U. I. T's. requirement would be seen at the time of award is unsustainable in law and accordingly it is quashed.

Both the writ applications are accepted. The impugned order dated 22nd June, 1978, in so far as its operative part, which is as follows:

"न्यास के लिये कितनी भूमि उचित रहेगी या उसको चाहिये इस पर अवार्ड देते वक्त विचार कर लियी जायेगा"

is only set aside and quashed. No other relief can be granted. The petitioners would get its costs from the respondent, U. I. T. Jaipur.

Sd/-
G. M. Lodha.

(274)

परिशिष्ट 2

(तारांकित प्रश्न संख्या 228 का पत्र)

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
FINANCE (EXCISE) DEPARTMENT

To,

The Excise Commissioner,
Rajasthan, Udaipur.

No. F. 3 (7) FD/EX/77/ *Jaipur, dated 12-5-1980.*

Sub.:—Regarding I. M. F. L./Country Liquor shops.

Sir,

Kindly refer to our earlier letters of even No. and different dates whereby we had been authorising opening of I. M. F. L. and Country Liquor shops (to issue on permits) by the Ganganagar Sugar Mills and the I. M. F. L. wine Dealers Association or Co-operative and Ex-Private licensees (for country liquor) respectively at all the Districts and Sub-Divisional Headquarters and other places of dry distircts.

I am further directed to say that in addition to the various Districts, Sub-divisional Headquarters and other places Government have decided that one permit shop each of the I.M.F.L. and country liquor may be licenced at the following places:—

Ganganagar District:—

(1) Bhadra.
(2) Sangaria.
(3) Anupgarh.
(4) Sadul Shahar.
(5) Padampur.
(6) Sribijayanagar.
(7) Pilibanga.
(8) Rawatsar.
(9) Tibi.

Kota District:—

(1) Rawat Bhata.

Jaipur District:—

(1) Chomu.
(2) Bandiqui.
(3) Phulera.

Tonk District:—

(1) Deoli.
(2) Niwai.

Ajmer District:—

(1) Bijaynagar.

The Country liquor shops will be licened to ex-private licensees, the guidelines of which have already been issued earlier and the same will be followed for the above noted places also. 50% of the I. M. F. L. shops at the above places may be given to G. S. M. and 50% to the Private Associations of Wine Merchants/Co-operative etc.

G. S. M. will however indicate their preference about the 50% I. M. F. L. shops to be given to them at above places to you immediately.

At Bhilwara it has been decided to open one extra shop and this extra shop will be of Country liquor.

It has also been decided that second I. M. F. L. shop may be opened at Beawar which may be given to I. M. F. L. Wine Merchants/Dealers Association.

Government have aggreed to Ganganagar Sugar Mills shops having country liquor counters also.

Yours faithfully,

Sd/-
(Arjun Raj Bhandari)
Dy. Secretary to Government.

No. F. 3 (7) FD/Ex/77/ *Jaipur, dated 7-5-1980.*

Copy forwarded to:—

(1) Director-in-charge, G. S. M. Ltd., Jaipur—for Immediate necessary action. He will please indicate their-

preference of I. M. F. L. shops to Excise Commissioner Rajasthan, Udaipur directly forthwith.

(2) District Excise Officer, Ganganagar/Kota, Ajmer and Jaipur District.

(3) Guard file.

Sd/-
(Arjun Raj Bhandari)
Dy. Secretary to Government.

MOST URGENT

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
FINANCE (EXCISE) DEPARTMENT

To,

The Excise Commissioner,
Rajasthan, Udaipur.

No. F. 3 (7) FD/Ex/77/ *Jaipur, dated 7-5-1980.*

Sub:—Regarding I. M. F. L./Country Liquor shops.

Sir,

I am directed to refer to this Department earlier letters of even number and different dates whereby we had been authorising opening of I. M. F. L. and country liquor shops (to issue on permits) by the Ganganagar Sugar Mills and the I. M. F. L. Wine Dealers Association or Co-operative and Ex-Private licensees (for country liquor) respectively at all the District and Sub-Divisional Headquarters and other places of dry distircts.

I am further directed to say that in addition to the various Districts, Sub-divisional Headquarters and other places, Government have decided that permit shops may be licenced at the following Tehsil Headquarters/ Panchayat Samiti Headquarters and other places:—

S. No.	Name of the Tehsil Hq./ panchayat Samiti H.Q. and other places.	To. G.SM. (one dual counter regarding both I.M.F.L. and Country permit shop.)	To Ex-Private licensee. (one country liquor permit shop.)
1	2	3	4
1.	Sarwar (T)	—	one
2.	Srinagar (P)	One	—

1	2	3	4
3.	Pisangan (P)	One	—
4.	Jawaja (P)	—	One
5.	Masuda (P)	One	—
6.	Bhinai (P)	—	one
	ALWAR (Distt.)		
7.	Bansur (T)	—	one
8.	Lachmangarh (T)	One	—
9.	Rajgarh (T)	—	one
10.	Thanagazi (T)	—	one
11.	Kishangarh (T)	One	—
12.	Mandawar (T)	—	one
13.	Tijara (T)	—	one
4.	Kotkasim (P)	—	one
15.	Govindgarh (P)	One	—
16.	Kathoomar (P)	—	one
17.	Ramgarh (P)	—	one
18.	Umrain (P)	—	one
19.	Raini (P)	—	one
20.	Neemrana (P)	—	one
	BANSWARA (Distt.)		
21.	Gadhi (T)	—	one
22.	Ghatol (T)	—	one
23.	Bagidora (T)	—	one
24.	Sajjangarh (P)	—	one
25.	Pipalkhunt (P)	—	one
26.	Talwada (P)	—	one
	BARMER (Distt.)		
27.	Pachpadra (T)	—	one
28.	Siwana (T)	—	one
29.	Chauhtan (T)	—	one
30.	Dhorimanna (P)	—	one
31.	Baitu (P)	—	one
32.	Sindri (P)	—	one
	BHARATPUR (Distt.)		
33.	Rupbas (T)	—	one
34.	Weir (T)	—	one
35.	Nadbai (T)	One	—

Page No 278

(2320)

1	2	3	4
36.	Kaman (T)	one	—
37.	Nagar (T)	one	—
38.	Bari (T)	one	—
39.	Rajakhera (T)	one	—
40.	Basseri (T)	—	one
41.	Kumher (P)	—	one
42.	Sewar (P)	one	—
	BHILWARA (Distt.)		
43.	Mandal (T)	one	—
44.	Sahara (T)	one	—
45.	Banera (T)	—	one
46.	Raipur (T)	—	one
47.	Asind (T)	one	—
48.	Hurda (T)	—	one
49.	Kotri (T)	—	one
50.	Jahajpur (T)	one	—
51.	Suwana (P)	—	one
	BIKANER (Distt.)		
52.	Loonkaransar (T)	—	one
53.	Nokha (T)	one	—
54.	Kolayat (P)	—	one
	BUNDI (Distt.)		
55.	Keshoraipatan (T)	—	one
56.	Talera (P)	one	—
57.	Lakheri	one	—
58.	Hindoli (T)	—	one
	CHITTORGARH (Distt.)		
59.	Gangrar (T)	—	one
60.	Rashmi (T)	—	one
61.	Barisadri (T)	one	—
62.	Chotisadri (T)	one	—
63.	Dungla (T)	—	one
64	Achnera (P)	—	one
65.	Bhesroadgarh (P)	—	one
66.	Bhopalsagar (P)	one	—

1	2	3	
	CHURU (Distt.)		
67.	Sardarshahr (T)	—	one
68.	Taranager (T)	one	—
69.	Doongargarh (T)	one	—
70.	Sujangarh (T)	one	—
71.	Ratan Nagar (P)	—	one
	DOONGARPUR (Distt.)		
72.	Sagwara (T)	—	one
73.	Simalwara (T)	—	one
73.	Bichhiwara (P)	—	one
	GANGANAGAR (Distt.)		
75.	Mirzewala (P)	—	one
76.	Kesrisinghpura.	—	one
77.	Ramsinghpura.	—	one
78.	Gajsinghpura.	—	one
	JAIPUR (Distt.)		
79.	Amer (T)	one	—
80.	Jamuwa Ramgarh (T)	—	one
81.	Baswa (T)	—	one
82.	Lalsot (T)	—	one
83.	Sikrai (T)	—	one
84.	Chaksu (T)	one	—
85.	Bassi (T)	one	—
86.	Sanganer (T)	one	—
87.	Bairath (T)	one	—
88.	Dudu (T)	one	—
89.	Phagi (T)	—	one
90.	Jothwara (P)	—	one
91.	Jobner (P)		one
92.	Govindgarh (P)	—	one
93.	Shahpura (P)	—	one
	JAISALMER (Distt.)		
94.	Sam (P)	—	one

1	2	3	4
	JALORE (Distt.)		
95.	Jaswantpura (T)	—	one
96.	Sanchore (T)	—	one
97.	Saila (P)	—	one
98.	Raniwada (P)	one	—
	JHALAWAR (Distt.)		
99.	Khanpur (T)	one	—
100.	Gangdhar (T)	—	one
101.	Jhalarapatan (T)	—	one
102.	Pachpahar (T)	—	one
103.	Pirawa (T)	—	one
104.	Dug (P)	—	one
105.	Bakani (P)	—	one
106.	Manohar Thana (P)	—	one
107.	Bhawani Mandi.	—	one
	JHUNJHUNU (Distt.)		
108.	Chirawa (T)	one	—
109.	Udaipur Wati (T)	one	2
110.	Alsisar (P)	—	one
111.	Buhana (P)	—	one
112.	Surajgarh (P)	—	one
	JODHPUR (Distt.)		
113.	Bilara (T)	one	—
114.	Shergarh (T)	—	one
115.	Osian (T)	—	one
116.	Bhopalgarh (P)	—	one
117.	Luni (P)	one	—
118.	Balesar (P)	—	one
	KOTA (Distt.)		
119.	Kishanganj (T)	—	one
120.	Mangrol (T)	—	one
121.	Atru (T)	—	one

1	2	3	4
122.	Ghipabarod (T)	one	—
123.	Sangod (T)	—	one
124.	Deegod (T)	—	one
125.	Anta (P)	one	—
126.	Sultanpur (P)	—	one
127.	Itawa (P)	—	one
128.	Kaithoon	—	one
129.	Pipalda (T)	—	one
	NAGAUR (Distt.)		
130.	Ladnu (T)	one	—
131.	Degana (T)	one	—
132.	Jayal (T)	—	one
133.	Nawa (T)	one	—
134.	Kuchamancity (P)	—	one
135.	Mundwa (P)	—	one
136.	Makrana (P)	—	one
137.	Merta Road.	—	one
	PALI (Distt.)		
138.	Desuri (T)	—	one
139.	Raipur (T)	—	one
140.	Kharchi (T)	—	one
141.	Ranistation (P)	—	one
142.	Sumerpur (P)	one	—
143.	Rohit (P)	—	one
	SAWAI MADHOPUR (Distt.)		
144.	Bamanwas (T)	—	one
145.	Nadoti (T)	—	one
146.	Mahuwa (T)	one	—
147.	Todabhim (T)	—	one
148.	Sapotra (T)	—	one
149.	Bonli (T)	—	one
150.	Khandar (T)	—	one
	SIKAR (Distt.)		
151.	Lachmangarh (T)	one	—
152.	Shri Madhopur (T)	one	—

1	2	3	4
153. Danta Ramgarh (T)		—	one
154. Khandela (P)		—	one
155. Ramgarh.		—	one
	SIROHI (Distt.)		
156. Pindwara (T)		—	one
157. Reodar (T)		—	one
	TONK (Distt.)		
158. Shivganj (T)		—	one
159. Todaraisingh (T)		—	one
160. Uniara (T)		—	one
	UDAIPUR (Distt.)		
161. Deogarh (T)		one	—
162. Kotra (T)		—	one
163. Phalasia (T)		—	one
164. Amet (T)		—	one
165. Kumbhalgarh (T)		one	—
166. Kherwara (T)		one	—
167. Sarada (T)		one	—
168. Gogunda (T)		—	one
169. Nathdwara (T)		—	one
170. Mavli (T)		one	—

If any other Tehsil headquarter or Panchayat Samiti Headquarter had a population of more than 2400 (1971 Census) that should be allowed.

This arrangement will last up to 30-6-80. Other terms and conditions will be the same as intimated in earlier communcations.

Yours Faithfully,

Sd/-

(Arjun Raj Bhandari)

Dy. Secretary to Government.

कार्यालय आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर

क्रमांक प. 32 (बी) (1566) /आब/एल /80/652 से 677, दिनांक 11-6-80

प्रतिलिपि उपायुक्त आबकारी (मद्यनिषेध) उदयपुर/ समस्त जिला आबकारी अधिकारी/ समस्त सहायक आबकारी अधिकारी को भेज कर कार्यालय पत्र-क्रमांक प. 32 (बी) 1566/आब/एल/80/43, दिनांक 15-4-80 के पैरा संख्या 4, 5 व 6 की ओर ध्यान आकर्षित कर निर्देशानुसार लेख है कि उपर्युक्त पाये जाने वाली पार्टी को परन्तु दुकान खोलने और उन्हें सरकारी मदिरालय से शराब जारी करने की अनुमति दे दी जावे। इस प्रकार खोली जाने वाली दुकानों की सूचना तार द्वारा मुख्यालय को दी जावे ।

2. प्रतिलिपि महाप्रबन्धक, दी गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, 17 सिविल लाइन्स जयपुर—302006 के पास सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जावे ।

ह.

उपायुक्त आबकारी, राजस्थान,
उदयपुर

भारत निर्मित विदेशी मदिरा की दुकानें जो दी गंगानगर शुगर मिल्स के द्वारा नहीं चलाई गयी उसकी सूची

1. उपायुक्त मद्यनिषेध :
   1. खेरवाड़ा
   2. सराड़ा

2. जिला अजमेर :
   1. श्रीनगर
   2. पीसांगन
   3. मसूदा
   4. मांडल
   5. आसीन्द
   6. सहाड़ा
   7. जहाजपुर

3. जिला भरतपुर :
   1. गोविन्दगढ़
   2. लक्ष्मणगढ़ (अलवर)
   3. नदबई
   4. कामां
   5. नगर
   6. वाड़ी
   7. सेवर
   8. महुवा
   9. राजाखेड़ा

4. जिला जयपुर :
   1. चाकसू
   2. बस्सी
   3. बैराठ

5. जिला सीकर-झुन्झुनू :
   1. लक्ष्मणगढ (सीकर)
   2. श्रीमाधोपुर
   3. चिड़ावा
   4. उदयपुर वाटी

6. जिला बीकानेर :
   1. नोखा
   2. तारानगर
   3. डूंगरगढ़
   4. सुजानगढ़

7. जिला जोधपुर :
   1. डगाना
   2. लूणी

Page No 284

(284)

3. नावां
4. लाडनूं

8. जिला कोटा :

1. तालेड़ा
2. खानपुर
3. छीपाबड़ोद

4. अन्ता

9. जिला उदयपुर :

1. बड़ी सादड़ी
2. छोटीसादड़ी
3. भोपालसागर
4. कुम्भलगढ़

राजस्थान राज्य में शुष्क क्षेत्रों में दी गंगानगर शुगर मिल्स द्वारा चलायी गयी दुकानों की सूची

क्र. सं.	जिलानुसार दुकानों के नाम	विदेशी/देशी मदिरा की दुकानें	दुकान चालू होने का समय	देशी मदिरा दुकानें	चालू होने का समय
1	2	3	4	5	6
1.	बिहारी बाजार	विदेशी	अप्रेल, 80	—	—
2.	चान्दपोल बाजार	विदेशी	अप्रेल, 80	—	—
3.	चान्दपोल बाजार	—	—	देशी	नवम्बर, 80
4.	स्टेशन दुकान	—	—	देशी	दिसम्बर, 80
5.	दौसा	दोनों	अप्रेल, 80	—	—
6.	सांभर	दोनों	मई, 80	—	—
7.	कोटपूतली	दोनों	अप्रेल, 80	—	—
8.	वान्दीकुई	दोनों	अगस्त, 80	—	—
9.	आमेर	—	—	देशी	अक्टूबर, 80
10.	चाकसू	—	—	देशी	—
11.	बस्सी	—	—	देशी	—
12.	सांगानेर	—	—	देशी	—
13.	वैराठ	—	—	देशी	—
14.	दूदू	—	—	देशी	—
15.	महुआ	—	—	देशी	—
16.	भरतपुर	दोनों	जनवरी 80, के पूर्व से ही	—	—
17.	डीग	—	—	—	—
18.	बयाना	—	—	—	—
19.	धोलपुर	—	—	—	—
20.	नदबई	—	—	देशी	अक्टूबर, 80
21.	कामां	—	—	देशी	सितम्बर, 80
22.	बाड़ी	—	—	देशी	अक्टूबर, 80
23.	राजाखेड़ा	—	—	देशी	—
24.	सेवर	—	—	देशी	—

Page No 285

285

1	2	3	4	5	6
25.	अलवर	दोनों	जनवरी, 80 से पूर्व	—	—
26.	बहरोड़	—	—	—	—
27.	राजगढ़ (अलवर)	—	—	—	—
28.	किशनगढ़वास	—	—	—	—
29.	लक्ष्मणगढ़	—	—	देशी	अक्टूबर, 80
30.	गोविन्दगढ़	—	—	देशी	अक्टूबर, 80
31.	सवाई माधोपुर	दोनों	जनवरी, 80 से पूर्व	—	—
32.	करौली	—	—	—	—
33.	गंगापुर सिटी	—	—	—	—
34.	हिण्डौन	—	—	—	—
35.	महुआ	—	—	देशी	अक्टूबर, 80
36.	सीकर	दोनों	जनवरी, 80 से पूर्व	—	—
37.	नीमकाथाना	—	—	—	—
38.	फतेहपुर	दोनों	जनवरी, 80 से पूर्व	—	—
39.	लक्ष्मणगढ़	—	—	देशी	नवम्बर, 80
40.	श्रीमाधोपुर	—	—	देशी	अक्टूबर, 80
41.	झुंझुनू	दोनों	जनवरी, 80 से पूर्व	—	—
42.	खेतड़ी	—	—	—	—
43.	नवलगढ़	—	—	—	—
44.	चिड़ावा	—	—	देशी	अक्टूबर, 80
45.	उदयपुरवाटी	—	—	देशी	सितम्बर, 80
46.	जोधपुर	दोनों	जनवरी, 80 से पूर्व	—	—
47.	जोधपुर	—	नवम्बर, 80	देशी	—
48.	बिलाड़ा	दोनों	—	—	—
49.	फलौदी	—	जनवरी, 80 से पूर्व	—	—
50.	कुचामनसिटी	—	—	—	—
51.	लूणी	—	—	देशी	सितम्बर, 80
52.	पाली	दोनों	जनवरी, 80 से पूर्व	—	—
53.	बाली	—	—	—	—
54.	जैतारण	—	—	—	—
55.	सोजत सिटी	—	—	—	—
56.	सुमेरपुर	—	—	देशी	सितम्बर, 80
57.	रानीवाड़ा	दोनों	दिसम्बर, 80	—	—
58.	नागौर	—	जनवरी, 80 से पूर्व	—	—
59.	लाडनू	—	—	देशी	सितम्बर, 80
60.	डीडवाना	दोनों	जनवरी, 80 से पूर्व	—	—
61.	मेड़तासिटी	दोनों	—	—	—
62.	नांवा	—	—	देशी	सितम्बर, 80
63.	डेगाना	—	—	देशी	सितम्बर, 80
64.	जालौर	दोनों	जनवरी, 80 से पूर्व	—	—
65.	भीनमाल	—	—	—	—
66.	सिरोही	—	—	—	—

Page No 286

(286)

1	2	3	4	5	6
67.	जैसलमेर	—	—	—	—
68.	पोकरन	—	—	—	—
69.	बाड़मेर	—	—	—	—
70.	बालोतरा	विदेशी	—	—	—
71.	बीकानेर	दोनों	—	—	—
72.	बीकानेर	—	—	—	—
73.	नोखा	—	—	देशी	नवम्बर, 80
74.	तारा नगर	—	—	देशी	—
75.	डूंगरगढ़	—	—	देशी	—
76.	चूरू	दोनों	जनवरी, 80 से पूर्व	—	—
77.	रतनगढ़	—	—	—	—
78.	राजगढ़ (सादुलशहर)	—	—	—	—
79.	सुजानगढ़	—	—	देशी	नवम्बर, 80
80.	बांसवाड़ा	दोनों	जनवरी, 80 से पूर्व	—	—
81.	कुशलगढ़	—	—	—	—
82.	डूंगरपुर	दोनों	—	—	—
83.	चित्तौड़गढ़	—	—	—	—
84.	बेंगू	—	—	—	—
85.	कपासन	—	—	—	—
86.	निम्बाहेड़ा	—	—	—	—
87.	प्रतापगढ़	—	—	—	—
88.	रावतभाटा	दोनों	अक्टूबर, 80	—	—
89.	उदयपुर	—	अप्रेल	देशी	—
90.	उदयपुर	—	—	देशी	—
91.	राजनगर (उदयपुर)	दोनों	अप्रेल, 80	—	—
92.	सलूम्बर	—	—	—	—
93.	डींग	—	—	—	—
94.	वल्लभनगर	—	—	—	—
95.	झाड़ोल	—	—	—	—
96.	बड़ी सादड़ी	—	—	देशी	सितम्बर, 80
97.	छोटी सादड़ी	—	—	—	—
98.	खैरवाड़ा	—	—	—	—
99.	सराड़ा	—	—	—	—
100.	मावली	दोनों	दिसम्बर, 80	—	—
101.	देवगढ़	—	—	देशी	सितम्बर, 80
102.	भोपाल सागर	—	—	देशी	—
103.	कुम्भलगढ़	—	—	देशी	अक्टूबर, 80
104.	आसीन्द	—	—	देशी	—
105.	कोटा	दोनों	जनवरी, 80 से पूर्व	—	—
106.	कोटा	विदेशी	—	—	—
107.	छबड़ा	दोनों	—	—	—
108.	रामगंजमंडी	—	—	—	—

Page No 287

(287)

1	2	3	4	5	6
109.	बारा	दोनों	जनवरी, 80 से पूर्व	देशी	सितम्बर से अक्टूबर, 80
110.	बून्दी सिटी	–	–	–	–
111.	नैनवा	–	–	–	–
112.	झालावाड़	दोनों	–	–	–
113.	अकलेरा	–	–	–	–
114.	तालेड़ा	–	–	देशी	सितम्बर, 80
115.	लाखेरी	दोनों	दिसम्बर, 80	–	–
116.	खानपुर	–	–	देशी	सितम्बर, 80
117.	छिपाबड़ोद	–	–	–	–
118.	अन्ता	–	–	–	–
119.	अजमेर	दोनों	जनवरी, 80 से पूर्व	–	–
120.	ब्यावर	दोनों	जनवरी, 80 से पूर्व	–	–
121.	केकड़ी	–	–	–	–
122.	किशनगढ़	–	–	–	–
123.	विजयनगर	–	–	–	–
124.	निवाई	दोनों	नवम्बर, 80	–	–
125.	श्री नगर	–	–	देशी	अक्टूबर, 80
126.	पीसांगन	–	–	–	–
127.	मसूदा	–	–	देशी	अक्टूबर, 80
128.	भीलवाड़ा	दोनों	जनवरी, 80 से पूर्व	–	–
129.	मांडलगढ़	दोनों	–	–	–
130.	शाहपुरा	–	–	–	–
131.	गुलाबपुरा	–	–	–	–
132.	जहाजपुर	–	–	देशी	अक्टूबर, 80
133.	टौंक	दोनों	जनवरी, 80 से पूर्व	–	–
134.	मालपुरा	–	–	–	–
135.	श्री गंगानगर	दोनों	अप्रेल, 80	–	–
136.	श्री गंगानगर	–	–	देशी	–
137.	हनुमानगढ़ जं.	दोनों	अप्रेल, 80	–	–
138.	हनुमानगढ़ टा.	–	–	–	–
139.	श्री करणपुर	–	–	–	–
140.	नोहर	–	–	–	–
141.	रायसिंहनगर	–	–	–	–
142.	सूरतगढ़	–	–	–	–
143.	सांगरिया	–	–	–	–
144.	पदमपुर	–	–	–	–
145.	अनूपगढ़	–	–	–	–
146.	सादुलशहर	–	–	–	–
147.	सिन्धी	–	अगस्त, 80	–	–

परिशिष्ट-3

(तारांकित प्रश्न संख्या 33 की सूची)

परियोजना क्षेत्र में भिन्न-भिन्न प्रकार की मशीनें जो भूमि विकास कार्य में कार्यरत थीं तथा माह मई से अगस्त, 1981 तक माहवारी दिये गये डीजल की मात्रा तथा कीमत का विवरण

क्र. सं.	मशीन	डीजल (लीटर) दिया गया					डीजल की कीमत दर रु. 2.90 प्रति लीटर
		मई	जून	जुलाई	अगस्त	कुल	
1.	बुलडोजर	65,030 (20)	56,448 (30)	20,740 (27)	(निल) (निल)	1,42,218	4,12,432.20
2.	एलीवेटिंग स्क्रेपर	30,593 (9)	30,970 (10)	8,360 (6)	(निल) (निल)	69,923	2,02,776.70
3.	मोटर ग्रेडर	9,152 (5)	9,150 (6)	2,435 (3)	(निल) (निल)	20,737	60,137.30
4.	ट्रैक्टर	22,375 (30)	26,210 (33)	7,660 (23)	250 (1)	56,495	1,63,835.50
5.	एक्सेकेवेटर	3,579	10,740	2,170	(निल)	16,489	47,818.10
	योग	(77)	(86)	(64)	(1)	3,05,862	8,86,999.80

(कोष्ठक में मशीनों की संख्या)

———

290

जिला कोटा में भूमि विकास पर माह मई, 1981 से अगस्त 1981 तक कार्यरत मशीनों का विवरण तथा उनको दिये गये डीजल तथा उसकी कीमत की सारणी

क्रमांक	मशीन	दिये गये डीजल की मात्रा (लीटर में)					दिये गये डीजल की कीमत
		मई	जून	जुलाई	अगस्त	कुल मात्रा	रकम
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	बुलडोजर बीडी-5	3010	675	,,	–	3685	10686.50
2.	बीडी-6	1100	1570	225	–	2895	8395.50
3.	बीडी-7	,,	1145	220	–	1365	3958.50
4.	बीडी-9	2220	1310	,,	–	3530	10237.00
5.	सीडी-1	,,	2475	1280	–	3755	7989.50
6.	सीडी-2	2475	2025	895	–	5394	15645.50
7.	सीडी-4	460	2350	675	–	3485	10106.50
8.	सीडी 10	2385	3150	675	–	6210	18009.00
9.	सीडी-11	2050	2445	440	–	4935	14311.50
10.	सीडी-12	2665	2980	660	–	6305	18284.50
11.	सीडी-13	3200	2865	560	–	6625	19212.50
12.	सीडी-14	2880	2335	220	–	5435	15761.50
13.	सीदी-15	2085	1775	670	–	4530	13137.00
14.	सीडी-16	2925	2925	1700	–	7550	21895.00
15.	सीडी-17	2713	2925	900	900	6540	18966.00
16.	सीडी-18	2700	2370	1085	,,	6155	17849.50
17.	सीडी-19	2210	540	1235	,,	3985	11556.50
18.	सीडी-20	,,	900	225	,,	1125	3262.50
19.	सीडी-21	2205	885	,,	,,	3090	8961.00
20.	सीडी-22	2407	2925	450	,,	5782	16767.80
21.	सीडी-23	1790	1125	785	,,	3700	10730.00
22.	सीडी-24	445	,,	,,	,,	445	1290.50
23.	सीडी-25	3055	2053	880	,,	5988	17365.20
24.	सीडी-26	2895	2120	1510	,,	6525	18922.50
25.	सीडी-27	2625	2745	1100	,,	6470	18763.00
26.	सीडी-28	2508	1500	660	,,	4668	13537.20
27.	सीडी-29	2250	1100	290	,,	3640	10556.00
28.	सीडी-30	2660	1745	845	,,	5250	15225.00
29.	सीडी-31	2435	220	1085	,,	3740	10846.00
30.	सीडी-32	2025	2170	450	,,	4645	13470.50
31.	सीडी-33	2650	1100	1100	,,	4850	14065.00
32.	स्क्रेपर डब्ल्यू ई-2	3940	795	,,	,,	4735	13731.50
33.	डब्ल्यू ई-3	,,	1125	,,	,,	1125	3262.50
34.	स्क्रेपर डब्ल्यू ई-4	900	,,	,,	,,	900	2610.00
35.	डब्ल्यू ई-5	2925	4405	1800	,,	9130	26477.00
36.	सी. ई.-6	,,	2200	1795	,,	3995	11585.50
37.	सी. ई.-8	5425	3485	745	..	9655	27999.50

(29)

किस किस केचमेंट में कार्य किया				अगस्त के अन्त में मशीनों में शेष रहे डीजल की मात्रा एवं कीमत	
मई 9	जून 10	जुलाई 11	अगस्त 12	मात्रा 13	कीमत 14
खरीला	खरीला	—	—	330	957.00
खरीला	खरीला	—	—	548	1589.00
खरीला	बुन्दी रोड-I	बून्दी रोड-I	—	335	971.50
खरीला	खरीला	..	—	345	1000.00
खरीला	बुन्दी रोड-II	विनयका	—	276	800.00
देहित-II	देहित-II	देहित-II	—	349	1012.00
देहित-II	देहित-II	देहित-II	—	233	670.00
रंगराजपुरा	बुन्दीरोड-I	सूनगढ़	—	410	1189.00
फतेहपुरा-II	फतेहपुरा-I	गणेशखेड़ा-II	—	590	1711.00
गणेश खेड़ा-I	गणेश खेड़ा-	गणेशखेड़ा-I	—	443	1284.70
सब्जीपुरा	सब्जीपुरा	सब्जीपुरा	—	530	1537.00
गणेश खेड़ा-II	गणेश खेड़ा-II	गणेशखेड़ा-II	—	399	1157.10
"	"	"	—	537	1557.30
हुथनपुरा	गुडली	गुडली	—	632	1833.00
उम्मेदपुरा	उम्मेदपुरा	उम्मेदपुरा	—	817	2369.00
विजयनगर	विजयनगर	विजयनगर	—	388	1125.00
गणेश खेड़ा-I	गणेशखेड़ा-I	गुडली	—	330	957.00
गणेश खेड़ा-I	विशनखेड़ी	विशनखेड़ी	—	1040	3076.00
गणेश खेड़ा-II	सती-II	गणेशखेड़ा-II	—	205	594.50
बून्दी रोड-I	सूनगढ	सूनगढ़	—	125	362.00
धनपुरी	बांकिया	उम्मेदपुरा	—	640	1856.00
गणेश खेड़ा-I	गणेशखेड़ा-I	गणेशखेड़ा	—	163	472.70
सब्जीपुरा	किशनगंज	किशनगंज	—	214	620.60
गणेश खड़ा-I	गणेश खेड़ा-I	गुडली	—	760	2204.00
देहित-II	खदरी-III	खदरी-III	—	120	348.00
सब्जीपुरा	किशनगंज	किशनगंज	—	235	681.50
बांकिया	बांकिया	खरोला	—	486	1409.00
सब्जीपुरा	पड़ासिलिया	पड़ासिलिया	—	160	464.64
गणेश खेड़ा-II	बून्दीरोड-I	बूंदीरोड-I	—	130	377.00
बन्दीरोड-I	बून्दीरोड-II	बून्दी रोड-II	—	360	1044.00
सब्जीपुरा	बुढ़ादीत	बढादीत	—	466	1351.50
बिशनखेड़ी	किशनखेड़ी	—	—	—	—
विशनखेड़ी	सरोला	—	—	—	—
रंगराजपुरा	—	—		672	1949.00
बून्दीरोड II	गुडली	गुडली	—	745	2167.00
रंगराजपुरा	सूनगढ़	सूनगढ	—	787	2282.30
सब्जीपुरा	गणेशखडा-II	गणेशखडा-II	—	439	1273.10

Page No 291

(292)

1	2	3	4	5	6	7	8
38.	सी. ई.-9	4343	3405	660	..	8406	24383.20
39.	सी ई.-10	4210	2950	1760	..	8920	25868.00
40.	सी. ई. -11	3295	5180	1660	..	10135	29391.50
41.	सी. ई.-12	4840	4500	..	..	5340	15486.00
42.	सी ई.-13	715	2925	..	..	3640	10556.00
43.	मोटरग्रेडर बी.जी.-3	..	890	..	..	890	2581.00
44.	के. जी.-4	1800	2250	..	..	4050	11745.00
45.	के. जी.-5	1744	2195	1115	..	5054	14656.60
46.	के. जी.-6	1800	405	..	..	2205	6394.50
47.	के. जी.-7	2043	1765	660	..	4468	12957.20
48.	के. जी.-8	1765	1645	660	..	4070	11803.00
49.	एक्सकेवेटर ई एक्स-15	1260	1575	500	..	3335	9671.50
50.	ई. एक्स-16	1120	2125	..	..	3245	9410.50
51.	ई. एक्स-17	..	770	460	..	1230	3567.00
52.	ई. एक्स-18	..	2060	550	..	2610	7565.00
53.	ई. एक्स-19	165	1640	220	..	2025	5872.50
54.	ई. एक्स-20	65	2345	440	..	2850	82.65
55.	एमेक्स-2	..	225	..	..	225	652.50
56.	पी. एक्स-1	969	..	..	..	969	2810.10
57.	ट्रैक्टर एफ. टी.-27	660	885	160	..	1705	4944.50
58.	एफ.टी.-28	934	1060	220	..	2214	6420.60
59.	एफ. टी.-29	445	440	220	..	1105	3204.50
60.	एफ. टी.-30	847	1572	..	..	2419	7015.10
61.	एफ. टी.-31	442	660	495	..	1597	4631.30
62.	एफ. टी.-32	320	460	220	..	1000	29.00
63.	एफ. टी.-33	..	440	320	..	760	2204.00
64.	एफ. टी.-34	1005	690	660	..	2355	6829.50
65.	एफ. टी.-35	1320	880	440	..	2640	7656.00
66.	एफ. टी.-36	1355	900	675	..	2930	8497.00
67.	एफ. टी.-37	..	630	225	..	855	247.50
68.	एफ. टी.-38	1125	850	450	..	2425	7032.50
69	एफ. टी.-39	735	1038	460	..	2233	6475.70
70.	एफ. टी.-40	895	675	..	..	1570	4553.00
71.	एफ. टी.-41	225	675	..	..	900	2610.00
72.	एफ. टी.-42	900	1125	..	..	2025	5872.50
73.	एफ. टी.-43	225	900	225	..	1350	3915.00
74.	एफ. टी.-44	900	900	..	..	1800	5220.00
75.	एफ. टी.-45	900	450	..	..	1350	3915.00
76.	एफ. टी.-46	225	450	..	..	675	1957.50
77.	एफ. टी.-47	1125	1575	450	..	3150	9135.00

9	10	11	12	13	15
उम्मेदपुरा	सनीजा-II	किशनगंज	—	832	2412.80
गणेशखेड़ा-I	लुहावद	किशनगंज	—	1008	2923.20
सेदरी-III	विजयनगर	विजयनगर	—	744	2157.60
टाकरवाड़ा	सरोला	..	—	961	2787.00
सरोला	करोली	..	—	389	1128.00
	टाकरवाड़ा	..	—	1334	3868.60
किशनगंज	किशनगंज	..	—	330	957.00
हतनापुर	बून्दीरोड-I	गुडली	—	341	989.00
बिनायका	बिनायका	..	—	341	981.00
सब्जीपुरा	किशनगंज	किशनगज	—	180	522.00
गणेशखेड़ा-II	सती-II	गणेशखेड़ा-II	—	250	725.00
गुडली	गुंडली	के. पाटन	—	265	768.00
सरोला	सरोला	..	—	350	1015.00
	मेहदी	मेहंदी	—	..	..
	किशनगंज	किशनगंज	—	418	1197.70
गणेशखेड़ा-I	गणेशखेड़ा-I	गणेशखेड़ा-I	—	690	2001.00
सब्जीपुरा	सब्जीपुरा	गणेशखेड़ा-II	—	329	954.10
..	बून्दीरोड-II	..	—	166	481.00
विजयनगर	..	..	—	219	635.00
सती-II	सती-I	सती-II	—	25	72.50
फतेहपुरा-II	फतेहपुरा-I	फतेहपुरा-II	—	65	188.80
गणेशखेड़ा-II	गणेशखेड़ा-II	गणेशखेड़ा-II	—	45	130.50
फतेहपुरा-II	फतेहपुरा-II	फतेहपुरा-II	—	515	1493.50
गणेशखेड़ा-II	किशनगंज	किशनगंज	—	175	507.50
सती-II	किशनगंज	किशनगंज	—	5	11.50
सती-II	किशनगंज	किशनगंज	—	150	455.00
सती-II	सती-II	गणेशखेड़ा-II	—	175	507.50
सब्जीपुरा	सब्जीपुरा	सब्जीपुरा	—	125	362.50
उम्मेदपुरा	उम्मेदपुरा	उम्मेदपुरा	—	520	1508.00
..	बिशनखेडी	बिशनखेडी	—	42	122.00
उम्मेदपुरा	उम्मेदपुरा	उम्मेदपुरा	—	510	1479.00
बून्दीरोड-II	सेदडी-III	सेदडी-III	—	243	708.00
सरोला	सरोला	..	—	535	1557.00
हतनापुरा	हतनापुर	..	—	339	983.00
रंगराजपुरा	रंगराजपुरा	..	—	154	447.00
उम्मेदपुरा	बिशनखेडी-I	वूढ़ादीत	—	..	..
हतनापुर	हतनापुर	..	—	290	841.00
देहित-II	देहित-II	..	—	191	554.00
रंगराजपुरा	रंगराजपुरा	..	—	212	615.00
किशनगंज	किशनगज	किशनगंज	—	174	505.00

(294)

1	2	3	4	5	6	7	8
78.	एफ.टी.-48	450	675	..	..	1125	3262.50
79.	एफ.टी.-49	440	885	220	..	1545	4480.50
80.	एफ.टी.-50	1105	680	290	..	2075	6017.50
81.	एफ.टी.-51	1360	1340	..	..	2700	7830.00
82.	एफ.टी.-52	440	660	155	..	1255	3639.50
83.	एफ.टी.-53	667	660	..	..	1327	3848.30
84.	एच.टी.-17	..	..	475	..	475	1377.50
85.	एच.टी.-18	..	55	225	..	280	812.00
86.	एच.टी.-19	..	895	..	..	895	2595.50
87.	एफ.टी.-22	675	475	225	..	1375	3987.50
88.	एच.टी.-23	1125	1125	225	..	2475	7177.50
89.	एच.टी.-25	..	..	..	250	250	725.00
90.	एफ.टी.-2	665	890	335	..	1890	5481.00
91.	एफ.टी.-3	195	..	..	..	195	565.50
92.	एफ.टी.-4	670	440	290	..	1400	4060.00
						कुल योग 3,05,862 ली.	8,86,999.80रु.

Page No 294

295

8	9	10	11	12	13
बांक्या	बांक्या	..	..	20	58.00
सती-II	सती-II	सती-II	..	95	275.50
गणेशखेड़ा-II	गणेशखेड़ा-II	गणेशखेड़ा-II	..	90	261.00
सब्जीपुरा	सब्जीपुरा	सब्जीपुरा	..	55	159.50
गणेशखेड़ा-II	गणेशखेड़ा II	गणेशखेड़ा-II	..	25	72.50
गणेशखेड़ा-I	गणेशखेड़ा I		..	30	87.00
..	..	बांक्या	..	1	2.90
..	उम्मेदपुरा	उम्मेदपुरा	..	235	681.00
..	उम्मेदपुरा	..	..	34	99.00
सरोला	सरोला	सरोला	..	395	1145.00
उम्मेदपुरा	उम्मेदपुरा	उम्मेदपुरा	..	450	1305.00
..	..	किशनगंज	..	236	684.00
देहित-II	सेवरी-III	सेवरी-III	..	161	467.00
देहित-II	..	..	..	136	394.00
देहित-II	देहित-II	देहित-II	..	145	420.00

296

भूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत परियोजना के प्रारम्भ में 31-8-81 तक कार्य किये गये क्षेत्रों का विवरण

क्रम संख्या	जिला	केचमेंटों की संख्या	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
1	2	3	4
1.	कोटा	52	19519
2.	बून्दी	29	8774
	योग ..	81	28293

कार्य पूर्ण किया गया	26205 हैक्टेयर
कार्य जारी है	2088 हैक्टेयर
योग :	28293 हैक्टेयर

कोटा जिले में भूमि विकास कार्य किये गये केचमेंटों का विवरण

क्र. सं.	केचमेंट का नाम	क्षेत्रफल (हैक्टेयर)	कार्य किये जाने का वर्ष
1	2	3	4
1.	ठीकरिया चतुर्थ	120	1976-77
2.	गढेपान 'बी'	249	1976-77
3.	गढेपान 'ए'	257	1977-78
4.	धाकडखेड़ी-प्रथम	248	1977-78
5.	खेड़ली महादीत	735	1977-78
6.	ग्रमलसरा प्रथम 'ए'	246	1977-78
7.	धाकड़खेड़ीद्वितीय	292	1978-79
8.	ग्रमरपुरा	682	1978-79
9.	प्रेमपुरा प्रथम	290	1978-79
10.	दुगारी	317	1978-79
11.	ग्रटोन किशोरपुरा प्रथम	210	1978-79
12.	ग्रटोन किशोरपुरा द्वितीय	459	1978-79
13.	ग्रटोन किशोरपुरा तृतीय	479	1978-79
14.	सुरेला प्रथम	489	1978-79

1	2	3	4
15.	सुरेला द्वितीय	500	1978–79
16.	सुल्तानपुर	170	1978–79
17.	नया गांव	125	1978–79
18.	बमोरी–प्रथम	382	1978–79
19.	बमोरी–द्वितीय	150	1978–79
20.	करीर का खेड़ा	332	1978–79
21.	नापा हेड़ा	400	1979–80
22.	सनीजा प्रथम	372	1979–80
23.	ठीकरिया चतुर्थ 'ए'	162	1979–80
24.	फतेहपुरा–प्रथम	330	1979–80
25.	शाहपुरा	264	1979–80
26.	पड़ासलिया	300	1979–80
27.	बम्मूलिया माताजी	450	1979–80
28.	घोरी ढाबा 'ए'	227	1979–80
29.	घोरी ढाबा 'बी'	249	1979–80
30.	प्रेमपुरा–द्वितीय	179	1979–80
31.	सनीजा द्वितीय	667	1979–80
32.	मोलकी	221	1979–80
33.	धरनिया	236	1979–80
34.	लुहावद	337	1979–80
35.	बोरखेड़ा	696	1979–80
36.	मोतीदुग्रा द्वितीय	125	1979–80
37.	मेंहदी	433	1980–81
38.	किशनगंज	1204	1980–81

वूंन्दी जिले में भूमि विकास कार्य किये गये केचमेंटों का विवरण

1	2	3	4
1.	बिनायका 'प्रथम'	523	1976–77
2.	शूगर फैक्ट्री फार्म	40	1976–77
3.	माधोराजपुरा 'ए' 100 }	310	1977–78
4	माधोराजपुरा 'बी' 210 }		
5.	चांदनहेली	586	1977–78
6.	चांदनहेली 'बी'	161	1977–78
7.	बिनायका 'ए'	92	197.–78
8.	बिनायका 'बी'	146	1977–78
9.	बिनायका 'सी'	160	1977–78
10.	देलुन्दा	310	1977–78
11.	डगलावदा	418	1977–78
12.	बाजड़	304	1977–78
13.	देहित 'प्रथम'	370	1977–78
14.	मेहराना देहित	462	1977–78
15.	हठनापुर II 'बी'	535	1977–78

Page No 297

(२९८)

1	2	3	4
16.	भवानीपुरा 'ए'	350	1978-79
17.	सारला-प्रथम	256	1978-79
18.	सारला द्वितीय	173	1978 79
19.	भवानीपुरा 'बी'	226	1979-80
20.	गामच	382	1979-80
21.	सेदड़ी-तृतीय	225	1980-81
22.	देहित-द्वितीय	308	1980-81
23.	बूंदी रोड-प्रथम	206	1980-81
24.	बूंदी रोड-द्वितीय	496	1980-81
25.	रंगराजपुरा	220	1980-81
26.	सूनगढ़	303	1980-81
27.	इतनापुर-प्रथम	290	1980 81
28.	विजयनगर	450	1980-81
29.	गुड़ली	469	1980-81
30.	उम्मेदपुरा	715	1980-81
31.	बूढादीत	580	1980-81
32.	दनसूरी	425	1980-81
33.	टाकरवाड़ा	260	1980-81
34.	फतेहपुरा द्वितीय	616	1980-81
35.	सती-प्रथम	644	1980-81
36.	सती—द्वितीय	640	1980-81
37.	गणेशखेड़ा—प्रथम	445	1980-81
38.	गणेशखेड़ा—द्वितीय	308	1980-81
39.	वांक्या	470	1980-81
40.	बिशनखेड़ी	181	1980-81
41.	डाबर	137	1980-81
42.	सगेला	183	1980-81
43.	सज्जनपुरा	317	1980-81
	योग :	19519	

परिशिष्ट 4

तारांकित प्रश्न संख्या 64 की सूची

केन्द्रीय सहकारी बैंक और प्राथमिक भूमि विकास बैंक की सूची

केन्द्रीय सहकारी बैंक	प्राथमिक भूमि विकास बैंक
1. बीकानेर	1. बीकानेर
2. चूरू	2. चूरू
3. सीकर	3. सीकर
4. जयपुर	4. जयपुर
5. टोंक	5. टोंक
6. झालावाड़	6. झालावाड़
7. अजमेर	7. अजमेर
8. जोधपुर	8. जोधपुर
9. बाड़मेर	9. बालोतरा
10. जालोर	10. जालोर
11. सिरोही	11. सिरोही
12. नागौर	12. नागौर
13. अलवर	13. अलवर
14. सवाई माधोपुर	14. सवाई माधोपुर
15. उदयपुर	15. उदयपुर
16. भीलवाड़ा	16. भीलवाड़ा
17. श्री गंगानगर	17. हनुमानगढ़
18. कोटा	18. कोटा
19. बूंदी	19. बूंदी
20. पाली	20. पाली
21. चित्तौड़गढ़	21. चित्तौड़गढ़
22. बांसवाड़ा	22. बांसवाड़ा
23. भरतपुर	23. भरतपुर
24. डूंगरपुर	24. डूंगरपुर
25. झुंझुनू	25. झुंझुनू
	26. प्रतापगढ़
	27. रायसिंहनगर
	28. ब्यावर
	29. बिलाड़ा
	30. बारां
	31. धौलपुर
	32. हिण्डौन
	33. केकड़ी
	34. मोहर
	35. गंगानगर

———

राजस्थान के जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों एवं प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों में मनोनित अध्यक्षों की सूची मय सदस्यता एवं ऋण की वर्तमान स्थिति

क्रमांक	नाम संस्था		नाम मनोनीत अध्यक्ष	समिति में सदस्य है या नहीं	ऋण जो लिया	
					बकाया	अवधि पार
1	2		3	4	5	6
1.	केन्द्रीय सहकारी बैंक लि.	बीकानेर	श्री सुरजाराम	हां	नहीं	नहीं
2.	,,	चूरू	श्री रेवतराम	हां	नहीं	नहीं
3.	,,	सीकर	श्री मदन दीवान	हां	नहीं	नहीं
4.	,,	जयपुर	श्री तेजपाल	हां	3781.00	नहीं
5.	,,	टोंक	श्री द्वारका प्रसाद वैरवा	हां	नहीं	नहीं
6.	,,	झालावाड़	श्री पृथ्वीसिंह	हां	6350.00	नहीं
7.	,,	अजमेर	श्री अथराज महाराज	नहीं	नहीं	नहीं
8.	,,	जोधपुर	श्री नरपतराम	नहीं	नहीं	नहीं
9.	,,	बाड़मेर	श्री अमराराम	हां	नहीं	नहीं
10.	,,	जालोर	श्री माधोसिंह भैंसवाड़ा	नहीं	नहीं	नहीं
11.	,,	सिरोही	श्री देवी सहाय	हां	नहीं	नहीं
12.	,,	नागौर	श्री हरेन्द्र मिर्धा	कार्यभार नहीं संभाला है।	नहीं	नहीं
13.	,,	अलवर	श्री सुजानसिंह	,,	नहीं	नहीं

14.	केन्द्रीय स. बैंक लिमिटेड	सवाई माधोपुर	श्री चेतराम	हां	बकाया	नहीं
15.	,,	उदयपुर	श्री किशन त्रिवेदी	हां	नहीं	नहीं
16.	,,	भीलवाड़ा	श्री बिहारी लाल	हां	1500.00	150.00
17.	,,	गंगानगर	श्री ज्ञान सिंह चौधरी	कार्य भार नहीं संभाला है।	नहीं	नहीं
18.	,,	कोटा	श्री विनय कुमार भार्गव	नहीं	नहीं	नहीं
19.	,,	बून्दी	श्री कल्याण मल चन्देल	हां	नहीं	नहीं
20.	,,	पाली	श्री सुखलाल संचेती	नहीं	नहीं	नहीं
21.	,,	चित्तौड़गढ़	श्री जुल्फकार अहमद आजम	हां	नहीं	नहीं

राजस्थान के जिला प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों में मनोनीत अध्यक्षों की सूची मय सदस्यता एवं ऋण की वर्तमान स्थिति

क्रमांक	नाम संस्था		नाम मनोनीत अध्यक्ष	समिति में सदस्य है या नहीं	ऋण जो लिया	
					बकाया	अवधिपार
1	2		3	4	5	6
1.	प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक	बीकानेर	श्री मालूराम	कार्यभार नहीं संभाला है।	नहीं	नहीं
2.	,,	चूरू	श्री भालू खां	हां	नहीं	नहीं
3.	,,	सीकर	श्री महादेव सिंह	नहीं	नहीं	नहीं
4.	,,	जयपुर	श्री जगदीश तिवाड़ी	हां	नहीं	नहीं
5.	,,	टोंक	श्री चतुर्भुज	हां	नहीं	नहीं
6.	,,	झालावाड़	श्री भैरूंलाल	हां	1564.42	नहीं
7.	,,	अजमेर	श्री गोविन्द सिंह गुर्जर	नहीं	नहीं	नहीं
8.	,,	जोधपुर	श्री कल्याण सिंह	नहीं	नही	नहीं
9.	,,	बालोतरा	श्री अमीन खां	नहीं	19835.72	407.14
10.	,,	जालोर	श्री रतना राम	नहीं	नहीं	नहीं
11.	,,	सिरोही	श्री भूरा राम	हां	1440.60	1440.6
12.	,,	नागौर	श्री जेठमल बरबड़	नहीं	नहीं	नहीं
13.	,,	अलवर	श्री दीन मोहम्मद	नहीं	नहीं	नहीं
14.	,,	सवाई माधोपुर	श्री हरीसिंह	कार्य भार नहीं संभाला है	नहीं	नहीं

Page No 302

303

15.	ग्रा. सहकारी भूमि विकास बैंक	उदयपुर	श्री भैरूलाल मीणा	हां	93.25	93.25
16.	,,	भीलवाड़ा	श्री नानू राम	हां	2186.50	1903.83
17.	,,	हनुमानगढ़	श्री पीरूराम	नहीं	नहीं	नहीं
18.	,,	कोटा	श्री कृष्णगोपाल बड़ोना	हां	4565.00	नहीं
19.	,,	बून्दी	श्री कृष्णगोपाल जोशी	हां	नहीं	नहीं
20.	,,	पाली	श्री असलम खां	हां	नहीं	नहीं
21.	,,	चित्तौड़गढ़	श्री बलवन्त सिंह सुराणा	हां	3600.00	3600.00
22.	,,	प्रतापगढ़	श्री हरलाल मीना	नहीं	नहीं	नहीं
23.	,,	रायसिंहनगर	श्री राजाराम पूनिया	नहीं	नहीं	नहीं

Page No 303

(304)

परिशिष्ट 5

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न एंव उनके उत्तर

सादूल राजस्थानी रिसर्च इंस्टीट्यूट, बीकानेर

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (कोटा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य की अनुदान प्राप्त संस्थाओं का गठन एवं संचालन उन संस्थाओं के निजी संविधानों के अन्तर्गत होता है अथवा सरकार द्वारा लागू किए ग्राण्ट-इन-एड नियमों के अधीन ?

(2) क्या सादूल राजस्थानी रिसर्च इंस्टीट्यूट, बीकानेर की वर्तमान कार्यकारिणी, संस्था के संविधान में निर्धारित विधि से गठित हुई है ? यदि नहीं, तो संस्था की इस असंवैधानिक कार्यकारिणी को 1973 से अब तक सरकार द्वारा किस कारण से मान्यता दी जा रही है ?

(3) संस्था की प्रबंध कार्यकारिणी द्वारा उठायी गई और अनुदान की राशि के दुरुपयोग के लिए सरकार किसे उत्तरदायी ठहराती है ?

(4) क्या उक्त संस्था की अनुदान की राशि पिछले कुछ वर्षों से बन्द है ? यदि हां, तो क्यों और कब से ?

(5) क्या सरकार ने 1974 से 1981 तक के 8 सालों में संस्था की शैक्षणिक एवं शोध सम्बन्धी गतिविधियों की जांच करवायी है ?

(6) क्या यह सही है कि उक्त संस्था द्वारा सरकार के खिलाफ 1977-78 में एक दावा मुन्सिफ न्यायालय, बीकानेर में प्रस्तुत किया गया था ? यदि हां, तो उस दावे का न्यायालय द्वारा क्या फैसला किया गया ? कृपया निर्णय की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(7) सरकार द्वारा उक्त फैसले को अमल में लाने के लिये क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजस्थान अनुदान नियम, 1963 के नियम 3 (5) परिशिष्ट-1 के अनुसार केवल संस्था की प्रबंध समिति के गठन करने का प्रावधान है।

(2) अनुदान नियमों में संस्था को मान्यता देने का प्रावधान है। संस्था की कार्यकारिणी को मान्यता देने का प्रावधान नहीं है।

(3) संस्था ने राज्य सरकार से अनुदान राशि वर्ष 76-77 तक उठायी तथा इस संबंध में कोई दुरुपयोग की शिकायत राज्य सरकार की जानकारी में नहीं है।

(4) संस्था द्वारा नियमानुसार अनुदान हेतु आवेदन पत्र वर्ष 77-78 से प्रस्तुत नही करने के कारण अनुदान नहीं दिया जा रहा है।

(5) जी, नहीं।

(6) जी, हां। वाद अभी प्रविणित है। दिनांक 1-3-79 के आदेश द्वारा संस्था के अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना-

(शिक्षा मंत्री)
पत्र का निर्णय किया गया है । प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(7) न्यायालय का अन्तरिम निर्णय है तथा राज्य सरकार ने आवश्यक निर्देश जारी कर दिये हैं ।

(निर्णय प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई ।)

निवाई से कृषि उपज मण्डी, निवाई को जोड़ने वाली सड़क पर पुलिया का निर्माण

232. **श्री द्वारका प्रसाद बैरवा (निवाई):** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:— क्या यह सही है कि कृषि उपज मंडी निवाई ने तय किया है कि कृषि मंडी व निवाई सड़क के बीच पुलिया निर्माण करवा दिया जायेगा? यदि हां, तो कब तक ? विलम्ब होने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार विलम्ब बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का इरादा रखती है ?

उत्तर

जी हां । जिला आयोजना समिति के प्रस्ताव पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति कर मण्डी समिति से इसके निर्माण की अपेक्षा की गई है । इस कार्य में विलम्ब का उत्तरदायित्व किसी भी अधिकारी पर नहीं है ।

बांसवाड़ा में उचित मूल्य की वस्तुओं के वितरण में अव्यवस्था

233. **श्री फतेसिंह (कुशलगढ़):** क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला बांसवाड़ा में राशन की कुल कितनी दुकानें हैं तथा उनमें प्राईवेट डीलर्स कितने हैं ? लैम्पस, पैक्स और सहकारी समितियों द्वारा कितनी दुकानें संचालित हैं ? क्या सहकारी समितियों को डीलरशिप न दी जाकर सभी दुकानें प्राइवेट डीलर्स को दी गई हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि बांसवाड़ा की जनता को राशन की वस्तुएं समय पर नहीं मिल पाती ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

उत्तर

(1) जिला बांसवाड़ा में राशन की कुल 260 दुकानें हैं जिनमें से 27 लैम्पस की, 41 पैक्स की तथा 192 दुकानें निजी व्यक्तियों की हैं । सहकारी समितियों को नियुक्ति में प्राथमिकता दी जाती है । सहकारी संस्थाओं द्वारा असमर्थता व्यक्त करने या कानून की अवहेलना करने पर ही निजी डीलर नियुक्त किये गये हैं ।

(2) राशन की वस्तुएं जैसे प्राप्त होती है, वैसे ही उपलब्ध कराई जाती हैं । जिन वस्तुओं में विलम्ब होता है उसका कारण समय पर प्राप्त नहीं होना है ।

जयपुर की रामनगर कालोनी, नाहरी का नाका के खाली भू-खण्ड

234. **श्री सुजानसिंह यादव (बहरोड़):** क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) रामनगर, नाहरी का नाका, जयपुर की कालोनी में कुल कितने भू-खंड हैं ? इन भू-खंडों में से कितने आवंटन हो चुके हैं एवं कितने आवंटन होना शेष है ? आवंटन कब तक किये जाने की संभावना है ? कृपया, आवंटन किये जाने वाले

306

(श्री सुजानसिंह यादव)

भू-खंडों की सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) जो भू-खंड ग्रॉक्शन या ग्रावंटित किये जा चुके हैं ग्रौर दो वर्ष से ग्रधिक समय से खाली पड़े हैं उनके बारे में सरकार की क्या नीति है ? कृपया दोनों प्रकार के भू-खंडों की सूची नाम व पते सहित सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) रामनगर नाहरी का नाका, जयपुर कालोनी में 502 भू-खंड हैं। इन भू-खंडों में से 101 भू-खंड नीलामी द्वारा बेचे गये हैं तथा 372 भू-खंड ग्रावंटित किये गये हैं। 29 भू-खंड नीलामी द्वारा बेचे जाने शेष हैं। योजनाग्रों में रिक्त भू-खंडों को नीलामी द्वारा बेचने की कार्यवाही प्रारम्भ हो चुकी है। तथा नाहरी का नाका रामनगर क्षेत्र में रिक्त भू-खंडों को भी शीघ्र नीलामी द्वारा बेचा जावेगा। रामनगर क्षेत्र में नीलामी द्वारा बेचने योग्य भू-खंडों की सूची संलग्न है।

(2) जो भू-खंड ग्रावंटन के जरिये ग्रावंटित किये गये हैं ग्रौर 2 वर्ष से ग्रधिक समय से खाली पड़े हुए हैं उनको पुनर्ग्रहण किया जाता है। नगर न्यास निर्णय दिनांक 11-6-79 के ग्रनुसार यदि ग्रावंटी रिजम्पशन फीस जमा करा देता है तो उनके प्रति भवन निर्माण की ग्रवधि एक वर्ष के लिए बढ़ाई जाती है। यदि कोई ग्रावंटी न्यास निर्णय ग्रनुसार निर्माण कार्य नहीं करने पर रिजम्पशन फीस नहीं देते हैं तो उन मामलों में भू-खंड को रिज्यूम की कार्यवाही की जाकर उन्हें नीलामी द्वारा विक्रय किया जाता है। नीलामी द्वारा बेचे गये भू-खंडों के प्रति भवन निर्माण कार्य की किसी प्रकार की ग्रवधि नहीं है। ग्रावंटन तथा नीलामी द्वारा बेचे गये भू-खंडों की सूची सदन की मेज पर रखा दी गयी है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

सोने पर ली जाने वाली चुंगी की दर

235. श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में विभिन्न नगरपालिकाग्रों/परिषदों द्वारा सोने पर चुंगी किस-किस दर से वसूल की जाती है ?

(2) क्या वर्ष 1980-81, 1981-82 में इन चुंगी की दरों में परिवर्तन किये गये हैं ? यदि हां, तो जिन ग्रादेशों से यह परिवर्तन किये गये कृपया उनकी प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य की नगरपालिकाग्रों एवं नगर परिषदों में सोने पर 50 पैसे प्रति सैकड़ा की दर से चुंगी वसूल की जाती है।

(2) वर्ष 1980-81 में सोने पर चुंगी की दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। वर्ष 1981-82 में राज्यादेश क्रमांक एफ. 79 (5) डीएलबी।64।8227, दिनांक 6-6-81 के ग्रनुसार नगरपालिका, सरदारशहर की चुंगी ग्रनुसूची में तथा विज्ञप्ति क्रमांक टैक्स/ एफ.3(2)डीएलबी/3541, दिनांक 23-6-81 के ग्रनुसार सभी नगर परिषदों/नगरपालिकाग्रों में सोने पर चुंगी की दरों में परिवर्तन किया गया था। उक्त ग्रादेशों की प्रतिलिपियां सदन के पटल पर रख दी गई हैं।

(307)

आदेश की प्रति

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक/टैक्स/एफ 79/(5)डीएलबी/64/3227 दिनांक 6-6-1981

अधिसूचना

संख्या टैक्स एफ 79(5) डीएलबी/64/:-विभागीय अधिसूचना दिनांक 24-5-77 को निरस्त करते हुये नगरपालिका सरदार शहर की वर्तमान प्रचलित सम्पूर्ण चुंगी दरों का अधिक्रमण करते हुये राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 (अधिनियम सं. 38, सन् 1959) की धारा 104 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कथित धारा के खंड 2 के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार एतद्द्वारा निर्देश देती है कि ऐसे सामान व पशुओं पर जो नगरपालिका सरदार शहर की सीमान्तर्गत उपयोग, प्रयोग तथा विक्रयार्थ लाया जावे, नगरपालिका सरदार शहर द्वारा इस अधिसूचना के राजस्थान राज-पत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 7 दिवस पश्चात् निम्न अनुसूची में निर्दिष्ट दरों के अनुसार चुंगी कर लगाया जावेगा।

क्रमांक	स्वीकृत अनुसूची मद सं.	नाम वस्तु	निर्दिष्ट दर
96	76(अ)	सोना व उससे बनी हुई वस्तुयें जेवरात तथा जवाहरात	1.00 प्रतिशत

राज्यपाल की आज्ञा से

ह/-

(रघुवीर सिंह)

शासन उप-सचिव।

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग

टैक्स एफ 3 (2) डी. एल. बी/79/3541 जयपुर, जून 23, 1981

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 1959 (अधिनियम संख्या 38, सन् 1959) की धारा 105 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कथित धारा के खंड (2) के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार एतद्द्वारा राज्य की समस्त नगरपरिषदों / पालिकाओं की जो उनकी सीमान्तर्गत उपयोगार्थ प्रयोग तथा विक्रयार्थ आयातित होने पर निम्नलिखित वस्तुओं पर उनके सम्मुख उल्लिखित दर से चुंगी देय होगी। उक्त अधिसूचना राजस्थान राज-पत्र में प्रकाशित होने की तिथि के 7 दिवस पश्चात् से प्रभावशील होगी एवं प्रभावशील होने के दिनांक से इस संबंध में पूर्व जारी समस्त आदेश अधिसूचना आदि स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेंगे।

क्र. सं.	नाम वस्तु	चुंगी दर
1.	चान्दी, सोना, प्लेटीनम, मीना तथा पन्ना, माणक, मोती, नीलम मूंगा आदि को शामिल करते हुये समस्त बहुमूल्य एवं अर्ध-बहुमूल्य पत्थर तथा जेवरात तथा इनसे निर्मित आभूषण एवं बहुमूल्य बर्तनों को शामिल करते हुये सभी वस्तुयें।	प्रति सैकड़ा 0-50 पैसा

आज्ञा से,

(रघुवीर सिंह)

उप-शासन-सचिव।

वर्ष 1981 में गेहूं की खरीद का लक्ष्य

236. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में इस वर्ष गत वर्ष की तुलना में, कितना गेहूं पैदा हुआ ? पिछले वर्ष कितने गेहूं की सरकारी खरीद हुई ?

(2) इस वर्ष कितने गेहूं खरीदने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था तथा कितना खरीदा गया ? यह पूर्ण वसूली का कितना प्रतिशत है ?

(3) केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को कितना गेहूं खरीदने का लक्ष्य दिया था ?

उत्तर

(1) राज्य में गत वर्ष 27.01 लाख टन गेहूं का उत्पादन हुआ था। इस वर्ष 24 लाख टन गेहूं का उत्पादन हुआ है। गत वर्ष गेहूं की सरकारी खरीद 16,993 मै. टन हुई थी।

(2) इस वर्ष गेहूं का लक्ष्य एक लाख मैट्रिक टन निर्धारित किया गया था तथा लगभग 10 हज़ार टन गेहूं खरीदा गया है। यह लक्ष्य का 10 प्रतिशत है।

(3) केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को एक लाख टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य निर्धारित किया था।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खींवसर, (नागौर) का स्टाफ

237. श्री महाराम चौधरी (नागौर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खींवसर जिला नागौर में डॉक्टर व अन्य स्टाफ की पूर्ण व्यवस्था है ? यदि हां, तो पदस्थापित स्टॉफ की सूची कृपया सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इस स्वास्थ्य केन्द्र पर डॉक्टर व अन्य कर्मचारी नियमित रूप से कार्य कर रहे हैं ?

(3) इस स्वास्थ्य केन्द्र पर वर्तमान डॉक्टर व कर्मचारी कितने-कितने साल से कार्यरत हैं ? कृपया नाम व तारीख सहित विवरण सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी हां।

(3) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(309)

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खींवसर, जिला नागौर पर वर्तमान में कार्यरत कर्मचारियों की सूची

क्रम संख्या	नाम कर्मचारी	पद का नाम	प्रा. स्वा. केन्द्र, खींवसर (मुख्यालय) पर कार्य करने का दिनांक
	(चिकित्सा पक्ष)		
1.	डा. जे. के. जालान	सी. ए. एस.	11-10-80
2.	श्री तख्त सिंह	मेलनर्स श्रेणी-II	24-5-74
3.	श्री देवकिशन	मेलनर्स श्रेणी-II	22-8-68
4.	श्री राधेश्याम	स्वास्थ्य निरीक्षक	13-4-81
5.	श्री दीप सिंह	वाहन चालक	10-10-80
6.	श्रीमती चन्द्र कान्ता	प्रसाविका	15-9-81
7.	श्री भंवर लाल	वार्ड ब्याय	6-11-80
8.	श्रीमती केसर देवी	वार्ड ब्याय	25-6-79
9.	श्रीमती भंवरी	वार्ड ब्याय	22-7-80
10.	श्री [illegible]	हरिजन	4-12-70
	(परिवार कल्याण पक्ष)		
1.	डा. एन. के. मोहनपुरिया	सी. ए. एस.	10-1-79
2.	श्री सुन्दर लाल	बी. ई. ई.	14-11-79
3.	श्रीमती भवानी अम्मापी के.	प्रसाविका	30-8-77
	(स्वास्थ्य पक्ष)		
1.	श्री राम बक्श टौंक	टीका पर्यवेक्षक	21-5-79
2.	श्री छत्तर मल	नोन मैडिकल सुपरवाइजर (कुष्ठ रोग)	25-1-71
	(मलेरिया पक्ष)		
1.	श्री शंकर लाल सवल	मलेरिया निरीक्षक	23-4-78
2.	श्री पृथ्वी सिंह	मलेरिया सर्व. निरीक्षक	1-5-71
3.	श्री मंगलू राम	मलेरिया तकनिशियन	21-5-79
4.	श्री लक्ष्मी चन्द	मलेरिया सर्व. कार्यकर्ता	14-5-71

नगरपालिका/नगर परिषदों में सेनेटरी निरीक्षकों के रिक्त पदों की पूर्ति

238. श्री थानसिंह (सलूम्बर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1980 से आज तक नगरपालिका/नगर परिषदों में सेनेटरी इन्सपैक्टर्स के कितने पद रिक्त हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि गत दो वर्ष में सेनेटरी इन्सपैक्टर के डिप्लोमा होल्डर बेकार बैठे हैं ? क्या सरकार इनकी बेरोजगारी दूर करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 1980 से आज तक राज्य की नगरपालिकाओं एवं नगरपरिषदों में सेनेटरी इन्सपेक्टरों के 21 पद रिक्त हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) ऐसे बेरोजगार इन्सपेक्टरों की सूचना स्वायत्त शासन विभाग में नहीं रखी जाती। नगरपालिकाओं में रिक्त स्थानों के लिये, चयन, सेवा चयन आयोग द्वारा किया जायगा। चयन के पश्चात् रिक्त स्थानों पर नियुक्ति दी जा सकेगी।

सफाई निरीक्षकों के रिक्त पदों की सूची

क्रम संख्या	नाम नगरपालिका	स्पष्ट रिक्त पद संख्या
1.	केकड़ी	1
2.	भरतपुर	2 (एक पद सफाई निरीक्षक प्रथम ग्रेड कम्पोस्ट निरीक्षक)
3.	बाडी	1
4.	केसवरायपाटन	1
5	चित्तौड़गढ़	1 (ग्रेड II)
6.	रतनगढ़	1 (ग्रेड II)
7.	सुजानगढ़	1
8.	राजगढ़ (चूरू)	1 (ग्रेड II)
9.	डूंगरपुर	1
10.	जयपुर	2
11.	बान्दी कुई	1
12.	झुंझुनू	1
13.	जोधपुर	1 (ग्रेड II)
14.	बिलाड़ा	1
15.	कोटा	1 (कम्पोस्ट निरीक्षक)
16.	लाडनू	1
17.	कुचामनसिटी	1 (ग्रेड II)
18.	करोली	1
19.	फतेहनगर	1 (ग्रेड II)

बजट के घाटे की पूर्ति

239. श्री राजबहादुर (भरतपुर) एवं श्री दीपेन्द्र सिंह (श्रीमाधोपुर): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) गत बजट में कितना घाटा रखा गया था और अब उक्त घाटे का क्या अनुमान है ?

(2) बाढ़ के प्रकोप से राज्य के बजट पर कितना भार और अधिक पड़ा है और बजट का घाटा 31 मार्च, 1982 तक कहां तक पहुंचने की संभावना है ?

(3) बजट के घाटे और बैंक के ओवर ड्राफ्ट को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या कदम उठाये गये हैं ? बजट का घाटा और ओवर ड्राफ्ट कब तक समाप्त कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) वर्ष 1981-82 का बजट प्रस्तुत करते समय वर्ष के अन्त में 95.57 करोड़ रु. का घाटा बताया गया था। वर्ष के अन्त में क्या स्थिति रहेगी इसका अनुमान करना अभी सम्भव नहीं है। हमारा यह प्रयत्न होगा कि विकास कार्यों की गति को बनाये रखते हुए घाटे को नियंत्रित किया जावे।

(2) भारत सरकार से प्राप्त होने वाली सहायता का संकेत मिलने के पश्चात् इस विषय में स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

(3) दिनांक 11-9-81 को रिजर्व बैंक के ओवर ड्राफ्ट की राशि 90.37 करोड़ रु. थी। बजट में रहे घाटे व ओवर ड्राफ्ट को पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने निम्न कदम उठाये हैं:—

(1) कृषि भूमि को आबादी भूमि में बदलना।

(2) मुख्य खनिजों पर रायल्टी की दरों में परिवर्तन।

(3) यानों के किराये में वृद्धि।

(4) राज्य के आयोजना भिन्न खर्चों का पुनरावलोकन करना।

(5) केन्द्र सरकार से अधिक सहायता प्राप्त करना।

(6) राज्य की आबकारी नीति में परिवर्तन।

टौंक के जनाना अस्पताल में स्वीकृत बैड्स

240. श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) टौंक जनाना अस्पताल में कितनी शैया स्वीकृत हैं ?

(2) वर्तमान जनसंख्या को देखते हुए क्या यह पर्याप्त है तथा वहां की व्यवस्था सन्तोषजनक है ?

(3) यदि नहीं, तो क्या सरकार शैयाओं की संख्या बढ़ाने का विचार रखती है ? यह अस्पताल सम्पूर्ण सुविधा से युक्त कब तक हो जायेगा ?

उत्तर

(1) जनाना अस्पताल टौंक में 20 चिकित्सा तथा 6 पोस्ट पार्टम योजनान्तर्गत कुल 26 रोगी शैयायें बैड्स स्वीकृत हैं।

(2) जी, हां। व्यवस्था ठीक है।

(3) क्योंकि व्यवस्था ठीक है अतः शैयाओं के बढ़ाने का अभी कोई प्रश्न सरकार के यहां विचाराधीन नहीं है।

अजमेर नगर में महिला महाविद्यालय की स्थापना

241. श्रीमती भगवती देवी (पुष्कर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि अजमेर नगर में एक भी राजकीय महिला महाविद्यालय नहीं है तथा प्राइवेट कॉलेज में काफी शोषण होता है ?

(2) क्या सरकार महिला शिक्षा को प्रोत्साहन देने के प्रयोजन स्वरूप अजमेर में एक राजकीय महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) अजमेर नगर राजकीय महाविद्यालय, अजमेर में सह शिक्षा की व्यवस्था है, जिसमें 1059 छात्रायें अध्ययन कर रही हैं। प्राइवेट कॉलेजों में शोषण के संबंधी सरकार की जानकारी में कोई मामला नहीं आया।

(2) उपलब्ध नारी शिक्षा की सुविधाओं को देखते हुये इसकी आवश्यकता नहीं है।

आयुर्वेद विभाग द्वारा हींग की खरीद में अनियमितता

242. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर, पूर्व): क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि वित्तीय वर्ष 1980-81 में आयुर्वेद विभाग द्वारा हींग खरीदी गई थी और उस हींग के निम्न स्तरीय एवं अखाद्य होने की शिकायतें हुई थी ?

(2) क्या यह भी सही है कि शिकायतें होने पर वह हींग सरकार द्वारा उदयपुर तथा जोधपुर रसायन शालाओं में सील कर दी गई थी ?

(3) क्या यह भी सही है कि जांच रिपोर्ट सरकार को मिल गई है और उस हींग को मनुष्यों को खाने योग्य नहीं माना गया है ?

(4) क्या यह भी सही है कि सामान्य बाजार में इस स्तर की खाद्य हींग का भाव उस समय लगभग रुपये 90/- प्रति किलो था और विभाग ने यह हींग रु. 290/- प्रति किलो के भाव से खरीदी, जो कि जांच से अखाद्य सिद्ध हुई ?

(5) क्या सरकार ने इस हींग-खरीद घोटाला काण्ड में क्रेता विभागीय अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है ? यदि हां, तो कृपया पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी हां, रिपोर्ट मिल गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि खाद्यान्न अपमिश्रण अधिनियम, 1954 एवं उसके तहत बनाये गये नियमों के अन्तर्गत इस हींग को निर्धारित शुद्धि के मानदण्ड अनुसार नहीं पाया गया।

(4) आमन्त्रित टेण्डरों में हींग का भाव 72/- प्रति किलो से लेकर 550/- रु. प्रति किलो तक का दर्शाया गया था।

(आयुर्वेद मंत्री) :

7 व्यापारियों में 20 प्रकार की हींग के नमूने प्रेषित किये, आई. पी. टैस्ट में 290/- रुपये किलो एवं 350/- रु. किलो वाली हींग का नमूना उत्तम पाया गया जिसे आयुर्वेदिक पद्धति से परीक्षण करने हेतु तकनीकी समिति में नमूने रखे गये। तकनीकी समिति की राय में नमूने ठीक पाये जाने पर विभागीय भण्डार क्रय समिति के समक्ष रखा गया। क्रय समिति ने उक्त दोनों दरों में न्यूनतम 290/- रुपये प्रति किलो की दर, दरदाता के पक्ष में स्वीकृत करने से हींग को क्रय किया गया था। शिकायत होने पर हींग की जांच चीफ केमीक एनेलिस्ट, जयपुर द्वारा कराई गई और इन्होंने हींग के शुद्धि को निर्धारित मापदण्ड अनुसार नहीं पाया।

(5) सारा मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

आयुर्वेद विभाग के धात्री उप-वैद्यों की पदोन्नति

243. **श्री देवेन्द्र कुमार मीणा** (सराड़ा) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सरकार आयुर्वेद विभाग के योग्यता प्राप्त धात्री उप-वैद्यों को वैद्य पद पर पदोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? नहीं, तो क्यों?

(2) क्या योग्यता धारी धात्री उप-वैद्यों की पदोन्नति के सन्दर्भ में सरकार एक निश्चित कोटा निर्धारित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी नहीं। नियमों में पदोन्नति का प्रावधान नहीं है।

(2) जी नहीं। विभागीय स्तर पर ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

जिला जयपुर की प्राथमिक शालाओं में अध्यापकों की कमी

244. **श्री रामकिशोर मीणा** (सिकराय) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला जयपुर में प्राथमिक शालाओं में कितने अध्यापकों की कमी है? कृपया तहसील वार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) सिकराय पंचायत समिति में कितने अध्यापकों की कमी है? कृपया विद्यालय वार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) इन अध्यापकों की पूर्ति कब तक करदी जायगी?

उत्तर

(1) स्वीकृत पदों के अनुसार अध्यापकों की कमी नहीं है।

(2) स्वीकृत पदों के अनुसार कोई कमी नहीं है।

(3) प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता।

पंचायत निदेशालय द्वारा पोषाहार केन्द्रों के लिये बर्तनों की खरीद

245. **श्री गोपाल पचेरवाल** (पाटन) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि पंचायत निदेशालय द्वारा मार्च, 1981 में पोषाहार केन्द्रों के लिये 20 लाख 83 हजार 58 रुपये के बर्तन खरीदे गये थे? यदि हां, तो कितने बर्तन खरीदे गये?

(श्री गोपाल पचेरवाल)

(2) क्या वर्तन खरीदने से पहले टेण्डर मांगे गये थे? यदि हां, तो कृपया विभाग को कितने टेण्डर प्राप्त हुए? कृपया उन टेण्डरों की एक-एक प्रति सदन के पटल पर रखें।

(3) क्या यह सत्य है कि पोषाहार केन्द्रों तथा बच्चों के लिये दूध एवं तेल कलकत्ता से आ रहा है तथा कलकत्ता से तेल व दूध ट्रांसपोर्टेशन हेतु ट्रांसपोर्ट कम्पनियों से टेण्डर किन्हीं समाचार-पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कर आमंत्रित किये गये थे? यदि हां, तो कितने टेण्डर विभाग को प्राप्त हुए? कृपया टेण्डर्स एवं समाचार-पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों की एक-एक प्रति सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। निदेशालय द्वारा रुपये 20,83,058.18 की राशि के 3,09,314 वर्तन पोषाहार केन्द्रों के लिये क्रय करने के आदेश दिये गये थे।

(2) जी हां। विभाग में 18 टेण्डर प्राप्त हुए थे, जिनकी प्रतियां सदन की मेज पर रखदी गई हैं।

(3) जी हां। टण्डर नोटिस राजस्थान पत्रिका, राष्ट्रदूत एवं दैनिक नवज्योति में प्रकाशित करवाये गये, जिसकी प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं। विभाग में चौदह टेण्डर प्राप्त हुए थे, जिनकी प्रतियां भी सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

अजमेर नगरपालिका के 28 गांवों को पंचायत समिति को सुपुर्द करना

246. **श्रीमती सूरजदेवी मल्होत्रा** (पुष्कर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह की कृपा बताने करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि पुष्कर क्षेत्र के 28 गांव जो इस समय अजमेर नगरपालिका के अधीन हैं, उन्हें अजमेर नगरपालिका से निकाल कर पचायत समिति के अधीन करने की सारी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं? क्या कारण हैं कि उन्हें अभी तक पंचायत समिति के अधीन नहीं सौंपा गया है?

(2) यदि उक्त गांवों को पंचायत समिति के अधीन सौंपने में समय लगेगा तो क्या राज्य सरकार ने इन गांवों के विकास के लिए अजमेर नगरपालिका को कोई अतिरिक्त धन राशि स्वीकृत की है? यदि हां, तो कितनी?

(3) अजमेर नगरपालिका के अधीन आने के बाद जो विकास इन गांवों में हुए हैं, कृपया उनका ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। अजमेर नगर परिषद् क्षेत्र में पुष्कर विधान सभा क्षेत्र के 23 ग्राम हैं। इनमें से इस क्षेत्र के 14 ग्रामों को नगर परिषद् क्षेत्र से निकालने की कार्यवाही चल रही है। नगरपालिकाओं के चुनाव मार्च, 82 तक करवाने के निर्णय के कारण धारा 4 के अन्तर्गत कार्यवाही नहीं की जा रही है।

(2) जी नहीं।

(3) विकास कार्यों का ब्यौरा सदन की मेज पर रख दिया गया है।

विकास कार्यों का ब्यौरा

क्रमांक	नाम ग्राम	परिषद् सीमा में सम्मिलित होने की दिनांक 18-9-75 से आज तक (31-8-81 तक) ग्रामों पर हुए व्यय का विवरण					
		मार्ग	नाली	जन बस्ती	अन्य	योग	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
	विधान सभा क्षेत्र पुष्कर में सम्मिलित ग्राम:						
1.	तबीजी	173389—96	61104—91	5380—86	—	239875—73	जन बस्ती विस्तार की प्रस्तावना है।
2.	काटेड़ा	149459—60	42125—91	18670—00	—	210265—51	
3.	दोराई (सुभाषनगर)	145921—25	36530—31	6379—40	—	187838—96	खाजपुरा व बड़गांव में मीटर लगवाने की जो राशि जमा कराई है, वो इसी में शामिल है। यह कार्य राजस्थान राज्य विद्युत मंडल द्वारा पूर्ण किया जाना है।
4.	संदूड़ी	133941—60	79360—10	734—00	—	214035—70	
5.	मदारपुरा	—	—	—	10000—00	10000—00	
6.	सोमलपुर	—	—	—	15000—00	15000—00	पोल व तार लगे हुए हैं परिषद् द्वारा
7.	रसूलपुरा	37488—66	—	184—00	9301—1[illegible]	46973—84	

Page No 315

(316)

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	चोरसियावास	113775–68	—	23551–00	76224–32	213551–00	ब्रेकिट लगवाने की कार्यवाही की जानी है। इसमें मीटर लगाने की राशि हटूंडी से संबंधित है। जन बत्ती लगाये जाने की प्रस्तावना है। पोल व तार लगे हुए हैं। नगर परिषद् द्वारा ब्रेकिट लगवाने की कार्यवाही की जानी है।
9.	परबतपुरा	—	—	—	—	—	
10.	वड़गांव	—	—	—	—	—	
11.	खानपुरा	—	—	—	—	—	
12.	नोसर	—	—	—	—	—	
13.	माकड़वाली	—	—	—	—	—	
14.	लोहागल	—	—	—	—	—	
15.	भूघरा	—	—	1909–00	—	1909–00	
16.	काकरदा वोना धाप	—	—	—	—	—	
17.	गुवाड़ी	—	—	—	—	—	
18.	सैन्दरिया	—	—	—	—	—	
19.	रूपसर	—	—	—	—	—	
20.	खारखोड़ी	—	—	—	—	—	
21.	हाथीखेड़ा	—	—	—	—	—	
22.	बौराज	—	—	—	—	—	
23.	ग्रजमेर वाके तेलिया	—	—	—	—	—	
	विधान सभा नसीराबाद क्षेत्र में सम्मिलित ग्राम :						
24.	मासुपुरा	49610–07	65542–46	—	—	115152–53	जन बत्ती लगायें जाने की प्रस्तावना है। इसमें मीटर लगाने की राशि हटूंडी से सम्मिलित हैं।
25.	खाजपुरा	—	—	—	—	—	
26.	पालरा	—	—	—	—	—	
27.	नारेली	—	—	—	—	—	

28.	बड़लिया	—	—	—	—	—
29.	किराणीपुरा	—	—	10336—00	—	10336—00
	ग्राम जो क्रमांक 1, 2, 3, 4 एवं 24 पर अंकित हैं, के निर्माण कार्यों में लगाये गये डामर का मूल्य	100200—00	—	—	—	100200—00
	योग ..	903796—82	283671—69	67144—26	110525—50	1365138—27

आयुक्त,
नगर परिषद्, अजमेर।

खादी ग्रामोद्योग बोर्ड

247. श्री भैरूलाल मीणा (उदयपुर ग्रामीण): क्या खादी ग्रामोद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या वर्तमान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड सरकार विरोधी कार्यवाही कर रहा है, इसकी जानकारी सरकार को है और क्या ऐसी शिकायतें मिली हैं ? यदि हां, तो सरकार बोर्ड को भंग क्यों नहीं कर रही है ?

(2) क्या खादी ग्रामोद्योग समिति टोडारायसिंह, जिला टौंक को बिना खादी का काम करने के प्रमाण-पत्र मिले हुए है ? क्या बोर्ड द्वारा सभी नियमों को एक तरफ रख कर बोर्ड से कार्यकारी पूंजी दे दी गई है, जबकि रतनगढ़ (चूरू) के बुनकरों को खादी का प्रमाण-पत्र मिल जाने के बावजूद भी लगभग एक वर्ष से कोई पूंजी नहीं दी जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार को खादी कर्मचारियों एवं कामगारों को न्यूनतम वेतन दिलाने के संबंध में कोई मांग-पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर कब तक क्या कार्यवाही की जाने की आशा है ?

उत्तर

(1) जी, हां। कुछ शिकायतें लिखित व मौखिक प्राप्त हुई है। जो सरकार के विचाराधीन है।

(2) प्रमाण-पत्र देने का कार्य खादी ग्रामोद्योग कमीशन द्वारा गठित केन्द्रीय प्रमाण-पत्र समिति लखनऊ करती है। राजस्थान खादी बोर्ड द्वारा कोई प्रमाण-पत्र जारी नहीं किये जाते । टोडारायसिंह संस्था को बोर्ड द्वारा कोई कार्यकारी पूंजी नहीं दी गई है। रतनगढ़ संस्था को प्रमाण-पत्र तो मिला है परन्तु नियमों के विपरीत कार्य करने के कारण कुछ शिकायतें राज्य बोर्ड को प्राप्त हुई थी अतः बिना जांच किये संस्था को कार्यकारी पूंजी दिया जाना संभव नहीं हुआ।

(3) जी हां। मामला खादी कमीशन एवं राज्य सरकार के बीच चल रहा है।

प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक लि., प्रतापगढ़ द्वारा वितरित ऋण की वसूली

248. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) प्रतापगढ़ प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक लि., प्रतापगढ़, जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा वितरित किये गये ऋण की वसूली में कितने ऐसे ऋणी है जिनमें अवधिपार बकाया हैं ? कृपया वर्ष 1980 तक की सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) अवधिपार बकाया की वसूली की क्या कार्यवाही अब तक की जाती रही है ? वर्ष 1980-81 में इस ओर क्या कदम उठाये गये ?

उत्तर

(1) जी, वर्ष 1980 तक अवधिपार बकाया के 290 ऋणी हैं जिसकी सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) अवधिपार ऋण की वसूली के लिए लगातार प्रयास किया जाता रहा है। निरीक्षक लोग बकायादारों से सम्पर्क कायम कर वसूली करने की चेष्टा करते रहे हैं जिसके फलस्वरूप 135 बकायादारों से 1.94 लाख को बकाया वसूली हुई है। इसके अतिरिक्त 56 बकायादारों से राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम की धारा 106 के अधीन वसूली की कार्यवाही की गई जिससे 49 मामलों में 1.99 लाख की वसूली की गई। अन्य मामलों में व्यक्तिगत सम्पर्क एवं कानूनी प्रक्रिया के अन्तर्गत वसूली की कार्यवाही की जा रही है।

(319)

अवधिपार बकाया की सूची

क्र. सं.	नाम बाकीदार मय वल्दियत	30-6-80 को बकाया अवधिपार ऋण
1	2	3
1.	श्री मेघाभो। मीणा वलोदिया	561.00
2.	श्री वहादुर सिंह। वलवन्तसिह	1820.00
3.	श्री वदिया। थावरा मीणा	2550.00
4.	श्री जीवा। भुवान बनजारा	1284.00
5.	श्री भैरू। नन्दा मीणा	1249.00
6.	श्री मोडा। वरदा	2127.00
7.	श्री हकरिया। हुरजी मेणा	3752.00
8.	श्री दित्या। पोज्या मीणा	450.00
9.	श्री हरिगा। फतिया	1070.00
10.	श्री रामचन्द्र। देवाजी तेली	920.00
11.	श्री हीरा। भगा मीणा	2360.00
12.	श्री मानी। भगवानिया	2300.00
13.	श्री हरजी। हकरा	4001.00
14.	श्री लम्मण। देवा नायक	1070.00
15.	श्री संकरा। धारजी मीणा	2616.00
16.	श्री परथा। भगवाना	1436.00
17.	श्री राजिगा। धन्ना	373.00
18.	श्री बहादुरसिंह। केसरसिंह राजपूत	869.00
19.	श्री जीवण। तेलीया मीणा	5575.00
20.	श्री हरजी। वजीगा मीणा	2700.00
21.	श्री थावरा। भैरिया	6201.00
22.	श्री नगजी। मेघजी	5013.00
23.	श्री गुलाव। नरागलखा	3357.00
24.	श्री पूनिया। जालमा मीणा	1774.00
25.	श्री मांगीलाल। केरु राम सुथार	698.00
26.	श्री बहादुरसिंह। पृथ्वीसिंह	3070.00
27.	श्री उदा। रीडा चमार	6.00
28.	श्री भेगा। गोतम मीणा	4500.00
29.	श्री निर्भयसिंह। रतनसिंह	2540.00
30.	श्री पूनीया। चतरा मीणा	679.00
31.	श्री वेस्ता। लच्छीराम	7469.00
32.	श्री लेखमा। नाथू मीणा	3116.00
33.	श्री हेमला। प्यारा	1680.00

Page No 319

(320)

1	2	3
34.	श्री भेरा। उदा	3249.00
35.	श्री जवानसिंह। कालूसिंह	957.00
36.	श्री मनलिया। पीरू	470.00
37.	श्री कचारिया। नानजी मीणा	2909.00
38.	श्री लेम्बा। हरजी	2572.00
39.	श्री कचरू। केवल गायरी	354.00
40.	श्री मेरा। बालू चमार	2250.00
41.	श्री कचरिया। नन्द जी मीणा	2300.00
42.	श्री लीम्बा। नारीया	984.00
43.	श्री रामचन्द्र। नाथू लाल ब्राह्मण	794.00
44.	श्री बंसी वास। तुलसी दास साध	1000.00
45.	श्री रूना। कालू कुमावत	298.00
46.	श्री नन्दा। लाल नाई	2110.00
47.	श्री पून्या। धन्ना मीणा	5250.00
48.	श्री भैरा। लखमा	1394.00
49.	श्री धन्ना। देवा	1443.00
50.	श्री केसर। किशनसिंह राजपूत	1232.00
51.	श्री आलीया। रतना मीणा	497.00
52.	श्री हुरजी। थावरा	380.00
53.	श्री हरलाल। किशन तेली	1082.00
54.	श्री नानूराम। नाथूजी मीणा	1800.00
55.	श्री हीरा। गौतम मीणा	3650.00
56.	श्री लाबलीया। वेस्ता	995.00
57.	श्री बाल मुकुन्द। चम्पालाल	2045.00
58.	श्री वाला। भीमा मीणा	2000.00
59.	श्री [illegible]न्या। दल्ला भील	1910.00
60.	श्री काना। भैरा मीणा	2450.00
61.	श्री ऊंकार। हीरा नायक	403.00
62.	श्री हकीमखां सालरजग खांन	488.00
63.	श्री हकीमखा। जानिबखा	3400.00
64.	श्री ऊंकार। दीपा मीणा	4900.00
65.	श्री थीकम जी। पूजा मीणा	564.00
66.	श्री वढ़ीया। सावा मीणा	5600.00
67.	श्री गयासिंह। मेहतावसिंह	596.00
68.	श्री चुनी लाल। नाथूजी	08.00
69.	श्री कालिया पिता उकार मीणा	4767.00
70.	श्री राम लाल पिता भैरा नाई	2412.00
71.	श्री हरिया पिता होम जी	1100.00
72.	श्री जीया पिता गुमना	3000.00
73.	श्री मदन लाल पिता जमना लाल दर्जी	2500.00
74.	श्री जूकरा पिता देवा मीणा	611.00
75.	श्री अमृत राम पिता भैरा मीणा	820.00

1	2	3
76.	श्री मोहम्मद रफीक पिता बहादुर खाँ	51.00
77.	श्री पूजा पिता काना मीणा	2067.00
78.	श्री गंदा पिता भैरा मीणा	1707.00
79.	श्री पूना पिता मोती मीणा	304.00
80.	श्री ऊंकार पिता देवा मीणा	1371.00
81.	श्री मला पिता रालिग मीणा	4593.00
82.	श्री काला पिता बाग जी	6070.00
83.	श्री मदन लाल पिता गुलाब जी तेली	1080.00
84.	श्री बुगज दास पिता रघुनाथ बैरागी	1639.00
85.	श्री वेस्ता पिता जगर्जा मीणा	793.00
86.	श्री जुझार पिता हरदा मीणा	2819.00
87.	श्री माला पिता भैरा मीणा	2426.00
88.	श्री गोपी लाल पिता देवा मीणा	264.00
89.	श्री रालिगा पिता बीरमा मीणा	2168.00
90.	श्री गागा पुत्र पूजा	850.00
91.	श्री धनुऊ पुत्र देवा मीणा	1347.00
92.	श्री मदन सिह पुत्र श्री हिन्दु सिह	8627.00
93.	श्री वरदी चन्द पिता कालू कुलमी	651.00
94.	श्री हरजो पुत्र नाथू मीणा	1676.00
95.	श्री नगती पुत्र मोतया मीणा	1232.00
96.	श्री कन्हैया लाल पिता मोती लाल	4797.00
97.	श्री राम सिंह पिता देवी सिंह	890.00
98.	श्री बरदा पिता किशन	1354.00
99.	श्री मधा पिता नाथू मीणा	1007.00
100.	श्री लाल सिंह पिता बुधान सिंह	713.00
101.	श्री गोरधन पिता देवा चमार	1608.00
102.	श्री काना पिता नन्दा मीणा	2081.00
103.	श्री जसवंश सिंह पिता बहादुर सिंह	3037.00
104.	श्री कैलाश चन्द्र पिता गोरधन सिंह	3214.00
105.	श्री भैरा पिता हल्ला	7459.00
106.	श्री रूपा पिता विजया मीणा	1570.00
107.	श्री मेधना पिता भैरा मीणा	2600.00
108.	श्री उदया राम पिता रामा कुलमी	815.00
109.	श्री अब्दुल रहीम पिता करीम बक्स	3400.00
110.	श्री सुखवा पिता नाथू जी	454.00
111.	श्री बजीगा पिता दलिया मीणा	4100.00
112.	श्री धूलर पिता खेमा मीणा	359.00
113.	श्री मन्ना पिता कनजो	1369.00
114.	श्री ऊंकार लाल पिता जीव राज कुलमी	202.00
115.	श्री हीरीया पिता मांगा मीणा	1900.00
116.	श्री चीरीया पिता हुरीया मीणा	156.00
117.	श्री राया पिता नाथू मीणा	279.00

Page No 321

(321)

1	2	3
118.	श्री राजीगां पिता सवाभील	3000.00
119.	श्री लखमा पिता गोरा बन्जारा	1900.00
120.	श्री रूड सिंह पिता अर्जुन सिंह	—
121.	श्री हरिराम पिता रोडा	2900.00
122.	श्री गोतम पिता देवराज कुलमी	552.00
123.	श्री लालिया पिता जुआ मीणा	2700.00
124.	श्री मूलना पिता कल्या मीणा	1468.00
125.	श्री परथा पिता थावरिया	5000.00
126.	श्री देव जी पिता मोती	3985.00
127.	श्री मोहन लाल पिता पन्ना लाल दर्जी	3150.00
128.	श्री नूरा पिता मुखिया कुतवा	1172.00
129.	श्री देवजी पिता रतना मीणा	3700.00
130.	श्री रामचन्द्र पिता ऊंकार मल	4300.00
131.	श्री रूपा पिता मोती	1133.00
132.	श्री तुलसीराम पिता तजराम खरीक	1881.00
133.	श्री ताराचन्द पिता चतुर्भुज	609.00
134.	श्री ओघड पिता केसर गुजर	2000.00
135.	श्री वरा पिता रामा मीणा	2092.00
136.	श्री जोध्यां पिता जमान मीणा	3550.00
137.	श्री प्यारा पिता लाला मीणा	3150.00
138.	श्री तेजा पिता तख्ता मीणा	1298.00
139.	श्री दलिया पिता आसियां चमार	2300.00
140.	श्री हुरजी पिता सरदारा भील	1800.00
141.	श्री बदिया पुत्र भैरा मीणा	3050.00
142.	श्री बालमुकन्द पुत्र अमृत राम	322.00
143.	श्री पुष्पा पुत्र देवा भील	1100.00
144.	श्री कानजी पुत्र थावरा भील	1200.00
145.	श्री केरीगा पुत्र हिन्दूड़ा	1200.00
146.	श्री नागेन्द्र पुत्र त्रिभुवन	—
147.	श्री किशन पुत्र भगवानिया	700.00
148.	श्री रमेश चन्द्र पुत्र कान्तीलाल	2500.00
149.	श्री हरजी पुत्र धरमा मीणा	505.00
150.	श्री आशा राम पुत्र मुवाना	1100.00
151.	श्री भूतियां पुत्र कालू मीणा	1300.00
152.	श्री खेमा पुत्र बुद्धा चमार	1400.00
153.	श्री रूपा पुत्र मुवाज मीणा	2684.00
154.	श्री गोतम पुत्र प्यारा	4200.00
155.	श्री हीरा पुत्र चन्दा मीणा	1600.00
156.	श्री कुलदीप सिंह पुत्र रामदेव सिंह	800.00
157.	श्री मंगला पुत्र नाथू चमार	—
158.	श्री गुला पुत्र गुलाव मीणा	3500.00
159.	श्री नाथू पुत्र प्यारा	1030.00
160.	श्री दौलतराम पुत्र कथारो राम	800.00

Page No 322

1	2	3
161.	श्री रतन पुत्र वालू लुहार	1500.00
162.	श्री वगड़ी राम पुत्र रूपा	1500.00
163.	श्री होतीया पुत्र चत्रा मीणा	1498.00
164.	श्री बहुरा पुत्र पुतेजा मीणा	1135.00
165.	श्री सेवा पुत्र काना	4012.00
166.	श्री हीरा पुत्र नागजी	3352.00
167.	श्री नाथू पुत्र गनना	737.00
168.	श्री नानजी पुत्र हरजी	9851.00
169.	श्री उपजी पुत्र प्यारा	9851.00
170.	श्री हिरिया पुत्र भग	2664.00
171.	श्री हमेरा पुत्र गल्ला	692.00
172.	श्री कचरू पुत्र भुवाना	553.00
173.	श्री वेरू पुत्र गुमान	1448.00
174.	श्री कालू पुत्र पूजा	1599.00
175.	श्री हीरा पुत्र वेल्ता	3083.00
176.	श्री वोटणा पुत्र केसूराम	4665.00
177.	श्री रूपा पुत्र मोंगा चमार	746.00
178.	श्री अमरा पुत्र देवा मीणा	2620.00
179.	श्री नाथू पुत्र चोखा	1721.00
180.	श्री पूंजिया पुत्र वावरिया मीणा	2398.00
181.	श्री रागा पुत्र रामा चमार	1064.00
182.	श्री थावरिया पुत्र मेहरा मीणा	4013.00
183.	श्री अम्बा लाल पुत्र नाथू चमार	4546.00
184.	श्री वरदा पुत्र कसूराम चमार	3106.00
185.	श्री वरदा पुत्र प्यारा चमार	3891.00
186.	श्री लच्छा पुत्र मल्ला मीणा	2485.00
187.	श्री भेरा पुत्र मदा मीणा	795.00
188.	श्री होमला पुत्र ओंकार	3459.00
189.	श्री थावरिया पुत्र मेडा	6994.00
190.	श्री कोजलिया पुत्र कुशाला	1411.00
191.	श्री रतन पुत्र धन्ना	343.00
192.	श्री भुवाना पुत्र सरदारा	2773.00
193.	श्री रकमा पुत्र कुशाला	2469.00
194.	श्री रावजी पुत्र केरोंग	8901.00
195.	श्री कलिया पुत्र खेमा	1555.00
196.	श्री अर्जुन पुत्र मेधा	1861.00
197.	श्री पूलजी पुत्र सवा	2964.00
198.	श्री आसिया देवा मीणा	1830.00
199.	श्री किशन पुत्र मेरा	3258.00
200.	श्री वजींदा पुत्र लाला	4551.00
201.	श्री हीरा पुत्र नारू	1869.00
202.	श्री जालिया पुत्र जीवणा	1004.00
203.	श्री काना पुत्र नारू	785.00

Page No 323

(324)

1	2	3
204.	श्री टरजी रखिया पटार	13171.00
205.	श्री नालिया लखमा	1729.00
206.	श्री ऊंकार रूपा	2966.00
207.	श्री हल्जी बगदीराम मीणा	740.00
208.	श्री लरू मोडा	2632.00
209.	श्री प्यारा ऊंकार	1299.00
210.	श्री निर्मयसिंह गोतम	2783.00
211.	श्री भगा धारजी मीणा	2469.00
212.	श्री हरीराम प्रेमचन्द	2402.00
213.	श्री थावर दल्ला मीणा	3979.00
214.	श्री खात्या गोतम	1494.00
215.	श्री विष्णु वसन्ती	1715.00
216.	श्री कमजी काना मीणा	2190.00
217.	श्री भैरा सवा मीणा	2200.00
218.	श्री साभरसिंह/मगवानसिंह	4407.00
219.	श्री कात्या नारजी	3178.00
220.	श्री लाल/नाथू	510.00
221.	श्री गाबरीया रागीर	1233.00
222.	श्री मांगलाल चम्पालाल	960.00
223.	श्री बालमुकन्द भैरू लाल	821.00
224.	श्री वक्तीया कवजी मीणा	1983.00
225.	श्री हुरजी दलिया	1734.00
226.	श्री गुवरीया/प्यारा	2056.00
227.	श्री हुरजी पूना	5976.00
228.	श्री दीपलाल वजराम	1216.00
229.	श्री थावरा नाथू	928.00
230.	श्री मांगीलाल बगदीराम	3240.00
231.	श्री किशनलाल/धार्सी मीणा	3359.00
232.	श्री देवजी रखवा मीणा	3483.00
233.	श्री नन्दा लाला मीणा	2241.00
234.	श्री देवा लाला	3014.00
235.	श्री बावरू ऊंकार	3425.00
236.	श्री अमृत राम कालू मीणा	2388.00
237.	श्री रूपा हरजी बलाई	2219.00
238.	श्री कैलाश गिरी बालूगिरी	2220.00
239.	श्री धन्ना नाथू बलाई	1842.00
240.	श्री रतनलाल/ेक्या डांगी	2495.00
241.	श्री नन्दालाल जगनाथ	2059.00
242.	श्री हाशम पीरू मुसलमान	3469.00
243.	श्री रामा/ऊंकार मीणा	132.00
244.	श्री भावा खमजी	1159.00
245.	श्री रेस्ता ऊंकार	1403.00
246.	श्री चनीया बेरा कुमावत	2596.00

Page No 324

325

1	2	3
247.	श्री छगन।गरधन नाई	755.00
248.	श्री मूला।मूला मीणा	4535.00
249.	श्री केस्तरा।नन्दा मीणा	3181.00
250.	श्री मोहनसिंह।किसनसिंह	4275.00
251.	श्रीमती केसेर।मति पत्नि देवा	931.00
252.	श्री बुलाब।भज्जा चमार	1435.00
253.	श्री रतन।गुलाब	948.00
254.	श्री नगला।हीरा	1702.00
255.	श्री मोहनलाल।किसन लाल	503.00
256.	श्री नाथू।केसा मीणा	2708.00
257.	श्री सम्भू।सेवा	1655.00
258.	श्री नागजी।देवजी मीणा	3644.00
259.	श्री अमृत।मांगीलाल ग्रा.	1119.00
260.	श्री निर्भयसिंह।गौतमसिंह	3380.00
261.	श्री गोवर्धन।लालसिंह	852.00
262.	श्री देवजी।खेमा मीणा	5827.00
263.	श्री बन्सी लाल।तुलसीराम	1000.00
264.	श्री नन्दा।घासी	4339.00
265.	श्री बगदीराम।नोला कलार	1988.00
266.	श्री उदा।लखमा मीणा	882.00
267.	श्री भाणजी।नानजी मीणा	1150.00
268.	श्री देवा।लालजी	2000.00
269.	श्री रामा।कालू कुम्हार	662.00
270.	श्री नाथू।दीपा मीणा	5235.00
271.	श्री कचरा।माना मीणा	1276.00
272.	श्री दत्या।भगा	2863.00
273.	श्री नाथू।प्यारा मीणा	2054.00
274.	श्री भगवती।खेमा मीणा	3461.00
275.	श्री बगदीराम।मोडी	387.00
276.	श्री हमेरा।देवा मीणा	2004.00
277.	श्री मोती।देवा मीणा	4939.00
278.	श्री रीडमल।किसनजी टूरो	1932.00
279.	श्री फकीर चन्द।गुलाब मीणा	700.00
280.	श्री लाला।नन्दा मीणा	1114.00
281.	श्री ऊंकार।दत्या	637.00
282.	श्री कालू।हरजी	5464.00
283.	श्री वेस्ता।जोख्या मीणा	4933.00
284.	श्री चम्पालाल।केवरजी	1254.00
285.	श्री मेरिया।ऊंकार मीणा	929.00
286.	श्री भंवरसिंह।भूरसिंह	2737.00
287.	श्री मांगीलाल।बगदीराम	1276.00
288.	श्री हवजी।मोती मीणा	1398.00
289.	श्री दौलतराम।मरथा	3157.00
290.	श्री रगजी।जीवणजी	2930.00

मंदिर गोकुल चन्द्रमा, कामां (भरतपुर) की चांदी बेचने का मामला

249. श्रीमती विद्यापाठक (सांगानेर): क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या मन्दिर गोकुल चन्द्रमा, कामां (भरतपुर) के दस किलोग्राम सोना और 400 किलोग्राम चांदी वेचने का मामला सरकार की जानकारी में है ?

(2) क्या यह सही है कि सहायक आयुक्त देवस्थान द्वारा नियम विरुद्ध विना किसी जांच के यह अनुमति ट्रस्टीज को दे दी गयी थी ?

(3) क्या उपरोक्त विक्रय की अनुमति में क्षेत्रीय सलाहकार समिति की अनुमति ले ली गयी थी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) यदि उपरोक्त कार्यवाही को सरकार गलत समझती है, तो इस विषय में अब तक किस-किस पर क्या-क्या कार्यवाही की गयी ?

(5) विक्रय से प्राप्त धनराशि का क्या हुआ ?

उत्तर

(1) जी हां। मन्दिर श्री गोकुल चन्द्रमा जी, कामां जिला भरतपुर का9,165 ग्राम सोना प्रत्यासियों द्वारा वेचे जाने की जानकारी राज्य सरकार को है ।

(2) इस सम्बन्ध में जांच करवाई जा रही है ।

(3) जी हां ।

(4) जांच के पश्चात् यदि कोई अनियमितता पाई गई तो नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

(5) सोने के विक्रय से प्राप्त राशि प्रत्यासियों ने बैंक आफ बड़ोदा बम्बई में एफ. डी. में जमा कराया जाना बताया है ।

पचपदरा तहसील में कृषि विपणन बोर्ड द्वारा सड़क निर्माण

250. श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या पचपदरा तहसील में कृषि विपणन बोर्ड द्वारा मेवानगर से सिणली, बालोतरा से मुंगड़ा, पचपदरा सिटी में कबूतरों के चबूतरे से माहेश्वरियों का मौहल्ला और डोली से गोदावास तक डामर की सड़क के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है ? यदि हां, तो कुल कितनी राशि की तथा कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है या नहीं ? यदि नहीं, तो कार्य कब प्रारम्भ हो जावेगा ?

उत्तर

मेवानगर से सिणली, डोली से गोदावास शिवनगरी तथा कुण्डल से रमणिया तक सड़कें राज्य सरकार ने कृषि उपज मण्डी समिति, बालोतरा की राशि से बनाने की स्वीकृति प्रदान कर दी है । इन तीनों सड़कों की अनुमानित लागत राशि 11.75 लाख रुपये है । उपरोक्त तीनों ही सड़कों का निर्माण कार्य अकाल राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रारम्भ कर दिया गया है ।

शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, जोधपुर का विश्वविद्यालय से सम्बन्ध होना

251. श्री सूरजपालसिंह (भीनमाल) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या 1958 में शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, जोधपुर की स्थापना से 23

(श्री सूरजपाल सिंह)
वर्ष बीत जाने के पश्चात् भी इस महाविद्यालय का राजस्थान के किसी भी विश्वविद्यालय से संबंध जुड़ा हुआ नहीं है ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस महाविद्यालय में चार प्रशिक्षकों की जगह लम्बे समय से रिक्त थी ? क्या यह भी सही है कि प्रधानाचार्य राजकीय शारीरिक महाविद्यालय द्वारा चार रिक्त पदों पर प्रशिक्षकों की नियुक्ति की मांग किये जाने पर रिक्त पदों को भरे जाने के बजाय चार प्रशिक्षकों के और स्थानान्तरण बीकानेर कर दिये ?

(3) क्या यह भी सही है कि प्रधानाचार्य द्वारा निदेशक को यह लिखे जाने पर कि इन चार प्रशिक्षकों को कार्य मुक्त करने से महाविद्यालय के कार्य के सुचारू संचालन एवं परीक्षाओं में बाधा उत्पन्न होगी, निदेशक द्वारा प्रशिक्षकों के इन पदों को वापस ले कर निदेशालय बीकानेर को आवंटित कर दिये ? एवं बजट प्रावधान को भी निदेशालय बीकानेर को स्थानान्तरित कर दिया ?

उत्तर

(1) जी, हां। राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय जोधपुर की स्थापना से लेकर आज तक उक्त संस्था द्वारा चलाये जा रहे सर्टिफिकेट कोर्स तथा डिप्लोमा कोर्स का संबंधीकरण राजस्थान के किसी भी विश्वविद्यालय से नहीं है।

(2) जी, नहीं। महाविद्यालय के लिये प्रशिक्षकों के स्वीकृत पद नहीं हैं।

(3) स्वीकृत पद न होने के कारण इस प्रस्ताव को मानना संभव नहीं हुआ।

शिक्षण क्षेत्र में जिला झालावाड़ का पिछड़ापन

252. श्री बालचन्द्र आर्य वीर (डग) एवं श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला झालावाड़ शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा से पिछड़ा रहा है ? वर्तमान में जिला झालावाड़ में कितने कॉलेज, हायर सैकण्डरी, सैकण्डरी, मिडिल और प्राइमरी स्कूल्स कहां-कहां कौन-कौन से शहर, कस्बे में चल रहे हैं ?

(2) क्या झालावाड़ के मिसरोली गांव में बहुत ही पुराना मिडिल स्कूल है ? क्या वहां वर्तमान में बिल्डिंग, विद्यार्थियों की संख्या पूर्ण है ? क्या सरकार उस मिडिल स्कूल को सैकण्डरी स्कूल में क्रमोन्नत करने का विचार रखती हैं ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। झालावाड़ शिक्षा की दृष्टि से प्रदेश के पिछड़े हुए जिलों में से एक जिला है। वर्तमान में झालावाड़ जिले में चल रहे कॉलेज, हायर सैकण्डरी, सैकण्डरी, व मिडिल स्कूलों के नामों व प्राइमरी स्कूलों की ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों की संख्या की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) झालावाड़ जिले के मिसरोली गांव में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय है। सत्र 1981-82 में राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश में किसी भी राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने का प्रावधान नहीं किया है।

झालावाड़ जिले में चल रहे कॉलेज व हायर सैकण्डरी, सैकण्डरी मिडिल स्कूलों के नामों व प्राइमरी स्कूलों की ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों की संख्या की सूची

कॉलेज

1. राजकीय महाविद्यालय, झालावाड़ स्नातकोत्तर स्तर
2. बिड़ला कॉलेज (अराजकीय) भवानीमंडी स्नातक स्तर

हायर सैकेण्डरी स्कूल्स :

क्र. सं.	पंचायत समिति का नाम	स्कूलों की संख्या	शहरी	कस्बा
1	2	3	4	5
1.	—	7	1. झालावाड़ 2. भवानीमंडी 3. पिड़ावा 4. झालावाड़ (कन्या)	1. मनोहरथाना 2. गंगधार 3. बकानी

सैकेण्डरी स्कूल्स :

क्र. सं.	पंचायत समिति का नाम	स्कूलों की संख्या	शहरी	कस्बा
1.	—	34	1. झालरापाटन 2. झालरापाटन (कन्या) 3. भवानीमंडी (कन्या) 4. पिड़ावा (कन्या) 5. सुनेल (कन्या)	1. अकलेरा 2. सुनेल 3. डग 4. खानपुर 5. असनावर 6. गरनावद 7. रायपुर 8. सारोला 9. भालता 10. दहीखेड़ा 11. हेमड़ा 12. पनवाड़ 13. रटलाई 14. हरीगढ़ 15. पचपहाड़ 16. सलावद 17. मिसवाड़ी 18. धाबर

1	2	3	4	5
				19. कनवाड़ा 20. घाटोली 21. गाडरवाड़ा नरजी 22. जावर 23. सोजपुर 24. दांता 25. अकलेरा (कन्या) 26. खानपुर (कन्या) 27. बकानी (कन्या) 28. मनोहरथाना (कन्या 29. चौमहला (कन्या)
मिडिल स्कूल्स				
1. झालरापाटन		121	1. आदर्श झालावाड़ 2. मो. ने. कन्या 3. आ. मंगलपुरा कन्या 4. विवेकानन्द कन्या 5. लालबाग झालरापाटन 6. गांधी ,, 7. आदर्श भवानीमंडी 8. नूतन भवानीमंडी 9. पिड़ावा 10. सुनेल 11. संगीत झालावाड़ 12. झालावाड़ कन्या 13. झालरापाटन (कन्या)	1. बडोदिया 2. मिश्रोली 3. पीपल्या 4. झूमकी 5. झा. रोड 6. डूंगरगांव 7. मंडावर 8. जनाखेड़ा 9. घटोद 10. आंवली कलां 11. समराई 12. डोंडा 13. गुराड़िया जोगा 14. मोगरा 15. माणकपुर 16. रूण्डलाव 17. भंवरासर 18. दुर्गपुरा 19. अगतासा 20. श्यामपुरा 21. खानपुरिया 22. सिघानियां 23. रायपुर कन्या 24. जसनावर कन्या 25. पचपहाड़ कन्या
2. मनोहरथाना		—	—	26. चुरेलिया 27. मनावद 28. देवरी कलां 29. कोल्हू खेड़ी

330

1	2	3	4	5
				30. ल्हास
				31. सरेड़ी
				32. चन्दीपुर
				33. वनेठ
				34. आंवलहेड़ा
				35. बांसखेड़ी
				36. थरोल
				37. मनोहरथाना
				38. अकलेरा
				39. खाताखेड़ी
3. खानपुर		—	—	40. मूडला
				41. वोलाना
				42. तारज
				43. जोलपा
				44. भगवानपुरा
				45. समर
				46. धानोद कला
				47. लायफल
				48. जरगा
				49. वाघेर
				50. मऊबोदा
				51. पीपलादज
				52. आकोदिया
				53. मालनवासा
				54. डूंडीगाडरवाड़ा
				55. खानपुर
				56. खंडी
				57. करणवास
				58. दहीखेड़ा कन्या
4. डग		—	—	59. सारोला कलां कन्या
				60. दुधलिया
				61. करावन
				62. उन्हेलनागेश्वर
				63. कूंडला
				64. तलावली
				65. नन्दपुर
				66. सिलेहगढ़
				67. डोंडी
				68. रामपुरा
				69. रोझाना
				70. बनी
				71. डग कन्या
				72. गंगधार कन्या

1	2	3	4	5
5.	बकानी	—	—	73. रीछवा
				74. गेहूं खेड़ी
				75. रीझोन
				76. बढाय
				77. पंचोला
				78. बेरागढ़
				79. सरडा
				80. मोड़ी
				81. गुरुकुल बकानी
				82. गेरवाड़ा
				83. नसीराबाद
				84. उमरिया
				85. पाटलियाकुल्मी
				86. रटलाई कन्या
6.	पिड़ावा	—	—	87. कोटड़ी
				88. श्रोसाव
				89. दीवलखेड़ा
				90. सांगरिया
				91. सलोतिया
				92. कड़ोदिया
				93. छशोनिया
				94. उन्हेल (सुनेल)
				95. हिम्मतगढ़
				96. सुवांस
				97. ढावला खींची
				98. सालरी
				99. मगीसपुर
				100. माथलियां
				101. चछलाव
				102. सिरपोई
				103. गादियां
				104. रमायदलपत
				105. खारपा कलां
				106. नन्दपुरा
				107. बोलियावजुर्ग
				108. ढावला भोज
7.	प्राइमरी		शहरी संख्या	ग्रामीण संख्या
			1. झालावाड़-6	1. झालरापाटन-130
			2. झालरापाटन-3	2. खानपुर-80
			3. भवानीमंडी-3	3. मनोहरथाना-108
			4. पिड़ावा-2	4. डग-104
			5. सुनेल-1	5. पिड़ावा-104
				6. बकानी-75

स्वास्थ्य केन्द्र/ औषधालयों में दवाइयों की समुचित व्यवस्था

253. श्री माधोसिंह दीवान (सोजत) एवं श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) ऐसे कितने विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र हैं जिनमें अभी तक एक भी स्वास्थ्य केन्द्र नहीं खोले गये हैं। कृपया सूची सदन की मेज पर रखे।

(2) उन विधान सभा क्षेत्रों में जहां अभी तक स्वास्थ्य केन्द्र व औषधालय नहीं खोले गये हैं वहां पर अब स्वास्थ्य केन्द्र व औषधालय खोलने हेतु सरकार कब तक विचार कर रही है ?

(3) क्या यह सही है कि स्वास्थ्य केन्द्रों व औषधालयों में पर्याप्त मात्रा में ग्रामीणों को दवाई बाजार से खरीदनी पड़ती है ? क्या सरकार ने बजट में इस संबंध में पर्याप्त मात्रा में दवाइयां देने हेतु प्रावधान कर रखा है? यदि हां, तो फिर भी दवाइयां न मिलने का क्या कारण है ?

(4) क्या सरकार इस सम्बन्ध में जांच करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) ऐसी कोई पंचायत समिति नहीं है जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य एवं उप-स्वास्थ्य केन्द्र पंचायत समिति क्षेत्रों के आधार पर खोले जाते हैं न कि विधान सभा क्षेत्र के आधार पर।

(2) प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

(3) जी, हां। राज्य के सीमित वित्तीय प्रावधान से केवल मूल आवश्यकता का अंश मात्र दवा स्वास्थ्य केन्द्रों औषधालयों से देना संभव है। प्रत्येक रोगी की सारी बीमारियों की आवश्यकतानुसार समस्त दवा देना संभव नहीं है।

(4) प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

जिला बीकानेर के ग्राम भलूरी के औषधालय में वैद्य की अनुपस्थिति

254. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला बीकानेर में ग्राम भलूरी के आयुर्वेदिक औषधालय में गत 14 माह से वैद्य अनुपस्थित है ? यदि हां, तो क्या जिला आयुर्वेद अधिकारी ने शिकायत प्राप्त होने पर भलूरी में जांच के समय शिकायतकर्त्ता को जांच की सूचना दी थी ? यदि नहीं, तो क्यों ? कृपया शिकायत पत्र की प्रति सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि ग्राम वरसलपुर के होम्योपैथिक औषधालय का डॉक्टर डेढ़ वर्ष से अनुपस्थित है ? यदि हां, तो सरकार वरसलपुर व भलूरी में डॉक्टर तथा वैद्य भेजने की व्यवस्था कब तक करने का विचार रखती है ?

(3) क्या यह सही है कि वरसलपुर में पूर्व में कार्यरत डॉक्टर श्री हरफूल सिंह को अनुपस्थित रहने के कारण दिनांक 23-9-1980 को निलम्बित कर दिनांक 18-12-1980 को जांच विचाराधीन करते हुए पुनः प्रतिष्ठापित किया गया था ? यदि हां, तो क्यों ? दिनांक 19-12-1980 को जारी आरोप-पत्र में अब तक जांच किस स्थिति में है ? कृपया आरोप-पत्र की प्रति सदन के पटल पर रखें।

(श्री देवीसिंह भाटी)

(4) क्या सरकार भविष्य में वैद्य व डाक्टर की ऐसे दूर-दराज गांवों में उपस्थिति प्रमाणीकरण हेतु संबंधित ग्राम के सरपंच अथवा वार्ड पंच द्वारा उपस्थिति प्रमाणित करने पर ही संबंधित अधिकारी को वेतन राशि देने की व्यवस्था करेगी ? क्या यह सही है कि पूर्व में बीकानेर के जिला आयुर्वेद अधिकारी ने इस प्रकार के निर्देश भी जारी किये थे परन्तु उनकी अनुपालना नहीं हो रही है ?

उत्तर

(1) जी नहीं । वैद्य की अनुपस्थिति के बावत पूर्व में माननीय सदस्य महोदय की एक शिकायत निदेशालय को प्राप्त हुई है, न कि जिला आयुर्वेद अधिकारी, बीकानेर को । इस शिकायत पर जांच जिला आयुर्वेद अधिकारी, बीकानेर द्वारा की जा रही है । जांच के दौरान माननीय विधायक महोदय को भी सूचित करने हेतु जिला आयुर्वेद अधिकारी को लिख दिया गया है । शिकायत पत्र की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(2) दिनांक 23-9-80 के बाद से पद रिक्त हैं । वर्तमान में आयुर्वेद औषधालय, भलूरी में वैद्य श्री युगल किशोर कार्यरत है । होम्योपैथिक डाक्टर की नवीन नियुक्तियों के संबंध में राजस्थान उच्च न्यायालय से स्थगन आया हुआ है । न्यायालय के निर्णयोपरान्त ही बरसलपुर में होम्योपैथ की नियुक्ति संभव हो सकेगी ।

(3) जी, हां । उक्त डाक्टर के विरुद्ध जांच सी. सी. ए. रूल्स की धारा 17 के तहत की जा रही है अतः पदस्थापन अन्यत्र किया जाकर पुनः प्रतिष्ठापित किया गया है क्योंकि कर्मचारी से आरोप-पत्र का उत्तर प्राप्त हो गया है, जिसका परीक्षण जिला आयुर्वेदाधिकारी, बीकानेर द्वारा कराया जा रहा है । आरोप-पत्र की प्रतिलिपि सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(4) जी, नहीं । जिला आयुर्वेद अधिकारी, बीकानेर द्वारा भी पूर्व में ऐसे निर्देश जारी नहीं किये गये हैं ।

प्रतिलिपि पत्र क्रमांक निल दिनांक 28-5-81 द्वारा देवी सिंह भाटी, सदस्य राजस्थान विधान सभा, कोलायत (बीकानेर) वास्ते निदेशक आयुर्वेद विभाग, अजमेर ।

विषयः—राजकीय आयुर्वेद औषधालय, भलूरी में वैद्य की लम्बे समय से अनुपस्थिति बावत ।

महोदय,

उपरोक्त विषय राजस्थान विधान सभा में भी उठाया गया था तदुनपरान्त जिला आयुर्वेद अधिकारी, बीकानेर का पत्र क्रमांक प्रति (1) शि./80-81, दिनांक 29-2-81 मुझे मिला जिसमें जून, 80 से प्रभारी वैद्य श्री यादाराम का भलूरी से अनुपस्थित होना माना तथा वैद्य नागर मल शर्मा प्रतिनियुक्त करने के उपरान्त भी नहीं पहुंचा । वर्तमान में वैद्य श्री यमुनालाल की नियुक्ति 17-1-81 से करनी बताई गई परन्तु आज के दिन भी वैद्य अनुपस्थित है ।

पूर्व की शिकायत पर उप-सरपंच व अन्य ग्रामीणों को गुमराह कर हस्ताक्षर करवा लायें जिसकी जानकारी में भी नहीं है । भविष्य में जांच के दौरान मुझे सूचित करें जिससे मौके पर सही जांच हो सके । ग्रामीण सीमाई क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए शीघ्र वैद्य

335

भेजने की व्यवस्था करें, तथा पूर्व में कार्यरत वैद्यों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई सूचित करें ।

कार्यालय निदेशक, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान, अजमेर

क्रमांक:— नोटिस II दिनांक.....

प्रेषिति:

श्री हरफूलसिंह, होम्योपैथिक चिकित्सक,

द्वारा:—जिला आयुर्वेद अधिकारी, झुंझुनू ।

विषय:—अनुशासनात्मक कार्यवाही विरुद्ध श्री हरफूलसिंह, होम्योपैथिक डाक्टर द्वारा जिला आयुर्वेद अधिकारी, झुंझुनू अन्तर्गत राज. असैनिक सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के तहत

आपके विरुद्ध जो आरोप विवरण-पत्र तैयार किया गया है, उसे इस नोटिस के साथ संलग्न कर आपको सूचित किया जाता है कि आरजी रूप से तय किया गया है कि आपके विरुद्ध राजस्थान असैनिक सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही करते हुए दण्डित किया जाये ।

इस संबंध में जो भी आप, प्रतिवेदन पेश करेंगे उस पर प्रस्तावित कार्यवाही करने से पूर्व गौर किया जावेगा । यदि कोई ऐसा प्रतिवेदन (जवाब) प्रस्तुत करना हो तो वह लिखित रूप में आपके यह नोटिस मिलने के 15 (पन्द्रह) दिन के भीतर भीतर निम्न हस्ताक्षरित अधिकारी के पास पहुंच जाना चाहिए एवं इसकी प्राप्ति की सूचना भेजें ।

ह.
अति. निदेशक

क्रमांक—शि. 37380।3608495 दिनांक 19-12-80

प्रतिलिपि—

(1) जिला आयुर्वेद अधिकारी, झुंझुनू को वास्ते तामील एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु दी जाती है ।

ह:
अति. निदेशक

राजस्थान सरकार
आयुर्वेद विभाग, राजस्थान, अजमेर

आरोप पत्र विरुद्ध श्री हरफूलसिंह, होम्योपैथिक डाक्टर द्वारा जिला आयुर्वेद अधिकारी, झुंझुनू अन्तर्गत राजस्थान असैनिक सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के तहत ।

335

यह कि उक्त श्री हरफूलसिंह जब राजकीय होम्योपैथिक औषधालय, बरसलपुर (बीकानेर) में कार्यरत था तब सेवा से अनुपस्थित रहने के संबंध में उक्त कर्मचारी के विरुद्ध सूचनायें प्राप्त होने पर उप-निदेशक, आयुर्वेद विभाग, बीकानेर व जिला आयुर्वेद अधिकारी, बीकानेर से जांच करवाई जाने पर उनकी जांच क्रमांक दिनांक 25-7-80 व 17-8-80 के तहत निम्न लिखित आरोप उक्त कर्मचारी के विरुद्ध प्रमाणित पाये गये हैं।

1. यह कि उक्त कर्मचारी उक्त औषधालय में माह 15-3-80 तक कार्यरत रहा और इस अवधि तक को उसने अपनी माहवारी दैनिक उपस्थितियों का मानचित्र जिला आयुर्वेद अधिकारी कार्यालय, बीकानेर को प्रेषित करके माह मई, जून, 80 का वेतन फर्जी उपस्थितियों पर उठाया।

2. यह कि दिनांक 19-7-80 से 5-8-80 तक का कोई अवकाश प्रार्थना-पत्र उसके द्वारा प्रेषित नहीं किया गया। इसी प्रकार दिनांक 25-7-80 को जब जिला आयुर्वेद अधिकारी, बीकानेर ग्राम बरसलपुर पहुंचे तो कर्मचारी सेवा से लापता पाया गया व औषधालय की व्यवस्था अस्त व्यस्त पाई गई।

अतः उक्त श्री हरफूलसिंह के विरुद्ध राज्य सेवा से अनुपस्थित रहने व औषधालय की व्यवस्था अस्त व्यस्त रखने का आरोप आरोपित किया जाता है।

ह.
अनुशासनिक प्राधिकारी
अतिरिक्त निदेशक

नगर विकास न्यासों द्वारा अवाप्त भूमि के खातेदारों को भूखण्डों का आवंटन

255. श्री जीतमल जैन (अलवर): क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार नगर विकास न्यासों द्वारा अवाप्त की जा रही कृषि भूमि के खातेदारों को आवास हेतु एक प्लाट देना उचित समझती है ?

(2) यदि हां, तो इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु क्या सरकार कानून में आवश्यक परिवर्तन करेगी ?

उत्तर

(1) नगर विकास न्यासों द्वारा अवाप्त की जा रही कृषि भूमि के खातेदारों के आवास हेतु एक प्लाट देने में राज्य सरकार को प्रारम्भिक रूप में कोई आपत्ति नहीं है। बशर्ते कि इस शहर में उसके पास कोई रिहायशी भूखण्ड अथवा मकान न हो।

(2) इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राजस्थान नगर विकास न्यास अधिनियम, 1959 में कोई संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

तहसील अटरू के सरपंचों के विरुद्ध अनियमितता की जांच

256. श्री छीतरलाल आर्य (अटरू): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या तहसील अटरू की ग्राम पंचायत कुन्डी के सरपंच, ग्राम पंचायत, कैन्जेड के सरपंच तथा ग्राम पंचायत सहरोद के सरपंच के विरुद्ध अनियमितता की जांच की गई है ? यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम रहे ?

(335)

(श्री छीतरलाल आर्य)

(2) इन सरपंचों की जांच किस तारीख को व किस अधिकारी ने की है ?

(3) क्या सरकार इनके विरुद्ध दुवारा निष्पक्ष जांच करायेगी? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां, ग्राम पंचायत, कुन्डी के सरपंच श्री शिवनारायण, ग्राम पंचायत, कुन्जेड़ के सरपंच श्री महेन्द्र कुमार और ग्राम पंचायत, सहरोद के सरपंच श्री दुर्गालाल के विरुद्ध जिला स्तर पर प्राप्त शिकायतों की जांच तहसीलदार, अटरू द्वारा की गई है। जांच रिपोर्ट जिलाधीश से प्राप्त नहीं हुई है। जांच रिपोर्ट के प्राप्त होने पर राज्य सरकार द्वारा शीघ्र नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(2) जिला स्तर से प्राप्त सूचना के आधार पर सरपंचों की जांच तहसीलदार, अटरू द्वारा करवाई गई। ग्राम पंचायत, कुन्डी की जांच दिनांक 4-4-81 को, ग्राम पंचायत, कुन्जेड की 17-9-79 को हुई परन्तु कार्यों का पुन: मूल्यांकन नहीं होने से जांच पूर्ण नहीं हो सकी, ग्राम पंचायत, सहरोद की जांच दिनांक 3-4-81 को की गई है।

(3) उपरोक्त सरपंचों की जांच रिपोर्ट अभी तक राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हुई है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

बाढ़ से क्षतिग्रस्त गलता तीर्थ का जीर्णोद्धार

258. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पिछले दिनों दिनांक 18/19 जुलाई, 1981 की भयंकर बरसात से जयपुर स्थित विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल व पर्यटन स्थल गलता क्षतिग्रस्त हुआ है ? सरकार ने अभी तक धार्मिक भावनाओं का खयाल रखते हुए उक्त तीर्थ को ठीक कराये जाने के क्या कदम उठाये हैं ? कृपया विवरण सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या इस तीर्थ को ठीक किये जाने की कोई योजना है ? यदि हां, तो कृपया ब्ल्यू प्रिन्ट की प्रति सदन के पटल पर रखें। यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार ने क्षतिग्रस्त गलता तीर्थ के पुनर्उद्धार का निर्णय लिया है, और उसे तीर्थ तथा पर्यटन की दृष्टि से सही रूप में विकसित करने के लिये पर्यटन विभाग एवं राजस्थान टूरिज्म डवलपमेण्ट कार्पोरेशन को अधिकृत किया गया है। इस हेतु मुख्य मन्त्री सहायता कोष से 2 लाख रुपये की राशि राजस्थान टूरिज्म डवलपमेण्ट कार्पोरेशन को दिये जाने का निर्णय भी लिया गया है।

(2) पुनर्उद्धार एवं विकास की योजना बनाने के लिए सर्वेक्षण कराया जा रहा है।

सिमको फैक्ट्री, भरतपुर को ऑक्ट्राय की दरों में रियायत

259. श्री दीपेन्द्रसिंह (श्री माधोपुर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सिमको फैक्ट्री, भरतपुर को किस आधार पर ऑक्ट्राय की दरों में रियायतें दी गई हैं ?

(श्री दीपेन्द्र सिंह)

(2) क्या सरकार को जानकारी है कि फैक्ट्री में काम आने वाले पार्ट्स पर बैलगाड़ी में काम आने वाले पार्ट्स से भी कम दरों पर ऑक्ट्राय ली जाती है ?

(3) इन रियायतों के फ रूप स्थानीय नगरपालिका को कितन ...िक घाटा हुआ ?

(4) क्या सरकार तुरन्त अपनी आज्ञाओं में संशोधन कर सिमको से पुरानी दरों पर ऑक्ट्राय वसूल करेगी

उत्तर

(1) राजस्थान में वैगन बनाने के कारखाने को प्रोत्साहन देने के लिये सिमको फैक्ट्री, भरतपुर को ऑक्ट्राय की दरों में रियायत दी गई है ।

(2) जी हां ।

(3) नगर परिषद्, भरतपुर को इस रियायत के फलस्वरूप 7 लाख रुपये की वार्षिक हानि होती है ।

(4) जी हां । सरकार द्वारा दिनांक 31-8-81 को उक्त रियायत समाप्त करते हुये रु. 1=50 पैसे प्रति सैकड़ा की दर से चुंगी वसूल करने के आदेश जारी कर दिये हैं, जो दिनांक 15-11-81 से लागू होंगे ।

बांगड़ चिकित्सालय, पाली की क्रमोन्नति

260. श्री माणकमल मेहता (पाली): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या पाली शहर में बांगड़ चिकित्सालय को क्रमोन्नत कर उसको "ए" श्रेणी का हॉस्पिटल बनाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

(2) यदि हां, तो कब तक इसकी क्रियान्विति की संभावना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) योजना मद में समुचित वित्तीय प्रावधान होने पर शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है ।

कृषि विभाग में कार्यरत कृषि पर्यवेक्षक

261. श्री भैरूसिंह गुर्जर (खारची) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कृषि विभाग में कृषि क्षेत्रपाल (कृषि पर्यवेक्षक) का पद कब से प्रारम्भ हुआ तथा अब तक कितने कृषि पर्यवेक्षक इस विभाग में नियुक्त किये जा चुके हैं ? इनकी वरिष्ठता सूची किस वर्ष तक की निकल चुकी है ? विभाग के शेष कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची कब तक निकाली जायेगी ?

(2) क्या यह सही है कि 10 वर्षों से नियुक्त कृषि पर्यवेक्षकों का स्थाइकरण नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों और अब सरकार कब तक इनका स्थाइकरण कर वरिष्ठ वेतन श्रृंखला का लाभ देने वाली है? यदि नहीं, तो क्यों ?

3,80

(श्री भैरूसिंह गुर्जर)

(3) क्या विभागीय नियमों में स्थाई कृषि पर्यवेक्षकों में से 20 प्रतिशत को चयन वेतन श्रृंखला (सलेक्शन ग्रेड) देने का प्रावधान है ? यदि हां, तो अब तक किस वर्ष तक के कितने कृषि पर्यवेक्षकों को इसका लाभ प्राप्त हो चुका है तथा जिनको यह लाभ प्राप्त हुआ है उनका स्थाइकरण किस वर्ष तक का है ?

उत्तर

(1) कृषि क्षेत्रपाल के पद विभाग में 1950 से ही सृजित हुये थे। अप्रेल, 1977 से कृषि विभाग के आदेश दि. 20-4-77 के द्वारा क्षेत्रपाल, गार्डन सुपरवाइजर, ग्रेपप्लूनर ग्राम विस्तार कार्यकर्ता एवं क्षेत्र सहायक पदों को मिला कर कृषि पर्यवेक्षक का नवीन पद नाम दिया गया। दि. 1-4-81 तक 3965 कृषि पर्यवेक्षक नियुक्त किये जा चुके हैं। दिनांक 31-12-69 तक के नियुक्त कृषि पर्यवेक्षकों की अन्तिम वरिष्ठता सूची दिनांक 2-12-78 को निकाली जा चुकी है तथा उसके पश्चात् दि. 20-6-78 तक भरे गये पदों की अस्थाई (प्रोविजनल) वरिष्ठता सूची 29-1-81 को निकाली जा चुकी है, जिसे अन्तिम रूप दिया जा रहा है। शेष व्यक्तियों की अन्तिम वरिष्ठता सूची निकालने की भी कार्यवाही की जा रही है।

(2) जी, हां दि. 31-12-69 तक नियुक्त कृषि पर्यवेक्षकों का स्थाईकरण कर दिया गया है। दिनांक 1-1-70 के बाद के नियुक्त कृषि पर्यवेक्षकों की अन्तिम वरिष्ठता सूची प्रकाशित होने के उपरान्त ही शेष स्थाई पदों के विरुद्ध वरिष्ठता के अनुसार नियमानुसार स्थाईकरण किया जावेगा इन्हें वरिष्ठ वेतन श्रृंखला का लाभ वरिष्ठता के आधार पर उपलब्ध स्वीकृत पदों के विरुद्ध दिया जा चुका है।

(3) जी, हां। कृषि पर्यवेक्षकों के कुल 4165 पद सृजित है जिसमें से 20 प्रतिशत से 833 पद वरिष्ठ वेतन श्रृंखला के बनते हैं। जिन सभी पर वरिष्ठता के अनुसार लाभ दिया जा चुका है। वरिष्ठ वेतन श्रृंखला में लाभान्वित होने वाले अन्तिम व्यक्ति की नियुक्ति का दिनांक 19-8-68 तथा स्थाईकरण का दिनांक 1-9-80 है।

राजस्थान नहर क्षेत्र में खालों के निर्माण हेतु कृषकों को ऋण

262. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम): क्या राजस्थान नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान नहर के अन्तर्गत काश्त की जमीन में खालों को पक्का करने के लिये विश्व बैंक के द्वारा राजस्थान भूमि विकास बैंक को दी गई रकम शिड्यूल्ड बैंक के द्वारा काश्तकार को कर्ज के रूप में दी जा रही है ?

(2) क्या सरकार के पास काश्तकारों ने बार-बार शिकायतें की है कि इस कर्ज का ब्याज उसी तारीख से वसूल किया जा रहा है जिस दिन काश्तकार ने ऋण लेने की दरख्वास्त दी थी ?

(3) क्या यह भी सही है कि ब्याज लेने की अपनाई गई प्रणाली से काश्तकारों को असल रकम की किश्त से ब्याज की किश्त तिगुनी तक देनी पड़ रही है ?

(4) ऋण अदायगी में किसान के होने वाले शोषण को रोकने के बारे में सरक

339

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत) क्या कदम उठा रही है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। विश्व बैंक द्वारा आर. एल. डी. सी. को सीधा ऋण प्राप्त नहीं होता। विश्व बैंक, कृषि पुनर्वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से व्यावसायिक बैंकों को ऋण उपलब्ध करता है। पात्र कृषकों को ऋण व्यावसायिक बैंकों द्वारा दिया जाता है। अपात्र कृषकों को आर. एल. डी. सी. कृषि पुनर्वित्त एवं विकास निगम के स्तर पर रखे जा रहे विशेष ऋण खाते से ऋण प्राप्त कर उनके खेतों पर खालों का निर्माण कार्य कराता है और ऋण कृषकों के नाम लिख दिया जाता है।

(2) जी नहीं। जिस दिन से कार्य प्रारम्भ होता है उस तारीख से वसूली योग्य माना जाता है।

(3) जी हां। खालों को पक्का करने का काम पूरा हो जाने के पश्चात् ऋण वसूली के लिए व्यावसायिक बैंकों ने काश्तकारों को जो नोटिस दिये उनमें मूलधन को तो अर्द्ध वार्षिक बीस किश्तों में बांट कर पहली किश्त का धन लगा दिया परन्तु नोटिस देने के समय तक जितना ब्याज बना उसे पूरा ही लगा दिया जिससे ब्याज की किश्त मूलधन की किश्त से तिगुनी से भी अधिक बन गई।

(4) व्यावसायिक बैंकों को लिखा जा रहा है कि वह मूलधन की बीस अर्द्ध वार्षिक किश्तों के समान ही ब्याज की भी अर्द्ध वार्षिक बीस किश्ते बनावें और उसी हिसाब से वसूली करें। किसान प्रत्येक चक की समितियां बनाकर स्वयं अपने खालें खुद बनाये और सरकार उन्हें वांछित सामग्री तथा तकनीकी सहयोग उपलब्ध करावें, इस पद्धति को लागू करने पर भी सोचा गया है। और लागू करने की प्रक्रिया तय की जा रही है। इससे अनेक समस्याओं का समाधान हो सकेगा।

दानपुर क्षेत्र (बांसवाड़ा) में नये स्कूल खोलना

263. श्री बहादुरसिंह (दानपुर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि दो माह व्यतीत होने के उपरान्त भी क्षेत्र दानपुर जिला बांसवाड़ा में अभी तक एक भी नये स्कूल खोलने एवं क्रमोन्नति के आदेश नहीं हुए है ?

(2) नये स्कूलों के प्रस्ताव जो जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के माध्यम से भेजे गए हैं उनके आधार पर स्कूल खोले जायेंगे या किसी अन्य आधार पर ?

(3) क्या बड़ोदिया एवं दानपुर सैकण्ड्री स्कूलों में वाणिज्य, कृषि व विज्ञान विषयों के खोलने का सरकार का विचार है ?

उत्तर

(1) सत्र 1981-82 में बांसवाड़ा में नये स्कूल खोलने और क्रमोन्नत के प्रस्ताव अभी राज्य सरकार के विचाराधीन हैं।

(2) बांसवाड़ा की जिला आयोजना समिति द्वारा नये स्कूल खोलने व क्रमोन्नति के प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन हैं। राज्य सरकार इन प्रस्तावों पर गुणावगुण के आधार पर निर्णय करेगी।

(3) सत्र 1981-82 में बड़ोदिया व दानपुर सैकण्डरी स्कूलों में वाणिज्य, कृषि

(शिक्षा मंत्री)
व विज्ञान विषय सीमित वित्तीय साधनों के कारण इस वर्ष खोला जाना सम्भव नहीं हुआ है ।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 16 सितम्बर, 1981)

अनाधिकृत काबिज लोगों के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट के फैसले

65. श्री **देवीसिंह भाटी** (कोलायत): क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कई अनधिकृत काबिज लोगों के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमों का फैसला विभाग के पक्ष में हो गया है और ऐसी जमीनों पर पुलिस फोर्स द्वारा कब्जा लेने के आदेश हो चुके हैं लेकिन अभी तक कब्जे वास्तव में नहीं लिए गए हैं ? इसका क्या कारण है ?

(2) कृपया ऐसे केसेज की सूची सदन के पटल पर रखें जिनमें विभाग सुप्रीम कोर्ट में भी जीत चुका है? उपरोक्त फैसलों की तिथि तथा कब्जा लेने के आदेशों की तिथि भी सूची के साथ संलग्न कर प्रस्तुत करें ।

उत्तर

(1) जिन व्यक्तियों द्वारा अनाधिकृत कब्जों के सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमें दायर किये गये उनकी सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है व उन सभी मामलों में राज्य पक्ष में फैसले हुए हैं, इनमें से किसी भी मामले में पुलिस फोर्स से कब्जा लेने के आदेश नहीं हुए हैं । संलग्न सूची के नम्बर 1 से 3 तक के मामलों में प्राथियों का शुरू से ही कब्जा नहीं था व राज्य सरकार भूमि पर काबिज है । क्रम संख्या 4 व 5 का कब्जा ले लिया गया है । क्रम संख्या 6 पर अंकित मामले पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार कब्जा लेने की कार्यवाही तहसीलदार द्वारा प्रारम्भ की गई । इस कार्यवाही के विरुद्ध प्रार्थिनी ने राजस्थान उच्च न्यायालय में पुन : रिट दायर कर स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया जिससे कब्जा नहीं लिया जा सका ।

(2) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है ।

341

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की सूची

क्र. सं.	रिट पिटिशन और एस. एल. पी. के. नं.	प्रार्थियों के नाम	निर्णय की तिथि	विवरण
1.	25/68	जशवीर कौर पुत्र श्री गुरदयाल सिंह, निवासी करंडवाला, तह., हनुमानगढ बनाम सरकार एवं अन्य 38	23-1-70	भूमि प्रार्थिनी के कब्जे में नहीं थी।
2.	83/68	हरचरणसिंह पुत्र निहारसिंह पुत्र केहरसिंह निवासी 13 बीबी, तह. पदमपुर एवं 33 अन्य बनाम राज. सरकार एवं अन्य	23-1-70	भूमि प्रार्थी के कब्जे में नहीं थी।
3.	1836(एन) 1967	करतारसिंह पुत्र परमसिह, निवासी गंगागढ, तह. हनुमानगढ एवं 4 अन्य बनाम राज. सरकार एवं अन्य	23-1-70	भूमि प्रार्थी के कब्जे में नहीं थी।
4.	2359/78	सोहनलाल पुत्र खियाराम, निवासी मोतीगढ, तह. बीकानेर बनाम सरकार व अन्य	8-1-79	भूमि को कब्जा दिनांक 17-10-77 को ले लिया गया है।
5.	1724/79	बुधराम पुत्र श्री बीरबल विश्नोई निवासी मोलसर बनाम राज. सरकार एवं अन्य	30-4-79	भूमि का कब्जा दिनांक 28-6-79 को ले लिया गया है।
6.	264/74	मनोहरी देवी पत्नी श्री मोहनसिंह बनाम राजस्थान सरकार एवं अन्य	15-10-79	माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार तहसीलदार द्वारा अग्रिम कार्यवाही करने पर प्रार्थिनी ने उच्च न्यायालय में नई रिट प्रस्तुत कर स्थगन आदेश प्राप्त कर रखा है।

Page No 341

(352)

पंचायतों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति

66. श्री **सी. पी. जोशी (नाथद्वारा)**: क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि शिक्षा विभाग में धनराशि उपलब्ध होने पर भी पंचायतों में शिक्षकों के पद रिक्त हैं ?

(2) यदि हां, तो कितने शिक्षकों के पद रिक्त हैं और कब से ?

(3) रिक्त पदों पर नियुक्तियां कब होंगी ?

उत्तर

(1) जी हां, पंचायत समितियों में लगभग 837 शिक्षकों के पद इस सत्र में रिक्त हैं।

(2) उपरोक्तानुसार।

(3) राजस्थान पंचायत समिति एवं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा चयनित व्यक्ति उपलब्ध कराये जाने पर रिक्त स्थान भरे जायेंगे।

निलंबित सरपंच

78. **सुश्री पुष्पा जैन (आमेर)** : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) अप्रेल, 1980 से अब तक सरकार द्वारा किस-किस सरपंच को कब-कब निलम्बित किया गया ?

(2) किन-किन सरपंचों ने ऐसे निलंबन आदेश के विरुद्ध न्यायालय से कब-कब स्थगन आदेश प्राप्त किये हैं ?

(3) इन स्थगन आदेशों में कौन-कौनसे आदेशों को उच्च न्यायालय द्वारा कब-कब निरस्त कर दिया गया ?

(4) जो स्थगन आदेश निरस्त हो गये उनसे सम्बन्धित किस-किस सरपंच को सरकार द्वारा कब-कब बहाल किया गया ?

उत्तर

(1) दिनांक 1-4-80 से अब तक निलम्बित किये गये सरपंचों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) निलम्बन आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय से प्राप्त स्थगन आदेशों की सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(3) स्थगन आदेश जो उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त किये गये उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) स्थगन आदेशों के निरस्त होने के फलस्वरूप जिन-जिन सरपंचों को राज्य सरकार द्वारा बहाल किया गया उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

343

दिनांक 1-4-80 से अब तक निलम्बित सरपंचों की सूची

क्रम संख्या	नाम सरपंच	नाम ग्राम पंचायत	नाम पंचायत समिति	निलम्बित किये जाने की तिथि	उच्च न्यायालय से जिन्होंने स्थगन आदेश प्राप्त किया उसका विवरण स्थगन आदेश प्राप्त दिनांक	उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश निरस्त किये जाने का दिनांक	स्थगन आदेश निरस्त होने पर राज्य सरकार द्वारा बहाल किये जाने का दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8
			जिला सीकर				
1.	श्री बाबूलाल	अजीतगढ़	श्री माधोपुर	28-10-80	3-11-80	—	—
2.	श्री रामस्वरूप	कोंवट	खण्डेला	31-8-81	—	—	—
3.	श्री गुमानाराम	श्यामपुरा	धोंद	7-4-81	17-6-81	—	—
			जिला झुन्झुनू				
1.	श्री खेमचन्द	बोबासर	झुन्झुनू	10-8-81	—	—	—
2.	श्री हनुमानसिंह	पीपली	सूरजगढ़	"	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	श्री सरदाराराम	छतरवाल	चिड़ावा	10-8-81	—	—	—
			जिला अजमेर				
1.	श्री हेमराज	सिरोज	अराई	8-8-80	22-8-80	—	—
2.	श्री राम लाल	नवां	किशनगढ़	,,	16-9-80	—	—
3.	श्री तेजपाल	भोगी दीत	अराई	28-9-80	10-10-80	—	—
4.	श्री घीसासिंह	अधीं देवरी	भसूदा	14-4-81	—	—	—
5.	श्री रंगलाल	रामगढ़	,,	12-5-81	22-5-81	—	—
6.	श्री नोरतन मल	करनोस	पीसागंन	31-8-81	—	—	—
			जिला जोधपुर				
1.	श्री हिन्दूसिंह	डांगियावास	मंडोर	7-9-81	—	—	—
2.	श्री मांगीलाल	सतलाना	लूनी	11-9-81	—	—	—
			जिला अलवर				
1.	श्री जयसिंह	कुतीना	नीमराना	8-7-81	—		—
2.	श्री करतार सिंह	गंज	किशनगढ़ वास	25-8-81	—	—	—
			जिला भरतपुर				
1.	श्री रामजीलाल	कोटरा	धौलपुर	24-1-81	—	—	—
2.	श्री रामसहाय	भूतोली	वैर	26-3-81	—	—	—

Page No 344

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	श्री नन्नूसिंह	वौडोली	तगर	22-4-81	—	—	—
4.	श्री श्यामलाल	इटामदा	वैर	6-5-81	जुलाई, 18	—	—
5.	श्री हरीशंकर	मुखौरा	सेवर	7-9-81	—	—	—
6.	श्री लक्ष्मीचन्द गुप्ता	महलपुर चुरा	रूपवास	7-9-81	—	—	—
7.	श्री रामसहाय	कोसोट	डीग	11-9-81	—	—	—
8.	श्री छिदासिंह	हिनोता	धौलपुर	11-9-81	—	—	—
			जिला चूरू				
1.	श्री गुमानसिंह	सांडवा	सुजानगढ़	24-8-81	—	—	—
2.	श्री शेरसिंह	नावें	राजगढ़	10-9-81	—	—	—
			जिला डूंगरपुर				
1.	श्री बद्रीनारायण	गालिया कोट	सिमलवाड़ा	26-8-81	4-8-81	—	—
			जिला चित्तौड़गढ़				
1.	श्री शांतीलाल चौपना	भोपाल सागर	भोपाल सागर	3-2-81	—	—	—
2.	श्री भैरूलाल भाटी	पुठोली	चित्तौड़गढ़	4-4-81	3-7-81	—	—
			जिला बीकानेर				
1.	श्री अर्जुनसिंह	ोडा	नोखा	20-6-81	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
			जिला गंगानगर				
1.	श्री हरचन्द	लालगढ़ जाटान	सादुलशहर	3-2-81	10-2-81	—	—
2.	श्री डुंगराम	मार्डा	भादरा	26-3-81	—	—	—
3.	श्री रामस्वरूप माझू	रिडमलसर	पदमपुर	13-4-81	4-5-81	—	—
4.	श्री शिवराम आर्य	रामगढ़	भादरा	18-5-81	27-5-81	—	—
5.	श्री सूरजमल यादव	भाजासर	भादरा	30-5-81	—	—	—
6.	श्री अनूपसिंह	हिन्दूमलकोट	श्री गंगानगर	5-9-81	—	—	—
			जिला टौंक				
1.	श्री तजेन्द्रसिंह	नगरफोर्ट	देवली	2-4-81	—	—	—
2.	श्री जगदीशप्रसाद धाकड़	वगड़ी	टौंक	11-6-81	2-7-81	—	—
			जिला उदयपुर				
1.	श्री विजयसिंह	धानीन	कुम्भलगढ़	6-8-80	—	—	—
2.	श्री सुरेन्द्रकुमार मेहता	नाई	गिर्वा	24-4-80	—	—	—
3.	श्री नाहरसिंह	पीपरड़ा	राजसमन्द	12-9-81	—	—	—
4.	श्री शिवनारायण	वूझड़ा	गिर्वा	22-10-80	—	—	—
5.	श्री रतनसिंह	केलवा	राजसमन्द	1-10-80	—	—	—
6.	श्री भंवरलाल जैन	साकरोदा	गिर्वा	15-11-80	—	—	—
7.	श्री सन्तोषलाल चितौड़ा	भुवाना	बड़गांव	21-1-81	—	—	—
8.	श्री पन्नालाल	वड़गांव	बड़गांव	21-1-81	—	—	—

9.	श्री धर्मनारायण	कैलाशपुरी	बड़गांव	3-4-81	—	—	—
10.	श्री देवीराम चौधरी	मावली	मावली	27-5-81	—	—	—
	श्री चन्दूलाल	खैरवाड़ा	खैरवाड़ा	5-9-81	—	—	—
12.	श्री फूलचन्द	सुलई	,,	,,	—	—	—
13.	श्री नाथूलाल	कारछा	,,	,,	—	—	—
14.	श्री रतन	डेरी	,,	7-9-81	—	—	—
15.	श्री भैरूलाल	बल्लभनगर	भिन्डर	10-4-80	—	—	—
16.	श्री नन्दराम	रावलिया खुर्द	—	26-4-80	—	—	—
17.	श्री केसूलाल	बड़ी ऊंदरी	—	3-7-81	—	—	—

जिला भीलवाड़ा

1.	श्री गोकलचन्द	गागेडा	—	8-7-80	—	—	—
2.	श्री देवकरण	कालियावास	—	23-4-81	—	—	—
3.	श्री राधाकिशन	खेजड़ा	—	25-4-80	—	—	—
4.	श्री हरकचन्द	बासेड़ा	—	3-6-81	11-6-81	—	—
5.	श्री शिवनारायण	आकोला	—	3-6-81	11-6-81	—	—
6.	श्री कल्याणमल	इटून्दा	—	27-8-81	—	—	—
7.	श्रीमती प्रेम कुंवर	रोपा	—	15-5-81	—	—	—
8.	श्री देवकरण	कालियावास	—	22-7-80	—	—	—
9.	श्री ऊंकार सिंह	सरदारनगर	—	21-1-81	12-3-81	—	—
10.	श्री राम प्रसाद	गुलाबपुरा	—	27-10-80	4-12-80	—	—
11.	श्री गणेशलाल	दान्थल	—	18-9-80	6-10-80	—	—

(348)

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	श्री उगमलाल	वराणा	—	3-9-81	—	—	—
13.	श्री लालुराम	वागोलिया	—	,,	—	—	—
14.	श्री राजमल	बड़ा महुवा	—	9-9-81	—	—	—
15.	श्री मोहनसिंह	पासल	—	10-9-81	—	—	—
16.	श्री सोहनदास	गागलास	—	,,	—	—	—
17.	श्री रघुवीरसिंह	तसवारिया	वांसा	,,	—	—	—
18.	श्री नाथूसिंह	भोदूकोटा	—	,,	—	—	—
19.	श्री भोज्याराम	दहीमथा	—	4-7-81.	—	—	—
			जिला कोटा				
1.	श्री बृजमोहन शर्मा	बड़ौद	—	26-6-81	10-7-81	—	—
2.	श्री रामप्रसाद सोनी	अटरू	—	22-6-81	—	—	—
			जिला बूंदी				
1.	—	—	—	—	—	—	—
			जिला बांसवाड़ा				
1.	—	—	—	—	—	—	—
			जिला सिरोही				
1.	श्री हरीसिंह	जावाल	सिरोही	1-9-81	10-9-81	—	—
2.	श्री सीताराम	रौहिड़ा	—	9-9-81	—	—	—

			जिला झालावाड़				
1.	—	—	—	—	—	—	—
			जिला नागौर				
1.	श्री रूपराम	डाबडा	—	2-6-81	—	—	—
2.	श्री भींवराज	चौसला	—	4-9-81	—	—	—
			जिला पाली				
1.	श्री भंवरसिंह	हेमावास	पाली	12-11-80	18 11-80	—	—
2.	श्री गिरधारी लाल	चवाडिया	जैतारण	18-3-81	स्थगन आदेश प्राप्त किया	—	—
3.	श्री हरिसिंह	डरी	पाली	27-8-81	—	—	—
			जिला जालौर				
1.	—	—	—	—	—	—	—
			जिला सवाई माधोपुर				
1.	श्री हरीप्रसाद	जार्खादा	—	23-4-80	—	—	—
2.	श्री प्रतापसिंह	मोरन	—	13-10-80	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	श्री देवनारायण	खेडली	..	13-10-80	स्थगन आदेश प्राप्त किया	..	..
4.	श्री प्रभुदयाल	लिवाली	..	14-10-80	,,	..	..
5.	श्री श्यामलाल	खिलचीपुर	..	28-10-80	..	..	..
6.	श्री रमेशचन्द्र	बह्रावड़ा खुर्द	..	9-11-80	..	..	..
7.	श्री हंसराज	हन्डेरा	..	4-11-80	..	..	..
8.	श्री मूलचन्द	रेदावद	..	22-12-80	..	..	..
9.	श्री रामफूल	लोखाडा	..	4-11-80	स्थगन आदेश प्राप्त किया	..	..
10.	श्री नाथूलाल	पाचोलास	..	22-12-80	..	..	..
11.	श्री गिरीज प्रसाद	नादोती	..	7-1-81	स्थगन आदेश प्राप्त किया	..	..
12.	श्री नाथूलाल	वरदाला	..	,,	,,	..	..
13.	श्री पृथ्वीराज	जाह्रा	..	,,	,,	..	..
14.	श्री रमेशचन्द्र	बह्रावडा खुर्द	..	17-3-81	,,	..	..
15.	श्री ठंडीराम	अमरवाठ	..	26-3-81	..	..	..
16.	श्री रामजीलाल	बहादुरपुर	..	6-5-81	..	..	..
17.	श्री कुलमानसिंह	सुनेल	..	26-8-81	..	..	..
18.	श्री राम खिलाड़ी	सलीमपुर	..	,,	..	..	..
19.	श्री नसीवा	कोट	..	3-9-81	..	..	..
20.	श्री बृजमोहन	नानपुर	..	5-9-81	..	..	..
21.	श्री घासीराम	दूमोदा	..	5-9-81	..	..	..
			जिला जयपुर				
1.	श्री शांतिलाल जैन	झाग	दूदू	1-5-80	..	..	..
2.	श्री महेशचन्द	हिंगोटिया	दौसा	2-5-80	..	..	..

3.	श्री रामनाथ	मंडालिया	चाकसू	7-5-80	..	..	..
4.	श्री बजरंगलाल शर्मा	वैंगस	झोटवाड़ा	22-7-80	..	..	..
5.	श्री नाथूसिंह	भांकरोटा	फागी	4-11-80	13-11-80	13-4-81	13-5-81
6.	श्री नारायणलाल	कांसेल	,,	10-12-80	23-12-80	..	..
7.	श्री रघुनाथसिंह	दूदू	दूदू	18-12-80	..	..	..
8.	श्री नैनूराम	रामनगर	चाकसू	26-12-80	..	..	..
9.	श्री सत्यनारायण	हैसमहल	बस्सी	,,	4-6-81	..	..
10.	श्री गोरधनलाल	हिरनोंदा	दूदू	23-12-80	..	..	..
11.	श्री रामेश्वरप्रसाद	धूलारावजी	ज. रामगढ़	1-1-81	..	..	..
12.	श्री लादूराम	चान्दमा कलां	फागी	5-1-81	..	..	..
13.	श्री महादेवप्रसाद	नायन	शाहपुरा	,,	..	..	..
14.	श्री बजरंगदास	चकवाड़ा	फागी	,,	17-2-81	..	..
15.	श्री प्रहलादराम	ग्रांतेला	विराटनगर	24-1-81	..	..	..
16.	श्री रेवडमल	डांगरवाड़ा	ज. रामगढ़	27-2-81	23-3-81	..	..
17.	श्री रामदयाल	फूटोलाव	..	..	18-3-81	..	..
18.	श्री बद्री नारायण	नांगलराजा-वतान	दौसा	1-4-81	..	..	..
19.	श्री कानाराम	खिजूरिया ब्राह्मणान	बस्सी	29-4-81	..	..	..
20.	श्री भंवरसिंह	रहलाना	दूदू	18-6-81	..	..	..
21.	श्री मदनसिंह	जयसिंहपुरा	विराटनगर	24-8-81	..	..	..
22.	श्री शिवप्रसाद मीना	सवासा	लालसोट	9-9-81	..	..	..
23.	श्री भंवरसिंह	पाथरेडी	कोटपूतली	,,	..	..	..
24.	श्री नाथूलाल	लाखना	सांगानेर	18-9-81	..	..	..

1	2	3	4	5	6	7	8
		जिला जैसलमेर					
1.	श्री रेवतदान	वारटकागांव	..	8-7-81	..	..	..
2.	श्री जसवन्तसिंह	तैजरावां	..	1-9-81	..	..	..
		जिला बाड़मेर					
1.	श्री प्रतापसिंह	चौहटन	..	29-1-81	6-2-81	..	..
2.	श्री शिवनारायण	पचपदरा	..	1-5-81	8-5-81	..	..
3.	श्री सुमेरसिंह	रमणिया	..	..	19-5-81	..	..

(353)

परिशिष्ट 6

(अतारांकित प्रश्न संख्या 165 की सूची)

अजमेर नगर परिषद की सीमा में स्वीकृत देशी मदिरा दुकानों की सूची

क्र. सं.	स्वीकृत दुकान का नाम
1.	क्रिश्चियनगंज
2.	गंज (उप दुकान मीरशाली)
3.	कहार मोहल्ला
4.	पुरानी मंडी
5.	भैरूखेड़ा
6.	जादूगर (उप दुकान गुलाब बाड़ी)
7.	रामगंज
8.	ऊसरी गेट
9.	रामनगर
10.	मारेली
11.	परबतपुरा

परिशिष्ट 7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 166 की सूची)

कृषि उपज मंडी समिति, उदयपुरवाटी   राजपत्र दिनांक 1-5-80

(1) कृषक वर्ग के प्रतिनिधि :—

1. श्री दुर्गा सिंह, सरपंच, ग्राम पंचायत, बागोली ।
2. श्री भगवानाराम, सरपंच, ग्राम पंचायत, नांगल ।
3. श्री भागीरथ मल, सरपंच, ग्राम पंचायत, जहाज ।
4. श्री हरीराम, सरपंच, ग्राम पंचायत, वजावा ।
5. श्री हरलाल सिंह, सरपंच, ग्राम पंचायत, दुडिया ।
6. श्री जोरावर सिंह, सरपंच, ग्राम पंचायत, गुढ़ा गोड़जी ।
7. श्री छोटू राम, पंच, ग्राम पंचायत, चदरा ।

(2) व्यापारी वर्ग के प्रतिनिधि:—

1. मैसर्स श्री लालवादेव, थोक विक्रेता, उदयपुरवाटी ।
2. मैसर्स बैजनाथ विनोद कुमार, थोक विक्रेता, उदयपुरवाटी ।

(3) सहकारी वर्ग के प्रतिनिधि:—

1. अध्यक्ष/प्रशासक, क्रय विक्रय सहकारी समिति, डूंगलोद ।
2. जनरल मैनेजर, झुन्झुनू केन्द्रीय सहकारी बैंक ।

(4) स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि:—

1. अध्यक्ष/प्रशासक, नगरपालिका, उदयपुरवाटी ।
2. श्री कैलाश चन्द्र, सरपंच, ग्राम पंचायत, नवागांव ।

(5) राजकीय प्रतिनिधि:—

1. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, उदयपुरवाटी ।
2. उप-जिलाधीश, नवलगढ़ ।

परिशिष्ट 8

(अतारांकित प्रश्न संख्या 169 की सूची)

नागौर शहर की बस्तियों की सूची सदन की मेज पर रखे जाने हेतु

1.	इन्द्रा कालोनी	नई बसाई गई बस्ती
2.	घोसीनाड़ा, नायक बस्ती	नई बसी बस्ती
3.	कुम्हारी दरवाजा नायक बस्ती	नई बसी बस्ती

सदन के पटल पर रखे जाने हेतु

1.	घोसीनाड़ा नायक बस्ती	बस्ती में नल, बिजली, सफाई की व्यवस्था है।
2.	कुम्हारी-दरवाजा नायक बस्ती	बस्ती में जल, बिजली, सफाई की व्यवस्था है।
3.	इन्द्रा कालोनी	बस्ती में नल, बिजली ड्रेनेज सड़कें, सफाई की व्यवस्था है

परिशिष्ट-9

(अतारांकित प्रश्न संख्या 183 का ब्यौरा)

क्र. सं.	नाम वस्तु जिस पर चुंगी दरों में कमी बेसी अथवा समाप्त की गई।	पूर्व दर	वर्तमान दर
1	2	3	4
1.	जिप्सम	—	0.10 प्रति क्विंटल
2.	चांदी सोना, प्लेटीनम, मींना तथा पन्ना, मोती, नीलम, मुगा आदि को शामिल करते हुये समस्त बहुमूल्य एवं अर्द्ध बहुमूल्य पत्थर तथा जेवरात तथा उनसे निर्मित आभूषण एवं बहुमूल्य बर्तनों को शामिल करते हुये सभी वस्तुएं।	सोना 25.00 प्रति क्विं. चांदी 20.00 प्रति क्वि.	0.50 प्रति सैकड़ा
3.	साइकिल टायर, रिक्शा व तीन पहियों की साईकिल के टायर-ट्यूब	3.50 प्रति क्विं. तारीख 6-8-81 से—1.50 प्रतिशत	1.50 प्रतिशत 7.00 प्रति क्विं.
4.	अन्य वाहनों के टायर ट्यूबों पर	10.00 प्रति क्विं. तारीख 6-8-81 से—1.50 प्रतिशत	1.50 प्रतिशत 15.00 प्रति क्विं.

(358)

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग

अधिसूचना

संख्या टैक्स/एफ 3(3) (4) एल एस जी। 71, जयपुर, नवम्बर 8, 1976

खाद्य पदार्थों से सम्बंधित आइटम पर चुंगी की दरों की अनुसूची

क्रमांक 1	नाम वस्तु 2	निर्दिष्ट दर 3	प्रति 4
1.	मनुष्य एवं जानवरों के खाने व पीने योग्य वस्तुएं :–		
	(अ) चावल	0.75	क्विन्टल
	(ब) समस्त प्रकार के अनाज व दालें ..	0.30	"
2.	सूजी, मेवा, रवा, निशासा, स्टार्च, टोपीयाण फलार	0.70	"
3.	समस्त प्रकार की चीनी, खण्डसारी:–		
	(अ) बूरा, मिश्री, पताशा	1.50	"
	(ब) गुड़, राब, शक्करा, मुण्का, कड़कड़ शक्कर ..	0.80	"
4.	(अ) हाइड्रोजिनेटेड रिफाइन्ड्ड वनस्पति घी ..	4.50	"
	(ब) देशी घी व मक्खन, खोया, क्रीम, पर्श या टिन्ड	4.50	"
5.	(अ) सरसों तेल, अलसी, मूंगफली मोहवा तेल एवं समस्त प्रकार के खाद्य तेल जो और कहीं वर्णित नहीं हो	9.25	"
	(ब) तिल, अलसी, सरसों, मूंगफली, तारा-मीरा व समस्त प्रकार के तिलहन अलावा काकडा ..	0.75	"
	(स) खल व काकडा	0.40	"
6.	चाय, काफी, कोको मय चाय चूरी व चाय पत्ती ..	3.00	"
7.	हर किस्म की खाद्य सामग्री जैसे मिठाई की गोलियां, पकवान, बिस्कुट, डबल रोटी, पनीर, दलिया, बोक्स, कोनिफक्स, फलोरस, आइससुगर, ग्लूकोज, डिब्बों में बन्द अन्य सामान जैसे अचार, जैम्स जैलिसा, चटनी, सास, ज्यूस, सिकेदरा-समस्त प्रकार के मुरब्बे एरेटेड वाटर शहद व अन्य इसी प्रकार के सामान	3.00	"
8.	समस्त प्रकार का किराना:—		
	(अ) समस्त प्रकार का किराना	3.00	"
	(ब) सूखामेवा पिस्ता, काजू, मिन्नका, हरी इलायची, चेरमगज, चिलगोजा, डिगरेज, अखरोट व अखरोट की गिरी, खुम्ब गुच्छी ..	4.00	"

(357)

1	2	3	4
9.	(अ) अंगूर, अनार, नाशपति, नखसेव, आरू, आलूचा लुकाट, खूबानी, स्टाबिरी, खिरनी, चीकू, हरे अजीर, नारंगी, मौसमी, चकोतरा, लीची, शारदा	1.00	क्विन्टल
	(ब) शरीफा, गोली नारियल, आम, पिन्ड-खजूर, माल्टा ..	0.75	,,
10.	केला व अमरूद	0.30	,,
11.	पान के पत्ते	4.50	,,
12.	मछली व मांस	1.00	,,
13.	अंडें	0.20	प्रति 100नग
14.	केवडा, अर्क, गुलाब, दमुश्क, गुलकन्द, इत्यादि ..	4.00	प्रति क्विंटल
	भाग 2: ऐसे जानवर जो आम तौर पर काटे या बेंचे जाने के लिये लाये जाय।		
15.	(क) भेड, बकरी, सुअर व दुम्बे	1.00	प्रति नग
	(ख) बैल, गाय, ऊंट, घोडे व खच्चर ..	2.00	प्रति नग
16.	मुर्गे, मुर्गी व अन्य परिन्दे	0.05	टेल

नगर परिषद् जयपुर ने खाद्य पदार्थों पर चुंगी की आय का वर्ष वार विवरण सदन के पटल पर रखें जाने हेतु।

वर्ष	आय
1. 1978-79	51,72,373-59
2. 1979-80	60,54,241-21
3. 1980-81	72,67,474-52

3570

परिशिष्ट-

(अतारांकित प्रश्न

नागौर सहकारी भूमि विकास बैंक लि., नागौर,

क्र. सं. 1	पत्रावली सं. 2	नाम प्रार्थी मय वल्दियत 3	गांव 4	तहसील 5
1.	144	चनणाराम।बुधाराम	लुडखढा	नागौर
2.	2425	चुनाराम।लादूराम	अलकपुरा	डीडवाना
3.	2428	भूराराम।हरजीराम	थेबड़ी	,,
4.	2424	रूघाराम।जालाराम	चुगनी	,,
5.	2434	डालाराम।जेठाराम	धनकोली	,,
6.	2435	चुतराराम।भीयाराम	नेराधात कलां	नागौर
7.	2432	नरपतसिंह।गुलाबसिंह	खींवसर	,,
8.	86	मनीराम।कुशाराम	म्वाड़	,,
9.	106	नाथूराम।डूंगरराम	बुनरावत	,,
10.	131	जमा मोहम्मद।सत्थू	बुनरावला	,,
11.	2414	हिम्मताराम।गोदाराम	धनापा	मेड़तासिटी
12.	2415	रमजीराम।सुजाराम	कस्वा की ढाणी	,,
13.	2419	केवकंवर।सगजसिंह	नाखाचांदावता	,,
14.	2416	बाबूलाल।हीराराम	कस्वा की ढाणी	,,
15.	2413	भैरूलाल।शोभाराम	धनाणा	,,
16.	2417	गुमानाराम।बचनाराम	टालनपुर	,,
17.	2408	चतराराम।भुराराम	डेगानागांव	डेगाना
18.	2398	धर्माराम।जवाराराम	कोलीया	डीडवाना
19.	2430	गोबिन्दसिंह।प्रतापसिंह	नगवाड़ा	परबतसर
20.	366	मदनलाल।चुन्नीलाल	शीव	नावां
21.	2386	सोहनसिंह।अभयसिंह	करण	नागौर
22.	2397	गणेशराम।हीमताराम	चेनार	नागौर
23.	674	श्यामलाल।पुनाराम	पुन्दलू	मेड़ता
24.	2339	अमरसिंह।उम्मेदसिंह	गागूड़ा	,,
25.	2403	हरजीराम।हनुताराम	मोकाला	,,
26.	2392	अमरसिंह।सांवलराम	कस्वा की ढाणी	,,
27.	126	बदरी।रुघनाथ	कुचेरा	नागौर
28.	2409	तोजमोहम्मद/हमीद खां	पायली	डीडवाना
29.	138	रामचन्द्र।लादूराम	कुचेरा	नागौर
30.	2427	सत्यनारायण।देवसी	जायल	जायल
31.	141	राजाराम।रामचन्द्र	कड़लू	नागौर
32.	2423	किशोर।चुना	पायला	डीडवाना
33.	2424	रावतराम।गंगाराम	,,	,,
34.	48	छियाराम।श्री राम	ताउसर	नागौर
35.	4	बदरी।मघा नाई	जायल	जायल
36.	729	शिवसिंह।हिम्मतसिंह	गगराता	मेड़ता
37.	410	भंवरसिंह।समस्तसिंह	खोखर	परबतसर

359

10

संख्या 184 की सूची)

बकाया नये ऋण आवेदन पत्रों की सूची

उद्देश्य 6	प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ 7	बकाया का कारण 8
कुआ गहरा हेतु	21-8-81	आक्षेप पूर्ति हेतु
विद्युत पम्प सेट हेतु	28-8-81	मूल्यांकन हेतु
नवकूप निर्माण हेतु	3-9-81	,,
,,	14-9-81	,,
कुआ गहर	14-9-81	,,
कुआ गहरा	16-9-81	,,
नवकूप।मोटर हेतु	14-9-81	,,
नवकूप।डीजल इंजन	11-3-81	आक्षेप पूर्ति हेतु
नवकूप निर्माण	23-4-81	,,
नवकूप। डीजल इंजन	30-6-81	,,
नवकूप निर्माण	2-7-81	राज्य बैंक की स्वीकृत हेतु
	27-6-81	,,
,,	19-5-81	,,
,,	11-6-81	,,
,,	2-7-81	,,
,,	2-7-81	,,
ट्रेक्टर क्रय हेतु	24-4-81	,,
,,	30-6-81	आक्षेप पूर्ति हेतु राज्य बैंक
,,	25-6-81	राज्य बैंक में स्वीकृत हेतु
पक्की नाली निर्माण	10-4-81	,,
ट्रेक्टर क्रय हेतु	9-6-81	राज्य बैंक में आक्षेप पूर्ति हेतु
विद्युत् मोटर हेतु	23-6-81	विद्युत् कनेक्शन हेतु
नलकूप निर्माण हेतु	2-5-81	नलकूप कार्य पूर्ण नहीं होने से
,,	1-4-81	,,
,,	2-5-81	,,
,,	17-6-81	,,
नवकूप/विद्युत मोटर	15-6-81	रहननामा निष्पादन हेतु
विद्युत् मोटर हेतु	27-7-81	विद्युत् कनेक्शन हेतु
नवकूप/विद्युत मोटर	11-8-81	रहननामा निष्पादन हेतु
कृषि जलाशय हेतु	31-8-81	,,
नवकूप/डीजल इंजन	13-8-81	,,
नवकूप निर्माण	17-8-81	,,
,,	17-8-81	,,
नवकूप मोटर	29-8-81	,,
कृषि जलाशय हेतु	5-8-81	,,
ट्रेक्टर क्रय हेतु	10-8-81	,,
,,	17-8-81	,,

(360)

क्र. सं. 1	पत्रावली सं. 2	नाम प्रार्थी मय वल्दियत 3	गांव 4	तहसील 5
38.	136	शंकरराम।ओंकारराम भाट	खुड़खुड़ा	नागौर
39.	2412	रामेश्वरलाल।हुक्माराम	गोलासर	डीडवाना
40.	2	रामदेव।सांवतराम	डीडायाकलां	जायल
41.	2426	रामगोपाल।चीमनीराम सुनार	कडसू	नागौर
42.	143	मोहन।रामदीन	"	नागौर
43.	145	आइदान।वेतनराम	कुचेरा	नागौर
44.	2429	पूसा।सांवताराम	भूझण्डा	नागौर
45.	142	भंवरसिंह।अचलसिंह	शीववास	नागौर
46.	140	शीवदयाल।पुनाराम	कुचेरा	नागौर
47.	139	भंवरलाल।प्रभुराम	बुनरावत	नागौर

Page No 360

(361)

उद्देश्य 6	प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ 7	बकाया का कारण 8
नवकूप/डीजल इंजन	31-7-81	ऋण वितरण हेतु
नवकूप निर्माण	31-7-81	,,
कृषि जलाशय हेतु	19-6-81	,,
पक्की नाली निर्माण	28-8-81	,,
नवकूप/डीजल इंजन	21-8-81	ऋण वितरण हेतु
नवकूप/विद्युत् मोटर	5-9-81	,,
पक्की नाली निर्माण	5-9-81	,,
नवकूप निर्माण	18-8-81	,,
नवकूप/विद्युत् मोटर	12-8-81	,,
नवकूप/डीजल इंजन	11-8-81	,,

(362)

परिशिष्ट 11

(अतारांकित प्रश्न संख्या 188 की सूची)

नागौर तहसील के ग्रामों की सूची जिनका भू-जल स्तर भूमि की सतह से 45 मीटर एवं उससे अधिक है

क्रम संख्या	गांव का नाम	भूमि से जल स्तर की गहराई (मीटर में)
1	2	3
	नागौर पंचायत समिति:—	
1.	अलाई	49.76
2.	बारानी	54.06
3.	भेर	56.05
4.	भुडेल	65.20
5.	चावण्डीया	70.90
6.	देऊ	47.30
7.	देवधानी	66.15
8.	डीगसरा	62.00
9.	गोदा	70.00
10.	गोगेलाव	48.32
11.	गुढा	63.80
12.	हारीमा	50.10
13.	जाखनिया	65.00
14.	कालड़ी	79.00
15.	करनू	69.00
16.	पीपासर	45.57
17.	साठेरन	45.10
18.	टाटवास	81.70
19.	टांकला	46.65
	मूण्डवा पंचायत समिति:—	
20.	आचीना	64.75
21.	आकावास	58.20
22.	बड़ोरा	61.80
23.	बलाई	45.30
24.	बेनीवालों की ढाणी	65.65
25.	बिरलोका	69.20
26.	ढाबा	50.80
27.	डेहावाड़ी	66.90
28.	दुनियारी	47.35

1	2	3
29.	गजू	47.30
30.	ईसनवाड़ा	58.45
31.	जनाना	47.72
32.	कटोरिया	74.00
33.	कान्टीया	53.00
34.	कान्टीया धाणी	59.45
35.	खजवाना	56.05
36.	कुमारों की ढाणी	77.20
37.	कुरची	52.40
38.	मदपुरा	45.35
39.	मेरास	45.65
40.	मुण्डियाव	58.35
41.	नरवा खुर्द	59.10
42.	नरवा कलां	67.10
43.	पांचला	58.60
44.	पालड़ी	48.55
45.	पपासनी	63.80
46.	पांचौड़ी	55.50
47.	सठीका	88.00
48.	शीलगांव	53.20
49.	शंखवास	53.15

364

परिशिष्ट 12

(अतारांकित प्रश्न सं. 193 की सूची)

पंचायत समिति:—नागौर

क्र.सं.	नाम ग्राम पंचायत	कार्य का नाम	पूर्ण/ अपूर्ण	चालू नहीं हुआ
1	2	3	4	5
1.	करणू	रा.प्रा. विद्यालय नवीन धोलिया डेर	अपूर्ण	
2.	,,	रा.प्रा.शाला सिंधियों की ढाणी	,,	
3.	,,	भोला नाडा खुदाई धोलिया डेर	पूर्ण	
4.	सातवास	पंचायत भवन सातवास	,,	
5.	,,	गवाई चामेली नाडी खुदाई मोणास	,,	
6.	,,	झाडेली कूप भोजास	अपूर्ण	
7.	मुण्डेल	सार्व. रुपोलाई नाडी मुण्डेल	पूर्ण	
8.	देऊ	सालवर निर्माण दातीणा	,,	
9.	,	सेढोलाई कूप निर्माण दातीणा	अपूर्ण	
10.	,,	राम सागर कूप निर्माण दातीणा	पूर्ण	
11.	,,	सार्व. कूप कटारिया की ढाणी दातीणा	अपूर्ण	
12.	गुढा भगवान दास	सार्व. जीवनसागर कुआ गहरा व मरम्मत	पूर्ण	
13.	,,	पंचायत भवन निर्माण गुढा भगवानदास	,,	
14.	कालड़ी	गुसाई नाडी खुदाई थलाजू	,,	
15.	,,	गवाई तालाब खुदाई सारी	,,	
16.	श्रीबालाजी	प्रा.शाला भवन चार दीवारी (सुनारों की ढाणी)	,,	
17.	छीला	नया शाला भवन करनसोता	,,	
18.	,,	सार्व. तालावाला कूप निर्माण छीलों	अपूर्ण	
19.	,,	नया कुआ सेवडी निर्माण	,,	
20.	सथेरण	शाला भवन पूर्ण कराना सथेरण	पूर्ण	
21.	ऊंटवालिया	रामसागर तालाब खुदाई ऊटवालिया	,,	
22.	रोहिणी	शाला भवन पूर्ण कराना	अपूर्ण	
23.	,,	मोगेलाव नाडी खुदाई रोहिणी	पूर्ण	
24.	,,	सार्व. भावियान कूप मरम्मत	अपूर्ण	
25.	श्यामसर	मिडल शाला भवन विस्तार दो कमरे श्यामसर	पूर्ण	
26.	,,	सार्व. खन्डोई नाडी खुदाई श्यामसर	,,	
27.	चाऊं	सार्व. कूप मरम्मत जोरडा	,,	
28.	,,	प्रा.शाला. चार दिवारी निर्माण जोरडा	,,	
29.	जोधियासी	रा.प्रा.शा. भवन निर्माण जोधियासी	,,	
30.	,,	गवाई तालाब खुदाई माण्डेली	,,	

1	2	3	4	5
31.	फाडीसरा	गवाई नाडी खुदाई झाडीसरा	पूर्ण	
32.		सार्व. कूप पूर्ण कराना झठेरा		चालू नहीं हुआ
33.	गठीलासर	रा.शा. भवन निर्माण गठीलासर	पूर्ण	
34.	बूठीसरा	गवाई तालाब का खुदाई बीलवा	,,	
35.	,,	साबोलाई नाडी खुदाई पिसनियाडेर	,,	
36.	गोगेलाव	नाडी खुदाई गोगेलाव	,,	
37.	सिगड	जनता सागर नया कुआ निर्माण मवाद	,,	
38.	रायधनू	गवाई तालाब खुदाई रायधनू	,,	
39.	मेड	सार्व. कूप मरम्मत ढीनसरा	,,	
40.	,,	सांडघर निर्माण मेड	पूर्ण	
41.	,,	रा.प्रा.शा. एक कमरा निर्माण मेड	,,	
42.	,,	दुग्ध संकलन केन्द्र निर्माण ढीगसरा	,,	चालू नहीं हुआ
43.	,,	दुग्ध संकलन केन्द्र निर्माण (नयी नाडी)		,,
44.	सिणोद	गवाई तालाब पटा विस्तार सिणोद	पूर्ण	
45.	,,	डडिया नाडा खुदाई टाकला	,,	
46.	,,	खेतालाई नाडी खुदाई सिणोद	,,	
47.	,,	गावाई तालाब खुदाई अहमदपुरा	,,	
48.	बरणगांव	गावाई तालाब वरणगाव	,,	
49.	,,	गवाई तालाब बापोड	,,	
50.	,,	प्रा.शा. चार दीवारी निर्माण वरणगांव	,,	
51.	,,	प्रा.शा. भवन निर्माण बापोड़	,,	
52.	,,	सार्व. कुआ निर्माण बापोड़	,, अपूर्ण	
53.	,,	रा.प्रा.शा. भ. निर्माण एक कमरा बसवाणी	पूर्ण	
54.	कुमारी	सांड शाला निर्माण नांवा खुर्द	,,	
55.	,,	गावाई तालाब खुदाई माथोलाव गोवा खुर्द में	,,	
56.	बासनी बेलीमा	नाला पक्का निर्माण वासनी	,,	
57.	,,	गावाई तालाव खुदाई वासनी	,,	
58.	ताऊसर	सांडशाला निर्माण ताऊसर	,,	
59.	,,	प्रा.शा. भवन निर्माण ताऊसर	,,	
60.	चेनार	प्रा.शा. चार दीवारी निर्माण वासडा	,,	
61.	,,	शाला भवन कमरा निर्माण अठियासन	,, अपूर्ण	
62.	,,	सवाई तालाब, गावाई तालाव खुदाई वासडा	पूर्ण	
63.	,,	मदाणा		
64.	,,	सांडघर निर्माण सरासणी	,,	चालू नहीं हुआ
65.	,,	सांडघर निर्माण सरासणी जिन्दास	पूर्ण	
66.	गंगयाना	नया शाला भवन निर्माण सेवोवला	,,	
67.	सुखवासी ग्राम दाना गांव	रा.प्रा.शाला विस्तार ग्रामदाना सुखवासी	,,	
68.	,,	सुख सागर तालाब निर्माण सुखवासी ग्रामदाना	,,	

जिलाधीश (सहायता)
नागौर।

366

पंचायत समिति :—मूण्डवा

क्र.सं.	नाम ग्राम पंचायत	कार्य का नाम	पूर्ण/अपूर्ण
1	2	3	4
1.	असावरी	गवाई सड़क व नाली निर्माण असावरी	पूर्ण
2.	कड़लू	सांडघर निर्माण सुडसुडाखुर्द	"
3.	काटिया	प्रा.शा. टाका काटिया ढाणी	"
4.	"	पंचायत भवन काटिया	"
5.	"	सांडघर निर्माण नारवा कलां	"
6.	"	सांडघर निर्माण नारवा खुर्द	"
7.	कुलछी	प्रा.शा. टाका निर्माण बरवटा	"
8.	"	उच्च प्रा. शाला पूर्ण करना कुडछी	"
9.	खजवाना	पशु फाटक निर्माण खजवाना	"
10.	"	शाला भवन अहाता खजवाना	"
11.	"	प्रा. शा. भवन विस्तार खजवाना	"
12.	खरनाल	सांडघर निर्माण भाकरोद	"
13.	खीवसर	हरिजन बस्ती सड़क निर्माण खींवसर	"
14.	"	नवोडी नाडी खुदाई खींवसर	"
15.	गवालू	सार्व. टाका निर्माण हिलोडी	"
16.	"	प्रा. शाला भवन पूर्ण कराने गवालू	"
17.	गोठडा	पंचायत भवन निर्माण गोठडा	"
18.	"	प्रा. शाला टाका निर्माण गोठडा	"
19.	"	बाला नाडा खुदाई फिरोजपुरा	"
20.	डाहूरा	गवाई तालाब खुदाई लालाप	"
21.	"	गवाई तालाव खुदाई जोरावरपुरा	"
22.	जनाणा	सांडघर निर्माण बूनरावता	"
23.	"	सांडघर निर्माण मिरबास	"
24.	"	प्रा. शाला भवन निर्माण जनाणा	"
25.	घिरोद	प्रा. शाला. भवन निर्माण खारडा	"
26.	"	प्रा. शाला. भवन निर्माण मालडि भिषकिया	"
27.	"	सांडघर निर्माण सोलियाना	"
28.	नागडी	प्रा. शाला. भवन निर्माण धारणावास	"
29.	"	प्रा. शाला विस्तार नागडी	"
30.	"	सार्व. कूप मरम्मत नागडी	"
31.	"	गवाई तालाब खुदाई नागडी	"
32.	"	गवाई तालाव खुदाई लालास	"
33.	पालड़ी जोधा	उच्च प्रा. शाला भवन विस्तार पालडी जोधा	"
34.	पाचोड़ी	आथूणीढाणी प्रा. शाला भवन ढाणिया	"
35.	"	पशु चिकित्सालय भवन पाचौड़ी	"
36.	"	शिवसागर कूप मरम्मत पाचोड़ी	"

1	2	3	4
37.	पाचोडी	पंचायत भवन निर्माण पाचोड़ी	पूर्ण
38.	,,	कूप निर्माण सुथारों की प्याऊ	अपूर्ण
39.	पांचला सिद्धा	थामखिया कूप प्रा.शा. टाका निर्माण ब्राह्मणों की ढाणी	पूर्ण
40.	,,	प्रा.शा.नं. 1 में टाका निर्माण पाचला सिद्धा	,,
41.	,,	प्रा.शा.नं. 2 भवन निर्माण पाचला सिद्धा	,,
42.	,,	धामडिया कूप प्रा.शा. भवन पूर्ण कराना ब्राह्मणों की ढाणी	,,
43.	,,	जसनाथसागर कूप वोरिंग कराना पाचला सिद्धा	,,
44.	विरलोका	सार्व. कूप गंगासागर विरलोका	,,
45.	,,	मानासागर कूप गहरा कराना विरलोका	,,
46.	बेराथल कलां	गवाई तालाव खुदाई बैराथल कलां	,,
47.	माचण्डा	रातड़ी नाडी खुदाई गरैंडा	,,
48.	,,	सार्वजनिक टाका भावण्डा	,,
49.	,,	भैरूं नाडी खुदाई लाडाल	,,
50.	मुदियाड	प्रा. शाला भवन निर्माण बलाया	,,
51.	,,	कूप मरम्मत व गहरा कराना मुदियाड	,,
52.	माणकपुर	प्रा. शाला भवन निर्माण कालियास	अपूर्ण
53.	माडपुरा	गवाई तालाव खुदाई माडपुरा	पूर्ण
54.	रूण	सांडघर निर्माण रूण	,,
55.	,,	प्रा. शाला टाका निर्माण इन्दोकली	,,
56.	सेनणी	प्रा. शाला भवन विस्तार ककडाव	,,
57.	,,	प्रा. शाला भवन विस्तार सेनणी	चालू (अपूर्ण)
58.	,,	प्रा. शाला भवन निर्माण हिलोडी	अपूर्ण
59.	संखवास	काला नाडा खुदाई संखवास	पूर्ण

जिलाधीश (सहायता)
नागौर।

(368)

परिशिष्ट 13

(अतारांकित प्रश्न संख्या 195 की सूची)

विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ (बांसवाड़ा) में संचालित राजकीय आयुर्वेदिक औषधालयों की सूची

क्र. सं.	ग्राम का नाम	पंचायत समिति	तहसील
1.	मोहकामपुरा	कुशलगढ़	कुशलगढ़
2.	लोहारिया	,,	,,
3.	कलींजरा	,,	,,
4.	बड़वास छोटी	,,	,,
5.	रामगढ़	,,	,,
6.	मूंदड़ी	,,	,,
7.	कसारवाड़ी	सजनगढ़	,,
8.	तामेसरा	,,	,,
9.	सजनगढ़	,,	,,
10.	बीलड़ी	,,	,,
11.	डूंगरा	,,	,,

————

369

परिशिष्ट 14

(अतारांकित प्रश्न संख्या 196 की सूची)

सत्र 1981-82 में खोले गये प्राथमिक विद्यालयों की संख्यात्मक सूची

1. अजमेर	5
2. भरतपुर	6
3. अलवर	9
4. जयपुर	112
5. झुंझुनूं	10
6. सीकर	7
7. बीकानेर	2
8. चूरू	13
9. गंगानगर	9
10. कोटा	3
11. बून्दी	1
12. झालावाड़	—
13. सवाईमाधोपुर	8
14. टौंक	3
15. जोधपुर	37
16. पाली	5
17. नागौर	4
18. जालौर	2
19. सिरोही	2
20. बाड़मेर	9
21. जैसलमेर	—
22. बांसवाड़ा	5
23. भीलवाड़ा	13
24. डूंगरपुर	1
25. चित्तौड़गढ़	4
26. उदयपुर	4

———

परिशिष्ट 15

(अतारांकित प्रश्न संख्या 197 की सूची)

पंचायत समिति, सिकराय से संबंधी सूचना

क्रम संख्या	नाम प्राथमिक शाला	छात्रों की संख्या	शालाओं में कार्यरत अध्यापकों की संख्या	स्वीकृत पदों के अनुसार अध्यापकों की कमी
1	2	3	4	5
1.	सेडला	55	1	
2.	मुरलापुर	64	1	
3.	निकटपुरी	42	1	
4.	राभ हेड़ा	40	1	
5.	केलाई	29	1	
6.	नुड़ियाखेड़ा	39	1	
7.	तिहरी	41	1	
8.	चांदूसा	34	1	
9.	गडका कुआं	29	1	
10.	नामनेर	75	1	
11.	मोनग	52	1	
12.	बड़ती	35	1	
13.	बुरेट	69	1	
14.	जंगनिरिया	56	1	
15.	पिपाको	8[illegible]	1	
16.	सांचास	39	1	
17.	लोखली	50	1	
18.	गिरधरपुरा	81	1	
19.	बासड़ा	15	1	
20.	झरगा	66	1	
21.	आवली	55	1	
22.	कालेड़ा	61	1	
23.	गण्डरावा	185	2	
24.	मोनातीमला	90	1	
25.	गूरसामना	50	1	
26.	बग्गराद	79		
27.	होंगी	33		1
28.	मालपुर	37		1
29.	जामाडा	68		1
30.	मोजपुरा	101		1
31.	राजवास	82		1
32.	निहालपुरा	84		1
33.	डोलोका	62		1
34.	झील	46		1

Page No 370

(371)

1	2	3	4	5
35.	गू. बेराड़ा	57	1	
36.	गोरड़ा कलां	31	1	
37.	गू. बाड़ा	33	1	
38.	मोचांगपुरा	36	1	
39.	मोरोली	42	1	
40.	मालावास	57	1	
41.	दवांकर	15	1	
42.	हरि सिकराय	79	2	
43.	धूल कोट	87	2	
44.	पिलोडी	118	2	
45.	गनीपुर	104	2	
46.	कु. डूंगर	98	2	
47.	सि. डूंगर	124	2	
48.	बाकलोगो	91	2	
49.	जयसिंहपुरा	89	2	
50.	पाटन	97	2	
51.	गडी	113	2	
52.	रामगढ़	89	2	
53.	पालड़ी	79	2	
54.	बोदरवाडा	120	2	
55.	छोकरवाड़ा	141	2	
56.	ब्रा. बैराडा	136	2	
57.	चांदेरा	110	2	
58.	उदयपुरा	156	2	
59.	नांदरी	100	2	
60.	नाहर बोरा	118	2	
61.	पिलवा	131	2	
62.	बैलाई	118	2	
63.	गुमानपुरा	164	2	
64.	गढ़	112	2	
65.	देवरी	94	2	
66.	सांका	115	2	
67.	फरांशपुरा	116	2	
68.	जोध्या	99	2	
69.	वै. शा. सिकराय	261	7	
70.	चांचोली	139	4	
71.	क. मानपुर	106	3	
72.	रायपुरिया	175	4	
73.	वे. गोजागढ़	345	9	
74.	हनु. गोजागढ़	190	4	
75.	सिकन्दरा	229	5	

(372)

1	2	3	4	5
76.	बावनपाड़ा	144	3	
77.	गांगदवाडी	147	4	
78.	सिकरिया	245	6	
79.	दुब्बी	184	4	
80.	रेठा	122	3	
81.	बहुरावण्डा	192	5	
	योग ..	7722	157	

[redacted]

373

परिशिष्ट 10

(अतारांकित प्रश्न संख्या 199 की सूची)

क्र. सं.	नाम सरपंच	ग्राम पंचायत	पंचायत समिति	अनियमितता का विवरण	जांच का प्रकरण का विवरण
1.	श्री सादत खां (भू. पू.)	कोटड़ी	अरनोद	"काम के बदले अनाज योजना" में घोटाला संबंधित ।	जांच अधिकारी उप-खंड अधिकारी प्रतापगढ़ के पास जांच हेतु विचाराधीन है ।
2.	श्री प्रेमचन्द मीणा (वर्तमान)	बैडमा	अरनोद	आबादी भूमि विक्रय में पक्षपात	"
3.	श्री राम डांगी (वर्तमान)	घूपना	अरनोद	"काम के बदले अनाज योजना" में गड़बड़ी एवं मनमानी करना ।	"
4.	श्री रूपलाल मीणा (वर्तमान)	लालगढ़	अरनोद	"काम के बदले अनाज योजना" में गेहूं का अपहरण ।	परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा अंकेक्षण विभाग, जयपुर के पास विशेष अंकेक्षण हेतु विचाराधीन
5.	श्री नागजी सोलंकी (वर्तमान)	अचलावदा	अरनोद	"	"
6.	श्री शंकरसिंह (वर्तमान)	वरडिया	प्रतापगढ़	"काम के बदले अनाज योजना" में घोटाला ।	जांच अधिकारी, उप-खंड अधिकारी, प्रतापगढ़ के पास जांच हेतु विचाराधीन है ।

परिशिष्ट 17

(अतारांकित प्रश्न संख्या 90 की सूची)

क्रम संख्या	नाम कर्मचारी मय पद	मूल पद स्थापन स्थान	मूल पदस्थापन स्थान पर कार्य आरम्भ दिनांक	मूल पदस्थापन स्थान से अयंत्र किये गये पद स्थापन स्थान का नाम	अन्य किये गये पदस्थान पर कार्य आरम्भ दिनांक
1	2	3	4	5	6
1.	श्री भैरूंलाल शर्मा, उप-वैद्य	चकेरी (सवाई माधोपुर)	17-8-79	खिलचीपुर (सवाई माधोपुर)	30-5-81
2.	श्री अब्दुल सत्तार, परिचारक	मण्डावर (सवाई माधोपुर)	9-8-79	कार्यालय (सवाई माधोपुर)	1-6-81
3.	श्री शिवचरण योगी, परिचारक	करणपुर (सवाई माधोपुर)	22-8-81	अवेता (सवाई माधोपुर)	23-8-81
4.	श्री घासीलाल, उप-वैद्य	मनोहर थाना (झालावाड़)	1-3-80	लसोलियाशाह (झालावाड़)	1-6-81
5.	श्री महावीर प्रसाद पारीक, वैद्य	घन्धूरी, (अजमेर)	23-9-80	सामी (सीकर)	29-7-81
6.	श्री मोहन लाल, उप-वैद्य	धोकडा (बून्दी)	16-3-79	सिदोपधि वितरण केन्द्र (बून्दी)	27-7-79
7.	श्री राम प्रकाश शर्मा वैद्य	"अ" श्रेणी अजमेर	27-5-79	वन्दन निवास, अजमेर	13-8-82
8.	श्री कृष्ण दत्त, उप-वैद्य	वावड़ी कलां (जोधपुर)	17-6-81	ऊंटवालिया (जोधपुर)	8-8-81
9.	श्री पूराराम, उप-वैद्य	बौसा, (सिरोही)	—	निम्बाज, (सिरोही)	1-5-80
				आबू (जालोर)	13-8-80
10.	श्री जगदीश पायला, उप-वैद्य	मूंगथला (सिरोही)	30-8-79	पुर (जालोर)	15-10-80
11.	श्री भैरूंलाल शर्मा, उप-वैद्य	बामनवाड़जी (सिरोही)	8-6-78	जैतावाड़ा (सिरोही)	26-8-81
12.	श्री रामेश्वर छीपा, उप-वैद्य	निम्बलाना (जालोर)	8-7-78	मनादर (सिरोही)	17-2-81
13.	श्री ओंकार लाल, उप-वैद्य	आलासन (जालोर)	15-6-78	भोरड़ा (जालोर)	10-5-81
14.	श्री श्याम सुन्दर, उप-वैद्य	उम्मेदाबाद (जालोर)	1-3-70	पादरड़ी (जालोर)	15-8-81

Page No 374

15.	श्री गोपाल, उप-वैद्य	ओर (सिरोही)	8-4-72	करवाड़ (जालौर)	25-7-81
16.	श्री देवाराम, उप-वैद्य	वाटरा (सिरोही)	30-6-79	निवलागढ (सीरोही)	8-9-81
17.	श्री किशन लाल उप-वैद्य	भीनमाल (जालौर)	1-3-70	पूरण (जालौर)	15-7-81
18.	श्री हीरालाल, उप-वैद्य	हाड़ेचा (जालौर)	8-4-78	देवड़ा (जालौर)	9-8-81
19.	श्री तेज प्रकाश शर्मा, परिचारक	कृष्ण गंज (सिरोही)	—	जिला कार्यालय (सिरोही)	8-2-80
20.	श्री मेना राम, च. श्रे.	नितोड़ा (सिरोही)	1-8-80	वितरण केन्द्र (सिरोही)	20-9-80
21.	श्री गिरधारीलाल च. श्रे.	सूथड़ी (जालौर)	—	आल्पा (सिरोही)	1-3-70
22.	श्री श्याम सुन्दर शर्मा, वैद्य	वाटरा (नागौर)	—	जन-जाति क्षत्रिय विकास सहकारी निगम, लि., उदयपुर	9-6-81
23.	श्री विजय शंकर दशोरा, वैद्य	धनोप (भीलवाड़ा)	28-6-79	धर्मार्थ ट्रस्ट, कृष्ण गोपाल कालेरा	अगस्त, 81.
24.	श्री सीताराम भाली उ.-लिपिक	रसायन शाला, अजमेर	18-7-81	कार्यालय, उप-निदेशक, जयपुर	4-9-81
25.	श्री मगलसेन, क.-लि.	" "	26-2-81	जि. आ. अधि., झुंझनू	2-9-81
26.	श्री रामप्रसाद शर्मा उ.-लिपिक	उप-निदेशक, अजमेर	24-7-80	रसायनशाला, अजमेर	7-8-80
27.	श्री राधेश्याम गर्ग, क. लि.	उप-निदेशक, अजमेर	1-2-80	धा. क. प्र. के., अजमेर	3-2- 1
28.	सुश्री आशा मेहरा, क. लि.	धा. क. प्र. के., अजमेर	12-9-80	निदेशालय, अजमेर	20-1-81
29.	श्री गणेशचन्द क. लिपिक	जि. आ. अधिकारी, जयपुर (अ)	10-79	आयु. मंत्री महों. कार्या., जयपुर	8-9-81
30.	श्री अमरनाथ जोहरी, उ.-लि.	"	4-7-81	शासन सचिवालय एमओएच., जयपुर	5-7-81
31.	श्रीमती संतोषकुमारी धात्री	"अ" श्रेणी, बीकानेर	29-9-80	आयु.औष., बीकानेर शहर	12-8-81
32.	श्री मोहम्मद हुसैन, कल्पद	सतावर (बीकानेर)	-7-80	रीडमलसर (बीकानेर)	-7-80
33.	श्री रामनिवास, कल्पद	दन्तोर (बीकानेर)	-8-81	सियासर चागान (बीकानेर)	-8-81
34.	श्रीमती चन्द्रकान्ता, धात्री	'अ' श्रेणी, बाड़मेर	17-2-72	होम्योपैथिक, बाड़मेर	12-5-81
35.	श्री रमेशचन्द गुप्ता, उप-वैद्य	डूंगरोली (अलवर)	—	'अ' श्रेणी, अलवर	2-9-81
36.	श्री लक्ष्मीलाल, उप-वैद्य	"अ" श्रेणी नाथद्वारा	16-9-80	होम्योपैथिक, उदयपुर	—
37.	श्री धनराज, उप-वैद्य	चीखली (डूंगरपुर)	8 वर्ष से	डूंगरसारण (डूंगरपुर)	3-8-81
38.	श्री रमेशचन्द, उप-वैद्य	रतनपुर (डूंगरपुर)	6-79 से	औषध वितरण केन्द्र, डूंगरपुर	13-6-81
39.	श्री अतर सिंह, उप-वैद्य	डेगाना (नागौर)	9-80 से	नगलामई (भरतपुर)	5-12-80

1	2	3	4	5	6
40.	श्री गोकुल चन्द, वैद्य	रामसिंहपुर (जयपुर)	—	बाढ़शिविर	24-7-81
41.	श्री दयाकान्त, वैद्य	रिलीविंग वैद्य (जयपुर)	—	बाढ़शिविर	24-7-81
42.	श्रीमती पदमावती, धात्री	मचरोल (जयपुर)	—	बाढ़शिविर	27-7-81
43.	श्री दिनेशचन्द्र, वैद्य	झालदा (जयपुर) 'व' क्षेत्र	—	प्रवास भवन	—
44.	श्री रामेश्ववरलाल, उप-वैद्य	लालसर, (जयपुर)	—	सचिवालय, जयपुर	15-9-81
45.	श्री सदाशंकर, उप वैद्य	रिलीविंग कार्यालय, जयपुर	—	विधानसभा, जयपुर	12-9-81
46.	श्री छीतरमल, परिचार	डोलाका बावस, (जयपुर)	—	आयुर्वेद मंत्री महोदय	14-8-81
47.	श्री योगेन्द्र प्रसाद क.लि.	जिला कार्यालय, जयपुर	—	आयुर्वेद मंत्री महोदय	12-9-81
48.	श्री जगदीश, उप-वैद्य	धांधू (चूरू)	17-7-79	रतनगनर (चूरू)	1-8-81
49.	श्री सत्यनारायण, उप-वैद्य	पहाड़सर (चूरू)	21-7-81	बुचावास (चूरू)	1-8-81
50.	श्री जगदीश, उप-वैद्य	साखा (चूरू)	8-3-78	मामासी (चूरू)	31-8-81
51.	श्री रूपचन्द, उप-वैद्य	बीकानेर शहर	4-6-80	होम्यो.. हरिजन बस्ती, बीकानेर	24-4-81
52.	श्री जसवन्तराम, उप-वैद्य	कपूरीसर (बीकानेर)	29-6-81	होम्यो. दामावारी (बीकानेर)	20-7-81
53.	श्री लखपतराम, उप-वैद्य	करणीसर (बीकानेर)	14-2-81	छत्तरगढ़ (बीकानेर)	16-7-81
54.	श्री रामकिशोर, वैद्य	नगरी (चित्तौड़)	23-7-76	एकलिंगपुर (चित्तौड़)	8-8-81
55.	श्री अम्बिका प्रसाद, उप-वैद्य	खेरोत (चित्तौड़)	24-7-81	चूपना (चित्तौड़)	58-81
56.	श्री दुर्गाशंकर, उप-वैद्य	कनेडा (चित्तौड़)	26-6-71	जावदा (चित्तौड़)	31-3-81
57.	श्री बंसीलाल, उप-वैद्य	भीमगढ़ (चित्तौड़)	23-3-76	मण्डेसरा (चित्तौड़)	31-3-81
58.	श्री गौरीशंकर, उप वैद्य	जांजली (चित्तौड़)	24-7-80	असावता (चित्तौड़)	5-3-81
59.	श्री अतरसिंह, उप-वैद्य	डेगाना (नागौर)	—	नगलाभई (भरतपुर)	25-11-80
60.	श्री अमरसिंह, उप-वैद्य	कूमा (भरतपुर)	23-9-80	रणधीरगढ़ (भरतपुर)	1-11-80
61.	श्री घनश्यामदास, उप-वैद्य	लहवांरा कलां (भरतपुर)	13-8-80	कार्यालय, भरतपुर	19-5-81
62.	श्री नानकचन्द, उप-वैद्य	सिहावली (भरतपुर)	7-4-81	" "	22-8-81
63.	श्री रजनीकान्त, उप-वैद्य	घौर (भरतपुर)	7-4-81	" "	6-7-81
64.	श्री श्यामसुन्दर, उप-वैद्य	केहरपुरा (झुंझुनूं)	जुलाई, 77	धारावास (झुंझुनूं)	24-1-81

65.	श्री लक्ष्मीकान्त, वैद्य	लादूसर (झुंझुनू)	औष. नहीं खुलने के कारण कार्या. में	तोमडा कला	19-9-81
6.	श्रीमती गीतादेवी, परिचारिका	बड़बर (झुंझुनू)	19-9-81	व श्रेणी. झुंझुनू	19-9-81
67.	श्री महावीर प्रसाद, उपवैद्य	मिर्र, झुंझुनू	1965	बाटेरी गाऊन्ट जाहन	1-7-81
68.	श्री रणजीत सिंह, परिचारक	सिरनासर (झुंझुनू)	19-8-80	कार्यालय, झुंझुनू	4-9-81
69.	श्री श्रीधरशर्मा, वैद्य	खाजपुर (झुंझुनू)	5-10-70	,, ,, ,,	7-9-81
70.	श्री जगदीश मेघीवाल, वैद्य	मालवर (,,)	अगस्त, 81	,, ,, ,,	18-9-81
71.	श्री मंगलसैन, उच्चलिपिक	रसायनशाला, अजमेर	नवम्बर, 80	,, ,, ,,	6-9-81
72.	श्री गोवर्धन, लिपिक	झुंझुनू	16-8-79	सचिवालय में विधान सभा कार्य हेतु	21-9-81
73.	श्री रमेशचन्द्र कुमावत, क. लिपिक	कार्यालय, जयपुर 'व'	—	,, ,, ,,	22-9-81
74.	श्री परमेश्वरदयाल, वैद्य	जामडोली, जयपुर	—	तहसील नावा, बाढ़राहत शिविर	अगस्त, 81
75.	श्री महावीर प्रसाद भारद्वाज	कुशलगढ़ कालिजंरा (बांसवाड़ा)	8-4-77	खेतड़ी (झुंझुनू)	8-4-77
